8 दिसम्बर, 1994
अग्रहायण, 1916 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

बारहवां - सत्र

(दसवीं लोक सभा)

(खण्ड 36 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्यः पचास रूपये

विषय-सूची

दशम मालां, खंड 36, बारहवां सत्र, 1994/1916 (शक)
अंक 2 गुरूवार, 8 दिसम्बर, 1994/17 अग्रहायण, 1916 (शक)

विषय		कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :		
*तारांकित प्रश्न संख्या :	21 से 23 और 25	1—20
प्रश्नों के लिखित उत्तर :		21—247
तारांकित प्रश्न संख्या :	24 और 26-40	21—37
अतारांकित प्रश्न संख्या :	180 से 211, 213 से 267, 269 से 332, 334 से 376 और 378 से 395	37—247
भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के साथ हुई दुर्घटना के संबंध में		247—258
23 नवम्बर, 1994 को नागपुर में पुलिस द्वारा आदिवासी प्रदर्शनकर्त्ताओं पर हुए लाठीचार्ज के फलस्वरूप हुई भगदड़ के कारण हुई बहुत से लोगों की मृत्यु के बारे में		258—287
श्री अटल बिहारी वाजपेयी		258
श्री दत्ता मेघे		260
श्री शरद यादव		263
श्री रामचन्द्र मारोतराव घंगारे		266
श्री विलास मुत्तेमवार		269
श्री चन्द्रजीत यादव		271
श्री प्रफुल पटेल		273
श्री शिबू सोरेन		274
श्री हरि किशोर सिंह		275
श्री माणिकराव होडल्या गावीत		276
श्री इन्द्रजीत गुप्त		278
श्री अन्ना जोशी		279
श्री मोहन रावले		280
श्री शरद दिघे		280
श्री लाल कृष्ण आडवाणी		282
श्री राम सागर		284
श्री के.वी. तंगकाबालू		284
श्री चन्द्रशेखर		286
सभा पटल पर रखे गए पत्र		287—289
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति		289

किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम
नियम 377 के अधीन मामले	290—293
(एक) देश के पर्वतीय क्षेत्रों, विशेषकर हिमाचल प्रदेश में वन लगाने के लिए उपाय करने की आवश्यकता	
श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी	290
(दो) भारतीय वन सेवा परीक्षा के लिए बी.एससी. (वानिकी) को अनिवार्य अर्हता बनाने की आवश्यकता	
प्रो. सावित्री लक्ष्मणन	290
(तीन) विकलांग लोगों के पुनर्वास के लिए एक व्यापक योजना बनाने की आवश्यकता	
श्री विजय कृष्ण हान्डिक	291
(चार) केरल के कन्नानौर में विकास केन्द्र शीघ्र स्थापित करने की आवश्यकता	
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन	291
(पांच) बिहार के भोजपुर और बक्सर जिलों को समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत लाने और इन जिलों के विकास के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराने की आवश्यकता	
श्री तेज नारायण सिंह	292
(छह) अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्ग के छात्रों के कल्याण के लिए गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में डा. भीमराव अम्बेडकर छात्रावास का निर्माण कराने की आवश्यकता	
डा. रमेश चन्द तोमर	292
(सात) सुंदरवन क्षेत्र के समग्र विकास के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को केन्द्रीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता	
श्री सनत कुमार मंडल	292
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के पूर्व आयुक्त के अट्ठाइसवें और उनतीसवें प्रतिवेदनों और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के राष्ट्रीय आयोग के पांचवे, छठे, सातवें और आठवें प्रतिवेदनों के संबंध में प्रस्ताव	293—336
श्री सत्य नारायण जटिया	293
श्री के. प्रधानी	299
श्री प्रमोथेस मुखर्जी	301
डा. कार्तिकेश्वर पात्र	302
श्री श्याम लाल कमल	305
श्री हरचन्द सिंह	307
श्री याइमा सिंह युमनाम	311
श्री भैरू लाल मीणा	312
श्री चित्त बसु	315
श्री कोडीकुन्नील सुरेश	316
श्री विश्वनाथ शास्त्री	319
श्री के.एच. मुनियप्पा	320
श्री सैयद मसूदल हुसैन	321

विषय	कॉलम
प्रो. रासा सिंह रावत	323
श्री ओस्कर फर्नान्डीज	327
श्री भगवान शंकर रावत	328
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव	329
श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही	332

लोक सभा

गुरूवार, 8 दिसम्बर, 1994/अग्रहायण 17, 1916 (शक)

लोक सभा 11 बजे म. पू. पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : महोदय, मेरा सूचना संबंधी एक प्रश्न है। मेरा प्रश्न है कि हमें 12 दिसम्बर, 1994 की अतारांकित प्रश्नों की सूची प्राप्त हुई है और इस सूची में राज्य सभा के अनेक सदस्यों जैसे सर्व श्री के.आर. मलकानी, जगमोहन, अजीत जोगी, चतुर्वेदी, मिश्रा, कृष्ण लाल शर्मा, बापू कालदते, प्रमोद महाजन, एस. के. शिंदे और कुमारी सरोज खापर्डे के नाम हैं। अनेक प्रश्न जो राज्य सभा सदस्यों द्वारा पूछे जाने हैं वह इस सूची में है। उनके नाम हमारी प्रश्न सूची में शामिल हैं। मैं जानना चाहता हूं कि ऐसा कैसे हुआ।

अध्यक्ष महोदय : आपने उपयुक्त प्रश्न उठाया है। मेरे विचार से यह एक गलती है। इसमें सुधार किया जाना है और ऐसे मामलों में कार्यालय को सावधान रहना चाहिए।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): मान्यवर, अभी यहां की घड़ियों में 11 नहीं बजे हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः घड़ी खराब है।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

11.02 म.पू.

[अनुवाद]

झारखंड मसला

\+

*21. **श्री चित्त बसु :**

श्री बीर सिंह महतो :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत चार माह के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा झारखंड मसले के समाधान के लिए क्या प्रयास किए गए;

(ख) इस संबंध में अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस मामले में अनेक अड़चनों का सामना करना पड़ रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इन अड़चनों को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं/उठाने का विचार किया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (घ). विभिन्न स्तरों पर वार्ताओं के कई दौर के बाद, गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (आंतरिक सुरक्षा) और बिहार के मुख्यमंत्री ने 26 सितम्बर, 1994 को झारखण्ड क्षेत्र स्वायत्त परिषद के गठन के बारे में एक सहमत बयान पर हस्ताक्षर किए। इसमें, दक्षिणी बिहार के 18 जिलों नामतः गुडा, साहेबगंज, गुमला, दुमका, देवघर, धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग, पलामू, लोहारदग्गा, रांची, पूर्वी सिंह भूमि, पश्चिम सिंह भूमि, चतरा, बोकारो, पाकड, कोडरमा और गढ़वा को मिलाकर एक झारखण्ड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का प्रावधान है। 90 प्रतिशत सदस्य 5 वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित और 10 प्रतिशत मनोनीत किए जाएंगे। परिषद का 41 विषयों के मामले में कार्यकारी शक्तियां प्राप्त होंगी। इसमें, 6 माह से अनधिक कार्यकाल वाली एक अन्तरिम सामान्य परिषद के लिए भी प्रावधान है।

इस संबंध में आगे की कार्रवाई बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा की जानी है।

श्री चित्त बसु : महोदय, 24 सितम्बर, 1994 को एक समझौता किया गया था। तब से तीन महीने बीत चुके हैं। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि समझौते को लागू करने के लिए कौन से विशिष्ट कदम उठाए गए हैं? महोदय, विवरण से पता चलता है कि प्रस्तावित परिषद को 41 विषयों पर कार्यकारी शक्तियां प्राप्त होंगी। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या भूमि, वन, रोजगार सृजन, विद्युत वितरण, विद्युत और उस क्षेत्र से बेदखल किए गए व्यक्तियों के पुनर्वास संबंधी मामलों को कार्यकारी शक्तियों की सूची में शामिल किया जाएगा क्योंकि केन्द्र सरकार और राज्य सरकार की इससे संबंधित परियोजनाएं हैं। आगे मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उस क्षेत्र के क्षेत्रीय और जनजातीय विकास के लिए केन्द्र और राज्य दोनों सरकारों से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए कोई सांविधिक स्वीकृति या गारटी संबंधी कोई प्रावधान समझौते में अंतर्विष्ट है? अंत में मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या परिषद का प्रादेशिक क्षेत्राधिकार बढाने के लिए कोई प्रस्ताव है?

अध्यक्ष महोदय : मुझे आशा है कि प्रश्न उत्तर के उचित अनुपात में नहीं होगा।

श्री चित्त बसु : महोदय, उन्हें सभी प्रश्नों के बारे में बताना चाहिए।

श्री राजेश पायलट : हां, मैं सभी प्रश्नों के बारे में बताऊंगा। महोदय, जैसा कि आप जानते हैं कि यह अत्यंत जटिल समस्या है और पिछले पांच–छ–साल से इस पर चर्चा चल रही थी। केन्द्र सरकार के स्तर पर हमने आंदोलनकारी आदिवासियों अन्य वर्गों तथा राज्य सरकार के बीच सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया था। अप्रैल, 1993 में पहली बैठक होने के बाद लगभग तीन–चार महीनों तक लंबी बातचीत हुई और बिहार के माननीय मुख्य मंत्री उन मार्गनिर्देशों से सहमत हो गए थे। यह समझौता शब्दवार तथा खंडवार नहीं है। यह उस क्षेत्र के आंदोलनकारी लोगों तथा राज्य सरकार के बीच एक आम समझौता है इसलिए आपसी सहमति के आधार पर विषयों का चुनाव किया गया था। जहां तक कार्यकारी शक्तियों का संबंध है यह आम चर्चा थी और इन्हें राज्य विधान सभा के लिए छोड़ दिया गया क्योंकि बुनियादी तौर पर यह सभी विषय राज्य के क्षेत्राधिकार में हैं।

महोदय, जहां तक क्रियान्वयन का संबंध है, मैं सभा को बताना चाहता हूं कि जिस दिन यह समझौता प्रधान मंत्री निवास स्थान पर प्रधान मंत्री तथा बिहार के मुख्य मंत्री के बीच किया गया था उसी दिन यह सहमति हुई थी कि दशहरा और दीवाली के बीच की अवधि में बिहार के माननीय मुख्य मंत्री विधान सभा का विशेष सत्र बुलाएंगे और इसे सभा में प्रस्तुत करेंगे। बिहार के माननीय मुख्य मंत्री ने यह वचन दिया था। मैंने उनसे निरंतर संपर्क बनाए रखा था। सभा में आने से पहले आज सुबह भी मैंने उनसे इस संबंध में यह जानना चाहा कि इससे संबंधित कार्य में कितनी प्रगति हुई है? जब भी मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने यही उत्तर दिया कि उनके सामने कुछ समस्याएं हैं और इस समझौते पर चर्चा करने तथा विधान पारित कराने के लिए शीघ्र ही विशेष सत्र बुलाएंगे। महोदय, मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि इसमें कुछ विलम्ब हुआ है। उस दिन जिन व्यक्तियों ने समझौते पर हस्ताक्षर किए थे वे यही आशा कर रहे थे कि दीवाली तक विशेष सत्र बुलाया जाएगा लेकिन वह बुलाया नहीं गया। लेकिन पूरा सदन जानता है कि बिहार के माननीय मुख्य मंत्री के साथ सहयोग और सामंजस्य करना कितना कठिन है। वह सुबह कुछ और सोचते हैं और शाम को वह और। दस दिन का समय मांगते हैं। उस अवधि के बाद जब मैं उनके पास जाता हूं तो वह और कुछ दिन का समय मांगते हैं। हम केन्द्र सरकार के स्तर पर अपनी ओर से प्रयास कर रहे हैं लेकिन अंततः विधान पारित कराना राज्य विधान सभा का कार्य है।

माननीय सदस्य के प्रश्न का अंतिम भाग अन्य क्षेत्रों को शामिल करने के बारे में है। समझौते में उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के अन्य क्षेत्रों को शामिल करने का कोई प्रावधान नहीं है इसमें केवल बिहार के 18 जिले हैं।

श्री चित्त बसु : महोदय, मंत्री महोदय के वक्तव्य से यह स्पष्ट है कि विधायी उपाय बिहार विधान सभा द्वारा किए जाने हैं। महोदय, क्या मैं माननीय मंत्री से यह जान सकता हूं कि यदि असाधारण विलम्ब होता है तो केन्द्र सरकार इस संबंध में केन्द्रीय स्तर पर कौन से कदम उठाएगी? क्या सरकार संविधान की पांचवीं अनुसूची में संशोधन करने तथा इससे संबंधित विधायी कार्य इस सभा में ही करवाने पर विचार करेगी?

श्री राजेश पायलट : अध्यक्ष महोदय, बिहार के माननीय मुख्य मंत्री के साथ चर्चा हुई थी और समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे और इस पर हमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। इस समय राज्य सरकार के समक्ष कोई समस्या होगी और शायद वह राज्य में किसी समस्या का सामना कर रहे होंगे। मैं माननीय मुख्य मंत्री से इसे शीघ्रातिशीघ्र लाने का अनुरोध करूंगा। माननीय सदस्य को कोई आशंका नहीं व्यक्त करनी चाहिए। हम इसे शीघ्रातिशीघ्र पारित कराने के लिए हर संभव प्रयास करते रहेंगे।

श्री बीर सिंह महतो : महोदय, प्रारम्भ में झारखंड आंदोलन स्थानीय लोगों को भूमि, वन और रोजगार का अधिकार दिलाने के साथ-साथ संस्कृति, भाषा तथा सामाजिक धरोहर को बनाए रखने के लिए प्रारंम्भ किया गया था।

महोदय, क्या मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह विधेयक आदिवासियों के बारे में ही है क्योंकि वहां 60 प्रतिशत जनसंख्या गैर-आदिवासी है।

क्या प्रस्तावित झारखंड स्वायत्त परिषद विधेयक आदिवासी और गैर-आदिवासी जनता के बीच विभाजन नहीं कर देगा?

मैं जानना चाहता हूं कि क्या दक्षिण बिहार की सभी खानें तथा खनिजों के प्रखंड प्रस्तावित स्वायत्त परिषद विधेयक में शामिल किए जाएंगे।

श्री राजेश पायलट : जहां तक आदिवासी संस्कृति का संबंध है। हम चाहते हैं कि जो आदिवासी पिछड़े हैं, दूर-दराज के इलाकों में रहते हैं उनका उत्थान हो। हम चाहते हैं कि वे यह महसूस करें कि वे विकास कर रहे है और मुख्यधारा में शामिल हो रहे हैं। इसीलिए इस परिषद पर विचार किया गया था।

जहां तक माननीय सदस्य के प्रश्न के अंतिम भाग का संबंध है मैं यह बताना चाहता हूं कि परिषद के 90 प्रतिशत सदस्य चुने जाएंगे इसलिए मेरे लिए इस समय आदिवासियों के बारे में कुछ कहना हितकर नहीं होगा।

हमने विधेयक में पंचायती राज प्रणाली का प्रावधान रखा है, क्योंकि यह परिषद उनके साथ भी चर्चा करेगी। इस प्रकार परिषद, पंचायती राज तथा राज्य सरकार के संयुक्त प्रयास अंतिम होंगे।

[हिन्दी]

श्री हरि किशोर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे मौका दिया। मैं सरकार को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि काफी दिनों के बाद गृह मंत्रालय में एक मुद्दे पर एका था और इसी कारण झारखंड समस्या के समाधान की तरफ कुछ कारगार पहल हुई। मैं मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि उनके प्रयास के बावजूद और बिहार सरकार के आश्वासन के बावजूद दशहरा और दीपावली के बीच में बिहार विधान सभा का विशेष अधिवेशन नहीं बुलाया जा सका, क्या इसके लिए बिहार विधान सरकार पर आप दबाव डालेंगे या आग्रह करेंगे कि वह इस साल के अंत तक बिहार विधान सभा का सत्र बुलाये? अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या केन्द्र सरकार इस दिशा में कोई कारगर पहल करेगी? मैं मंत्रीजी से एक बात और कहना चाहूंगा कि किसान रैली के बाद आप तो अमेरिकन फार्मर बन गये और जाखड़ साहब हिन्दुस्तानी किसान बन गये।

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़): आप यह भी उतरवाना चाहते है।

श्री राजेश पायलट : मैं माननीय सदस्य की भावना से सहमत हूं, सारे सदन की भी यही भावना है, हम इसको मुख्य मंत्रीजी तक पहुंचायेंगे।

श्री हरि किशोर सिंह : पहुंचाने की बात नहीं है, क्या इसके लिए आप कोई पहल करेंगे कि यह गठित हो जाये।

श्री राजेश पायलट : मैं कोशिश करूंगा कि इस साल के खत्म होने से पहले इस बिल को बिहार विधान सभा में वहां की सरकार लाये और पास कराये।

श्री सूरज मंडल: अध्यक्ष महोदय, यह समझौता 28 अप्रैल, 1993 को राज्य सरकार और आन्दोलनकारियों के बीच हुआ था। उसके बाद राज्य सरकार उससे पीछे हटने लगी। गत सत्र में इसी

सदन में केन्द्र सरकार ने प्रश्न संख्या 65 के उत्तर में यह आश्वासन दिया था कि राज्य सरकार को इस सम्बन्ध में मना लेगी, लेकिन ऐसा करने में केन्द्र सरकार असफल रही है। झारखंड क्षेत्र विकास परिषद विधेयक, 1991 के कुछ सुधारों को स्वीकार करने हेतु राज्य सरकार को राजी करने में वह असफल रही इसलिए अब केन्द्र सरकार संविधान के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति के औपचारिक आदेशों के लिए इस विधेयक को प्रोसेस कर रही है।

अध्यक्ष महोदय, जब राज्य सरकार को मनाने में असफल रही और राष्ट्रपति को प्रोसैस कर रही थी तो उस समय केन्द्र सरकार यहां पर फिफ्थ शेडयूल में बिल लायी। तो मैं जानना चाहता हूं कि किन परिस्थितियों में केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार से इकरारनामा किया और जबकि राज्य सरकार ने.....

अध्यक्ष महोदय : आपको सवाल पूछना है। इतना लम्बा सवाल हो जायेगा तो जवाब नहीं आयेगा।

श्री सूरज मण्डल: अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने आश्वासन दिया जो एक स्पेसिफिक क्वश्चन है कि 21.9.93 को राज्य सरकार ने होम मिनिस्टर को एक फैक्स भेजा जिसका न. 511395, सीएम सैकेट्ररियट है।

[अनुवाद]

"संदर्भ--आज (21.9.93) रात को टेलीफोन पर हुई हमारी बातचीत। आपको यह सूचना दी जाती है कि झारखंड मामले में संबंधित समस्याओं पर विचार करने के लिए 30 अक्टूबर 1993 को विधान सभा का सत्र बुलाने का निर्णय लिया गया है। प्रस्तावित झारखंड स्वायत्त परिषद अथवा झारखंड विकास परिषद से संबंधित सभी मामलों का निपटान विधान सभा में किया जाएगा। विधान सभा में केन्द्र सरकार की टिप्पणियों पर भी विचार किया जाएगा।"

[हिन्दी]

तो इनको यह कहा कि 1993 में करेंगे और फिर एग्रीमेंट किया है और कहा है 16 तारीख को सैशन बुलाया गया है। मैं केन्द्र सरकार से यह जानना चाहता हूं कि किन परिस्थितियों में केन्द्र सरकार ने अपने स्तर से न करके राज्य सरकार को भेजा है और राज्य सरकार से करने के लिये कहा है? यदि राज्य सरकार इस दिसम्बर में आटोनमस कौंसिल विधेयक पारित नहीं करती है तो केन्द्र सरकार किस धारा के अंतर्गत कौन सी कार्यवाही राज्य सरकार पर करेगी और किस आधार पर कैसे उसको पारित करायेगी, इस बात का स्पैसिफिक आश्वासन दिया जाये।

श्री राजेश पायलट : अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि अप्रैल, 1993 और दिसम्बर, 1994 के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है, उसके बीच में कई बाधायें आयी हैं। यह भी सही है कि कभी राज्य सरकार किसी बात को नहीं मानती थी और कभी माननीय सदस्य जो इस वार्तालाप में शामिल थे, किसी बात को नहीं मानते थे। केन्द्र सरकार कोशिश कर रही थी कि ऐसा रास्ता निकल आये जो दोनों को मान्य हो, इलाके के भले में हो, आदिवासी क्षेत्र के भले में हो। उसमें टाईम लगा और कई बार बात बनी और कई बार बिगडी जो माननीय सदस्य से छुपा हुआ नहीं है। उस एग्रीमेंट को करवाने में माननीय सदस्य ने मदद की है। उस वक्त बात यहां पर चलती रही और ऐसी स्थिति आ गयी थी कि बिहार सरकार मानने को तैयार नहीं थी। डैलीगेशन गृह मंत्री से, मुझसे और प्रधानमंत्री जी से मिला और हमने आश्वासन दिया था कि केन्द्र सरकार सिद्धांत रूप से आटोनमस कौंसिल ऐरिया के डेवलेपमेंट के लिये सहमत है। हमारी मंशा है कि बोडोलैंड, गोरखालैंड ऐरियाज की तरह यह आटोनमस कौंसिल बने जिसके लिये हम तैयार हैं। उस बीच में बिहार सरकार द्वारा बातचीत करने में थोड़ी दूरी हो गयी लेकिन जब गृह मंत्रालय के मत का पता चल गया कि हम कौंसिल की बात सबको मनाने के लिये तैयार हैं तो वे आ गये और आपको पता ही है कि यह बात सफल हुई। उन्होंने भी चाहा था कि सारी बात हो। वे माने तो उसके बाद ही यह समझौता हुआ। अब असली बात समझौता लागू होकर बिल होने में देरी हो गयी है और मैंने खुद कहा है कि हम चिन्तित हैं। हम प्रयास पूरे करेंगे कि इस साल के खत्म होने से पहले बिहार सरकार के इस बिल को लाकर, जिस मंशा को लेकर यह एग्रीमेंट हुआ था, जिस भावना को लेकर यह समझौता किया गया था, उसे पूरा करें ताकि लोगों की क्रैडिबिलिटी बनी रहे और लोगों मे एक विश्वास बना रहे कि केन्द्र सरकार राज्य सरकार का भला करना चाहती है। हम लोगों ने जो समझौता किया था, उसमें हमारे प्रयत्न पूरी तरह से जारी हैं और मुझे विश्वास है कि माननीय मुख्य मंत्री उससे मदद करेंगे। जो माननीय सदस्य उस पार्टी के यहां बैठे हुये हैं, बिहार से चुनकर आये हैं, यहां पर मदद करेंगे ताकि यह बिल पास हो जाये।

[अनुवाद]

डॉ. मुमताज अंसारी : अध्यक्ष महोदय, यह कहना गलत तथा निरर्थक है कि बिहार के माननीय मुख्य मंत्री इसमें टाल-मटोल कर रहे हैं अथवा एक दिन कुछ तथा दूसरे दिन कुछ बोलते हैं। बल्कि बिहार के माननीय मुख्य मंत्री ने उचित वक्तव्य दिए हैं तथा जब भी कोई प्रस्ताव किया गया तो केन्द्र सरकार में नहीं बल्कि माननीय मुख्य मंत्री झारखंड क्षेत्रीय विकास परिषद के गठन के बारे में प्रस्ताव रखा। इसका श्रेय माननीय मुख्य मंत्री को जाता है।

मैं भारत सरकार के आंतरिक सुरक्षा मामलों के उप मंत्री से यह प्रश्न पूछता हूं कि अन्य मुख्य मंत्रियों की सहमति लेने तथा उनके साथ चर्चा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं क्योंकि झारखंड क्षेत्र देश के चार राज्यों में फैला है। ये राज्य बिहार, उड़ीसा मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल हैं। सभी चारों मुख्य मंत्रियों के विचार जानने के लिए सरकार द्वारा क्या कैदम उठाए गए? केवल बिहार के मुख्य मंत्री पर क्यों दबाव डाला जा रहा है? कोई भी समझौता करने के लिए सदैव उन्हीं पर दबाव डाला गया। यह प्रस्ताव स्वैच्छिक है और माननीय मुख्य मंत्री ने यह प्रस्ताव किया था।

यह प्रश्न झारखंड मुद्दे के समाधान से सम्बद्ध है। झारखंड का मुद्दा ज्यादा बड़ा मुद्दा है। इसलिए झारखंड क्षेत्र विकास परिषद की स्थापना कर देने भर से ही काम नहीं चलेगा। ऐसे मुद्दों के समाधान के लिए कौन-कौन से व्यापक कदम उठाए जा रहे हैं।

श्री राजेश पायलट : माननीय सदस्य ने स्वयं ही अपने प्रश्न का उत्तर दे दिया है। इसमें कोई बाध्यता नहीं है। इसका श्रेय बिहार के मुख्यमंत्री को जाता है। केन्द्रीय सरकार इस क्षेत्र में शांति बनाये रखने का प्रयत्न कर रही है ताकि उद्वेलित नागरिक यह महसूस न

करें कि उनकी बात कोई सुन नहीं रहा है। हम तो केवल दोनों ही पक्षों को एकसाथ लाने का प्रयत्न कर रहे हैं; केन्द्र सरकार सभी पक्षों को एक-साथ लाने के लिए अपने प्रभाव का प्रयोग कर रही है क्योंकि इसके समाधान की ओर ठीक प्रयास नहीं किए जा रहे थे। इसलिए इसका श्रेय बिहार सरकार को जाता है। हम इसका श्रेय नहीं ले रहे हैं। इसका श्रेय उन नेताओं को जाता है जिन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री के विचारों को सम्मान किया है। इसलिए इस सबका श्रेय राज्य सरकार तथा झारखंड मुक्ति मोर्चा आन्दोलन के नेताओं तथा मेरे सहयोगी को जाता है जिन्होंने इस मुद्दे पर संघर्ष किया था।

महोदय, अगर आपको याद हो और मेरा ख्याल है कि माननीय सदस्य भी मेरी इस बात से सहमत होंगे कि लालू प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री बनने से पहले वे स्वयं आरम्भ में इस आन्दोलन से जुड़े हुए थे। यह बात मुझे मिली रिपोर्ट पर आधारित है। उस समय जब हम परिषद् में सम्मिलित हुए थे हमने ये बात पूरी तरह स्पष्ट कर दी थी। बिहार राज्य के 18 जिले इसमें सम्मिलित हैं। इसका उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से कोई संबंध नहीं है। जब आप परिषद् का गठन करते हैं तो एक राज्य में करते हैं, आप सभी चार राज्यों को मिलाकर परिषद का गठन नहीं कर सकते। इसलिए यह बात पूरी तरह स्पष्ट है। इसलिए माननीय सदस्य के मन से यह शंका हट जानी चाहिए कि इस परिषद से किसी क्षेत्र का कोई संबंध नहीं है। कुछ लोग ऐसी बात कह रहे हैं कि इसका क्या होगा। राज्य सरकारों से इस संबंध में बात की जानी चाहिए कि उस क्षेत्र के जनजातीय लोगों के लिए क्या किया जा सकता है। इन क्षेत्रों के विकास के लिए उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारें पूरा प्रयत्न कर रही हैं। परन्तु बिहार सरकार को उस आश्वासन को पूरा करना होगा जिसके संबंध में माननीय सदस्य ने अभी उल्लेख किया है कि विधेयक पारित किया जाना चाहिए। इसलिए मेरा माननीय सदस्य से निवेदन है कि वे इसे शीघ्र कार्यान्वित करवाने के लिए अपनी पार्टी के मुख्यमंत्री से बात करें।

सदन को इसका पता होना चाहिए कि इसका सारा श्रेय बिहार के मुख्यमंत्री को जाता है जिन्होंने इस बात पर सहमति प्रकट की है कि विधेयक इस वर्ष के अन्त तक लाया जाना चाहिए। इसलिए इस विधेयक को लाने का श्रेय बिहार के मुख्यमंत्री को जाता है।

श्री बूटा सिंह : इस संबंध में मैं एक स्पष्टीकरण चाहूंगा। आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं तथा इस मुद्दे के अंतिम स्वरूप को जानना चाहता हूं।

झारखंड मुद्दा एक दशक से भी ज्यादा समय से सारे देश का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किए हुए है। हमने समाचार पत्रों में यह पढ़ा है कि गृह मंत्रालय के हस्तक्षेप तथा बिहार के मुख्यमंत्री की सद्भावना के कारण एक ऐसा समाधान खोज लिया गया है जो सभी पक्षों को स्वीकार्य है।

आज इस प्रश्न के उत्तर से और दूसरी ओर माननीय सदस्य द्वारा बिहार के माननीय मुख्यमंत्री की ओर से दिये गये एक स्पष्टीकरण तथा इसके साथ ही साथ आंदोलन के नेता द्वारा प्रगट किए विचार से मुझे ऐसा लगता है कि माननीय गृह मंत्री तथा मुख्यमंत्री के विचारों में कोई मेल नजर नहीं आता। इस मुद्दे के साथ बिहार के माननीय सदस्य द्वारा एक और पहलू जोड़ दिया गया है कि जब तक सभी के सभी तीन या चार राज्य सहमत नही हो जाते इस प्रश्न का अंतिम समाधान नहीं ढूंढा जा सकता। क्या हम चौराहे पर छोड़ दिये गए हैं। इस सदन को यह जानने का यह अधिकार है कि इसका अंतिम समाधान क्या होगा, जिस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं उसका परिणाम क्या होगा। क्या सभी चार राज्यों को इसमें शामिल किया जाएगा अथवा केन्द्रीय सरकार की सहायता से बिहार सरकार इस विकास परिषद को गठित करने में सक्षम होगी?

अब इसके साथ-साथ बिहार में चुनावों की भी घोषणा कर दी गई है। किसी को इसकी परवाह नहीं है। इस मुद्दे को सुलझाने की अपेक्षा लोग वोट प्राप्त करने में ज्यादा रूचि दिखा रहे हैं।

इसलिए माननीय गृह मंत्री इस सदन को बताएं कि इसका अंतिम समाधान क्या होगा तथा यह समझौता हमें कहां ले जाएगा। मैं इसके बारे में कुछ आश्वस्त नहीं हूं। माननीय मंत्री ने अभी कहा है कि यह कार्य इस वर्ष के अंत तक हो जाएगा। इस वर्ष का अर्थ है केवल तीन सप्ताह और। क्या इस बात का आश्वासन देना संभव होगा कि इसे बिहार विधानसभा में कम से कम अवधि में पारित करवा दिया जायेगा। बिहार सरकार का रिकार्ड तो कुछ और ही बताता है। क्या सरकार इसमें परिवर्तन ला पायेगी तथा विधान सभा में ऐसा विधेयक लाकर पारित करवा पायेगी ताकि झारखंड क्षेत्र के लोग संतुष्ट हो सकें। मैं इस आन्दोलन के नेताओं द्वारा अपनाये गये दृष्टिकोण की भी प्रशंसा करता हूं। इस संबंध में भारत सरकार का दृष्टिकोण स्पष्ट होना चाहिए। अगर बिहार सरकार किसी भी कारणवश विधेयक को अन्तिम रूप नहीं दे पाती या इस विधेयक को पारित नहीं करवा सकती; तो भारत सरकार क्या करेगी? क्या इस सदन को विश्वास में लेकर वह विधेयक यहां लाया जायेगा? क्या इस विधेयक को पारित करने में यह सभा सक्षम है? इस संबंध में सरकार का क्या दृष्टिकोण है?

श्री राजेश पायलट : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह बात पूरी तरह स्पष्ट कर दी है तथा मैं इसे फिर दोहराना चाहूंगा कि इस परिषद् मे बिहार के 18 जिले सम्मिलित होंगे। माननीय सदस्य इस समझौते के साथ कोई भी पहलू जोड़ सकते हैं। परन्तु राज्य सरकार तथा आन्दोलनकारी नेताओं के बीच समझौता बिहार राज्य के 18 जिलों से गठित स्वायत्तता प्राप्त परिषद के लिए हुआ है। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल तथा इस मामले से जुड़े अन्य राज्यों से इसका कोई संबंध नहीं है। यह बात पूरी तरह स्पष्ट है, तथा इसे रिकार्ड में सम्मिलित किया जाये।

दूसरी बात जहां तक राज्य सरकार द्वारा इसे कार्यान्वित करने का प्रश्न है, मैं सदन को आश्वासन देना चाहता हूं कि माननीय प्रधान मंत्री ने लाल किले से दिये गये अपने भाषण में झारखंड आन्दोलन के नेताओं को आश्वासन दिया था कि हम झारखंड मुद्दे का समाधान ढूंढ लेंगे। हम जनजातीय तथा उपेक्षित क्षेत्रों के विकास के प्रति पूरी तरह वचनबद्ध है। हम अपने वायदे को पूरा करेंगे तथा इस समस्या के समाधान के लिए हम अपने प्रभाव का उपयोग करेंगे। इस संबंध में कोई आशंका नहीं होनी चाहिए कि समझौते पर हस्ताक्षर करने के बावजूद हम इस मामले से जुड़े नहीं रहेंगे। हम

इसके प्रति वचनबद्ध हैं। हमने यह बात न केवल इस सदन में ही कही है बल्कि माननीय प्रधान मंत्री ने सारे राष्ट्र को भी इस बात का आश्वासन दिया है। परन्तु हमें यह कार्य उसी सुनियोजित ढंग से करने का प्रयास करना चाहिए, जैसी कि सहमति हुई है। जैसा कि मैंने कहा है कि सरकार की ओर से हम इस समस्या को अतिशीघ्र निपटाने का सर्वोत्तम प्रयास करेंगे।

जब मैं इस वर्ष के अन्त तक कहता हूं तो जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है, मुझे इस बात की पूरी जानकारी है कि इसमें केवल तीन सप्ताह रह गये हैं। परन्तु उस पक्ष के एक माननीय सदस्य ने यह प्रश्न उठाया था कि "क्या ऐसा संभव होगा।" इस लिए मैंने कहा है कि हम इसे इस वर्ष के अन्त तक करने का पूरा प्रयास करेंगे। यह बात दोनो पक्षों द्वारा किए गये प्रयासों पर निर्भर करेगी? परन्तु गृह मंत्रालय की ओर से कार्य यथाशीघ्र कर लाने का प्रयास किया जायेगा। ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदयः इस प्रश्न पर चर्चा के लिए मैंने आधे घण्टे का समय दिया है।

(व्यवधान)

विदेशी प्रचार माध्यमों का भारत में प्रवेश

+

* 22. **श्री ब्रह्मानन्द मंडलः**
श्री विजय एन. पाटीलः

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच विदेशी प्रचार माध्यमों के भारत में प्रवेश के संबंध में अपने विचारों को अन्तिम रूप दे दिया है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार को देश में विदेशी प्रचार माध्यमों के प्रवेश के विरोध में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं,

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इस मामले पर कब तक निर्णय ले लिया जायेगा?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) देश में विदेशी प्रिंट माध्यम के प्रवेश के मामले के संबंध में कोई परिवर्तन नहीं है। सरकार 1955 के अपने नीति संबंधी निर्णय द्वारा लगातार निर्देशित की जाती है जिसमें यह व्यवस्था है कि विदेशी स्वामित्व वाले किसी भी समाचार पत्र/पत्रिका को भारत में प्रकाशित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, हां।

(ङ) देश में विदेशी माध्यम के प्रवेश का विरोध कर रहे संगठनों के नाम दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

(च) उपर्युक्त *"क" और "ख"* के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

विदेशी माध्यम के प्रवेश के विरोधी संगठन

1. आल इंडिया न्यूज पेपर एडीटर्स कॉन्फ्रेन्स।
2. आल इंडिया स्माल एण्ड मीडियम न्यूज पेपर्स फेडरेशन।
3. आल इंडिया स्माल एण्ड मीडियम न्यूज पेपर्स एसोसिएशन।
4. इंडियन फेडरेशन ऑफ स्माल एण्ड मीडियम न्यूज पेपर्स।
5. दी इंडियन न्यूज पेपर सोसाइटी।
6. इंडियन लैंग्वेज न्यूज पेपर एसोसिएशन।
7. इंडियन जर्नालिस्टस यूनियन।
8. नेशनल यूनियन ऑफ जर्नालिस्ट।

[हिन्दी]

श्री ब्रह्मा नन्द मंडल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि विदेशी प्रिंट मीडिया के सम्बन्ध में सचिवों की क्या कोई कमेटी बनी थी और क्या उसने कोई प्रतिवेदन भी दिया था, यदि हां तो उसमें क्या है?

[अनुवाद]

श्री के.पी. सिंह देव : जी हां, महोदय। सचिवों की एक समिति गठित की गई है। उनकी बैठक होती है और वे सरकार को सिफारिशें देते हैं। मेरे विचार में सचिवों की समिति की रिपोर्ट संभा-पटल पर रखना मेरे लिए उचित नहीं है क्योंकि यह कैबिनेट अथवा मंत्रियों के दल के लिए है। महोदय, इस विषय में आपका संरक्षण चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, अगर कोई ऐसी बात है जो कि सभा में बताई जा सकती है तो उसे सभा में बता दिया जाये अगर कोई ऐसी बात हो जो सभा में बताई नहीं जा सकती और आपके ख्याल से उसे इस सभा में बताना जनहित में नहीं है तो आप उसे मत बताइये।

श्री के.पी. सिंह देव : महोदय, यह एक उदाहरण स्थापित हो जायेगा। इस रिपोर्ट को सभा-पटल पर रख कर मैं ऐसा उदाहरण स्थापित नहीं करना चाहता।

अध्यक्ष महोदय : मैं अपना विनिर्णय दे चुका हूं। जो भी जानकारी इस सदन में दी जा सकती है, वह दी जानी चाहिए जो जानकारी यहां देना जनहित में नहीं है, वह नहीं दी जानी चाहिए। मैं यह बात आप पर छोड़ता हूं।

श्री के.पी. सिंह देव : मैं आपसे संरक्षण चाहता हूं। महोदय, मैं इस कार्यवाही की जानकारी नहीं देना चाहता।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है।

(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, क्लॉक अभी तक बदले नहीं गये हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह सब माइक्रोफोन के साथ कनैक्शन इत्यादि के कारण हो रहा है।

[हिन्दी]

श्री ब्रह्मा नन्द मंडल : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का मुझे जवाब नहीं मिला। मैं जानना चाहता हूं कि विदेशी प्रिंट मीडिया के सम्बन्ध में सचिवों की समिति ने जो रिपोर्ट दी है, उसमें क्या है?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी ने कह दिया है कि वह डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता है।

श्री ब्रह्मानंद मंडल : अध्यक्ष जी, मेरा पूरक प्रश्न यह है कि क्या यह सही है कि एक उच्चस्तरीय मंत्री मण्डलीय कमेटी कोई बनी थी, उसके कोई फैसले हैं? अगर हैं तो वे फैसले हमें बताइये?

[अनुवाद]

श्री के.पी. सिंह देव : जी हां, महोदय। 1955 के निर्णय की समीक्षा करने के लिए मंत्रियों का एक दल गठित किया गया था और उन्होंने भारत सरकार को अपनी टिप्पणियां दे दी हैं।

[हिन्दी]

श्री ब्रह्मानंद मंडल : वे टिप्पणियां क्या हैं? किसी भी सवाल का उत्तर नहीं मिल रहा है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अध्यक्ष जी, मुझे खुशी है कि सरकार ने इस पर विचार करने के बाद यह निर्णय लिया है कि पूर्व की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा और फॉरेन प्रिंट मीडिया को यहां पर आने की अनुमति नहीं दी जायेगी। लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि न्यूज एजेंसी के बारे में सरकार का क्या निर्णय है? क्योंकि उत्तर में इतना ही कहा गया है:

[अनुवाद]

"सरकार 1955 के अपने नीति संबंधी निर्णय द्वारा लगातार निर्देशित की जाती है जिसमें यह व्यवस्था है कि विदेशी स्वामित्व वाले किसी भी समाचार पत्र/पत्रिका को भारत में प्रकाशित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।"

[हिन्दी]

लेकिन जहाँ तक मुझे स्मरण है कि फॉरेन न्यूज एजेंसी के बारे में चाहे 1955 का निर्णय हो या उसके आसपास का कोई और निर्णय हो, आज तक भारत सरकार की यह नीति रही है कि अगर वह हिन्दुस्तान में अपना समाचार प्रसारित करना चाहता है या काम करना चाहता है तो वह किसी भारतीय न्यूज एजेंसी के माध्यम से काम करेगा, सीधे तौर पर नहीं करेगा। इसमे लगता है कि थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ है। रॉयटर के संदर्भ में कितना परिवर्तन हुआ है और क्यों हुआ है? इसकी भी जानकारी आप सदन को दें।

जहां तक मुझे जानकारी है, वह यह है कि पत्रकार जगत की संस्थाओं में उल्लेख किया गया है कि जिन्होंने फॉरेन मीडिया एंट्री का विरोध किया है उन्होंने न्यूज एजेंसी के संदर्भ में पूर्व की स्थिति *को बनाये रखने का आग्रह किया है। मेरी जानकारी के अनुसार प्रैस कौंसिल ऑफ इंडिया का भी यही मत है। सरकार इस बारे में* स्पष्टीकरण दे।

[अनुवाद]

श्री के.पी.सिंह देव : महोदय, माननीय सदस्य स्वयं सूचना और प्रसारण मंत्री रह चुके हैं और उन्होंने ठीक ही कहा है। पी.टी.आई. और रॉयटर के बीच एक व्यवस्था थी जिसे अनुमति दे दी गई थी। अन्यथा, समाचार एजेंसी और विदेशी मीडिया के प्रवेश के बारे में सरकार का दृष्टिकोण वैसा ही है जैसा माननीय सदस्य ने बताया है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। लेकिन तीन साल पहले पी. टी.आई. और रॉयटर के बीच समझौता हुआ था और यह चयन के आधार पर था। मैं इसका विस्तृत ब्यौरा सभा पटल पर रख सकता हूं। यह अभी मेरे पास यहां पर उपलब्ध नहीं है।

[हिन्दी]

श्री रवि राय : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अभी जो आश्वासन दिया है कि भारत सरकार का फॉरेन मीडिया के बारे में 1955 का जो फैसला है, उस पर कायम है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि दूसरे प्रैस कमीशन का जो सुझाव था, जिसमें कहा गया था कि फॉरेन मीडिया के बारे में एक लेजीसलेशन लाया जायेगा तो क्या उसके बारे में आप सोचेंगे।

दूसरा सवाल यह है कि फाइनेंशियल एक्सप्रैस इन लंदन और आनंद बाजार पत्रिका कलकत्ता, के अंदर कोई समझौता हुआ है, कोई टाई–अप हुआ है। क्या इसके बारे में भारत सरकार को कोई जानकारी है? अगर है तो उसका आप खुलासा करें?

[अनुवाद]

श्री के.पी. सिंह देव : महोदय, जहां तक इन दो विदेशी पत्रों का संबंध है प्रस्ताव यह है कि सरकार ***फाइनेंशियल टाइम्स*** और ***आनंद बाजार पत्रिका*** के बीच समझौते की अनुमति दे। ऐसे पांच आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। जैसा कि मैंने कहा कि सरकार का दृष्टिकोण 1955 के मंत्रीमंडल के संकल्प के अनुरूप है तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय अथवा सरकार ने अभी अनुमति नहीं दी है और यह 1955 के मंत्रीमंडल के संकल्प को ध्यान में रखते हुए लगातार इससे इकार कर रही है।

[हिन्दी]

श्री रवि राय : मेरे पहले सवाल का जवाब दीजिए?

[अनुवाद]

श्री के.पी. सिंह देव : मैं प्रेस परिषद के बारे में अभी नहीं बता सकता हूं

[हिन्दी]

श्री रवि राय : प्रेस कमीशन के बारे में बताइये?

[अनुवाद]

श्री के.पी. सिंह देव : प्रेस कमीशन के बारे में मैं आपको जानकारी दे दूंगा।

श्री मुरली देवरा : मैं सरकार को 1955 के संकल्प के नीति निर्णय का पालन करने के लिए बधाई देता हूं। प्रश्न विदेशी मीडिया के बारे में है और माननीय मंत्री ने प्रिन्ट मीडिया के बारे में उत्तर दिया है। जहां तक इलेक्ट्रानिक मीडिया का संबंध है सरकार का इस बारे में क्या दृष्टिकोण है? इलैक्ट्रानिक मीडिया के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।

श्री के.पी. सिंह देव : 'विदेशी मीडिया' की परिभाषा के अंतर्गत प्रिन्ट मीडिया, समाचार पत्र और पत्रिकाएं आती है। इसीलिए मैंने प्रिन्ट मीडिया के बारे में उत्तर दिया।

श्री मुरली देवरा : अब इलेक्ट्रानिक मीडिया भी है।

श्री के.पी. सिंह देव : उपग्रह संचार तथा अन्य इलेक्ट्रानिक मीडिया को ध्यान में रखते हुए इसकी समीक्षा करनी होगी। उसकी समीक्षा करनी होगी और अभी तक ऐसा नहीं किया गया है इसलिए इस समय इलेक्ट्रानिक मीडिया की किसी नीति के बारे में कुछ कहना उचित नहीं होगा।

डा. कार्तिकेश्वर पात्र : महोदय, अपने उत्तर मे माननीय मंत्री ने कहा है कि नौ समाचार एजेंसियों ने विदेशी मीडिया के प्रवेश का विरोध किया है। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि विदेशी मीडिया के प्रवेश उनके द्वारा विरोध करने के मुख्य कारण क्या हैं। यदि इसकी जांच की गई तो उसके क्या परिणाम निकले? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि किस समिति या एजेंसी ने उनके तर्कों की जांच की है?

अध्यक्ष महोदय : वे इसका विरोध क्यों कर रहे हैं?

श्री के.पी. सिंह.देव : महोदय, अनेक तर्क हैं। पहला और मुख्य तर्क देश की संप्रभुता का है। दूसरा तर्क है कि विदेशी मीडिया जनमत को प्रभावित कर सकता है और यह उपयुक्त नहीं है। 1955 के मंत्रीमंडल के निर्णय में जो कारण बताए गए हैं उनके अनुरूप विभिन्न एजेंसियों, कार्यकारी पत्रकारों के निकायों तथा विभिन्न निकायों के संपादकों ने भी यही बात दोहराई है। साथ ही यह सुदृढ़ मत भी है कि इसे अनुमति दी जानी चाहिए। इसप्रकार इस पर राष्ट्रीय बहस चल रही है। अनेक प्रश्न उठाए गए हैं। महोदय, यदि आप चाहते हैं कि मैं पूरा ब्यौरा दूं तो वह मैं बाद में दे सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आपको अपने स्तर पर भी कुछ काम करना चाहिए। हर समय मुझे शामिल नहीं करना चाहिए।

श्री के.पी. सिंह देव : इसका कारण यह है कि भागीदारी लोकतंत्र में जनता के मन पर इसका प्रभाव हो सकता है।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है।

प्रो. सावित्री लक्ष्मणन् : महोदय, मुझे बोलने का अवसर देने के लिए धन्यवाद। 1982 में न्यायाधीश के.के. मैथ्यू की अध्यक्षता में दूसरे प्रेस आयोग ने कुछ सिफारिशें की थीं और प्रेस मीडिया के विदेशी स्वामित्व पर प्रतिबन्ध लगाया था। अब तक 12 वर्ष बीत चुके हैं। दूसरे प्रेस आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या सरकार कोई विधान बनाकर अथवा कम से कम सभा में इस विषय पर पूर्ण बहस करा कर इसके निर्णय को लागू करने को तैयार होगी?

श्री. के.पी. सिंह देव: प्रेस आयोग की अनेक सिफारिशों पर अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया है। सरकार प्रयास कर रही है कि सभी सिफारिशों को लागू किया जाए। लेकिन इस बारे में चर्चा का हमेशा स्वागत है। मैं इसका स्वागत करता हूं।

ग्रहीत विद्युत संयंत्र

*23. **श्री अंकुशराव टोपे** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लि. ने "बिल्ड-ओन-आपरेट" स्कीम के अंतर्गत निजी पार्टियों को कुछ ग्रहीत विद्युत संयंत्र हस्तांतरित करने की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो ये राज्य-वार कहां-कहां स्थिति हैं और उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) इन एककों द्वारा कुल कितना विद्युत उत्पादन किया जाएगा;

(घ) क्या कोल इंडिया लि. द्वारा इस संबंध में कोई कार्य योजना तैयार की गई है;

(ड) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस कार्य योजना को कार्यान्वित करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी.ए. संगमा) : (क) कोल इंडिया लि.(को.इ.लि.) ने "स्वनिर्मित-स्वचालित" योजना के अंतर्गत 7 कोयला क्षेत्र के स्थलों पर कोयला आधारित ग्रहीत विद्युत संयंत्रों का निर्माण किए जाने के लिए निजी कपनियों से पेशकश की है।

(ख) से (च) एक विवरण--पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(ख) इस योजना के अंतर्गत विद्युत संयंत्रों में निवेश निजी कंपनियों द्वारा किया जाएगा और कोल इंडिया लि. (को.इ.लि.) की सम्बद्ध सहायक कंपनी संयंत्र द्वारा उत्पादित की गई संपूर्ण विद्युत की, परस्पर सहमत यूनिट दर आधार पर खरीद करेगी। ऐसे सात स्थल, जिनके लिए ग्रहीत विद्युत संयंत्रों को स्थापित किए जाने के आर्डर प्रस्तुत किए गए हैं, उनका ब्यौरा नीचे दिया गया है--

क्र.सं.	स्थल	राज्य	क्षमता
1.	गिडी	बिहार	1 × 10 मे.वा.
2.	राजरप्पा	बिहार	1 × 10 मे.वा.
3.	भोजूडीह	पश्चिम बंगाल	1 × 10 मे.वा.
4.	पिपरवार	बिहार	1 × 20 मे.वा.
5.	गिडी विस्तार	बिहार	1 × 10 मे.वा.
6.	दुग्दा	बिहार	2 × 10 मे.वा.
7.	सुदामडीह	बिहार	2 × 10 मे.वा.

इसके अलावा, निजी क्षेत्र के निवेश के साथ इसी तरह की व्यवस्था के अंतर्गत तीन और स्थलों पर ग्रहीत विद्युत संयंत्रों को स्थापित किए जाने के लिए विनिर्दिष्ट किया गया है। अभी तक उक्त स्थलों के संबंध में आर्डर प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।

(ग) इन सात गृहों द्वारा उत्पादित कुल संभावित विद्युत, जबकि इन्हें पूर्ण रूप से चालू कर दिया जाएगा, 70 प्रतिशत के प्लांट लोड फैक्टर पर लगभग 70 मे.वा. होगी।

(घ) से (च). जी, हां। कोल इंडिया लि. द्वारा निष्पादित कार्रवाई योजना में, अन्य बातों के अलावा, निम्नलिखित कार्रवाई शामिल होगी–संविदा में समाहित उपयुक्त कार्य–निष्पादन गारंटी धारा के साथ समर्थित उपयुक्त वाणिज्यिक व्यवस्था के अंतर्गत निजी पार्टियों द्वारा संयंत्रों का निर्माण कार्य किया जाना तथा इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन के कार्य की प्रगति पर को.इं.लि. द्वारा निकटतम निगरानी रखा जाना।

श्री अंकुशराव टोपे : कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष ने बताया है कि को.इं.लि. ने एक ऐसी प्रौद्योगिकी विकसित की है जिससे कोयला धोवनशालाओं से अस्वीकृत माल का उपयोग कर विद्युत उत्पादित की जाएगी। अतः मैं माननीय मंत्री से पहला अनुपूरक प्रश्न वह पूछना चाहता हूं कि क्या को.इं.लि. द्वारा विकसित इस प्रौद्योगिकी की जांच की गई है और क्या यह अर्थक्षम साबित हुई है या नहीं? यदि हां, क्या यह प्रौद्योगिकी कोयला धोवनशालाओं द्वारा अस्वीकृत माल का उपयोग कर विद्युत उत्पादन के लिए प्रयोग में लाई गई है या नहीं?

दूसरे, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या किसी निजी क्षेत्र में.....

अध्यक्ष महोदय : आप दूसरा अनुपूरक प्रश्न पहले के बाद ही पूछ सकते हैं।

श्री पी.ए. संगमा : ये सभी गृहीत विद्युत प्रस्ताव धोवनशालाओं के परिणामों पर आधारित हैं।

श्री अंकुशराव टोपे : मेरे दूसरे अनुपूरक प्रश्न का प्रथम भाग यह है कि क्या निजी क्षेत्र में अभी तक कोई गृहीत विद्युत संयंत्र स्थापित किया गया है और क्या उसने उपर्युक्त प्रौद्योगिकी के आधार पर कार्य प्रारंभ कर दिया है।

श्री. पी.ए. संगमा : मेरे पास कोई जानकारी नहीं है कि प्रत्येक क्षेत्र में ऐसे स्टेशन स्थापित किए गए हैं। वह जानकारी विद्युत मंत्रालय के पास होगी लेकिन जहां तक कोल इंडिया का संबंध है हम यह पहला कदम उठा रहे हैं।

श्री अंकुशराव टोपे : मेरे प्रश्न का दूसरा भाग है कि निजीकरण के एक भाग के रूप में सरकार ने कोयला उद्योग में अनेक मौलिक तथा यथार्थवादी उपाय किए हैं। सरकार ने उत्पादन बढ़ाने के लिए निजी क्षेत्र में गृहीत कोयला खानें स्थापित करने व चलाने की अनुमति दी है। सरकार ने निजी क्षेत्र को धोवनशालाएं भी स्थापित करने की अनुमति दी है।

अतः मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि इन उपायों को लागू करने में क्या प्रगति की गई और निजी क्षेत्र में स्थापित गृहीत कोयला खानों तथा कोयला धोवनशालाओं की संख्या कितनी है।

श्री पी.ए. संगमा : यह प्रश्न ग्रहीत विद्युत के संबंध में है न कि ग्रहीत खान के बारे में।

[हिन्दी]

श्री राजेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, जो 7 कैप्टिव पावर प्लाण्ट स्थापित करने के लिए प्राइवेट कम्पनियों को दिये गये हैं, उनमें से 6 बिहार में हैं। ऐसी जानकारी मिली है कि जो पावर प्लाण्ट बैठाये गये हैं, वह कोयले का उपयोग न करके उसको ब्लैक मार्केट में बेचने का काम कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि जो सारा कोयला ब्लैक मार्केट में बेचा जा रहा है, क्या उसके लिए सरकार कोई कार्रवाई करने जा रही है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं जानता कि क्या यह इस प्रश्न से संबंधित है। यदि यह इससे संबंधित है तो मंत्री महोदय उत्तर दे सकते हैं।

श्री पी.ए. संगमा : विद्युत संयंत्र अस्वीकृत कोयले पर आधारित है न कि अन्य आयात पर।

कोयले पर रायल्टी

+

*25. **श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :**
श्री सनत कुमार मंडल :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बड़े कोयला उत्पादक राज्यों द्वारा कोयले पर रायल्टी की दरों मे वृद्धि करने हेतु किए गए अनुरोध पर विचार करने के लिए एक अध्ययन दल की नियुक्ति की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अध्ययन दल ने अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(ग) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं;

(घ) क्या सरकार को कोयले पर रायल्टी की दरों में संशोधन करने के विरूद्ध किसी से कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार ने उन पर क्या कार्रवाई की है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी.ए. संगमा) : (क) से (च). एक विवरण–पत्र सभा–पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख). जी, हां।

(ग) अध्ययन दल की रिपोर्ट की मुख्य बातें नीचे दर्शायी गई हैं:

(i) कोयले पर रायल्टी की दरों का निर्धारण किए जाने के प्रयोजन से कोयले का परस्पर ग्रेडिकृत किए जाने की विद्यमान पद्धति को जारी रखा जाए।

(2) पिट-हैड कीमत की प्रतिशता के रूप में रायल्टी की दरों की रेंज को 15.6-33.9 प्रतिशत (1.3.1991 की स्थिति के अनुसार), कोयले की चालू कीमतों के 15.5-19.6 प्रतिशत तक नीचे लाया जाए।

(3) दिनांक 1.8.1991 को निर्धारित 70.00 रूपए प्रति टन की रायल्टी की औसत दर में 76.60 रूपए प्रति टन तक की वृद्धि की जाए।

(4) अकोककर कोयला के न्यूनतम ग्रेड (ग्रुप-5) पर रायल्टी की दर 40.00 रूपए प्रति टन निर्धारित की जाए।

(5) रायल्टी की विशिष्ट दरों को अर्थात् टन के आधार पर जारी रखने के पक्ष में उल्लेख किया गया है।

(6) केवल ऐसे कोयला उत्पादित करने वाले राज्यों पर, जोकि किसी तरह का उपकर नहीं लगाते हैं अथवा इस तरह का उपकर नही लगाते हैं, रायल्टी की बढ़ी दरें लागू की जाएं।

(घ) जी, हां।

(ङ) रायल्टी की दरें दिनांक 11.10.1994 से संशोधित कर दी गई हैं। इसके परिणामस्वरूप पश्चिम बंगाल सरकार ने भी पश्चिम बंगाल राज्य में उत्पादित किए जाने वाले कोयले पर भी रायल्टी की संशोधित दरों को प्रभावी किए जाने के संबध में अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। बिहार सरकार ने यथामूल्य आधार पर कोयले की रायल्टी का निर्धारण किए जाने के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है और इसने ग्रुप-II तथा III कोयले के संबंध में रायल्टी में ऊपरी ओर संशोधन किए जाने का भी अनुरोध किया है।

(च) रायल्टी की नई दरें पश्चिम बंगाल राज्य में उत्पादित किए जाने वाले कोयले पर, जैसे ही राज्य सरकार कोयले पर उपकर वापस लेती है, तभी से लागू की जा सकती है। चूंकि नियमों के अंतर्गत रायल्टी की दरों में ऊपरी ओर संशोधन तीन वर्ष की अवधि में केवल एक बार किया जा सकता है, अतः रायल्टी की दरों में और आगे वृद्धि किए जाने पर केवल दिनांक 10.10.1997 के बाद ही विचार किया जा सकता है।

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति : आज के उदारीकरण ने देश में कोयले के उत्पादन पर अधिक बल दिया है। जब तक कोयला खानों का आधुनिकीकरण नहीं किया जाता तब तक वे उस कोयले की आपूर्ति नहीं कर सकेंगी जो निजी और सार्वजनिक दोनों ही क्षेत्रों में ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए आवश्यक है। सरकार भी अपनी वर्तमान विद्युत संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए अनेक विद्युत परियोजनायें स्थापित कर रही हैं। मौजूदा विद्युत स्टेशन अपनी क्षमता का केवल 15 प्रतिशत का ही उपयोग कर रहे हैं और प्रत्येक राज्य मे विद्युत की कमी है। इन कोयला खानों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इनका व्यापक रूप से आधुनिकीकरण करने की आवश्यकता है। मै यह जानना चाहूंगा कि इन कोयला खानों का चरणबद्ध रूप मे आधुनिकीकरण करने के लिए विश्व बैंक से प्राप्त ऋण का उपयोग किया जा रहा है अथवा नहीं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न को पढ़िए। मेरे विचार में आपका यह प्रश्न मूलप्रति से बिल्कुल ही अलग है।

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति : मैं रायॅल्टी के प्रश्न पर भी आ रहा हूं। अगर कोयला खानों का आधुनिकीकरण हो जाता है तो उत्पादन बढ़ जायेगा। उसी के अनुसार, राज्यों को दी जाने वाली रॉयल्टी भी बढ़ जायेगी। शुल्क इकट्ठा करने के लिए हम रायॅल्टी **यथामूल्य** आधार पर दे रहे हैं। लेकिन कोयले पर रॉयल्टी विशेष शुल्क के आधार पर दे रहे हैं। विशेष शुल्क एकत्र करने की दरों को बाजार मूल्यों की वर्तमान-प्रवृत्ति के अनुरूप नहीं बढ़ाया गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि जो आयोग गठित किया गया था, उसमें राज्य सरकारों का प्रतिनिधित्व था या नहीं और यदि हां, तो क्या इस पर राज्यों की सहमति थी और क्या इन रायल्टियों को विशेष दर के स्थान पर **यथामूल्य** दर के आधार पर संशोधित करने का प्रस्ताव है।

श्री पी.ए.संगमा : महोदय, यह सच है कि जब कोयले का उत्पादन और उसकी बिक्री बढ़ेगी तो राज्य सरकारों को प्राप्त होने वाले राजस्व में भी वृद्धि होगी। मैं माननीय सदस्य से पूर्ण रूप से सहमत हूं। इसीलिए जहां तक आधुनिकीकरण का प्रश्न है, हम यह कर रहे हैं। मेरे पास उसके बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं है लेकिन मैं इस बात से सहमत हूं कि राजस्व केवल तभी बढ़ेगा जब उत्पादन बढ़ेगा। वास्तव में, मैं राज्य सरकार को यह बताने का प्रयास कर रहा हूं कि केन्द्र सरकार के लिए हर बार रायल्टी को बढ़ाना संभव नहीं होगा। इसकी भी एक सीमा है। अतः, राजस्व को बढ़ाने के लिए उत्पादन बढाना अनिवार्य है और उस मामले में हमने राज्य सरकारों से सहायता करने की अपील की है।

जहां तक यथामूल्य आधार पर रॉयल्टी देने के प्रश्न का संबंध है, वास्तव में 1966 से पहले रॉयल्टी यथामूल्य के सिद्धान्त पर लगाई जा रही थी। लेकिन केन्द्र सरकार के खनिज मंत्रणा बोर्ड ने इस प्रश्न पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया था और उस समिति की सिफारिश के आधार पर **यथामूल्य** को समाप्त कर दिया गया और इसे प्रति टन के आधार पर लगाया जाता है।

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति : महोदय, इन कोयला-खानों के आसपास के लोगों के स्वास्थ्य का प्रश्न भारी चिंता का विषय है। जो रॉयल्टी एकत्र की जा रही है, उसे राज्यों को दिया जा रहा है लेकिन जो धनराशि एकत्र की जा रही है, उसका एक बहुत छोटा सा भाग ही इन कोयला खानों में तथा इनके आसपास रहने वाले लोगों के कल्याण के लिए खर्च किया जा रहा है। अतः उनका स्वास्थ्य भारी चिंता का विषय है। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या इस संबंध में कोई विशेष निर्देश जारी किये गये हैं कि इस धनराशि का एक भाग कोयला-खनन-क्षेत्रों के आसपास रहने वाले लोगों के फायदे के लिये और इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य मे सुधार के लिए भी खर्च किया जाये।

श्री पी.ए. संगमा : महोदय, रॉयल्टी से प्राप्त होने वाला राजस्व राज्य सरकारों की संचित निधि मे जाता है और यह उन सरकारो पर निर्भर करता है कि वे इस धनराशि को किस प्रकार खर्च करें। मैं नही समझता कि हमें राज्य सरकारों को कोई निर्देश देने का कोई अधिकार है। लेकिन कोयला खनन क्षेत्रों में इस बात पर काफी असंतोष है कि राज्य सरकारों को इतना अधिक राजस्व जा रहा है

फिर भी उस धनराशि का पर्याप्त भाग कोयला--खनन क्षेत्रों में नहीं लगाया जा रहा है। मैं राज्य सरकारों से केवल अपील कर सकता हूँ कि वे अपनी योजना को अंतिम रूप देते समय कोयला--खनन क्षेत्रों को भी ध्यान में रखें। हम केवल यही कर सकते हैं।

श्री सनत कुमार मण्डल : मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूँ कि क्या पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री ने प्रधान मंत्री महोदय से पश्चिम बंगाल को इस सूची में शामिल करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करने के लिए कहा है क्योंकि सूची से राज्य का बाहर निकाला जाना अन्यायपूर्ण और भेदभावपूर्ण है।

श्री पी. ए. संगमा : जी हां महोदय, पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री ने प्रधान मंत्री को लिखा है और हमने उस पत्र पर विचार किया है। मैंने इस मामले पर प्रधान मंत्री की ओर से एक जवाब भी भेजा है। आज की स्थिति के अनुसार पश्चिम बंगाल को रॉयल्टी नहीं मिल रही है क्योंकि अक्तूबर, 1989 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि राज्यों को कोयले पर उपकर लगाने का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के उस निर्णय के पश्चात् कलकत्ता उच्च न्यायालय सहित जिसने 25 नवम्बर, 1992 को निर्णय दिया था, अनेक उच्च न्यायालयों ने जहां उस प्रकार के मामले लम्बित थे, इसी प्रकार का निर्णय सुनाया है। अतः, इस निर्णय के अनुसार राज्य सरकारों को उपकर लगाने का अधिकार नहीं है। राजस्व के इस नुकसान की पूर्ति के लिए सरकार ने तीन वर्ष पहले रॉयल्टी की दर को बढ़ा दिया था और उसी के अनुसार हम सभी राज्यों को रॉयल्टी दे रहें है। दुर्भाग्य से, पश्चिम बंगाल की सरकार सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के पश्चात् भी उपकर लगाना जारी रखे हुए है। हमारा मत यह है कि पश्चिम बंगाल सरकार रॉयल्टी और उपकर दोनों प्रकार के फायदे नहीं ले सकती है। पश्चिम बंगाल सरकार ऐसा कर रही है क्योंकि उन्होंने कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की है। इसकी कानूनी स्थिति यही है।

दूसरे, अगर हम आर्थिक दृष्टि से भी देखें तो आज पश्चिम बंगाल की सरकार उपकर के रूप में प्रशासनिक मूल्य का 40 प्रतिशत लगा रही है । अब रायॅल्टी 20 प्रतिशत बढ़ा दी गई है। अगर पहले से ही लगे हुए 40 प्रतिशत उपकर में 20 प्रतिशत और जोड़ दें तो पश्चिम बंगाल में उत्पादित कोयले का मूल्य 60 प्रतिशत बढ़ जायेगा। इस तरह से इसकी बिक्री नहीं होगीः कोई भी इसे उस मूल्य पर नहीं खरीदेगा। अतः, आर्थिक दृष्टि से भी यह ठीक नहीं है।

श्री बसुदेव आचार्य : फिर आप आयात क्यों कर रहे हैं?

श्री पी. ए. संगमा : ऐसा इसलिए है क्योंकि ईस्टर्न कोल लिमिटेड को भारी नुकसान हो रहा है; बी. सी.सी.एल को भारी घाटा हो रहा है।

अगर आप 40 प्रतिशत उपकर और 20 प्रतिशत रॉयल्टी लगाकर कोयले का मूल्य बढ़ा देते हैं तो पश्चिम बंगाल में उत्पादित किसी भी प्रकार के कोयले की बिक्री नहीं हो पायेगी। अतः, यह पश्चिम बंगाल के हित में है कि वह उपकर को हटा ले, हम उन्हें रॉयल्टी दे देंगे।

[हिन्दी]

श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा : अध्यक्ष महोदय, कोयले की रॉयल्टी की दरों में वृद्धि से संबंधित यह प्रश्न है मैं सरकार से यह जानना चाहता हूँ, क्या सरकार ने यह मन बनाया है, जो वजन के अनुसार कोयले की रायल्टी मिल रही है, वह वजन की जगह कीमत के अनुसार रायल्टी मिलेगी ?

[अनुवाद]

श्री पी. ए. संगमा : जी नहीं महोदय।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, मेरा प्रश्न रायल्टी से संबंधित है।

अध्यक्ष महोदय : सभा में एक बात स्पष्ट की जानी चाहिये कि न्यायालय के आदेश के बावजूद उपकर एकत्रित किया जा रहा है या आदेश को स्थगित कर दिया गया है। आप जानते हैं कि यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है। इसके सम्बन्ध में कुछ स्पष्टीकरण होना ही चाहिये।

श्री पी.ए. संगमा : महोदय, क्या मैं इसको स्पष्ट करूं?

स्थिति यह है कि 25 अक्तूबर, 1989 को तमिलनाडु के एक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला किया है। अब इस विषय में वाद-विवाद हो रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार का मत यह है कि सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्णय उस पर लागू नहीं होता क्योंकि अन्य राज्यों में भी संबंधित उच्च न्यायालयों ने उस निर्णय को मान लिया है और कलकत्ता उच्च न्यायालय ने भी उसका अनुपालन किया है जिसके विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील लम्बित है।

अध्यक्ष महोदय : फिर वह एक अलग मामला बन जाता है।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार को उपकर लगाने से मना नहीं किया है । उपकर रायॅल्टी से बिल्कुल अलग है। केन्द्र सरकार यह बहाना क्यों बना रही है कि चूंकि पश्चिम बंगाल सरकार ने उपकर लगाया है, इसलिए रॉयल्टी में संशोधन नहीं किया जा सकता? वर्ष 1991 में रायॅल्टी में संशोधन किया गया था। लेकिन तब से पश्चिम बंगाल के लिए रॉयल्टी में संशोधन नहीं किया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार को नुकसान हो रहा है। क्या मैं माननीय मंत्री से जान सकता हूं कि सरकार ने कोयले के उत्पादन के लिए और वह भी *यथामूल्य* दर के आधार पर पश्चिम बंगाल सरकार को दी जाने वाली रायल्टी को संशोधित क्यों नहीं किया है।

श्री पी.ए. संगमा : महोदय, मैंने दोनों प्रश्नों का जवाब दे दिया है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हो गया है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जीः महोदय, अभी 12 नहीं बजे हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह घड़ी काम नहीं कर रही है क्योंकि इसमें कुछ खराबी आ गई है। अतः, मैं अपनी घड़ी के अनुसार काम करूंगा।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

दूरदर्शन के चैनल

* 24. **श्री सी. पी. मुदाल गिरियप्पा** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन के 61 चैनल शुरू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) ये चैनल कब से कार्य करना आरम्भ कर देंगे?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) से (ग). दूरदर्शन अपनी विद्यमान 13 चैनलों की क्षमता को साठ चैनलों तक बढ़ाने के लिए एक पायलट परियोजना के रूप में डिजीटल कम्प्रैशन टेक्नोलाजी का उपयोग किए जाने संबंधी संभावनाओं का पता लगा रहा है। इस कार्य को पूरा करने के लिए कोई निश्चित तारीख इंगित नहीं की जा सकती।

[हिन्दी]

विकलांगों का कल्याण

*26. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा** : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विकलांगों के कल्याण हेतु कोई विधेयक लाने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ग) क्या सरकार ने राज्य सरकारों से इस संबंध में अपने विचार भेजने के लिए कहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) से (ङ). कल्याण मंत्रालय ने एक विधेयक का प्रारूप तैयार किया है जिसका नाम "विकलांग व्यक्ति (सुरक्षा और पुनर्वास) विधेयक, 1994" है। व्यापक विचार-विमर्श की दृष्टि से, इसे सभी संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों, सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों तथा अनेक गैर-सरकारी संगठनों को टिप्पणी के लिए परिचालित किया गया है। अभी तक केवल मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपुर और त्रिपुरा की राज्य सरकारों से टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं। प्राप्त की गई टिप्पणियों से पता चला है कि इस प्रारूप विधेयक की गहराई से जांच नहीं की गई है। इसलिए सभी राज्य सरकारों से प्रस्तावित विधेयक की वित्तीय कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित विधान की जांच करने का अनुरोध किया गया। उनसे अपने-अपने राज्यों में समस्या के आकार को देखते हुए अपने-अपने राज्यों के लिए वार्षिक तथा पंचवर्षीय आधार पर वित्तीय उलझनों की गणना करने का भी अनुरोध किया गया है। उनसे आगे यह भी अनुरोध किया गया है कि वे यह जांच लें कि प्रस्तावित विधान की मंशा कार्यान्वित करने में राज्य सरकारें वित्तीय उलझनों का किस हद तक मुकाबला करने की स्थिति में होंगी और वे विधेयक में ऐसे प्रावधानों की सावधानीपूर्वक जांच कर लें जो यदि लागू किए गए तो प्रतिकूल आलोचना को भी आकर्षित न करें। पहले से प्राप्त की गई टिप्पणियो की जांच की जा रही है तथा निकट भविष्य में प्राप्त की जाने वाली टिप्पणियों की जांच के आधार पर संसद में विधेयक को प्रस्तुत करने के कदम उठाए जाएंगे।

[अनुवाद]

पेट्रोलियम उत्पाद

+

*27. **श्री हरिन पाठक** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेट्रोलियम संरक्षण अनुसन्धान संघ ने ऐसे अनेक तरीके विकसित किए हैं जिनके द्वारा देश में पेट्रोलियम उत्पादों की बड़ी मात्रा में बचत की जा सकती है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में तथ्य क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन तरीकों को अपनाने का है;

(घ) यदि हां, तो सरकार का इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार है; और

(ङ) इन तरीकों को अपनाने पर कुल कितना खर्च आएगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ङ). पेट्रोलियम सरक्षण अनुसंधान संघ द्वारा तथा उसके माध्यम से किए गए विभिन्न कार्यकलापों के कारण 31 मार्च, 1994 की स्थितिनुसार 417 करोड़ रूपये के मूल्य के लगभग 838,500 पेट्रोलियम पदार्थों की अनुमानित वार्षिक बचत हुई थी। अन्य बातों के साथ-साथ पेट्रोलियम सरक्षण अनुसंधान संघ द्वारा किए गए कार्यकलाप इस प्रकार हैं:

(1) पेट्रोलियम पदार्थों के संरक्षण के लाभ और उनकी तात्कालिकता के संबंध में व्यापक जानकारी देना।

(2) पेट्रोलियम पदार्थों की बर्बादी तथा अपव्यय की आदतों को समाप्त करने के उपायों की पहचान करना और उन्हें बढ़ावा देना तथा इंजनों, वाहनों, प्रक्रियाओं और उपकरणों में उन्नत व्यवस्था, कार्यसंचालनात्मक एव रखरखाव, पूर्व-फिटिंग, नवीकरण तथा तकनीकी सुधार लाने संबंधी आदतें अपनाकर तेल प्रयोग क्षमता में सुधार करना।

(3) अंतः-ईंधन प्रतिस्थापन का संवर्धन।

पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ का वर्ष 1994-95 का अनुमोदित बजट 8.35 करोड़ रूपये है।

[हिन्दी]

वृद्धाश्रम

*28. **श्री पंकज चौधरी** :
श्री बृजभूषण शरण सिंह :

क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितने वृद्धाश्रमों की स्थापना की गई है;

(ख) वर्ष 1994–95 के दौरान ऐसे कितने आश्रमों की स्थापना करने का प्रस्ताव है।

(ग) इन आश्रमों की स्थापना किन–किन स्थानों पर की जाएगी; और

(घ) इन आश्रमों में कितने वृद्ध व्यक्तियों को भोजन तथा निवास संबंधी सुविधाएं प्रदान किये जाने का विचार किया गया है?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) से (घ). ऐसे वृद्धावस्था गृहों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या को दर्शाने वाला विवरण–I संलग्न है।

वर्ष 1994–95 के दौरान 20 और वृद्धावस्था गृहों की स्थापना का प्रस्ताव है। इन वृद्धावस्था गृहों की प्रस्तावित अवस्थिति को दर्शाने वाला एक विवरण–II संलग्न है।

प्रत्येक वृद्धावस्था गृह में कम–से–कम 25 वृद्धजनों को रखने की अपेक्षा की जाती है। कुल लगभग 3,875 वृद्धजनों के इन 155 वृद्धावस्था गृहों में सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की अपेक्षा की जाती है।

विवरण-I

स्वैच्छिक संगठनों को सहायता की योजना के अंतर्गत 1993-94 के दौरान चलाए जा रहे वृद्धावस्था गृहों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	वृद्धावस्था गृहों की सं.
1.	आन्ध्र प्रदेश	33
2.	असम	1
3.	बिहार	2
4.	गुजरात	1
5.	हरियाणा	1
6.	कर्नाटक	4
7.	मध्य प्रदेश	2
8.	महाराष्ट्र	3
9.	मणिपुर	8
10.	उड़ीसा	15
11.	तमिलनाडु	17
12.	उत्तर प्रदेश	19
13.	त्रिपुरा	2
14.	पश्चिम बंगाल	18
		126

विवरण -II

वृद्धावस्था गृहों की अवस्थिति दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	संगठन का नाम	वृद्धावस्था गृह की अवस्थिति
1	2	3
आन्ध्र प्रदेश		
1.	प्रगति यूथ संगम, भारापेट, गुन्टूर-2, आंध्र प्रदेश	पेरीछेरला
2.	नवीन आदर्श महिला मण्डली कृष्णयापलालम, गुन्टूर जिला (आं. प्र.)	गुन्टूर जिला मंगलगिरि
3.	वैद्याश्री महिला समाजम, नदियापेट गुन्टूर जिला (आं. प्र.)	गुन्टूर
4.	सीताराम भारतीय चारिटेबल ट्रस्ट, एम आर जी गार्डेन लक्ष्मीपुरम, पेडवेगी, जिला एलूरू, (आं. प्र.)	एलूरू
5.	वाणी, महिला मण्डली, मारूति नगर, अनन्तपुर (आं.प्र.)	अनन्तपुर
6.	प्रगति, मकान सं. 13–182, एम एस नगर, मलकागिरी (पी ओ), हैदराबार (आं. प्र.)	मलकागिरि
7.	आर्य दयानन्द महिला मण्डली, केलवाया मण्डल वेल्लोर जिला (आंध्र प्रदेश)	कालूवाया नेल्लोर जिला
8.	पीपुल्स रूरल एजूकेशन डेवलपमेंट सोसायटी, एम एम जे कालोनी, पेरूकोण्डा मण्डल, अनन्तपुर जिला (आंध्र प्रदेश)	पेरूकोण्डा
9.	श्री सुब्रहम्णमस्वामी महिला मण्डली, 7वां लाइन, श्रीनगर, गुन्टूर (आंध्र प्रदेश)	अमरावती गुन्टूर जिला
10.	कस्तूरीभाई गांधी महिला मण्डली, 44–28–5/1, रेलवे न्यू कालोनी, विशाखापट्टनम	विशाखापट्टनम
11.	महालक्ष्मी महिला मण्डली, देवराकोण्डा, नालगोण्डा जिला (आंध्र प्रदेश)	देवराकोण्डा, नालगोण्डा जिला
12.	श्री शक्ति महिला मण्डली, मकान सं. 45/292, सत्यानारायण नगर, कुरनूल (आंध्र प्रदेश)	कुरनूल
13	प्रेमा समाजम, विजयनगरम (आंध्र प्रदेश)	विजयनगरम
हरियाणा		
14	अमर ज्योति शिक्षा समिति, झांसी रोड, जीन्द (हरियाणा)	जीन्द

1	2	3
केरल		
15.	इंटरनेशनल सेंटर फॉर स्टडी एंड डैवलपमेंट, शंगरीला हिल्स, वाल्कम, कोल्लाम जिला	वॉलकम, कोल्लाम जिला
महाराष्ट्र		
16.	दि कागज एजूकेशन सोसायटी, कागल ताल्लुका, जिला कोल्हापुर, महाराष्ट्र	ककगगोल, कोल्हापुर जिला
मणिपुर		
17.	एजूकेटेड अनइम्पलायड यूथ डेवलपमेंट एसोसिएशन खोंगीजम टेकछम, मणिपुर	थौबुल विल्लेज खोंगजक टेकछम
18.	चुरचांदपुर यूथ डेवलपमेंट एसोसिएशन, अपर लमका सेंट्रल रोड, चुरचांदपुर, मणिपुर	चुरचांदपुर, मणिपुर
19.	न्यू इटेग्रेटेड रूरल मैनेजमेंट एजेन्सी, संगयुफम, आंगफोग, वांग जिंग, मणिपुर	संगयुफम
उड़ीसा		
20.	बाना भारती, कारापुट–764020	कोरापुट
21.	एम ओ क्लब, एट/पी ओ कान्ताबाद, जिला पुरी	कांटाबाद, जिला पुरी
22.	जुवाज्योति कलब, एटः कुमण्डल, पी ओ नैरी, जिला खुरदा	कुमण्डल जिला खुरदा
तमिलनाडु		
23.	रूरल एजूकेशन वर्किंग सोसायटी, इनफेंट जैसस मिशन, तिवन्नामलई, तमिलनाडु	अवूर, जिला
उत्तर प्रदेश		
24.	ग्राम सेवा सस्थान, नेरूआरू, पी ओ शापुर, देवरिया	नेरुआरी, जिला दैंवरिया
25.	गायत्री देवी शिक्षा समिति, इलाहाबाद	कोरानु, इलाहाबाद
26.	आर्य कन्या विद्यालय समिति, एट तथा तह, सिराधु, जिला इलाहाबाद	तहसील सिराथु इलाहाबाद
27.	मुरली विकास संस्थान, मोहल्ला मुरलीजोट, पुरानी बस्ती, जिला बस्ती (उत्तर प्रदेश)	मुल्ला मुरलीजोट, जिला बस्ती
28.	दलित मानव उत्थान सस्थान, पी ओ अलीपुर जीता जिला इलाहाबाद	बडा हवेली
पश्चिम बंगाल		
29.	मालीपुकार समाज उन्नयन समिति जिला हावड़ा, पश्चिम बंगाल	जुजेरसा, जिला हावड़ा

[अनुवाद]

उत्तराखण्ड

*29. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री हरिसिंह चावड़ा :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेगें कि :

(क) क्या सरकार को एक अलग उत्तराखण्ड राज्य की मांग के लिए उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में चल रहे जन–आन्दोलन की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो आयोग का गठन कब तक कर दिया जाएगा?

गृह मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) और (ख). जी हां, श्रीमान् । उत्तर प्रदेश के कुमाऊं और गढ़वाल मण्डलों के आठ पर्वतीय जिलों (अल्मोड़ा, पिथौरागढ, नैनीताल, उत्तरकाशी, चमोली, टिहरी गढवाल, पौढ़ी गढ़वाल और देहरादून) को मिलाकर एक अलग "उत्तराखण्ड राज्य" बनाने संबंधी आदोलन ने, शैक्षणिक संस्थानों में प्रेवश और सरकारी सेवाओं में, अन्य पिछडे वर्गों के लिए 27% आरक्षण देने संबंधी राज्य सरकार मे एक अध्यादेश को लागू कर दिए जाने के बाद जोर पकड़ लिया।

उत्तराखण्ड के लोगों की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए भारत सरकार विभिन्न विकल्पों की जांच कर रही है। तथापि, राज्यों के वर्तमान ढ़ाचे को पुनर्गठित करने के संबंध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) जी नहीं, श्री मान्।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

"टाडा" के मामले में बैठक

*30. **श्री भेरू लाल मीणा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने हाल ही में "टाडा" के प्रत्येक पहलू पर विस्तृत चर्चा हेतु राज्यों के मुख्य सचिवों की एक बैठक आयोजित की थी ;

(ख) यदि हां, तो इस बैठक में किन–किन मुद्दों पर चर्चा की गई; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) से (ग). "टाडा" की समीक्षा के काम के एक हिस्से के रूप में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 30.8.94 को कुछ राज्यों और गृह मंत्रालय के प्रतिनिधियों की एक बैठक आयोजित की ताकि मार्च, 94 में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के समय और 30.6.94 की स्थिति के अनुसार, "टाडा" के अधीन दर्ज किए गए मामलों की संख्या, "टाडा" के अधीन गिरफ्तार किए गए और निरुद्ध किए गए व्यक्तियों की संख्या के बारे में सूचना प्राप्त की जा सके।

अन्तर्राष्ट्रीय परिवार वर्ष

* 31. **श्री पवन कुमार बंसल** : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय परिवार वर्ष में परिवारों के सकारात्मक विकास हेतु कोई निर्णय लिया है, और

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ किए गए विशेष उपायों और तैयार की गई कार्य योजना को ब्यौरा क्या है?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1994 को अंतर्राष्ट्रीय परिवार वर्ष के रूप में उपयुक्त रूप से मनाने के लिए सरकार ने एक राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार की। समाज में एक वितान तंत्र के रुप में परिवार के महत्व के प्रति और अधिक जागरूकता पैदा करने तथा परिवार के भावुक विकास के महत्व के बारे में इस कार्य योजना में ध्यान केन्द्रित किया गया है। कार्य योजना की कुछ मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

राष्ट्रीय कार्य योजना की मुख्य विशेषताएं

क. पारिवारिक मुद्दों के प्रति जागरूकता बढ़ाना

(एक) अंतर्राष्ट्रीय परिवार वर्ष के अवसर पर पोस्टरों को तैयार करना तथा उनका वितरण।

(दो) दूददर्शन पर वीडियो स्पाटो और वृत्त चित्र का प्रसारण।

(तीन) अंतर्राष्ट्रीय परिवार वर्ष के अवसर पर स्मारक डाक टिकट जारी करना।

ख. राष्ट्रीय सैमिनार

सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए एक एजेंसी के रुप में परिवार की भूमिका को बढ़ाने" के विषय पर एक राष्ट्रीय समिनार 15 तथा 16 मई, 1994 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस सैमिनार में परिवार अध्ययन के परिप्रेक्ष्य में सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर बहुआयामी सिफारिशें की गई। इन सिफारिशों को जांच और कार्यन्वयन के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों, एजेंसियों आदि को परिचालित किया गया है।

ग. परिवार अध्ययन

(एक) "सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए एक ऐजेसी के रूप में परिवार की भूमिका को बढ़ाने" संबधी शीर्षक पर एक पुस्तक का विमोचन करना।

(दो) 1994 के अंत तक भारतीय परिवार पर प्रजनक अध्ययनों के बारे में एक ग्रन्थ सूची का संकलन।

(तीन) "कामगर माता–पिता वाले परिवारों की चुनौतियां" संबंधी विषय पर एक अध्ययन प्रायोजित करना।

घ. गैर सरकारी संगठनों की सहभागिता

(एक) "गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से सामाजिक देखभाल का सुदृढ़ीकरण" के संबंध में गैर सरकारी संगठनों का राष्ट्रीय परामर्श (केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा)।

(दो) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा गैर सरकारी संगठनों की एक राष्ट्रीय डायरेक्टरी तैयार करना।

[हिन्दी]

"टाडा" की पुनरीक्षा

*32. **श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेगें कि :

(क) क्या "टाडा" के कार्यकरण पर निगरानी रखने तथा इसके घोर दुरूपयोग को रोकने के लिए कोई केन्द्रीय पुनरीक्षा समिति गठित की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस समिति के सदस्यों ये नाम क्या है;

(ग) क्या इस समिति ने "टाडा" की पुनरीक्षा का कार्य पूरा कर लिया है; और

(घ) यदि हां, तो इसकी मुख्य सिफारिशें क्या है तथा राज्य सरकारों द्वारा "टाडा" के दुरुपयोग को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

गृह मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) गृह सचिव, केन्द्रीय पुनरीक्षा समिति के अध्यक्ष हैं तथा विधायी विभाग के सचिव तथा केन्द्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक इसके सदस्य और गृह मंत्रालय मे संयुक्त सचिव (आई. एस. –II) सदस्य सचिव हैं।

(ग) इस समिति ने, केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच पड़ताल किए गए/मुकदमा चलाए गए टाडा मामलों के अलावा टाडा मामलों की राज्यवार स्थिति की पुनरीक्षा की है।

(घ) समिति ने सिफारिश की है कि इस अधिनियम को अत्यन्त सावधानी और सतर्कता से ही लागू किया जाना चाहिए और इस अधिनियम को केवल उन्हीं के विरुद्ध प्रयोग किया जाए जो या तो आतंकवादी हैं या विध्वंसकारी गतिविधियों में संलिप्त हैं तथा इसका प्रयोग उन साधारण अपराधियों के विरुद्ध नहीं किया जाना चाहिए जिनके प्रयोजनार्थ कानून के साधारण प्रावधान पर्याप्त हों।

[अनुवाद]

दक्षिणी गैस ग्रिड

*33. **श्री रमेश चेन्नितला** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दक्षिणी गैस ग्रिड की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव था;

(ख) यदि हां, तो इसकी स्थापना में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) इसकी स्थापना कब तक हो जायेगी?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) दक्षिणी गैस ग्रिड की अवधारणा को सैद्धांतिक तौर पर स्वीकार कर लिया गया है।

(ख) पाइपलाइन के रास्ते पर निर्णय लेने के लिए दक्षिणी भारत में गैस पर आधारित इकाइयों की जरुरत का आंकलन किया जा रहा है।

(ग) ऐसी योजना बनायी गयी है कि ओमान से आयातित गैस के उपलब्ध होने के समय तक पाइपलाइन बिछा दी जाएगी।

[हिन्दी]

मिट्टी के तेल का वितरण

*34. **श्री महेश कनोडिया:**

श्री राम टहल चौधरी:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न राज्यों में मिट्टी के तेल के वितरण की वर्तमान प्रणाली की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) मिट्टी मे तेल की कालाबाजारी को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं/उठाए जाने का विचार है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग). सरकार मिट्टी तेल की वितरण प्रणाली का पुनरीक्षण करती रहती है। विभिन्न राज्यों को मिट्टी तेल के आबंटन में बढ़ोतरी करने के अलावा केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों से विपणन के केन्द्रों का पता लगाने के लिए खुदरा वितरण की पद्धति को तर्कसंगत बनाने और मिट्टी तेल की कालाबाजारी को रोकने के लिए खामियों को दूर करने के लिए उपाय करने को कहा है ताकि मिट्टी तेल समय पर और वांछित मात्रा में और निर्धारित कीमतों पर लक्ष्य वर्गों तक पहुंचे।

(घ) मिट्टी तेल की कालाबाजारी रोकने के लिए मिट्टी तेल में फरफुरल के मिश्रण, मिट्टी तेल में नीला रंग मिलाने, तेल प्रयोगशालाओं द्वारा नमूना परीक्षण तथा तेल कंपनियों के क्षेत्र अधिकारियों और राज्य प्राधिकारियों द्वारा अचानक निरीक्षण जैसे उपाय किए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

लघु तथा मध्यम समाचार पत्र

*35. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वद्दे** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लघु तथा मध्यम समाचार पत्र संबंधी राम मोहन राव समिति की सिफारिशों को लागू करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये है; और

(ख) क्षेत्रीय भाषाओं के लघु समाचार-पत्रों की वित्तीय स्थिति सुधारने हेतू सरकार द्वारा क्या उपाय किए गये हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव): (क) समिति द्वारा की गई 12 सिफारिशों में से कुछ मामलों में कुछ मामूली संशोधनो सहित 11 सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है। इन सिफारिशों का एक विवरण-I संलग्न है।

(ख) उन सुविधाओं के ब्यौरे को दर्शाने वाला विवरण -II जिनका कुछ संबंध क्षेत्रीय भाषाओं वाले समाचारपत्रों सहित लघु समाचार पत्रों की वित्तीय स्थिति से है संलग्न है।

विवरण-I

निष्कर्ष तथा सिफारिशें	लघु तथा मझौले समाचारपत्रों के संबंध में राम मोहन राव समिति की कार्यान्वयन रिपोर्ट
1	2	3
1. डाक सूची के अंतर्गत 15 पैसे की वर्तमान समान दर के बजाय 5 पैसे की विशेष रियायती दर को लघु समाचार पत्रों पर लागू किया जाना चाहिए। आर.सन.आई. से प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर सभी पंजीकृत लघु समाचार पत्रों (दैनिक एवं साप्ताहिक) की यह रियायत प्रदान की जानी चाहिए।	इस सिफारिश को स्वीकार नहीं किया जा सका क्योंकि डाक विभाग ने उन्हें हो रही वर्तमान हानियों के अलावा और दायित्व स्वीकार करने में असमर्थता व्यक्त की थी।
2. दूर संचार टैरिफ के मामले में, सामान्य टी.पी. सर्किटों की तरह डाटा/फेसीमाइल सर्किटों के लिए भी रियायत प्रदान की जानी चाहिए। डाटा/फेसीमाइल के लिए के लिए रियायत प्रदान किए जाने से समाचार एर्जेसियां बिना अपनी दरें बढाए लघु एवं मझौले समाचारपत्रों को अपनी सेवाएं प्रदान कर सकती है।	स्वीकार कर ली गई है। दूरसंचार विभाग ने सामान्य टी. पी. सार्कटों को दिए जाने वाली रियायतें 1.1.91 से डाटा/फेसीमाइल सर्किटों को भी प्रदान कर दी है।

1	2	3
3.	राज्य सरकारों को बस अनुसूचियां इस प्रकार निर्धारित करने को कहा जाए जिससे कि लघु एवं मझौले समाचार पत्रों की आवश्यकताओं को भी पूरा किया जा सके।	स्वीकार कर ली गई है। अधिकांश राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों ने सूचित किया है कि बस अनुसूचियां इस प्रकार निर्धारित की गई कि लघु एवं मझौले समाचार पत्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके।
4.	समाचार एजेंसियों द्वारा अनुरोध करने पर उन्हें रेलवे की मासिक लेखा प्रणाली के अंतर्गत समाचारों के प्रेषण संबंधी सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए बशर्ते उनके द्वारा आवश्यक औपचारिकताएं पूरी की जाएं।	स्वीकार कर ली गई है। समाचार पत्रों द्वारा अनुरोध करने पर उन्हें रेलवे की मासिक लेखा प्रणाली मे अंतर्गत समाचारपत्रों के प्रेषण संबंधी सुविधा उपलब्ध कराई जाती है बशर्ते उनके द्वारा आवश्यक औपचारिकताएं पूरी की जाएं।
5.	चूंकि लघु एवं मझौले समाचार पत्रों को लघु उद्योग घोषित करना व्यवहार्य नहीं है, अतः लघु उद्योगों को उपलब्ध कुछ संबंधित रियायतें लघु एवं मझौले समाचारपत्रों को प्रदान की जानी चाहिए।	स्वीकार कर ली गई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि लघु उद्योगों के लिए निर्धारित निवेश संबंधी मानदण्डो को पूरा करने वाले लधु एव मझौले समाचार पत्रों को प्रदान किए गए ऋणों एवं अग्रिमों की प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम माना जाता है और ऐसे यूनिट ब्याज दरों, सीमान्त आदि में रियायतों के पात्र होते हैं जो कि सामान्यतया अन्य लघु उद्योगों को उपलब्ध हैं।
6.	नई मुद्रण प्रेसों को इस समय उपलब्ध रियायती दरों के अनुसार ही मुद्रण प्रेसों के लिए पुराने उपस्करों एवं मशीनरी हेतु भी राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋणों की उपलब्धता पर विचार किया जाना चाहिए।	स्वीकार कर ली गई है। बैंको द्वारा उधारकर्ताओं को पुरानी मशीनरी के एवज मे सावधि ऋण प्रदान करने की अनुमति दी गई है बशते इस प्रकार की मशीनरी का बाहर से आयात किया जाए।
7.	35 लाख रुपये की वर्तमान सीमा को बढ़ाकर 60 लाख रुपये किया जाना चाहिए ताकि लघु एवं मझौले समाचारपत्र आधुनिकीकरण संबंधी अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। सरकार द्वारा एस.एस.आई. यूनिटों की सीमा बढ़ाए जाने पर इस सीमा को भी बढ़ाया जाना चाहिए।	स्वीकार कर ली गई है। इस सीमा को 2.4.91 से बढ़ाकर 60 लाख रुपये कर दिया गया है।
8.	राज्य सरकार से लघु एवं मझौले समाचार–पत्रों को प्राथमिकता आधार पर उपयुक्त आवास आबटित किए जाने पर विचार करने का अनुरोध किया जाना चाहिए।	स्वीकार कर ली गई है। अधिकांश राज्य सरकारों ने यह प्रतिक्रिया व्यक्त की है कि इस बारे मे भी संभव होगा, किया जाएगा।
9.	लघु एवं मझौले समाचार पत्रों की उनके आधुनिकीकरण संबंधी प्रयासों में सहायता करने की दृष्टि से यू.एन.आई. तथा पी.टी.आई. द्वारा उन्हें रियायती दरों पर अपनी सेवाएं प्रदान करने पर विचार किया जाना चाहिए।	स्वीकार कर ली गई है। समाचार एजेंसियां लघु एवं मझौले समाचार पत्रों की रियायती दर पर अपनी सेवाएं जारी करने के लिए सहमत हो गई है।
10.	प्रत्यायन की प्राप्ति हेतु जिला मुख्यालय के स्तर पर लघु समाचार पत्रों के संपादकों को सक्षम बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रत्यायन नियमों में संशोधन किया जाना चाहिए।	स्वीकार कर ली गई है। इस सिफारिश को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है।
11.	आकाशवाणी द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं में धीमी गति के बुलेटिन के संबंध में यथास्थिति बनाए रखी जानी चाहिए।	स्वीकार कर ली गई है। इस संबंध मे यथास्थिति बनाई रखी जा रही है।
12.	एक सारांश का प्रकाशनः समिति ने इस तथ्य को नोट किया कि लघु और मझौले समाचार पत्रों के लिए विभिन्न सरकारी एजेंसियां कई सुविधाएं/रियायतें प्रदान कर रही है। इस श्रेणी के बहुत से समाचार पत्र, इन सुविधाओं से अनभिज्ञ हैं। समिति ने सुझाव दिया है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा उन रियायतों/सुविधाओं के बारे में एक आवधिक सारांश प्रकाशित किया जाना चाहिए जो लघु एवं मझौले समाचारपत्रों को प्रदान की जाती है ताकि देश के दूरदराज के क्षेत्रों से प्रकाशित होने वाले समाचारपत्रों को भी उसके लिए उपलब्ध रियायतों/सुविधाओं की जानकारी मिल सके।	स्वीकार कर ली गई है। राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों का 16.9.92, 31.12.92, 11.3.93, 31.1.94 तथा 21.11.94 को अपेक्षित सूचना उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। अब तक केवल चार राज्यों/संघ शासित क्षेत्रो से उत्तर प्राप्त हुए हैं।

विवरण-II

छोटे समाचार पत्रों को दी गई सुविधाएं

1. जिन समाचार पत्रों की मानक अखबारी कागज की वार्षिक हकदारी 200 मी. टन से कम हो वे अपनी अखबारी कागज की समग्र मांग का आयात कर सकते हैं। आयातित अखबारी कागज स्वदेशी अखबारी कागज की तुलना में सस्ते हैं।

2. 200 सशुल्क प्रतियों के न्यूनतम परिचालन सहित एक अखबारी कागज सरकारी विज्ञापनों के लिए विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय की सूची में नाम शामिल करने का पात्र है।

3. पिछडे, दूरवर्ती, जनजातीय क्षेत्रों अथवा जाजातीय भाषाओं और मुख्य रुप से जनजातीय पाठकों के लिए प्रकाशित समाचार पत्र/पत्रिकाएं यदि उनकी न्यूनतम सशुल्क 500 प्रतियां है तो उन्हें सरकारी विज्ञापन प्राप्त करने का पात्र बनाया जाता है।

4. पहले उपबन्धित छः माह की तुलना में अब चार माह से अबाधित प्रकाशन वाले लघु समाचार पत्र/पत्रिकाएं सरकारी विज्ञापन प्राप्त करने के पात्र बन जाते हैं।

5. लघु एवं मझौले समाचार पत्र के मामले में पात्रता के लिए अपेक्षित मानक मुद्रण स्थान (से.मी.) को भी अब साप्ताहिक और प्राक्षिओं के लिए 760 स्पेश कालम से.मी. 480 स्पेश कालम से.मी. तक और मासिक और अन्य प्रकाशनों के लिए 1200 स्पेश कालम से. मी. 960 स्पेश कालम से.मी. तक कम कर दिया गया है।

6. 2000 प्रतियों तक के प्रसार वाले समाचारपत्रों/पत्रिकाओं को चार्टड लेखाकार प्रमाण–पत्र के प्रस्तुत करने से छूट दे दी गई है।

7. विज्ञापन सवं दृश्य प्रसार निदेशालय की विज्ञापन दरों के मामले में दर ढांचे में लघु और मझौले समाचार पत्रों के लिए अन्तर्निहित लाभ की व्यवस्था है।

8. पत्र सूचना कार्यालय, समाचार विज्ञप्तियों और फीचरों जैसी इसकी सामान्य सेवा को उपलब्ध कराने के अतिरिक्त एम्नाइड ब्लाक, चरबाज (केवल ऊर्दू समाचार पत्रों के लिए) तथा लघु समाचार पत्रों के लिए दृष्टांत फोटो फीचरों जैसी अन्य प्रकार की समाचार सेवा की पूर्ति करता है।

बंगला देश से गैस

*36. **श्री बसुदेव आचार्य :**
प्रो. जितेन्द्र नाथ दास :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगला देश सरकार ने पश्चिम बंगाल को गैस की सप्लाई के बदले में वहां से बिजली खरीदने में रुचि दिखाई है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने बंगलादेश से वाणिज्यिक शर्तों पर गैस प्राप्त करने के लिए तथा प्रयास किये हैं;

(ग) क्या सरकार ने ओमान की तुलना में बंगला देश से गैस की सप्लाई के संबंध में कोई लागत विश्लेषण किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) बंगला देश से गैस के आयात के प्रश्न को बंगला देश सरकार के साथ विभिन्न स्तरों पर उठाया गया है। बंगला देश सरकार से कोई सकारात्मक प्रत्युत्तर नहीं मिला है।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/ अन्य पिछड़े वर्गों की सूचियां

*37. **श्री राम कापसे:**
डा. परशुराम गंगवार :

क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हाल ही में कतिपय जातियों/समुदायों को अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों की सूचियों में शामिल करने/सूचियों से निकालने के संबंध में कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) इन जातियों/समुदायों को अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों की सूचियों में शामिल करने/सूचियों से निकालने के संबंध में निर्णय कब तक ले लिया जाएगा?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख). जी, हां। ब्यौरे निम्नलिखित हैं:

श्रेणी	शामिल करने के लिए	निकालने के लिए
अनुसूचित जातियां	530	37
अनुसूचित जातियां	724	19
अन्य पिछडे वर्ग	379	8

(ग) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित प्रस्ताव दिनांक 13.10.93 को गठित की गई एक सलाहकार समिति को विस्तृत जांच के लिए भेजे गए हैं। अन्य पिछडे वर्गों से संबंधित प्रस्ताव राष्ट्रीय पिछडा वर्ग आयोग को भेजे गए हैं।

(घ) रिपोर्ट प्राप्त होने पर सरकार द्वारा निर्णय लिया जाएगा।

भारत-कनाडा के बीच संधि

* 38. **श्री रतिलाल वर्मा** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में उनकी कनाडा यात्रा के दौरान भारत–कनाडा के बीच एक संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन अन्य क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जिनमें दोनों देश परस्पर सहयोग करने के लिये आगे और सहमत हुए हैं?

गृह मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) से (ग). दोनों देशों ने आपसी कानूनी सहायता संधि (एम. एल. ए. टी.) पर हस्ताक्षर किए हैं जिसमें जांच'–पड़ताल, अभियोजन और आतंकवादियों, नशीली दवाओं का अवैध व्यापार करने वालों, काले धन को सफेद धन में बदलने वालों और अपराधियों द्वारा अपराधों से प्राप्त धन को जब्त करने के मामलों में भारत और कनाड़ा के बीच कारगर सहयोग की व्यवस्था है। आपसी सहयोग सभी स्तरों पर होगा, अर्थात् जांच–पड़ताल, पूछताछ, विचारण इत्यादि के संबंध में। इस प्रकार की सहायता किसी भी अपराध के मामले में संसद/विधान मंडल के कानून द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी। उन्होंने, अपराध विज्ञान और विधि–विज्ञान मे पुलिस के क्षेत्र में सम्भावित सहयोग पर भी आगे विचार–विमर्श किया है।

अरब सागर में तेल की खोज

*39. **प्रो. सावित्री लक्ष्मणन** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अरब सागर में 15 स्थानों पर तेल की खोज के लिए की गई ड्रिलिंग से अब तक कितने स्थानों पर तेल पाया गया है;

(ख) प्रति एकक प्रति दिन तेल उत्पादन संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ड्रिलिंग कार्य में किसी अन्य देश को सम्बद्ध किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख). पश्चिमी तटवर्ती बेसिनों में अप्रैल–सितम्बर, 1994 की अवधि में पूरे किये गये 15 अन्वेषण कूपों के अनुकूल परिणाम मिले हैं। इन कूपों से अभी तक उत्पादन शुरु नहीं किया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी नौकरियों में आरक्षण

40. **श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या** : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई राज्यों ने केन्द्र सरकार से सरकारी नौकरियों में आरक्षण के प्रतिशत में वृद्धि करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हा, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है.

(घ) क्या इस संबंध में कोई सर्वव्यापी नीति तैयार की गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में कर्नाटक में कोटे में की गई वृद्धि को निरस्त कर दिया है और तमिलनाडु सरकार को भी कोटे में वृद्धि के संबंध में निर्देश जारी किए है; और

(छ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) से (छ). तमिनाडु, कर्नाटक और बिहार राज्य की सरकारों ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण की मात्रा 50 प्रतिशत से अधिक बढाने के लिए केन्द्रीय सरकार से संपर्क किया है।

तमिलनाडु सरकार मंडल आयोग पर 16.11.92 को उच्चतम न्यायालय के निर्णय से पहले ही राज्य में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों को 69% आरक्षण प्रदान कर रही है। तमिलनाडु सरकार ने मौजूदा 69% आरक्षण के बचाव के लिए, तमिलनाडु पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां शिक्षण संस्थाओं तथा राज्याधीन सेवाओं में नियुक्तियों अथवा पदों में सीटों का आरक्षण विधेयक, 1993 अधिनियमित किया और इसे भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ भारत सरकार के पास भेज दिया । विधेयक को 19 जुलाई, 1994 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्रदान की। तदनुसार तमलिनाडु सरकार ने 19 जुलाई, 1994 को तमिलनाडु पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां (शिक्षण संस्थाओं तथा राज्याधीन सेवाओं में नियुक्तियों अथवा पदों में सीटों का आरक्षण) अधिनियम 1993 (1994 का 45) अधिसूचित किया। उपरोक्त अधिनियम को आगे भारत के संबिधान को नौवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए भारत सरकार के पास भेजा गया। 31 अगस्त, 1994 को इस राज्य अधिनियम को संविधान (76 वां संशोधन) अधिनियम, 1994 के द्वारा संविधान की नौंवीं अनुसूची में शमिल किया गया।

कर्नाटक सरकार ने 73 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने के लिए कर्नाटक अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां तथा अन्य पिछड़ा वर्ग शिक्षण संस्थाओं तथा राज्याधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों में सीटों का आरक्षण (विधेयक, 1994 अधिनियमित कर भारत सरकार के पास राष्ट्रपति के विचारार्थ भेज दिया। राष्ट्रपति ने 23 अक्तूबर, 1994) को विधेयक कर अपनी स्वीकृति प्रदान की। कर्नाटक सरकार ने अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो को 73% आरक्षण प्रदान करने के लिए कर्नाटक अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (शिक्षण संस्थाओं तथा राज्याधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों मे सोटों का आरक्षण) अधिनियम, 1994 अधिसूचित किया। अब कर्नाटक सरकार ने इस अधिनियम को संविधान को नौंवे अनुसूची में शामिल करने के लिए भारत सरकार संपर्क किया है।

बिहार सरकार ने बिहार में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए पदों और सेवाओं में रिक्तियों संबंधी आरक्षण (तीसरा संशोधन) अध्यादेश 1994 पर राष्ट्रपति के निर्देश/स्वीकृति लेने के लिए उसे भारत सरकार के पास भेजा है।

इस अध्यादेश का उद्देश्य उत्तर छोटा नागपुर, दक्षिण छोटा नागपुर पलामू तथा संथाल परगना के 18 जिलों में पिछड़े वर्गों के लिए कुल 50 से 70 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करना है। सरकार इस प्रस्ताव पर विचार कर रही है।

चूँकि इस देश में आरक्षण प्रदान करने का संवैधानिक दायित्व केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों, दोनों को है, इसलिए आरक्षण के संबंध में सार्वभौमिक नीति का होना संभव नहीं है।

उच्चतम न्यायालय ने पिछड़े वर्गों (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों) के लिए 73 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने वाले कर्नाटक अधिनियम 1994 के कार्यान्वयन पर स्थगन आदेश दे दिया है। इसीलिए कर्नाटक सरकार ने आरक्षण नीति को वहीं तक लागू करने का निर्णय किया है जहां यह आरक्षण कोटा 50 प्रतिशत तक सीमित है। अच्चतम न्यायालय ने पिछड़े वर्गों को 69 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने वाले तमिलनाडु अधिनियम की वैधता को चुनौती देने वाली एक रिट याचिका से संबंधित मामले को एक संविधान पीठ को भेज दिया है।

चूकि उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त आदेश राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए अधिनियमों से संबंधित है। अतः ऐसी स्थिति में केन्द्र सरकार को कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है।

आंध्र प्रदेश में स्वयंसेवी संगठन

180. श्री दत्तात्रेय बंडारू : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में कल्याणकारी कार्यकलापों हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों की ओर से गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान अब तक कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान कितने आवेदन पत्र स्वीकृत किये गये और कितनी धनराशि की वित्तीय सहायता प्रदान की गयी;

(ग) इस सहायता की मंजूरी देते समय किन मानदंडों/तथ्यों पर विचार किया गया;

(घ) स्वीकृति हेतु लंबित आवेदन पत्रों की संख्या कितनी है; और

(ङ) इन्हें कब तक स्वीकृति दी जायेगी?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क)

वर्ष	प्राप्त आवेदनों की संख्या
1991–92	41
1992–93	87
1993–94	256
1994–95	354
	738

(ख)

वर्ष	निपटाए आवेदनों की संख्या	स्वीकृत धनराशि (लाख रूपये में)
1991–92	41	133.19
1992–93	72	228.24
1993–94	105	339.29
1994–95	90	270.15
	308	970.87

(ग) वह मंत्रालय अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, विकलांग व्यक्तियों के सामाजिक–आर्थिक विकास और समाज रक्षा के क्षेत्र में कार्यरत स्वयंसेवी संगठनों को सहायतानुदान निर्मुक्त करता है। संगठन की कल्याण मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त सोसायटीज पंजीयन आधिनियम, कम्पनी अधिनियम, न्यास अथवा किसी अन्य संस्थान के तहत दर्ज होना चाहिए और संबंधित क्षेत्र में कम से कम 2 वर्षों से कार्यरत होना चाहिए। आवेदन पत्र संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा संस्तुत होना चाहिए।

(घ) 426 आवेदन पत्र लम्बित हैं और 4 अस्वीकृत कर दिए गए हैं।

(ङ) विचाराधीन पात्र आवेदन पत्रों पर वित्तीय सहायता के लिए चालू अथवा परवर्ती वित्त वर्ष के दौरान विचार किया जाएगा, जो धनराशि के उपलब्ध होने तथा जहां कहीं आवश्यक हो, संगठनों एवं राज्य सरकारों से आवश्यक सूचना/स्पष्टीकरण की प्राप्ति पर निर्भर है।

[हिन्दी]

भूजल संस्थान

181. श्री एन. जे राठवा : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार के पास गुजरात में भूजल संस्थान को स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यह संस्थान कब तक स्थापित हो जाएगा?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

सीमा पर बाड़ लगाया जाना

182. श्री गिरिधारी लाल भार्गव: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) घुसपैठ पर रोक लगाने के लिए पाकिस्तान से लगने वाली राजस्थान की सीमा पर कांटेदार बाड़ लगाने में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) इस पर कुल कितनी धन राशि व्यय हुई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) राजस्थान के गंगानगर और बीकानेर सैक्टर में 333 कि. मी. बाड़ लगाने का कार्य पूरा किया जा चुका है । इसके अलावा, जैसलमेर और बाड़मेर सेक्टरों में 267 कि. मी. में बाड़ लगाने का कार्य चल रहा है।

(ख) 31.10.1994 तक 85.16 करोड रुपये व्यय किये गए हैं।

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों के लिये कल्याणकारी योजना

183. **श्री डी. वेंकटेश्वर राव** : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को आंध्र प्रदेश को ओर से राज्य में गैर-अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले अनुसूचित जातियों को, आदिवासी परिवार कल्याण सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत अतिरिक्त धन देने तथा उन्हें संशोधित क्षेत्र विकास एजेंसियों संबंधी योजना के अंतर्गत लाने के लिये कोई अनुरोध प्राप्त हुए है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, हां।

(ख) अनुसूचित जनजाति कल्याण संबंधी आन्ध्र प्रदेश विधायी समिति के अध्यक्ष श्री डी. एस. रेड्या नामक और सदस्यों ने आन्ध्र प्रदेश के आदिवासियों की विशेष समस्याओं के बारे में दिनांक 28. 8.94 को कल्याण मंत्री को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था जिसमें गपरिवार सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत आदिवासी परिवारों को राज सहायता प्रदान करने के लिए लगभग 40 करोड़ रूपए का अतिरिक्त धनराशि निर्मुक्त करने का अनुरोध किया गया था।

अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी आन्ध्र प्रदेश विधायी समिति के अध्यक्ष और सदस्यों ने कल्याण मंत्री को दिनांक 28.8. 94 को प्रस्तुत ज्ञापन में इस बात पर भी बल दिया है कि आन्ध्र प्रदेश के विशेषकर तेलंगाना क्षेत्र में छोटी बस्तियों तथा थंडों, गुडेम्स इत्यादि में रहने वाले आदिवासियों की बड़ी संख्या को माडा कार्यक्रम के अंतर्गत इस शर्त के कारण लाभान्वित नहीं किया जा रहा कि चुनिन्दा पाकेटों की 10,000 अथवा 5,000 जनसंख्या में से 50% भाग आवश्यक रूप से आदिवासियों का नहीं है। इस प्रकार समिति ने छोटी बस्तियों, थंडों, गुडेम्स इत्यादि में रहने वाले, सभी आदिवासियों को माडा कार्यक्रम के अतर्गत पात्र बनाने के लिए आवश्यक अनुदेश जारी करने का अनुरोध किया है।

(ग) भारत सरकार का आदिवासी परिवार कल्याण कार्यक्रम नामक कोई विशिष्ट कार्यक्रम नहीं है। यद्यपि, आदिवासी उप-योजना के लिए राज्य सरकारों को विशेष केन्द्रीय सहायता निर्धारित मानदंडों के अनुसार मुख्यतः अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिए आय सृजक परिवारोन्मुखी कार्यक्रमों के लिए निर्मुक्त की जाती है। धनराशि की कमी के कारण विशेष केन्द्रीय सहायता के तहत 40 करोड़ रूपए का अतिरिक्त आवंटन कर पाना सम्भव नहीं लगता।

जहां तक संशोधित क्षेत्र विकास दृष्टिकोण संबधी योजना का विस्तार राज्य स्थित गैर-अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले अनुसूचित जनजातियों तक करने का अनुरोध है, वह कहा जा सकता है कि आन्ध्र प्रदेश में विद्यमान सभी संशोधित क्षेत्र विकास दृष्टिकोण वाले पाकेट अनुसूचित क्षेत्र से बाहर हैं। फिर भी संशोधित क्षेत्र विकास दृष्टिकोण पाकेटों में शमिल नहीं होने वाली आदिवासी आबादी को बिखरे आदिवासी समूहों के रुप में सहायता दी जा रही है। भारत सरकार द्वारा इन आदिवासियों के लिए विशेष केनद्रीय सहायता में से धनराशि अलग से आवंटित की जा रही है।

[हिन्दी]

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति से संबंधित व्यक्तियों पर अत्याचार

184. **श्री मृत्युन्जय नायक:**

क्या **कल्याण मंत्री** अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित व्यक्तियों पर अत्याचार के बारे में 28 जुलाई 1994 के अतारांकित प्रश्न संख्या 616 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रश्न के खण्ड (ख), (ग), (घ) और (ड) के संबध में सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(घ) इस संबंध में सूचना कब तक एकत्र कर ली जाएगी?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी):

(क) से (घ). दिनांक 28 जुलाई, 1994 को उत्तर दिए गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 616 के संबंध में दिए गए आश्वासन को पूरा करने के लिए 10 राज्यों तथा 5 संघ राज्य क्षेत्रों यथा गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ, दादर व नगर हवेली, दमन-दीव और लक्षद्वीप से सूचना मिल गई है। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। अन्य राज्यों से सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राज्य कुछ और समय चाहते हैं कि वे जिला प्रशासनों से सामग्री एकत्र कर सकें। जिला-प्रशासन भी ताल्लुकों/ब्लाकों/पुलिस थानों पर निर्भर हैं। कल्याण मंत्रालय व्यक्तिक्रमी राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से अपेक्षित सूचना प्राथमिकता आधार पर प्राप्त करने के लिए सम्पर्क बनाए हुए हैं।

विवरण

दिनांक 8.12.94 के उत्तर के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 184 उत्तर में संदर्भित विवरण।

दिनांक 28.7.94 को उत्तर दिए गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 616 के भाग (ख), (ग), (घ) और (ङ) के संबंध में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त उत्तर।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार 1992,1993 तथा जनवरी से जून, 1994 के दौरान दायर मामलों की संबंधित संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	दायर मामलों की संख्या 1992	1993	1994 (जून तक)
1	2	3	4	5
1.	गोवा	4	4	शून्य
2.	हरियाणा	85	87	49
3.	हिमाचल प्रदेश	49	36	16
4.	महाराष्ट्र	937	1921	875
5.	मेघालय	शून्य	शून्य	शून्य
6.	मिजोरम	शून्य	शून्य	शून्य
7.	नागालैंड	शून्य	शून्य	शून्य
8.	पंजाब	शून्य	शून्य	शून्य
9.	त्रिपुरा	शून्य	शून्य	शून्य
10.	उत्तर प्रदेश	12052	11860	7704
11.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	शून्य	शून्य	शून्य
12.	चंडीगढ़	शून्य	शून्य	शून्य
13.	दादर और नगर हवेली	4	3	3
14.	दमन और दीव	शून्य	शून्य	शून्य
15.	लक्षद्वीप	शून्य	शून्य	शून्य

(ग) उक्त अवधि के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार इन अत्याचारों के संबंध में गिरफ्तार किए गए और सजा प्राप्त व्यक्तियों की संख्या

क्र.सं.	राज्य क्षेत्र/संघ राज्य	गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या			सजा प्राप्त व्यक्तियों की संख्या		
		1992	1993	1994	1992	1993	1994
1.	गोवा	9	7	3	9	5	शून्य
2.	हरियाणा	193	230	115	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
3.	हिमाचल प्रदेश	108	132	62	108	73	29
4.	महाराष्ट्र	2849	शून्य	1909	2365	3061	624
5.	मेघालय	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
6.	मिजोरम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
7.	नागालैंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
8.	पंजाब	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
9.	त्रिपुरा	23586	24993	16266	23586	24993	16266
10.	उत्तर प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
11.	अ.नि.द्वी.समूह	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
12.	चंडीगढ़	4	11	2	4	11	2
13.	दा. न. हवेली	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
14.	दमन और द्वीव	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
15.	लक्षद्वीप	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(घ) 30 जून, 1994 तक दोषी पाए गए व इन मामलों में दंड दिए गए व्यक्तियों की संख्या :

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	दोषी पाए गए व सजा दिए गए व्यक्तियों की संख्या		
		1992	1993	1994
1	2	3	4	5
1.	गोवा	शून्य	शून्य	शून्य
2.	हरियाणा	2	3	शून्य
3.	हिमाचल प्रदेश	2	2	शून्य
4.	महाराष्ट्र	20	आभियोगियों को 11 मामलो में दोषी ठहराया गया था	
5.	मेघालय	शून्य	शून्य	शून्य
6.	मिजोरम	शून्य	शून्य	शून्य
7.	नागालैंड	शून्य	शून्य	शून्य
8.	पंजाब	शून्य	शून्य	शून्य
9.	त्रिपुरा	शून्य	शून्य	शून्य
10.	उत्तर प्रदेश	327	460	124
11.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	शून्य	शून्य	शून्य
12.	चंडीगढ़	शून्य	शून्य	शून्य
13.	दादर और नगर हवेली	शून्य	शून्य	शून्य
14.	दमन और द्वीप	शून्य	शून्य	शून्य
15.	लक्षद्वीप	शून्य	शून्य	शून्य

(ङ) 30 जून, 1994 को राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार वर्ष वार दायर मामलों सहित अभियोजनाधीन व्यक्तियों की संख्या सहित कुल लम्बित मामलों की संख्या।

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	30 जून 1994 की स्थितिनुसार लंबित मामलों की संख्या			अभियोजनाधीन व्यक्तियों की संख्या		
		1992	1993	1994	1992	1993	1994
1.	गोवा	3	4	शून्य	4	5	शून्य
2.	हरियाणा	63	80	49	193	230	115
3.	हिमाचल प्रदेश	34*	35	15	34*	71**	26£
4.	महाराष्ट्र	894	1918	183	2849	उपलब्ध नहीं	1909@
5.	मेघालय	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
6.	मिजोरम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
7.	नागालैंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
8.	पंजाब	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
9.	त्रिपुरा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
10.	उत्तर प्रदेश	11903	11706	7674	30155	32001	23679
11.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
12.	चंडीगढ़	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
13.	दादर और नगर हवेली	शून्य	शून्य	शून्य	4	11	शून्य
14.	दमन और द्वीप	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
15.	लक्षद्वीप	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

नोट: क. उपलब्ध नहीं

* एक मामले मे जांच लम्बित है।

** 19 मामलों (59 व्यक्तियों) में जांच लम्बित है।

£ 28 मामलों (33 व्यक्तियों) में जाच लम्बित है।

@ 692 मामलों में जांच लम्बित है।

जून, 1994 तक, 6 मामले परीक्षण के लिए विशेष न्यायालय में तथा 4 मामले के लिए जांच अधिकारी के पास लम्बित थे।

[अनुवाद]

कश्मीर में मारे गए सीमा सुरक्षा बल के जवान

185. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान उग्रवादी हिंसा के क्रम में कश्मीर घाटी में सीमा सुरक्षा बल के कितने जवान मारे गए; और

(ख) पीड़ित व्यक्तियों के आश्रितों को क्या सहायता दी गई है।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) कश्मीर घाटी में आतंकवादी--हिंसा में, कार्रवाई के दौरान मारे गए सीमा सुरक्षा बल कर्मिकों की संख्या इस प्रकार है:

वर्ष	मारे गए कार्मिक
1993	91
1994 (30 नवम्बर तक)	66

(ख) हिंसा के शिकार कार्मिकों के आश्रितों को प्रदान की जाने वाली सहायता का ब्यौरा इस प्रकार है :

(एक) केन्द्र सरकार द्वारा अनुग्रह राशि के रूप में 1 लाख रूपए की राशि प्रदान की जाती है।

(दो) जम्मू और कश्मीर की सरकार द्वारा 1.25 लाख रूपए की राशि, जिसे 26 जनवरी, 1994 से बढ़ाकर 2.00 लाख रूपए कर दिया गया है, अनुग्रह राशि के रूप में प्रदान की जाती है।

(तीन) सीमा प्रहरी बीमा योजना द्वारा 1.00 लाख रूपए की राशि अदा की जा रही है।

(चार) 10 साल तक के लिए 200/- रू. प्रतिमाह की आर्थिक सहायता के अलावा 20,000/- रू. की राशि (61 महीनों के लिए सावधि जमा रसीदों के रूप में 15,000/- रू. और 5,000/- रू.) नकद भी अदा की जाती है।

(पांच) सी. सु.ब. विशेष राहत निधि से प्रत्येक विधवा को एक सिलाई मशीन भी दी जाती है।

(छः) मारे गए सी. सु. ब. कार्मिक की विधवा को एक पुत्री की शादी के लिए वित्तीय सहायता के रूप में 15,000/- रू. की राशि भी सीमा सुरक्षा बल विशेष राहत निधि से प्रदान की जा रही है।

(सात) कुछ मामलों में, मारे गए सीमा सुरक्षा बल कार्मिक के बच्चों की शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान की जा रही है।

गंगा के पानी का बंटवारा

186. **श्री सैयद शहाबुद्दीन** :
श्री सनत कुमार मंडल :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फरक्का बराज से बंगलादेश में जल के प्रवाह के संबंध में बंगलादेश के साथ बातचीत में कोई प्रगति हुई है;

(ख) अप्रैल से सितम्बर, 1994 की अवधि में बंगलादेश को वास्तव में कितने जल की आपूर्ति की गई;

(ग) क्या जल की आपूर्ति समाप्त हुए समझौते अथवा बाद मे हुए समझौता ज्ञापन के अंतर्गत निर्धारित मात्रा से अधिक हुई है;

(घ) क्या इस मुद्दे पर शुरू की जाने वाली तकनीकी जांच पूरी कर ली गई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसे कब तक पूरा कर लिया जाएगा?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). फरक्का से बंगलादेश को अप्रैल से सितम्बर, 1994 के दौरान वास्तव में निर्मुक्त जल लगभग 235 मिलियन एकड़ फुट है तथा यह करार और समझौता ज्ञापन जो कि समाप्त हो गया है, के अंतर्गत सहमत मात्रा से अधिक नहीं है।

(घ) करार के अभाव में तकनीकी जांच नहीं की गई है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

तेल शोधन शालाओं का विस्तार

187. **डा. सुधीर राय** :
श्री जितेन्द्र नाथ दास :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय तेल निगम की तेल शोधनशालाओं की वर्तमान उत्पादन क्षमता कितनी है और बाजार में इसका कितना हिस्सा है;

(ख) भारतीय तेल निगम के शोधित उत्पादों की आगामी पांच वर्षों के पश्चात कितनी मांग का अनुमान लगाया है;

(ग) मांग को पूरा करने के लिए क्या विस्तार योजनाएं हैं और कितने नये संयंत्र लगाए जायेंगे;

(घ) पानीपत तेल शोधन परियोजना कब तक चालू हो जायेगी इसकी क्षमता और वर्तमान परियोजना लागत कितनी है तथा इसमें निर्धारित से कितना अधिक समय और लागत आएगी;

(ङ) विस्तार परियोजना की लागत/एम. एम. टी. पी. ए की तुलना में नयी आधारभूत तेल शोधनशाला परियोजना की अनुमानित परियोजना लागत/एम. एम. टी. पी. ए. कितनी होगी और

(च) गुजरात मथुरा, और हल्दिया तेल शोधनशालाओं का विस्तार कार्यक्रम क्या है।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ग). इंडियन आयल कारपोरेशन रिफाइनरियों की वर्तमान क्षमता 24.55 एम. एम. टी. पी. ए. है जो लगभग 46 प्रतिशत अंश का प्रतिनिधित्व करती है। सरकार ने पानीपत तथा पूर्वीतट पर प्रत्येक 6 एम. एम. टी. पी. ए. क्षमता की नई रिफाइनरियां स्थापित करने तथा डिगबोई के 0.15 एम. एम. टी. पी. ए. क्षमता के लिए विस्तार करने के संबंध में भी अनुमोदन कर दिया है। कोयला रिफाइनरी विस्तार के संबंध में निवेश अनुमोदन इत्यादि संबंधी कार्रवाई चल रही है।

(घ) सरकार ने 3868 करोड रूपए की अनुमानित लागत पर पानीपत में 6 एम. एम. टी. पी. ए. क्षमता की रिफाइनरी स्थापित करने के संबंध में अनुमोदन कर दिया है। परियोजना के अप्रैल, 1997 तक पूरे हो जाने का कार्यक्रम है।

(ङ) ग्रासरूट रिफाइनरी की लागत के साथ विस्तार की लागत की परस्पर तुलना करना कठिन है।

(च) कोयला रिफाइनरी के विस्तार निवेश संबंधी अनुमोदन इत्यादि के लिए कार्रवाई चल रही है। हल्दिया रिफाइनरी की क्षमता को विद्यमान सुविधाओं को अवरोध मुक्त करके 2.5 एम. एम. टी. पी. ए. से 2.75 एम. एम. टी. पी. ए. के लिए पहले ही बढ़ा दिया गया है। रिफाइनरी के ल्यूब आयल ब्लाक को भी विस्तार किया गया है। प्रिफेक्सनेटर लगाकर हल्दिया रिफाइनरी की क्रूड आसवन इकाई संबंधी अवरोध को दूर करने के द्वितीय चरण का फिलहाल इंडियन आयल कारपोरेशन द्वारा 4.7 करोड़ रूपए की अनुमानित लागत पर क्रियान्वयन किया जा रहा है जिससे रिफाइनरी क्षमता आगे 0.2 एम. एम. टी. पी. ए. अर्थात 2.95 एम. एम. टी. पी. ए. स्तर तक बढ़ जाएगी। वर्तमान में मथुरा रिफाइनरी के विस्तार के संबंध में कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

घटिया कोयला

188. **श्री सुरेन्द्र पाल पाठक** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि भारत कोकिंग कोल लि. कोल इंडिया लि. द्वारा कोटा ताप विद्युत केन्द्र को "जेड" श्रेणी के कोयले के घटिया किस्म की सप्लाई की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी.ए. संगमा) : (क) से (ग). कोल इंडिया लि. को.इं. लि. ने यह सूचित किया है कि भारत कोकिंग कोल लि. ने कोटा तापीय विद्युत गृह को निम्न गुणवत्ता वाले कोयले की आपूर्ति नहीं की है। किन्तु, भारत कोकिंग कोल लि. द्वारा उन्हें आपूर्ति किए गए कोयले की गुणवत्ता के संबंध में कोटा तापीय विद्युत गृह से कुछ शिकायतें मिली हैं। ऐसी शिकायतों पर प्रत्येक मामले में गुणावगुण आधार पर सुधारात्मक कार्रवाई किए जाने हेतु जांच की जाती है। कोयला कंपनियों द्वारा उपभोक्ताओं को की गई कोयले आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार किए जाने के लिए, जिसमें कोटा तापीय विद्युत गृह भी शामिल हैं, निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:

(1) कोयले की गुणवत्ता को आश्वस्त करने के लिए फीडर ब्रेकर्स एवं कोयला रख-रखाव संयंत्रों को स्थापित किए जाने के लिए कार्रवाई योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

(2) कोयले का लदान करते समय पर पत्थरों को अलग किया जा रहा है।

(3) शेल (कंकड़) और पत्थरों के टुकड़ों को श्रमिकों के चयन किए जाने के लिए कोयला रख-रखाव संयंत्र में स्लो-मूविंग पिकिंग बेल्ट मुहैया करायी जा रही है।

(4) रेलवे साइडिंग पर नियुक्त कामगारों, पर्यवेक्षकों एवं अधिकारियों के बीच कोयले की गुणवत्ता को बनाए रखने तथा गुणवत्ता संबंधी जागरूकता बनाए रखने के लिए लदान के समय बेहतर पर्यवेक्षण आश्वस्त किया जा रहा है।

(5) पिट-हैड अथवा रेलवे/सड़क साइडिंग पर (लदान स्थल पर) किसी प्रकार की होने वाली शिकायत को दूर करने के लिए, जिसके परिणामस्वरूप ख़रीददारों एवं विक्रेताओं में विवाद हो जाता है, को दूर करने के लिए तथा गुणवत्ता एवं मात्रा को आश्वस्त करने के लिए उचित कदम उठाए गए हैं तथा उठाए जा रहे हैं।

(6) उपभोक्ताओं से, जिसमें कोटा टी.पी.एस. शामिल है, अनुरोध किया गया है कि वे अपने प्रतिनिधियों को लदान स्थल पर प्रेषित किए गए कोयले की गुणवत्ता का सत्यापन किए जाने के लिए अपने प्रतिनिधि तैनात करें।

स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन

189. **श्री चन्द्रेश पटेल** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994 के दौरान दिल्ली, गुजरात और जम्मू तथा कश्मीर के स्वतंत्रता सेनानियों के पेंशन की मंजूरी हेतु कितने आवेदन प्राप्त किए गए हैं;

(ख) इनमें से कितने आवेदनों को मंजूर किया गया है कितने विचाराधीन है और कितने आवेदनों को रद्द कर दिया गया है;

(ग) क्या सरकार पेंशन राशि और सुविधाओं में वृद्धि पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद): (क) और (ख). 1994 के दौरान दिल्ली, गुजरात तथा जम्मू और कश्मीर के व्यक्तियों से, स्वतंत्रता सैनानी पेंशन प्रदान करने के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या और उनकी वर्तमान स्थिति निम्न प्रकार से है;

राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	प्राप्त आवेदनों की कुल संख्या	उन मामलों की संख्या जिनमें पेंशन स्वीकृत की गयी है।	अस्वीकृत मामले	राज्य सरकारों के साथ विचाराधीन मामले
दिल्ली	20	1	5	14
गुजरात	5	2	–	3
जम्मू और कश्मीर	29	–	29	–

(ग) से (ङ). सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों और उनकी पत्नियों/पतियों की मासिक पेंशन में 2.10.1994 से 500 रू. की बढ़ोत्तरी की है। स्वतंत्रता सेनानी और उनकी विधवाएं मुफ्त रेल यात्रा की सुविधाऐं और सरकारी अस्पतालों (सी. जी. एच. एस. डिस्पेन्सरियों सहित) और ब्यूरो आफ पब्लिक इन्टरप्राईसस के नियंत्रण के अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा संचालित अस्पतालों में मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त करते रहेंगें। वे अपने निवास पर टेलीफोन कनेक्सन के पात्र भी हैं, जिनके लिए उनसे इन्सटालेशन प्रभार नहीं लिया जाएगा और उन्हें केवल आधा किराया देना होगा। उन्हें इस समय कोई अन्य सुविधा प्रदान करने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

सिंचाई परियोजनाएं

190. **श्री हरि केवल प्रसाद :**
श्री अर्जुन सिंह यादव :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश की कौन–कौन सी प्रमुख और मझोली सिंचाई परियोजनाओं का कार्य निर्धारित समय सीमा से पीछे चल रहा है;

(ख) इसके परिणामस्वरूप लागत में कितनी वृद्धि हुई है;

(ग) इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इन सिंचाई परियोजनाओं के कार्य को पूरा करने के लिए केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता मांगी है; और

(ङ) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) और (ख). ब्यौरा विवरण में संलग्न है।

(ग) लागत में वृद्धि के कारण ये हैं: निधियों का अपर्याप्त प्रावधान, सामग्रियों और श्रम की लागत में बढ़ोत्तरी, भूमि अधिग्रहण मे विलम्ब, परियोजना के व्याप्ति क्षेत्र में परिवर्तन, मुख्य संरचनाओं के अभिकल्प में परिवर्तन आदि।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

उत्तर प्रदेश की उन सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा जो अपनी मूल समय अनुसूची से पीछे चल रही हैं

(करोड़ रूपये में राशि)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	योजना जिसमें शुरू की गई	योजना आयोग/ तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा अनुमोदित मूल लागत	वार्षिक योजना 94–95 के अनुसार नवीनतम अनुमानित लागत	पूरा होने की संभावित तारीख
1	2	3	4	5	6
क.	**वृहद परियोजनाएं**				
1.	पश्चिमी गंडक नहर	III	15.47 / 1961	158.77	आठवीं योजना
2.	सारदा सहायक	III	64.84 / 1968	1064.60	आठवीं योजना से आगे
3.	(क) लखवार व्यासी बांध	V	140.97 / 1975	369.00	वही
	(ख) लखवार व्यासी जल उपयोग	–	–	–	वही

1	2	3	4	5	6
4.	मध्य गंगा नहर चरण–I	V	66.01 1976	448.19	आठवीं योजना
5.	सरयू नहर	V	78.68 1978	1256.00	आठवीं योजना से आगे
6.	पूर्वी गंगा नहर	V	48.46 1980	276.69	आठवीं योजना
7.	(क) राजघाट बांध	V	123.22 1980	106.83	आठवीं योजना
	(ख) राजघाट नहर	V		126.44	आठवीं योजना से आगे
8.	जमरानी बांध	V	61.25 1975	194.00	वही
9.	उर्मिल बांध	V	8.56 1978	29.45	93–94 में पूर्ण
10.	सोन पम्प नहर	V	5.64 1974	72.55	ठवीं योजना
11.	कन्हर सिंचाई	V	–	150.27	आठवीं योजना से आगे
12.	बेवर पोषक	वार्षिक योजना 78–79–		33.27	आठवीं योजना
13.	मौदाहा बांध–बाणसागर	V		92.13	आठवीं योजना
	(क) बांध	V	91.31 1978	112.00	आठवीं योजना से आगे
	(ख) उ. प्र. में परिवहन प्रणाली			119.27	वही
	(ग) म. प्र. में परिवहन प्रणाली	–	–	27.12	वही
14.	चित्तौड़गढ जलाशय	V	–	30.94	आठवीं योजना
15.	ग्यानपुर पम्प नहर	V	110.51 1992	111.87	आठवीं योजना
16.	चम्बल लिफ्ट	वार्षिक योजना 78–79		47.00	आठवीं योजना से आगे
17.	हिंडन कृष्णी दोआब में पेड्डी चैनल	वार्षिक योजना 79–80	–	29.82	वही
18.	(क) टिहरी बांध	IV	–	311.88	वही
	(ख) टिहरी जल उपयोग	–	–	–	वही
ख.मध्यम परियोजनाएं					
1.	गुंटा नाला बांध	V	1.85 1976	19.44	आठवीं योजना से आगे
2.	पथरई बांध	VI	12.54 1992	13.53	वही
ग. विस्तार/ नवीकरण / आधुनिकीकरण परियोजनाएं					
1.	अपर गंगा आधुनिकीकरण	84–85	467.76 1992	517.79	आठवीं योजना
2.	केन नहर का पुनर्रूपेण	69–70	0.48 1973	4.91	वही

1	2	3	4	5	6
3.	आई/सी नारायणपुर पंप नहर	V	1.00 1969	61.91	वही
4.	मेजा बांध को ऊंचा करना	V	टी. ए. सी. 3/93	52.18	वही
5.	आई/सी जमानिया पंप नहर	V	3981 4/92 टी. ए. सी. अनुमोदित	41.92	पूर्ण हो गयी,93–94
	नया ताजावाल बराज	–	नहीं	25.00	–
6.	संशोधित क्वाना पम्प नहर	V	0.80 1967	20.95	आठवीं योजना
7.	संशोधित टोंस पम्प नहर	V	1.75 1989	31.38	1994–95
8.	चैनलों को पक्का करना	V	अनुमोदित नहीं	48.78	आठवीं योजना से आगे
9.	आगरा नहर का आधुनिकीकरण	V	वही	36.89	वही
10.	घग्गर नहर का आधुनिकरण	V	वही	26.56	आठवीं योजना

टी. ए. सी.—तकनीकी सलाहकार समिति

रसोई गैस कनेक्शन

191. श्री काशीराम राणा : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान स्थानान्तरण वाउचरों के आधार पर देश में मंजूर किए गए रसोई गैस कनेक्शनों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार को जाली स्थानान्तरण वाउचरों के आधार पर रसोई गैस कनेक्शन देने के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) एक विवरण पत्र संलग्न है।

(ख) से (घ). एल. पी. जी. (रसोई गैस) कनेक्सनों संबंधी जाली अंतरण वाउचरों के संबंध में कतिपय मामले सरकार की जानकारी में आए हैं। नकली अंतरण वाउचरों का पता लगाने के संबंध में वितरकों को समर्थ बनाने के उद्देश्य से उनको विस्तृत दिशानिर्देश दिए गए हैं। जहां कहीं नकली अंतरण वाउचरों के संबंध में पता चलता है, जमा धनराशि जब्त कर ली जाती है, तथा रिफिलों की आपूर्तियां बंद कर दी जाती हैं। कतिपय मामलों में उपस्करों को वापस कर लिया गया है तथा पुलिस में मामले (केस) दर्ज कराये गये हैं।

विवरण

क्र.सं.	राज्य	अंतरण वाउचरों के आधार पर दिए जाने वाले एल पी जी (रसोई गैस) कनेक्सनों की संख्या		
		1991–92	1992–93	1993–94
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	75652	87521	142255
2.	अरूणाचल प्रदेश	972	549	454
3.	असम	6555	11324	7436
4.	बिहार	45693	60006	57096
5.	गोआ	16968	2395	2643
6.	गुजरात	47252	49233	40798
7.	हरियाणा	28718	30814	32705
8.	हिमाचल प्रदेश	5376	6704	8190
9.	जम्मू और कश्मीर	5094	7527	8318
10.	कर्नाटक	66417	61125	97146
11.	केरल	32915	33200	43020
12.	मध्य प्रदेश	52028	53064	56226
13.	महाराष्ट्र	74576	76988	105084
14.	मणिपुर	145	176	301
15.	मेघालय	1281	416	658
16.	मिजोरम	67	107	120
17.	नागालैण्ड	808	311	284
18.	उड़ीसा	11709	14338	15808

1	2	3	4	5
19.	पंजाब	36623	37830	37629
20.	राजस्थान	29836	30796	34515
21.	सिक्किम	105	15118	276
22.	तमिलनाडु	110470	132266	125720
23.	उत्तर प्रदेश	92924	83710	104245
24.	त्रिपुरा	3815	449	467
25.	पश्चिम बंगाल	43687	52353	50491
संघ राज्य क्षेत्र				
1.	अंडमान और निकोबार	268	553	504
2.	चंडीगढ़	5283	5165	5427
3.	दिल्ली	39756	32430	42295
4.	लक्षयद्वीप	29	10	6
5.	पांडिचेरी	2672	1694	2201
6.	दादर और नागर हवेली	91	63	82
7.	दमन और दीव	37	177	81

रसोई गैस कनेक्शन

192. श्री शिवराज सिंह चौहान : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में रसोई गैस कनेक्शनों के लिए इस समय कितने व्यक्ति प्रतीक्षा सूची में हैं;

(ख) प्रतीक्षा सूची के व्यक्तियों को कनेक्शन देने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं;

(ग) गैस कनेक्शन कब तक दे दिये जायेंगे;

(घ) क्या सरकार का विचार विशेष रूप से राज्य के भोपाल डिवीजन के लिए और अधिक गैस कनेक्शन आबंटित करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (च). 1 अक्तूबर, 1994 की तिथि के अनुसार मध्य प्रदेश में प्रतीक्षा सूची में दर्ज आवेदकों की संख्या करीब 5.41 लाख थी। देश के स्तर पर कुल नये ग्राहकों को दर्ज करने, राज्य में डिस्ट्रीब्यूटरों के पास उपलब्ध स्लैक, प्रतीक्षा सूचियों तथा उत्पाद की उपलब्धता के आधार पर नये एल. पी. जी. कनेक्शन जारी किए जाते हैं। विद्यमान स्रोतों से अपेक्षाकृत अधिक उत्पादन, नये उत्पादन स्रोतों को शुरू करके तथा आयातों के माध्यम से उत्पाद की अपेक्षाकृत अधिक उपलब्धता को सुनिश्चित कर यथाशीघ्र अधिकतम आवेदकों को एल. पी. जी. कनेक्शन जारी करने के सतत प्रयास किए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

रक्षित कोयला खानें

193. श्री सुशील चन्द्र वर्मा : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैर सरकारी सरकारी उपक्रमों के लिए 1992–93, 1993–94 तथा 1994–95 के दौरान स्वीकृत की गई रक्षित कोयला खानों का स्थान–वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन खानों में कोयले का उत्पादन करने हेतु कितना वार्षिक लक्ष्य रखा गया है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी. ए. संगमा) : (क) दिनांक 9.6.1994 से कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 में संशोधन किए जाने के परिणामस्वरूप निजी क्षेत्र में ग्रहीत कोयला खनन करने, राज्य विद्युत बोर्डों आदि के लिए विद्युत का उत्पादन करने और लौह एवं इस्पात का निर्माण किए जाने के लिए ब्लाकों को विनिर्दिष्ट/सांकेतिक किया गया है। ऐसे कोयला क्षेत्रों के स्थलों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	नाम	अंतिम प्रयोग	कोयला क्षेत्र जिनमें ब्लाकों को विनिर्दिष्ट/सांकेतिक किया गया है।
1	2	3	4
1.	मेसर्स आर. पी. जी. इंडस्ट्रीज/कलकत्ता इलैक्ट्रिक सप्लाई कारपोरेशन	विद्युत उत्पादन	रानीगंज और नार्थ कर्णपुरा
2.	मेसर्स कलिंगा पावर कारपोरेशन	विद्युत उत्पादन	तालचर
3.	मेसर्स निपन्न डेन्रो इस्तान लि.	विद्युत उत्पादन	वर्धा/बन्देर
4.	मैसर्स तमिलनाडु इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड	विद्युत उत्पादन	तालचर
5.	मैसर्स गुजरात पावर कारपोरेशन	विद्युत उत्पादन	ईब घाटी (अस्थायी रूप में सांकेतिक)
6.	मेसर्स आंध्र प्रदेश स्टेट इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड	विद्युत उत्पादन	तालचर
7.	मैसर्स इंडियन अल्युमिनियम कं. लि.	विद्युत उत्पादन	ईब घाटी
8.	मैसर्स डेवलेपमेंट कन्सलटेंट लि.	विद्युत उत्पादन	राजमहल

1	2	3	4
9.	मैसर्स एसोसिएटिड सीमेंट कं. लि.	विद्युत उत्पादन	वर्धा
10.	मैसर्स एच. ओ. के. आई	विद्युत उत्पादन	तालचर
11.	मेसर्स समलई पावर प्राइवेट लि.	विद्युत उत्पादन	ईब घाटी
12.	मैसर्स जिन्दल स्ट्रीप लि.	स्पॉज आयरन	हसदेव–अरांड
13.	मैसर्स प्रकाश इंडस्ट्रीज लि.	स्पॉज आयरन	हसदेव–अरांड
14.	मैसर्स बिरला टेक्नीकल सर्विसेज लि.	पिय आयरन	नार्थ कर्णपुरा

(ख) इन यूनिटों द्वारा किए गए उत्पादन के वार्षिक लक्ष्य का उक्त यूनिटों की कोयला परियोजनाओं को निष्पादित किए जाने के बाद ही पता चल सकेगा।

[हिन्दी]

अवैध हथियार

194. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1991,1992,1993 और 1994 के दौरान अब तक राज्य–वार और संघ राज्य क्षेत्र–वार अवैध हथियारों के निर्माण में लगे कितने कारखानों का पता लगाया गया;

(ख) इन कारखानों में निर्मित हथियारों का ब्यौरा क्या है और जब्त किए गए हथियारों की मात्रा और उनकी किस्में क्या हैं;

(ग) इस संबंध में गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या और उनके विरूद्ध की गई कार्यवाही का राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्र–वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) ऐसे मामलों पर रोक लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। उठाए जाने का विचार है?

गृह मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) अवैध रूप से शस्त्र निर्माण करने वाली यूनिटों का पता लगाने तथा अपराधियों के खिलाफ मुकदमा शुरू करने की कार्रवाई राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनो द्वारा की जाती है, जिन्हें शस्त्र अधिनियम, 1959 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार की आवश्यक शक्तियां प्रदत्त की गई है। राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को समय–समय पर अनुदेश जारी किए गए हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ सुझाया गया है:

(एक) कि वे केन्द्र सरकार द्वारा, समय–समय पर, जारी किए गए अनुदेशों दिशा–निर्देशों तथा शस्त्र अधिनियम के उपबंधों/नियमों का कडाई और ईमानदारी से पालन करें;

(दो) कच्चे माल के इस्तेमाल, मशीनरी की स्थापित क्षमता, बिजली की खपत तथा लेखों के ब्यौरों की जांच करना, ताकि इस बात का मूल्यांकन किया जा सके कि क्या निर्माता लाईसेंस मे निर्धारित क्षमता का उल्लंघन तो नहीं करते अथवा क्या फर्म अनधिकृत निर्माण तो नहीं करती, का पता लगाने के लिए अचानक प्रभावकारी जांच करना;

(तीन) कानून प्रवर्तन एंजेसियों द्वारा लाईसेंस प्राप्त डीलरो की प्रायः अचानक जांच करने पर जोर देना;

(चार) जिन राज्यों में बेरोक–टोक रूप से अपराध होते रहते हैं। वहां विशेषज्ञ जांच यूनिटें स्थापित करना; तथा

(पांच) शस्त्रों और गोला–बारूद के अवैध निर्माण और व्यापार के संबंध में आसूचना एकत्र करने और मिलाने के लिए उचित तंत्र स्थापित करना।

कोयला निकालना

195. श्री नवल किशोर राय : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान खुले मुहाने वाली खानों तथा भूमिगत खानों से प्रति वर्ष कुल कितना कोयला निकाला गया;

(ख) क्या खुले मुहाने वाली खानों से प्राप्त कोयला भूमिगत खानों से प्राप्त कोयले से भिन्न किस्म का होता है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी. ए. संगमा) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कोल इंडिया लि. तथा सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि. की ओपेनकास्ट खानों एवं भूमिगत खानों से दोहन किए गए कोयले की मात्रा नीचे दर्शायी गई है:

(आंकडे मिलियन टन में)

वर्ष	भूमिगत	ओपेनकास्ट	कुल
कोल इंडिया लि.			
1993–94	56.56	159.54	216.10
1992–93	56.86	154.36	211.22
1991–92	56.63	147.51	204.14
सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि.			
1993–94	15.16	10.05	25.21
1992–93	13.31	9.00	22.51
1991–92	12.30	8.28	20.50

(ख) और (ग). आमतौर पर ओपेनकास्ट खानों अथवा भूमिगत खानों से निकासी किए गए कोयले की गुणवत्ता उसकी निकासी की पद्धति पर निर्भर करेगी। किन्तु ओपेनकास्ट खनन में कोयले मे ऊपरी मलबे की कुछ मात्रा के मिश्रण हो जाने की संभावना है।

[अनुवाद]

केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड

196. **श्री बलराज पासी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का पुनर्गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें कौन-कौन सदस्य हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार अश्लील फिल्मों और गानों पर रोक लगाने के लिए बोर्ड को अधिक शक्तियां प्रदान करने का हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ). सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार, बोर्ड द्वारा फिल्मों के प्रमाणन हेतु उन पर विचार करते समय अन्य बातों के साथ-साथ यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अशिष्टता, अश्लीलता और दुराचारिता द्वारा माननीय संवेदनाओं को चोट न पहुंचाई जाए। इसके अलावा, 18.8.92 को राज्य सभा में प्रस्तुत चलचित्र (संशोधन) विधेयक, 1992 जोकि संचार संबंधी स्थायी समिति के विचाराधीन है, में अन्य बातों के साथ-साथ प्रमाण संबंधी शर्तों के उल्लघंन को रोकने हेतु उपाय किए जाने की व्यवस्था है। इसमें निम्नलिखित की व्यवस्था किए जाने का प्रस्ताव है:

1. फिल्म संसाधन प्रयोगशालाओं पर कानूनी दायित्व डालना;
2. फिल्मों में अन्तर्वेशन के लिए न्यूनतम दण्ड सहित चलचित्र अधिनियम, 1952 में उल्लिखित दण्डों में वृद्धि करना,
3. अन्तर्वेशित फिल्मों के मामले में किसी प्रिन्ट को कब्जे में लेने के लिए बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारियों को पुलिस अधिकारियों के समकक्ष अधिकार प्रदान करना।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

पत्रकारों पर हमला

197. **श्री मोहन सिंह (फिरोजपुर) : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के एक होटल में 1 जुलाई, 1994 को "स्टेटसमैन" के दो रिपोर्टरों पर हुए हमले की घटना की जांच का कार्य पूरा हो गया है

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसमें दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) से (ग). सरकार को, पहले ही जाँच रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और उसकी जांच की जा रही है।

दूरदर्शन का तीसरा चैनल

198. **श्री सूर्य नारायण यादव**
डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :
श्री के. प्रधानी :
श्री लोकनाथ चौधरी :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन का विचार अपना तीसरा चैनल शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उसके प्रसारण कार्यक्रम पामैट की अवधि कितनी है और उसका प्रसारण कितने क्षेत्र में देखा जा सकेगा; और

(घ) इसे कब से शुरू किया जायेगा?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) से (घ). डी.डी. -3 चैनल जोकि इस समय चालू नहीं है, को इसके कार्यक्रम प्रारूप की पुनर्रचना संबंधी प्रकिया पूरा होने के बाद चालू किया जाएगा।

[अनुवाद]

रसोई गैस एजेंसियां

199. **श्री गाभाजी मंगाजी ठाकुर :**
श्री महेश कनोडिया :
श्री काशीराम राणा :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात मे रसोई गैस की कुल कितनी एजेंसियां हैं;

(ख) राज्य में रसोई गैस की मांग और पूर्ति की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार राज्य में रसोई गैस की और एजेंसियां खोलने का है;

(घ) यदि हां, तो ये एजेंसियां कहां-कहां खोली जायेगी, और

(ङ) एजेंसियां कब तक खोल दी जाएंगी?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्यमंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) 1.10.1994 की तिथि के अनुसार गुजरात में 307 एल. पी. जी. की डिस्ट्रीब्यूटरशिपें कार्यरत थीं।

(ख) गुजरात राज्य की एल. पी. जी. की औसत माहवार मांग 20,700 मि. ट. के स्तर तक है जिसे उद्योग द्वारा पूरी तरह से पूरा किया जा रहा है।

(ग) से (ङ). गुजरात के लिए 1992–94 की चालू एल पी जी विपणन योजना में एल पी जी की 65 डिस्ट्रीब्यूटरशिपे शामिल की गयी है। विज्ञापन जारी करने की तिथि से किसी डिस्ट्रीब्यूटरशिप को शुरू करने में 1 से 2 वर्षों का समय लगता है।

दूरदर्शन प्रसारण

200. **श्री आनन्द रत्न मौर्य :**
श्री चेतन पी.एस. चौहान :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरसंचार विभाग ने दूरदर्शन को प्रसारण के लिए अपनी आधारभूत सुविधाओं का प्रयोग करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव): (क) और (ख). सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा दूरसंचार विभाग (डी. ओ. टी.) सहमत हो गए हैं कि दूरसंचार विभाग और दूरदर्शन संसाधनों के इष्टतम उपयोग के परिप्रेक्ष्य में आधारभूत संरचना का जहां तक सम्भव हो, आपस में उपयोग करेंगे। दूरदर्शन दूरसंचार विभाग की आधारभूत संरचना का उपयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश में डलहौजी, थानेडार और पालमपुर में अत्यल्प शक्ति टी वी प्रेषित लगा रहा है।

[हिन्दी]

उत्तराखंड आंदोलनकारियों पर पुलिस द्वारा गोली बारी

201. **श्री जनार्दन मिश्र :**
श्री फूलचंद वर्मा :
श्री शिव शरण वर्मा :
श्रीमती गीता मुखर्जी :
श्रीमती भावना चिखलिया :
श्री बृजभूषण शरण सिंह :
श्री श्रवण कुमार पटेल :
श्री बी. एल. शर्मा "प्रेम" :
श्री रामपाल सिंह :
डा. परशुराम गंगवार :
श्री लोकनाथ चौधरी :
मेजर जनरल(रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खन्डूरी :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुलिस ने 2 अक्तूबर, 1994 को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फर नगर में उत्तराखण्ड आंदोलनकारियों पर गोलीबारी की थी;

(ख) यदि हां, तो इस घटना में कितने व्यक्ति मारे गये। घायल हुए;

(ग) क्या पुलिस ने महिला आंदोलनकारियों के साथ कथित रूप से छेडछाड की और बलात्कार किया;

(घ) क्या इस संबंध में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा कोई जांच की गई है;

(ङ) यदि हां, तो इसके जांच के क्या निष्कर्ष निकले हैं; और

(च) इस पर केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : (क) और (ख). जैसा कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने सूचित किया है, पुलिस ने 1/2 अक्तूबर, 1994 को मुज्जफ्फर नगर मे गोलिया चलायी थी। बताया गया है कि इस घटना में 5 व्यक्ति मारे गए थे।

(ग) से (च). इस घटना की जांच राष्ट्रीय महिला आयोग और सर्वदलीय संसदीय तथ्य–अन्वेषी दल ने की थी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने केन्द्र सरकार को प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में महिलाओं के साथ छेड़छाड। बलात्कार की घटनाओं की सत्यता की पुष्टि की है।

सांसदों के सर्वदलीय तथ्य–अन्वेषी दल ने सूचित किया है कि इस आश्य के पर्याप्त सबूतों का अभाव है कि पुलिस ने महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार किया है, लेकिन बलात्कार की इक्की दुक्की घटनाओं से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने इस घटना की जांच की है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने इस संबंध में 5.12.1994 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय को रिपोर्ट के निष्कर्षों पर अपना निर्णय देना है।

संविधान मे निर्धारित उपबन्धों के अनुसार 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय है। अतः दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करना राज्य सरकार का कार्य है।

[अनुवाद]

गैस क्षेत्र विकास योजना

202. **श्री अजय मुखोपाध्याय :**
डा. सुधीर राय :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को रिलायंस–एनरोन कन्सोरटियम को दी गई गैस क्षेत्र विकास योजनाओं मे कन्सोर्टियम से कौन–कौन सी कठिनाइयां हो रही हैं; और

(ख) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख). रिलायंस–एनरो कंसोर्टियम के साथ चल रही वार्ता प्रगति पर है।

दूरदर्शन की विज्ञापनों से अर्जित आय

203. **श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल :**
श्री राजवीर सिंह :
डा. लाल बहादुर रावल :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 17 सितम्बर 1994 को खेले गए चार राष्ट्रों के क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल मैच के दौरान दूरदर्शन को विज्ञापनों से कितनी आय हुई;

(ख) किन-किन फर्मों ने इस मैच को प्रयोजित करने की पेशकश की और किन-किन फर्मों को मैच को प्रायोजित करने की अनुमति दी गई;

(ग) प्रायोजकों के कितने स्लॉटों को दूरदर्शन पर दिखाने की अनुमति दी गई और कितने स्लॉट दिखाए गए;

(घ) प्रत्येक स्लॉट के लिए वसूल की गई धनराशि का अवधिवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस फाइनल मैच के दौरान दिखाए गए टाइटलों से कुल कितनी धनराशि अर्जित की गई?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) से (ङ). चार देशों के क्रिकेट टूर्नामेंट का विपणन कार्य, पंजीकृत विपणन एजेंसियों से बोलियां आमंत्रित करने के बाद निवल 3.42 करोड रू. के न्यूनतम गारंटी शुल्क पर मैसर्स निम्बस कम्युनिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड को सौंपा गया था। दूरदर्शन ने मैचो के लिए न तो विज्ञापन बुक किए थे और न ही प्रायोजकता आबंटित की थी। मैसर्स निम्बस कम्युनिकेशन्स द्वारा 3.42 करोड रू. की गारंटी राशि पहले ही दूरदर्शन के पास जमा करा दी गई है। टूर्नामेंट से अर्जित कुल राजस्व संबंधी सूचना संकलित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कोयला धोवनशालाएं

204. **श्री जगमीत सिंह बराड :**
श्री रामेश्वर पाटीदार :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 30 सितम्बर, 1994 के "द स्टेटसमैन" में "अनवाश्ड कोल नॉट टूबी सोल्ड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या राख मिश्रित कोयला पर्यावरण प्रदूषण का एक मुख्य घटक है;

(ग) क्या सरकार इस कोयले की बिक्री पर रोक लगाने का विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने देश मे उत्पादित कोयले की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से कोयला धोवनशालाओं की क्षमता और उनकी संख्या में वृद्धि करने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) 1991-92, 1992-93, और 1993-94 के दौरान इन कोयला धोवनशालाओं की क्षमता का कितने प्रतिशत उपयोग किया गया?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी. ए. संगमा) : (क) और (ख). सरकार को माननीय सदस्य द्वारा संदर्भगत की गई अखबार की खबर के संबंध में जानकारी है। यह कोयले में उच्च राख का तत्व होने के संबंध में चिन्ता व्यक्त किए जाने से है, जो कि भारतीय कोयले में संभाव स्वरूप निहित है और जिससे उपभोक्ता स्थल पर राख का निपटारा किए जाने की समस्या उत्पन्न होती है, विशेषकर विद्युत गृहों के स्थल पर, जिसके संबंध में ऐसे कोयले की धुलाई किए जाने के मामले में सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है, जो कि पर्यावरण परिप्रेक्ष्य में ऐसे कोयले के प्रयोग के लिए एक आर्थिक विकल्प के रूप में है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने एक तकनीकी समिति का गठन किया है, जिसमें कोयला उद्योग, विद्युत उद्योग और पर्यावरण विशेषज्ञों को प्रतिनिधित्व दिया गया है, जोकि दूरी के पहलु तथा कोयले में राख के तत्व का इस बात को लेकर निर्धारण करेगी कि इसका लम्बी दूरी के लिए परिवहन किए जाने के मामले में किस सीमा तक धुलाई की जाए।

(ग) धुलाई रहित कोयले की बिक्री किए जाने के मामले में रोक लगाए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) और (ङ). कुछ विद्यमान कोककर कोयला वाशरियों के धुले कोयले की गुणवत्ता तथा क्षमता उपयोगिता में सुधार लाए जाने के लिए आधुनिकीकरण योजनाएं निष्पादन अधीन हैं। वर्तमान में दो कोककर कोयला वाशरियां, एक भारत कोकिंग कोल लि. में मधुबंद के स्थान पर और दूसरी सेंट्रल कोलफील्ड्स में केडला के स्थान पर निर्माणाधीन है। इसके अतिरिक्त, अकोककर कोयले का परिष्करण किए जाने के लिए दो वाशरियां, एक नार्दर्न कोलफील्ड्स लि. में बीना के स्थान पर और दूसरी सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. में पिपरवार के स्थान पर भी निर्माणाधीन हैं। विभिन्न कोयला क्षेत्रों के स्थलों पर कोककर तथा अकोककर कोयला के लिए कई नई वाशरियों को स्थापित किए जाने का कार्यक्रम है।

(च) पिछले तीन वर्षों के दौरान कोल इंडिया लि0 की विद्यमान वाशरियों की उपयोगिता के आंकड़े नीचे दर्शाये गए है:

	1991-92	1992-93	1993-94
उपयोगिता (प्रतिशतता)	65.62	67.76	68.23

समूह 'क' और 'ख' सेवाओं में आरक्षण

205. **डा. रामचन्द्र डोम :**
प्रो. सुशान्त चक्रवर्ती :

क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार समूह 'क' और समूह 'ख' सरकारी सेवाओं में नौकरियों के लिए विकलांगों अर्थात शारीरिक रूप से विकलाग व्यक्तियों को आरक्षण देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उनके लिए कितने प्रतिशत रिक्त पद आरक्षित रखने का विचार है;

(घ) इसे कब से कार्यान्वित किया जायेगा; और

(ङ) क्या इस प्रावधान भारतीय प्रशासनिक सेवा में भी लागू होगा?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) से (ङ). शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा सहित समूह 'क' और 'ख' की सेवाओं/पदों में आरक्षण से संबंधित मामले की कार्मिक लोक शिकायत व पेंशन मंत्रालय कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग द्वारा संघ लोक सेवा आयोग और अन्य मंत्रालयों/विभागों के परामर्श से जांच की जा रही है।

[हिन्दी]

रसोई गैस एजेंसी तथा पेट्रोल/ डीजल खुदरा बिक्री केन्द्र

206. **श्री देवी बक्स सिंह :**
श्री संतोष कुमार गंगवार :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेगे कि :

(क) क्या सरकार उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से इसके पर्वतीय क्षेत्रों में रसोई गैस की एजेंसियों/पेट्रोल के खुदरा बिक्री केन्द्र की कमी को दूर करने हेतु इन क्षेत्रों में इनकी स्थापना करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन रसोई गैस एजेंसियों/ पेट्रोल खुदरा बिक्री केन्द्रों की स्थापना किन-किन स्थानों पर की जाएगी।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग). पेट्रोलियम उत्पादों की बढती हुई मांग को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश की चालू विपणन योजना मे 364 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपें तथा 72 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें शामिल की गई है। तेल चयन बोर्ड के माध्यम से डीलरों/डिस्ट्रीब्यूटरों के चयन का कार्य प्रगति पर है। अनुमोदित विपणन योजनाओं के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों में फिलहाल 21 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपें तथा 5 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें स्थापित करने की योजना है जिसका विवरण निम्नानुसार है:

जिले	खुदरा बिक्री केन्द्र	एल पी जी
अल्मोडा	3	–
चमोली	2	–
देहरादून	5	4
नैनीताल	3	–1
पौडी गढ़वाल	3	–
पिथौरागढ	1	–
टिहरी गढवाल	1	–
उत्तर काशी	3	–
	21	5

विज्ञापन उद्योग

207. **श्री अर्जुन सिंह यादव :**
श्री लाल बाबू राय :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी संचार माध्यमों पर आधारित विज्ञापन उद्योग ग्रामोन्मुखी और वृहत्त आधार वाला नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) इस संबंध मे प्रस्तावित उपचारात्मक कदमों का ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) से (ग). देश के विज्ञापन उद्योग के कार्यकरण में सरकार की कोई भूमिका नहीं है।

[अनुवाद]

विदेशी राष्ट्रिक

208. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी :**
मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन :
चन्द्र खण्डूरी :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 14 अगस्त, 1994 के "इंडियन एक्सप्रैस" में "क्विट अरूणाचल" नोटिस टू चकमा, अदर्स शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या आल अरूणाचल प्रदेश स्टूडेंट युनियन और राज्य सराकर ने इस संबध में केन्द्रीय सरकार को कोई ज्ञापन दिया है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) अरूणाचल प्रदेश में इस समय रह रहे विदेशी राष्ट्रिको की समस्या को हल करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. एम. सईद): (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) से (ङ). वर्ष 1964-66 के दौरान अरूणाचल प्रदेश में कुछेक चकमा/हजोंग शरणार्थी बस गए हैं। उसके बाद से, उन्हें नागरिकता प्रदान किए जाने का मामला भारत सरकार के विचाराधीन है। राज्य सरकार ने इस संबंध में कुछेक कठिनाईयां व्यक्त की है। तथापि, अन्तिम निर्णय लिए जाने तक, उन चकमा तथा अन्य शरणार्थियो की, जान-माल की सुरक्षा के लिए आवश्यकउपाय करना राज्य सरकार का काम है जोकि राज्य में बस गए है।

पारादीप में तेल गैस टर्मिनल

209. **श्री गोपीनाथ गजपति :**

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार अनिवासी भारतीयों के सहयोग से

पारादीप, उडीसा में एक तेल टर्मिनल और एक गैस टर्मिनल स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) उक्त प्रस्ताव को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा): (क) से (ग). प्रवासी भारतीयों के साथ सहयोग से उडीसा में पारादीप में कोई तेल टर्मिनल खोलने का सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है। तो भी 8 वीं योजना अतिरिक्त उत्पाद भण्डारण कार्यक्रम के अंतर्गत आई ओ सी और एच पी सी पारादीप में क्रमशः 1.20 लाख कि. लिटर और 0.48 कि. लिटर भण्डारण (लगभग) की क्षमता के पी ओ एल लिटरेज टर्मिनलों और संबंध सुविधाओं का विकास कर रही है। बी पी सी 50,000 कि. लि. के भण्डारण के एक तटीय टर्मिनल को विकास कर रही है।

[हिन्दी]

महिलाओं पर अत्याचार

210. **श्रीमती शीला गौतम :**
श्री रामेश्वर पाटीदार :
मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खन्डूरी :
श्रीराजेश कुमार :
श्री राम बदन :
श्री शिव शरण वर्मा :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 2 अक्तूबर, 1994 को मुजफ्फर नगर में महिलाओं पर किए गए अत्याचारों के बारे में राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा जांच पडताल की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आयोग ने किन-किन स्थानों पर दौरा किया है;

(ग) क्या आयोग ने अपनी रिपोर्ट दे दी है,

(घ) यदि हां, तो आयोग के प्रमुख निष्कर्ष क्या हैं और क्या सिफारिशें की गई है; और

(ङ) इस पर सरकार द्वारा क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री(श्री पी.एम. सईद) : (क) से (ङ) राष्ट्रीय महिला आयोग ने 13 अक्तूबर से 16 अक्तूबर, 1994 तक उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में मुजफ्फरनगर गोपेश्वर, श्रीनगर, टिहरी और देहरादून का व्यापक दौरा करने के बाद 16 नवम्बर, 1994 को एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। आयोग ने अपनी रिपोर्ट मे छेड़छाड और बलात्कार के आरोपों को सच पाया है। आयोग ने इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए कुछ एक नीतिगत और प्रशासनिक उपायों की सिफारिश की है। संविधान में निर्धारित उपबंधों के अनुसार "पुलिस" और "लोक व्यवस्था" और राज्य के विषय हैं। इसलिए आयोग की सिफारिशों पर आवश्यक कार्रवाई आरम्भ करने की जिम्मेदारी मुख्यतः उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की है। आयोग की रिपोर्ट की एक प्रति, उत्तर प्रदेश सरकार को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी गयी है।

[अनुवाद]

हिन्दी भाषा की प्रस्तुति

211. **श्री अमरपाल सिंह** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन द्वारा हिन्दी भाषा के प्रस्तुतीकरण के बारे में हाल ही में कोई अध्ययन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का कार्यक्रमों में शुद्ध हिन्दी का प्रयोग सुनिश्चित करने हेतु कोई कदम उठाने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) दूरदर्शन द्वारा हिन्दी तथा अन्य भाषाओं में सम्प्रेषण संबंधी प्रभावकारिता में सुधार करने के लिए सतत आधार पर प्रयास किए जा रहे हैं।

(घ) और (ङ). प्रश्न नहीं उठते।

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

213. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को अपनी सेवाएं गैर सरकारी क्षेत्रों को प्रदान करने की अनुमति देने का है;

(ख) क्या सरकार का विचार इस संबंध में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम में संशोधन करने का है;

(ग) यदि हां, तो इसकी प्रमुख बातें क्या है;

(घ) इसे कब से लागू किया जाएगा; और

(ङ) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल द्वारा इस समय सरकारी क्षेत्र के कुल कितने उपक्रमों को सेवा प्रदान की जा रही है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट): (क) से (घ). मामला विचाराधीन है।

(ङ) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल 222 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की सेवा कर रहा है।

[हिन्दी]

विज्ञापन की दरें

214. **श्री रामसिंह कस्वां :**
श्री सत्यदेव सिंह :
श्री रामपाल सिंह :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न समाचार पत्रों को जारी किए जाने वाले सरकारी विज्ञापनों की दरें संबधित समाचार पत्रों द्वारा वसूल किए जाने वाली वाणिज्यक दरों से काफी कम हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या विभिन्न समाचार पत्रों को जारी किए जाने वाले सरकारी विज्ञापनों की दरों में वृद्धि करने के लिए सरकार से कोई अनुरोध किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या निर्णय लिया है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव): (क) और (ख). जी, हां, दर निर्धारण समिति द्वारा तैयार की गई विधि के अनुसार सरकारी दरें बनायी गई हैं। समाचार पत्रो के प्रसार के सम्बन्ध में इस विधि के अन्तर्गत बनायी गयी दरों को एक समान रूप से लागू किया जाता है।

(ग) और (घ). जी हां, सन् 1991 में सरकार द्वारा गठित दर निर्धारण समिति ने अपनी रिपोर्ट 30.9.93 को प्रस्तुत कर दी है और यह सक्रिय रूप से विचाराधीन है।

मध्य प्रदेश में दूरदर्शन ट्रांसमीटर और ट्रांसपोजर

215. **श्री आनन्द अहिरवार** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 अक्टूबर, 1994 तक मध्य प्रदेश में कुल कितने दूरदर्शन ट्रांसमीटर और ट्रांसपोजर कार्य कर रहे है;

(ख) क्या पूरे राज्य में दूरदर्शन नेटवर्क के कार्यक्रमों का प्रसारण उपलब्ध होता है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(घ) पूरे राज्य में नेटवर्क कार्यक्रमों का प्रसारण उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) 30.10.1994 की स्थिति के अनुसार, मध्य प्रदेश राज्य में विभिन्न शक्ति क्षमता के 58 टी.वी. ट्रांसमीटर तथा एक ट्रांसपोजर कार्यरत है।

(ख) वर्तमान में, मध्य प्रदेश के अनुमानित 64.6 प्रतिशत क्षेत्र में टी. वी. सेवा स्थलीय रूप से उपलब्ध है जिसमें बूस्टर तथा ऐन्टिना की सहायता से टी. वी. रिसेप्सन प्राप्त करने वाले दूरवर्ती क्षेत्र शामिल हैं। समुचित डिश ऐन्टिना पद्धति की सहायता से सम्पूर्ण मध्य प्रदेश राज्य में उपग्रह सेवा उपलब्ध है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) राज्य में स्थलीय टी. वी. सेवा को सुदृढ करने की दृष्टि से वर्तमान में विभिन्न शक्तियों के 34 टी. वी. ट्रांसमीटर कार्यान्वयनाधीन/ स्थापित किए जाने हेतु परिकल्पित है, बशर्ते राज्य के विभिन्न स्थानों में समुचित संसाधनों तथा आवश्यक आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध हों।

[अनुवाद]

गोद लेने के बारे में मार्गनिर्देश

216. **श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) :**
श्रीमती दीपिका एच. टोपीवाला :
श्री गुरुदास कामत :
कुमारी सुशीला तिरिया :

क्या **कल्याण मंत्री** गोद लेने के बारे में मार्गनिर्देश के बारे में 4 अगस्त, 1994 के तारांकित प्रश्न संख्या 144 के उत्तर के संबंध मे यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बच्चों को गोद लेने के बारे में संशोधित मार्गनिर्देशों को अंतिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी प्रमुख विशेषताएं क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसे कब तक अंतिम रूप देकर जारी किया जायेगा?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, नहीं। दत्तकग्रहण पर संशोधित मार्गदर्शी सिद्धान्त इस मंत्रालय के विचाराधीन है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

प्लेग संबंधी प्रचार

217. **प्रो. के. वी. थामस** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारत में प्लेग का अवास्तविक और बढा-चढा कर प्रचार करने के मामले में भारत के समाचार पत्रो, दूरदर्शन तथा आकाशवाणी के विरूद्ध शिकायतें मिली हैं; और

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय मुददों तथा समस्याओं पर समाचार पत्रो तथा इलैक्ट्रानिक प्रचार माध्यमों द्वारा यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाने हेतु दिशानिर्देश देने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं। उठाने का विचार किया है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) इस संबंध में मीडिया द्वारा बढा-चढ़ा कर रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के बारे मे स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय को कुछ सूचनाएं प्राप्त हुई थी।

(ख) आकाशवाणी और दूरदर्शन दोनों राष्ट्रीय मुददे एवं समस्याओं पर रिपोर्ट करते वक्त सभी उचित सावधानी बरत कर सरकारी रिपोर्टों पर आधारित वास्तविक सूचना उपलब्ध कराते हैं। जहां तक प्रेस का सम्बन्ध है, सरकार की स्वतन्त्रता कायम रखने के लिए नीति सम्बन्धी मामले में प्रेस के कार्य मे हस्तेक्षप नहीं करती

है तथापि, भारतीय प्रेस परिषद ने प्रेस को एक अनुरोध जारी किया था कि प्लेग आदि से सम्बन्धित समाचारों को प्रकाशित करने से पहले वास्तविक स्रोतों से तथ्यों की पूरी तरह से जांच कर ले ।

दूरदर्शन और आकाशवाणी का प्रसारण क्षेत्र

2184. **श्री शंकरसिंह वाघेला :**
श्री दिलीप भाई संघाणी :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में कार्यरत टी. वी. ट्रांसमीटरों एवं आकाशवाणी के स्टेशनों की क्षमता एवं प्रसारण क्षेत्र का ब्यौरा क्या है;

(ख) उच्च शक्ति के टी. वी. ट्रांसमीटरों की स्थापना के लिए किन-किन स्थानों का चयन किया गया है;

(ग) इस पर कुल कितनी राशि खर्च की जाएगी; और

(घ) ये टी. वी. ट्रांसमीटर कब तक कार्य करना शुरू कर देंगे?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) विवरण संलग्न है।

(ख) से (घ). उपयुक्त आधारभूत संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए सूरत, बड़ोदरा, पालिटना, राधनपुर, जूनागढ़ और अहमदाबाद (दू.दू.-II) को उच्च शक्ति टी. वी. ट्रांसमीटर स्थापित करने के लिए अभि निर्धारित किया गया है। वर्तमान संकेतों के अनुसार प्रत्येक योजना की लागत 7 लाख रूपए से 10 करोड़ रूपए तक होने का अनुमान है तथा इन परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए लगभग 3 वर्ष का समय अपेक्षित होगा।

विवरण

गुजरात में कार्य कर रहे टी.वी. ट्रांसमीटरों तथा आकाशवाणी केन्द्रों की क्षमता तथा कवरेज क्षेत्र का ब्यौरा

क्र.सं.	स्थान	ट्रांसमीटर क्षमता	वर्ग किमी. में कवर किया गया क्षेत्र
1	2	3	4
क.	**दूरदर्शन**	**उच्च शक्ति ट्रांसमीटर**	
1.	अहमदाबाद	10 कि.वा.	45257
2.	राजकोट	10 कि.वा.	45257
3.	भुज (अंतरिम)*	10 कि.वा.	25457
4.	द्वार का	10 कि.वा	5028**
		अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	
5.	आहवा	100 वाट (वी. एच. एफ.)	1964
6.	भावनगर	100 वाट	1964
7.	नवसारी	100 वाट	1964
8.	पोरबंदर	100 वाट	1964
9.	बड़ोदरा	100 वाट	1964
10.	अहमदाबाद (डी. डी. 2)	100 वाट	1964
11.	अमरेली	100 वाट	1964
12.	जूनागढ़	100 वाट	1964
13.	पालमपुर	100 वाट	1964
14.	सूरत	100 वाट	1964
15.	वलसाद	100 वाट	1964
16.	भरूच	100 वाट	1964
17.	केवडिया कालोनी	100 वाट	1964
18.	पाटन	100 वाट	1964
19.	सुरेन्द्रनगर	100 वाट	1964
20.	वेरावल	100 वाट	1964
21.	अम्बाजी	100 वाट (यू. एच. एफ.)	707
22.	देदियापाड़ा	100 वाट	707
23.	गोधरा	100 वाट	707
24.	मेहसाना	100 वाट	707
25.	भाब्बर	100 वाट	707
26.	धोराजी	100 वाट	707
27.	जामनगर	100 वाट	707
28.	सोनगढ़	100 वाट	707
29.	छोटा उदयपुर	100 वाट	707
30.	दोहाद	100 वाट	707
31.	कोसम्बा	100 वाट	707
32.	थराड	100 वाट	707
33.	खम्बात	300 वाट	1964
		अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	
34.	काकरापार	10 वाट	201

टिप्पणी : सीमावर्ती क्षेत्रों सहित कवर किए गए क्षेत्र जहां से सिगनल प्राप्त करने के लिए बूस्टर एंटिना की आवश्यकता होती है।

* 300 मीटर ट्रांसमीटर टावर के पूरा होने पर कवरेज बढ़ जाने की आशा है।

** अल्प शक्ति पर चलाए जा रहे ट्रांसमीटर।

ख-आकाशवाणी			
35.	अहमदाबाद	(1) 200 कि. वा. मी. वेव	192.2
		(2) 1 कि. वा. मी. वेव (विविध भारती सेवा)	13.6
36.	बड़ोदा	1 कि. वा. मी. वे. (विविध भारती सेवा)	5.6
37.	भुज	10 कि.वा. मी. वे.	40.3

1	2	3	4
38.	राजकोट	(1) 300 कि. वा. मी. वेव	195.6
		(2) 1 कि. वा. मी. वेव	8.8
39.	गोधरा	2×3 कि.वा. एफ. एम.	11.3
40.	सूरत	2×3 कि. वा. एफ. एम.	6.8
41.	आहवा	1 कि.वा. मीडिया वेव	1.6

[हिन्दी]

दूरदर्शन पर क्रिकेट मैच

219. श्री फूलचंद वर्मा : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 13 नवम्बर, 1994 के "राष्ट्रीय सहारा" में दूरदर्शन की भूमिका व क्षमता पर सवालिया "निशान" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या तीन देशों के क्रिकेट मैच की श्रृंखला के प्रसारण का अधिकार वर्ल्ड टेलि को दे दिया गया था और इसके लिए वर्ल्ड टेलि को 3 करोड़ रूपये की राशि का भुगतान किया गया था;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या भारत के कैमरामेन और कमेंटेटरों की पूरी तरह से उपेक्षा नहीं की गई है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है;

(छ) क्या इस संबंध में कोई नीति बनाई गई है/बनाने का विचार है; और

(ज) यदि हां, तो इसकी प्रमुख विशेषताए क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं। मैसर्स वर्ल्ड टेल को रिले अधिकार नहीं सौंपे गए हैं तथा इसके लिए भुगतान का प्रश्न नहीं उठता। तथापि, निर्माण में सहायतार्थ दूरदर्शन द्वारा वर्ल्ड टेल उपकरण और कुछ विशेषज्ञ कार्मिकों को किराए पर लिया गया था।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) कवरेज टीमें भारतीय कमेन्टेटर और कैमरामैन भी शामिल हैं।

(ङ) और (च). प्रश्न नहीं उठता।

(छ) और (ज). समय-समय पर सरकार के मार्गनिर्देशों का पालन किया जाता है।

स्वायत्तता प्रदान करना

220. श्री दत्ता मेघे :
श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) क्या उत्तराखंड,झारखंड, मराठवाडा और विदर्भ को स्वायत्तता प्रदान करने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाही की जा रही है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) से (ग). दक्षिण बिहार के 18 जिलों को मिलाकर झारखण्ड क्षेत्र विकास परिषद का गठन करने के लिए बिहार सरकार सहमत हो गई है। मराठवाड़ा और विदर्भ के संबंध मे भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 (2) के अधीन राष्ट्रपति के दिनांक 9.3.94 के आदेश के द्वारा विकास बोर्ड गठित किए गए हैं जिसके अन्तर्गत महाराष्ट्र के राज्यपाल को इन विकास बोर्डों के संबंध में विशेष जिम्मेदारी सौपी गई है। उत्तराखण्ड के मुद्दे का समाधान निकालने के लिए विभिन्न विकल्पों पर विचार चल रहा है।

रसोई गैस वितरक

221. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चल विपणन योजना, 1992-94 के अंतर्गत रसोई गैस के वितरकों की नियुक्ति करने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्र-वार कितने वितरको की नियुक्ति किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) इन वितरकों को कब तक नियुक्त कर दिया जाएगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग)."चलित विपणन योजना" के नाम से कही जाने वाली कोई योजना नहीं है। तथापि, सरकार ने एल पी जी (रसोई गैस) विपणन योजना 1992-94 को अनुमोदित कर दिया है जिसमें विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 623 एल पी जी (रसोई गैस) डिस्ट्रीब्यूटरशिपें स्थापित करने के संबंध मे प्रस्ताव है। पात्र लोगों से आवेदन पत्र आमंत्रित करने के पश्चात् राज्यवार/क्षेत्रवार तेल चयन बोर्डों के माध्यम से, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, डिस्ट्रीब्यूटरों का चयन किया जाता है। विज्ञापन निर्गत होने के पश्चात् एल पी जी (रसोई गैस) डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के आरम्भ किए जाने में 1-2 वर्ष का समय लगता है।

[अनुवाद]

कोयला उत्पादन

222. डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय: क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1994-95 के दौरान कोयले का उत्पादन 1993-94 की तुलना में कम हुआ है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और इसके क्या कारण हैं, और

(ग) उद्योगों और विद्युत क्षेत्र पर इसका क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी.ए.संगमा): (क) जी, नहीं। अप्रैल से अक्तूबर, 1994 की अवधि के दौरान अखिल भारतीय कोयला उत्पादन 123.49 मि.ट. (अंनतिम) हुआ, जबकि यह पिछले वर्ष की इसी अवधि में 120.92 मि.टन हुआ था, जोकि 2.1 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठता है।

हिंसा और अश्लीलता का प्रभाव

223. श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्तूबर में भुवनेश्वर में इलेक्ट्रानिक मीडिया पर हिंसा और अश्लीलता के प्रभाव के बारे में कोई संगोष्ठी आयोजित की गई थी,

(ख) यदि हां, तो उन मुद्दों का ब्यौरा क्या है जिन पर संगोष्ठी में चर्चा की गई;

(ग) क्या केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड ने फिल्मों में अश्लीलता, हिंसा और सेक्स को रोकने में सफलता पायी है,

(घ) यदि हां, तो किस हद तक; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी.सिंह देव) : (क) जी, हां।

(ख) वक्ताओं जिनमें लेखक, कवि, शिक्षाविद् और समाज विज्ञानी शामिल थे, ने युवाओं पर हिंसा तथा अश्लीलता के प्रभावों पर चिंता प्रकट की परन्तु इन प्रभावों को प्रभावहीन करने हेतु किए जाने वाले उपायों के बारे में उनके विभिन्न अवबोधन थे।

(ग) से (ङ). केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यह सुनिश्चित करने के लिए सतत रूप से प्रयास कर रहा है कि फिल्में पूर्णतया इस विषय के बारे में मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुरूप प्रमाणीकृत की जाएं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ फिल्मों में कामुकता, हिंसा और अश्लीलता को नियंत्रित करने की व्यवस्था की गई है।

भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1992

224. श्रीमती गिरिजा देवी :
श्री श्रीकान्त जेना :

क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ गैर-सरकारी संगठनों ने सरकार को दिये गये एक ज्ञापन में भारतीय पुनर्वास परिषद् अधिनियम, 1992 के कुछ नकारात्मक पहलुओं का उल्लेख किया है, तथा यह अनुरोध किया है कि इस अधिनियम का कार्यान्वयन स्थगित रखना विकलांगों के हितों के प्रतिकूल है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी): (क) जी, हां।

(ख) गैर सरकारी संगठनों द्वारा प्रस्तुत किए गए ज्ञापन में उठाए गए प्रमुख बिन्दु इस प्रकार हैं:

1. **भारत पुनर्वास परिषद अधिनियम का अनुच्छेद-2**

   विकलांगता के वर्गीकरण को पर्याप्त रूप से कवर नहीं किया गया है।

2. **अनुच्छेद 3 (3)**

   इस क्षेत्र में प्रख्यात व्यावसायिकों को शामिल करने के साथ गैर सरकारी संगठनों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देकर परिषद की संरचना में परिवर्तन करने की आवश्यकता है।

3. **अनुच्छेद 11 और 18**

   पुनर्वास में उच्चतर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्थापित व विख्यात विश्वविद्यालयों को भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा जाना चाहिए।

4. केन्द्रीयकरण और नौकरशाहीकरण को रोकने के लिए व्यवसायिकों के पुनर्वास योग्यता के निर्धारण को निरस्त किया जाना चाहिए।

(ग) इन मुद्दों पर गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों से विस्तारपूर्वक विचार विमर्श किया गया। इन मुद्दों पर और विचार-विमर्श करने के लिए राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और राज्य स्तरीय गैर सरकारी संगठनों, संबंधित अधिकारियों और विशेषज्ञों के एक बड़े समूह के साथ एक और बैठक का आयोजन किया जा रहा है।

मंदबुद्धि व्यक्ति

225. श्री शिवशरण वर्मा :
श्री माणिकराव होडल्या गावीत :
श्री परसराम भारद्वाज :
श्री संतोष कुमार गंगवार :
श्री बापू हरि चौरे :
श्रीमती वसुन्धरा राजे :
श्री नुरूल इस्लाम :

क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में मंदबुद्धि व्यक्तियों की आयु-समूह-वार संख्या कितनी है;

(ख) ऐसे व्यक्तियों को पहचान कर उनका उपचार एवं पुनर्वास करने हेतु कौन-कौन सी योजनाएं लागू की जा रही है;

(ग) उनकी संपत्तियों की रक्षा हेतु क्या कदम उठाये गये हैं/प्रक्रिया अपनायी गयी है;

(घ) क्या सरकार का विचार मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास को विकलांग पुनर्वास कार्यक्रम के अंतर्गत लाने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) मंदबुद्धि व्यक्तियों के लिये एक राष्ट्रीय कोष के गठन के संबंध में क्या निर्णय लिया गया है तथा इस संबंध में क्या प्रयास किये गये हैं?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) राष्ट्रीय प्रतिदर्श संगठन द्वारा 1991 में संचालित प्रतिदर्श सर्वेक्षण यह दर्शाता है कि भारत में लगभग 3 प्रतिशत बच्चों में विलम्ब से विकास होता है जो अक्सर मानसिक मंदता से सम्बद्ध है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार तथा शहरी ग्रामीण क्षेत्रवार फैले इन बच्चों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) कल्याण मंत्रालय मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों सहित विकलांगों को शिक्षा, प्रशिक्षण तथा पुनर्वास आदि के लिए योजनाए क्रियान्वित करता है। योजनाएं इस प्रकार हैं:

(1) **विकलांगों के लिए स्वयंसेवी संगठनों को सहायता:** इस योजना के अंतर्गत शिक्षा, प्रशिक्षण तथा पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के लिए 90 प्रतिशत की सीमा तक (ग्रामीण क्षेत्रों में 95 प्रतिशत तक) वित्तीय समर्थन दिया जाता है।

(2) **विशेष विद्यालयों की स्थापना तथा विकास की योजना:** इस योजना के अंतर्गत भी विशेष विद्यालयों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(3) **प्रमस्तिष्काघात तथा मानसिक मंदता वाले व्यक्तियों के लिए संगठनों को सहायता**

इस योजना के अंतर्गत प्रमस्तिष्काघात तथा मानसिक मंदता के क्षेत्र में शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाने के लिए गैर सरकारी संगठनों को 100 प्रतिशत सहायता दी जाती है।

इसके अतिरिक्त मानसिक मन्दता वाले व्यक्तियों के लिए शिक्षा, प्रशिक्षण तथा व्यवसायिक मार्गदर्शन, अनुसंधान, पुनर्वास तथा उपयुक्त सेवा माडयूल्स के विकास के लिए सिकन्दराबाद में एक राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान है।

(ग) मानसिक तथा प्रमस्तिष्काघात वाले व्यक्तियों के लिए एक सांविधिक न्यास स्थापित करने का प्रस्ताव है।

(घ) और (ङ). ग्रामीण क्षेत्रों में अनन्य रूप से समुदाय आधारित पुनर्वास के आधार पर एक व्यापक योजना तैयार की जा रही है जिसमें मानसिक रूप से विकलांगों के पुनर्वास को भी शामिल किया जायेगा।

(च) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

विवरण

प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में सूचित किए गए प्रति 1000 बच्चों में विलम्ब से विकास होने तथा धीमा एवं पिछड़ा विकास होने वाले बच्चों की संख्या

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आयु 1–14 वर्ष	
	ग्रामीण	शहरी
आन्ध्र प्रदेश	25	20
अरूणाचल प्रदेश	54	132
असम	71	60
बिहार	36	29
गोवा	5	3
गुजरात	15	25
हरियाणा	31	33
हिमाचल प्रदेश	22	16
जम्मू और कश्मीर	40	31
कर्नाटक	14	17
केरल	15	32
मध्य प्रदेश	36	18
मेघालय	19	29
मिजोरम	9	2
नागालैंड	92	83
उड़ीसा	47	21
पंजाब	49	18
राजस्थान	32	25
सिक्किम	55	28
त्रिपुरा	04	10
उत्तर प्रदेश	33	34
पश्चिम बंगाल	44	33
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	13	6
चंडीगढ़	1	6
दादर और नगर हवेली	4	6
दमण और द्वीप	2	8
दिल्ली	2	40
पांडिचेरी	25	17
अखिल भारतीय	31	79

[हिन्दी]

सतलुज-यमुना लिंक नहर

226. श्री नारायण सिंह चौधरी : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने पंजाब सरकार को सतलुज–यमुना लिंक नहर के शेष निर्माण कार्य के लिए 600 करोड़ रूपये दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह निर्माण कार्य कब तक पूरा होने की आशा है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के.थुंगन) : (क) और (ख). केन्द्र सरकार ने अभी तक सतलुज यमुना सम्पर्क नहर के निर्माण के लिए पंजाब सरकार को 499.12 करोड निर्मुक्त किए हैं।

(ग) इस परियोजना को पूरा करने की समय अनुसूची पंजाब सरकार द्वारा लगाए जाने वाले नए अभिकरण/अभिकरणों की प्रकृति और क्षमता पर निर्भर करेगी।

[अनुवाद]

कुकी ग्रामीणजन

227. **कुपारी क्रिडा तोपनो** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या मणिपुर के विभिन्न भागों, विशेष रूप से सेनापति जिले में रहने वाले कुकी ग्रामीणजन को हाल ही में गांव खाली करने के नोटिस दिये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) कुकी ग्रामीणजन की रक्षा के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद): (क) से (ग). रिपोर्टों के अनुसार, खाली करने/छोड़कर चले जाने के नोटिस, उग्रवादियों द्वारा दिए गए हैं। राज्य सरकार को तुरन्त सलाह दी गई थी कि वे विशेष रूप से, मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में, सुरक्षा उपायों को मजबूत करें और पीड़ितों को आवश्यक राहत उपलब्ध कराएं। सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में, अन्य बातों के साथ-साथ मणिपुर को लगातार "अशांत क्षेत्र" घोषित किए रखना, विद्रोही ग्रुपों को "गैर-कानूनी संगठन" घोषित करना, सुरक्षा बलों की तैनाती, राज्य पुलिस बल की कारगरता में सुधार करना और उन्हें सुदृढ़ बनाना आदि शामिल है।

[हिन्दी]

लंबित स्थापित वृत्तचित्र

228. **श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार :**
श्री मोतीलाल सिंह :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1993 और 1994 के दौरान अब तक विभिन्न संस्थानों द्वारा प्रसारण के लिए प्रस्तुत किए गए वृत्तचित्रों का ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसे वृत्तचित्रों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) लंबित मामलों के शीघ्र निपटान के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) ऐसे वृत्तचित्रों के प्रसारित किए जाने अथवा न किए जाने के बारे में कब तक निर्णल ले लिया जायेगा?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) और (ख). विवरण निम्न अनुसार है :

वृत्तचित्रों की संख्या

	प्रस्तुत	प्रसारित	अस्वीकृत	प्रक्रियाधीन
1993	37	36	1	--
1994	44	29	4	11

(ग) और (घ). दूरदर्शन द्वारा वृत्तचित्रों सहित कार्यक्रमों की स्वीकृति, एक सतत् प्रक्रिया है। समय-समय पर दूरदर्शन की कार्यक्रम अपेक्षाओं पर निर्भर करते हुए दूरदर्शन द्वारा प्राप्त प्रस्तावों की जांच की जाती है।

आकाशवाणी/दूरदर्शन नेटवर्क का विस्तार

229. **श्रीमती भावना चिखलिया :**
श्री काशीराम राणा :
श्री रामेश्वर पाटीदार :
श्री द्वारका नाथ दास :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान कुछ राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार के पास दूरदर्शन/आकाशवाणी नेटवर्क के विस्तार हेतु प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है/की जा रही है;

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना में अब तक दूरदर्शन/आकाशवाणी के प्रसारण क्षेत्र में विस्तार संबंधी कार्य की प्रगति का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) योजना की शेष अवधि के दौरान किए जाने वाले विस्तार का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव): (क) से (ग). राज्य सरकारों सहित विभिन्न क्षेत्रों से इलैक्ट्रोनिक मीडिया द्वारा कवरेज का विस्तार करने संबंधी अनुरोध समय-समय पर प्राप्त होते रहते है। सभी अनुरोधों पर विधिवत विचार किया जाता है तथा संबंधित क्षेत्रों की कवरेज आवश्यकताओं, संसाधनों की उपलब्धता और पारस्परिक प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए नेटवर्क के विस्तार की योजना बनाई जाती है।

(घ) आठवीं योजना अवधि के दौरान अब तक आकाशवाणी और दूरदर्शन के कवरेज के विस्तार में हुई प्रगति का राज्यवार और संघ शासित क्षेत्रवार ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण-I संलग्न है।

(ङ) आठवीं योजना को शेष अवधि के दौरान, आकाशवाणी और दूरदर्शन के नेटवर्क का प्रक्षिप्त विस्तार राज्यवार/संघ शासित क्षेत्रवार दर्शाने वाला विवरण II संलग्न है। आधारभूत संसाधनों की

उपलब्धता के अधीन इन परियोजनाओं का चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित किया जाएगा।

विवरण-I

आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आकाशवाणी और दूरदर्शन के कवरेज के विस्तार में हुई प्रगति का राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	स्थान	ट्रांसमीटर क्षमता
1	2	3	4
क. आकाशवाणी			
1.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	उन्नयन (10 कि.वा. से 50 कि.वा. शा.वे. ट्रां.)
2.	आंध्र प्रदेश	कुरनूल	2x3 कि.वा.एफ.एम. ट्रांसमीटर
3.	आंध्र प्रदेश	मरकापुरम	3 कि.वा. एफ. ट्रांसमीटर
4.	अरूणाचल प्रदेश	ईटानगर	टाईप I (आर) स्टूडियो
5.	अरूणाचल प्रदेश	पासीघाट	एम.पी. स्टूडियों
6.	अरूणाचल प्रदेश	पासीघाट	10 कि.वा.मी.वे. ट्रांसमीटर
7.	असम	हाफलोंग	3 कि.वा.एफ.एम ट्रांसमीटर
8.	असम	नौगांव	3कि.वा.एफ.एम. ट्रांसमीटर
9.	असम	गुवाहाटी	50 कि.वा.शा.वे. ट्रांसमीटर
10.	बिहार	डाल्टनगंज	2x5 कि.वा.एफ.एम. ट्रांसमीटर
11.	बिहार	पुर्णिया	2x3 कि.वा.एफ.एम. ट्रांसमीटर
12.	बिहार	हजारीबाग	3 कि.वा.एफ.एम. ट्रांसमीटर
13.	बिहार	चाईबासा	2x3 कि.वा.एफ.एम. ट्रांसमीटर
14.	गोवा	पणजी	2x10 कि.वा.मी.वे. ट्रांसमीटर
15.	गोवा	पणजी	2x5 कि.वा.एफ.एम. ट्रांसमीटर
16.	गुजरात	आहवा	1 कि.वा.मी.वे. ट्रांसमीटर
17.	हिमाचल प्रदेश	कसौली	2x5 कि.वा.एफ.एम. ट्रांसमीटर
18.	हिमाचल प्रदेश	हमीरपुर	2x3 कि.वा.एफ.एम. ट्रांसमीटर
19.	हिमाचल प्रदेश	धर्मशाला	2x5 कि.वा.एफ.एम. ट्रांसमीटर
20.	हिमाचल प्रदेश	शिमला	50 कि.वा.शा.वे. ट्रांसमीटर
21.	जम्मू और कश्मीर	जम्मू	3 कि.वा.एफ.एम. ट्रांसमीटर
22.	जम्मू और कश्मीर	पूंछ	2x3 कि.वा.एफ.एम. ट्रांसमीटर
23.	कर्नाटक	हासपेट	2x3 कि.वा.एफ.एम. ट्रांसमीटर
24.	कर्नाटक	रायचुर	2x3 कि.वा.एफ.एम. ट्रांसमीटर
25.	कर्नाटक	मरकारा	2x3 कि.वा. एफ.एम. ट्रांसमीटर
26.	कर्नाटक	कारवार	2x3 कि.वा.एफ.एम. ट्रांसमीटर
27.	कर्नाटक	बंगलोर	4x500 कि.वा.शा.वे. ट्रांसमीटर
28.	केरल	इदुक्की	2x3 कि.वा.एफ.एम. ट्रांसमीटर
29.	केरल	त्रिचूर	100 कि.वा.मी.वे. ट्रांसमीटर
30.	केरल	त्रिवेन्द्रम	50 कि.वा.शा.वे. ट्रांसमीटर
31.	मध्य प्रदेश	गुना	3 कि.वा.एफ.एम. ट्रांसमीटर
32.	मध्य प्रदेश	भोपाल	3 कि.वा.एफ.एम. ट्रांसमीटर
33.	मध्य प्रदेश	सागर	2x3 कि.वा.एफ.एम. ट्रांसमीटर
34.	मध्य प्रदेश	जबलपुर	टाईप--I (आर) स्टूडियो
35.	मध्य प्रदेश	भोपाल	उन्नयन (10 कि.वा. से 50 कि.वा.शा.वे ट्रां.)
36.	मध्य प्रदेश	भोपाल	उन्नयन (1 कि.वा. से 10 कि. वा. मो. वे. ट्रां.)
37.	मध्य प्रदेश	रायगढ	2x3 कि.वा. एफ.एम. ट्रांसमीटर
38.	मध्य प्रदेश	शहडोल	2x3 कि.वा. एफ.एम. ट्रांसमीटर
39.	मध्य प्रदेश	बालाघाट	2x3 कि.वा.एफ.एम. ट्रांसमीटर
40.	महाराष्ट्र	यवतमाल	2x3 कि.वा.एफ.एम. ट्रांसमीटर
41.	महाराष्ट्र	सतारा	2x3 कि.वा.एफ.एम. ट्रांसमीटर
42.	महाराष्ट्र	चन्द्रपुर	2x3 कि.वा.एफ.एम ट्रांसमीटर
43.	महाराष्ट्र	अकोला	2x3 कि.वा.एफ.एम. ट्रांसमीटर
44.	महाराष्ट्र	कोल्हापुर	2x3 कि.वा.एफ.एम. ट्रांसमीटर
45.	महाराष्ट्र	धुले	2x3 कि.वा.एफ.एम. ट्रांसमीटर
46.	महाराष्ट्र	बम्बई	मल्टीट्रैक रिकार्डिंग स्टेशन
47.	महाराष्ट्र	बम्बई	50 कि.वा.शा.वे ट्रांसमीटर
48.	महाराष्ट्र	बम्बई	2x5 कि.वा.एफ.एम. ट्रांसमीटर
49.	महाराष्ट्र	नाशिक	2x3 कि.वा.एफ.एम. ट्रांसमीटर
50.	मेघालय	तुरा	टाईप--I (आर) स्टूडियो
51.	उड़ीसा	बोलंगिर	3 कि.वा.एफ.एम. ट्रांसमीटर
52.	उड़ीसा	भवानीपटना	2x100 कि.वा.मी.वे. ट्रांसमीटर
53.	उड़ीसा	बहरामपुर	2x3 कि.वा.एफ.एम. ट्रांसमीटर
54.	उड़ीसा	जैपोर	उन्नयन (20 कि.वा. से 100 कि.वा.मी.वे. ट्रां.)
55.	पंजाब	पटियाला	2x3 कि.वा.एफ.एम. ट्रांसमीटर
56.	पंजाब	जालंधर	2x5 कि.वा.एफ.एम. ट्रांसमीटर
57.	राजस्थान	सवाई माधोपुर	3 कि.वा.एफ. एम. ट्रांसमीटर
58.	राजस्थान	चुरू	2x3 कि.वा.एफ.एम ट्रांसमीटर
59.	राजस्थान	झालावाड	2x3 कि.वा.एफ.एम. ट्रांसमीटर
60.	राजस्थान	जैसलमेर	2x5 कि.वा.एफ.एम. ट्रांसमीटर
61.	राजस्थान	जयपुर	50 कि.वा.शा.वे. ट्रांसमीटर
62.	राजस्थान	बीकानेर	उन्नयन (10 कि.वा.से 20 कि.वा.मी.वे. ट्रां.)
63.	तमिलनाडु	मद्रास	50 कि.वा.शा.वे. ट्रांसमीटर
64.	तमिलनाडु	मद्रास	2x10 कि.वा.मी.वे. ट्रांसमीटर
65.	तमिलनाडु	ऊटकमण्ड	1 कि.वा.मी.वे. ट्रांसमीटर
66.	तमिलनाडु	तूतिकोरिन	2x100 कि.वा.मी.वे. ट्रांसमीटर
67.	त्रिपुरा	बेलोनिया	3 कि.वा.एफ.एम. ट्रांसमीटर
68.	त्रिपुरा	कैलाशहर	3 कि.वा.एफ.एम. ट्रांसमीटर

1	2	3	4
69.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	उन्नयन (10 कि.वा.से 50 कि.वा.शा.वे. ट्रां.)
70.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	उन्नयन (1 कि.वा.मी.वे.वी.बी. से 10 कि.वा.मी.वे. ट्रांसमीटर)
71.	उत्तर प्रदेश	वाराणसी	1 कि.वा.मी.वे. ट्रांसमीटर (वी.वी.)
72.	उत्तर प्रदेश	बरैली	2x3 कि.वा.एफ.एम. ट्रांसमीटर
73.	उत्तर प्रदेश	फैजाबाद	2x3 कि.वा.एफ.एम. ट्रांसमीटर
74.	उत्तर प्रदेश	झांसी	2x3 कि.वा.एफ.एम. ट्रांसमीटर
75.	उत्तर प्रदेश	ओबरा	2x3 कि.वा.एफ.एम. ट्रांसमीटर
76.	पश्चिम बंगाल	कलकत्ता	5 कि.वा.एफ.एम. ट्रांसमीटर
77.	पश्चिम बंगाल	कलकत्ता	100 कि.वा.मी.वे. ट्रांसमीटर (50 कि.वा.मी.वे. ट्रां0 का उन्नयन)
78.	पश्चिम बंगाल	कलकत्ता	उन्नयन (10 कि.वा. से 50 कि.वा.शा.वे. ट्रां.)
79.	संघ शसित प्रदेश	कावारत्ती	1 कि.वा.मी.वे. ट्रांसमीटर (लक्षद्वीप)
80.	दिल्ली	दिल्ली	2x5 कि.वा.एफ.एम. ट्रां. (स्टीरिओ)

1.4.92 से 30.11.94 के दौरान कमीशंड टी.वी. ट्रांसमीटर परियोजनाएं

राज्य/संघ शासित प्रदेश	परियोजना	
1	2	
ख. दूरदर्शन		
** आंध्र प्रदेश**	उ.श.ट्रां. –	तिरूपति
	अ.श.ट्रां. –	अलगद्दा
		आत्माकुर
		भीमावरम
		एमीगनूर
		गडवाल
		गिद्दलूर
		हिन्दुपुर
		जगतियाल
		कावली
		कुप्पम
		मदनापल्ली
		मन्दासा
		मेडक
		नागर करनूल
		निर्मल
		सिद्दीपेट
		तन्दूर
		विशाखापत्तनम
		येल्लान्दु
		हैदराबाद (डी.डी.2)
	अ.अ.श. ट्रां. –	पेडरू
		श्रीसलेम
** असम * *	अ.श.ट्रां. –	बोंगईगांव
		गोलाघाट
		हाफलोंग
		उत्तरी लखीमपुर
		गुवाहाटी (डी.डी.2)
** बिहार **	अ.श.ट्रां. –	औरंगाबाद
		गोड्डा
		हजारीबाग
		लोहारदागा
** गुजरात **	उ.श.ट्रां. –	भुज (अंतरिम सेट–अप)
	अ.श.ट्रां. –	खम्बात
		अहमदाबाद
** हरियाणा **	अ.श.ट्रां. –	मेहम
		रेवाड़ी
** हिमाचल प्रदेश**	उ.श.ट्रां. –	शिमला
जम्मू और कश्मीर	अ.श.ट्रां. –	रियासी
		श्रीनगर (डी.डी.–2)
	अ.अ.श.ट्रां. –	दरास
		गुरेज (दावर)
		किलोहॉट्रन
		पूंछ
		सम्बा
		शंकू
		तिमसोगम
** कर्नाटक**	उ.श.ट्रां. –	धारवाड
	अ.श.ट्रां. –	बागलकोट
		गंगावती
		मन्दया
		मुडिगेरे
		पावगाडा
		रामदुर्ग
		बंगलोर (डी.डी.–2)
	अ.अ.श.ट्रां. –	सकलेशपुर
** केरल **	उ.श.ट्रां. –	कालीकट (अंतरिम सेट–अप)
	अ.श.ट्रां. –	पुनालूर
		त्रिवेन्द्रम (डी.डी.–2)
** मध्य प्रदेश **	उ.श.ट्रां. –	जबलपुर
		जगदलपुर
	अ.श.ट्रां. –	अलीराजपुर

1	2	
		दतिया
		जावोरा
		भोपाल (डी.डी.–2)
	अ.अ.श.ट्रां.	– पंरसिया
** महाराष्ट्र **	अ.श.ट्रां.	– अकोट
		अकलुज
		हिंगनघाट
		कंकौली
		खामगांव
		संगमनेर
		उमेरगा
		वशिम
	अ.अ.श.ट्रां.	– जून्नर
** मेघालय **	अ.श.ट्रां.	– विलियमनगर
** उड़ीसा **	उ.श.ट्रां.	– कटक (डी.डी.–2)
	अ.श.ट्रां.	– आत्मालिक
		बानापुर
		भूबन
		बौद्ध
		देवगढ़
		धेनकनाल
		जी. उदयगिरि
		कामक्खनगर
		खांडापाड़ा
		लुथेरपुंक
		मल्कानगिरि
		नवरंगपुर
		पदमपुर
		पद्मापुरम
		बलीगुरहा
		प्रदीप
		पुरी
		रायरंगपुर
		राजरंगपुर
		रेधाखोल
		तलचेर
		भुवनेश्वर (डी.डी.–2)
	अ.अ.श.ट्रां.	– पल्लाहारा
** पंजाब **	अ.श.ट्रां.	– जालंधर (डी.डी.–2)
** राजस्थान **	उ.श.ट्रा	– बुन्दी
	अ.श.ट्रां.	– बसवा
		भद्रा
		चिड़वा
		गंगापुर
		करनपुर
		कोटपुतली

1	2	
		रायसिंहनगर
		रतनगढ
		रावतसर
		श्रीडुंगरगढ
		सुजानगढ़
		वल्लभनगर
		जयपुर (डी.डी.–2)
	अ.अ.श.ट्रां	– अमेट
		चौमहाला
		देवगढ़
		कुम्भलगढ़
		राजगढ
** सिक्किम **	उ.श.ट्रां.	– गंगटोक
	अ.श.ट्रां.	– गंगटोक (डी.डी.–2)
** तमिलनाडु **	उ.श.ट्रां.	– रामेश्वरम (अंतरिम सेट–अप)
	अ.श.ट्रां.	– आरकोट
		मयूरम
		नागापत्तनम
		राजपलायम
** उत्तर प्रदेश **	उ.श.ट्रां.	– बरैली
	अ.श.ट्रां.	– चम्पावत
		एटा
		कोटद्वार
		मोहमदाबाद
		रासरा
		सिकन्दरपुर
		लखनऊ (डी.डी.–2)
** पश्चिम बंगाल **	अ.श.ट्रां.	– कोंटई
		झारग्राम
		पुरूलिया
	अ.अ.श.ट्रां.	– ईगरा
		झालदा
** चंडीगढ **	अ.श.ट्रां.	– चंडीगढ (डी.डी.–2)
** दिल्ली **	अ.श.ट्रां.	– दिल्ली *
** लक्षद्वीप **	अ.श.ट्रां.	– कावारत्ती
	अ.अ.श.ट्रां.	– कावारत्ती (डी.डी.–2)
** पांडिचेरी **	अ.श.ट्रां	– कराईकल

टिप्पणी:

(क) उ.श.ट्रां.– उच्च शक्ति ट्रांसमीटर

(ख) अ.श.ट्रां.– अल्प शक्ति ट्रांसमीटर

(ग) अ.अ.श.ट्रां–अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर

(घ) डी.डी.–2– मैट्रो चैनल कार्यक्रमों को रिले करने हेतु स्थापित ट्रांसमीटर

(ङ) – लोक सभा की कार्यवाही को रिले करने हेतु स्थापित ट्रांसमीटर

विवरण - II

आठवीं योजना की शेष अवधि के दौरान आकाशवाणी और दूरदर्शन के नेटवर्क के विस्तार का राज्यवार ब्यौरा

राज्य	क्र.सं.	स्थान	स्कीम
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	1.	हैदराबाद	टाइप 4 (आर) स्टूडियो
	2.	हैदराबाद	200 कि.वा.मी.वे. ट्रांसमीटर (50 कि.वा. को 200 कि.वा.मी.वे. तक बढ़ाना)
	3.	विशाखापत्तनम	2x5 कि.वा.एफ.एम. ट्रां. (सी.बी.एस.)
अरूणाचल प्रदेश	4.	जीरो	1 कि.वा.मी.वे. ट्रां. तथा एम.पी. स्टूडियो
	5.	तेजू	10 कि.वा.मी.वे. ट्रांसमीटर
	6.	तवांग	10 कि.वा.मी.वे. ट्रांसमीटर
	7.	तेजू	एम.पी. स्टूडियोज
	8.	ईटानगर	50 कि.वा.शा.वे. ट्रांसमीटर
असम	9.	कोकराझार (एन.आर.एस.)	20 कि.वा.मी.वे. ट्रां. तथा एम.पी. स्टूडियो
	10.	तेजपुर (एन. आर. एस.)	–तथैव–
	11.	दीफू	1 कि.वा.मी.वे.ट्रां. तथा एम.पी. स्टूडियो
	12.	धुबरी	2x3 कि.वा.एफ.एम. ट्रांसमीटर तथा (रिले केन्द्र)
	13.	गुवाहाटी	100 कि.वा.मी.वे. ट्रांसमीटर (50 कि.वा. को 100 कि.वा.मी. वे. तक बढ़ाना)
	14.	गुवाहाटी	2x3 कि.वा.एफ.एम.ट्रां. (एन.सी.)
	15.	गुवाहाटी	2x5 कि.वा.एफ.एम.ट्रां. (सी.बी.एस.)
बिहार	16.	भागलपुर	20 कि.वा.मी.वे. ट्रांसमीटर (10 कि.वा. को 20 कि.वा.मी.वे. तक बढ़ाना)
	17.	रांची	50 कि.वा.शा.वे. ट्रांसमीटर
	18.	रांची	2x3 कि.वा.एफ.एम. ट्रांसमीटर (1 कि.वा.मी.वे. ट्रांसमीटर का उन्नयन तथा प्रतिस्थापन)
	19.	धनबाद	2x3 कि.वा.एफ.एम. ट्रांसमीटर (रिले केन्द्र)
	20.	जमशेदपुर	2x5 कि.वा.एफ.एम. ट्रां. (सी. वी.एस.)
गोवा	21.	पणजी	टाइप 3 (आर) स्टूडियो
गुजरात	22.	अहमदाबाद	2x5 कि.वा.एफ.एम. ट्रांसमीटर (1 कि.वा.मी.वे. ट्रांसमीटर का उन्नयन तथा प्रतिस्थापन)
	23.	जूनागढ	2x3 कि.वा.एफ.एम. ट्रां. (रिले केन्द्र)
	24.	वड़ोदरा	2x3 कि.वा.एफ.एम. ट्रां. (एल.आर.एस.)
हरियाणा	25.	हिसार	2x3 कि.वा.एफ.एम. ट्रांसमीटर तथा एम.पी.स्टूडियो (एल.आर.एस.)
	26	रोहतक	2x5 कि.वा.एफ.एम. ट्रांसमीटर
हिमाचल प्रदेश	27.	किन्नौर *	1 कि.वा.मी.वे. ट्रांसमीटर
	28.	कुल्लू	2x3 कि.वा.एफ.एम. ट्रांसमीटर
जम्मू और कश्मीर	29.	भदरवाह	2x3 कि.वा.एफ.एम. ट्रां. तथा एम.पी.स्टू.
	30.	कारगिल	1 कि.वा.मी.वे. ट्रां. तथा एम.पी.स्टूडियो
	31.	श्रीनगर	10 कि.वा.मी.वे. ट्रांसमीटर
	32.	जम्मू	2x5 कि.वा.एफ.एम. ट्रांसमीटर

1	2	3	4
कर्नाटक	33.	बीजापुर	2×3 कि.वा.एफ.एम. ट्रां. तथा एम.पी.स्टू.
	34.	गुलबर्गा	2×10 कि.वा.मी.वे. ट्रांसमीटर (10 कि.वा. को 20 कि.वा.मी.वे. ट्रांसमीटर तक बढ़ाना)
	35.	बंगलोर	2×5 कि.वा.एफ.एम. ट्रांसमीटर
केरल	36.	कालीकट	100 कि.वा.एफ.एम. ट्रांसमीटर (10 कि.वा. को 100 कि.वा.मी.वे. ट्रांसमीटर तक बढ़ाना)
	37.	त्रिवेन्द्रम	टाइप–4 (आर) स्टूडियो, 2×5 कि.वा.एफ.एम. ट्रां. (सी.बी.एस.)
	38.	एलेप्पी	2×100 कि.वा.एफ.एम. ट्रांसमीटर (100 कि.वा. को 200 कि.वा. तक बढ़ाना)
	39.	कोचीन	2×5 कि.वा.एफ.एम. ट्रांसमीटर, एम.पी.स्टू.
मध्य प्रदेश	40.	जगदलपुर	100 कि.वा.एफ.एम. ट्रांसमीटर (20 कि.वा. को 100 कि.वा. तक बढ़ाना)
	41.	ग्वालियर	20 कि.वा.मी.वे. ट्रांसमीटर (10 कि.वा.को 20 कि.वा. तक बढ़ाना)
	42.	जबलपुर	2×5 कि.वा.एफ.एम. ट्रां. (सी.बी.एस.)
	43.	सरायपल्ली	1 कि.वा.एफ.एम. ट्रां., एम.पी.स्टूडियो
	44.	मंडला	1 कि.वा.एफ.एम ट्रां., एम.पी. स्टूडियो
महाराष्ट्र	45.	उस्मानाबाद	2×3 कि.वा.एफ.एम. ट्रां., एम.पी. स्टूडियो
	46.	परभणी	टाइप–I (आर) स्टूडियो
	47.	परभणी	20 कि.वा.मी.वे. ट्रांसमीटर (10 कि.वा. को 20 कि.वा., एक बढाना)
	48.	बम्बई	2×5 कि.वा.एफ.एम. ट्रां. (एन.सी)
मणिपुर	49.	चुराचांदपुर	2×3 कि.वा.एफ.एम. ट्रां., एम.पी. स्टूडियो
	50.	इम्फाल	50 कि.वा.शा.वे. ट्रांसमीटर
मेघालय	51.	जोवई	2×3 कि.वा.एफ.एम. ट्रां., एम.पी. स्टूडियो
मिजोरम	52.	लुंगलेई	2×3 कि.वा.एफ.एम. ट्रां., एम.पी. स्टूडियो
	53.	सैहा	1 कि.वा.मी.वे. ट्रां., एम.पी. स्टूडियो
नागालैण्ड	54.	मोखोखैया	2×3 कि.वा.एफ.एम.ट्रां., एम.पी.स्टूडियो
	55.	कोहिमा	50 कि.वा.शा. वे. ट्रांसमीटर (2 कि.वा. को 50 कि.वा. तक बढ़ाना)
उड़ीसा	56.	राउरकेला	2×3 कि.वा.एफ.एम. ट्रां., एम.पी. स्टूड़ियो
	57.	सम्बलपुर	100 कि.वा.मी.वे.ट्रांसमीटर (20 कि.वा. को 100 कि.वा. तक बढ़ाना)
	58.	तेगपोर	50 कि.वा.शा.वे. ट्रांसमीटर
	59.	पुरी	3 कि.वा.एफ.एम.ट्रां., एम.पी. स्टूडियो
	60.	जोरन्डा	1 कि.वा.मी.वे. ट्रां., एम.पी. स्टूडियो
	61.	सोरो	1 कि.वा.मी.वे. ट्रां., एम.पी. स्टूडियो
	62.	जालंधर	200 कि.वा.मी.वे. ट्रांसमीटर (100 कि.वा. को 200 कि.वा. तक बढ़ाना)
राजस्थान	63.	माऊंट आबू	2×3 कि.वा.एफ.एम. ट्रां., एम.पी. स्टूडियो
	64.	उदयपुर	20 कि.वा.मी.वे. ट्रांसमीटर (10 कि.वा. को 20 कि.वा. तक बढ़ाना)
	65.	जोधपुर	2×3 कि.वा. एफ.एम. ट्रांसमीटर
	66.	जयपुर	टाइप–4 स्टूडियो
सिक्किम	67.	गंगटोक	20 कि.वा.मी.वे. ट्रां. टाइप–1 (आर) स्टू.
	68.	गंगटोक	10 कि.वा.शा.वे. ट्रांसमीटर

1	2	3	4
तमिलनाडु	69.	कोडईकनाल	2x5 कि.वा. एफ.एम.ट्रां., एम.पी. स्टूडियो
	70.	मद्रास	2x5 कि.वा.एफ.एम. ट्रांसमीटर तथा मल्टीट्रैक रिकार्डिंग स्टूडियो
	71.	मदुराई	20 कि.वा.मी.वे. ट्रांसमीटर (10 कि.वा. को 20 कि.वा. तक बढाना)
	72.	कोयम्बतूर	20 कि.वा.मी.वे. ट्रांसमीटर (10 कि.वा. को 20 कि.वा. तक बढ़ाना)
	73.	नागरकोईल	2x5 कि.वा. एफ. एम. ट्रांसमीटर (1 कि.वा.मी. वे. ट्रांसमीटर तक बढाना)
	74.	मद्रास	2x5 कि.वा.एफ.एम. ट्रांसमीटर
	75.	कोयम्बतूर	2x5 कि.वा.एफ.ट्रां., एम.पी. स्टूडियो
त्रिपुरा	76.	लौंगधेराई	2x3 कि.वा. एफ. एम. ट्रां., एम.पी. स्टूडियो
उत्तर प्रदेश	77.	चमोली	1 कि.वा.मी.वे. ट्रां., एम.पी. स्टूडियो
	78.	पौडी	1 कि.वा.मी.वे. ट्रां., एम.पी. स्टूडियो
	79.	पिथोरागढ	1 कि.वा.मी.वे. ट्रांसमीटर
	80.	उत्तरकाशी	1 कि.वा.मी.वे. ट्रांसमीटर
	81.	अलीगढ़	2x3 कि.वा.एफ.एम. ट्रांसमीटर
	82.	मसूरी	2x5 कि.वा.एफ.एम. ट्रांसमीटर
	83.	इलाहाबाद	20 कि.वा.मी.वे. ट्रांसमीटर (1 कि.वा. तक बढ़ाना)
	84.	रामपुर	20 कि.वा.मी. वे. ट्रांसमीटर (10 कि.वा. तक बढ़ाना)
	85.	आगरा	20 कि.वा. को 20 कि.वा. मी. वे. तक बढाना
	86.	इलाहाबाद	(1 कि.वा. मी.वे. को 2x5 कि.वा.एम.एम. ट्रांसमीटर तक बढ़ाना)
पश्चिम बंगाल	87.	आसनसोल	2x3 कि.वा. एफ. एम. ट्रांसमीटर
	88.	कुर्सियांग	(20 कि.वा. को 50 कि.वा. शा. वे. ट्रांसमीटर तक बढाना)
	89.	कलकत्ता	(100 कि.वा. को 200 कि.वा.मी. वे. ट्रांसमीटर तक बढाना)
	90.	कलकत्ता	2x5 कि.वा.एफ.एम. ट्रांसमीटर
	91.	मालदा	2x3 कि.वा. एफ. एम. ट्रांसमीटर
	92.	सिलीगुड़ी	2x5 कि.वा. एफ. एम. ट्रां., (सी.बी.एस.)
	93.	कलकत्ता	2x5 कि.वा. एफ. एम. ट्रांसमीटर
	94.	दार्जिलिंग	2x3 कि.वा.एफ.एम. ट्रासमीटर
	95.	कुर्सियांग	1 कि.वा.मी.वे. ट्रांसमीटर
	96.	शांतिनिकेतन	1 कि.वा.मी.वे. ट्रां., एम.पी. स्टूडियो
संघ शासित क्षेत्र			
चंडीगढ़	97.	चंडीगढ	3 कि.वा.एफ.एम. ट्रांसमीटर
दमन	98.	दमन	3 कि.वा.एफ.एम. ट्रां., एम.पी. स्टूडियो
दिल्ली	99.	दिल्ली	3x50 कि.वा.शा.वे. ट्रांसमीटर
	100.	दिल्ली	2x250 कि.वा.शा.वे. ट्रांसमीटर
	101.	दिल्ली	20 कि.वा.मी.वे. ट्रांसमीटर (10 कि.वा. को 20 कि.वा. तक बढाना)
	102.	दिल्ली	20 कि.वा.मी.वे. ट्रांसमीटर
पांडिचेरी	103.	कराईकल	2x3 कि.वा.एफ.एम. ट्रा., एम.पी. स्टू.
	104.	पांडिचेरी	20 कि.वा.मी.वे. ट्रांसमीटर (1 कि.वा. को 20 कि.वा. तक बढाना)

ख. दूरदर्शन

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	कार्यान्वयनाधीन/स्थापना के लिए परिकल्पित टी.वी. ट्रांसमीटर			
	उ.श.ट्रां.	अ.श.ट्रां.	अ.अ.श. ट्रां.	ट्रांसपोंजर
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	कुरनूल	कादिरी	पार्वतीपुरम	
	नन्दयाल	बेलामपल्ली	ईच्छापुरम	
	राजामुंदरी	मरकापुर	सीताम्पेट्टा	
	वारंगल	कामारेड्डी	दारसी	
	हैदराबाद	तम्बलापल्ली		
	(डी.डी.2)	एल.आर. पल्ली		
	अंसोली	मधिरा		
		पसरा		
		पडेरू		
		वानापर्थी		
		नारायणपेट		
		कोसगी		
		पेडनान्दीपाडू		
		चिंतापल्ली		
		राजमपेट		
		बांसवाड़ा		
		टेक्काली		
		सिरपुर□		
		कंगाजनगर		
		गचेरला		
		भईन्सा		
		नरसरावपेट		
		अकमपेट		
		देवारकोंडा		
		तुनी		
		बोगिली		
		पेडापल्ली		
		जादचेरिया		
अरूणाचल प्रदेश		मियाओ	पिपु दिपु	सांखीब्रू
		ईटानगर	योमचा	
		(डीडी–2)	ताली	
			मिनयोंग	
			कलारतंग	
असम	तेजपुर	सोनारी	दिग्बोई	गुवाहाटी
	जोरहाट	लुमडिंग		
	बॉगईगाव□	होजई		

1	2	3	4	5
	कोकराझार	तिनसुकिया		
		बोकराहाट		
		मरचेरिता		
		हतसिंहगिमारी		
हिमाचल प्रदेश	धर्मशाला	सुजानपुर	अजू फोर्ट	
		सुंदरनगर	थानेदार	
		रामपुर	खड़ा पत्थर	
		शिमला	पालमपुर	
		(डीडी–2)	शिवबदर	
			भर्ती	
			जोगिन्द्रनगर□	
			जालमा	
			बैजनाथ	
			भरमौर	
			सरकाघाट	
			दियर	
			दंसी	
			होली	
			परवानू	
			बंदला	
			वीर	
			कन्दाघाट	
			डलहौजी	
			निछार	
			रोहरु	
			तीसा	
			चोहरी खास *	
			पिरभवानू *	
			जातिनगिरि *	
			राजा *	
			उदयपुर *	
			कोटखाई *	
			अवा देवी *	
			चौपाल *	
			करसोंग *	
			न बंजर *	
			घुनाघाट *	

1	2	3	4	5
जम्मू और कश्मीर	लेह	कथुआ	टिथवाल	नागरोटा
	नौशेरा *	पुंछ*	उही	
	कथुआ *	राजौरी *	बुद्धल	
		उधमपुर *	कालाकोट	
		जम्मू	बारामुला	
		(डीडी–2)*	थानामण्डी	
			कुद	
			बटोट	
			सांजी छत	
			गया *	
			रिंगडोम गोम्पा *	
			मुलबेक/सरगोल *	
			बफलियाज *	
			खालसी *	
कर्नाटक	गुलबर्गा *	गोकक	बुल्या *	
	मंगरोल *	जमखण्डी	दमदीम *	
	मैसूर *	कुम्टा	मधुगिरे *	
	रायचूर *	भतकल		
	हसन *	हरपनाहली		
	बंगलोर	बसावाकल्याण		
	(डीडी–2)	सागर		
		हंगगोंद		
		अरसीकेर		
		हाथीहल		
		दांदेली *		
		तुमकुर *		
		पुट्टूर *		
		मुड़ोल *		
		तालीकोटा *		
		इन्दी *		
		हूवीन हिप्पारगी *		
		हिरियायूर *		
		होसदुर्ग *		
		कुदलिगी *		
केरल	कालीकट□	काननगढ़	मुन्नार	
	कन्नानोर *	थिड्डूपुजा	कंजिरापल्ली	
		चिंगनपुर	ईरात्तूपेट्टा*	
		अदूर *	मुंडाकयाम*	
		पाला *	देवीकोलम *	

1	2	3	4	5
मध्य प्रदेश	अम्बिकापुर*	गदरवाड़ा	सिंगरौली	
	गुना*	कुकडेश्वर	कोंडागाव	
	शहडोल *	सिरोंज	बुधनी	
	सागर *	अशोकनगर	जशपुरनगर	
		खुरई	पाखंनजोर	
		मेहर	कोयलीबेदा *	
		बीजापुर	पेन्द्रा रोड *	
		लाहर	डायमण्ड मिनिंग *	
		भंडेर	मीदकपाल *	
		केलारस	बीजापुर□	
		सक्ति		
		गारोट *		
		राघोगढ़ *		
		भानपुरा *		
		नारायणगढ़ *		
		सितामऊ *		
		पिपारिया *		
		बडा मालेहरा *		
		खारोड़ *		
		सारंगढ *		
महाराष्ट्र	चन्द्रपुर *	चिपलुन	अदयाल टेकडी	बेदलपुर *
	जलगांव *	शिरपुर	करजात	
	बम्बई	मेहकर	खेड	
	(डीडी–3)	मोर्शो	राजापुर	
	महिपतगढ़	वनी	चिकलधरा	
		देवरूख	कालवान *	
		चखली	मल्कापुर *	
		महासले	भूकड*	
		नबापुर *		
		राबर *		
		पांढरकवडा *		
		रिसोड *		
		कारंजा/खारडा*		
		मनगांव *		
		खोपोली *		
		माहद *		
		उमरखेड *		
		सताना *		
		खानपुर *		

1	2	3	4	5
		मंगलावेधा *		
		आकलकोट *		
		सिरोंचा/कोटेला *		
		चांदुर *		
		दर्यापुर *		
		धादगांव *		
		नागपुर (डीडी–2) *		
मणिपुर	चुराचांदपुर	इम्फाल (डीडी–2)*	मोरेह	
			कांगपोक्पी	
			जिरीबम *	
मेघालय		शिलांग (डीडी–2) *	बाघमरा	शिलांग *
मिजोरम	लुंगलेह	सैहा	चम्फई	ऐजवाल *
		ऐजवाल (डीडी–2)		
नागालैण्ड	मोकोकचुंग	कोहिमा (डीडी–2) *	फेक	बड़ा बस्ती *
			सताखा	
उड़ीसा	बालेश्वर	नयागढ़	औल	
	बहरामपुर *	नौपाडा	केन्द्रपाड़ा	
	सम्बलपुर□	सोनेपुर	धूमल रामपुर	
		हिंडोल	मच्छकुंन्द *	
		मोहना	चित्राकुंडा *	
		कुचिन्दा	शिमलीगुडा*	
		तुसारा	काशीपुर	
		पदुआ *	लंगीगढ़ *	
		पटनागढ़ *	जयपटना *	
		दशरथपुर	बड़ा बरबिल *	
		कबासूर्यानगर	शिमलिपालगढ *	
		नरसिंहपुर		
		दुर्गापुर		
		तंगी/सोहेला/सुकिन्दा		
		बोनाई *		
		कारंजिया *		
		राजगैपुर *		
		उमरकोट *		
		बिरमित्रापुर *		
		खरियार *		
		शिमलीगुडा *		

1	2	3	4	5
पंजाब	फाजिल्का	अबोहर *		
राजस्थान	अजमेर *	बारेन	भीम	
	अनूपगढ़ *	बारी सदरी	फतेहपुर	
	बाड़मेर	हिंडौन	गंगापुर (गिलवाड़ा)	
	बीकानेर *	मकराना	लालसोट	
	जैसलमेर	करौली	लम्मणगढ़	
	जोधपुर	फलौदी	कोटरा *	
	नाथद्वारा *	राजगढ़ (चुरू)	जावर माइन्स *	
		माऊंट आबू	मीम्का थाना *	
		प्रतापगढ़		
		नोहर		
		नोखा		
		शाहपुरा		
		निमज		
		नवलगढ़*		
		सागवाड़ा *		
		कुशलगढ़ *		
		पिरावा *		
		नागर *		
		किशनगढ़ *		
		नशिराबाद *		
		भिमल *		
		सोजात *		
		बाली *		
		संचोर *		
		दारोवाड़ *		
सिक्किम			सिंगटम	
			रांगपो	
			जोरेथंग	
तमिलनाडु	धर्मापुरी *	अरानी	मेत्तूपलायम	
	कुंभकोणम *	गुडियातिम	वेलपराई	
	रामेश्वरम*	पट्टूकोट्टई	वेल्लूर	
	मद्रास	अत्तूर	वजापाडी	
	(डीडी–2)	शंकरण कोविल		
		उदगमंडलम		
		पुडुकोट्टई		
		कृष्णगिरि		
		उदमालपेट		

1	2	3	4	5
		नत्तम *		
		गिंगी *		
		पलानी *		
		मारथंडम		
		अम्बासामुद्रम *		
		देनकनिकोट्टा *		
		वन्दावासी *		
		चेय्यर *		
		कल्लीकुरेची *		
त्रिपुरा		कैलाशहर	धर्मनगर	
		तेलीमुरा		
		जोलाईबड़ी *		
		अमरपुर *		
		अम्बासा .*		
		अगरतला		
		(डीडी–2) *		
उत्तर प्रदेश	बलरामपुर *	अल्मोडा	बागेश्वर	
	बान्दा *	औरिया	चमोली	
	लखीमपुर *	गंज डुंडवाडा	चौखटिया	
	मऊ	हल्द्वानी (डी.डी.हाट)	जोशीमठ	
	सितापुर *	महोबा	देवप्रयाग	
	जालौन *	मौरानोपुर	लेंसडाऊन	
	चम्पावत *	नौगढ	प्रताप नगर	
		न्यू टेहरी	बिन्सर	
		रूदौली	बसोट/भिक्यासैन	
		कासगंज	कलंजी खल	
		कर्ण प्रयाग	गज्जा	
		नानपाडा	फतेह पर्वत	
		बाराकोट *	खेत पर्वत	
		लालगंज	राजगडी	
		(रायबरेली)	सिराकोटा/वैकुंठधाम	
		धुनाघाट *		
		नरोरा *	साहिया	
		खदौली *	मानेश्वर/लोहाघाट *	
		राठ *	धौसी/रूदौली *	
		तलबेहट *	मनिला *	
		महरोनी *	थरालि *	
		छिबरामऊ *	रूद्रप्रयाग *	

1	2	3	4	5
		अमरोहा *	नन्दप्रयाग *	
		करवी *	घन्दयाल *	
		दुधिनगर *	माणिकपुर *	
		कोसी *	नौगांवखल *	
		खेतिखान *		
पश्चिम बंगाल	बलूरघाट *	फरक्का	बाघमण्डी *	
	खड़कपुर *	रानाघाट		
	कृष्णानगर *	रायना		
	कलकत्ता	कल्ना		
	(डीडी–3)	गढबेटा *		
		बलरामपुर *		
		कूच बिहार *		
अंडमान और		पोर्ट ब्लेयर	ग्रेट निकोबार	
निकोबार द्वीपसमूह		(डीडी–2) *	हैवलॉक	
			कटछल	
			बारातंग	
दादर एवं नगर		सिल्वासा		
हवेली				
दमन और द्वीव		दीव *		
दिल्ली	दिल्ली	दिल्ली●		
	(डीडी–3)			
पांडिचेरी	पांडिचेरी *	पांडिचेरी (डीडी–2) *		

टिप्पणी :

@ 1 कि.वा. ट्रांसमीटर का 10 कि.वा. ट्रांसमीटर द्वारा प्रतिस्थापन।

□ 1 कि.वा का 10 कि.वा. में उन्नयन।

* स्कीम अभी अनुमोदित की जानी है।

● राज्य सभा की कार्यवाही को रिले करने हेतु अल्प शक्ति ट्रांसमीटर।

[अनुवाद]

बैंडिट क्वीन

230. **श्री श्रवण कुमार पटेल** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में सेंसर बोर्ड की स्वीकृति से पूर्व फूलनदेवी की आत्मकथा पर आधारित एक फिल्म "बैंडिट क्वीन" का प्रदर्शन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे;

(ग) क्या यह सच है कि जब एक ओर इस फिल्म "बैंडिट क्वीन" को प्रदर्शित करने का मामला निर्णयाधीन है तो दूसरी ओर इस फिल्म को सेंसर बोर्ड द्वारा प्रमाणित किए बिना ही विदेशी एजेंसियों, केबल टी.वी. के माध्यम से दिखाया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव): (क) और (ख). प्रेस रिपोर्टों के अनुसार विदेश में आयोजित कुछ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में उक्त फिल्म को दिखाया गया है। विदेश में दिखाई जा रही फिल्मों पर चलचित्र की अधिनियम, 1952 लागू नहीं होता।

(ग) और (घ). "बैंडिट क्वीन" फिल्म के संबंध में सरकार अथवा केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड किसी कानूनी मामले में पार्टी नहीं है। केबल टी.वी. के जरिए इस फिल्म को दिखाए जाने के बारे में कोई प्रामाणिक सूचना उपलब्ध नहीं है। फिल्मों के प्रदर्शन के संबंध में चलचित्र की अधिनियम, 1952 के उपबंधों को लागू करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारी/संघ शासित प्रशासनों पर है।

मेघालय में कोयले का उत्पादन

231. **श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोल इंडिया लि. ने मेघालय में खानों से कोयला निकालने का कोई काम हाथ में लिया है;

(ख) यदि हां, तो 1993–94 के दौरान कितने कोयले का उत्पादन किया गया है;

(ग) क्या कोल इंडिया लि. ने वैज्ञानिक खनन को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य में कोई प्रयोगात्मक खनन कार्य शुरू किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी.ए.संगमा) : (क) से (घ). कोल इंडिया लि. (को.इं.लि.) ने साउथ गारो हिल्स, मेघालय में सीम–सांग अन्वेषित खान में उत्खनन कार्य शुरू कर दिया है। वर्ष 1993–94 में इसे अन्वेषित खान मे 905 टन कोयले का उत्पादन किया गया था। को.इं.लि. द्वारा उत्खनित की जा रही अन्वेषित खान द्वारा मेघालय में वैज्ञानिक खनन को प्रोन्नत किए जाने की संभावना है।

रसोई गैस की मांग और आपूर्ति

232. **श्री अन्ना जोशी:**
श्री प्रकाश वी.पाटील:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में रसोई गैस की मांग और आपूर्ति का अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार खुली सामान्य लाइसेंस योजना के अंतर्गत गैस का आयात करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख). जी, हां। आठवीं योजना से पहले एल पी जी विपणन अध्ययन रिफाइनरियों और फ्रैक्शनेटिंग संयंत्रों से घरेलू एल पी जी से सम्बद्ध एल पी जी खपत कार्यक्रमों पर आधारित था। प्रमुख उद्देश्य मिट्टी तेल का आयात कम करना था। परन्तु घरेलू पाक ईंधन के रूप में एल पी जी की बढ़ती लोक प्रियता और उच्च सब्सिडी प्राप्त मूल्य के कारण मांग संभाव्यता में अत्यधिक वृद्धि हुई जो घरेलू उपलब्धता से अधिक हो गई। प्रतीक्षा सूची में बढोत्तरी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने तेल उद्योग से आठवीं योजना के दौरान व्यापक एल पी जी मांग संतृप्ति कार्यक्रम तैयार करने के लिए कहा जिसमें एल पी जी उत्पादन में वृद्धि के अलावा एल पी जी आयात सुविधाओं के विकास भी शामिल होगा ताकि मांग अंतर का आयात के द्वारा पूरा किया जा सके। तदनुसार आठवीं योजना एल पी जी कार्यक्रम तैयार किया गया जिसके अंतर्गत आठवीं योजना के अंत में मांग 4536 टी एम टी पी ए होने का अनुमान था। इसमें एल पी जी का घरेलू उत्पादन 1992–93 में 2.278 एम एम टी पी ए से बढ़कर अंतिम वर्ष में 3.818 एम एम टी पी ए होने तथा 1996–97 तक कांडला और मंगलौर प्रत्येक में 0. 6 एम एम पी ए की आयात क्षमता की नई बदरगाह सुविधाओं की परिकल्पना भी की गई थी।

(ग) और (घ). एल पी जी के आयात पर से नियंत्रण हटा लिया गया है। अब कोई भी व्यक्ति एल पी जी का आयात कर मुक्त रूप से कर सकता है। मांग और घरेलू उत्पादन में अंतर को पूरा करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कम्पनियां भी एल पी जी का आयात कर रही है।

रसोई गैस एजेंसियां और पेट्रोल खुदरा विक्रय केन्द्र

233. **श्री आर.जीवरत्नम:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तमिलनाडु में 1994 के दौरान मंजूर किए गए पेट्रोल/डीजल पम्पों और रसोई गैस एजेंसियों का ब्यौरा क्या है,

(ख) राज्य में पेट्रोल/डीजल पम्पों और रसोई गैस एजेंसियों के आबंटन हेतु कितने आवेदन लम्बित पड़े हैं; और

(ग) इन्हें कब तक निपटा दिया जायेगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा): (क) रिपोर्ट है कि वर्ष 1994 के दौरान अब तक तमिलनाडु में 20 खुदरा बिक्री केन्द्र की डीलरशिपें तथा 49 एल पी जी की डिस्ट्रीब्यूटरशिपें आबंटित की गयी है।

(ख) और (ग). तमिलनाडु की चालू विपणन योजना में गत विपणन योजनाओं के लंबित स्थानों के अतिरिक्त 90.96 खुदरा बिक्री केन्द्रों तथा 50 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के प्रस्ताव शामिल किए गए हैं। डीलरों/डिस्ट्रीब्यूटरों का चयन तेल चयन बोर्ड के माध्यम से किया जाता है। लगातार साक्षात्कार लिए जा रहे हैं। विज्ञापन के उपरान्त डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप को शुरू करने में लगभग 1 से 2 वर्षों का समय लगता है।

जल का वितरण

234. **श्री के प्रधानी:** क्या **जल संसाधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं के जल के प्रबन्धन और वितरण में स्वयं सेवी संगठनों को शामिल करने का प्रस्ताव किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बारे मे सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

झरिया कोयला खान

235. **श्री लाल बाबू राय:**
श्री राम टहल चौधरी:

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या झरिया कोयला खानों में लगी आग पर अब तक नियंत्रण नहीं पाया गया है और यह तेजी से अन्य नई कोयला खानों में फैलती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इस आग के कारण अब तक कितने मूल्य का कोयला राख में बदल गया है; और

(ग) सरकार ने इस आग को बुझाने के लिए क्या उपाय किए हैं?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी.ए.संगमा): (क) भारत कोकिंग कोल लि. (भा.को.को.लि.) द्वारा किए गए इन निरन्तर प्रयासों के फलस्वरूप 5 आगों को बुझा दिया गया है और 6 आगों को फैलने से रोक दिया गया है।

(ख) झरिया कोयला श्रेत्र में आग के कारण कोयले के भंडारों में हुई हानि का सही रूप में ब्यौरा देना कठिन है। किन्तु, यह अनुमान लगाया गया है कि लगभग 37 मि.टन कोयले के भंडारों की आग के कारण क्षति हुई है।

(ग) झरिया कोयला क्षेत्र की आगों की समस्या के दीर्घावधि समाधान का पता लगाए जाने के उद्देश्य से झरिया खान अग्नि नियंत्रण तकनीकी सहायता परियोजना के अंतर्गत एक विस्तृत नैदानिक अध्ययन शुरू किया गया है, जिसके लिए 12.00 मिलियन अमरीकी डालर की विश्व बैंक की सहायता अनुमोदित की गई है।

कच्चा तेल

236. **श्री छेदी पासवान:**
श्री रामकृपाल यादव:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) देश मे कच्चे तेल और प्ररिष्कृत तेल की प्रति लिटर लागत कितनी है;

(ख) कच्चे तेल का प्रति लिटर विक्रय मूल्य कितना है;

(ग) क्या अन्य देशों की तुलना में देश में कच्चे तेल का विक्रय मूल्य काफी अधिक है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख). उपकर, रायल्टी तथा बिक्री पर सम्मिलित करते हुए रिफाइनरियों द्वारा स्वदेशी कच्चे तेल के संबंध में देय प्रचलित मूल्य अस्थायी रूप से 3296 रूपये प्रति मी. टन नियत है। कच्चे तेल से उत्पादित प्रमुख उत्पाद तथा उनके संबंध में भण्डार स्थल पर उच्चतम बिक्री मूल्य संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ). जहां तक पेट्रोलियम उत्पादों के घरेलू मूल्यों का संबंध है इनकी इस प्रकार संरचना की जाती है ताकि अनावश्यक उपयोग को हतोत्साहित किया जा सके। अन्तर-ईंधन प्रतिस्थापन की प्रोन्नति की जा सके तथा समाज के कमजोर वर्ग को समाजिक आर्थिक कारणों से आवश्यक ईधनों से संबंधित सहायता दी जा सके। केरोसीन तथा डीजल इत्यादि सामूहिक उपभोग की मदों के संबंध में मूल्य कम (रियायती) रखे जाते हैं तथा विमानन ईंधन, मोटर स्प्रिट इत्यादि जैसे उत्पाद इस तरह मूल्यीकृत किए जाते हैं ताकि उनके अनावश्यक उपयोग को हतोत्साहित किया जा सके। इसलिए पेट्रोलियम उत्पादों संबंधी देशी मूल्य अन्य देशों में प्रचलित मूल्यों से तुलनीय नहीं हैं।

विवरण

मुख्य शासित मूल्य वाले पेट्रोलियम उत्पादों के भण्डार स्थल पर मूल्य

उत्पाद	इकाई	उत्पाद शुल्क को छोड़कर भण्डार स्थल पर मूल्य 1 मार्च, 1994 से प्रभावी
एम एस-87	के एल	12844.34
एम एस-93	के एल	15344.34
एच एस डी ओ	के एल	5717.28
एस के ओ (अन्य)	के एल	5014.33
एस के ओ (घरेलू)	के एल	2001.40
एल डी ओ	के एल	5587.55
ए टी एफ (घरेलू)	के एल	9852.33
नेपथा (एफ)	एम टी	3722.78
नेपथा (एन एफ)	एम टी	6075.69
एफ ओ (एफ)	के एल	2812.43
एफ ओ (एन एफ)	के एल	4535.28
एल एस एच एस (एफ)	एम टी	2851.57
एल एस एच एस (एफ एफ)	एम टी	4804.07
एल पी जी पैक्ड (घरेलू)	एम टी	5309.19
एल पी जी पैक्ड (गैर-घरेलू गैर जरूरी)	एम टी	11443.43
एल पी जी पैक्ड (गैर घरेलू गैर जरूरी)	एम टी	12881.28
एल पी जी बल्क (जरूरी)	एम टी	10164.28
एल पी जी बल्क (गैर जरूरी)	एम टी	11601.78
बिटुमन (बल्क)	एम टी	4125.02
बिटुमन (पैक्ड)	एम टी	4781.35
मैच वैक्स	एम टी	12157.49
पैराफिन वैक्स (प्रथम श्रेणी)	एम टी	15408.01
पैराफिन वैक्स (पी.ग्रेड)	एम टी	15531.98

[अनुवाद]

विकलांगों का कल्याण

237. **श्री धर्मण्णा मोंडयया सादुल** : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा 1994–95 के दौरान विकलांगों आदि के कल्याण संबंधी विभिन्न कार्यों के लिए अनुदान सहायता की मांग के संबंध में स्वयंसेवी और सामाजिक संगठनों से प्राप्त कुछ नए प्रस्तावों पर विचार किया गया था;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) आगामी वर्षों के दौरान इन संगठनों को अनुदान सहायता प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) ऐसे संगठनों के लिए सहायता–अनुदान हेतु और अधिक धन प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

कोयले की आपूर्ति

238. **श्री चेनल पी.एस.चौहान** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोल इंडिया लि. ने राज्य बिजली बोर्डों को केवल नकद भुगतान पर कोयले की आपूर्ति करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर राज्य बिजली बोर्डों की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) 1993–94 के दौरान राज्य बिजली बोर्डों द्वारा कोल इंडिया लि. को कितनी धनराशि का भुगतान किया जाना है; और

(घ) बकाया राशि की वसूली के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी.ए.संगमा) : (क) जी, हां। कोल इंडिया लि. ने दिनांक 1.10.1991 से राज्य विद्युत बोर्डों को कोयले की आपूर्ति किए जाने के लिए "कैश एंड कैरी" प्रणाली आरंभ की है। इस प्रणाली के अंतर्गत राज्य विद्युत बोर्डों को कोयले की आपूर्ति के लिए अग्रिम अदायगी किया जाना अपेक्षित है।

(ख) शुरूआत में "कैश एंड कैरी" प्रणाली अच्छी तरह चली, किन्तु धीरे–धीरे इस प्रणाली के लाभकारिता समाप्त होने लगी और राज्य विद्युत बोर्ड अधिकांश मामलों में अग्रिम रूप से अदायगी नहीं कर रहे हैं।

(ग) 31.10.1994 की स्थिति के अनुसार कोयले की आपूर्ति किए जाने के लिए विद्युत क्षेत्र की ओर कोल इंडिया लि. की देय बकाया राशि 3411 करोड़ रूपए (अनंतिम) की है।

(घ) विद्युत उपयोगिताओं से कोल इंडिया लि. की देय बकाया राशि की वसूली करने तथा देय बकाया राशि पर रोक लगाए जाने के लिए को.इं.लि./सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं:

(1) कोयला मंत्रालय ने कोयला कंपनियों को यह परामर्श दिया है कि वे विद्युत गृहों को कोयले की आपूर्ति केवल अग्रिम अदायगी अथवा लेटर आफ क्रेडिट के एवज में ही करें।

(2) विद्युत मंत्रालय तथा कोयला मंत्रालय, कोयला कंपनियों की देय बकाया राशि का निपटारा किए जाने के लिए राज्य विद्युत बोर्डों के साथ आवधिक रूप में विचार–विमर्श कर रही हैं।

(3) कोयला कंपनियां राज्य विद्युत बोर्डों के साथ भी विचार–विमर्श कर रही हैं ताकि देय बकाया राशि का निपटारा किया जा सके तथा उन्हें अदायगी किए जाने के लिए राजी किया जा सके।

(4) विवाहित देय बकाया राशि के मामलों को निर्णयकर्ता को संदर्भगत किया जाएगा जिसके विवादित दावों का निपटारा किए जाने के लिए इस प्रयोजन के लिए नियुक्ति की जानी है।

दिल्ली पुलिस

239. **डा. अमृतलाल कालिदास पटेल** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पुलिस की मनमानी पर अंकुश लगाने के लिए दिल्ली पुलिस के एक विशेष दल गठित किए जाने के पश्चात् गत तीन माह के दौरान कितने मामलों की छानबीन की गई;

(ख) कितने पुलिस कर्मियों के विरूद्ध कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को राज्यों में ऐसे ही दल बनाने के अनुदेश दिए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम.सईद): (क) और (ख). पुलिस की मनमानी पर रोक लगाने के लिए दिल्ली पुलिस ने ऐसा कोई दल गठित नहीं किया है।

(ग) जी नहीं, श्रीमान्।

(घ) प्रश्न नहीं उठता है।

राज्य विद्युत बोर्डों पर बकाया

240. **श्री रामपाल सिंह** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:–

(क) क्या राज्य विद्युत बोर्डों/विघुत केन्द्रों पर विभिन्न कोयला खानों की कोयला सप्लाई की भारी धनराशि बकाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बकाया राशि की वसूली के लिए क्या कदम उठाए गए है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी.ए.संगमा) : (क) और (ख).जी, हां। 31.10.1994 की स्थिति के अनुसार कोयले की आपूर्ति किए

जाने के लिए विद्युत क्षेत्र की ओर कोल इंडिया लि. की देय बकाया राशि 3411 करोड़ रूपए (अनंतिम) की है।

(ग) विद्युत उपयोगिताओं से कोल इंडिया लि. की देय बकाया राशि की वसूली करने तथा देय बकाया राशि पर रोक लगाए जाने के लिए को.इं.लि./सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं:

(1) कोयला मंत्रालय ने कोयला कंपनियों को यह परामर्श दिया है कि वे विद्युत गृहों को कोयले की आपूर्ति केवल अग्रिम अदायगी अथवा लेटर-आफ-क्रेडिट के एवज में ही करें।

(2) विद्युत मंत्रालय तथा कोयला मंत्रालय, कोयला कंपनियों की देय बकाया राशि का निपटारा किए जाने के लिए राज्य विद्युत बोर्डों के साथ आवधिक रूप में विचार-विमर्श कर रही है।

(3) कोयला कंपनियां राज्य विद्युत बोर्डों के साथ भी विचार-विमर्श कर रही हैं ताकि देय बकाया राशि का निपटारा किया जा सके तथा उन्हें अदायगी किए जाने के लिए राजी किया जा सके।

(4) विवादित देय बकाया राशि के मामलों को निर्णयकर्ता को संदर्भगत किया जाएगा जिसकी विवादित दावों का निपटारा किए जाने के लिए इस प्रयोजन के लिए नियुक्ति की जानी है।

[अनुवाद]

तिहाड़ जेल के कैदी

241. **श्री तारासिंह :**
श्री अरविन्द त्रिवेदी :
श्री विश्वनाथ शास्त्री :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तिहाड़ जेल के कैदियों की मौतों के मामलों मे हाल ही में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो 1992, 1993 और 1994 के दौरान कितनी मौतें हुई हैं;

(ग) इन मौतों के क्या कारण थे;

(घ) क्या स्वयंसेवी संगठनों ने जेल में होने वाली ज्यादतियों की जांच का आग्रह किया है;

(ङ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है,

(च) क्या तिहाड जेल में बन्द खूंखार अपराधी साधारण कैदियों से "जबरी चौथ" वसूल करते हैं;

(छ) यदि हां, तो सरकार ने ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(ज) क्या सरकार का विचार साधारण कैदियों को खूंखार अपराधियों से दूर रखने के लिए अलग वार्ड बनाने का है; और

(झ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) जी नहीं, श्रीमान्

(ख) और (ग). राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार ने सूचित किया है कि गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय जेल, तिहाड़, में हुई मौतों की संख्या निम्न प्रकार है:

1992 41

1993 37

1994 26

(30.11.1994 तक)

(घ) जी नहीं, श्रीमान्

(ङ) उपर्युक्त (घ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(च) ऐसा कोई मामला सरकार की जानकारी में नहीं आया है।

(छ) उपर्युक्त (च) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ज) और (झ) केन्द्रीय जेल संख्या-1 और सं.-2 जहां खूंखार अपराधियों को रखा जाता है, में उच्च सुरक्षा व्यवस्था वाले वार्ड स्थापित किए गए हैं। जेल में रहते हुए इन्हें कैदियों के साथ मुक्त रूप से घुलने-मिलने नहीं दिया जाता है।

राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम

242. **श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड का पुनर्गठन कर उसे पुनः चालू करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कब तक निर्णय लेकर लागू किया जायेगा; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ कितने पूंजी निवेश की आवश्यकता होगी?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) से (ग). कृषि संबंधी स्थायी समिति ने राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम मर्यादित को सक्रिय बनाने तथा उसमें नयी जान फूंकने की सिफारिश की है। राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम मर्यादित के भविष्य के बारे में विभिन्न विकल्पों पर विचार किया जा रहा है।

[हिन्दी]

बाढ़ नियंत्रण

243. **श्री अरविन्द त्रिवेदी** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने केन्द्रीय सरकार को गत 6 महीनों के दौरान राज्य में बाढ और भूमि कटाव पर नियंत्रण संबंधी कोई योजना भेजी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

बांग्लादेशी राष्ट्रिक

244. **डा. कृपासिन्धु भोई :**
श्री गुरूदास कामत :
कुमारी सुशीला तिरिया :
श्री राम नाइक :
श्री परशराम भारद्वाज :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न भारतीय राज्यों में बांग्लादेशी राष्ट्रिकों की भारी घुसपैठ हुई है;

(ख) यदि हां, तो अभी प्रत्यक राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र में कितने बांग्लादेशी राष्ट्रिक रह रहे हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस घुसपैठ को रोकने के लिए नए कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख). देश के विभिन्न भागों में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी प्रवासी अवैध रूप से रह रहे हैं। उनकी ठीक-ठीक संख्या का अनुमान लगाना कठिन है क्योंकि वे चोरी-छिपे प्रवेश करते हैं तथा जातीय और भाषाई समानताओं के कारण बडी सरलता से स्थानीय जनता के साथ घुल-मिल जाते हैं।

(ग) और (घ). बंगलादेशी नागरिकों की घुसपैठ की रोकथाम करने के लिए किए जा रहे/किए गए उपायों में, सीमा सुरक्षा बल द्वारा गहन गश्त लगाना, इसके वाटर-विंग को सुदृढ बनाना, सीमा सड़कों की निर्माण करने और बाड लगाने के लिए तेज कार्यक्रम चलाना, विदेशियों की घुसपैठ की रोकथाम करने (पी. आई. एफ) मोबाईल टास्क फोर्स (एम. टी. एफ) योजनाओं को मजबूत बनाना, वीजा नियंत्रण प्रणाली का कम्प्यूटरीकरण करने इत्यादि जैसे विभिन्न उपाय शामिल हैं।

तेल एवं प्राकृतिक गैस का उत्पादन

245. **डा. खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में तेल एवं प्राकृतिक गैस की मांग तथा पूर्ति का राज्य-वार वार्षिक ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या तेल एवं प्राकृतिक गैस का उत्पादन देश की आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके उत्पादन को बढ़ाने तथा इसके आयात को कम करने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) राज्यों को कच्चे तेल का आबंटन नहीं किया जाता। 1993-94 में प्राकृतिक गैस की राज्यवार मांग और आपूर्ति संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) कच्चे तेल और प्राकृतेक गैस के घरेलू उत्पादन में वृद्धि करने हेतु अनेक उपाय किए गए हैं। इनमें नए तेल और गैस क्षेत्रों का विकास तथा कुछ वर्तमान क्षेत्रों का अतिरिक्त विकास शामिल है।

विवरण

1993-94 में प्राकृतिक गैस की राज्यवार मांग और आपूर्ति

(एम. एम. एस. सी. एम. डी.)

राज्य	मांग	आपूर्ति
आन्ध्र प्रदेश	1.75	1.62
असम	2.21	2.21
दिल्ली	1.04	0.77
गुजरात	15.32	12.53
हरियाणा	0.41	0.32
मध्य प्रदेश	1.80	1.72
महाराष्ट्र	11.69	9.20
पांडिचेरी	0.10	0.09
राजस्थान	3.09	2.16
तमिलनाडु	0.12	0.06
त्रिपुरा	0.35	0.28
उत्तर प्रदेश	8.47	6.30
योग	46.35	37.26

नोट : मांग के आकडे केवल उन यूनिटों के संबंध में दिए गए हैं जिन्हें गैस आबंटित है।

पेट्रोलियम उत्पाद

246. **श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कच्चे तेल, मिट्टी के तेल, पेट्रोल और डीजल का देश में पहुचने, सीमाशुल्क और परिशोधन लागत के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान मूल्य का अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन उत्पादों के तुलनात्मक मूल्य का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों पर नियंत्रण हेतु क्या कदम उठाने का विचार है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग). पेट्रोलियम उत्पादों–मिट्टी तेल, पेट्रोल, डीजल आदि के उत्पादन के लिए कच्चा तेल का उत्पादन अंशतः घरेलू रूप से किया जाता है और शेष का आयात किया जाता है। घरेलू क्रूड के लिए रिफाइनरियों द्वारा भुगतान किया गया वर्तमान मूल्य उपकर, रायल्टी और विक्रय कर सहित 3296 रूपये प्रति मि. टन है। आयोजित क्रूड का मूल्य समय–समय पर भिन्न–भिन्न होता है। वर्तमान वर्ष के दौरान भुगतान किया गया औसत मूल्य 35 प्रतिशत सीमा शुल्क सहित 5212 रूपये प्रति मि. टन रहा है। पेट्रोलियम उत्पादों का मूल्य निर्धारण तंत्र इस प्रकार रचित किया गया है जिससे कि अनावश्यक उपयोग को हतोत्साहित किया जाए, अंतर ईंधन प्रतिस्थापन को बढावा मिले और समाज के कमजोर वर्गों को सामाजिक आर्थिक कारणों से आवश्यक ईंधन सब्सिडी मिले। इस प्रयोजन के लिए मिट्टी तेल, एल. पी. जी. (घरेलू) और डीजल आदि का मूल्य कम रखा जाता है और विमानन ईंधन, मोटर स्पिरिट आदि जैसे उत्पादों का ऐसे ढंग से मूल्य निर्धारण किया जाता है जिससे कि उनके अनावश्यक प्रयोग को निरुत्साहित किया जा सके। इसलिए पेट्रोलियम उत्पादों का घरेलू मूल्य उतराई लागत पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों से तुलनीय नहीं है। पिछले तीन वर्षों के दौरान मिट्टी तेल, पेट्रोल और डीजल के भण्डारण स्थल पर अधिकतम विक्रय मूल्य निम्नानुसार दिए गए हैं:

रूपये/ मानक इकाई (कि. लि.)

	25.7.91 से	16.9.92 से	2.2.94से	1.3.94*
मिट्टी तेल(घरेलू)	2201.54	2201.54	2201.54	2001.40
मिट्टी तेल (अन्य)	4178.71	5515.76	5515.76	5014.33
पेट्रोल	13416.11	14413.21	15413.21	12844.34
डीजल	4541.91	5539.01	6289.01	5717.28

*सी. ई. शुल्क छोड़कर

[हिन्दी]

ग्रेवेरा परियोजना

247. **श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने दक्षिण–पूर्व कोयला डिवीजन की ग्रेवेरा परियोजना के लिए ऋण लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ग्रेवेरा परियोजना के लिए खरीदी गई फालतू मशीनें कर्मशाला में अप्रयुक्त पड़ी हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और कारण क्या है?

(ङ) क्या विश्व बैंक ने ग्रेवेरा परियोजना का निरीक्षण किया है, और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय के कोयला राज्य मंत्री तथा कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी.ए. संगमा) : (क) और (ख). जी, हां। विश्व बैंक ने साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (सा. ई. को. लि.) की ग्रेवेरा ओपेनकास्ट परियोजना के लिए 65.2 मिलियन अमेरिकी डालर के ऋण की स्वीकृति दी है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता है।

(ङ) और (च). विश्व बैंक के एक दल ने जुलाई, 1994 में ग्रेवेरा परियोजना तथा "विजयनगर" गांव के पुनर्वास स्थल का दौरा किया था।

[अनुवाद]

नेपाल में गिरफ्तार पुलिस अधिकारी

248. **श्री जार्ज फर्नान्डीज** :
श्री राम नाईक :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल में महाराष्ट्र के कतिपय पुलिस अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है और वे वहां की सरकार की हिरासत में है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन पुलिस अधिकारियों की रिहाई के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख). नेपाली अधिकारियों द्वारा 7 अगस्त, 1994 को नेपालगंज में महाराष्ट्र की एक पुलिस पार्टी, जिसमें एक पुलिस उप–निरीक्षक और 4 पुलिस कांस्टेबल थे, को निरूद्ध किया गया। यह पार्टी थाणे, महाराष्ट्र से एक हत्या के मामले की जांच पड़ताल के सिलसिले में नेपाल गयी थी।

(ग) सरकार ने उन्हें छुडवाने के लिए सभी सम्भव प्रयास किए और इसके परिणामस्वरूप निरूद्ध किए गए पुलिस अधिकारियों को 20 नवम्बर, 1994 को रिहा किया गया। इस मामले में इसलिए विलम्ब हुआ क्योंकि नेपाली अधिकारी इस बात पर जोर दे रहे थे कि उन्हें इस मामले के सभी पहलुओं की जांच सावधानी से करनी है।

[हिन्दी]

सिंचाई निधि का उपयोग

249. **श्री नीतीश कुमार** :
डा. महादीपक सिंह शाक्य :
श्रीमती वसुन्धरा राजे :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 12 अक्तूबर, 1994 के "स्टेटमैन" में "इरीगेशन फंड लाइंग अनयूज्ड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) इस संबंध में केन्द्रीय सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(ङ) विदेशों से लिए गए ऋण/सहायता राशि में से कितनी धनराशि अप्रयुक्त पड़ी है; और

(च) सरकार द्वारा उक्त ऋण पर मार्च, 1994 तक कितने ब्याज का भुगतान किया गया?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) से (घ). जी, हां। 158 वृहद, 226 मझौली तथा 98 विस्तार/नवीकारण/आधुनिकीकरण सिंचाई परियोजनाओं को आठवीं योजना मे आगे लाया गया है। इनमें 24812000 हेक्टेयर चरम सिंचाई क्षमता की परिकल्पना की गई है तथा 65576 करोड रूपए की अनुमानित लागत है। इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए अपेक्षित 40,563 करोड़ रूपए की राशि के मुकाबले इनके लिए आठवीं योजना परिव्यय 22,400 करोड़ रूपए है। परियोजनावार आठवीं योजना परिव्यय को ध्यान में रखते हुए आठवीं योजना में 55 वृहद, 98 मझौली और 15 विस्तार/नवीकरण/आधुनिकीकरण परियोजनाओं को पूरा करने का कार्यक्रम है।

सिंचाई राज्यों का विषय है तथा सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, प्रतिपादन और वित्त पोषण राज्य सरकारों द्वारा अपने योजनागत संसाधनों से किया जाता है। तथापि, सिंचाई परियोजनाओं को समय से पूरा करना सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय जल आयोग को चुनिन्दा परियोजनाओं के प्रबोधन का कार्य सौंपा गया है।

(ङ) और (च). सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभापटल पर रख दी जाएगी।

अफगान शरणार्थियों की स्वदेश वापसी

250. श्री विश्वनाथ शास्त्री : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अफगानिस्तान से भारत आए सभी अफगान शरणार्थियों को अफगानिस्तान वापिस भेज दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस समय ऐसे कितने अफगान शरणार्थी भारत में रुके हुए हैं;

(ग) क्या सरकार इन शरणार्थियों को स्वदेश वापिस भेजने के लिए कदम उठा रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इन शरणार्थियों की कब तक स्वदेश वापस भेज दिए जाने की सम्भावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख). जी नहीं, श्रीमान्/बड़ी संख्या में अफगानी नागरिक भारत में आए हैं परन्तु सरकार द्वारा उन्हें शरणार्थियों के रूप में मान्यता नहीं दी गई है। तथापि, शरणार्थियों के लिए यूनाइटेड नेशन्स के हाई कमीश्नर के आकडों के अनुसार उनके कार्यालय में 31.10.94 तक लगभग 22,689 अफगानी शरणार्थियों के रूप में पंजीकृत हैं।

(ग) से (च). अफगानिस्तान में खराब राजनैतिक परिस्थितियों को देखते हुए, अफगानी शरणार्थियों को स्वदेश नहीं भेजा गया है। तथापि, वे तीसरे देशों मे बस जाने का प्रयास कर रहे हैं।

पाक प्रशिक्षित आतंकवादी

251. डा. लाल बहादुर रावल:
श्री हरिन पाठक :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत छः माह के दौरान पाकिस्तान में प्रशिक्षित आतंकवादियों ने भारी संख्या में पश्चिमी सीमा से भारत में प्रवेश किया है;

(ख) यदि हां, तो उनमें से कितने आतंकवादी पकडे गए;

(ग) उनमें से कितने आतंकवादियों को रिहा कर दिया गया; और

(घ) सीमा-पार से आतंकवादियों की घुसपैठ को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए सुधारात्मक कदमों का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग). भारत में, प्रशिक्षित उग्रवादियों की घुसपैठ कराने की पाकिस्तानी कोशिशें अबाध रूप से जारी हैं। अतः निश्चित आंकडे बताना संभव नहीं है।

(घ) सरकार चौकस है और आसूचना तंत्र को सक्रिय बनाकर, केन्द्र और राज्यों की संबंधित एजेंसियों द्वारा आसूचना का आदान-प्रदान करने और समन्वित कार्रवाई सुनिश्चित करके, महत्वपूर्ण स्थलों पर पुलिस/अर्द्ध सैनिक बलों की संख्या में वृद्धि और तैनाती, संघन गश्त, नदी तटीय, क्रीक क्षेत्रों मे गश्त के लिए बोट्स, मोटर बोट्स/की आपूर्ति, स्थल-तटीय सीमाओं पर अतिरिक्त चेक पोस्ट स्थापित कर, दिन और रात के समय सीमा पार से घुसपैठ को रोकने के लिए विभिन्न उपकरणों की आपूर्ति करके सभी जरूरी उपाय कर रही है।

दिशा निर्देशों का कार्यान्वयन

252. डा. महादीपक सिंह शाक्य : क्या **जल संसाधन मंत्री** 24 फरवरी, 1994 के अतारांकित प्रश्न संख्या 611 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने उन शेष राज्यों में, जहां इन दिशा निर्देशों को अभी तक कार्यान्वित नही किया गया है, इन दिशा निर्देशो के कार्यान्वयन हेतु कुछ विशेष कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में अब तक क्या उपलब्धि रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) और (ख). जी, हां। सभी राज्य सरकारों को जल प्रबन्ध में कृषकों को शामिल करने के

लिए वर्ष 1987 में जारी किए गए मार्गनिर्देशों को क्रियान्वित करने की सलाह समय समय पर दी जा रही हैं। 11 नवम्बर, 1994 को जल संसाधन मंत्रालय द्वारा इन मार्गनिर्देशों को क्रियान्वित करने के लिए सभी राज्य सचिवों (कमान क्षेत्र विकास) को संबोधित किया गया है। सिंचाई प्रबन्ध में कृषकों की भागीदारी पर अनेक संगोष्ठियां कार्यशालाएं तथा बैठकें, जो विभिन्न राज्यों में आयोजित की गई थीं, से जल प्रयोक्ता संघ स्थापित करने की वांछनीयता के बारे में व्यापक जागरूकता आयी है। ये प्रयास आगे भी जारी हैं।

(ग) और (घ). जल प्रयोक्ता संघ बनाने के लिए विभिन्न राज्यों से प्राप्त हुई अनुक्रिया में बढ़ोत्तरी हुई है। सिंचाई परियोजनाओं, जिनमें जल प्रयोक्ता संघ बनाये गये हैं, की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

उन सिंचाई परियोजनाओं, जहां विभिन्न राज्यों में जल प्रयोक्ता संघ बनाये गये हैं, की संख्या निम्नवत् है :

क्र.सं.	राज्य का नाम	परियोजनाओं की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	2
2.	असम	1
3.	बिहार	4
4.	हरियाणा	4
5.	हिमाचल प्रदेश	3
6.	गुजरात	7
7.	कर्नाटक	4
8.	जम्मू व कश्मीर	2
9.	केरल	10
10.	मध्य प्रदेश	23
11.	महाराष्ट्र	10
12.	मणिपुर	2
13.	राजस्थान	2
14.	तमिलनाडु	5
15.	उत्तर प्रदेश	7
16.	उड़ीसा	4
17.	पश्चिम बंगाल	3
	कुल	93

[अनुवाद]

तीस्ता बराज परियोजना

253. श्री अमर रायप्रधान : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में तीस्ता बराज परियोजना के तीस्ता ज़लधारा मे कैनाल (लैफ्ट बैंक कैनाल) का कार्य धन की कमी के कारण धीमा और निर्धारित मूल समय-सीमा से पीछे चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार ने इस परियोजना को पर्याप्त धन देने के लिए क्या कदम उठाये हैं;

(ग) क्या इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने के लिए केन्द्र सरकार को संसद सदस्यों अथवा किसी अन्य संगठन की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाये है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) जी, हां।

(ख) इस परियोजना के लिए वर्ष 1983-84 के दौरान 5 करोड़ रूपए की विशेष केन्द्रीय सहायता और वर्ष 1986-87 के दौरान 15 करोड रूपए तथा वर्ष 1987-88 के दौरान 10 करोड़ रूपए की अग्रिम योजना सहायता उपलब्ध करायी गई थी। भारत सरकार इस परियोजना के लिए आठवीं योजना में 160 करोड़ रूपए के अनुमोदित परिव्यय के अतिरिक्त, आठवीं योजना के दौरान 150 करोड़ रूपए की केन्द्रीय सहायता प्रदान करने के लिए सहमत थी। योजना आयोग ने वर्ष 1993-94 के दौरान 67 करोड रूपए (केन्द्रीय सहायता 30 करोड़ रूपए + योजना परिव्यय 37 करोड़ रूपए) तथा वर्ष 1994-95 के दौरान 80 करोड़ रूपए (केन्द्रीय सहायता 32 करोड रूपए + योजना परिव्यय 48 करोड़ रूपए) की व्यवस्था की है।

(ग) जी, हां।

(घ) तीस्ता बराज परियोजना सहित कुछ सिंचाई परियोजनाओं को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने के प्रस्ताव को योजना आयोग ने समर्थन नहीं किया है।

[हिन्दी]

आकाशवाणी पर उर्दू कार्यक्रम

254. श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :
श्री रामकृपाल यादव :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के कार्यक्रमों में उर्दू कार्यक्रमों को उचित महत्व नहीं दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या आकाशवाणी के उर्दू एकक की उपेक्षा की जा रही है;

(घ) यदि हा, तो इसके क्या कारण है;

(ङ) क्या आकाशवाणी की उर्दू सेवा का प्रसारण केवल विदेशियों के लिए किया जा रहा है और देशवासियों को इन कार्यक्रमों से वंचित रखा जा रहा है;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) इस संबंध मे क्या कदम उठाए गए हैं। उठाये जाने का विचार है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ड.) जी, नहीं। राष्ट्रीय चैनल और आकाशवानी के 37 अन्य केन्द्रों से देश के श्रोताओं हेतु उर्दू में कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, आकाशवाणी के विदेश सेवा प्रभाग की उर्दू सेवा को समग्र देश में पूर्णतया सुना जाता है।

(च) और (छ). प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

तेल परियोजनाएं/योजनाएं

255. **श्री दिलीप भाई संघाणी** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य तेल क्षेत्र से संबंधित परियोजनाओं/योजनाओं का ब्यौरा क्या है जो सरकार के पास विचाराधीन है;

(ख) इन परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान करने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) इन परियोजनाओं/योजनाओं को कब तक मंजूरी प्रदान कर दी जाएगी?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख). गुजरात में तेल क्षेत्र से संबंधित निम्नांकित परियोजनाएं/योजनाएं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संसाधित होने के विविध स्तरों पर हैं :

1. ओ. एन. जी. सी. के. ब्यूल (मैन) स्थित इनसिटु-कमबस्सन में वाणिज्यीकरण।
2. ओ. एन. जी. सी. के. सन्थाल फेज -2 पर स्थित इनसिटु-कमबस्सन का अनुप्रयोग।
3. निवेश अनुमोदन हेतु गुजरात रिफाइनरी विस्तार के संबंध में प्रस्ताव।
4. गंधार में गैस संसाधन परिसर के संबंध में गैस अथारिटी आफ इंडिया लि. का प्रस्ताव।
5. सिक्का में विपणन टर्मिनल के निर्माण तथा सिक्का से कांडला तक एम. एस., एस. के. ओ. तथा एच. एस. डी. के परिवहन के संबंध में पेट्रोलियम उत्पाद पाइप लाइन बिछाने हेतु भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड का प्रस्ताव।
6. वाडीनार में कच्चे तेल टर्मिनल के निर्माण के संबंध में भारत पेट्रोलियम कारपोरशन लि. का प्रस्ताव।
7. पेट्रोलियम उत्पादों की संभाल/आयात हेतु आधारभूत सुविधाएं विकसित करने के लिए मैसर्स गुजरात गैस कम्पनी लि. के साथ संयुक्त उद्यम कम्पनी के संबंध मे अनुमोदन हेतु भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड का प्रस्ताव।
8. गुजरात में खोजे गए तेल एवं गैस क्षेत्रों के विकास के लिए प्रथम प्रस्ताव के तहत निजी कम्पनियों के साथ संविधाएं हस्ताक्षर किया जाना निम्नांकित ब्यौरो के अनुसार प्रगति पर है:

कम्पनी का नाम	क्षेत्र
सेलन एक्स्प्लोरेशन टेक्नोलोजी लि. नई दिल्ली	इन्द्रोरा बकरोल लोहार
लारसन एण्ड टूब्रो, बंबई	धोल्का, वेवल
जोशी टेक्नोलौजीज यू. एस. ए.	
इन्टरलिंक ज्योफिज्का, बड़ौदा	बाउला
एच. ओ. ई. सी. बड़ौदा-पेट्रोडाइन	असजोल
यू. एस. ए., जी. एस. पी. सी. एल., अहमदाबाद	

9. प्रथम प्रस्ताव के तहत कारजीसान तथा वेघेरा लघु आकार क्षेत्रों द्वितीय प्रस्ताव तहत निम्नांकित मध्यमाकार/लघु आकार तैल एवं गैस क्षेत्रों के विकास के संबंध में भी बोलियां प्रक्रियाधीन हैं।

नवागाम (लोअर पे)	मध्यमाकार क्षेत्र
साउथ कादी	
वासना	
अंकलेश्वर (ई. ओ. आर.)	
नार्थ कठाना	
नार्थ बलोल	
धोलसासन	
सान्नानपुर	लघु आकार क्षेत्र
अल्लोरा	
ओगंज	
कनावारा	
उनावा	

(ग) उपर्युक्त परियोजनाएं/योजनाएं कब तक पूरी की जाएंगी इस संबंध में निश्चित समय निर्दिष्ट करना इस स्तर पर संभव नहीं है।

[हिन्दी]

विकलांगों के लिए विशेष रोजगार कार्यालय

256. **डा. साक्षी जी** : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश मे विकलांगों के लिए कुल कितने विशेष रोजगार कार्यालय कार्यरत है; और

(ख) इन रोजागर कार्यालयों द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान

प्रतिवर्ष कितने विकलागों को रोजगार दिया गया है?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) उत्तर प्रदेश में विकलांग व्यक्तियों के लिए कानपुर में एक विशेष रोजगार कार्यालय काम कर रहा है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान रोजगार कार्यालयों द्वारा रोजगार प्रदान किए गए विकलांगों की संख्या इस प्रकार है:

वर्ष	किया गया स्थापन
1991	40
1992	21
1993	7

[अनुवाद]

तेल का उत्पादन

257. **डा. असीम बाला** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में तेल का उत्पादन बढ़ाने के लिये किये जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) देश के तेल उत्पादन को बढ़ाने के लिये अब तक क्या योजनाएं बनाई गई हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख). कच्चे तेल के देशी उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार ने अनेक अल्पकालिक तथा मध्यावधिक उपाय शुरू किए हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

(1) कुछ वर्द्धित तेल निकासी योजनाओं का प्रायोगिक क्षमता आधार से पूर्ण क्षमता आधार क्षेत्र अनुप्रयोग तक विस्तार।

(2) विस्तारित रीच वेधन, क्षैतिज तथा निकास छिद्र वेधन जैसी कुछ विशिष्ट प्रौद्योगिकियों का क्रियान्वयन।

(3) जहां आवश्यक समझा जाए वहां अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों की सहायता प्राप्त करना।

(4) नयी परियोजनाओं–योजनाओं का क्रियान्वयन।

(5) विकास तथा इनफिल कूपों का वेधन तथा यथाशीघ्र संगव अवधि में उनसे उत्पादन शुरू करना।

(6) सूचित दाब अनुरक्षण, वर्क ओवर कार्य तथा उत्पादन को इष्टतम कर रिजर्वेयर की स्थिति का रख–रखाव

(7) सरकार द्वारा कुछ मध्य/छोटे आकार के क्षेत्रों को संयुक्त क्षेत्र के उपक्रम/निजी पार्टियों को देने।

शेयरों के पब्लिक इश्यू

258. **श्री श्रीवल्लभ पाणिग्राही** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने शेयरों का पब्लिक इश्यू जारी करने हेतु लोक उद्यम विभाग से कहा है,

(ख) यदि हां, तो तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने प्रति शेयर कितने मूल्य का सुझाव दिया है और लोक उद्यम विभाग ने कितने मूल्य की सिफारिश की है; और

(ग) विनिवेश की जाने वाली और पब्लिक इश्यू हेतु पेशकश की जानेवाली प्रदत्त पूंजी का प्रतिशत कितना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारत सरकार ने ओ. एन. जी. सी. में अपना स्वामित्व वर्तमान में 100 प्रतिशत से घटाकर 80 प्रतिशत करने का निर्णय लिया था। प्रथम कदम के रूप में सरकार ने ओ. एन. जी. सी. में अपने 2 प्रतिशत स्वामित्व का विनिवेश बोलियां आमंत्रित करके करने का निर्णय लिया है। सरकार के स्वामित्व में आगे और कमी ओ. एन. जी. सी. द्वारा पब्लिक को आगे और इक्विटी पूंजी के निर्गम के जरिए किया जाएगा।

गंगा के पानी का बंटवारा

259. **श्रीमती वसुंधरा राजे** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने केन्द्र सरकार से गंगा नदी के पानी का उचित हिस्सा देने का अनुरोध किया है;

(ख) क्या राज्य सरकार की मांग/अनुरोध पर विचार किया जायेगा;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) राजस्थान सरकार ने मानसून अवधि के दौरान 100 दिनों के लिए टिहरी बांध परियोजना पर 10 प्रतिशत गंगा जल का भण्डारण करने तथा हरिद्वार के निकट गंगा जल के व्यपवर्तन करने के लिए अनुरोध किया था ताकि उसका उपयोग राज्य के सूखा क्षेत्रों में किया जा सके।

(ख) से (घ). टिहरी बांध परियोजना का आबंटन सम्बन्धी मामला उत्तर प्रदेश सरकार के साथ उठाया गया है जिन्होंने राजस्थान सरकार को सूचित किया है कि टिहरी बांध परियोजना को गंगा जल देने की वचनबद्धता को देखते हुए राजस्थान के क्षेत्रों को जल आपूर्ति करना सम्भव प्रतीत नहीं होता है। राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण ने जल विकास के राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत हिमालयी नदी विकास घटक का व्यापक अध्ययन शुरू किया है जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ गंगा नदी और इसकी पूर्वी सहायक नदियों से अधिशेष जल राजस्थान के जल की कमी वाले क्षेत्रों को भी व्यपवर्तित करने की परिकल्पना है। उनकी रिपोर्ट आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक प्राप्त हो जाने की संभावना है।

कोयला खान

260. **श्री हाराधन राय :**
श्री सुशील चन्द्र वर्मा :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बन्द की गई कोयला खानों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक कोयला खान में कोयला भंडार की कितनी मात्रा है;

(ग) कोयले के अवरोधित भंडार को निकालने के लिए उठाए जाने वाले कदमों का खानवार ब्यौरा क्या है;

(घ) बंद कोयला खानों में से प्रत्येक के अंदर कोयले की कितनी परते हैं; और

(ङ) ऐसी कोयला खानों का ब्यौरा क्या है जिसमें आगामी पांच वर्षों के दौरान कोयला समाप्त हो जाएगा?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री के अतिरिक्त प्रभार (श्री पी.ए. संगमा) : (क) से (घ). कोल इंडिया लि. द्वारा दी गई सूचना के अनुसार राष्ट्रीयकरण किए जाने के बाद बंद की गई खानों की संख्या 94 है। राज्य-वार बंद की गई खानों का ब्यौरा नीचे दिया गया है....

पश्चिम बंगाल	बिहार	मध्य प्रदेश	महाराष्ट्र	जोड़
47	18	24	5	94

अधिकांश खानें बंद पड़ी हैं/उनमें अस्थायी तौर पर उत्खनन कार्य निम्न कारणों से लम्बित किया गया हैं-कार्यकारी सीम में कोयले के भंडारों का समापन होना, खनन योग्य भंडारों का समापन, अलाभकारी/घाटे वाली परिस्थितियां, कठिन भू-खनन परिस्थितियां अथवा बाढ़ आ जाने अथवा आग लग जाने के कारण असुरक्षित परिस्थितियों का होना। आमतौर पर यह उल्लेख किया जाता है कि बंद खानों में खनन योग्य भंडार विद्यमान नहीं होते हैं। किन्तु, कुछ खानों में खनन योग्य भंडार 0.40 मिलियन टन से लेकर अधिकतम 12 मिलियन टन तक रेंज में विद्यमान हैं। इस संबंध में सीमों की संख्या एक सीम से लेकर बारह सीम तक की है। उत्खनन योग्य भंडारों की निकासी किए जाने के लिए उठाए गए कदमों में निम्नलिखित कदम शामिल हैं जलमग्न खानों से जल की निकासी किया जाना और आग आदि से प्रभावित खानों में आग का बुझाया जाना ।

(ङ) कोल इंडिया लि. की ऐसी कोयला खानें, जिनमें आगामी पांच वर्षों की अवधि के दौरान कोयले के भंडारों के समाप्त हो जाने की संभावना हैं उनका राज्यवार ब्यौरा नीचे दिया गया है:

पश्चिम बंगाल	11
बिहार	6
जोड़	17

दूरदर्शन और आकाशवाणी पर मराठी कार्यक्रम

261. **श्री प्रकाश वी. पाटील** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में दूरदर्शन और आकाशवाणी पर मराठी कायक्रमों के लिए कितना समय आवंटित किया गया है; और

(ख) अन्य कार्यक्रमों विशेष रूप से कोंकण भाषा के कार्यक्रमों के लिए आवंटित समय का ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) चैनल 1, 2 तथा उपग्रह सेवाओं सहित दूरदर्शन पर मराठी कार्यक्रमों के लिए आवंटित समय 329 घंटे 10 मिनट प्रति मास है। महाराष्ट्र में आकाशवाणी केन्द्रों से प्रसारित अधिकांश कार्यक्रम मराठी में हैं।

(ख) आकाशवाणी, बम्बई अपने दूसरे चैनल पर कोंकणी, गुजराती, सिन्धी, उर्दू तथा कन्नड़ भाषा में कार्यक्रम प्रसारित करता है। कोंकणी कार्यक्रमों की अवधि 22 घंटे 30 मिनट प्रति मास है।

दूरदर्शन केन्द्र, बम्बई कोंकणी और मलवानी में कार्यक्रम टेलीकास्ट करता है। कोंकणी कार्यक्रमों की अवधि 48 मिनट प्रति मास है।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिये छात्रावास

262. **श्री सुधीर सावन्त :**
श्री अंकुशराव टोपे :

क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिये कुल कितने छात्रावास खोले गये और इससे कितने व्यक्तियों को लाभ हुआ है;

(ख) क्या महाराष्ट्र की सरकार ने राज्य में, विशेष रूप से सिन्धु दुर्ग जिले में छात्रावासों का निर्माण करने के लिये सहायता हेतु कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) केन्द्र सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है;

(ङ) क्या इस संबंध में सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(च) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) महाराष्ट्र राज्य में अनुसूचित जनजातियों के लिए खोले गए होस्टलों की संख्या 158 (लड़कों के लिए 104 तथा लड़कियों के लिए 54) हैं। लगभग 12740 छात्र इन छात्रावासों का लाभ प्राप्त कर रहे हैं जहां तक अनुसूचित जातियों का संबंध है, राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) 1994-95 के दौरान अनुसूचित जातियों के लिए छात्रावासों के निर्माण हेतु सहायता मांगने संबंधी अब तक कोई प्रस्ताव महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त नहीं हुआ है। जहां तक अनुसूचित जनजातियों का संबंध है, 14 छात्रावासों के निर्माण हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसकी

1994–95 के दौरान स्वीकृति के लिए जांच की जा रही है। सिंधुदुर्ग जिले में अनुसूचित जाति की लड़कियों के एक होस्टल के निर्माण के लिए 1986–87 मे प्राप्त प्रस्ताव को कल्याण मंत्रालय द्वारा अनुमोदित कर दिया गया था।

(ग) 1994–95 के दौरान कल्याण मंत्रालय में प्राप्त अनुसूचित जातियों के लिए प्रस्तावित 14 छात्रावासों के ब्यौरे निम्नलिखित हैं:

लड़कियों के छात्रावास	राशि (रू. लाखों में)
1. जिला रतनागिरि	0.60
2. जिला नासिक	0.57
3. जिला अहमदनगर	3.20
4. जिला बुलदाना	2.18
5. जिला थाणे	2.50
6. जिला जलगांव	5.10
7. जिला नांदेड	0.50
8. जिला गढचिरौली	2.50
	17.15
लड़कों के छात्रावास	**राशि (रू. लाखों में)**
9. जिला रतनागिरी	0.60
10. जिला नासिक	0.56
11. जिला अहमदनगर	3.18
12. जिला बुलदाना	2.12
13. जिला थाणे	2.50
14. जिला जलगांव	5.10
	14.06

(घ) उपर्युक्त प्रस्तावों की जांच की जा रही है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

कोचीन रिफाइनरीज लिमिटेड विद्युत परियोजना

263. **श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन रिफाइनरीज लिमिटेड का विचार कोचीन में अपने ही विद्युत संयंत्र का निर्माण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कोचीन रिफाइनरीज लिमिटेड का विचार संयंत्र में उत्पादित विद्युत को राज्य सरकारों को बेचने का भी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कितनी विद्युत का विक्रय किया जायेगा;

(ङ) क्या इस बारे में मानदंड तय किए जा चुके हैं और उन्हें अंतिम रूप दे दिया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में अब तक सी. आर. एल. से विद्युत संयंत्र की स्थापना करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

समाचार पत्रों के विरूद्ध अभियान

264. **श्री रामबदन** :
श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा "दैनिक जागरण" और "अमर उजाला" के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान की जानकारी है;

(ख) क्या 27 अक्तूबर, 1994 को इंडियन न्यूज पेपर सोसाइटी का एक शिष्टमंडल इस संबंध में प्रधान मंत्री से मिला था;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार से इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण मांगा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भारतीय प्रेस परिषद को उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार उस सरकार द्वारा ऐसा कोई अभियान आरंभ नहीं किया गया था।

(ख) भारतीय समाचार पत्र सोसाइटी के एक प्रतिनिधिमण्डल ने 26 अक्तूबर, 1994 को प्रधान मंत्री से मुलाकात की और प्रेस की आजादी पर हमले सहित विभिन्न मुददे उठाए।

(ग) से (ङ). ऊपर भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

गैस क्षेत्रों की विकास योजनाएं

265. **श्री शिवाजी पटनायक** :
श्री सुव्रत मुखर्जी :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिलायंस–एनरोन कंसोर्टियम ने उसे दिए गए ताप्ती, पन्ना और मुक्ता गैस क्षेत्रों के अनुमानित उत्पादन ब्यौरे और ठोस विकास योजनाएं प्रस्तुत कर दी हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख). रिलायंस–एनरोन कंसोर्टियम के साथ चल रही वार्ता प्रगति पर है।

[हिन्दी]

दिल्ली में अपराध

266. **डा. लाल बहादुर रावल :**
श्री राजवीर सिंह :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में गत छः माह के दौरान आतंकवाद, डकैती, चोरी और बलात्कार की कितनी घटनाएं दर्ज की गईं;

(ख) इस संबंध में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए; और

(ग) इस समय कितने मामले जांच हेतु लंबित हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : (क) से (ग). 1.5.1994 से 31.10.1994 तक की अवधि के दौरान, सूचित किए गए आतंकवाद, डकैती, चोरी और बलात्कार के मामलों की संख्या, गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या और जांच-पड़ताल के लिए लम्बित पड़े मामलों की संख्या निम्न प्रकार से है:

अपराध शीर्ष	सूचित मामलों की सं.	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या	जांच पड़ताल के लिए लंबित पड़े मामलों की संख्या
टाडा	8	20	8
डकैती	10	45	7
चोरी	6971	2939	2680
बलात्कार	172	233	60

[अनुवाद]

न्यूज प्रिंट को नियंत्रण मुक्त करना

267. **श्री गुरूदास कामत** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार न्यूज प्रिंट को नियंत्रण मुक्त करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) और (ख). समाचारपत्र उद्योग अखबारी कागज के पूर्ण विनियंत्रण और अखबारी कागज नियंत्रण आदेश के प्रतिसंहरण की मांग करता रहा है। दूसरी तरफ, समाचारपत्र उद्योग ने वर्तमान अखबारी कागज नीति के कारण स्वेदशी अखबारी कागज के जमा होने आदि जैसी समस्याओं का उल्लेख करते हुए सरकार को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। इन दोनों उद्योगों से संबंधित समग्र मुददों पर सरकार द्वारा सभी दृष्टिकोणों से विचार किया जा रहा है और अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा व्यवस्था

269. **श्री राम निहोर राय** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा में कितने श्रम शक्ति घंटों का उपयोग हो रहा है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में प्रतिवर्ष कुल कितनी धन राशि व्यय की गई;

(ग) क्या सरकार का विचार मितव्ययिता के दृष्टिकोण से सपूर्ण सुरक्षा तंत्र को न्यूनतम स्तर पर लाने के लिए उसकी समीक्षा करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) संरक्षित व्यक्तियों को चोबीसों घंटे सुरक्षा प्रदान की जाती है।

(ख) दिल्ली पुलिस तथा विशेष संरक्षण ग्रुप द्वारा किया गया व्यय निम्न प्रकार है:

(एक) दिल्ली पुलिस द्वारा किया गया व्यय (करोडों में)

1991	रू. 13.67 (लगभग)
1992	रू. 16.43 (लगभग)
1993	रू. 19.01 (लगभग)

(दो) राष्ट्रीय संरक्षण ग्रुप द्वारा किया गया व्यय

1991-92	15.82 करोड़ रूपए (लगभग)
1992-93	16.02 करोड रूपए (लगभग)
1993-94	19.92 करोड रूपए (लगभग)

(ग) और (घ). संरक्षित व्यक्तियों को प्रदान की गई सुरक्षा की समय-समय पर पुनरीक्षा की जाती है और धमकी को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के स्केल में परिवर्तन किया जाता है या उसे वैसे ही बनाए रखा जाता है।

केरल में दूरदर्शन ट्रांसमीटर

270. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1994-95 के दौरान केरल मे दूरदर्शन ट्रांसमीटरों की स्थापना में कोई प्रगति हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ये ट्रांसमीटर किन-किन स्थानों पर स्थापित किये जा रहे हैं और इन पर कितनी लागत आने का अनुमान है;

(घ) प्रत्येक परियोजना के लिए कितना धन आवंटित किया गया है और इन पर कितनी राशि खर्च की जा चुकी है; और

(ङ) ऐसे प्रत्येक ट्रांसमीटर पर कार्य कब तक पूरा हो जाएगा?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) और (ख). 1994-95 के दौरान कालीकट में अन्तरिम रूप से एक उच्चशक्ति (1 कि वा.) ट्रांसमीटर तथा पूनापुर में एक अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (अ. श. ट्रा) शुरू किए जाने के अलावा हाल ही मे कैन्नानूर में प्रस्तावित उच्च शक्ति ट्रांसमीटर के लिए स्थान का अधिग्रहण कर लिया गया है। काननगढ़, थोडुपूजा, चिंगाम्पूर, अदूर, पाला में अल्प शक्ति ट्रांसमीटर परियोजनाएं तथा मुन्नार, कंजिरापल्लि, ईरात्तुपेट्टा, मण्डासन और देवीकोलम में अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न स्तरों पर हैं।

(ग) से (ङ). अपेक्षित संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

अनुमानित लागत, अब तक व्यय तथा चालू किए जाने की अनुमानित तिथि सहित केरल राज्य में कार्यान्वयनधीन/स्थापना के लिए परिकल्पित टी.वी. ट्रांसमीटर परियोजनाओं की अवस्थिति

क्र.सं.	स्थान	ट्रांसमीटर	1994–95 के दौरान आबंटन (रू. लाख में)	अब तक हुआ व्यय (रू. लाख में)	पूरा होने की अनुमानित तिथि
1.	कालीकट	उ.शा.ट्रा (10कि.वा.)	5.60	145.88	स्कीम औपचारिक रूप से स्वीकृत किए जाने के बाद लगभग 2 वर्ष
2.	कन्नानूर	उ.शा.ट्रा	2.00	–	स्थल पर सिविल निर्माण कार्य शुरू होने के बाद लगभग 3 वर्ष
3.	कोडूपूजा	अ.शा.ट्रा	45.80	12.76	मार्च 1995
4.	कनन्नगढ़	अ.शा.ट्रा	45.80	14.27	तथैव
5.	चिंगान्नूर	अ.शा.ट्रा	33.70	1.88	तथैव
6.	अदूर	अ.शा.ट्रा	--	–	स्कीम औपचारिक रूप से स्वीकृत किए जाने के बाद लगभग 2 वर्ष
7.	पाला	अ.शा.ट्रा.	–	–	तथैव
8.	मुन्नार	अ.अ.शा.ट्रा.	36.85	15.34	मार्च 1995
9.	कजीरापल्ली	अ.अ.शा.ट्रा.	17.30	–	तथैव
10.	ईरातुपेट्टा	अ.अ.शा.ट्रा.	–	–	स्कीम औपचारिक रूप से स्वीकृत किए जाने के बाद लगभग दो वर्ष
11.	नुन्दकायम	अ.अ.शा.ट्रा.	–	–	तथैव
12.	देवीकोलम	अ.अ.शा.ट्रा.	–	–	तथैव

संकेत : उ. शा. ट्रा–उच्च शक्ति ट्रांसमीटर
अ.शा. ट्रा–अल्प शक्ति ट्रांसमीटर
अ. अ. शा. ट्रा–अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर

भारतीय भाषाओं में कार्यक्रम

271. श्री के. जी. शिवप्पा : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) **क्या यह सच है** कि दिल्ली दूरदर्शन के विभिन्न चैनलों से विभिन्न भारतीय भाषाओं में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों को अचानक रोक दिया गया है;

(ख) **यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;**

(ग) **क्या सरकार का विचार** विभिन्न भाषाओं में कार्यक्रमों को पुनः शुरू करने का है;

(घ) **यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;** और

(ङ) **यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?**

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव): (क) और (ख). केवल अभिग्रहण की पद्धति में परिवर्तन हुआ है। दूरदर्शन के डीडी –4 से डी डी–13 चैनलों पर टेलीकास्ट किए जाने वाले क्षेत्रीय भाषा कार्यक्रमों को अब उपयुक्त डिश एन्टेना के माध्यम से दिल्ली सहित समस्त देश में अभिग्रहण किया जा सकता है।

(ग) से (ङ). संसाधन संबंधी बाध्यताओं के कारण दिल्ली में क्षेत्रीय भाषा उपग्रह चैनलों के लिए स्थलीय सहायता प्रदान करना संभव नहीं है।

[हिन्दी]

हिरासत में होने वाली मौतें

272. श्री साईमन मरांडी : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पुलिस की हिरासत में कैदियों की मौत की घटनाओं में भारी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) चालू वर्ष में प्रत्येक राज्य में ऐसी कितनी मौतें प्रकाश में आई; और

(घ) ऐसी मौतों पर रोक लगाने के लिए सरकार ने क्या सुधारात्मक उपाय किए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : (क) से (घ). चूंकि "जेल" "लोक व्यवस्था" तथा "पुलिस" राज्य का विषय है, अतः

पुलिस हिरासत में हुई मृत्यु के मामलों से निपटाना मुख्य रूप से राज्य सरकारों का कार्य हैं। तथापि, भारत सरकार ने, समय-समय पर, राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं कि पुलिस बल मानवीय ढंग से व्यवहार करें, तथा पुलिस ज्यादतियों के कथित मामलों को, यदि कोई हो तो, गम्भीरता से लिया जाए तथा उनसे सख्ती से तथा शीघ्रता से निपटा जाए।

आई. एस. आई. से संबंध रखने वाले लोग

273. **श्री वीरेन्द्र सिंह** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान आई. एस. आई. से कथित रूप से संबंध रखने वाले कितने व्यक्ति प्रत्येक राज्य में गिरफ्तार किए गए;

(ख) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई; और

(ग) आई. एस. आई. के मंसूबों का मुकाबला करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख). देश के विभिन्न भागों मे काफी तादाद में पाकिस्तानी आसूचना एजेंटों की गिरफ्तारी की गई है। तथापि, इस बारे में और अधिक ब्यौरा देना जनहित में नहीं होगा।

(ग) आसूचना तंत्र को सक्रिय और सुग्राही बनाकर, केन्द्र और राज्यों की संबंधित एजेंसियों के साथ आसूचना का आदान-प्रदान करके एवं समन्वित कार्रवाई सुनिश्चित करके, महत्वपूर्ण स्थलों पर अर्द्धसैनिक बलों की तैनाती बढ़ाकर, तटवर्ती एवं अन्तःवर्ती गश्त में वृद्धि करके, भारत पाक सीमा के नाजुम हिस्सों में बाड़ का निर्माण एवं फलड लाइटिंग की व्यवस्था आदि करके सरकार आई. एस. आई. के मंसूबों का मुकाबला करने और उन्हें नाकाम करने के लिए सभी आवश्यक प्रयास कर रही है।

[अनुवाद]

हथियारों का पकड़ा जाना

274. **डा. रमेश चन्द्र तोमर** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1992, 1993 और 1994 के दौरान पाकिस्तान से देश में तरकारी से लाये गये कितने हथियार पकडे गये;

(ख) क्या पाकिस्तान ने भारत की सीमा पर मुजाहिदीनों का जमाव किया है, जिससे भारत की अखंडता तथा प्रभुसत्ता के लिए खतरा पैदा हो रहा है;

(ग) क्या इस मामले को पाकिस्तान सरकार के साथ उठाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकाला है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार हथियार मुख्यतः जम्मू और कश्मीर और पंजाब में इस प्रकार पकडे गए हैं:

वर्ष	पकड़े गए हथियार
1992	12567
1993	11746
1994 (अक्टूबर तक)	6565

(ख) से (घ). भारत में आतंकवाद की सहायता और समर्थन देने में पाकिस्तान की अन्तर्ग्रस्तता, बिना किसी तार्किक संदेह के प्रमाणित हो चुकी है। सरकार ने अनेक अवसरों पर और सभी स्तरों पर, पाकिस्तान से यह समर्थन जो कि पूर्णतः अस्वीकार्य है और अन्तर्राष्ट्रीय आचरण के सार्वभौमिक स्वीकार्य मानदंडों एवं 'शिमला समझौते' के प्रावधानों का उल्लंघन है, देना बंद करने हेतु दृढतापूर्वक आग्रह किया है। सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय को इस तथ्य से भी अवगत कराया है कि पाकिस्तान किस प्रकार भारत के खिलाफ लक्षित, विध्वंसक एवं आतंकवादी गतिविधियां चला रहा है।

नए रसोई गैस कनेक्शन

275. **श्री मनोरंजन भक्त**
श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में रसोई गैस कनेक्शन हेतु नए ग्राहक पंजीकरण योजना मे भारी कटौती करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) रसोई गैस कनेक्शन के लिए पंजीकरण शुरू करने वाले समानान्तर विपणनकर्त्ताओं एवं महानगरों में पंजीकृत ग्राहकों को एल. पी. जी. सिलेंडरों की वास्तविक आपूर्ति का विवरण क्या है;

(घ) क्या रसोई गैस कनेक्शनों हेतु समानान्तर विपणनकर्त्ताओं के पास पंजीकरण के लिए आने वाले ग्राहकों की संख्या सरकारी अनुमान की तुलना में कम है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या सरकार ने समानान्तर विपणनकर्त्ताओं द्वारा उपभोक्ताओं को दी जाने वाली गैस की मानक मात्रा और कीमतें निर्धारित की है तथा क्या इन विपणनकर्त्ताओं ने गैस के मानक सिलेंडर की आपूर्ति 150 रूपए से कम में करने में असमर्थता जताई है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा): (क) और (ख). ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ग) समानान्तर विपणन योजना के अंतर्गत निजी एजेंसियां सरकार को सूचना दिए बगैर डिस्ट्रीब्यूटरों को नियुक्त करने, ग्राहकों

को दर्ज करने तथा ग्राहकों को आपूर्ति करने के लिए स्वतंत्र है। सरकार ऐसी जानकारी नहीं रखती है।

(घ) और (ड.). निजी एजेंसियों से अपने वाणिज्यिक निर्णय के आधार पर उक्त योजना के अंतर्गत कार्य शुरू किये जाने की आशा है। इसमें अधिक प्रगति नहीं दिखायी दी है जिसका मुख्य कारण समानांतर विपणनकर्त्ताओं के पास आयात सुविधाओं का नहीं होना है।

(च) और (छ). समय समय पर यथासंशोधित एल. पी. जी. (आपूर्ति और वितरण का विनियमन) आदेश, 1993 के उपबंधों के अनुसार समानान्तरण विपणकर्त्ता सरकार की तेल कम्पनियां द्वारा प्रयोग किए जा रहे सिलिंडरों के आकार तथा माप से भिन्न सिलिंडरों का प्रयोग कर सकते हैं। समानांतर विपणन योजना के अंतर्गत आयात उत्पाद को बाजार निर्धारित कीमतों पर बेचा जा सकता है। ये कीमतें सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं होती हैं। समानान्तर विपणनकर्त्ताओं ने प्रति सिलिंडर कीमत के बारे मे सरकार को सूचित नहीं किया है।

दूरदर्शन पर उर्दू में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम

276. श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या सूचना और प्रसाण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन–किन दूरदर्शन केन्द्रों से उर्दू कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं तथा इन कार्यक्रमों की साप्ताहिक प्रसारण अवधि कितनी है और ये कार्यक्रम किस–किस समय पर प्रसारित किए जाते हैं;

(ख) ये कार्यक्रम उक्त केन्द्रों पर किस–किस तिथि से शुरू किए गए;

(ग) क्या सरकार को किसी अन्य केन्द्र से भी उर्दू कार्यक्रमों के प्रसारण के संबंध में मांग प्राप्त हुई है;

(घ) यदि हां, तो इन मांगों पर विचार करने एवं उर्दू कार्यक्रमों के लिए समय–सीमा तय करने के लिए क्या मानदण्ड अपनाए जाते हैं; और

(ड) बंगलौर दूरदर्शन केन्द्र से अक्तूबर माह से स्थगित उर्दू समाचारों को कब से पुनः प्रसारित किए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव): (क) विभिन्न दूरदर्शन केन्द्रों द्वारा उर्दू कार्यक्रमों तथा समाचारों के प्रसारण का ब्यौरा संलग्न विवरण–I तथा II में दिया गया है।

(ख) सूचना संकलित की जा रही है और प्रस्तुत कर दी जायेगी।

(ग) जी, नहीं

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ड.) जब तक मामला निर्णयाधीन है, इस स्तर पर कोई निश्चित तिथि नहीं दी जा सकती।

विवरण–I

उर्दू कार्यक्रम

विभिन्न केन्द्रों द्वारा प्रसारित किए जा रहे उर्दू कार्यक्रमों का ब्यौरा

क्र.स.	केन्द्र	कार्यक्रम का शीर्षक	प्रसारण का दिन व समय	अवधि	प्रति सप्ताह अवधि
1	2	3	4	5	6
1.	दिल्ली	कहकशां,	प्रत्येक शनिवार 1 बजे	15 मि.	15 मि.
		बज्म	दूसरे व चौथे मंगलवार सायं 6.35 बजे	15 मि.	
2.	लखनऊ	कहकशां	प्रत्येक बृहस्पतिवार सायं 7 बजे	25 मि.	25मि.
		उर्दू मुशायरा 5 वें शुक्रवार		90 मि.	
3.	श्रीनगर	घराना (महिला कार्यक्रम)	पाक्षिक	30 मि.	
		कम्प्यूटर की दुनिया	साप्ताहिक	20 मि.	20 मि.
		कलियां	साप्ताहिक	25 मि.	25 मि.
		हमारी सेहत	पाक्षिक	25 मि.	
		खेल और खिलाड़ी	साप्ताहिक	25 मि.	25 मि.
		शाहीन (युवा)	पाक्षिक	30 मि.	
4.	हैदराबाद	अन्जुमन	साप्ताहिक	20 मि.	20 मि.
		उर्दू मैगजीन	मासिक	30 मि.	
		उर्दू मुशायरा	मासिक	30 मि.	
5.	अहमदाबाद	गुलशन गुलशन	पहले व तीसरे शुक्रवार	30 मि.	

1 2	3	4	5	6
6. जालंधर	कारवां	पहले व तीसरे मंगलवार	25 मि.	
	मुशायरा	5 वें मंगलवार (तिमाही में एक)	30 मि.	
	गजल	पहले रविवार	15 मि.	
7. जयपुर	कुसे कजा	दूसरे व चौथे शुक्रवार सांय 6.20 बजे	30 मि.	
8. भोपाल	उर्दू लिटरेरी मैगजीन	पाक्षिक	30 मि.	
	मुशायरा	मासिक	40 मि.	
9. जम्मू	अबसार (साहित्यिक पत्रिका कार्यक्रम)	मासिक (तीसरे शनिवार सायं 7.25बजे)	15 मि.	
10. बंगलौर	उर्दू कार्यक्रम	साप्ताहिक मंगलवार सांय 5.45	25 मि.	25 मि.
	गजल	दूसरे शुक्रवार (मासिक) सायं 5.05बजे	15मि.	
	कव्वाली	तीसरे शुक्रवार (मासिक) सायं 5.05 बजे	15 मि.	

विवरण-II

समाचार

विभिन्न दूरदर्शन केन्द्रो से वर्तमान में प्रसारित उर्दू समाचार बुलेटिनों को दर्शाने वाला विवरण

क्षेत्रीय समाचार एकक	शुरू किया गया	प्रसारण का समय	अवधि	अभ्युक्ति, यदि कोई हो
1. श्रीनगर	26.1.93	सायं 7.35 से 7.45 तक (सोमवार से शुक्रवार)	10 मि.	
		सायं 7.40 से 7.55 तक (शनिवार और रविवार)	15 मि.	
2. हैदराबाद	1.5.92	13.9.94 तक = सायं 7.45 से 7.50 तक	5 मि.	
		14.9.94 के बाद = सायं 7.45 से 7.55 तक	10 मि.	
3. पटना	1.5.92	19.8.94 तक = सायं 7.45 से 7.50 तक	5 मि0	
		20.8.94 के बाद = सायं 7.45 से 7.55 तक	10 मि.	
4. लखनऊ	1.5.92	19.8.94 तक = सांय 7.45 से 7.50 तक	5 मि.	
		20.8.94 के बाद = सायं 7.45 से 7.55 तक	10 मि.	
5. दिल्ली	1.5.92	19.8.94 तक = सायं 7.25 से 7.30 तक	5 मि.	
		× 20.8.94 के बाद = अपराह्न 2.20 से 2.30 तक	10 मि.	× डीडी–2 (मैट्रो चैनल से शुरू किया गया)
6. कलकत्ता	20.8.92	27.8.94 तक = सायं 7.25 से 7.30 तक	5 मि.	
		28.8.94 के बाद = सायं 7.45 से 7.55 तक	10 मि.	
7. मद्रास xx	20.8.94	अपराह्न 2.20 से 2.30 तक	10 मि.	×× डीडी2 (मैट्रो चैनल) से रिले किया जा रहा है।
8. बम्बई xxx	21.8.94	अपराह्न 2.20 से 2.30 तक	10 मि. ×××	वही

विशाखापत्तनम में तेल शोधक कारखाना

277. **श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :**
श्री डी. वेंकटेश्वर राव :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका और कनाडा में अवस्थित अनिवासी भारतीयों के किसी समूह से विशाखापत्तनम में एक आधारभूत निर्यातोन्मुख पेट्रोलियम शोधक परियोजना लगाने संबंधी कोई प्रस्ताव मिला है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित परियोजना की मुख्य बातें क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस परियोजना हेतु अनुमति दे दी हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस परियोजना के कब तक स्थापित किये जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा): (क) से (ग). विशाखापत्तनम में निर्यात मूलक तेल रिफाइनरियों को स्थापित करने के लिए भारत सरकार ने दो पार्टियों को अनुमोदित किया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:

पार्टी का नाम	क्षमता
1. मैसर्स ब्लैक गोल्ड रिफाइनरीज लि.	2.5मि.मि.ट. प्र. व.
2. मैसर्स जिन्दल फेरो–एलवाय	6.00मि.मि.ट. प्र. व.

(घ) यद्यपि रिफाइनरी प्रचालनों को शुरू करने के लिए कोई विशेष लक्ष्य तिथि नहीं दी गयी है तथापि पार्टियां उनसे संबंधित आशयपत्रों में दी गई शर्तों से शासित होगा।

[हिन्दी]

दूरदर्शन और आकाशवाणी के स्टूडियो

278. **श्री एन. जे. राठवा :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में इस समय दूरदर्शन और आकाशवाणी के निर्माणाधीन स्टूडियो का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन स्टूडियो का निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाएगा; और

(ग) निर्माण कार्य को शीघ्रता से पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी.सिंह देव): (क) और (ख). राजकोट स्थित मौजूदा स्टूडियो के उन्नयन की दूरदर्शन की परियोजना कार्यान्वयनाधीन है तथा इसके 3 वर्षों में पूरा होने की सम्भावना है। आकाशवाणी द्वारा वदोदरा में 2x3 कि. वा. एफ. एम. ट्रांसमीटर सहित एक स्थानीय रेडियो केन्द्र स्थापित किया जा रहा है। इस परियोजना के 1995–96 में पूरा होने की सम्भावना है।

(ग) परियोजनाओं को समय पर पुरा करने को सुनिश्चित करने हेतु इनकी बारीकी से मानिटरिंग की जा रही है।

[अनुवाद]

आकाशवाणी के स्टाफ आर्टिस्टों को पेंशन

279. **श्री राम कापसे:** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस आशय के कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें 6 मार्च, 1992 से पूर्व सेवा–निवृत्त हुए आकाशवाणी के स्टाफ अर्टिस्टों को पेंशन देने का अनुरोध किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का विचार है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी.सिंह देव): (क) और (ख). सरकार की स्कीम के अनुसार विशिष्ट रूप से स्कीम से बाहर रहने का विकल्प देने वाले व्यक्तियों को छोड़कर 6.3.82 को सेवारत अथवा उसके बाद नियुक्त आकाशवाणी के सभी तत्कालीन स्टाफ कलाकारों/कलाकारों (भारतीय नागरिक) को सरकारी कर्मचारी माना गया है। पेंशन संबंधी लाभों के लिए 6.3.82 की निश्चित तारीख को पीछे की ओर ले जाने के लिए समय–समय पर अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। 6.3.82 और 6.3.92 के बीच सेवानिवृत्त हुए स्टाफ कलाकार पहले ही कथित स्कीम में सम्मिलित हैं। तथापि, 6.3.82 की निश्चित तारीख को पीछे की ओर ले जाने संबंधी प्रश्न पर विचार किया गया है और इसे स्वीकार करना संभव नहीं पाया गया है।

तेल भंडार

280. **श्री सनत कुमार मंडल:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय अनवरत भारत के तेल कूपों में लभ्य भंडार केवल 26 वर्षों तक ही रह पाएगे;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उत्पादनाधीन क्षेत्रों और अन्वेषणाधीन क्षेत्रों में लभ्य तेल भडारों में वृद्धि करने हेतु कोई परियोजनाएं आरंभ की हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) तेल का वर्तमान घरेलू उत्पादन कितना है और तेल की वार्षिक मांग की तुलना में यह कितना कम है जिसके फलस्वरूप भारत को तेल का आयात करना पड़ता है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा): (क) संकुचन की विद्यमान दर पर वर्तमान शेष निकासी योग्य तेल भडारों से करीब 24 वर्षों तक उत्पादन होगा।

(ख) और (ग). जी हां, चालू योजना में आरंभ में सम्मिलित अन्वेषण योजनाओं के अतिरिक्त सरकार ने देश में हाइड्रोकार्बन के भंडारों को बढाने के लिए एक गहन अन्वेषण कार्यक्रम को मंजूरी दी है। अतिरिक्त अन्वेषण कार्यक्रमों में राष्ट्रीय भूकम्पीय ग्रिड, गहरे समुद्र में अन्वेषण तथा सीमा क्षेत्रों में अन्वेषण शामिल हैं।

(घ) जबकि 1993–94 के दौरान 27.02 मिलियन टन कच्चे तेल का देशी उत्पादन हुआ था, इस अवधि के दौरान करीब 30.82 मिलि टन का आयात किया गया था।

कोयले पर आधारित विद्युत संयंत्र

281. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा:** क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर सरकारी क्षेत्र के कोयले पर आधारित विद्युत संयंत्रों के साथ किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गैर सरकारी क्षेत्र की उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिन्हें 1992–93, 1993–94 तथा 1994–95 के दौरान (सितंबर, 1994 तक) कोयला आपूर्ति सुविधा प्रदान की गई है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी.ए. संगमा): (क) और (ख). इस संबंध में उपलब्ध सूचना के अनुसार 36 कोयला/लिग्नाइट आधारित विद्युत परियोजनाओं को निजी प्रवर्तकों को निष्पादन किए जाने के लिए दे दिया गया है। इन परियोजनाओं की कुल अनुमानित क्षमता लगभग 27,000 मेगावाट (मे.वा.) की है।

(ग) वर्ष 1992–93, 1993–94 और 1994–95 (सितंबर, 1994 तक) की अवधि के दौरान दीर्घावधि कोयला संयोजन (जिसमें अन्तरिम संयोजन शामिल है) को 10 निजी क्षेत्र के विद्युत उपयोगिता गृहों के लिए विनिर्दिष्ट किया गया है, जोकि जहां भी अपेक्षित हो, कोयला कंपनी एवं सम्बद्ध विद्युत उत्पादक कंपनियों के बीच वाणिज्यिक करार को अंतिम रूप दिए जाने के अधीन होगा।

भूमिगत जल का पुनः चार्ज करना

282. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे:** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने भूमिगत जल को पुनः चार्ज करने की एक योजना को मंजूरी प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं और इसमें कितना परिव्यय अंतर्ग्रस्त है;

(ग) क्या आंध्र प्रदेश के संकटग्रस्त क्षेत्रों में प्रयोग के तौर पर कोई परियोजना शुरू की जाएगी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इंजेक्शन कूप तकनीक और विस्तार चेनल तकनीक की सहायता से पुनः चार्ज करने पर कितनी लागत का अनुमान है;

(च) इनमें से आंध्र प्रदेश के लिए कौन सी तकनीक को प्रयोग में लाने का विचार है; और

(छ) आंध्र प्रदेश में लाभप्रद उद्देश्यों हेतु प्राकृतिक बहाव को उपयोग में लाने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन): (क) और (ख). जी, हां। सरकार ने 367 लाख की अनुमानित लागत पर "भूजल के पुनर्भरण में अध्ययन" की एक योजना स्वीकृत की है। इस योजना में इनकी परिकल्पना की गई है: (I) महाराष्ट्र के अमरावती तथा जलगांव जिलों और कर्नाटक के कोलार जिले की गौरीविदनुर तथा मुलबगल तालुकाओं में भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए अन्वेषणात्मक अध्ययन (II) राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली तथा संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ में प्रायोगिक प्रचालन पुनर्भरण अध्ययन, और (III) अंतःस्रण तालाबों तथा उप सतही डाइकों का निर्माण।

(ग) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च). आन्ध्र प्रदेश में भूजल पुनर्भरण योजनाओं की रूपात्मकता तथा लागत राज्य सरकार द्वारा तैयार की जानी हैं।

(छ) केन्द्रीय भूजल बोर्ड ने भूजल के पुनर्भरण में राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करने के लिए एक नई योजना तैयार की है।

[हिन्दी]

सिंचाई परियोजना

283. **श्री राम टहल चौधरी :** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंचाई परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विभिन्न सरकारी विभागों के बीच विवाद उत्पन्न हो जाता है जिसके परिणामस्वरूप इन परियोजनाओं को उचित समय पर ठीक से कार्यान्वित नहीं किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे विवादों से बचने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) विभिन्न सरकारी विभागों के बीच विवादों जिनसें सिंचाई परियोजनाओं के कार्यान्वयन में देरी हुई हो, के बारे में रिपोर्ट केन्द्र में प्राप्त नहीं हुई है। परियोजनाओं के कार्यान्वयन में देरी के महत्वपूर्ण कारणों में से एक कारण निजी और वन दोनों प्रकार की भूमि अधिग्रहित करने में आनेवाली कठिनाइयां हैं।

(ख) से (घ). सिंचाई परियोजनाओं के मूल्यांकन के दिशा निर्देशों के अनुसार, किसी सिंचाई परियोजना को निवेश स्वीकृति प्राप्त करने के लिए पर्यावरणीय और/अथवा वन दृष्टि से स्वीकृति प्राप्त करना एक पूवपिक्षा है। विभिन्न विभागों के बीच समुचित समन्वय सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों को भी सलाह दी गई है कि वे परियोजनाओं को तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन के लिए केन्द्रीय जल आयोग को प्रस्तुत करने से पहले परियोजना के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के वास्ते राज्य स्तरीय बहुविषयक एकक स्थापित करें। उन परियोजनाओं जिनमें अन्तर्राज्यीय नदी के जल बंटवारे तथा अन्य राज्यों में जलमग्नता जैसे अन्तर्राज्यीय मुद्दे शामिल हैं, के बारे में उस राज्य सरकार को अपनी निवेश स्वीकृति से पहले, अन्य संबंधित राज्य सरकारों को सहमति भी प्राप्त करनी है।

[अनुवाद]

ऊर्वरक इकाइयों को गैस

284. **श्री सुलतान सलाउद्दीन ओवेसी** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरिया का आयात उपलब्धता और इसके स्वदेश उत्पादन में भारी कमी से रबी फसल को प्रभावित होने से बचाने के लिए सरकार ने उवर्रक इकाइयों को प्राथमिकता के आधार पर गैस उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है;

(ख) क्या सरकार का विचार सभी उर्वरक इकाइयों को गैस प्रवाह देने का है;

(ग) यदि हां, तो कितनी उर्वरक इकाइयों को गैस प्रदान की गई है; और

(घ) उर्वरक उद्योगों को इससे कितनी सहायता मिली है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) गैस के आबंटन और आपूर्ति में उर्वरक क्षेत्र को हमेशा प्राथमिकता दी गई है।

(ख) सभी गैस आधारित उर्वरक यूनिटों को गैस की आपूर्ति की जा रही है।

(ग) फिलहाल चौदह उर्वरक यूनिटों को गैस की आपूर्ति की जा रही है।

(घ) इन यूनिटों को अप्रैल–सितम्बर, 1994 के दौरान 17.95 एम.एम.एस.सी.एम.डी. गैस की आपूर्ति की गई।

विदेशियों का निष्कासन

285. **श्री चित्त बसु** :

श्री फूल चंद वर्मा :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विदेशियों को निष्कासित किए जाने के मामले पर पूर्वोत्तर राज्यों में तनाव बढ़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन विदेशियों के निष्कासन के बारे में हाल ही में कोई नीति/मार्ग निर्देश बनाए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग). राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों को ऐसे स्थाई निर्देष हैं कि 25 मार्च, 1971 के बाद तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान/बंगलादेश से भारत आए लोगों को वापस बंगलादेश भेज दिया जाए। भारत में घुस आए घुसपैठियों/अवैध प्रवासियों को वापस भेजने की कार्यविधि के संबंध में इसी वर्ष के दौरान बंगलादेश सरकार के साथ बातचीत की गई है।

रसोई गैस भंडार

286. **श्री अंकुश राव टोपे**: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम का विचार कुछ प्रशीतन रसोई गैस भंडार स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो ये भंडार कहां–कहां स्थापित किए जाएंगे;

(ग) इनमें से प्रत्येक भंडार की कुल भंडारण क्षमता कितनी-कतनी है;

(घ) इस समय देश में उपलब्ध भंडारण क्षमता कितनी है;

(ङ) क्या तेल और कम्प्यूटर उद्योग में पहली बार ऐसा गठबंधन किया गया है;

(च) यदि हां, तो इस गठबंधन के मुख्य कार्य क्या हैं;

(छ) क्या हार्डवेअर, साफ्टवेअर और मानव संसाधनों की आवश्यकता का बारीकी के आकलन करने हेतु इस गठबंधन के अंतर्गत कोई तकनीकी संचालन समिति गठित की गई है; और

(ज) यदि हां, तो यह समिति अपनी रिपोर्ट कब तक दे देगी?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग). इंडियन आयल कारपोरेशन लि. कांडला में प्रशीतित थोक एल. पी. जी. (रसोई गैस) भंडारण स्थापित कर रहा है। कुल परिकल्पित भंडार क्षमता 30 टी.एम.टी. है।

(घ) देश के अन्तर्गत विद्यमान कुल एल. पी. जी. (रसोई गैस भंडारण क्षमता लगभग 186 टी. एम. टी. है।)

(ङ.) और (च). जी, हां। इस संधि का प्रमुख उद्देश्य निम्नांकित क्षेत्रों के लिए किसी एक अथवा अधिक क्षेत्रों में स्थित विविध पेट्रोलियम डाउनस्ट्रीम अनुप्रयोग के क्षेत्रों के लिए भारत तथा विदेश में विपणन किए जाने हेतु भारत में उत्पादों तथा सेवाओं दोनों से संबंधित जानकारी तैयार करना है:

1. तेल उद्योग से संबंधित और सहबद्ध पार्टियों में से किसी के द्वारा स्वतंत्र रूप से विकसित विद्यमान आई. एस. सोल्यूशन का रिपैकेज और विपणन करना।
2. विश्व व्यापी रूप से प्रयोज्य सॉफ्टवेअर को विकसित करना तथा प्रचालन इकाइयों पर इनका स्थलगत परिक्षण करना।
3. नेटवर्क समेत कुल कार्य व्यापार संबंधी समाधानों को संस्तुत करना।
4. प्रणाली संबंधी समाकलन करना।
5. हैंड होल्डिंग प्रशिक्षण उपलब्ध कराना।
6. अपग्रेडों का विकसित करना।

(छ) और (ज). एक तकनीकी संचालन समिति स्थापित की गई है। इस समिति का कार्य उत्पाद विकास विषयक प्रयासों के संबंध में मार्ग दर्शन करना तथा सहबद्ध सदस्यों द्वारा उत्पाद विकास हेतु संसाधनों (हार्डवेअर, सोफटवेयर तथा मानव संसाधन) के विकास को समन्वित करना है। इस समिति द्वारा कोई रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना प्रत्याशित नहीं है।

विकलांग व्यक्तियों के संघों की मांग

287. श्री सी.पी. मुदाल गिरियप्पा : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में विशेष रूप से विकलांग व्यक्तियों के संघों द्वारा कतिपय शब्दावलियों जैसे अंधे व्यक्ति, बहरे व्यक्ति और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति को क्रमशः प्रगण्य चक्षु मूक बधिर और अस्थि विकलांग के रूप में परिवर्तन करने हेतु जोरदार मांग की जाती रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सिंचाई परियोजनाएँ

288. श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :
श्री नीतीश कुमार :
श्री गुमान मल लोढा :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बड़ी और मझौली सिंचाई परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलम्ब हुआ है, जैसाकि 8 अक्टूबर, 1994 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में समाचार दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) से (ग). 158 वृहद, 226 मझौली तथा 98 विस्तार/नवीकरण/आधुनिकीकरण सिंचाई परियोजनाओं को आठवीं योजना में आगे लागया गया है, इनमें 24812000 हेक्टेयर चरम सिंचाई क्षमता की परिकल्पना की गई है तथा 65576 करोड़ रूपए की अनुमानित लागत है। इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए अपेक्षित 40,563 करोड रूपए की राशि के मुकाबले इनके लिए आठवीं योजना परिव्यय 22,400 करोड़ रुपए है। परियोजनावार आठवीं योजना परिव्यय को ध्यान में रखते हुए आठवीं योजना में 55 वृहद, 98 मझौली और 15 विस्तार/नवीकरण/आधुनिकीकरण परियोजनाओं को पूरा करने का कार्यक्रम है।

सिंचाई राज्यों का विषय है तथा सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, प्रतिपादन और वित्त पोषण राज्य सरकारों द्वारा अपने योजनागत संसाधनों से किया जाता है। तथापि, सिंचाई परियोजनाओं को समय से पूरा करना सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय जल आयोग को चुनिन्दा परियोजनाओं के प्रबोधन का कार्य सौंपा गया है।

नागा-कूकी मुठभेड़ें

289. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1994 के दौरान नागा–कूकी मुठभेडों में मारे गये और घायल हुए व्यक्तियों की संख्या कितनी है; और

(ख) इन मुठभेड़ों को रोकने के लिये सरकार ने क्या उपाय किये हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) 30 नवम्बर, 1994 तक उपलब्ध सूचना के अनुसार, नागा–कूकी झडपों में 165 व्यक्ति मारे गए तथा 19 व्यक्ति घायल हुए।

(ख) राज्य सरकार को विशेष रूप से मिश्रित जनसंख्या वाले क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने तथा पीड़ितों को आवश्यक राहत उपलब्ध कराने की सलाह दी गई है। सरकार द्वारा किए गए उपायों में मणिपुर को अशांत क्षेत्र घोषित बनाए रखना, विद्रोही गिरोही की "गैर–कानूनी संगठन" घोषित करना, सुरक्षा बलों को तैनात करना, राज्य पुलिस बलों की कारगरता को मजबूर करना और बेहतर बनाना इत्यादि शामिल हैं।

महिलाओं पर अत्याचार

290. श्री पंकज चौधरी :
श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :
श्री सन्तोष कुमार गंगवार :
डा. खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी :
श्री पी.सी. थामस :
श्री साईमन मरान्डी :
श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी :
श्री चन्द्रेश पटेल :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान अब तक दहेज मौतों, बलात्कारों, अपहरणों, और छेड़छाड़ सहित महिलाओं पर अत्याचार के प्रतिमाह राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार कितने मामलों की जानकारी मिली है; और

(ख) इन मामलों को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद): (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों सहित अपराधों को दर्ज करना, उनकी जांच करना, पता लगाना और अपराधों की रोकथाम करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों की है। तथापि, ऐसे अपराधों को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा अनेक उपाय किए गए हैं। दहेज निषेध अधिनियम, 1961 को अधिक सख्त बनाने के लिए इसे 1984 और 1986 में संशोधित किया गया। भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 में संशोधन किए गए ताकि न केवल दहेज संबंधी मौतों के मामलो से बल्कि विवाहित महिलाओं के प्रति क्रूरता के मामलों से भी कारगर ढग से निपटा जा सके। महिलाओं के प्रति अपराधों से संबंधित विधायनों को प्रभावकारी ढंग से लागू करने के लिए समय–समय पर राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को निर्देश/दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

विवरण

1994 के दौरान महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों की घटनाएं

क्र.सं.	राज्य/संघशासित क्षेत्र	बलात्कार	अपहरण और व्यपहरण	दहेज मृत्यु	पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा किए गए अत्याचार	अभद्र व्यवहार	छेड़छाड़	टिप्पणी (आकड़े निम्नलिखित महीना तक के है।)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
राज्य								
1.	आंध्र प्रदेश	685	466	315	1820	1757	2924	सितम्बर
2.	अरूणाचल प्रदेश	22	21	0	3	22	1	सितम्बर
3.	असम	205	235	8	114	98	2	जून
4.	बिहार	111	71	34	53	53	6	फरवरी
5.	गोवा	6	8	0	11	19	8	सितम्बर
6.	गुजरात	153	363	53	772	524	35	जून
7.	हरियाणा	135	171	138	225	228	290	अगस्त
8.	हिमाचल प्रदेश	80	143	3	110	234	13	सितम्बर
9.	जम्मू एवं कश्मीर	39	104	0	0	43	66	अप्रैल
10.	कर्नाटक	212	252	124	886	891	72	सितम्बर
11.	केरल	130	82	7	385	490	2	सितम्बर
12.	मध्य प्रदेश	2182	823	267	1421	4836	859	सितम्बर
13.	महाराष्ट्र	967	699	405	5308	2247	371	सितम्बर
14.	मणिपुर	3	51	0	0	7	0	सितम्बर
15.	मेघालय	9	5	0	0	9	0	जून
16.	मिजोरम	26	6	0	0	23	0	अक्टूबर
17.	नागालैंड	1	1	2	0	1	0	सितम्बर
18.	उड़ीसा	129	78	72	73	321	28	अप्रैल
19.	पंजाब	80	84	101	72	51	7	सितम्बर
20.	राजस्थान	740	1629	212	1644	892	34	अगस्त
21.	सिक्किम	6	2	0	0	22	0	अगस्त
22.	तमिलनाडु	159	279	21	146	588	701	जुलाई
23.	त्रिपुरा	49	25	6	39	82	0	सितम्बर
24.	उत्तर प्रदेश	1209	1788	1261	2289	1708	1347	जुलाई
25.	पश्चिम बंगाल	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	–
	योग (राज्य)	7338	7386	3049	15371	15146	6766	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
संघ शासित क्षेत्र								
26.	अंडमान एवं नि. द्वीपसमूह	3	4	1	2	13	4	सितम्बर
27.	चंडीगढ़	7	28	3	8	11	34	अक्टूबर
28.	दादर एवं न. हवेली	2	2	0	6	1	0	सितम्बर
29.	दमन एवं दीव	0	0	0	0	0	0	मई
30.	दिल्ली	220	620	110	119	240	91	अक्टूबर
31.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	जुलाई
32.	पांडिचेरी	5	6	3	3	16	300	अक्टूबर
	योग (संघ शासित क्षेत्र)	237	660	117	138	281	429	
	योग (अखिल भारत)	7575	8046	3166	15509	15427	7195	

नोटः- 1. आकंड़े मासिक अपराध सांख्यिकी पर आधारित हैं और इन्हें अनंतिम समझा जाएं।

2. उ.न. का अर्थ है–उपलब्ध नहीं।

3. अनुपलब्धता के कारण आंकड़ों में अगस्त का डाटा शामिल नहीं किया गया है।

समाचार बुलेटिन का समय

291. श्री मोहन सिंह (फिरोजपुर) :
श्री मृत्युन्जय नायक :
श्री विलास मुत्तेमवार :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में श्रीलंका में आयोजित क्रिकेट मैचों का सीधे प्रसारण करने हेतु समाचार बुलेटिन के समय में परिवर्तन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस संबंध में कोई मानदण्ड अपनाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) और (ख): जी, हां। क्रिकेट मैचों की निरन्तर कवरेज उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से कुछ समाचार बुलेटिनों के समय में परिवर्तन किया गया था।

(ग) और (घ): कार्यक्रम अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए विशेष परिस्थितियों को छोड़कर सामान्यतया समाचार बुलेटिनों के समय में परिवर्तन नहीं किया जाता।

नशीली औषधों का सेवन

292. श्री गाभाजी मंगाणी ठाकुर : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में अब तक गुजरात में नशीली औषधों के सेवन के कितने मामलों का पता लगाया गया है;

(ख) इस संबंध में देश में अन्य राज्यों की तुलना में उक्त राज्य की स्थिति क्या है;

(ग) इस समय राज्य में कितने नशा मुक्ति केन्द्र कार्यरत हैं; और

(घ) इस संबंध में केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार को उक्त अवधि के दौरान कितनी वित्तीय सहायता दी है?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) गुजरात में इस मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित परामर्श तथा निर्व्यसन केन्द्रों से प्राप्त सूचना के अनुसार उन केन्द्रों में पिछड़े तीन वर्षों के दौरान स्वापक औषधि के 32782 व्यसनी पंजीकृत किए गए थे। चालू वित्त वर्ष के दौरान सितम्बर, 1994 तक स्वापक औषधि के व्यसनियों की संख्या लगभग 5500 थी।

(ख) परामर्श तथा निर्व्यसन केन्द्रों पर पंजीकृत किए गए स्वापक व्यसनियों की राज्यवार संख्या दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) इस समय गुजरात राज्य में 5 परामर्श केन्द्र तथा 5 निर्व्यसन केन्द्र कार्य कर रहे हैं।

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा गैर सरकारी संगठनों को न कि राज्य सरकारों को नशीली दवाओं के दुरूपयोग निवारण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान इस उद्देश्य के लिए गुजरात राज्य में गैर सरकारी संगठनों को प्रदत्त वित्तीय सहायता की राशि इस प्रकार है:

1991–92	24,59,021/–रुपये
1992–93	31,04,689/–रुपये
1993–94	44,17,798/– रुपये
1994–95	19,84,296/– रुपये (नवम्बर, 94 तक)

विवरण

कल्याण मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित परामर्श तथा निर्व्यसन केंद्रों द्वारा सूचित स्वापक औषधि के व्यसनियों की संख्या

क्र.स.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्वापक औषधि के व्यसनियों की संख्या 1990–91	1991–92	1992–93	केन्द्रों की संख्या (31.3.93 की स्थिति के अनुसार)
1.	गुजरात	10348	14849	7348	10
2.	आंध्र प्रदेश	217	375	777	2
3.	असम	26	112	87	1
4.	बिहार	9066	5616	10,083	14
5.	गोवा	405	623	901	4
6.	हरियाणा	8102	8731	10273	16
7.	जम्मू और कश्मीर	123	58	132	1
8.	कर्नाटक	355	496	971	4
9.	केरल	4632	7674	15380	15
10.	मध्य प्रदेश	3136	7460	4126	5
11.	महाराष्ट्र	2821	3484	3231	13
12.	मणिपुर	1069	1551	2423	33
13.	मेघालय	–	65	35	1
14.	मिजोरम	592	1164	1538	10
15.	नागालैंड	274	512	344	12
16.	उड़ीसा	8326	5422	3944	8
17.	पंजाब	1572	2286	12712	12
18.	राजस्थान	3597	2243	3051	15
19.	सिक्किम	60	140	123	1
20.	तमिलनाडु	4911	6413	3480	12
21.	त्रिपुरा	113	264	381	4
22.	उत्तर प्रदेश	6589	5607	16312	32
23.	पश्चिम बंगाल	9825	6840	10083	15
24.	चण्डीगढ़	1021	90	474	2
25.	दिल्ली	27042	22363	19176	18
26.	पांडिचेरी	851	725	651	2

* ऊपर दर्शाए न गये राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कोई परामर्श अथवा निर्व्यसन केन्द्र नहीं है।

[अनुवाद]

तिहाड़ जेल के कैदी

293. श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री सूर्य नारायण सिंह :
श्री गुल्लापल्ली रामचन्द्रन :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तिहाड़ जेल के लगभग कैदियों जिनमें से अधिकतर टाडा कैदी हैं, ने अपने मुकद्दमों प्रक्रिया को शीघ्र निपटाने की मांग करते हुए क्रमिक भूख हड़ताल की थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने सूचित किया है कि केवल टाडा के अंतर्गत बंदी बनाए गए कैदी पिछले एक पखवाड़े से क्रमिक भूख-हड़ताल पर है। लेकिन ये कैदी खाना लेते रहे हैं

और वे केवल अपना दोपहर का भोजन या तो पहले ले लेते हैं या फिर बाद के लिए स्थगित कर देते हैं। उनकी मुख्य मांगें निम्न प्रकार से हैं :–

(एक) उनके मामलों पर त्वरित विचारण

(दो) अधिक टाडा न्यायालयों की स्थापना

(तीन) टाडा कैदियों की जमानत देना और

(चार) टाडा अधिनियम को समाप्त करना।

माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, टाडा के मामलों की पुनरीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। इस समिति ने अभी तक 394 मामलों में टाडा के उपबंधों को वापस लेने की सिफारिशें की हैं। इनमें से 145 मामलों में टाडा के उपबंधों को हटाने से संबंधित आवेदनों को नामित न्यायालयों द्वारा अस्वीकृत किया गया है। नामित न्यायालय तीन है, जिनमें से एक इस समय केवल टाडा के ही मामलों को निपटा रहा है।

भू-कटाव रोकने हेतु उपाय

294. **श्री अजय मुखोपाध्याय :**
श्री सुदर्शन राय चौधरी :
श्री बसुदेव आचार्य :
डा. असीम बाला :
श्री सुव्रत मुखर्जी :
श्री सुधीर गिरि :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार के गंगा नदी पर भू–कटाव रोकने हेतु उपायों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु केन्द्र सरकार के पास कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन): (क) और (ख). पश्चिमी बंगाल सरकार ने गंगा/पद्मा तथा भगीरथी/हुगली नदी से होने वाले कटाव से सुरक्षा हेतु 356 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत पर एक कार्ययोजना वित्तीय सहायता के लिए भेजी थी। इस योजना में सम्पूर्ण राज्य में उनकी अनुमानित लागत सहित कटावरोधी कार्यों की सूची का उल्लेख है। इस योजना के प्रस्ताव में कोई तकनीकी ब्यौरा नहीं है।

(ग) राज्य सरकार को सलाह दी गयी है कि वह महत्वपूर्ण शहरों, सार्वजनिक उपयोग की स्थापनाओं, जो भूमि सर्वेक्षणों और अन्वेषणों के आधार पर पुनः स्थान निर्धारण के अधीन नहीं है, की सुरक्षा हेतु विशेष योजनाएं तैयार करे।

[हिन्दी]

कोयला खानों में आग

295. **श्री ब्रह्मानन्द मंडल :** क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की कितनी खानों में आग लगी;

(ख) अभी तक कितनी मात्रा में कोयला जलकर राख हो चुका है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपाय किए गए हैं?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी.ए. संगमा) : (क) इस संबंध में उपलब्ध सूचना के अनुसार भारत कोकिंग कोल लि. की 35 कोयला खानें आग से प्रभावित रही है।

(ख) झरिया कोयला क्षेत्र में आग के कारण कोयले के भंडारों में हुई हानि का सही रूप में ब्यौरा देना कठिन है। किन्तु, यह अनुमान लगाया गया है कि लगभग 37 मि.टन कोयले के भंडारों की आग के कारण क्षति हुई है।

(ग) झरिया कोयला क्षेत्र की आगों की समस्या के दीर्घावधि समाधान का पता लगाए जाने के उद्देश्य से झरिया खान अग्नि नियंत्रण तकनीकी सहायता परियोजना, के अंतर्गत एक विस्तृत नैदानिक अध्ययन शुरू किया गया है, जिसके लिए 12.00 मिलियन अमरीकी डालर की विश्व–बैंक की सहायता अनुमोदित की गई है।

[अनुवाद]

सिंचाई परियोजनाएं

296. **श्री हरि सिंह चावड़ा :**
श्री चन्द्रेश पटेल :
श्री दिलीप भाई संघाणी :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत छः माह के दौरान गुजरात सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार की मंजूरी हेतु भेजी गई सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा मंजूर की गई सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा शेष परियोजनाओं को कब तक मंजूरी दे दी जायेगी; और

(घ) कितनी सिंचाई परियोजनाएं केन्द्रीय सरकार द्वारा वापिस लौटा दी गई/अस्वीकृत की गई?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) गुजरात सरकार से पिछले छः महीनों के दौरान स्वीकृति के लिए कोई नयी वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजना प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते।

फोरेंसिक साइंस प्रयोगशाला

297. **श्री अष्ट भुजा प्रसाद शुक्ल:** *क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :*

(क) क्या दिल्ली पुलिस के फोरेंसिक विभाग में बड़ी संख्या में मामले लम्बित पड़े हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार दिल्ली पुलिस की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु एक फोरेंसिक साइंस प्रयोगशाला गठित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) और (ख). दिल्ली पुलिस में कोई विधि विज्ञान विभाग नहीं है। मामलों को भारत के अन्य विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं को भेजा जाता है।

(ग) और (घ). दिल्ली पुलिस, मालवीय नगर पुलिस काम्पलैक्स में अपनी एक विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्थापित करने जा रही है।

रसोई गैस पर राज सहायता

298. **श्री रमेश चेन्निथला** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रसोई गैस का सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा दी जाने वाली राज सहायता को कम करने/समाप्त करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा): (क) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

कोल इंडिया लिमिटेड का लाभ

299. **श्री जगमीत सिंह बराड़ :**
डा. महादीपक सिंह शाक्य :
श्री विलास मुत्तेमवार :
श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में कोल इंडिया लिमिटेड के लाभ का साठ प्रतिशत उसके श्रमिकों को देने की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अन्य बातों के अतिरिक्त इस पेशकश की प्रमुख बातें क्या हैं और इससे किन उद्देश्यों की प्राप्ति होगी;

(ग) 1994–95 के दौरान श्रमिकों के भाग के रूप में कुल कितनी धनराशि अंतर्ग्रस्त होगी;

(घ) क्या श्रमिक संघों ने इस पेशकश के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी.ए.संगमा): *(क) और (ख). जी, हां। सरकार के मार्ग–निर्देशों के अनुसार मजदूरी संबंधी समझौता, उद्योग की अदायगी किए जाने की क्षमता के आधार पर किया जाता है। 40 प्रतिशत राशि को कंपनी के निवेश तथा विकासात्मक आवश्यकताओं के लिए रखकर, कोल इंडिया लि. द्वारा कमाए गए* लाभ के 60 प्रतिशत के बड़े हिस्से का पूंजीगत व्यय को छोड़कर कोयला कामगारों के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान कल्याणकारी उपायों पर खर्च किए जाने की पेशकश की गई है ताकि राष्ट्रीय कोयला मज़दूरी समझौता–5 को तैयार किया जा सके और उत्पादकता में सुधार लाया जा सके।

(ग) कामगारों की मजदूरी में औसतन रूप में वृद्धि की हिस्सेदारी वर्ष 1994–95 के दौरान 134 करोड़ रूपए आएगी।

(घ) और (ङ). मजदूर संघों द्वारा इस पेशकश की जांच की जा रही है।

पिछड़े वर्गों के लिए अतिरिक्त अवसर

300. **श्री अर्जुन सिंह यादव :**
श्री राम कृपाल यादव :

क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के लिए पिछड़े वर्गों के अभ्यार्थियों को अतिरिक्त अवसर, परीक्षा शुल्क में छूट तथा प्रशिक्षण के लिए अतिरिक्त समय देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार का विचार इस संबंध में क्या कदम उठाने का है?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी): (क) से (ग). अन्य पिछड़े वर्गों का 27 प्रतिशत आरक्षण कोटा पूरा करने के उद्देश्य से सरकार ने 13 अक्तूबर, 1994 को परीक्षाओं तथा साक्षात्कारों में मानदण्ड में छूट का लाभ अन्य पिछड़े वर्गों को प्रदान किया है। इसके अलावा, अन्य पिछड़े वर्गों के कमजोर वर्गों के लिए आर्थिक मानदण्ड के आधार पर परीक्षा–पूर्व कोचिंग की केन्द्रीय योजना के तहत परीक्षा–पूर्व कोचिंग भी उपलब्ध है।

अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आयु में छूट, परीक्षा शुल्क से मुक्ति तथा प्रयासों की सं. बढ़ाने के प्रस्ताव की सरकार जांच कर रही है।

[अनुवाद]

जातीय संहार

301. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्वोत्तर राज्यों मे जातीय संहार की घटनाओं में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रक्रिया में राज्य–वार कितने व्यक्ति विस्थापित हुए अथवा अन्य प्रकार से प्रभावित हुए; और

(ग) इस संबध में सरकार की क्या नीति है और इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद): (क) और (ख). पिछले कुछ महीनों में पूर्वोत्तर राज्यों में जातीय हिंसा की घटनाएं होने की सूचना मिली हैं।

2. मई और जून, 1994 में असम में कोकराझारा और बारपेटा जिलों में जातीय हिंसा भड़की थी। परिणामस्वरूप, 60,000 से अधिक व्यक्ति विस्थापित हुए। राहत देने के अलावा, बोड़ो उग्रवादियों के खिलाफ गहन अभियान चलाने के लिए केन्द्रीय अर्ध–सैनिक बलों/सेना की अतिरिक्त टुकड़ियों को तैनात किया गया।

3. मणिपुर में नागा–कुकी झड़पें होना जारी हैं। हिंसक झड़पों में 1994 (30 नवम्बर तक) में 500 घरों के जलाए जाने के अलावा 165 व्यक्ति मारे गए। राज्य सरकार द्वारा विस्थापित व्यक्तियों और अन्य पीड़ितों के लिए राहत उपलब्ध कराई गई है तथा विशेष रूप से मिश्रित जनसंख्या वाले क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है ताकि स्थिति पर नियंत्रण रखा जा सके।

4. अरूणाचल प्रदेश में अखिल अरूणाचल प्रदेश छात्र संघ (ए.ए.पी.एस.यू.) द्वारा जारी किए गए "क्विट नोटिस" के कारण लगभग 2,000 चकमा शरणार्थी, कोकिला आवास छोड़कर असम चले गये थे। वे अब वापस आ चुके हैं। तथापि, 4300 अवैध प्रवासियों के अरूणाचल प्रदेश छोड़कर चले जाने की सूचना है। केन्द्रीय अर्ध–सैनिक बलों की अतिरिक्त इकाइयां तैनात की गईं तथा राज्य सरकार को सभी निवासियों को सुरक्षा प्रदान करने की सलाह दी गई। उन्हें शरणार्थियों के आवासों में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति तथा उचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की सलाह भी दी गयी है।

5. मिजोरम में, 26 सितम्बर, 1994 को एक मिजो वाहन चालक की हत्या के परिणामस्वरूप भीड़ ने आईजोल और मिजोरम के अन्य शहरों में गैर–मिजो और गैर–मिजो प्रतिष्ठानों पर हमले किए। तथापि, राज्य मंत्री (राज्य) द्वारा 14–16 अक्तूबर, 1994 के दौरान किए गए सिलचर और आईजोल राष्ट्रीय मार्ग पर यातायात फिर से शुरू हो गया है। मिजोरम राज्य सरकार ने आईजोल में 27 सितम्बर को हुई घटना की जांच करने के लिए एक जांच आयोग गठित किया है।

(ग) पूर्वोत्तर राज्यों में विविध जातीय समुदाय के लोग रहते हैं जिनके भिन्न–भिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश हैं। क्षेत्र के लोगों की बढ़ती आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए क्षेत्र के त्वरित विकास के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इस बारे में, पूर्वोत्तर राज्यों के आदिवासी समुदाय की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए मंत्रियों की एक समिति गठित की है। इस संदर्भ में प्रधान मंत्री ने आदिवासी समस्याओं का अध्ययन करने के लिए मंत्रियों की एक समिति गठित की है। केन्द्रीय गृह मंत्री इस समिति के अध्यक्ष हैं और आठ अन्य केन्द्रीय मंत्री इसके सदस्य हैं। इसने नई दिल्ली में कई बार विचार–विमर्श किए तथा उसके बाद जून–जुलाई, 1994 के दौरान इन सभी पूर्वोत्तर राज्यों का तीन दलों ने दौरा किया ताकि समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों के साथ विचारों का आदान–प्रदान किया जा सके। इसने अब तक दो अन्य बैठकें की हैं तथा उम्मीद है कि वह जल्दी ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगी।

[हिन्दी]

आउटडोर ब्राडकास्टिंग वैन्स

302. **श्रीमती शीला गौतम :**
श्री प्रभु दयाल कठेरिया :
श्रीमती भावना चिखलिया :
श्री बृजभूषण शरण सिंह :
श्री रामपाल सिंह :
श्री राजेश कुमार :
श्री विश्वनाथ शास्त्री :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 29 सितम्बर, 1994 के दैनिक "नवभारत" में आउटडोर ब्राडकास्टिंग वैन्स के संबंध में प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस समय सरकार के पास कुल कितनी आउटडोर ब्राडकास्टिंग वैन्स उपलब्ध है;

(ग) क्या सरकार ने हाल ही में आउटडोर ब्राडकास्टिंग वैन्स खरीदी है;

(घ) यदि हां, तो इनकी संख्या कितनी है तथा इसका मूल्य कितना है;

(ङ) क्या यह सच है कि इनमें से अधिकतर वैन्स अप्रयुक्त खड़ी हैं;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(छ) सरकार ने इन वैनों को प्रयुक्त करने के लिए क्या कार्यवाही की है; और

(ज) सरकार द्वारा ग्रामीण पहाड़ी एवं सीमावर्ती क्षेत्रों में दूरदर्शन स्टूडियो की कमी को दूर करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री डी.पी.सिंह देव): (क) और (ख). 29 सितम्बर, 94 के नवभारत टाइम्स, नई दिल्ली संस्करण में आउटडोर ब्राडकास्टिंग वैन्स संबंधी कोई समाचार नहीं है। तथापि, दूरदर्शन के अपने नेटवर्क में, वर्तमान में कुल 16 आउटडोर ब्राडकास्टिंग वैन्स हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी, नहीं।

(च) और (छ). प्रश्न नहीं उठते।

(ज) टी.वी. स्टूडियो सुविधाओं का विस्तार करने की दृष्टि से देश के ग्रामीण, पहाडी और सीमावर्ती क्षेत्रों सहित विभिन्न स्थानों पर 16 लघु निर्माण सुविधाऐं/ स्टूडियो सुविधाएं स्थापित की जा रही है। मौजूदा तीन कार्यक्रम निर्माण सुविधा स्टूडियो का और भी संवर्धन किया जा रहा है।

दूरदर्शन में अप्रयुक्त उपस्कर

303. **श्री मृत्युन्जय नायक :**
श्री बारे लाल जाटव :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 9 अक्टूबर, 1994 के संडे मेल में "करोड़ों के उपकरण गोदामों मे जंग खा रहे हैं" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं;

(ग) इन उपस्करों के संचालन हेतु इंग्लैंड भेजे गए दल पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(घ) किराए पर लिए गए 13 बीटा कैमरे पर प्रतिदिन कितने किराये का भुगतान किया गया/किया जा रहा है; और

(ङ) सरकार द्वारा इन उपस्करों के उपयोग हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव): (क) जी, हां।

(ख) और (ङ). ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) एबकास मशीनों के संबंध में प्रचालनात्मक प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु 2 अधिकारियों की यू.के. में प्रतिनियुक्ति पर लगभग 2.5 लाख रूपये व्यय किए गए थे।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(विवरण)

प्रेस रिपोर्ट में यह आरोप लगाया गया है कि लगभग 3.5 करोड़ रूपये की कीमत वाले उपस्कर जिनमें पालटेक्स संपादन मशीनें, एबकास मशीनें, उच्च बैण्ड बीटा कैमरा और उच्च बैण्ड उपस्कर शामिल हैं, दैनिक उपयोग के स्थान पर गोदाम मे अप्रयुक्त पड़े हैं। दूरदर्शन ने 13 बीटा कैमरा किराये पर प्राप्त किए हैं। रिपोर्ट में आगे आरोप लगाया गया है कि दूरदर्शन केन्द्र, पार्लियामेंट स्ट्रीट में एक स्टूडियो को संवाददाताओं के विश्राम कक्ष के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है।

उक्त रिपोर्ट का खंडन किया जाता है। विभिन्न दूरदर्शन केन्द्रों में उपस्कर का आवश्यकता और जनशक्ति की उपलब्धता के आधार पर इष्टतम रूप से उपयोग किया जा रहा है। दो पालटेक्स संपादन मशीनें केन्द्रीय कार्यक्रम निर्माण केन्द्र, दिल्ली में उपयोग की जा रही है और एक मशीन अप्रैल, 1994 तक दिल्ली दूरदर्शन केन्द्र में उपयोग में थी जब इसके स्थान पर एबकास मशीन प्रतिस्थापित की गई। दिल्ली दूरदर्शन केन्द्र के किसी स्टूडियो को समाचार संवाददाताओं के लिए विश्राम कक्ष के रूप में परिवर्तित नहीं किया गया है। दूरदर्शन द्वारा अपने दिन-प्रतिदिन के कार्यकलापों के लिए कोई बीटा कैमरा किराए पर प्राप्त नहीं किया गया है/प्राप्त नहीं किया जा रहा है।

[अनुवाद]

आकाशवाणी और दूरदर्शन का निजीकरण

304. **श्री पी. कुमारासामी :**
डा. लक्ष्मीनारायण पांडेय :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आकाशवाणी, दूरदर्शन और अपलिंकिग सुविधाओं के निजीकरण के संबंध में कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में विलम्ब के क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी.सिंह देव): (क) से (ग). जी, नहीं। आकाशवाणी और दूरदर्शन का निजीकरण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। जहां तक निजी एजेंसियों को अपलिंक सुविधाएं स्थापित करने की स्वीकृति का सम्बन्ध है, मामला सरकार के विचाराधीन है।

अन्तर्राज्यीय जल विवाद

305. **श्री राम सिंह कस्वां**: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय कितने अन्तर्राज्यीय जल विवाद लंबित हैं;

(ख) ऐसे प्रत्येक विवाद की वर्तमान प्रास्थिति क्या है;

(ग) सरकार ने इन विवादों को हल करने के लिए क्या कदम उठाए हैं; और

(घ) इन विवादों को हल करने में अब तक कितनी सफलता मिली है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री पी.के. थुंगन): (क) से (घ). अन्तर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अन्तर्गत दो विवाद नामशः रावी और व्यास के अधिशेष जल का बंटवारा तथा कावेरी जल का बंटवारा, क्रमशः अप्रैल, 1986 और जून, 1990 में अधिकरणों को भेजे गये हैं। रावी और व्यास जल अधिकरण ने जनवरी, 1987 में अपनी रिपोर्ट दे दी है तथा भारत सरकार और भागीदार राज्यों ने इस अधिनियम के अन्तर्गत की गई परिकल्पना के अनुसार अधिकरण को उसकी रिपोर्ट पर स्पष्टीकरण/मार्ग निर्देश मांगने के लिए और पत्र भेजे हैं। कावेरी जल विवाद अधिकरण ने 26.6.1991 को एक आदेश पारित किया है जिसमें तमिलनाडु और पांडिचेरी को अन्तरिम राहत देने के लिए कहा गया है। केन्द्रीय सरकार ने 10.12.1991 को अधिकरण के आदेश को राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जिससे यह विवाद से संबंधित पक्षों पर अंतिम और बाध्य हो गया।

ओखला तक यमुना जल के आबंटन के संबंध में पूरे समझौते पर 12.5.1994 को पहले ही हस्ताक्षर किए जा चुके हैं।

[हिन्दी]

विस्थापितों का पुनर्वास

306. **श्री बीर सिंह महतो:** क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सी.आई.एल./बी.सी.एल. द्वारा उन लोगों के लिए तैयार किए गए विशेष पैकेज का ब्यौरा क्या है जिनकी भूमि का अधिग्रहण किया गया है;

(ख) उनके लिए पैदा किए गए रोजगार के अवसरों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उन लोगों को गत तीन वर्षों के दौरान कोई व्यावसासिक प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान की गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी.ए. संगमा) : (क) कोल इंडिया लि. की सहायक कंपनियों द्वारा अधिग्रहीत की गई भूमि के संबंध में भू-वंचित व्यक्तियों के लिए निर्धारित किए गए पुनर्वास पैकेज का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

अकुशल तथा अर्द्ध-कुशल श्रेणियों में, परियोजना में सृजित होने वाले नए रोजगार के अवसरों की सीमा तक, उक्त रोजगारों को पूर्णत: भू-वंचित व्यक्तियों के परिवारों के लिए आरक्षित रखा जाएगा।

परियोजनाओं में, तरजीह के आधार पर , अन्य श्रेणियों में रोजगार के लिए कुशलता का उन्नयन किए जाने के लिए भू-वंचित व्यक्तियों को उपयुक्त रूप में व्यावसायिक प्रशिक्षण सुविधाएं मुहैया की जाएंगी।

भू-वंचित परिवारों के लिए उपयुक्त संरचनात्मक ढांचों के साथ वैकल्पिक आवास-स्थल मुहैया किए जाएंगे। प्रत्येक भू-वंचित परिवार को 2000/- रू. की राशि स्थानान्तरण भत्ते के रूप में और 5000/- रू. की एकमुश्त राशि आवासीय अनुदान के रूप में दी जाएगी।

अधिग्रहीत की जाने वाली भूमि के लिए नकद मुआवजे की राशि को अग्रिम रूप में जिला प्रशासन के पास जमा कर दिया जाएगा ताकि भूमि से विस्थापित परिवारों को मुआवजे की अदायगी किए जाने में कोई विलंब न हो।

ऐसे परिवार, जिन्हें उनके किसी सदस्य को रोजगार प्राप्त किए जाने का लाभ नहीं मिला है, उन्हें यथानुपात आधार पर प्रति एकड़ 300/-रू. प्रति माह की दर से 20 वर्ष की अवधि के लिए जीवन-निर्वाह भत्ते की अदायगी की जाएगी, जोकि अधिकतम 1000/-रू. प्रतिमाह तथा प्रति परिवार 100/- रूपए प्रतिमाह की अनुग्रह राशि के अधीन होगी।

जीवन-निर्वाह भत्ते की राशि, जैसाकि उपरोक्त दरों के संबंध में उल्लेख किया गया है, को 20 वर्ष के आधार पर पूंजीकृत कर दिया जाएगा और इसे भू-वंचित व्यक्तियों में वितरित किए जाने के लिए सम्बद्ध राज्य सरकार के पास जमा कर दिया जाएगा।

(ख) नए सृजित किए गए रोजगार के अवसर, नई परियोजनाओं से सम्बद्ध अकुशल तथा अर्द्ध-कुशल कार्यों में संबद्ध होंगे।

(ग) जी, हां।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान भर्ती किए गए भू-वंचित व्यक्तियों की संख्या, जिन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया गया है, जो नीचे दर्शाया गया है:

वर्ष	भा.को.को.लि.	को.इं.लि.
1992	192	2525
1993	70	2040
1994	206	1407 (सितम्बर तक)
जोड़	468	5972

[अनुवाद]

गैस का उपयोग

307. **श्री शंकरसिंह वाघेला** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात में उपलब्ध प्राकृतिक गैस का गुजरात राज्य के अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत और सौराष्ट्र, कच्छ क्षेत्र में पाइपलाइनों के माध्यम से घरेलू वितरण हेतु उपयोग की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इस पर कितनी लागत आएगी;

(ग) क्या सरकार ने योजना के क्रियान्वयन के संबंध में निर्णय ले लिया है; और

(घ) यदि हां, तो यह योजना कब तक लागू हो जाएगी?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा): (क) से (घ). घरेलू क्षेत्र को प्राकृतिक गैस बड़ौदा में बड़ौदा नगर निगम द्वारा तथा सूरत/भड़ूच/अंकलेश्वर में गुजरात गैस कम्पनी द्वारा वितरित की जा रही है। अहमदाबाद में घरेलू वितरण हेतु गैस का कोई आबंटन नहीं किया गया है।

कोयला धोवनशालाएं

308. **श्री वसुदेव आचार्य:** क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कोल इंडिया लिमिटेड के अन्तर्गत कितनी कोयला धोवनशालाएं चल रही हैं;

(ख) क्या इस्पात संयंत्रों के लिए धुले हुए कोयले की मांग को पूरा करने के लिए नई धोवनशालाएं स्थापित करने संबंधी कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी.ए. संगमा) : (क) कोल इंडिया हल. (को. इं. लि.) के अंतर्गत 15 कोककर कोयला वाशरियां कार्यरत हैं।

(ख) और (ग). जी, हां। वर्तमान में 2 कोककर कोयला वाशरियां निर्माणाधीन है। एक वाशरी भारत कोकिंग कोल लि. में मधुबंद के स्थान पर (2.50 मि.ट. प्रतिवर्ष) की क्षमता से और दूसरी सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. में (2.60 मि.ट. प्रति वर्ष) केडला के स्थान पर निर्माणाधीन हैं। इसके अलावा, सरकार द्वारा गठित तकनीकी दल की सिफारिशों के अनुसार इस्पात संयंत्रों के लिए धुले कोककर कोयले की देशीय उपलब्धता में वृद्धि किए जाने के लिए कई नई कोककर कोयला वाशरियों की स्थापना की जानी है। इसके अतिरिक्त कई अकोककर कोयला वाशरियों को "स्व–निर्मित स्व–चालित" योजना के अंतर्गत स्थापित किए जाने के लिए विनिर्दिष्ट किया गया है।

[हिन्दी]

दूरदर्शन के बंगलौर केन्द्र द्वारा उर्दू खबरो का प्रसारण

309. **श्री फूलचन्द वर्मा :**
श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :
श्री लोकनाथ चौधरी :
श्री के. जी शिवप्पा :
श्रीमती गीता मुखर्जी :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दूरदर्शन के बंगलौर केन्द्र ने उर्दू खबरों का प्रसारण कन्नड़ कार्यक्रमों के प्रसारण समय में कटौती करके किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इसके कारण राज्य में हुए आन्दोलन ने साम्प्रदायिक रूप ले लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का विचार है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी.सिंह देव) : (क) जी, नहीं। दूरदर्शन द्वारा भाषावार समय का आबंटन नहीं किया जाता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ). कर्नाटक सरकार के अनुसार अक्तूबर, 1994 के पहले पखवाडे में राज्य में हुई हिंसा की घटनाओं के दौरान पुलिस फायरिंग में चार व्यक्ति मारे गए थे।

(ङ) उल्लिखित समाचार बुलेटिन के प्रसारण को दिनांक 9 अक्तूबर, 1994 को अस्थगित कर दिया गया था।

प्रख्यात विभूतियों पर वृत्तचित्र

310. **श्री दत्ता मेघे :**
श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली दूरदर्शन में प्रख्यात विभूतियों पर प्रसारण हेतु लम्बित वृत्तचित्रों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन वृत्तचित्रों का अभी तक प्रसारित न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) इन वृत्तचित्रों को शीघ्र प्रसारित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री. के.पी.सिंह देव): (क) दूरदर्शन पर निम्नलिखित प्रख्यात विभूतियों से संबंधित वृत्तचित्रों का प्रसारण प्रतीक्षित है;

(एक) श्री केशव चन्द्र सेन

(दो) डा. राधानाथ रथ, पदमभूषण; स्वतंत्रता सेनानी और पत्रकार

(तीन) श्री सुधेन्द्र नारायण सिंह देव, पदमश्री और संगीत नाटक अकादमी विजेता–सराईकेला से चाऊ कलाकार

(चार) श्री ब्रजनाथ बदजेना, वीरकथा कवि।

(ख) और (ग). दूरदर्शन द्वारा ये वृत्तचित्र उपयुक्त अवसरों पर प्रसारित किए जाएंगे।

बाल चलचित्र समिति

311. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह:** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष केन्द्रीय सरकार द्वारा देश में बाल चलचित्र समिति का प्रचार हेतु प्रदान की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान बाल चलचित्र समिति के माध्यम से लाभान्वित होने वाले बच्चों की संख्या का ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी.सिंह देव): (क) अपनी योजना स्कीमों को कार्यान्वित करने के लिए राष्ट्रीय बाल एवं युवा चलचित्र केन्द्र (पूर्व में भारतीय बाल चित्र समिति कहा जाता था) को सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों में दिए गए सहायता–अनुदान का ब्यौरा निम्नानुसार है:

1991–92	1,13,69,209/–रूपये
1992–93	1,16,61,275/–रूपये
1993–94	1,11,5,000/–रूपये

(ख) फिल्मों का प्रदर्शन और वितरण रा.बा.एवं यु. चलचित्र केन्द्र द्वारा (1) जिला स्तर पर बाल फिल्मोत्सव संचालित करके (2) थियेटर में 35 एम.एम. फिल्मों का प्रदर्शन करके (3) स्कूलों में 16

एम.एम. फिल्मों का प्रदर्शन करके तथा (4) दूरदर्शन पर फिल्मों का प्रसारण करके किया जाता है।

(1) के संबंध में ऑडियन्स कवरेज का मोटा–अनुमान निम्न प्रकार से हैं:

1991–92	27.40/–लाख
1992–93	12.00/–लाख
1993–94	15.58/–लाख

(2) और (3). के संबंध में आंकड़े नहीं रखे गए हैं क्योंकि कुछ एक शो ही आयोजित किए गए हैं। (4) के लिए राष्ट्रीय बाल एवं युवा चलचित्र केन्द्र को रविवार प्रातः काल में दूरदर्शन के राष्ट्रीय नेटवर्क स्लॉट का लाभ उठा रहा है। इसके अलावा राष्ट्रीय बाल एवं युवा चलचित्र केन्द्र दूरदर्शन द्वारा फिल्मों के प्रसारण हेतु प्रस्तावों को स्वीकार कर लेने पर राष्ट्रीय नेटवर्क एवं क्षेत्रीय केन्द्रों का लाभ उठा रहा है। दूरदर्शन के इन प्रसारणों को देखने वालों की सही संख्या की सूचना उपलब्ध नहीं है।

[अनुवाद]

बंगलादेशी शरणार्थियों को पुनः स्वदेश भेजा जाना

312. **श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :**
श्रीमती वसुन्धरा राजे :
श्री सुशील चन्द्र वर्मा :
श्री रतिलाल वर्मा :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने बंगलादेशी शरणार्थियों को पुनः स्वदेश भेजे जाने के मामले में वर्तमान गतिरोध को सुलझाने के लिए अक्तूबर, 1994 में एक उच्च स्तरीय बैठक बुलायी थी:

(ख) यदि हां, तो इस बैठक का ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या सरकार ने उनको पुनः स्वदेश भेजे जाने के लिए अंतिम रूप से योजना तैयार कर ली है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद): (क) से (घ). जी हां, श्रीमान। राज्य मंत्री (राज्य) द्वारा इस मंत्रालय में 25 अक्तूबर, 1994 को एक बैठक का आयोजन किया गया था। यह नोट किया गया कि फरवरी तथा जुलाई–अगस्त, 1994 में त्रिपुरा से दो चरणों में 5199 चकमा शरणार्थियों को स्वदेश भेजने के बाद, शरणार्थियों के नेताओं ने स्वदेश भेजने की प्रक्रिया पुनः शुरू करने को यह आरोप लगाते हुए अस्वीकार कर दिया कि बंगलादेश सरकार द्वारा दिए गए आश्वासन पूरी तरह कार्यान्वित नहीं किए गये हैं और चिटगांव पर्वतीय क्षेत्र की स्थितियां उनकी वापसी के लिए अनुकूल नहीं है। चकमा शरणार्थी बंगलादेशी राष्ट्रिक होने के कारण, यह जिम्मेदारी बंगलादेश सरकार की है कि वह इस समस्या का संतोषजनक समाधान ढूंढे। भारत सरकार, चकमा शरणार्थियों को स्वदेश भेजने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए सभी प्रयास कर रही है।

[हिन्दी]

बच्चों के लिए चैनल

313. **श्री महेश कनोडिया :**
श्री बृजभूषण शरण सिंह :
श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार "बच्चों के लिए चैनल" की शुरूआत करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह चैनल कब से कार्य करना शुरू कर देगा?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी.सिंह देव): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

हरियाणा में पेट्रोल/डीजल खुदरा बिक्री केन्द्र

314. **श्री नारायण सिंह चौधरी**: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विभिन्न भागों, विशेष रूप से हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों के डीजल/ पेट्रोल के पर्याप्त खुदरा विक्रय केन्द्र नहीं हैं;

(ख) क्या सरकार को इस संबंध में संसद सदस्यों तथा कुछ संगठनों की ओर से अभ्यावेदन प्राप्त हुए है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार इस संबंध में क्या कदम उठा रही है;

(घ) क्या सरकार को खुदरा विक्रय केन्द्रों द्वारा डीजल में मिलावट किये जाने की शिकायतें भी मिली है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा): (क) से (ग). 1.10.1994 की स्थिति के अनुसार देश में 15618 पेट्रोल /डीजल खुदरा बिक्री केन्द्र थे जिनमें से 510 डीलरशिप हरियाणा में कार्यरत थी। हरियाणा सहित देश के विभिन्न भागों से और खुदरा बिक्री केन्द्र खोलने के लिए समय–समय पर अनुरोध प्राप्त होते रहते हैं। तदनुसार वर्तमान खुदरा बिक्री केन्द्र विपणन योजना हरियाणा के लिए 47 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिप शामिल की गई हैं।

(घ) और (ङ). तेल कंपनियों ने रिपोर्ट दी है कि हरियाणा राज्य में डीजल में मिलावट के बारे में उनको एक शिकायत प्राप्त हुई है। जांच करने पर वह सिद्ध नहीं हो सकी।

[अनुवाद]

आकाशवाणी तथा दूरदर्शन में अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारी

315. **श्री काशीराम राणा** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात में आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के केन्द्रों में विभिन्न ग्रुपों में कितने कर्मचारी कार्यरत हैं और उनमें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की संख्या कितनी है;

(ख) इन केन्द्रों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कितने पद खाली पड़े हैं; और

(ग) इन पदों को कब तक भरा जायेगा?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव): (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भारत ईरान गैस पाइपलाइन

316. **श्री श्रवण कुमार पटेल**: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत ईरान गैस परियोजना के अन्तर्गत पाइपलाइन बिछाने संबंधी कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) इस परियोजना की लागत, क्षमता और इससे प्रतिदिन प्राप्त की जाने वाली गैस की मात्रा संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) ईरान भारत पाइपलाइन के संबंध में व्यवहार्यता अध्ययन करने हेतु बोलियां प्राप्त की गई हैं।

(ख) व्यवहार्यता अध्ययन के दौरान परियोजना संबंधी ब्यौरे आकलित किए जाएंगे।

कोयले का उत्पादन

317. **श्री कवीन्द्र पुरकायस्थ** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1993–94 के दौरान असम, मेघालय, और अरूणाचल प्रदेश में कोयले की कितनी मात्रा का उत्पादन हुआ;

(ख) इस्पात संयंत्रों द्वारा इसमें से कितनी मात्रा में कोयले का प्रयोग किया गया;

(ग) क्या कोयले के तरल ईंधन में परिवर्तन की कोई सम्भायना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी.ए. संगमा) : (क) इस संबंध में उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष 1993–94 के दौरान असम, मेघालय और अरूणाचल प्रदेश में 35.00 लाख टन कोयले का उत्पादन किया गया।

(ख) कोयले की उपर्युक्त मात्रा में से लगभग 3.00 लाख टन कोयले की आपूर्ति इस्पात संयंत्रों को की गई थी।

(ग) और (घ). इस क्षेत्र का कोयला उच्च निश्चित कार्बन के साथ पूचकारी मूल का होने अधिक हाइड्रोजन होने और निम्न राख का होने के कारण असम कोयले को तरल ईंधन में परिवर्तित किए जाने की संगावना अधिक है। एक प्रायोगिक संयंत्र (थ्रू–पुट 25 कि. ग्रा. प्रति दिन), जो कि निरन्तर दो चरणीय तरलता पर आधारित है, उक्त संयंत्र आयल इंडिया लि., दुलियाजान के स्थल पर निर्माण के अग्रिम चरण में है।

रसोई गैस बाटलिंग संयंत्र

318. **श्री के. प्रधानी** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का उडीसा में रसोई गैस बाटलिंग संयंत्र लगाए जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो संयंत्र लगाने के लिए किन–किन स्थानों का चयन किया गया है, और

(ग) इन संयंत्रों की कब तक स्थापना की जायेगी?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) फिलहाल उड़ीसा राज्य में एल पी जी भरण संयंत्र लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों में रसोई गैस का विपणन

319. **श्री लालबाबू राय** :

श्री छेदी पासवान :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रसोई गैस का विपणन करने पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा): (क) से (ग). उत्पाद संबंधी कठिनाइयों के कारण वर्तमान में सरकारी, तेल कंपनियों हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में एल पी जी (रसोई गैस) विपणन के विस्तार के संबंध में कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

कोयला परियोजना में संयुक्त उद्यम

320. **श्री धर्मण्णा मॉडय्या सादुल :**
श्री जार्ज फर्नान्डीज :
श्री नुरूल इस्लाम :
श्री शरत् पटनायक :
श्री मोहन रावले :
श्रीसैयद शहाबुद्दीन :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कोयला परियोजनाओं में संयुक्त उद्यम में विदेशी कम्पनियों को इक्विटी भागीदारी देने के लिए कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम के प्रावधानों में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार और विदेशी कंपनियों के बीच किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) संबंधित औपचारिकताएं कब तक पूरी कर लिए जाने की संभावना है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी.ए. संगमा): (क) और (ख). सरकार ने, लौह एवं इस्पात बनाने के लिए पूर्ववर्ती प्रावधानों के अतिरिक्त विद्युत उत्पादन के लिए कोयला खनन में निजी क्षेत्र की भागीदारी को अनुमति देने, कोयला वाशरियों को स्थापित किए जाने और समय-समय पर सरकार द्वारा अन्य अंतिम प्रयोगों के लिए अधिसूचित किए जाने के लिए कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 को दिनांक 9.6.1993 को पहले ही संशोधित कर दिया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ). प्रश्न ही नहीं उठता।

सरदार सरोवर परियोजना

321. **डा. सुधीर राय:** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरदार सरोवर परियोजना से कितने परिवार प्रभावित हुए हैं;

(ख) अब तक कितने परिवारों को वहां से हटाया गया तथा उनका पुनर्वास किया गया है; और

(ग) पुनर्वासित परिवारों को दी गई सुविधाओं का ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन): (क) से (ग). सरदार सरोवर परियोजना द्वारा प्रभावित परिवारों की कुल संख्या तथा परियोजना से प्रभावित इन परिवारों के संबंध मे अक्तूबर, 1994 के अन्त तक पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन की प्रगति निम्नवत् है:

राज्य	जिस राज्य में बसाया गया	परियोजना से प्रभावित परिवारों की कुल संख्या	31अक्तूबर, 1994 तक पुनर्वास एवं पुर्नस्थापन की प्रगति (परियोजना से प्रभावित परिवारों की संख्या	
			आवासीय प्लाट	कृषि भूमि
गुजरात	गुजरात	4600	4268	4332
महाराष्ट्र	गुजरात	999	690	690
	महाराष्ट्र	2114	841	884
	कुल	3113	1531	1574
मध्य	गुजरात	14124	2153	2529
प्रदेश	मध्य प्रदेश	18890	671	–
	कुल	33014	2824	2529
	कुल योग	40727	8623	8435

पात्र परिवारों को आवासीय भूखण्ड और कृषि भूमि के आबंटन के अलावा परियोजना से प्रभावित परिवारों को जीवन-निर्वाह भत्ते का भुगतान, पुनर्वास अनुदान, अनुग्रह राशि, उत्पादक परिसम्पत्ति तथा प्राथमिक विद्यालयों, कुएं, हैन्डपम्प, ट्राजिट शेड, बीमा सुरक्षा एवं विद्युतीकरण जैसी नागरिक सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। परियोजना से प्रभावित कुछ लोगों को रोजगार भी प्रदान किया जाता है।

[हिन्दी]

बाढ़ नियंत्रण के लिए कोष

322. **डा. अमृतलाल कालिदास पटेल** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार ने बाढ़ नियंत्रण उपायों के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य-वार कितनी धनराशि का आबंटन किया है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन): बाढ नियंत्रण राज्यों का विषय है इसलिए बाढ नियंत्रण योजनाओं का वित्त पोषण और प्रबन्ध राज्य सरकारों द्वारा अपनी स्वयं की प्राथमिकताओं के अनुसार अपने स्वयं के संसाधनों से किया जाता है। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य योजना के अंतर्गत बाढ नियंत्रण के लिए प्रावधान का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है:

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	परिव्यय
1	2	3
	राज्य	
1.	आन्ध्र प्रदेश	113.54
2.	अरूणाचल प्रदेश	4.71
3.	असम	86.85

1	2	3
4.	बिहार	251.71
5.	दिल्ली	40.00
6.	गोवा	0.90
7.	गुजरात	10.00
8.	हरियाणा	552.00
9.	हिमाचल प्रदेश	6.00
10.	जम्मू तथा कश्मीर	40.75
11.	कर्नाटक	11.00
12.	केरल	65.00
13.	मध्य प्रदेश	8.53
14.	महाराष्ट्र	1.46
15.	मणिपुर	20.00
16.	मेघालय	8.54
17.	मिजोरम	0.25
18.	नागालैण्ड	1.50
19.	उडीसा	542.05
20.	पंजाब	125.00
21.	राजस्थान	25.30
22.	सिक्किम	0.00
23.	तमिलनाडु	30.00
24.	त्रिपुरा	8.00
25.	उत्तर पद्रेश	70.00
26.	पश्चिम बंगाल	280.00
	कुल राज्य	1333.09
	संघ शासित क्षेत्र	
27.	अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह	0.05
28.	चंडीगढ	0.00
29.	दादरा तथा नगर हवेली	0.02
30.	दमन तथा दीव	1.17
31.	लक्षद्वीप	2.60
32.	पांडिचेरी	4.44
	कुल संघ शासित क्षेत्र	8.28
	कुल राज्य तथा संघ शासित क्षेत्र	1341.37
	केन्द्रीय क्षेत्र	282.00
	कुल योग	1623.37

पिछड़ी जातियां

323. **डा. परशुराम गंगवार:** क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कुल आबादी में पिछड़ी जातियों के प्रतिशत का राज्य संघ राज्य/क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) पिछड़ी जातियों की सामाजिक और आर्थिक दशा में सुधार करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार कुल जनसंख्या में पिछड़ी जातियों की प्रतिशतता के संबंध में जनगणना आंकडे उपलब्ध नहीं है। तथापि, मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट में, देश में अन्य पिछड़ी जातियों की जनसंख्या 52 प्रतिशत आकलित की थी।

(ख) पिछडी जातियों की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

(1) सरकार ने दिनांक 8.9.93 से सिविल सेवाओं और पदों में अन्य पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण नीति कार्यान्वित की है।

(2) 13 जनवरी, 1992 को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम की स्थापना की गई जिसका उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ स्वरोजगार चलाने के लिए वित्तीय सहायता मंजूर करते हुए पिछड़ी जातियों का आर्थिक विकास करना है।

(3) अन्य पिछड़े वर्गों सहित कमजोर वर्गों के उम्मीदवारों को प्रतियोगी तथा प्रवेश परीक्षाओं में अन्य उम्मीदवारों के समान प्रतियोगिता हेतु समर्थ बनाने के लिए परीक्षा पूर्व कोचिंग।

[अनुवाद]

कानून और व्यवस्था की स्थिति

324. **डा. कृपा सिन्धु भोई:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मिजोरम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में कानून और व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद): (क) और (ख). जी हां, श्रीमान्। इस मंत्रालय में राज्य मंत्री (राज्य) ने 14-16 अक्तूबर, 1994 तक के अपने सिलचर, असम और एजवल, मिजोरम के दौरे के दौरान मिजोरम में व्याप्त कानून और व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की। मिजोरम और असम के मुख्यमंत्रियों के साथ किए गए विचार-विमर्श और उसके बाद किए परामर्श के परिणामस्वरूप एजवल-सिलचर राजमार्ग पर यातायात शुरू हो गया। 27 सितम्बर, 1994 को एजवल में हुई घटनाओं की जांच करने के लिए मिजोरम राज्य सरकार ने एक जांच आयोग स्थापित किया है। इससे पहले, मणिपुर के राज्यपाल और उत्तर-पूर्वी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ 19 जुलाई, 1994 को नई दिल्ली में हुई एक बैठक में गृह मंत्री ने सभी उत्तर-पूर्वी राज्यों की स्थिति की समीक्षा की। राज्य मंत्री (आन्तरिक सुरक्षा) ने भी 28 अक्तूबर, 1994 को शिलांग में हुई एक बैठक में सुरक्षा संबंधी मामलों की समीक्ष की। इन समीक्षाओं में विस्तृत विचार-विमर्श के बाद, अनेक निर्णय लिए गए जिनमें अन्य के साथ-साथ, राज्य पुलिस बल को सुदृढ करना, विद्रोह-विरोधी अभियान के समन्वय को अधिक कारगर बनाना, आसूचना एकत्र करने और उसके आदान-प्रदान के कार्य में सुधार और बढ़ोत्तरी करना सम्मिलित है।

[हिन्दी]

कोयले की आपूर्ति

325. **श्री चन्द्रेश पटेल:** क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान लघु, मध्यम और भारी उद्योगों को आवंटित कोयले की किस्मों और मात्रा का राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इसके आवंटन की दर क्या है;

(ग) इसकी मांग का ब्यौरा क्या है;

(घ) इसकी कम आपूर्ति का अंतर कितना है;

(ङ) उक्त अवधि के दौरान निकाले गए कोयले की विभिन्न किस्मों का ब्यौरा क्या है; और

(च) कोयले के उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी.ए. संगमा): (क) से (घ). कोयले की मांग का मूल्यांकन क्षेत्र–वार किया जा रहा है और न की यह राज्य–वार किया जा रहा है। इसी तरह से कोयले की आपूर्ति के आंकडे क्षेत्र–वार रखे जाते हैं और न की राज्य–वार रखे जाते हैं। वर्ष 1992–93 और 1993–94 के वर्षों के दौरान कोल इंडिया लि. और सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि. से राज्य–वार आपूर्ति किए गए कोयले के संबंध में उपलब्ध सूचना संलग्न विवरण–I में दी गयी है। कोल इंडिया लि. के स्रोतों से कोयले के ग्रेड–वार तथा क्षेत्र–वार की गई आपूर्ति का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) पिछले दो वर्षों के दौरान कोल इंडिया लि0 के स्रोतों से हुए कोयले के उत्पादन के ग्रेड–वार आंकड़े नीचे दिए गए हैं:

(आंकड़े अनुतिम)
(लाख टन में)

ग्रेड	1992–93	1993–94
अ-कोककर		
ए	44.83	42.93
बी	226.81	219.65
सी	434.36	416.99
डी	197.44	238.34
ई	270.62	277.43
एफ	529.76	562.04
जोड़ अ–कोककर	1703.82	1757.38
कोककर कोयला	408.34	403.67
समग्र	2112.16	2,161.05

(च) उत्पादन में सुधार किए जाने के लिए कोयला कंपनियों द्वारा उठाए गए कदमों में निम्न कदम शामिल हैं–नई खानों का खोला जाना, आधुनिकीकरण द्वारा विद्यमान खानों में उत्पादकता तथा कार्य कुशलता में सुधार लाया जाना, नई प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाना, और आगत तथा आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता का समय पर सुनिश्चित किया जाना। इसके अतिरिक्त, निजी क्षेत्र को विशिष्ट ग्रहीत उपयोगों के लिए कोयला उत्खनन किए जाने की अनुमति दी जा रही है।

विवरण-I

कोल इंडिया लि. तथा सिंगरेनी कोलियरीज़ कंपनी लि. के स्रोतों से की गई राज्य-वार कोयले की आपूर्ति

(आंकड़े अनंतिम)
(लाख टन में)

राज्य का नाम	1992–93	1993–94
आंध्र प्रदेश	243.28	255.46
असम	7.60	5.45
बिहार	208.70	194.46
दिल्ली	57.45	62.01
गुजरात	153.20	157.80
हरियाणा	46.35	32.57
हिमाचल प्रदेश	2.30	1.93
जम्मू एवं कश्मीर	1.19	0.49
कर्नाटक	41.10	49.12
केरल	3.46	3.01
मध्य प्रदेश	346.20	373.07
महाराष्ट्र	248.36	281.73
उड़ीसा	116.87	110.20
पंजाब	71.80	82.30
राजस्थान	52.23	55.15
तमिलनाडु	100.36	106.85
उत्तर प्रदेश	337.25	356.06
पश्चिम बंगाल	192.80	191.99
अन्य	8.14	6.19

विवरण -II

वर्ष 1992-93 और 1993-94 के दौरान ग्रेड-वार/क्षेत्र-वार किया गया कोयले का प्रेषण

मिलियन टन में आंकड़ें अनंतिम

ग्रेड	वर्ष	विद्युत	इस्पात	सीमेंट	उर्वरक	लेको	हाईकोक/ साफ्ट कोक	समग्र रूप (अन्य सहित) में
अकोककर कोयला								
ग्रेड–ए	92–93	0.47	0.21	0.27	0.00	0.65	0.00	4.15
	93–94	0.91	0.34	0.44	0.00	0.26	0.00	3.64
ग्रेड–बी	92–93	7.46	0.93	1.90	0.30	1.96	0.00	21.21
	93–94	8.82	0.46	2.90	0.27	1.44	0.00	21.81
ग्रेड–सी	92–93	29.49	0.64	3.37	1.13	0.20	0.14	40.94
	93–94	29.90	0.64	3.16	1.41	0.09	0.13	40.42
ग्रेड–डी	92–93	12.66	0.00	2.32	0.72	0.00	0.19	18.72
	93–94	16.89	0.06	1.42	0.89	0.00	0.14	22.49
ग्रेड–ई	92–93	24.91	0.08	0.22	0.62	–	0.13	28.86
	93–94	26.06	0.03	0.08	0.56	–	0.05	30.32
ग्रेड एफ	92–93	30.26	0.14	0.16	0.00	–	0.01	51.06
	93–94	46.32	1.69	0.02	0.00	–	0.01	54.37
कोककर कोयला								
	92–93	13.67	18.56	0.29	1.19	–	0.88	39.91
	93–94	15.15	17.65	0.13	1.03	–	0.73	40.31

[अनुवाद]

तेल क्षेत्र परियोजनाएं

326. श्री जितेन्द्र नाथ दास: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग और भारतीय तेल निगम ने तेल क्षेत्र में कुछ बड़ी परियोजनाएं हाथ में ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन परियोजनाओं पर कितना धन व्यय किया जाएगा; और

(घ) इन परियोजनाओं पर अब तक कितनी प्रगति हुई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (घ). आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड वर्तमान में निम्नलिखित प्रमुख परियोजनाएं क्रियान्वित कर रहा है:

1. नीलम विकास
2. बाम्बे हाई साउथ में वृद्धिमान तेल प्रतिपूर्ति परियोजना (एल –3 इन्फिल)
3. बाम्बे हाई नार्थ में एल –2 विकास
4. पन्ना फील्ड विकास (पी–बी, डी, ई कूप प्लेटफार्मस तथा संबद्ध सुविधायें)
5. दक्षिण हीरा विकास (फेज–I+II)
6. द्वितीय बेसिन इजीरा ट्रंकलाइन तथा हजीरा पर तटवर्ती टर्मिनल सुविधाएं।
7. आई सी पी–हीरा ट्रंकलाइन परियोजना।
8. बाम्बे हाई में एस–I सेन्ड विकास।
9. गांधार फील्ड विकास फेज–II

इन परियोजनाओं के संबंध में लगभग 16,740 करोड़ रूपए की लागत प्रत्याशित है तथा आठवीं योजना अविध के दौरान चरणों में इनका पूरा किया जाना संभावित है।

इंडियन आयल कार्पोरेशन वर्तमान में निम्नांकित प्रमुख परियोजनाएं क्रियान्वित कर रहा है:

1. डिगबोई रिफाइनरी का आधुनिकीकरण
2. पानीपत रिफाइनरी
3. डिगबोई रिफाइनरी में केटेलिटिक रिफार्मर
4. बरौनी में केटेलिटिक रिफार्मर
5. मथुरा में केटेलिटिक रिफार्मर

6. कांडला–भटिंडा उत्पाद पाइपलाइन।

इन परियोजनाओं के संबंध में लगभग 7504 करोड़ रूपये लागत प्रत्याशित है तथा वर्ष 1997–98 तक चरणों में इनका पूरा किया जाना संभावित है।

अपराधों पर रोक के लिए भारत बंगलादेश वार्ता

327. **श्री जार्ज फर्नांडीज :**

डा. साक्षीजी :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और बंगलादेश ने सीमा पर अपराधों की रोकथाम के लिए हाल ही में कोई बातचीत या समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस समझौते को कब तक लागू किया जाएगा?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) से (ग). हाल ही में, सीमा सुरक्षा बल तथा बंगलादेश राईफल्स के महा निदेशकों के बीच ढाका में बातचीत हुई जहां पर सीमा पार से होने वाले अपराधों सहित विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई। दोनों पक्ष तस्करी सहित सीमा पार होने वाले अपराधों को रोकने के लिए सभी संभव उपाय करने पर सहमत हुए।

पी.के. कौल समिति

328. **प्रो. सावित्री लक्ष्मणन** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पी.के. कौल समिति की सिफारिशों को लागू कर दिया है; और

(ख) यदि नहीं , तो जिन सिफारिशों को अब तक लागू नहीं किया गया है उनका ब्यौरा और कारण क्या हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख). पी.के. कौल समिति की मुख्य सिफारिशों में से सरकार ने निम्नलिखित सिफारिशें कार्यान्वयन हेतु स्वीकार कर ली हैं :

1. ओ. एन. जी. सी. को कंपनी अधिनियम के अन्तर्गत एक सार्वजनिक लि. कंपनी में परिवर्तित करना;
2. हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय का सृजन करना; और
3. नई गठित कंपनी की इक्विटी का 20प्रतिशत विनिवेश ओ. एन. जी. सी. का तीन कंपनियों मे पुनर्गठन करने के लिए समिति की सिफारिश सरकार द्वारा मंजूर नहीं की गई है, क्योंकि ऐसी यूनिटों के पास अपेक्षित संसाधन जुटाने अथवा संयुक्त उद्यम भागीदार बना पाने के लिए वित्तीय ताकत नहीं होगी तथा उक्त यूनिटों में से एक तो वित्तीय रूप से व्यवहार्य भी नहीं हो सकती है।

समाचार-पत्रों और पत्रिकाओं का पंजीकरण

329. **श्री अमर राय प्रधान :**
डॉ. साक्षीजी :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष समाचार–पत्रों और पत्रिकाओं के पंजीकरण हेतु राज्य–वार संघ राज्य क्षेत्र–वार कितने आवेदन प्राप्त हुए;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कितने समाचार पत्र और पत्रिकाएं पंजीकृत की गई; और

(ग) शेष समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को कब तक पंजीकृत कर दिया जाएगा?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) विवरण–I संलग्न है।

(ख) विवरण–II संलग्न है।

(ग) प्रेस तथा पुस्तक रजिस्ट्रेशन अधिनियम के अन्तर्गत अपेक्षित कुछ कागजातों को प्रेषित करने के लिए समाचार–पत्रों/पत्रिकाओं को कहा गया है। अपेक्षित कागजातों के प्राप्त होने के पश्चात् पंजीकरण हेतु उनके मामले पर विचार किया जाएगा।

विवरण -I

प्रत्येक तीन वर्षों के दौरान समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के पंजीकरण हेतु प्राप्त आवेदनों की संख्या राज्य/संघ शासित प्रदेशवार

राज्य/संघ शासित प्रदेश	1992	1993	1994 (30.11.94) तक
1	2	3	4
आन्ध प्रदेश	195	210	183
अरूणाचल प्रदेश	1	3	5
असम	21	46	60
बिहार	134	103	115
गोवा	1	1	4
गुजरात	74	112	142
हरियाणा	63	73	93
हिमाचल प्रदेश	12	14	6
जम्मू और कश्मीर	44	30	24
कर्नाटक	227	236	260
केरल	109	184	67
मध्य प्रदेश	345	383	485
महाराष्ट्र	480	522	389
मणिपुर	6	15	8
मेघालय	1	10	4
मिजोरम	8	12	2

1	2	3	4
नागालैण्ड	1	5	3
उड़ीसा	106	95	106
पंजाब	49	38	55
राजस्थान	260	214	513
सिक्किम	1	3	3
तमिलनाडु	164	180	142
त्रिपुरा	8	5	7
उत्तर प्रदेश	507	970	942
पश्चिम बंगाल	221	179	168
अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	2	11	3
चंडीगढ़	21	23	15
दिल्ली	401	457	502
पांडेचेरी	1	2	5

विवरण-II

उक्त अवधि अर्थात 1992,1993,और 1994(30.11.94 तक) के दौरान पंजीकृत समाचार पत्रों और पत्रिकाओं की संख्या

राज्य/संघ शासित प्रदेश	1992	1993	1994 (30.22.94) तक
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	49	54	87
अरूणाचल प्रदेश	–	1	2
असम	12	9	16
बिहार	57	29	34
गोवा	1	1	–
गुजरात	31	29	31
हरियाणा	42	31	60
हिमाचल प्रदेश	8	–	5
जम्मू और कश्मीर	11	8	11
कर्नाटक	50	80	110
केरल	24	35	36
मध्य प्रदेश	198	185	190
महाराष्ट्र	138	117	125
मणिपुर	2	–	2
मेघालय	–	–	1
मिजोरम	2	3	–
नागालेण्ड	–	1	–
उड़ीसा	37	38	36

1	2	3	4
पंजाब	30	19	33
राजस्थान	236	182	159
सिक्किम	1	–	–
तमिलनाडु	70	58	75
त्रिपुरा	4	1	2
उत्तर प्रदेश	422	500	446
पश्चिम बंगाल	56	53	70
अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	1	5	2
चण्डीगढ़	4	7	5
दिल्ली	252	210	307
पांडेचेरी	1	–	2

पेट्रोल डीजल खुदरा बिक्री केन्द्र

330. डॉ. साक्षी जी : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पेट्रोल/डीजल के खुदरा बिक्री केन्द्रों के आवंटन हेतु क्या मानदंड अपनाए जाते हैं; और

(ख) 1993–94 के दौरान उत्तर प्रदेश में कितने पेट्रोल/डीजल के खुदरा बिक्री आवंटित किये गये?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) अनुमोदित विपणन योजनाओं में सम्मिलित स्थानों के लिए खुदरा बिक्री केन्द्रों को तेल चयन बोर्डो द्वारा उन व्यक्तियों से आवेदन पत्रों को आमंत्रित करने के पश्चात जो उम्र, शैक्षिक योग्यता, वार्षिक आय आवास तथा बहुडीलरशिप मानदंडों जैसी पात्रता को पूरा करते हैं, चयन करके दिया जाता है। कुछ खुदरा बिक्री केन्द्रों को सरकार द्वारा अनुकम्पा आधार पर भी आवंटित किया जाता है।

(ख) वर्ष 1993–94 के दौरान उत्तर प्रदेश में 94 खुदरा बिक्री केन्द्र आवंटित किए गए थे।

न्यू कैंडा कोयला खान

331. श्री हाराधन राय : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) न्यू कैंडा कोयला खान में भूमिगत आग को बुझाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) उस पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ग) इस आग के कारण कुल कितना कोयला नष्ट हुआ और उसका बाजार मूल्य क्या है; और

(घ) शेष कोयले को बचाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी.ए. संगमा) : (क) नई कैंडा कोलियरी में भूमिगत खान में आग को बुझाने तथा इसे अलग किए जाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

(1) शुरूआत में 15 इंच की ब्रिक–स्टौपिंग, जोकि संख्या में 27 थी, उन्हें आग क्षेत्र के चारों तरफ निर्मित किया गया था।

(2) इन स्टौपिंगों को इसके बाद एक मीटर में और सुदृढ़ीकृत कर दिया गया था।

(3) इस तरह से सील किए गए क्षेत्र का विभागीयकरण फ्रांसीसी तकनीक द्वारा (मैरिफ्लैक्स का प्रयोग करते हुए) सतही बोर–होल की सहायता से किया गया था।

(4) सील किए गए क्षेत्र में निष्क्रिय गैस (नाइट्रोजन एवं कार्बन डाई–आक्साइड) का छिडकाव।

(ख) कोल इंडिया लि. (को. इं. लि.) ने यह सूचित किया है कि सितम्बर, 1994 तक लगभग 6.6 करोड़ रूपए की राशि खर्च की गई थी।

(ग) आग के कारण कोयले की मात्रा में हुई हानि का पता केवल इस क्षेत्र के पुनः खोले जाने के बाद ही पता चल सकेगा। सील किए गए क्षेत्र में 37 कोयला पिल्लर हैं और इनमें लगभग 175 लाख टन कोयला बन्द पड़ा है।

(घ) चूंकि ये 37 पिल्लर पृथक स्टौपिंग द्वारा पृथक किए गए हैं अतः, कोयले की परिस्थिति के बारे में कोई जानकारी नहीं है। आग अब बुझने की स्थिति में है और जैसे ही आग पूर्णतः बुझ जाएगी, तभी क्षेत्र को पुनः खोल दिया जाएगा। कोयले की तथा स्ट्राटा की स्थिति की विस्तृत रूप में जांच की जाएगी और बंद पड़े कोयले की निकासी के संबंध में अपेक्षित कार्रवाई की जाएगी।

अपर कृष्णा स्टेज-II प्रोजेक्ट

332. श्री डी. वेंकटेश्वर राव : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक राज्य में आलमट्टी स्थित अपर कृष्णा स्टेज–II परियोजना संबंधी विवाद की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इस विवाद को सुलझाने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्य सरकारों ने इस विवाद पर अपना–अपना विचार प्रकट कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) से (ङ). कर्नाटक की ऊपरी कृष्णा चरण–II परियोजना पर विवाद मुख्यतः प्रस्तावित पूर्ण जलाशय स्तर (एफ. आर. एल.) तथा अलमाती बांध के द्वारों के ऊपरी सिरे से संबंधित हैं। जब कि कृष्णा जल विवाद अधिकरण द्वारा कर्नाटक को आवंटित 700 टी. एम. सी. जल में से इस परियोजना के लिए कर्नाटक सरकार द्वारा निर्धारित 173 टी. एम. सी. जल के उपयोग हेतु पूर्ण जलाशय स्तर 518.7 मीटर है, कर्नाटक सरकार द्वारा ऊपरी कृष्णा चरण–II परियोजना की संशोधित परियोजना रिपोर्ट में, जो दिसंबर, 1993 में तकनीकी–आर्थिक मूल्यांकन हेतु केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्त हुई है, द्वारों का ऊपरी सिरा 521 मीटर जलाशय स्तर पर रखने का प्रस्ताव किया गया है, इस प्रकार जलाशय में अतिरिक्त भंडारण प्रदान किया गया है। जबकि आंध्र प्रदेश सरकार ने जलाशय में अतिरिक्त भंडारण पर आपत्ति की है, कर्नाटक सरकार का मत है कि अतिरिक्त भंडारण का उपयोग विद्युत उत्पादन के लिए किया जाना है और जल का समग्र उपयोग 173 टी. एम. सी. तक ही सीमित रखा जाना है। इस परियोजना तथा कृष्णा बेसिन की अन्य परियोजनाओं पर मतभेदों को हल करने के लिए अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग को कृष्णा बेसिन राज्यों की शासकीय स्तर की अंतर्राज्यीय बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं।

रसोई गैस एजेंसियों पर मारे गए छापे

334. श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार में जाली प्राथमिकता वाउचरों के आधार पर रसोई गैस कनेक्शन दिए जाने का पता लगाने के लिए रसोई गैस एजेंसियों पर गत तीन वर्षों के दौरान कितने छापे मारे गए;

(ख) इन अनियमितताओं में संलिप्त पाई गई एजेंसियों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) इन छापों के परिणामस्वरूप कितने कनेक्शन निरस्त किये गये?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग). गत तीन वर्षों के दौरान बिहार राज्य में कोई छापे नहीं मारे गए थे।

तेल कंपनियों द्वारा निर्धारित निरीक्षणों के दौरान जाली वरीयता वाउचरों पर एल. पी. जी. (रसोई गैस) कनेक्शन दिए जाने संबंधी जांच भी की जाती है। साबित हुए अनियमिताओं संबंधी मामलों में विपणन अनुशासन दिशा–निर्देशों के तहत कार्रवाही की जाती है।

राष्ट्रीय चैम्पियनशिप स्तर के खेलों का प्रसारण

335. श्री के.जी. शिवप्पा : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि नवम्बर के मध्य में राजस्थान में आयोजित राष्ट्रीय खो–खो मैचों का देश के किसी भी दूरदर्शन केन्द्र ने प्रसारण नहीं किया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कबड्डी, वालीबाल, बैडमिन्टन आदि जैसी अन्य राष्ट्रीय चैम्पियनशिप स्तर के खेलों का देश के किसी भी दूरदर्शन केन्द्र द्वारा सीधा प्रसारण नहीं किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार क्रिकेट की तरह उपरोक्त राष्ट्रीय चैम्पियनशिप खेलों का सीधा प्रसारण करने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) राजस्थान में कोई राष्ट्रीय खो–खो मैच आयोजित नहीं किया गया। तथापि, जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय खो–खो टूर्नामेंट दूरदर्शन केन्द्र, जयपुर द्वारा कवर किया गया तथा टी. वी. रिपोर्ट के साथ–साथ दैनिक समाचार बुलेटिन में इसको प्रसारित किया गया।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (छ). खेलकूद प्रतियोगिताओं का सीधा प्रसारण अवस्थित माइक्रोवेव लिंक की उपलब्धता आदि पर निर्भर करता है तथापि मान्यता प्राप्त खेलों के सभी राष्ट्रीय स्तरीय टूर्नामेन्टों को दूरदर्शन पर समुचित कवरेज प्रदान की जाती है।

[हिन्दी]

गुजराती और सिन्धी में फिल्में

336. **श्री हरिन पाठक** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान निर्मित गुजराती और सिन्धी फिल्मों की संख्या कितनी है;

(ख) दिल्ली दूरदर्शन अथवा देश के अन्य रिले केन्द्रों (गुजरात के केन्द्रों को छोड़कर) द्वारा गत दो वर्षों के दौरान अब तक इन फिल्मों का कितनी बार प्रसारण किया गया; और

(ग) गुजराती फिल्मों के निर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) भारत में फीचर फिल्मों का निर्माण विस्तृत रूप से निजी क्षेत्र में किया जाता है। अतः फीचर फिल्मों के निर्माण से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध नहीं है। तथापि, केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, स्वयं द्वारा प्रमाणित फिल्मों से सम्बन्धित आंकड़ों को रखता है।

कलैण्डर वर्ष 1992 तथा 1993 के दौरान बोर्ड द्वारा कोई सिन्धी फीचर फिल्म प्राप्त नहीं की गयी है। वर्ष 1992 तथा 1993 के दौरान बोर्ड द्वारा प्राप्त और प्रमाणित की गई गुजराती फीचर फिल्मों की संख्या क्रमशः 5 और 3 हैं।

(ख) अब तक (गुजरात को छोड़कर) पिछले दो वर्षों के दौरान प्रसारित पचपन फिल्मों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

	गुजराती	सिन्धी
दूरदर्शन केन्द्र, बम्बई	33	2
दूरदर्शन केन्द्र, कलकत्ता	4	2
दूरदर्शन केन्द्र, दिल्ली	12	2
कुल	49	6

(ग) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम आलेख/प्रस्ताव के गुण–अवगुण पर निर्भर करते हुए गुजराती तथा सिन्धी सहित विभिन्न भाषाओं में फिल्मों के निर्माण हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाता है।

कोशी नदी पर बांध का निर्माण

337. **श्री सूर्य नारायण यादव** : क्या **जल ससांधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेपाल सरकार से वार्ता के पश्चात उत्तरी बिहार में कोशी नदी पर एक बांध निर्माण संबंधी कोई निर्णय लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अभी तक क्या प्रगति हुई है; और

(ग) इस परियोजना पर निर्माण कार्य कब तक शुरू कर दिया जाएगा?

जल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री एवं जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) से (ग). नेपाल में कोसी नदी पर कोसी बांध के परियाजना पैरामीटरों को अंतिम रूप देने के लिए संयुक्त अध्ययन/अन्वेषण करने के वास्ते भारत और नेपाल में सहमति हो गयी है। वास्तविक प्रगति नेपाल से मिलने वाले सहयोग पर निर्भर करेगी।

[अनुवाद]

कोयला भण्डारण केन्द्र

338. **डा. रमेश चन्द तोमर** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश में कोयला भंडारण केन्द्रों का स्थान–वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उनकी स्थापना हेतु क्या कसौटी/मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश में और अधिक भंडारण केन्द्र की स्थापना का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी.ए. संगमा) : (क) कोल इंडिया लि. (को. इं. लि.) के अनुसार वर्तमान में वे उत्तर प्रदेश में कोई भी स्टाक–यार्ड नहीं खोल रहे हैं।

(ख) से (घ). चालू स्टाकयार्ड नीति के अंतर्गत नई स्टाकयार्डों को स्थापित किए जाने एवं उनका प्रबंधन किए जाने की जिम्मेवारी सम्बद्ध राज्य सरकारों की होती है। राज्य सरकारों द्वारा मुहैया कराए गए प्रायोजनों के अनुसार इन स्टाकयार्डों को प्रेषण के लिए कोयला कंपनियां द्वारा कोयले की पेशकश की जाएगी। कोयला स्टाकयार्डों के लिए आवश्यकताओं का मूल्यांकन, उन्हें स्थापित करने और उन्हें कोयले के प्रयोजन के संचलन के बारे में राज्य सरकारों द्वारा कार्रवाई की जाएगी।

नागपुर में भगदड़ में हताहत व्यक्ति

339. **श्री मती गिरिजा देवी :**
श्री साईमन मरांडी :
श्री श्रीकांत जेना :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागपुर में एक आदिवासी जुलूस पर पुलिस द्वारा किए गए लाठी चार्ज के परिणामस्वरूप हुई भगदड़ में कई लोग मारे गए थे;

(ख) यदि हां, तो उक्त घटना में कितने लोग हताहत हुए;

(ग) क्या सरकार ने इस घटना की जांच का आदेश दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) और (ख). महाराष्ट्र राज्य सरकार से मिली सूचना के अनुसार आदिवासी गोवारी समाज संगठन द्वारा 23 नवम्बर, 94 को नागपुर में निकाले गए एक मोर्चा के दौरान अनियंत्रित भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को लाठी चलानी पड़ी। इससे भारी भगदड़ मच गई । मृत व्यक्तियों की नवीनतम संख्या 113 (18 पुरूष, 12 लड़के, 12 लड़कियां तथा 71 महिलाएं) हैं। लगभग 81 व्यक्ति घायल हुए थे जिन्हें विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया।

(ग) और (घ). राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय न्यायिक जांच प्रारम्भ की है।

वनांचल

340. **श्री अन्ना जोशी** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल जिलों को मिलाकर एक अलग वनांचल राज्य बनाए जाने की पुरजोर मांग की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के आदिवासी-बहुल जिलों को मिलाकर एक पृथक वनांचल राज्य गठित किए जाने के लिए हाल ही में कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

आकाशवाणी से संबंधित सलाहकार समिति

341. **श्री एन. जे. राठवा:** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में आकाशवाणी से संबंधित सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो समिति के सदस्य कौन-कौन हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस समिति का पुनर्गठन कब तक कर दिया जायेगा?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ). समितियों के शीघ्र ही पुनर्गठित किए जाने की संभावना है।

[अनुवाद]

एमनेस्टी इन्टरनेशनल रिपोर्ट

342. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जम्मू और कश्मीर में मानवाधिकारी की स्थिति के संबंध में ऐमनेस्टी इन्टरनेशनल की गतिविधियों की जानकारी है; और

(ख) जम्मू और कश्मीर में मानवधिकारों की स्थिति के बारे में कुछ संगठनों के भ्रामक प्रचार को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का विचार है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) एमनेस्टी इंटरनेशनल, समय-समय पर जम्मू एवं कश्मीर राज्य में सुरक्षा बलों द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोपों को गृह मंत्रालय में भेजती रही है। मानवाधिकारों के ऐसे कथित उल्लंघनों के बारे में रिपोर्ट भी एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा जारी की जाती रही है जिन्हें साथ ही साथ राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय मीडिया में व्यापक प्रचार मिलता रहा है। इन रिपोर्टों में अक्सर अतिरंजित और सामान्य प्रकृति के आरोप भी लगाए जाते हैं। यह पाया गया है कि इन रिपोर्टों में प्रकाशित, बड़ी संख्या में आरोप बढ़ा-चढ़ा कर और अत्यधिक तोड़-मरोड़कर पेश किए गए हैं।

(ख) एमनेस्टी इंटरनेशल और अन्य संगठनों द्वारा सामान्यीकृत और बढ़ा-चढ़ा कर लगाए गए आरोपों का खण्डन भारत सरकार द्वारा निरन्तर दृढ़तापूर्वक किया गया है। इन संगठनों द्वारा लगाए गए आरोपों और रिपोर्टों में उल्लिखित विशिष्ट आरोपों में से अधिकांश के वास्तविक ब्यौरों सहित सरकार द्वारा विदेश स्थित हमारे मिशनों के माध्यम से तत्काल प्रत्युत्तर दिया गया जिन्होंने इनका प्रसार प्रेस विज्ञप्तियों और प्रत्यक्ष सम्पर्कों के माध्यम से किया। इनके संबंध में राष्ट्रीय समाचार माध्यमों में रिपोर्टें आईं। इसी के साथ-साथ, एमनेस्टी इंटरनेशनल के साथ बातचीत में और अन्य मंचों पर सरकार द्वारा यह बात जोर देकर कही गई कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि मानवाधिकार के उल्लंघनों से संबंधित मामलों में सभी संबंधित व्यक्तियों द्वारा कानून की उचित प्रक्रिया का अनुकरण और सम्मान किया जाए। सरकार ने यह भी स्पष्ट रूप से कहा है कि जब भी पुलिस/सुरक्षा बल कार्मिकों के खिलाफ ज्यादतियों की शिकायतें प्राप्त होती हैं तो तुरन्त उनकी जांच-पड़ताल कराई जाती है और दोषी, यदि कोई हो तो, पाए गए व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाती है।

स्वायत्त जिला परिषद

343. **श्री चित्ता बसु :**
श्री बीर सिंह महतो :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में असम राज्य में करबी एंगलांग और नार्थ कछार हिल्स नामक दो जनजाति बहुल जिलों को "स्वायत्त क्षेत्र" का दर्जा प्रदान करने के बारे में कोई समझौता हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या राज्य के भीतर इन दोनों जिलों को "स्वायत्त क्षेत्र" का दर्जा प्रदान करने के लिए संविधान में संशोधन किए जाने की आवश्यकता होगी;

(घ) यदि हां, तो उपरोक्त समझौते को लागू करने के लिए संविधान में संशोधन करने हेतु संसद में कब तक विधेयक लाने का विचार है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस संबंध में अधिसूचना कब तक जारी कर दी जाएगी?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) से (ङ). असम राज्य में कोई "स्वायत्तशासी क्षेत्र" नहीं है । अतः इस संबंध में कोई ब्यौरा नहीं दिया जा सकता है।

तथापि, असम राज्य में करबी एंगलांग और उत्तरी कछार हिल्स स्वायत्तशासी जिला परिषदों को अतिरिक्त शक्तियां देने के बारे में विचार-विमर्श किया गया है।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम

344. **श्री अंकुशराव टोपे :**
श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अल्पसंख्यकों में पिछड़े वर्गों के आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम ने कार्य करना शुरू कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके मुख्यालय और शाखा कार्यालय किन-किन स्थानों पर खोले गए हैं या खोले जाने का निर्णय लिया गया है;

(घ) क्या ऋण प्रदान करने के मानदण्ड और शर्तें तैयार कर ली गई हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अभी तक कितना ऋण वितरित किया गया है;

(च) किन-किन राज्यों के अल्पसंख्यक इससे लाभान्वित हुए हैं और कितने परिवार लाभान्वित हुए हैं; और

(छ) सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों के लाभार्थ इस योजना को प्रभावकारी ढंग से लागू करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं या उठाए जाने का विचार है?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने 500 करोड़ रूपए की प्राधिकृत शेयर पूंजी से एक राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एन. एम. डी. एफ. सी.) की स्थापना अल्पसंख्यकों के बीच पिछडे वर्ग के, विशेषकर महिलाओं और व्यावसायिक समूहों को प्राथमिकता देते हुए आर्थिक और विकासात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए की है।

(ग) एन. एम. डी. एफ. सी. अभी ए. आर. ए. सेन्टर ई-2 झंडेवालान विस्तार नई दिल्ली 110055 में स्थित है। अभी इसका कोई शाखा कार्यालय नहीं है। फिर भी राज्य स्तर पर यह राज्य अल्पसंख्यक निगम और/अथवा अन्य ऐसे संगठन के माध्यम से जिसका इस प्रयोजन के लिए निर्धारण किया गया है, काम करेगा।

(घ) जी, हां।

(ङ) और (च). इस संबंध में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को जारी दिशा निदेश की एक प्रति संलग्न विवरण में दी गई है। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से अनुरोध किया गया है कि इस संबंध में प्रस्ताव भेजें । अब तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(छ) योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सभी सम्भव प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के साथ यह मामला कल्याण राज्य मंत्री के स्तर से उठाया गया है।

विवरण

एन. एम. डी. एफ. सी. से आवधिक ऋण और सीमान्तधनराशि सहायता के लिए प्रस्ताव/(परियोजना) प्रस्तुत करने के दिशानिदेश।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम से आवधिक ऋण तथा सीमान्त धनराशि के लिए प्रस्तावों (परियोजनाओं) को प्रस्तुत करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम की स्थापना निम्नलिखित उद्देश्यों से की गई है:

(1) व्यावसायिक समूहों और महिलाओं को प्राथमिकता देते हुए अल्पसंख्यकों के बीच "पिछडे वर्गों" के लाभ हेतु आर्थिक और विकासशील कार्यकलापों को बढ़ावा देना।

(2) सरकार द्वारा समय-समय पर यथा निर्धारित आय और/या आर्थिक मानदंड की शर्त के अधीन आर्थिक और वित्तीय दृष्टि से बनी योजनाओं और परियोजनाओं के लिए ऋण और अग्रिम राशि देकर अल्पसंख्यकों के व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह को सहायता प्रदान करना।

(3) अल्पसंख्यकों के लाभ के लिए श्रम रोजगार तथा अन्य अवसर प्रदान करना।

(4) केन्द्रीय सरकार द्वारा या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धान्तों या योजनाओं के अनुसार समय-समय पर यथा निर्धारित ब्याज की दरों पर ऋण और अग्रिम राशि मंजूर करना।

(5) स्नातक या उच्चतर स्तर पर सामान्य/व्यावसायिक/तकनीकी शिक्षा या प्रशिक्षण पाने के लिए अल्पसंख्यकों के पात्र सदस्यों को ऋण और अग्रिम राशि देना।

(6) उत्पादन यूनिटों के उचित और कुशल प्रबन्ध हेतु अल्पसंख्यकों की तकनीकी और उद्यम कौशल के उन्नयन में सहायता।

(7) वित्तीय सहायता या शेयर अंशदान उपलब्ध कराकर और वाणिज्य निधि प्राप्ति में या पुनः वित्त पोषण करके अल्पसंख्यकों के विकास में लगे राज्य स्तर और अन्य संगठनों को सहायता देना।

(8) अल्पसंख्यकों के आर्थिक विकास के लिए उनकी सहायता करने हेतु काम करने की जिम्मेदारी सौंपने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा गठित सभी निगमों/बोर्डों/अन्य निकायों के कार्य का समन्वय, मानीटरिंग करने के लिए एक शीर्षस्थ संस्था के रूप में कार्य करना।

(9) अल्पसंख्यकों के विकास के लिए सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों को बढावा देने में सहायता।

लक्षित समूह

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम के लिए सीधे लाभ के संबंध में लक्षित समूह अल्पसंख्यकों में सें उन वर्गों के लोग होंगे जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय गरीबी की रेखा से दुगुनी नीची होगी, जो वर्तमान में 22000/- रूपए प्रति वर्ष आती है। तरजीह व्यावसायिक समूह तथा महिलाओं को दी जाएगी।

माध्यम एजेंसी

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम अल्पसंख्यकों से संबधित राज्य स्तरीय निगमों के माध्यम से और राज्य निगमों/निकायों के ऐसे निगमों के माध्यम से कार्य करेगा जो राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा नामित की जा सकती है। तथापि, यदि इस प्रकार की कार्रवाई के औचित्य को ठहराने वाली अपवादात्मक परिस्थितियां होंगी तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम सीधा व्यक्तियों को और अल्पसंख्यकों के समूहों को धन की व्यवस्था कर सकेगा।

महिलाओं, कारीगरों और दस्तकारों तथा अन्य व्यावसायिक समूहों के कल्याण के लिए लघु कारोबार सेवाएं तथा औद्योगिक यूनिटों की स्थापना करने के लिए गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से भी सहायता मुहैया कराई जाएगी।

वित्त पोषित किए जाने वाले कार्यकलाप

विभिन्न प्रकार के आय के स्रोतों की वृद्धि करने के लिए अल्पसंख्यक उद्यमियों को सहायता प्रदान की जाएगी।

प्रस्ताव ऐसे होने चाहिए जो लाभ प्राप्तकर्ताओं को गरीबी की रेखा से ऊपर ले जाने के लिए आय के स्रोत उत्पन्न करने में सक्षम हों। यह एक महत्वपूर्ण पहलू है क्योंकि लाभ प्राप्तकर्त्ताओं के लिए पर्याप्त आय उत्पन्न किए बगैर कम सहायता प्रदान करने का कोई लाभ नहीं होगा। अन्य बातों के साथ-साथ वित्त व्यवस्था किए जाने के लिए निम्नलिखित प्रकार के कार्यकलाप पर भी विचार किया जा सकता है। ये विस्तारपूर्व नहीं, परन्तु संक्षेप में है।

(क) दस्तकारी तथा परम्परागत व्यवसाय

अल्पसंख्यक दस्तकारों तथा व्यावसायिक समूहों के विद्यमान परम्परागत व्यवसाय तथा व्यापार हैं जैसेः ताला बनाना, करलरी, धातु के बर्तन तथा सभी प्रकार के पीतल के बर्तन, चिकन वर्क, शीशा एवं मिट्टी के बर्तन, हस्तकला तथा हस्तशिल्प और दरीयां बनाना और बढ़ईगिरी, लकड़ी का कार्य, विदरी कार्य, कपड़ा सिलाई का काम, डेयरी फार्मिंग, पशुपालन आदि।

(ख) लाभ प्राप्तकर्ता महिलाएं

जरूरतमंद महिलाओं को काम और लाभप्रद रोजगार प्रदान करने के लिए किसी प्रकार के आर्थिक कार्यकलाप को शुरू किया जा सकता है जिसके माध्यम से वे पर्याप्त आय प्राप्त करने और अपने परिवार की आय को बढ़ा सकें। आय को बढ़ाने वाले कार्यकलाप लघु कारोबार से लाएं, औद्योगिक यूनिटों आदि की स्थापना करने संबंधी हो सकती है। विभिन्न चीजों के उत्पादन के लिए छोटी औद्योगिक यूनिटें उत्पादन केन्द्र के रूप में अथवा प्रशिक्षण व उत्पादन केन्द्रों के रूप में स्थापित की जा सकती हैं। नियमित आधार पर बड़े उपक्रमों को उत्पादों की आपूर्ति करने के लिए बड़े औद्योगिक उपक्रमों की आनुषांगक यूनिटें खोली जा सकती हैं।

हाथ के बुने वस्त्रों तथा अन्य हाथ से बने अन्य वस्त्रों के उत्पादन के लिए यूनिटों के अलावा हस्तशिल्प की वस्तुओं, परम्परागत तथा दैनिक प्रयोग वाली वस्तुओं के उत्पादन के लिए विभिन्न प्रकार की यूनिटें भी आरम्भ की जा सकती हैं।

स्वरोजगार उद्यम भी वहां स्थापित किए जा सकते हैं जहां किसी केन्द्रीय यूनिट/कार्य स्थल में जाने के बजाय महिलाएं आर्थिक कार्यकलाप कर सकते हैं। जिनमें सिलाई मशीन, बुनाई मशीन और हस्तकरघा आदि तथा कच्चे माल आदि की छोटी सहायता उपलब्ध हो।

(ग) सामान्य

1. कृषि तथा संबंधित कार्य

(i) कृषि उत्पादन, पशु पालन, मुर्गा पालन, मधुमक्खी पालन आदि जैसे संबंधित क्षेत्र।

(ii) परम्परागत सेवा (कीटनशक स्प्रे, फसवा आदि), कृषि उपकरणों को किराए पर लेना, कृत्रिम गर्भाधान, आदि जैसी कृषि सेवाओं के लिए उपकरणों की खरीद।

(iii) अल्पसंख्यकों से संबंधित सहकारी समितियों/कृषकों की संस्थाओं के माध्यम से कृषि विपणन। श्रेणीकरण तथा पैकिंग गृहों की स्थापना तथा कृषि उत्पादों आदि के विपणन के लिए यातायात के वाहनों की खरीद।

(iv) कृषि बाजारों में कमीशन एजेंट।

2. तकनीकी व्यवसाय स्वरोजगार

ग्राम/ताल्लुक स्तर पर इलेक्ट्रीशियन, नल साज, शीट मेटल, टी.वी., रेडियो मरम्मत, मोटर मैकेनिक, टायर पंचर मरम्मत, साइकिल,टेक्सी आटो-रिक्शा, मरम्मत, वल्कनीकरण, रेफ्रीजेरशन मैकेनिक आदि जैसे तकनीकी व्यवसाय इनमें शामिल हैं।

3. छोटे कारोबार

इनमें शामिल हैं-लघु कारोबार, चाय की दुकान, पान की दुकान, अंडे बेचना, जनरल प्रोविजन स्टोर, लाउन्ड्री, पोपकोर्न, पाठ्य

पुस्तकों की दुकान, मैगजीन की दुकान , समाचार पत्र, हरकारा का कार्य, फोटो कॉपीयर संबंधी कार्य, टाईपराइटिंग तथा शब्द संसाधन कार्य इत्यादि।

4. लघु पैमाने के तथा छोटे उद्योग

हवाई चप्पल बनाना, हेयर ब्रुश बनाना, दियासलाई बनाना, पापड़ जेम, पिकलेट, बने बनाए वस्त्र आदि।

(घ) परिवहन सेवा

इनमें शामिल हैं–किराये पर लिए आटो, रिक्शा–साइकिल रिक्शा, टेम्पो, बैलगाड़ी, तथा अन्य पशुओं से चलाई जाने वाली गाडियां, साइकिल किराए पर लेने की आदि।

वित्त पोषण की किस्म

फिलहाल निगम निम्नलिखित प्रकार की वित्तीय सहायता के बारे में विचार कर सकता है :

(क) आवधिक ऋण

निगम द्वारा राज्य अल्पसंख्यक निगमों और राज्य सरकारों द्वारा नामित अन्य राज्य एजेंसियों के माध्यम से किसी उद्यमी अथवा उद्यमियों के समूहों को आवधिक ऋण मंजूर करने के बारे में विचार किया जा सकता है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम द्वारा इस प्रकार से मंजूर किए गए ऋणों के बारे में संबंधित राज्य सरकारों द्वारा गारंटी दिया जाना आवश्यक है। दिए जाने वाले ऋण से संबंधित विशेष बातें निम्नलिखित हैं :

1. ऋण की मात्राएं

(क) उच्च निर्धारित पूंजी घटक वाली परियोजना के लिए परियोजना लागत के 85 प्रतिशत तक ऋण की मंजूरी दी जा सकती है। ऋण की मात्रा प्रति लाभग्राही 85,000 रूपए से अधिक नहीं होगी। परियोजना की शेष लागत राज्य प्रायोजन एजेंसी की ऋण/बीज पूंजी, बढ़ावा देने वाले (लाभग्राही) के अंशदान और बैंक कैश क्रेडिट लिमिट से पूरी की जाएगी।

(ख) उच्च कार्यकारी पूंजी घटक वाली परियोजना के लिए ऋण की मात्रा परियोजना की कुल लागत पर निर्भर करेगी।

1. जब योजना की कुल लागत 25,000 रूपए से अधिक न हो तो योजना मिश्रित ऋण के रूप में मानी जाएगी और निर्धारित पूंजी तथा कार्यकारी पूंजी के बीच किसी प्रकार का वातावरण नहीं किया जाएगा। ऐसे मामलों में ऋण की मंजूरी कुल लागत के 85 प्रतिशत तक की जा सकती है।

2. जब परियोजना की इकाई लागत 25,000 रू. से अधिक किन्तु 40,000 रू. से अधिक न हो तो निर्धारित पूंजी का अनुपात कार्यकारी पूंजी की तुलना में 1:2.5 से अधिक नहीं होगा उदाहरण के लिए निर्धारित पूंजी लागत 8000/- रू. हो तो कार्यकारी पूंजी 8000×2.5 अथवा 20,000 रू. से अधिक नहीं होगी।

3. जब योजना की इकाई लागत 40,000/- रू. से अधिक हो तो परियोजना की इकाई लागत तक पहुंचने के लिए परियोजना लागत की कार्यकारी पूंजी के रूप में केवल 40 प्रतिशत कार्यकारी पूंजी जोड़ी जाएगी। परियोजना लागत के केवल 85 प्रतिशत तक आवधि ऋण/सीमान्त धनराशि मंजूर की जाएगी और ऋण की मात्रा प्रति लाभग्राही 85,000 से अधिक नहीं होगी। कार्यकारी पूंजी के शेष भाग का प्रायोजन बैंकों से कैश क्रेडिट लीमिट के रूप में किया जाएगा।

2. ब्याज की दर

परिवहन क्षेत्र के अतिरिक्त किसी अन्य परियोजना के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम द्वारा अदा की जाने वाली ब्याज की दर 4.5 प्रतिशत होगी जिसमें राज्य अल्पसंख्यक निगमों अथवा इस उद्देश्य के लिए नामित अन्य एजेंसी द्वारा शीघ्र भुगतान किए जाने पर 0.5 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। राज्य एजेंसियां उक्त ऋण–ऋण प्राप्तकर्ता लाभग्राहियों को पुनः 6 प्रतिशत ब्याज दर पर देंगे।

परिवहन क्षेत्र योजना के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम द्वारा किये जाने वाले ब्याज की दर निम्न प्रकार है:

1. स्वचालित रिक्शों के लिए परियोजना की इकाई लागत के 85 प्रतिशत तक की मंजूरी दी जाएगी जो राज्य की माध्यम एजेंसियों को (शीघ्र पुनर्भुगतान के लिए 0.5 की छूट सहित) विद्यमान 4.5 प्रतिशत और 7.5 प्रतिशत ब्याज दरों पर प्रति लाभग्राही अधिकतम 85,000 रूपए तक होगी और पुनः ब्याज पर दिए जाने की दर गरीबी की रेखा से नीचे के लाभग्राहियों और गरीबी की रेखा के दूने से नीचे के लाभग्राहियों के लिए क्रमशः 6 प्रतिशत और 9 प्रतिशत प्रतिवर्ष होगी। लागत का शेष 15 प्रतिशत माध्यम एजेंसी और लाभग्राही के बीच बट जाएगा।

2. अन्य परिवहन क्षेत्र की योजनाओं जैसे बसों, मिनी बसों, हल्के व्यावसायिक वाहनों एवं टैक्सियों के लिए परियोजना की इकाई लागत के 85 प्रतिशत तक आवधिक ऋण की मंजूरी दी जाएगी जो प्रति लाभग्राही अधिकतम 85,000 रू. होगी। तथापि, ऐसी योजनाओं के लिए लाभग्राही समूह को एक लाख से अधिक रू. के आवधिक ऋण पर ब्याज की दर प्रतिवर्ष 10.5 प्रतिशत समयानुसार पुनर्भुगतान के लिए 0.5 प्रतिशत छूट होगी जिसमें लाभग्राहियों की संख्या और उनके गरीबी की रेखा अथवा उससे दूने के नीचे होने पर विचार नहीं किया जाएगा। राज्य माध्यम एजेंसियों द्वारा लाभग्राहियों को पुनः ऋण देने पर ब्याज की दर प्रतिवर्ष 12 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। लागत का शेष 15 प्रतिशत राज्य माध्यम एजेंसी और लाभग्राही के बीच बंट जाएगा।

3. पुनर्भुगतान अवधि

समस्त ऋण का पुनर्भुगतान एक उचित समयावधि में किया जाएगा जो ऋण स्थगन अवधि सहित 10 वर्षों से अधिक नहीं होगी। पुनर्भुगतान अर्द्धवार्षिक/त्रैमासिक आधार पर किया जाएगा पुनर्भुगतान की अवधि प्रस्तावित परियोजना द्वारा सृजित संभावित धनराशि के आधार पर निर्धारित की जाएगी।

4. सुरक्षा

राज्य सरकार की गारंटी सामूहिक गारंटी अथवा प्रतैयक अलग–अलग मामले में गारंटी की जाती है। बार–बार दोषी होने की स्थिति में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम को यह अधिकार होगा कि वह गारंटी बुलाए अथवा सम्बद्ध एजेंसी की भावी परियोजना के वित्त पोषण में से अपनी किस्तों को कम कर दे।

5. ऋणों का संवितरण

संस्वीकृत ऋण का संवितरण राज्य एजेंसी द्वारा सूचित एवं विधिवत् अभिप्रमाणित पूंजी के अनुसार किया जाएगा । उन मामलों में जहां सम्बद्ध राज्य स्तरीय निकायों के समक्ष नकदी की समस्याएं हों तो ऐसी स्थिति में मंजूर परियोजनाओं के लिए कुछ अग्रिम निर्मुक्ति पर विचार किया जा सकता है। इन अग्रिम भुगतानों पर बैंक की सामान्य ब्याज पर (न्यूनतम 18 प्रतिशत) से देय होगी। यदि इनका संवितरण लाभग्राहियों को तीन महीने के भीतर नहीं कर दिया जाता।

6. प्रतिबद्धता शुल्क

(क) मंजूरी की तारीख से छः महीने के भीतर न ले ली गई ऋण राशि पर प्रति वर्ष 0.5 प्रतिशत का प्रतिबद्धता शुल्क तक लगाया जाएगा।

(ख) सीमान्त धनराशि की सहायता : राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम अल्पसंख्यक उद्यमियों को राज्य अल्पसंख्यक विकास एंव वित्त निगम अथवा राज्य सरकार द्वारा नामित अन्य सरकारी एजेसियों के माध्यम से सीमान्त ऋण मंजूर करने पर विचार कर सकता है। ऐसे प्रस्तावों में सामान्यतः वित्त पोषण की निम्नलिखित पद्धति की परिकल्पना की गई है;

1. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम का अंशदान–25%
2. राज्य एजेंसी का अंशदान–10%
3. सरकारी राज सहायता यदि कोई हो, सहित बैंक वित्त –60%
4. लाभग्राहियों का अंशदान–5%

कुल -100%

सीमान्त धनराशि योजना की मुख्य विशेषताएं नीचे दी गई हैं:

1. सीमान्त धनराशि की मात्रा प्रति लाभग्राही परियोजना लागत का 25 प्रतिशत अथवा 25,000 रू. जो भी कम हो, होगी।

2. सीमान्त धनराशि प्रतिवर्ष एक प्रतिशत प्रभारित सेवा शुल्क पर मंजूरी की जाएगी।

3. सीमान्त धनराशि लाभग्राही से वसूल की जाएगी जिसके साथ–साथ उसी अनुपात में बैंक ऋण की, जो सीमान्त धनराशि बैंक ऋण के रूप में होगी। इन वसूलियों के आधार पर राज्य अल्पसंख्यक निगम अथवा अन्य एजेंसी सीमान्त धनराशि की किस्तों के पुनर्भुगतान का प्रस्ताव करेगी। सीमान्त धनराशि की वसूली की अवधि किसी भी हालत में 10 वर्षों से अधिक नहीं होगी जिसमें ऋण स्थगन की अवधि भी शामिल होगी।

4. सीमांत धनराशि के पुनर्भुगतान की गारंटी संबंधित राज्य के राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी।

5. मंजूर की गई धनराशि का संवितरण राज्य एजेंसी द्वारा सृजित और विधिवत अभिप्रमाणित पूंजी के अनुसार किया जाएगा। उन मामलों में जहां संबंधित राज्य स्तरीय निगम को नगदी की समस्या का सामना करना पड़ रहा हो, तो ऐसे में संस्वीकृत परियोजना के लिए कुछ अग्रिम धनराशि दिए जाने पर विचार किया जा सकता है। ऐसे अग्रिम भुगतानों पर बैंक का सामान्य ब्याज दर (न्यूनतम 18 प्रतिशत) लागू होगा, यदि इसका संवितरण लाभग्राहियों को चार महीने के भीतर नहीं किया जाता।

टिप्पणी : आवधिक ऋण अथवा सीमान्त ऋण की मंजूरी केवल किसी पात्र अल्पसंख्यक उद्यमी के लिए ही की जाएगी।

मुम्बई बम विस्फोटों के संबंध में गिरफ्तारियां

345. **श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :**
श्री आनन्द अहिरवार :
श्री फूल चन्द वर्मा :
श्री अन्ना जोशी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुम्बई बम विस्फोटों मे प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से शामिल कितने व्यक्तियों को अब तक गिरफ्तार किया गया है;

(ख) ऐसे कितने व्यक्ति अभी तक फरार हैं;

(ग) उन्हें गिरफ्तार करने के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं;

(घ) मुम्बई के नामनिर्दिष्ट न्यायालय में इन मामलों की सुनवाई की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने इस मामले की जांच में इंटरपोल की सहायता मांगी है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट): (क) बम्बई बम–विस्फोट मामले में उनकी अन्तर्ग्रस्तता के लिए अभी तक 156 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं।

(ख) 38

(ग) भारत में और विदेशों में, फरार–अभियुक्त व्यक्तियों को पकड़ने के लिए सभी सम्भव उपाय किए जा रहे हैं। इस संबंध में इन्टरपोल से मदद मांगी गयी है। इन फरार व्यक्तियों में से 16 जो विदेशों में बताए जाते हैं, को गिरफ्तार और निरूद्ध करने के लिए इन्टरपोल के माध्यम से रेड कार्नर नोटिस जारी करवाए गए हैं। इन्टरपोल से 10 अन्य फरार व्यक्तियों के खिलाफ रेड कार्नर नोटिस जारी करने का अनुरोध भी किया गया है। इन्टरपोल को 4 फरार व्यक्तियों के ब्यौरे भी दिए जा रहे हैं जिनके बारे में बताया जाता है कि वे विदेशों में हैं, ताकि इन्टरपोल उनके खिलाफ भी रेड कार्नर नोटिस जारी कर सके।

(घ) इस मामले का विचारण 14.7.94 से शुरू हो गया है। प्रत्येक अभियुक्त के खिलाफ आरोप तैयार करने, उनकी विशिष्ट भूमिका बताने के लिए अभियोगपक्ष की तरफ से अपना पक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है। बम्बई नामित न्यायालय अब अभियुक्तों के पक्ष की सुनवाई कर रहा है। इसके पूरा हो जाने के बाद और अभियोग पक्ष द्वारा उत्तर देने के बाद, अभियुक्तों के खिलाफ आरोप लगाए जाएंगे।

(ङ) और (च). इस मामले में देश के बाहर जांच–पड़ताल करने और विदेशों में छुपे हुए, फरार व्यक्तियों का पता लगाने में भी इन्टरपोल की सहायता मांगी गयी है।

[हिन्दी]

कोल इंडिया लि. की योजनाएं

346. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लि. को सात नई योजनाएं आरंभ करने के लिए मंजूरी मिल गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन योजनाओं के लिए क्या वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(घ) अभी तक इन योजनाओं पर कितनी धनराशि खर्च की गई है और इसमें कितने व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी.ए. संगमा) : (क) से (घ). आठवीं योजना के शुरूआत के शुरूआत से अभी तक सरकार द्वारा कोल इंडिया लि. की 6 नई खनन–परियोजनाओं को (जिसमें एक विस्तार परियोजना शामिल है) को स्वीकृति दे दी गई है। नई कोयला खनन परियोजनाओं का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	परियोजना/कंपनी का नाम	लक्षित क्षमता (मि. टन प्रतिवर्ष)	पूंजीगत लागत (करोड़ रु. में)	श्रमशक्ति व्यवस्था (सं.)
1.	बकुलाई भू.ग., ई.को.लि.	0.96	104.66	2068
2.	समलेश्वरी. ओ. का., म.को.लि.	3.00	126.85	984
3.	दुधीचुआ ओका (विस्ता.), नाकोलि	10.00	868.93	3208
4.	गोड़ेगांव ओ. का., व. को लि.	0.75	67.96	674
5.	पारेज ओं का., से. को. लि.	1.75	116.19	980
6.	परीमारी ओ. का., से.को.लि.	1.30	95.33	735

इन योजनाओं के अंतर्गत 30.9.1994 तक 484 करोड रू. (अनंतिम) की राशि खर्च की गई है। कोयला कंपनियां सामान्यतः उनके पास पहले से ही उपलब्ध श्रमशक्ति को नियोजित करके नई परियोजनाओं पर कार्य शुरू करती है।

विदेशियों का अपहरण

347. **श्री पंकज चौधरी** :
श्री जनार्दन मिश्र :
श्री देवी बक्स सिंह :
डा. पी. वल्लल पेरूमान :
श्री नारायण सिंह चौधरी :
कुमारी सुशीला तिरिया :
श्री माणिकराव होडल्या गावीत :
श्री परसराम भारद्वाज :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में तीन ब्रिटिश और एक अमेरिकी नागरिक को अपहरणकर्त्ताओं से छुड़ाया गया था;

(ख) यदि हां, तो अपहरण की इस घटना में कौन सा आतंकवादी संगठन शामिल था;

(ग) अभी तक इस मामले में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं और वे किन–किन देशों के नागरिक हैं; और

(घ) अपहरण की ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का विचार है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. एम. सईद): (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम

348. **श्री मोहन सिंह (फिरोजपुर)**:
श्री ब्रह्मानन्द मंडल :
श्री सैयद शहाबुद्दीन :
श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :
श्री राम कृपाल यादव :
श्री सुरेन्द्रपाल पाठक :
श्री वीरेन्द्र सिंह :
श्री परसराम भारद्वाज :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः महीनों के दौरान टाडा के अन्तर्गत दर्ज किए गए मामलों की राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या कितनी–कितनी है;

(ख) प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में हिरासत में लिए गए एवं बन्दी बनाए गए लोगों की संख्या कितनी–कितनी है;

(ग) कितने लोगों के विरूद्ध मुकदमा लाया गया, कितने लोगों को सजा हुई एवं कितने लोगों को रिहा किया गया, राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार तत्संबंधी अलग–अलग ब्यौरा क्या है;

(घ) "टाडा" के अन्तर्गत इस समय राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार कितने–कितने मामले लम्बित हैं;

(ङ) इन मामलों को शीघ्र निपटाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(च) क्या विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा "टाडा" प्रावधानों के दुरूपयोग के कारण विभिन्न संगठनों ने "टाडा" कानून के समाप्त करने की मांग की है; और

(छ) यदि हां, तो सरकार द्वारा लिए गए/लिए जाने वाले इस संबंध में अंतिम निर्णय का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट): (क) और (ख). राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा दर्ज किए गए मामलों तथा गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या दर्शानेवाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ). यह मंत्रालय, जिन व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया, सजा दी गयी और अलग-अलग रिहा किया गया, उनके बारे में और अवधि-वार लम्बित पड़े मामलों के बारे में सूचना नहीं रखता है।

(ङ) सरकार, एक कार्यकारी निकाय, यह बताने की स्थिति में नहीं है कि- नामित न्यायालय इन मामलों को निपटाने में कितना समय लेंगे।

(च) और (छ). टाडा को निरस्त किए जाने की कुछ मांगें की गई हैं। इस संबंध में उपयुक्त समय पर निर्णय लिया जाएगा जब सरकार इस अधिनियम को और आगे बढ़ाने के प्रश्न पर अन्यथा विचार करेगी।

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का	वर्ष 1994 के अन्तिम 6 महीनों के लिए उपलब्ध सूचना	
		दर्ज किए गए मामलों की सं. के बारे में (क)	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की सं. के बारे में (ख)
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	106	167
2.	अरूणाचल प्रदेश	शून्य	शून्य
3.	असम	199	686
4.	बिहार	उ.न.	उ.न.
5.	गुजरात	29	766
6.	हरियाणा	7	7
7.	हिमाचल प्रदेश	शून्य	शून्य
8.	जम्मू एवं कश्मीर	2150	1014
9.	कर्नाटक	3	28
10.	महाराष्ट्र	68	200
11.	मध्य प्रदेश	21	शून्य
12.	मणिपुर	89	226
13.	मेघालय	2	1
14.	केरल	5	14
15.	पंजाब	67	71
16.	राजस्थान	1	12
17.	तमिलनाडु	2	23
18.	उत्तर प्रदेश	9	15
19.	पश्चिम बंगाल	शून्य	शून्य
20	चण्डीगढ़ प्रशासन	शून्य	शून्य
21.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	16	34

टिप्पणी : अधिनियम को 21 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा लागू किया गया है।

कोयला भंडार

349. श्री ब्रह्मानन्द मंडल :
प्रो. प्रेम धूमल :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या भारत कोकिंग कोल लि. में कोयले के भंडार की कमी/अधिकता के बारे में जांच करने हेतु आर.एन. मिश्रा की अध्यक्षता में गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो समिति द्वारा की गई प्रमुख सिपारिशें क्या हैं;

(ग) कितने अधिकारी दोषी पाए गए तथा उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई;

(घ) क्या सरकार ने ये सिफारिशें क्रियान्वित कर दी हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी.ए. संगमा) : (क) से (च). समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो गई हैं और इस संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई शुरू कर दी गई है। यह बात महसूस की गई है कि इस स्थिति में रिपोर्ट का ब्यौरा प्रस्तुत किए जाने से इस संबंध में की जा रही कार्रवाई प्रभावित हो सकती है, और ऐसा करना सार्वजनिक हित में नहीं होगा।

[अनुवाद]

सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम

350. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 को लागू करने से संबंधित खर्च की आधी धनराशि केन्द्र सरकार तथा आधी धनराशि राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा वहन की जाती है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार ने इन अधिनियमों को लागू करने के लिये राज्य प्रशासनों को गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान अब तक कितनी धनराशि दी है;

(ग) सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम (1955) के अंतर्गत आंध्र प्रदेश में अब तक कितनी संख्या में विशेष न्यायालयों का गठन किया गया है;

(घ) इन न्यायालयों में गत वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष प्रस्तुत किये गये वादों की संख्या कितनी है; और

(ङ) 1994–95 के दौरान राज्य–वार कितने विशेष न्यायालयों का गठन किये जाने का विचार है?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, हां। तथापि, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के लिए यह 100 प्रतिशत है।

(ख) दो अधिनियमों के तहत पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान आज की स्थिति के अनुसार निर्मुक्त केंद्रीय सहायता के ब्यौरे निम्नलिखित हैं :

क्र.सं.	वर्ष	निर्मुक्त राशि
1.	1991–92	6.09 करोड़ रू.
2.	1992–93	5.50 करोड़ रू.
3.	1993–94	7.06 करोड़ रू.
4.	1994–95	1.42 करोड़ रू.

(5.12.94 की स्थिति के अनुसार)

(ग) तथा (घ). आंध्र प्रदेश सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ङ) 1994–95 के दौरान अब तक एक विशेष न्यायालय मिजोरम राज्य में गठित करने का प्रस्ताव है इसके लिए 4.20 लाख रू. पहले ही निर्मुक्त किए जा चुके हैं। अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से 1994–95 के दौरान विशेष न्यायालय गठित करने के लिए प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचार किया जाएगा।

पेट्रोल खुदरा बिक्री केन्द्रों का आवटंन

351. श्री जगमीतसिंह बरार : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को 1994 के दौरान पंजाब में पेट्रोल खुदरा बिक्री केन्द्रों की स्थापना हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान आवंटन हेतु कितने आवेदनों पर विचार किया गया?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख). विशिष्ट विज्ञापनों के प्रत्युत्तर में आवेदन संबंधित तेल कंपनियों द्वारा प्राप्त किए जाते हैं और प्रारंभिक जांच के बाद इनको साक्षात्कार की प्रक्रिया के माध्यम से विचार हेतु तेल चयन बोर्ड को अग्रेषित कर दिया जाता है। तदनुसार 1994 के दौरान पंजाब में 15 खुदरा बिक्री केन्द्रों के स्थानों के लिए 1798 आवेदन प्राप्त होने की सूचना है। 1398 आवेदनों में से तेल चयन बोर्ड द्वारा चयन के लिए 9 मामलों को अंतिम रूप दिया गया है।

[हिन्दी]

घुसपैठ

352. श्रीमती शीला गौतम :
श्रीमती भावना चिखलिया :
श्री राजेश कुमार :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में उग्रवादियों ने जाली पासपोर्टों के जरिए असम सीमा से घुसपैठ की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भविष्य में ऐसी धटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : (क) से (ग). सरकार को इस बात की जानकारी है कि उग्रवादी अपनी अवैध गतिविधियों के लिए भारत–बंगलादेश तथा भारत–भूटान सीमा का प्रयोग कर रहे हैं। सरकार को ऐसी भी रिपोर्ट मिली है कि कुछ विद्रोहियों ने भारत के बाहर से दूसरे देशों में जाने के लिए नकली पासपोर्ट प्राप्त कर लिए हैं। तथापि, उग्रवादियों द्वारा नकली पासपोर्टों का प्रयोग करके असम में घुसपैठ करने के बारे में सरकार को हाल ही में कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। सीमा प्रबंधकों और कारगर बनाने के लिए कई उपाय किए गए हैं जिनमें सीमा पर बाड़ लगाना, सीमा पर सड़कों का निर्माण, सीमा पर गश्त, सीमा सुरक्षा बल द्वारा जांच आदि शामिल हैं। इस मामले को राजनयिक स्तर पर भी उठाया गया है।

[अनुवाद]

अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को आयु सीमा की छूट

353. श्री शोभानाद्रीश्वर राव वाड्डे : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंडल आयोग की सिफारिशों के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में, वर्ष 1993 से आरक्षण के लाभ उपलब्ध कराने के अनुदेश जारी कर दिए गए है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों को आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट देने का है, जैसा कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को दिया जाता है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई निर्णय लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ). मामला विचाराधीन है।

[हिन्दी]

रसोई गैस की मांग और आपूर्ति

354. श्री बीर सिंह महतो : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी बंगाल में इस समय रसोई गैस एजेंसियों की संख्या कितनी है;

(ख) राज्य में इस समय रसोई गैस की मांग और आपूर्ति की क्या स्थिति है;

(ग) क्या पश्चिमी बंगाल विशेष रूप से पुरूलिया में रसोई गैस की नई एजेंसियां खोलने का कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो नई गैस एजेंसियां कब तक खोल दी जाएंगी?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) 1.10.1994 की स्थिति के अनुसार पश्चिम बंगाल में 239 एल. पी. जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिप थीं।

(ख) पश्चिमी बंगाल में एल. पी. जी. की वर्तमान औसत मासिक मांग 13,545 मि. टन है जिसको तेल उद्योग द्वारा संपूर्णतः पूर्ति की जा रही है।

(ग) और (घ). पश्चिमी बंगाल के विभिन्न स्थानों सहित देश के विभिन्न भागों से समय--समय पर और एल. पी. जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिप खोलने के लिए अनुरोध प्राप्त होते रहते हैं। पश्चिमी बंगाल के लिए वर्तमान विपणन योजना में 34 नई एल. पी. जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिपें शामिल की गई हैं डिस्ट्रीब्यूटरों का चयन तेल चयन बोर्डो के माध्यम से किया जाता है। एल. पी. जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिपों को चालू करने में विज्ञापन की तारीख से लगभग 1-2 वर्ष लग जाते हैं।

जेल कर्मचारी

355. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ए. एल. मुल्ला समिति ने जेल कर्मचारियों को पुलिस कर्मचारियों के समान वेतन और सुविधाएं दिए जाने की सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो इन सिफारिशों के क्रियान्वयन हेतु क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) "जेल" राज्य का विषय होने के कारण जेल का प्रशासन राज्य सरकारों द्वारा अपने नियमों, विनियमों तथा जेल मेनुअलों के अनुसार चलाया जाता है। जेल कर्मचारियों को पुलिस कर्मचारियों के समान वेतन और सुविधाओं से संबंधित सिफारिश सहित सभी सिफारिशों को उनके विचारार्थ और कार्यान्वयन के लिए सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को भेज दिया गया है ।

[अनुवाद]

फटे पुराने नोटों का पुनः प्रचलन

356. श्री राम कापसे : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने देश में फटे पुराने नोटों के पुनः प्रचलन में आने के संबंध में जांच की है:

(ख) क्या इस घोटाले में कुछ अंतर्राज्यीय गिरोह शामिल हैं;

(ग) क्या इस घोटाले में कुछ बैंक कर्मचारी भी लिप्त हैं; और

(घ) यदि हां, तो लिप्त पाए गए व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है/की जाएगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठता है।

रसोई गैस गोदाम

357. श्री काशी राम राणा : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गुजरात में अहमदाबाद बम्बई के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 8 पर रसोई गैस का एक गोदाम बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में विदेशी सहायता के किसी प्रावधान पर विचार किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी बयौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

प्राकृतिक गैस का उत्पादन

358. श्री श्रवण कुमार पटेल : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न तेल क्षेत्रों में प्रतिदिन कितनी गैस का उत्पादन होता है;

(ख) विभिन्न तेल क्षेत्रों में पृथक--पृथक कितनी प्राकृतिक गैस जलायी जाती है; और

(ग) कितने प्रतिशत गैस का उपयोग किया जाता है और कितनी गैस अप्रयुक्त रह जाती है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख). वर्तमान में 53.23 एम. एम. एस. सी. एम. डी. के कुल उत्पादन में से 5.57 एम. एम. एस. सी. एम. डी. गैस जलाई जा रही है।

(ग) उपयोग का प्रतिशत 89.54 प्रतिशत है तथा शेष के दहन का प्रतिशत 10.46 है।

आदिवासी क्षेत्रों में रिले केन्द्र

359. श्री के. प्रधानी : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आदिवासी, पर्वतीय और पिछड़े क्षेत्रों में दूरदर्शन रिले केन्द्रों की स्थापना करने की नीति को नरम बनाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस नीति को उन क्षेत्रों में कब तक लागू किया जायेगा; और

(घ) इस संबंध में विभिन्न राज्यों के लिए बनाई गई योजनाओं का राज्यवार विस्तृत ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी.सिंह देव) : (क) से (ग). सरकार द्वारा अपनी टेलीविजन नेटवर्क विस्तार संबंधी स्कीम के अन्तर्गत जनजातीय एवं पर्वतीय क्षेत्रों में दूरदर्शन रिले केन्द्रों की व्यवस्था करने को अति उच्च प्राथमिकता दिया जाना जारी रखा गया है। जनजातीय उप योजना (टी एस पी) श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले लगभग सभी जिलों को पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से स्थलीय टेलीविजन सेवा द्वारा कवर किया जाता है।

(घ) अपेक्षित ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

देश के जनजातीय और पर्वतीय क्षेत्रों में कार्यान्वयनाधीन/स्थापित करने हेतु परिकल्पित टेलीविजन रिले केन्द्रों/ट्रांसमीटरों के स्थलों का राज्यवार ब्यौरा

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	उ.श.ट्रांस.	अ.श.ट्रांस.	अति अ.श. ट्रांस.	ट्रांसपोजर
1	2	3	4	5
आन्ध्र प्रदेश	राजमुंदरी	बेलामपल्ली	पार्वतिपुरम्	
	वारंगल	मधीरा	इच्छापुरम्	
		पसरा	सीतामपेटा*	
		पडेरू		
		चिन्तापल्ली		
		टेक्कली		
		सिरपुर/कागजनगर*		
		भैंसा*		
		तुनी*		
		बोबिली*		
आन्ध्र प्रदेश	मियाओ	पीपू दीपू	संखीवियू	
	ईटानगर	योमचा	(ईटानगर)	
	(डीडी--दो)			
		ताली		
		मिनयोंग		
		कलकतंग		
असम	तेजपुर*	सोनारी	डिगबोई	गुवाहटी*
		लम्डिंग		
		होजाय		
		तिनसुकिया		
		मारधेरिता*		
बिहार	जमशेदपुर*	नोमुंडी	घरवा	
	देवघर*	सरायकेला		
		मुशाबनी*		
		बरहरवा*		

1	2	3	4	5
गोवा		पणजी (डीडी–दो)*		
गुजरात	सूरत*	ईडर	नेत्रंग	
	वडोदरा*	डीसा	देवगध–बरिया	
	राघवपुर*	संजेली	सगवरा*	
		अमोद		
		मंगरोल (सूरत)		
		झगादिया		
		लूनावाडा*		
		राधनपुर*		
		राजपीपला*		
		व्यारा*		
		धरमपुर*		
		उमरगाँव*		
		मोडसा*		
		शामलजी*		
		दण्डी*		
हिमाचल प्रदेश	धर्मशाला*	सुजानपुर	आझू फोर्ट	
		सुन्दर नगर	थानेदार	
		रामपुर	खरा पथर	
		शिमला	पालमपुर	
		(डीडी–दो)	शिवबदर	
			भरमथी	
			जोगिन्दर नगर/छतरभुज	
			जहलमा	
			बैजनाथ	
			भरमौर	
			सर्कघाट	
			दयार	
			दसनी	
			होली	
			परवानू	
			बंदला	
			वीर	
			कांडघाट	
			डलहौजी	
			निछार*	
			रोहरू*	

1	2	3	4	5
			तीसा*	
			चौरी खास*	
			पिरभायनू*	
			झतिनंगरी*	
			काजा*	
			उदयपुर*	
			कोतखाई*	
			अवाह देवी*	
			चौपाल*	
			करसोग*	
			बंजर*	
			चूनाथई*	
जम्मू व काश्मीर	लेह	कथूर	बीटहवाल	नगरोता
	नौशेरा*	पूंछ*	उरी	
	कठुआ*	राजौरी	बुद्धल	
		उधमपुर*	कलाकोट	
		जम्मू (डीडी–दो)	बारामूला	
			थानामंडी	
			कुड	
			बतोत	
			सांझी चाट	
			ग्या*	
			रिंगदम गोभ्पा*	
			मुलबेख/शरगोल*	
			बफलियाज*	
			खलसी*	
कर्नाटक	मंगलोर*	गोंकक	सलया*	
	मैसूर*	कुमिया		
	हासन*	भतकल		
		सागर		
		अरसीकरे		
		दण्डेली*		
		पुटुर*		
केरल	कालीकट	काननगढ़	मुन्नार	
	छाननोरे*	थोडुपूजा	कांजीपल्ली	
		पाला*	इरादूपेटा*	
			मंडकायम*	
			देवीकोलम*	

1	2	3	4	5
मध्य प्रदेश	अम्बिकापुर*	बीजापुर	सिंगरौली	
	शहडोल*	केलारास	कोंडागाँव	
		शक्ति	जसपुरनगर	
		पिपरिया*	पाखनजोर	
		खरोड*	कोयलीबेडा*	
		सारनगढ़*	पेंडरा रोड	
			मोडकपाल*	
			बीजापुर*	
महाराष्ट्र	चन्द्रापुर*	चिपतूम	अदयाल टेकडी	ददलापुर*
	जलगाँव*	सिरपुर	करेजाय	
	महिपतगढ़	मोरशी	ग्रपेड	
		वानी	राजापुर	
	देओरूख	चिकलधारा		
		नवापुर*	कलवान*	
		रावेर*	मल्कपुर*	
		पंधरकवडा*	भकर*	
		खोपोली*		
		उमरखेद*		
		सतना*		
		खानपुर		
		मंगलवेधा*		
		सिरोंचा/कोपेला*		
		दरयापुर		
मणिपुर	चुराचान्दपुर	इम्फाल (डीडी–दो)	मोरेह	
			कंगपोकपी	
			जिरीबम*	
मेघालय		शिलोग*	भगमारा	शिलोंग*
		(डीडी–दो)		
मिजोरम	मुंगलेई	सैहा	ऑपई	ऐजावल*
		ऐजावल (डीडी दो)		
नागालैंड	मोकोकचुंग	कोहिमा (डीडी–दो)*	फेक सताखा	बारा बस्ती*
उड़ीसा	बालेश्वर	पुआपरा	थुआमाल	रामपुर*
	बेरहपुर*	मोहना	मछीकुंड*	
	सम्बलपुर**	कुछींदा	छितराकोंडा*	
		पडुआ*	सिमलीगुडा*	
		कबिसूर्यानुगर	काशीपुर*	
		तंगी/सोहेला	लंजीगढ़*	

1	2	3	4	5
		सुकींडा		
		बोनई*	जयपटना*	
		करंजिया*	बडा बारबिल*	
		राजगंगपुर*	सिमलीपालगढ*	
		उमरकोट*		
	बिरमित्रापुर*			
		खरियर*		
		सिमलीगुडा*		
राजस्थान	नाथद्वारा*	बडी सदरी	भीम	
		माउंट आबू	कोटरा*	
		प्रतापगढ़	जवार मांइस	
		सगबाडा*		
		कुशलगढ़*		
		दरियावाद*		
सिक्किम			सिंगतम	
			रंगपो	
			जोरथंग	
तमिलनाडु	धरमपुरी*	आरनी	मेटपलायम	
	रामेश्वरम*	गदियातम	वलपराय	
	तिरूनेलवेली*	अतूर	वलवीयर	
		शंकरन कोविल वजा पडी		
		उदंगमंगलम		
		कृष्णागिरी		
		उदलमपेट		
		जिंजी*		
		मरथनडम		
		अम्बासमुखम*		
		देनकानीकोटा*		
		छेययर*		
		कालीकुरूची*		
त्रिपुरा		कैलासहर	धरमानगर	
		तेलीमूरा		
		जोलाइबरी		
		अमरपुर*		
		अम्बासा*		
		अगरतला (डी डी–दो)*		

1	2	3	4	5
उत्तर प्रदेश	लखीमपुर*	अलमौड़ा	बागेश्वर	
	चम्पावत*	हल्दवानी	चमोली	
		नई तेहरी	चोखटिया	
		कर्ण प्रयाग	डीडीहाट	
		बाराकोट*	जोशीमठ	
		धुनाछाट*	देवप्रयाग	
		खेतीखान*	विसडोंडिन	
			प्रतापनगर	
			विनसर	
			बसोत/भिखाएसेन	
			कलजीखल	
			फतेह पर्वत	
			खेत पर्वत	
			राजगढ़ी	
			रिकोट/वैलकुंथधम	
			साहिया	
			मानेश्वर/लोहाघाट*	
			मनीला*	
			थाराली*	
			रूद्रप्रयास*	
			नंदप्रयास*	
			घंडयाल*	
			नौगांवखाल*	
पश्चिम बंगाल	बलूरघाट*	फरल्ला	वाधमंडी*	
	खारगपुर*	रायना		
		कालना		
		गढनेटा*		
		बलरामपुर*		
अण्डमान व निकोबार	पोर्ट ब्लेयर	ग्रेट निकोबार		
द्वीप समूह	(डीडी–दो)	हेवलोक		
		कतचल		
		बरतंग		
दमन व दीप	दीव*			

संकेत चिन्ह : उ.श. ट्रांस. = उच्च शक्ति ट्रांसमीटर

अ.श. ट्रांस. = अल्प शक्ति ट्रांसमीटर

अति अ.श.ट्रांस. = अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर

तेल के लिए खुदाई और खोज कार्य

360. **डा. सुधीर राय** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागालैंड में तेल तथा प्राकृतिक गैस निगम के कार्यस्थलों पर तेल निकालने संबंधी कार्य रुका पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) इस संकट पर काबू पाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख). ओ. एन. जी. सी. के क्रिया कलाप 23.4.94 से प्रभावित हुए जब नागा स्टूडैंट फैडरेशन ने मांग की कि ओ एन जी सी को नागलैंड में अपने क्रिया कलाप रोक देने चाहिए और राज्य सरकार द्वारा ओ एन जी सी को दिए गए लाइसेंसों/परमिटों को रद्द कर देना चाहिए। वे मागं कर रहे थे कि रायल्टी की प्रणाली का पुनः आकलन किया जाना चाहिए और इसे नागा लोगों के प्रति और अधिक लाभदायक बनाया जाना चाहिए। नागालैंड सरकार से इस विषय पर निर्देश मिलने पर उत्पादन क्रिया कलापों को 11.5.1994 से समाप्त कर दिया गया।

(ग) ओ एन जी सी को अपना काम फिर से आरंभ करने की स्वीकृति देने के लिए नागालैंड की राज्य सरकार और केन्द्रीय गृह मंत्रालय के साथ इस मामले पर चर्चा की गई है।

पिछड़े समुदाय

361. **डा. कृपासिन्धु भोई** :

श्री सुधीर सावंत :

क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र ने पिछड़े समुदायों की सूची को अन्तिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो उनके मंत्रालय को प्राप्त तैयार सूचियों का राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है ; और

(ग) केन्द्रीय सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख). उच्चतम न्यायालय द्वारा मंडल मामले में दिनांक 16.11.92 को दिए गए निर्णय से पूर्व चौदह राज्यों आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश ने राज्य की सेवाओं में आरक्षण के उद्देश्य से अन्य पिछड़े वर्गों की सूचियां अधिसूचित कर दी थी। इन राज्यों के मामले में केन्द्रीय सूचियां दिनांक 10.9.1993 को अधिसूचित कर दी गई। तत्पश्चात उड़ीसा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा तथा संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी, दादर और नगर हवेली और दमन तथा दीव ने अन्य पिछड़े वर्गों की सूचियां अलग-अलग तारीखों को अधिसूचित की। इन राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों की केन्द्रीय सूचियां 19.10.1994 को अधिसूचित की गई। ये सारी सूचियां संबंधित राज्यों के सरकारी गजट में अधिसूचित की जा चुकी हैं और ये कागजात सुलभ हैं।

(ग) मणिपुर और सिक्किम ने भी अन्य पिछड़े वर्गों की सुचियां हाल ही में अधिसुचित की है। केन्द्रीय सूची में इन राज्यों के मामलों मे उपयुक्त तथ्य को शामिल किए जाने के बाबत कार्रवाई की जा रही है।

केन्द्र सरकार इस मामले में उन राज्यों को छोड़कर जहां की आबादी मुख्यतः जनजातीय है, अन्य राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के साथ पत्राचार कर रही है।

सिंचाई प्रबन्धन नीति

362. **श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय जल बोर्ड द्वारा स्वीकृत आधार पर एक प्रारूप सिंचाई प्रबन्धन नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रारूप को जल संसाधन परिषद् द्वारा स्वीकृति दे दी गई है ;

(ग) क्या इस प्रस्तावित नीति में राज्य सरकारों की राय को भी सम्मिलित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो उक्त नीति के मुख्य उद्देश्य क्या है; और

(ड.) इसे कब तक कार्यान्वित कर दिया जायेगा?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन): (क) और (ख). जी हां। राष्ट्रीय जल बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित सिंचाई प्रबन्ध नीति का मसौदा राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद् को आगामी बैठक की कार्यसूची में स्वीकृति के लिए सम्मिलित किया गया है।

(ग) इस प्रारूप नीति पर राष्ट्रीय जल बोर्ड को मार्च, 1993 में हुई पांचवीं बैठक में विचार किया गया था जिसमें सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इस बैठक में आम राय यह थी कि यह नीति सही है। इस नीति के मसौदे पर पहले राज्यों के जल संसाधन एवं सिंचाई मंत्रियों के 21.9.92 को हुए 10वें राष्ट्रीय सम्मेलन में विचार किया गया था। उस सम्मेलन में भी इस नीति के बारे में मोटे तौर पर सहमति थी।

(घ) इस नीति के निम्नलिखित मुख्य उद्देश्य प्राप्त किए जाने हैं:

(1) उन क्षेत्रों में, जहां भूमि क्षमता के मुकाबले जल क्षमता की अधिकता है, प्रति यूनिट अधिक से अधिक कृषि का उत्पादन;

(2) जहां उपयोज्य जल क्षमता के मुकाबले भूमि क्षमता की अधिकता है, वहां जल का प्रति यूनिट अधिक से अधिक उत्पादन;

(3) सूखा प्रवण क्षेत्र सेवाओं का दायरा अधिक से अधिक व्यापक बनाना।

(ड.) राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद द्वारा इसे स्वीकार कर लिए जाने के बाद राज्यों द्वारा इस नीति को कार्यान्वित किया जाएगा।

कोयला श्रमिक संघ

363. **श्री हाराधन राय** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला श्रमिक संघ ने कोई ज्ञापन दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उनकी मांगों को पूरा करने के लिए कोई कदम उठाया गया है;

(घ) यदि हां; तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्रालय के तथा राज्य मंत्री कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी.ए. संगमा) : (क) और (ख). जी, हां। अखिल भारतीय कोयला कामगार संघ ने दिनांक 11.11.1994 को 32 मांगों का एक मांग–पत्र प्रस्तुत किया था। इस मांग–पत्र की मुख्य मांगें नीचे दर्शायी गई हैं :

(1) कोयला उद्योग में निजीकरण को बंद किया जाना।

(2) कोयले के आयात को रोका जाना ।

(3) सुरक्षा उपायों की समस्या ।

(4) कार्यकारी परिस्थितियों तथा कल्याण उपायों में सुधार किया जाना ।

(5) आश्रितों तथा भू–वंचित व्यक्तियों को रोजगार दिया जाना।

(6) न्यायाधिकरण के निर्णय को क्रियान्वित करना।

(7) स्थायी कार्यों में संविदा–श्रमिक प्रणाली का उन्मूलन।

(8) मजदूरी समक्षौता का तत्काल निपटारा किया जाना।

(9) पेंशन योजना।

(10) मल्टी–स्लैब, मंहगाई–भत्ता प्रणाली।

(11) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को वापस लिया जाना।

(ग) से (ङ). कुछ मांगें जैसाकि सुरक्षा उपायों की समीक्षा (क्रम सं. 3), कार्यकारी परिस्थितियों में सुधार और कल्याणकारी उपाय (क्रम सं. 4) अनुक्रमिक स्वरूप की प्रक्रिया है, बकाया मामलों के संबंध में स्थिति नीचे दी गई है :

(1) विद्यमान कोयला खानों का निजीकरण किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं हैं।

(2) कोयले का आयात स्वयं उपभोक्ताओं द्वारा किया जा रहा है।

(5) भू–वंचित व्यक्तियों, ऐसे कर्मचारी जिनकी मृत्यु सेवा के दौरान हो जाती है/अपंग हो जाते हैं, उनके मामले में रोजगार/मुआवजा पैकेज क्रियान्वित किया जा रहा है।

(6) यथावत रूप में विचार किए जाने के बाद न्यायाधिकरण के निर्णय को क्रियान्वित किया जा रहा है/चुनौती दी जा रही है।

(7) ठेका मजदूर (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 का अनुपालन किया जा रहा है।

(8) कोयला उद्योग के लिए संयुक्त द्वि–पक्षीय समिति का गठन कर लिया गया है और मजदूरी समझौता शुरू हो गया है।

(9) पेंशन–स्कीम निष्पादन के अधीन है।

(10) मल्टी–स्लैब मंहगाई भत्ते की एवज में औद्योगिक मंहगाई भत्ता को चालू रखा जा रहा है।

(11) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा–बल को पूर्णतः हटाया जाना को. इं. लि. के हित में नहीं होगा।

भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि. की विस्तार योजना

364. **श्री डी. वेंकटेश्वर राव** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि. ने आगामी पांच वर्षों के लिए एक विस्तार योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) निकट भविष्य में जिन परियोजनाओं का विस्तार तथा स्थापना करने का विचार है उनका ब्यौरा क्या है; और

(घ) ये परियोजनाएं कब तक पूरी कर ली जाएंगी?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा): (क) जी, हां।

(ख) से (घ). भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि. द्वारा आरंभ की जाने वाली प्रस्तावित प्रमुख परियोजनायें निम्नवत है :

परियोजना	अनुमानित निवेश (करोड रूपयों में)	पूरे किए जाने के संबंध में संभावित तारीख
1 2	3	4
(1) बम्बई मनमाड उत्पाद पाइपलाइन	398.62	सरकार से अनुमोदन प्राप्त होने की तारीख से 36 माह।
(2) कोचीन– करूर उत्पाद पाइलाइन	493.80	वही
(3) कानपुर उत्पाद पाइपलाइन के लिए मध्य भारत रिफाइनरी (सी. आई. आर.)	509.60	वही

1	2	3	4
(4)	एच. एस. डी. दिसलफराइजेशन यूनिट	350.00	मार्च, 1998
(5)	बम्बई के लिए लीड फ्री गैसोलीन (एम.टी.बी.पी.)	32.70	नवम्बर, 1995
(6)	अतिरिक्त उत्पाद टैंकेज		93.37 जून, 1997
(7)	नाहवा – शेवा पर एल. पी. जी. (रसोई गैस) आयात सुविधाएं	63.00	सरकार से अनुमोदन प्राप्त होने की तारीख से 48 माह
(8)	नया एल. पी. जी. रसोई गैस भरण संयत्र	96.00	जून, 1997
(9)	सिक्का स्थित विपणन टर्मिनल	603.30	सरकार से अनुमोदन प्राप्त होने की तारीख से 42 माह
(10)	सी. आई. आर. स्थित उत्पाद टर्मिनल	391.43	वही
संयुक्त उद्यम परियोजनाएं :			
(1)	मैसर्स ओमान आयल कंपनी के साथ संयुक्त उद्यम कंपनी (सी. आई. आर. परियोजना)	551.00	वही
(2)	आई. बी. पी. के साथ संयुक्त उद्यम कंपनी नुमालीगढ रिफाइनरी	275.00	वही
(3)	स्नेहकों इत्यादि के विपणन हेतु मैसर्स शेल के साथ संयुक्त उद्यम कम्पनी	63.70	दिसम्बर, 1996
(4)	पेट्रोलियम उत्पादों के आयात हेतु आधारभूत सुविधाओं के संबंध में जी. जी. सी. एल. के साथ संयुक्त उद्यम कम्पनी	100.00	मार्च, 1997

[हिन्दी]

रसोई गैस कनेक्शन

365. **श्री राम टहल चौधरी :**
श्री राम कृपाल यादव :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में 30 जून, 1994 को समाप्त अवधि तक सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कम्पनियों के रसोई गैस कि कितने वितरक कार्यरत हैं;

(ख) रसोई गैस के लिए कितने व्यक्ति प्रतीक्षा सूची में हैं; और

(ग) प्रतीक्षा सूची के सभी व्यक्तियों को गैस कनेक्शन कब तक मिल जाएंगे?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख). 30 जून, 1994 की स्थिति के अनुसार बिहार राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कम्पनियों की 161 डिस्ट्रीब्यूटरशिपें कार्य कर रही थीं तथा एल. पी. जी. (रसोई गैस कनेक्शनों के लिए 292857 लोग प्रतीक्षा सूची पर थे)।

(ग) विद्यमान स्रोतों के माध्यम से अधिक उत्पादन करके, नए उत्पादन स्रोत आरंभ करके तथा आयातों द्वारा अधिक उत्पाद की उपलब्धता सुनिश्चित करके यथाशीघ्र अधिक से अधिक आवेदकों को एल. पी. जी. (रसोइ गैस) कनेक्शन देने के सतत प्रयास जारी हैं।

भारतीय जन संचार संस्थान

366. **श्री बीर सिंह महतो:** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पश्चिम बंगाल में भारतीय जन संचार संस्थान की कोई शाखा खोलने का है :

(ख) यदि हां, तो यह शाखा कब तक खोल दी जाएगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारतीय जन संचार संस्थान ने उड़ीसा के धेनकनाल में पहले ही एक शाखा खोल ली है, जो पश्चिम बंगाल राज्य सहित पूर्वी क्षेत्र की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगी।

[अनुवाद]

अल्पसंख्यक आयोग

367. **श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल :**
श्री गोविन्दराव निकम :

क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अल्पसंख्यक आयोग ने देश में अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त शक्तियां मांगी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार का विचार इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का है?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) से (ग). अल्पसंख्यक आयोग को सांविधिक दर्जा प्रदान किए जाने और मई, 1993 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 के अंतर्गत पुनर्गठित किए जाने से पहले, इस आयोग ने सिफारिश की थी कि इसे जांच आयोग अधिनियम, 1952 के अंतर्गत जांच के अधिकार भी दिए जाने चाहिए। इस अधिनियम के अंतर्गत इस आयोग के पास अपने कुछ

कार्यों को करने के लिए अब एक सिविल न्यायालय की शक्तियां हैं, जिनमें से एक कार्य अधिकारों से वंचित करने तथा अल्पसंख्यकों के बचाव से संबंधित विशेष शिकायतों की जांच करना है। आयोग ने इसे सांविधिक दर्जा दिए जाने के पश्चात् अतिरिक्त शक्तियों की मांग नहीं की है।

दियासलाई का मोम

368. **श्री हरिन पाठक** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात को दियासलाई के मोम का नियमित आवंटन किया जा रहा है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या राज्य की कोई मांग केन्द्र सरकार के समक्ष विचाराधीन है; और

(ग) यदि नहीं, तो आबंटन में देरी के क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता ।

सिंचाई सुविधाएं

369. **डा. रमेश चन्द तोमर** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने पहाड़ी जिलों में सिंचाई सुविधाओं हेतु उत्तर प्रदेश सरकार को कोई विशेष सहायता प्रदान की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) और (ख). लघु सिंचाई के लिए उत्तरांचल (पहाड़ी क्षेत्र) उप योजनाओं के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सरकार को विशेष पहाड़ी सहायता के रूप में प्रदान की गई निधियां इस प्रकार हैं :

(लाख रूपए)

वार्षिक योजना 1992–93	1420
वार्षिक योजना 1993–94	1400
वार्षिक योजना 1994–95	1000
आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992–97)	7265

रूस के साथ वार्ता

370. **श्री अन्ना जोशी** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने अगस्त, 1994 के दौरान रूस की यात्रा की थी; और

(ख) यदि हां, तो नशीले पदार्थों और यूरेनियम की अंतर्राष्ट्रीय तस्करी पर रोक लगाने के संबंध में रूस के साथ हुई बातचीत और किये गये समझौतों का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख). जी हां, श्रीमान्। 28 अगस्त, से 3 सितम्बर, 1994 तक रूस का एक दौरा किया गया । यह दौरा प्रधान मंत्री द्वारा जून/जुलाई, 1994 में पहले किए गए दौरे के अनुवर्ती दौरे के रूप में था। इस दौरे के दौरान रूस के इंटिरियर मंत्री, फैडरल काउंटर इन्टैलीजैंस सर्विस के प्रधान, फैडरेशन बार्डर गार्ड सर्विस के प्रधानव तथा रूस के विदेश मंत्री के साथ विस्तृत विचार–विमर्श किया गया। इस दौरे के दौरान किसी भी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए गए।

[हिन्दी]

गुजरात में सड़कों का निर्माण

371. **श्री एन.जे. राठवा** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कोयला खनन क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण पर हुए खर्च का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस अवधि के दौरान कुल कितनी लम्बी सड़कों का निर्माण किया गया; और

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गुजरात में कोयला खनन क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के लिए कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी. ए. संगमा) : (क) से (ग). प्रश्न ही नहीं उठता है, चूंकि गुजरात में कोई कोलियरी क्षेत्र विद्यमान नहीं है।

ज्वलनशील सामग्री का जब्त किया जाना

372. **श्री अंकुशराव टोपे** :
श्री गुरूदास कामत :
कुमारी सुशीला तिरिया :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 15 सितम्बर, 1994 के हिन्दुस्तान टाइम्स में "हाईली इन्फलेमेबल मैटीरियल सीज्ड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या इस संबंध में किसी को गिरफ्तार किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस बात की सूचना नेपाल सरकार को दे दी गई है;

(च) यदि हां, तो नेपाल सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रया है; और

(छ) भारत की सीमा पर इस प्रकार की तस्करी को रोकने के लिए क्या प्रयास किये गये हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद): (क) सरकार ने समाचार देखा है।

(ख) से (घ). इस संबंध में 2 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए है और सामग्री जब्त की गयी है। एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया है और जांच पड़ताल शुरू की गयी है।

(ङ) से (च). नेपाल सरकार के साथ राजनयिक स्तर पर यह विशिष्ट घटना नहीं उठायी गयी है।

(छ) भारत–नेपाल सीमा पर पुलिस स्टेशनों, सीमा चौकियों और आप्रवासन चौकियों को कड़ी निगरानी रखने के निर्देश हैं। उन्हें यह निर्देश भी दिए गए हैं कि अवांछनीय व्यक्तियों की गतिविधियों के बारे में सावधान रहें ।

[अनुवाद]

सिंचाई परियोजनाएं

373. **श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति :**
श्री दत्तात्रेय बंडारु :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय सरकार के पास स्वीकृति के लिए लंबित पड़ी आंध्र प्रदेश की सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और उनकी अनुमानित लागत कितनी है;

(ख) ये परियोजनाएं कब से लंबित पड़ी हैं और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने केंद्रीय सरकार से इन परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृति देने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो केंद्रीय सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन): (क) और (ख). आंध्र प्रदेश की मूल्यांकनाधीन नई वृहद और मध्यम सिंचाई योजनाओं का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ). परियोजनाओं की स्वीकृति इस बात पर निर्भर करती है कि राज्य सरकारें कितनी जल्दी केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों की टिप्पणियों की अनुपालना करती हैं और पर्यावरण तथा वन मंत्रालय से पर्यावरणीय और वन स्वीकृति तथा यदि जलमग्नता में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की आबादी का विस्थापन शामिल है तो कल्याण मंत्रालय से पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन योजना के बारे में स्वीकृति प्राप्त करती है। इस राज्य द्वारा परियोजनाओं के समयबद्ध रूप से कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त निधियाँ भी प्रदान करनी है और अन्य बेसिन राज्यों की सहमति प्राप्त करनी है यदि अन्य राज्यों में जल के आवंटन/जलमग्नता संबंधी मुद्दे उसमें शामिल हैं।

विवरण

आन्ध्र प्रदेश को नई, वृहद और मध्यम सिंचाई योजनाओं का ब्यौरा दर्शानवाला विवरण

क्र.सं.	परियोजना का नाम	अद्यतन अनुमनित लागत (करोड़ रु.)	लाभ (हेक्टेयर/ मेगावाट)	केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्ति की तारीख	कैफियत
1	2	3.	4.	5.	6.
वृहद					
1.	जुराला	204.75	47,840	9/80	पर्यावरण स्वीकृति के अधीन 4/88 में परामर्शदात्री समिति द्वारा स्वीकृत की गई। पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा 4/94 में पर्यावरण स्वीकृति दी गई।
2.	वम्सधारा	410.74	50,960	3/79	राज्य सरकार द्वारा अद्यतन लागत अनुमान प्रस्तुत करने हैं। पर्यावरण और वन स्वीकृति, पुनर्वास और पुनर्स्थापना योजनाओं पर कल्याण मंत्रालय की स्वीकृति के अधीन 12/91 में परामर्शदात्री समिति द्वारा स्वीकृत किया गया। राज्य की स्वीकृतियां प्राप्त करनी हैं तथा केन्द्रीय जल आयोग द्वारा हाल में किए गये गणितीय माडल अध्ययन के आधार पर उड़ीसा सरकार के साथ जलमग्नता संबंधी मुद्दे हल करना है।
3.	येलेरू	335.34	27,360	1/93	पर्यावरण और वन स्वीकृति, पुनर्वास और पुर्नस्थापना योजना के लिए कल्याण मंत्रालय से स्वीकृति प्राप्त करने तथा औद्योगिक जल आपूर्ति के लिए जल प्रभार लेने के मुद्दे हल करने के अधीन 3/93 में परामर्शदात्री समिति द्वारा स्वीकृत किया गया।
4.	तेलुगु गंगा	1120.00	199,000	12/83	अन्तर्राज्यीय मुद्दों के हल न किए जाने के कारण परामर्शदात्री समिति द्वारा 4/88 में इस पर विचार स्थगित कर दिया गया।

1	2	3.	4.	5.	6.
5.	पुलीचिन्ताला	268.64	अतिरिक्त सिंचाई लाभ नहीं लेकिन प्रस्तावित 60 मेगावाट विद्युत	7/93	सिंचाई आयोजना, आधार इन्जीनियरी, और जल विज्ञान पहलुओं पर टिप्पणियां अनुपालना हेतु राज्य सरकार को भेज दी गई हैं।
6.	श्री रामसागर से बाढ़ प्रवाह नहर	1334.00	89,030	12/93	सिंचाई आयोजना, जल विज्ञान, तटबन्ध, बराज और नहर डिजाइन तथा निर्माण मशीनरी आयोजना पहलुओं पर टिप्पणियों अनुपालना हेतु राज्य सरकार को भेजी गई हैं।
7.	कुरनूल–कुड्डापाह नहर का आधुनिकीकरण	317.00	1,46,200	9/94	हाल में 9/94 में परियोजना रिपोर्ट प्राप्त हुई है।
मध्यम					
1.	पेड्डेरू	26.23	6,460	9/91	कल्याण मंत्रालय द्वारा पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना योजनाओं की स्वीकृति तथा पर्याप्त निधियों के प्रावधान होने के अधीन 10.11.93 को परामर्शदात्रीसमिति द्वारा स्वीकृत किया गया। राज्य सरकार को उपर्युक्त टिप्पणियों की अनुपालना करनी है।
2.	पलेमवागु	29.13	6,230	1/86	वन स्वीकृति तथा पर्याप्त निधियों के प्रावधान के अधीन 10.11.93 को परामर्शदात्री समिति द्वारा स्वीकृत किया गया। राज्य सरकार को उक्त टिप्पणियों की अनुपालना करनी है।

[हिन्दी]

हिन्दी में अंतर्राष्ट्रीय मूवी चैनल

374. श्री पंकज चौधरी :
श्री प्रभुदयाल कठेरिया :
श्री बृजभूषण शरण सिंह :
श्रीमती दीपिका एच. टोपीवाला :
श्री रामपाल सिंह :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का हिन्दी में अंतर्राष्ट्रीय मूवी चैनल आरम्भ करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में किसी राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय केबल कम्पनी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस पर कितना व्यय आएगा; और

(च) इसे कब तक आरम्भ कर दिया जाएगा?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव): (क) और (ख). जी, हां। वर्तमान में, दूरदर्शन द्वारा देश में भुगतान आधार पर मूवी चैनल प्रदान करने संबंधी व्यवहार्यता की जांच की जा रही है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) ब्यौरा अभी तैयार नहीं किया गया है।

(च) वर्तमान में, इस भुगतान आधारित मूवी चैनल को आरंभ करने के लिए कोई समय–सीमा इंगित नहीं की जा सकती।

वोहरा समिति की रिपोर्ट

375. श्री मोहन सिंह (फिरोजपुर):
श्री राम कापसे :
श्री आनन्द अहिरवार :
श्री पी. सी. थामस :
श्री हरिकेवल प्रसाद :
श्री सुधीर सावंत :

क्या **गृह मंत्री** 28 जुलाई, 1994 के अतारांकित प्रश्न संख्या 826 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने माफिया गिरोह/अपराधी गुटों के सम्पर्कों के संबंध में एन. एन. वोहरा समिति की रिपोर्ट की जांच पूरी कर ली है ;

(ख) यदि हां, तो इसके निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार का इस रिपोर्ट की प्रति सभा पटल पर रखने का विचार है?

गृह मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण): (क) से (ग). मामला अभी भी सरकार के विचाराधीन है।

[अनुवाद]

दूरदर्शन और रेडियो पर पंजाबी कार्यक्रम

376. **श्री जगमीत सिंह बराड़:** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में दूरदर्शन और रेडियो पर पंजाबी कार्यक्रमों के लिए कितना समय आवंटित किया गया है; और

(ख) अन्य कार्यक्रमों के लिए आवंटित समय का ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी.सिंह देव): (क) और (ख). यद्यपि भाषा-वार समय का आवंटन नहीं किया जाता है तथापि, पंजाब में प्रसारित/टेलीकास्ट पंजाबी तथा अन्य भाषाओं के कार्यक्रमों की अवधि नीचे दी गई है:

	पंजाबी कार्यक्रम (प्रति सप्ताह घंटों में)	अन्य भाषाओं के कार्यक्रम
1. दूरदर्शन केन्द्र, जालंधर	17 घंटे	2 घंटे 49 मि.
2. डी.डी.12 उपग्रह चैनल सेवा	24 घंटे 30 मि.	–
3. आकाशवाणी, जालंधर	50 घंटे 7 मि.	4 घंटे 15 मि.
4. आकाशवाणी, जालंधर (एफ.एम.चैनल सेवा)	63 घंटे	–
5. आकाशवाणी, भटिण्डा	43 घंटे 45 मि.	–
6. आकाशवाणी, पटियाला	42 घंटे	–

तेलुगु समाचार बुलेटिन

378. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे:** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने हैदराबाद दूरदर्शन केन्द्र से तेलुगु में दूसरे समाचार बुलेटिन का प्रसारण शुरू करने के लिए अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से राज्य में 50 कि.वा. क्षेत्रीय शार्ट वेव ट्रांसमीटर का 200 कि.वा. तक दर्जा बढ़ाने का अनुरोध भी किया है;

(घ) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या लागत में वृद्धि के कारण नांघाल स्थित 5 कि.वा. रिले ट्रांसमीटर और कुर्नूल में 10 कि.वा. ट्रांसमीटर का कार्य पूरा किए जाने में विलम्ब हो रहा है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी.सिंह देव): (क) और (ख). जी हां। दूरदर्शन को आंध्र प्रदेश सरकार के माननीय मुख्य मंत्री और सूचना और जन-सम्पर्क मंत्री से अनुरोध प्राप्त हुए हैं। फिलहाल संसाधनों की बाध्यताओं, जनशक्ति की कमी तथा प्रसारण समय पर दबाव को देखते हुए उनके अनुरोधों को स्वीकार करना नितान्त मुश्किल है।

(ग) और (घ). जी, नहीं। तथापि, मौजूदा 50 कि.वा.मी.वे. ट्रांसमीटर की शक्ति को 200 कि.वा.मी.वे. ट्रांसमीटर तक में बढ़ाया जाना कार्यान्वयनाधीन है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) दोनों परियोजनाओं पर समय-सूची के अनुसार कार्य चल रहा है।

[हिन्दी]

मंदबुद्धि बच्चों के लिए स्कूल

379. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह:** क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मंदबुद्धि बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए प्राइमरी, मिडल और हाई स्कूल खोले हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) बिहार और देश के अन्य भागों में ऐसे स्कूल खोलने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ङ) क्या केन्द्रीय सरकार ने ऐसे स्कूल खोलने के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है; और

(च) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में अब तक राज्य-वार/संघ राज्य-क्षेत्र- वार प्रतिवर्ष कितनी सहायता उपलब्ध कराई गई है?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी): (क) से (च). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

फिल्म उद्योग

308. **श्री राम कापसे:** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने फिल्मोद्योग के बारे में विधान बनाने तथा फिल्मोद्योग से संबंधित अनेक अन्य मुद्दों पर विचार करने संबंधी किसी संयुक्त समिति का गठन करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस समिति का ब्यौरा तथा निदेश पद क्या है; और

(ग) समिति अपनी रिपोर्ट कब तक दे देगी?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी.सिंह देव): (क) से (ग). भविष्य में उठने वाली फिल्म उद्योग की विभिन्न समस्याओं/परेशानियों पर चर्चा करने तथा उनके निदान के तरीके और उपाय ढूंढने के लिए सरकार ने फिल्म उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ आवधिक बैठक करने का निर्णय लिया है। ऐसी कोई अन्य विशेष शर्तें तथा नियम अथवा समय सीमा निर्धारित नहीं कि गई है।

खाड़ी देशों से तेल

381. श्री श्रवण कुमार पटेल :
कुमारी सुशीला तिरिया :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्लेग संकट के दौरान खाड़ी देशों ने भारत को तेल की आपूर्ति बंद कर दी थी; और

(ख) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार

382. श्री के. प्रधानी :
श्री रतिलाल वर्मा :
श्री महेश कनोडिया :
श्री छेदी पासवान :
डा. लालबहादुर रावल :

क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान अब तक अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचारों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–वार कितनी घटनाएं हुई है;

(ख) हाल ही में किन–किन राज्यों में ऐसी घटनायें बढ़ी हैं और इसके क्या कारण हैं;

(ग) ऐसी घटनाओं के संबंध में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है;

(घ) उपरोक्त अवधि के दौरान अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (उत्पीड़न निवाकरण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत राष्ट/संघ राज्य क्षेत्र–वार कितने मामले दर्ज किये गये हैं;

(ड) ऐसे कितने मामलों को निपटाया गया तथा शेष मामलों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(च) इस अधिनियम के अंतर्गत अब तक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–वार कितने विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति की गयी है; और

(छ) सरकार द्वारा ऐसी घटनाओं को रोकने के लिये उठाये गये/उठाये जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी): (क) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) अभी हाल में आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा तथा राजस्थान में अनुसूचित जातियों के विरूद्ध अत्याचार के मामलों की संख्या बढ़ी है जबकि अनुसूचित जनजातियों के विरूद्ध गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र और राजस्थान में मामले बढ़े हैं।

इन अत्याचारों के मुख्य कारणों में अधिकांश (1) जाति पूर्वाग्रह और अस्पृश्यता, (2) ऋण ग्रस्तता, (3) भूमि का अंतरण, (4) पेयजल की पहुंच से रोकना, (5) चाय की दुकानों तक पहुंच, (6) उत्सव मनाना, (7) धार्मिक शोभा यात्राएं तथा बरात, और (8) अंतयेष्टि स्थान का उपयोग आदि हैं।

(ग) से (ड). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(च) अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड के अप्रभावित राज्यों को छोड़कर सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों ने अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत अपराधों की जांच के लिए विद्यमान सत्र न्यायालयों को विशेष न्यायालयों के रूप मे विनिर्दिष्ट किया है। राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्य सरकारों ने ऐसे मामलों की जांच के लिए अलग से क्रमशः सोलह और तीन विशेष न्यायालय स्थापित किए हैं।

(छ) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार रोकने के लिए किए गए उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:

(1) एक केंद्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के कार्यान्वयन के लिए राज्यों को प्रति वर्ष 50:50 आधार पर और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को 100 प्रतिशत आधार पर केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। 1994–95 के दौरान बजट 600 लाख रू. प्रावधान के मुकाबले में अब तक 142 लाख रू. तक की धनराशि प्रदान कर दी गई है।

(2) अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अपराधों को रोकने के लिए विभिन्न एतिहायती, निवारणात्मक, दण्डात्मक और पुनर्वासात्मक उपायों का सुझाव देते हुए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए गए हैं।

(3) अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचारों की रोकथाम के लिए 4–5 अक्तूबर, 1991 को प्रधान मंत्री जी की अध्यक्षता में मुख्य मंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ था, जिसमें भूमि हदबंदी कानूनों के अंतर्गत अतिरिक्त भूमि का वितरण, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों को भरना, अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों से सम्बद्ध अधिकारियों की महत्वपूर्ण पदों पर तैनाती, सवेदनशील जिलों मे अनुसूचित जाति/जनजाति से संबंधित मामलों के लिए प्रभारी बनाकर एक अपर जिला मजिस्ट्रेट के विद्यमान पद को अनन्य रूप से पदनामित करना, जैसे ही कोई अत्याचार की घटना हो, स्थानीय अधिकारियों का उस अपराध स्थान का शीघ्र दौरा ही आरम्भ करना; मामलों की शीघ्र जांच सुनिश्चित करने के लिए विशेष जांच सैलों का सृजन करना और मामलों को न्यायालयों में मेहनत से चलाने जैसी विभिन्न सिफारिशें, आवश्यक कार्रवाई हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भेजी गई थी।

(4) इसके अतिरिक्त कल्याण मंत्री ने अपने 3.6.93 के अर्धशासकीय पत्र के तहत भी सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य

मंत्रियों, उप राज्यपालों तथा प्रशासनों को यह अनुरोध किया था कि :

(क) अत्याचार के मामलों के शीघ्र निष्पादन अधिमानतः निश्चित समय सीमा में करने के लिए उपाए आरम्भ करना;

(ख) देर करने वाली या दोषपूर्ण जांच के लिए जिम्मेदार कारणों पर ही अध्ययन और विश्लेषण करना; और

(ग) पुलिस तंत्र में उनका विश्वास पैदा करने और अत्याचार करने वालों में भय की भावना का संचार करने के लिए पुलिस बल में विभिन्न स्तरों पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के व्यक्तियों को उचित प्रतिनिधित्व देने पर विचार करना।

(5) कल्याण राज्य मंत्री ने भी यह सुनिश्चित करने के लिए राज्यों के मुख्य मंत्रियों को अनुरोध किया था कि :

(क) अत्याचार के मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाए और उनके शीघ्र निपटान के लिए देरी के कारणों की जांच की जाए।

(ख) अत्याचारों के मामलों में गवाहों को पूरी सुरक्षा व पारिश्रमिक प्रदान किया जाए

(ग) अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रति प्रमाणित निष्ठा वाले, सहानुभूति रखने वाले अधिकारियों को अत्याचार प्रवण क्षेत्रों में आरंभिक स्तर पर तैनात किया जाए।

(घ) अनुसूचित जातियों/जनजातियों तथा प्रभावी लोगों के बीच मुख्य विवादों पर जिला अधिकारियों के माध्यम से निगरानी रखी जाए और किसी अप्रिय घटना को रोकने के लिए जहां कहीं आवश्यक हो उपचारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

इसके अतिरिक्त, इस संबंध में समुचित कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकारों को सरकारी स्तर पर भी समय-समय पर पत्र भेजे जाते हैं।

(6) कल्याण मंत्रालय में दिनांक 15.10.91 से अनुसूचित जातियों व जनजातियों पर किसी अत्याचार की घटना की तत्काल सूचना प्राप्त करने और अत्याचार से पीड़ित व्यक्तियों को राहत तथा सहायता प्रदान करने के लिए शीघ्र एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु एक नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है।

नई दिल्ली में दिनांक 6 से 8 जुलाई 1994 तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस महानिदेशकों/पुलिस महानिरीक्षकों और केंद्रीय पुलिस संगठनों के प्रमुखों का एक वार्षिक सम्मेलन हुआ जिसमें समाज के ऐसे संवेदनशील वर्गों के विरूद्ध अपराधों को रोकने के लिए विशिष्ट उपायों पर मतैक्य तैयार करने हेतु "अनु. जातियों/जनजातियों, महिलाओं तथा समाज के अन्य वर्गों के विरुद्ध अत्याचारों का सामना करने के लिए तंत्र के सृदृढीकरण संबंधी विषय पर भी विचार विमर्श किया गया।

विवरण

राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर 1991, 1992, 1993 और 1994 के दौरान अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध गैर अनुसूचित जातियों और गैर अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों द्वारा किए गए, अत्याचार के मामलों की राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या।

क्र.स.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1991		1992		1993		1994 तक		
		अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.जा.	अ.ज.जा.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आन्ध्र प्रदेश	477	74	578	182	742	–	120	उपलब्ध नहीं	सितम्बर
2.	अरूणाचल प्रदेश	–	–	–			7	–	–	
3.	असम	14	3	–	–	–	–		उपलब्ध नहीं	
4.	बिहार	560	13	680	470	528	4	56	2	सिर्फ मई के लिए
5.	गोवा	5	–	2	–	6	–	–	–	अक्तूबर
6.	गुजरात	1355	206	1650	169	1693	340	1438	318	सितम्बर
7.	हरियाणा	65	–	85	–	73	–	53	–	अगस्त
8.	हिमाचल प्रदेश	39	1	49	10	37	–	151	–	अगस्त
9.	जम्मू और कश्मीर	42	–	22	8	19	–	14	–	जुलाई
10.	कर्नाटक	732	15	720	5	151	110	670	46	अगस्त
11.	केरल	660	49	703	202	530	95	342	21	जुलाई
12.	मध्य प्रदेश	5382	2145	4571	576	4387	1586	2225	988	जून
13.	महाराष्ट्र	573	235	751	345	1496	391	1022	316	अगस्त
14.	मणिपुर	–	7	–	1	–	1	–	–	अगस्त
15.	उड़ीसा	372	134	383	131	477	171	340	142	अगस्त

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	पंजाब	37	–	12	–	7	–	11	–	अगस्त
17.	राजस्थान	2058	547	2204	636	2699	820	1977	465	अगस्त
18.	सिक्किम	27	29	21	20	26	11	2	2	अगस्त
19.	तमिलनाडु	551	214	625	43	616	4	388	7	जुलाई
20.	उत्तर प्रदेश	4804	–	4940	–	4395	–	3947	–	अगस्त
21.	पश्चिम बंगाल	10	8	10	16	13	10	2	3	सिर्फ जनवरी और जून के लिए
22.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	–	1	–	–	–	–	–	–	अगस्त
23.	दादर और नगर हवेली	–	–	–	6	2	–	1	7	सितम्बर
24.	दिल्ली	4	–	2	–	4	–	4	–	सितम्बर
25.	दमन और द्वीव	–	4	–	–	–	–	–	–	सितम्बर
26.	पांडिचेरी	5	–	1	–	6	–	14	–	सितम्बर
27.	लक्षद्वीप	–	–	–	–	–	1	–	–	अक्तूबर

टिप्पणी:– अन्य राज्यों के मामले में सूचना शून्य है।

आंध्र प्रदेश के मामले में अक्तूबर, 1993 तक के आंकड़े और बिहार के मामले में जुलाई, 1993 तक के आंकडे।

पुरातात्विक महत्व की सामग्री की तस्करी

383. डा. सुधीर रायः क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने दुर्लभ सिक्कों और पुरातात्विक महत्व की सामग्री के करोड़ों रूपये के घोटाले में संलिप्त गिरोह का भण्डाफोड़ किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस तरह के धंधों के लिए नागपुर प्रमुख स्थान है;

(घ) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने दुर्लभ सिक्कों, मूर्तियों और पाण्डुलिपियों की अवैध बिक्री में शामिल व्यक्तियों की पहचान कर ली है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) हाल ही में, केन्द्रीय जांच ब्यूरों द्वारा दुर्लभ सिक्कों और पुरातात्विक महत्व की सामग्री की तस्करी करने वाले ऐसे किसी गिरोह का पता नहीं लगाया गया है।

(ख) से (ङ). प्रश्न नहीं उठता है।

अपराधों का पता लगाना

384. श्री बोल्ला बुल्ली रामय्याः क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों को अपराधों का पता लगाने में अमानवीय हथकंडे अपनाने से बचने और वैज्ञानिक तरीके अपनाने के लिए अपनी जांच एजेंसियों को अनुदेश देने का निदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में राज्य सरकारों से परामर्श करके कोई ठोस कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद): (क) से (घ). "पुलिस" तथा "कानून और व्यवस्था" राज्य के विषय हैं। अतः अपराधों का पता लगाने के लिए अमानवीय तरीकों को छोड़ने और वैज्ञानिक तरीकों को अपनाने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निदेशों, यदि कोई हो, को कार्यान्वित करना संबंधित राज्य सरकारों का कार्य है। तथापि, केन्द्र सरकार ने समय–समय पर इस बात पर बल दिया है कि अपराधों की जांच पडताल के लिए वैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल किया जाय।

कोयला खानों का मौजों पर प्रभाव

385. श्री राधाधन रायः क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कौन–कौन से मौजे जमीन धसकने, आग, गैस और अवैज्ञानिक, कोयला खनन से प्रभावित हुए हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान अब तक प्रभावित मौजों के पुनर्स्थापन और स्थितीकरण की दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) अवैज्ञानिक कोयला खनन कार्य के कारण कितने लोग प्रभावित हुए हैं; और

(घ) प्रभावित लोगों के पुनर्स्थपन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभाव (श्री पी.ए. संगमा): (क) तंग स्थलों के अंतर्गत विगत में अवैज्ञानिक रूप से किया गया कोयला खनन से उत्पन्न धंसाव की समस्या मुख्यतः रानीगंज कोयला क्षेत्र तक सीमित है। तथापि आग के कारण अत्यधिक कम सीमा तक धंसाव की समस्या झरिया कोयला क्षेत्र में भी पायी जाती है। रानीगंज कोयला क्षेत्र में धंसाव द्वारा प्रभावित मौजों/गांवों के नाम और झरिया कोलफील्ड में धंसाव एवं आग के कारणों को संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) धंसाव तथा आग से प्रभावित क्षेत्रों को सुदृढ़ीकृत किए जाने के संबंध में उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदम नीचे दिए गए हैं:

(1) इस संबंध में किसी सिद्ध प्रौद्योगिकी के उपलब्ध न होने की स्थिति में हाइड्रो–न्यूमैटिक रेत–भराई प्रौद्योगिकी को रानीगंज क्षेत्र के अरूण टाकीज के समीप भूमिगत पहुंचरहित जलमग्न क्रियाकलापों को सुदृढ़ीकृत किए जाने के लिए प्रायोगिक आधार पर प्रयोग की जा रही है।

(2) आग से प्रभावित क्षेत्रों को खुदाई, ट्रैचिंग, ब्लैकेटिंग, हाइड्रोलिक रैक–फ्लैशिंग आदि जैसे उपायों के जरिए कार्रवाई की जा रही है।

(3) झरिया कोयला क्षेत्र की आगों की समस्या से निपटने के लिए एक विस्तृत नैदानिक अध्ययन शुरू किया गया है। इस अध्ययन का कार्य प्रगति पर है।

(ग) और (घ). को.इं.लि. द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. में धंसाव के कारण कुल निम्नलिखित व्यक्ति प्रभावित हुए हैं-- बहुला–70, कुनुस्टोरिया, 4, महावीर–5, मधुसूदनपुर 160, नरसुमदा--15 गिरमिन्ट–1040, और पाण्डेश्वर–4। इससे प्रभावित व्यक्तियों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानान्तरित कर दिया गया है और उनको कुछ राहत उपाय भी मुहैया किए गए हैं।

विवरण

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.

मौजे (गांवों)

1. शकरपुर गांव
2. हरीपुर गांव
3. सिंकरपुर बस्ती
4. धागंरपट्टी
5. बहुला मोती बाजार
6. पलासबोन गांव
7. कुलडंगा गांव
8. केंदा गांव
9. संथाल बस्ती (बेलबेद)
10. धासल गांव
11. कुमार बाजार (रानीगंज टाउन)
12. पोराबंध (रानीगंज टाउन)
13. तोपोसी गांव
14. पुटैरी क्षेत्र (रानीगंज टाउन)
15. अरूण टाकीज (रानीगंज टाउन)
16. ग्वाला बस्ती (रानीगंज टाउन)
17. हुरमाडंगा गांव
18. ओल्ड एगारा गांव
19. संथाल बस्ती (जेमेहारी)
20. नंदी गांव
21. जमूरिया बाजार
22. जमूरिया गांव
23. शिबपुर गांव
24. छत्तीमडंगा
25. कुमारडीह गांव
26. भूटडोबा
27. वालीरम्बाग
28. एच.पी.जी.वर्क्स
29. ऊषाग्राम गांव
30. रैकेट कोलमैन फैक्टरी
31. बोराचक गांव
32. रघुनाथबती गांव/संथाल बस्ती
33. फत्तेपुर गांव
34. नरसामुडा गांव
35. बेलरूई गांव
36. बोनबिद्दी गांव
37. अलडीह गांव
38. अलुथई/भारतचक गांव
39. बालसुख सेरेमिक वर्क्स
40. राधानगर गांव
41. छोट्टाधेमों गांव
42. केन्दुआ बाजार
43. पिंकरे
44. सीतलपुर गांव
45. संकतोड़िया गांव
46. जोनकपुर गांव
47. फलासडंगा
48. बेगुनिया गांव
49. बाराकर टाउन

भारत कोकिंग कोल लि.

मौजे/क्षेत्र

1. सुरूकडीह
2. जीलगोरा
3. लोयाबद
4. परसिया

5. तेतुलमारी
6. लोदना
7. झरिया खास
8. बगडिगी
9. छोटा पुटकी
10. बंगाबंध
11. किरकेंद
12. केंडवाडीह
13. बारा पुटकी
14. बेसुपुरियां
15. चौकी बोवा मौजा
16. कुजमा
17. एल.एन.ए.

आटोमेटिक पेट्रोल वितरण यंत्र

386. **श्री डी. वेंकटेश्वर रावः** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आटोमेटिक और हेर फेर रहित पेट्रोल वितरण मशीने लगाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस संबंध में कोई प्रस्ताव मिला है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा): (क) से (ग). तेल कंपनियों ने मैसर्स एवरी इंडिया लि. से गिलबार्को यू एस ए मेक आटो की पम्प मैनेजमैंट सिस्टम आयात करने के संबंध में प्रस्ताव प्राप्त किया है जिसमें स्व सेवा प्रचालन हेतु स्वचालित तरीका विद्यमान है। स्वयं सेवा तरीके को क्रेडिट कार्ड धारकों अथवा नकद बिक्रियों तक के लिए भी प्रचलित किया जा सकता है।

ब्राडकास्टिंग इंजीनियरिंग कंसलट्टेंस लिमिटेड

387. **श्री गुरूदास कामतः** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि: (क)क्या सरकार का विचार एक ब्राडकास्टिंग इंजीनियरिंग कंसलटेंट्स लिमिटेड स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी.सिंह देव) (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने 250/– लाख रूपए की अधिकृत पूंजी सहित "ब्रॉडकास्ट इन्जीनियरिंग कंसलट्टेंस इंडिया लि." की स्थापना को अनुमोदित कर दिया है। स्थापित हो जाने पर यह कम्पनी, भारत और विदेश में ध्वनि स्टूडियो, टी.वी. स्टूडियो, रेडियो एवं टी.वी. ट्रांसमीटरों, उपग्रह लिंक, केबल टी.वी., प्रसारण प्रणाली से सम्बंधित परियोजनाओं की योजना बनाने, निस्पादन एवं संचालन/अनुरक्षण तथा सभी सम्बधित कार्यों सहित इन्जीनियरिंग तकनीकी तथा प्रबन्धन सेवाएं उपलब्ध कराएंगी।

[हिन्दी]

ओमान से गैस का आयात

388. **श्री एम वी वी एस मूर्ति :**
श्री सनत कुमार मंडल :
श्री पी. कुमारा सामी :
श्री शंकरसिंह वाघेला :
श्री सत्यदेव सिंह:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और ओमान ने ओमान से भारत में अर्ध समुद्री पाइपलाइन प्रणाली के माध्यम से गैस का आयात करने संबंधी किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस समझौते की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) ओमान भारत को गैस प्रदान करने के लिए किस सीमा तक सहमत हो गया है।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा): (क) और (ख). ओमान के हस्ताक्षरित प्रधान निबंधनों पर करार में संविदा की अवधि, संविदा की मात्रा, गैस का मूल्य निर्धारित करने के लिए प्राचल आदि शामिल हैं।

(ग) 56.6 एम एम एम सी एम डी।

बांड जारी किया जाना

389. **श्री पंकज चौधरी :**
श्री चेतन पी.एस. चौहान :
डा. पी वल्लल पेरूमान :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन आयल कारपोरेशन ने अन्तर्राष्ट्रीय ऋण बाजार में बांड जारी करने संबंधी कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) बांडों के लिए ब्याज की दर क्या निर्धारित की गई है;

(घ) क्या उक्त प्रयोजनार्थ वित्त मंत्रालय से स्वीकृति ले ली गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा): (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ). प्रश्न नहीं उठता।

कोल इंडिया लिमिटेड

390. **श्री जगमीत सिंह बराड़ :**
श्री गुमान मल लोढ़ा :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कोल इंडिया लि. को निजी क्षेत्र की कंपनियों की तुलना में सफल प्रतियोगी बनाने के लिए कोई योजना बनायी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी.ए. संगमा) (क) से (ग). कोयला खनन में निजी क्षेत्र की भागीदारी की अनुमति केवल ग्रहीत उपभोग के संबंध में ही दी गई है। चूंकि उनका कोयला बाह्य बिक्री के लिए नहीं है, अतः इनका कोल इंडिया लि. के साथ सीधे प्रतिस्पर्धा किए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है। आयातित कोयले के संबंध में कोल इंडिया लि. द्वारा उत्पादित कोयले का प्रति थर्म लागत पहले ही प्रतिस्पर्धा अधीन है। इसके अलावा, भारतीय कोयले में निम्न सल्फर तत्व विद्यमान होने के कारण आयात के लिए उपलब्ध अधिकांश कोयले की तुलना में यह बेहतरीन है।

भूजल स्तर

391. **श्री एन.जे.राठवा:** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात में भूजल का स्तर तेजी से गिरता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो केंद्रीय भूजल बोर्ड ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं;

(ग) क्या गुजरात सरकार ने राज्य में भूजल स्तर को ऊपर उठाने के लिए केंद्र सरकार के पास कोई योजना भेजी है;

(घ) यदि हां, तो उनकी अनुमानित लागत सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) इस संबंध में केन्द्र सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) उत्तरी गुजरात के अहमदाबाद, बनासकां, गांधीनगर, मेहसाणा, सांबरकांठा और कच्छ जिलों के कुछ भागों में भूजल स्तर में क्रमिक रूप से गिरावट पायी गयी है।

(ख) भूजल के नियन्त्रण और विनियमन में राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करने के लिए केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड द्वारा तैयार किया गया प्रारूप माडल विधेयक गुजरात सरकार सहित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को परिचालित किया गया है। गुजरात सरकार ने इस माडल विधेयक में प्रस्तावित आधार पर कानून बनाया है। बोर्ड ने भूजल स्तर में कमी की स्थिति का सामना कर रहे क्षेत्रों में कृत्रिम पुनर्भरण योजनाओं को तैयार करने के लिए राज्य सरकारों को मार्गनिर्देश भी परिचालित किए हैं।

(ग) और (घ). जी हां। गुजरात सरकार ने बाह्य सहायता के लिए परियोजना को प्रस्तुत करने हेतु उत्तरी गुजरात के अति दोहन वाले जलभृतों में सतही जल पुनर्भरण बढ़ाने का एक परियोजना प्रस्ताव केन्द्र सरकार को प्रस्तुत किया था। इस परियोजना की अनुमानित लागत 110.65 करोड़ रुपए है।

(ड) इस परियोजना प्रस्ताव की जांच की गयी है तथा राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि वह योजना आयोग की टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए परियोजना प्रस्ताव को संशोधित करे।

सोन नदी जल विवाद

392. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह:** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने सोन नदी जल विवाद का निपटारा करने के लिए कोई समिति गठित की है जिसमें केन्द्रीय जल आयोग के चैयरमैन और सदस्य (डब्ल्यू.पी.) शामिल हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त समिति ने विवादों का निपटारा करने के लिए इसमें भागीदार राज्यों के साथ कोई बैठक की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ड.) क्या इस समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(च) यदि हां, तो समिति द्वारा क्या सिफारिशें की गई हैं; और

(छ) इस पर केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के.थुंगन): (क) और (ख). सोन बेसिन राज्यों की 24.8.1992 को हुई अंतर्राज्यीय बैठक में लिए गये निर्णय के अनुसार, सोन जल के बंटवारे के लिए अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय तकनीकी समिति 30.10.1992 को गठित की गई है। इस समिति के अन्य सदस्य, बेसिन राज्यों के सिंचाई विभागों के प्रमुख इंजीनियर हैं। मुख्य इंजीनियर, सिंचाई प्रबंध, केन्द्रीय जल आयोग इसके सदस्य सचिव हैं।

समिति के विचारार्थ विषयों में 1973 के बाणसागर अंतर्राज्यीय करार तथा 1982 के कन्हार करार में विनिर्दिष्ट समग्र हिस्से संबंधी ढांचे और अन्य ऐसे समझौते तथा विचार-विमर्श जिनका इस मामले से संबंध है को ध्यान में रखते हुए और अनुमोदित आबंटन के अनुसार बेसिन राज्यों के बीच जल के वितरण को सुनिश्चित करने के वास्ते प्रशासनिक प्रबंध की सिफारिश करने के लिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा बिहार के सह-बेसिन राज्यों के बीच उपलब्ध जल का बेसिन-वार आबंटन हेतु प्रस्ताव तैयार करना शामिल है।

(ग) और (घ). इस समिति ने नवम्बर, 1992 और अगस्त, 1993 के बीच 4 बैठकें की जिनमें उसे भेजे गए सभी मुद्दों पर बेसिन राज्यों के साथ चर्चा की गयी थी।

(ड) से (छ). समिति ने अपनी सिफारिशों और बिहार सरकार की असहमति की टिप्पणी के साथ नवम्बर, 1993 में अपनी रिपोर्ट

प्रस्तुत की थी। इस रिपोर्ट पर विचार करने के बाद, समिति से अनुरोध किया गया है कि वह बैठकें पुनः आयोजित करें तथा सहमति लायें। अध्यक्ष केन्द्रीय जल आयोग ने पहले ही 5.8.1994 तथा 30.8.94 को दो अंतर्राज्यीय बैठकें आयोजित की हैं।

[अनुवाद]

सीमा सुरक्षा बल और ग्रामीणों के बीच टकराव

393. **श्री जितेन्द्र नाथ दासः**
श्री सुव्रत मुखर्जीः

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल राज्य में भारत–बंगलादेश सीमा पर भारत की तरफ लगने वाले गांवों और सीमा सुरक्षा बल के कर्मियों के बीच गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष कितनी बार भिड़न्त हुई;

(ख) क्या पश्चिमी बंगाल में सीमा के साथ लगने वाले गांवों में ऐसी घटनाओं में वृद्धि हो रही है;

(ग) क्या पश्चिम बंगाल की सरकार ने कुछ मामलों पर अपनी चिन्ता व्यक्त की है जिनमें सीमा सुरक्षा बल के कर्मियों की कठोरता से पेश आने की बात सिद्ध हुई है;

(घ) यदि हां, तो टकराव की इन घटनाओं हेतु कितने मामलों में सीमा सुरक्षा बल के कर्मियों को जिम्मेदार ठहराया गया है;

(ङ) इन पर किस प्रकार की कार्यवाही की गई; और

(च) सीमा सुरक्षा बल कर्मियों और स्थानीय लोगों के बीच ऐसी अप्रत्याशित टकराव की घटनायें न होने देने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है;

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट): (क) और (ख). पश्चिम बंगाल में भारत बंगलादेश सीमा पर सीमावर्ती क्षेत्रों में यह प्रवृत्ति है कि जब भी सीमा सुरक्षा बल द्वारा बड़ी मात्रा में तस्करी का सामान पकड़ा जाता है तो तस्कर/समाज विरोधी तत्व अपने समर्थकों की सहायता से पकड़े गए पशुओं/सामान को छीनने के उद्देश्य से सीमा सुरक्षा बल के गश्ती/नाका दलों पर हमला कर देते हैं। इस प्रकार की कुल घटनाओं की संख्या निम्न प्रकार है:

वर्ष		घटनाओं की संख्या
1992		28 मामले
1993		10 मामले
1994	(30 नवम्बर तक)	21 मामले

(ग) ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जिनमें पश्चिम बंगाल सरकार ने अपनी चिन्ता व्यक्त की है।

(घ) और (ङ). सीमा सुरक्षा बल के कार्मिकों द्वारा की गई ज्यादतियों के आरोपों की शीघ्रता से जांच की जाती है और यदि वे दोषी पाए जाते हैं तो उनके विरूद्ध सीमा सुरक्षा बल अधिनियम तथा नियमों के अन्तर्गत उपयुक्त कार्रवाई की जाती है। इस प्रकार की 4 घटनाओं, में, सीमा सुरक्षा बल के 6 कार्मिकों को दोषी पाया गया था और उन्हें उपयुक्त दंड दिया गया था।

(च) सीमावर्ती क्षेत्रों में कार्यरत सभी सीमा सुरक्षा बल कार्मिकों को, संयम बरतने और केवल आत्म रक्षा में ही कार्रवाई करने के लिए समुचित रूप से ब्रीफ किया गया है।

कोयला नीति

394. **श्री बोल्ला बुल्ली रामय्याः क्या कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्तूबर, 1994 में कुछ कोयला खनन ब्लाकों को भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि. (सेल) को देने के संबंध में नई दिल्ली में एक बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कोयला नीति की पुनरीक्षा करने के लिए कोई ठोस प्रस्ताव तैयार किए गए है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी.एं संगमा) : (क) और (ख). अक्तूबर, 1994 में एक अन्तर–मंत्रालय बैठक सम्पन्न हुई थी, जिसमें भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड "सेल" के इस्पात संयंत्रों को धुले हुए कोककर कोयले की आपूर्ति की स्थिति और कोककर कोयले के आयात पर निर्भरता को कम किए जाने की दृष्टि से वाशरी क्षमता तथा कोककर कोयले के उत्पादन में वृद्धि किए जाने के लिए उठाए गए कदमों/उठाए जा रहे कदमों के संबंध में समीक्षा की गई थी। बैठक के दौरान नई खानों के विकास की संभावनाओं को दृष्टिगत करते हुए अतिरिक्त कोककर कोयले का उत्पादन किये जाने पर विचार–विमर्श किया गया था और कोल इंडिया लि. (को.इ.लि.) तथा "सेल" संयुक्त व्यवस्था करने और संभावनाओं का पता लगाए जाने के लिए विचार–विमर्श करने की सलाह दी गई थी ताकि अतिरिक्त उत्पादन तथा कोककर कोयले की धुलाई क्षमता में तेजी से विकास किया जा सके, विशेषकर वेस्ट बोकारो कोयला क्षेत्र के मामले में।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता है।

मानवाधिकारों का उल्लंघन

395. **मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खन्डूरी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को 2 अक्तूबर, 1994 को मुजफ्फरनगर में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मानव अधिकारों के बड़े पैमाने पर किए गए उल्लंघन की जानकारी है;

(ख) क्या "राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग" इन मामलों की जांच कर रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार को कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट): (क) सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2 अक्तूबर, 1994 को मुजफ्फरनगर

में मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोपों की जानकारी है जिन्हें संपूर्ण देश के मीडिया माध्यमों ने व्यापक रूप से कवरेज प्रदान की थी।

(ख) जी नहीं, श्रीमान्।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठता है।

12.00 मध्याह्न

[अनुवाद]

भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के साथ हुई दुर्घटना के सम्बन्ध में

अध्यक्ष महोदयः बूटा सिंह जी, कल आप अपनी बात कह रहे थे।

श्री बूटासिंह (जालौर) : अध्यक्ष महोदय, 30 नवम्बर, के दिन पूरे देश को एक चौंका देने वाली गंभीर सड़क दुर्घटना का समाचार मिला जिसमें हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जी शामिल थे। यह दुर्घटना उनके पूर्व निर्वाचन क्षेत्र में हुई जहां से वे विधानसभा के सदस्य चुने गए थे। वे इस सभा के सदस्य भी थे।

महोदय, यह दुर्घटना उस समय हुई जिस समय वे श्री आनन्दपुर साहिब से पवित्र गुरूद्वारे में दर्शन करके वापस आ रहे थे। जब वे श्री आनन्दपुर साहिब से वापस आ रहे थे तो अचानक उनकी गाड़ी एक दुर्घटना का शिकार हो गई जो कि प्रैस की रिपोर्टों के अनुसार भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जी के जीवन पर जानबूझ कर किया गया हमला प्रतीत होता है। अगले दिन हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित समाचार के अनुसार एक ट्रक चालक ने भूतपूर्व राष्ट्रपति की कार को एक बार नहीं बल्कि दो बार टक्कर मारी। एक बार तो उसने क्रास करते हुए टक्कर मारी और फिर उसने अपना ट्रक वापस मोड़ा और फिर दूसरी बार दायीं ओर से कार को बुरी तरह से टक्कर मारी। उसी रिर्पोट में यह भी उल्लेख किया गया था कि ज्ञानी जी कि कार को जब पहली बार टक्कर लगी तो ड्राइवर ने कार को सड़क से नीचे उतार दिया था और कार कच्चे रास्ते पर थी। लेकिन ट्रक चालक ट्रक को मोड़कर वापस ले आया और दुबारा टक्कर मारी जबकि कार सड़क पर नहीं थी। कार को अत्यधिक नुकसान पहुँचा है। उस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि यदि कार बुलेट प्रूफ न होती तो ज्ञानी जी की सपरिवार, दुर्घटना स्थल पर ही मृत्यु हो जाती। इसलिए, यह दुर्घटना कोई साधारण दुर्घटना नहीं है।

महोदय, इस पूरी घटना में जो सबसे अधिक गलत बात यह है कि इस बारे में उस जिले के कनिष्ठ अधिकारी द्वारा जांच करवाए जाने के आदेश दिए गए हैं जो कि एक शर्मनाक बात है। इसलिए सभा भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति के स्वास्थ्य के बारे में जानना चाहती है। उनके स्वास्थ्य के बारे में बहुत कम रिपोर्टें आ रही हैं। किसी को भी सही स्थिति मालूम नहीं है। कभी यह कहा जाता है कि उनके स्वास्थ्य की स्थिति स्थिर है। कभी हमें बताया जाता है कि उनके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। आज हमें बताया गया है कि उनकी स्थिति नाजुक है। दुर्घटना से अगले दिन मैंने उनके पास जाने की कोशिश की लेकिन मुझे अस्पताल के अन्दर भी नहीं घुसने दिया गया। जब मैं दूसरी बार वहां गया तो बहुत मुश्किल से वार्ड तक जा सका था और तब मैं वहां ज्ञानी जी के परिवार के कुछ सदस्यों से मिला।

महोदय, उस महान देशभक्त, स्वतंत्रता सेनानी, भूतपूर्व मुख्य मंत्री, भूतपूर्व केन्द्रीय गृह मंत्री तथा भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति के साथ हमारा सम्बन्ध काफी लम्बे समय से है और मेरे साथ-साथ सदन के दोनों पक्षों के मेरे साथी यह मानते हैं कि वह प्रतिभाशाली और इस देश के महान व्यक्ति हैं जिन्होंने स्वतंत्रता आन्दोलन के दौरान काफी समय तक कालकोठरी की सजा भुगती। वे एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने मुख्य मंत्रित्व काल के दौरान पूरे पंजाब को नया स्वरूप दिया है और देश-विदेश के सभी लोग उनके योगदान के बारे में जानते हैं। इसलिए उनकी जिंदगी पूरे देश के लिए बहुत बहुमूल्य है।

महोदय, हमें बताया गया है कि उन्हें ऐसी प्रथानुसार सहायता भी प्रदान नहीं की गई थी जो कि 'जैड' श्रेणी की सुरक्षा खतरे के तहत आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को प्रदान की जाती है। जब हम अन्य राज्यों में जाते हैं तो हमें पूरी सुरक्षा प्रदान की जाती है। हमें एम्बुलैंस के साथ-साथ पूरे सुरक्षा औजार प्रदान किए जाते हैं जबकि हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति को साथ जाने के लिए एक कनिष्ठतम अधिकारी, शायद एक हैड कांस्टेबल और एक छोटा सा दस्ता दिया गया। जो कार उनके साथ अनुरक्षार्थ चल रही थी, वह भी उनके परिवार के सदस्यों के अनुसार कहीं दिखाई नहीं दे रही थी।

महोदय, इसलिए यह पूरा मामला संदेहपूर्ण प्रतीत होता है और प्रैस ने स्वयं भी यह रिपोर्ट दी है कि, दुर्घटना के पीछे कोई रहस्य है, जिसका अर्थ यह है कि यह कोई साधारण सड़क दुर्घटना नहीं है जिसमें भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति तथा महान स्वतंत्रता सेनानी की जिंदगी शामिल है। मेरा विश्वास है कि यह सभा ज्ञानीजी के साथ हुई घटना पर हमारी गंभीर चिन्ता व्यक्त करने में एकमत होगी। अब उनका स्वास्थ्य भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए चिन्ता का विषय है।

महोदय, आपके माध्यम से मेरा भारत सरकार से यह नम्र निवेदन है कि इस दुर्घटना की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा करवाई जानी चाहिए। हमें इस गंभीर दुर्घटना के तथ्यों के बारे में पता लगाना चाहिए जिसमें हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति का जीवन शामिल है। हमें बताया गया है कि कुछ गंभीर खामियां हैं जो कि चिन्ता का मुख्य कारण है। भास्त के भूतपूर्व राष्ट्रपति को कोई एम्बुलेंस और कोइ पीछा करने वाली कार उपलब्ध नहीं करवाई गई थी और पुलिस जो कि उनकी कार के पीछे चलने के लिए दी गई थी वो भी कनिष्ठ रैंक की थी। कोई जिम्मेदार अधिकारी वहां मौजूद नहीं था। जब वह और परिवार के सदस्य घायल हुए तब उन्हें उनके अपने परिवार के सदस्यों द्वारा ही अस्पताल ले जाया गया। उनकी सहायता करने के लिए वहां कोई नहीं था।

इन परिस्थितियों में हमारे पास भारत सरकार को यह अनुरोध करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है कि वह इन कारणों का पता लगाने के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो के वरिष्ठ अधिकारियों के एक दल को भेजे और भूतपूर्व राष्ट्रपति की इस यात्रा के दौरान हुई

गलतियों के लिए जिम्मेदारी तय करे। मैं सरकार से यह भी अनुरोध करूंगा कि वह वरिष्ठ डॉक्टरों के एक दल को भी भेजे। यदि सम्भव हो सके तो उन्हें दिल्ली लाया जाना चाहिए और इससे पहले कि बहुत देर हो जाए ज्ञानीजी को उपयुक्त चिकित्सा प्रदान की जानी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ): अध्यक्ष महोदय, आपको स्मरण होगा, सत्र आरंभ होने से पहले आपसे मिलने का मौका मिला था, तब मैंने इन आशंकाओं के बारे में संकेत किया था, जो आशंकाएं पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के कार दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो जाने की बात को लेकर व्यक्त की जा रही है। आज मेरे सहयोगी सदस्य सरदार बूटा सिंह जी ने उन आशंकाओं को इस सदन में वाणी दे दी है। इस तरह की चर्चा हो रही है और सरकार को इसको ध्यान में रखना चाहिए और लोगों को आश्वस्त करना चाहिए कि वास्तव में वह एक दुर्घटना थी, ज्ञानी जी के प्राण लेने की कोई साजिश नहीं थी।

जिन परिस्थितियों में दुर्घटना हुई है, जिस तरह की सुरक्षा उन्हें प्राप्त थी, उसमें इस तरह की दुर्घटना हो जाए, यह साधारणतः समझ में नहीं आता है, लेकिन इस मामाले में सरकार की चुप्पी उचित नहीं है। मै चाहूगा कि सरकार को, जबकि यह मामला सदन में उठ गया है और जनमानस में भ्रांतियां हैं, तो इस मामले पर पहले तो एक वक्तव्य देना चाहिए। ज्ञानी जी के स्वास्थ्य के बारे में लोगों को लगातार सूचना मिलती रहे, ऐसा प्रबंध आवश्यक है। अगर उन्हें यहां लाना जरूरी है तो मैं नहीं समझता कि सरकार इसमें कोई बाधा उत्पन्न करेगी, लेकिन मैंने चंडीगढ़ संपर्क किया था, आज पंजाब के हमारे कार्यकर्ता भी आए हैं, उनका कहना है कि डाक्टरों की ऐसी राय नहीं है कि इस समय ज्ञानी जी को वहां से हटाया जाए। यदि यह बात सच है तो इसको भी स्पष्ट किया जाना चाहिए और इस संबंध में सरकार सदन को विश्वास में ले, देश को विश्वास में ले और यहां पर वक्तव्य दे।

ज्ञानी जी की सेवाओं का उल्लेख करने का सचमुच में यह समय नहीं है। हम सब उनकी सेवाओं से परिचित हैं। राष्ट्रपति के सर्वोच्च पद को उन्होंने विभूषित किया है। हम चाहेंगे कि उनके प्राणों की रक्षा हो, उनकी पूरी देखभाल की जाए और जनमानस में से यह भ्रांति निकालने का सरकार पूरा प्रयत्न करे कि यह मात्र एक दुर्घटना थी और उसके पीछे कोई शरारत नहीं थी।

श्री शरद यादव (मधेपुरा): अध्यक्षजी, मैं बूटा सिंहजी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने यहां इस सवाल को उठाया। पूरे देश भर में इस बाबत चर्चा है और पत्र-पत्रिकाओं में कई तरह की आशंकायें लगातार छप रही हैं कि ज्ञानीजी की दुर्घटना महज एक्सीडेंट है या साजिश है। लोगों के मन में भी इसको लेकर गहरी आशंका है। क्योंकि ज्ञानीजी का जीवन एक आदर्शवादी जीवन रहा है। मैं उनकी, बाबत यहां ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं। ज्ञानीजी इस देश के सर्वोच्च पद पर रहे और अन्य महत्वपूर्ण पदों पर भी रहे। वे एक जिन्दादिल इनसान हैं और हमारे उनसे बड़े मोहब्बत भरे रिश्ते रहे हैं। सरकार को स्वयं इस सवाल पर वक्तव्य देना चाहिए और बताना चाहिए कि क्या स्थिति है। वे राष्ट्रपति रहे हैं। उनको चण्डीगढ़ से अन्यत्र क्यों नहीं भेजा जा रहा है। बूटा सिंहजी ने जो सवाल उठाया है, मैं महसूस करता हूं कि सरकार को तत्काल सारे तथ्यों पर विस्तार से बताना चाहिए। उनकी सुरक्षा में क्या-क्या खामियां थीं, किस तरह से दुर्घटना हुई, इस बारे में एक विस्तृत बयान सच्चाई के साथ सरकार को सदन के सामने रखना चाहिए। जिससे देश में जो आशंकायें फैल रही हैं और उनके शुभचिन्तकों में जो तकलीफ व्याप्त है, वह दूर हो सके। इसके साथ ही अफवाहों का जो बाजार गर्म है, उस पर भी रोक लग सके।

ज्ञानीजी की सेवाओं को देखते हुए हमारा कर्त्तव्य बनता है कि हम सारी सच्चाई को देश और सदन के सामने रखें।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): अध्यक्ष महोदय, यहां जो कुछ भी सरदार बूटा सिंह जी ने और हमारे मित्रों ने कहा, मैं उसका समर्थन करता हूँ। मुझे वह सब दोहराने की आवश्यकता नहीं है, मैं जो कुछ भी हुआ उस पर गहरी चिन्ता व्यक्त करता हूं और उनके पूर्ण तथा शीर्घ स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूँ।

मैं केवल इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि भारत सरकार को यह देखना चाहिए कि इस देश के लोग इस बात से संतुष्ट हों कि उनके उपयुक्त इलाज के लिए पूरे कदम उठाए जा रहे हैं और इस मामले की जांच में भी कोई कमी नहीं रखी गयी है। इस बात पर न केवल शक करने के लिए बल्कि यह दृढ़ विश्वास करने के लिए पर्याप्त सामग्री है कि यह केवल दुर्घटना नहीं थी। इसलिए यह उचित समय है जबकि जो कुछ भी हुआ उसके प्रति इस देश के लोगों को विश्वास में लिया जा सकता है। यदि इस संरक्षण और सुरक्षा के बीच इतने प्रतिष्ठित व्यक्ति से इस तरीके से व्यवहार किया जाएगा तो इससे गलत संकेत प्राप्त होंगे और फिर उसमें सुरक्षा का प्रश्न भी शामिल है। दुर्भाग्यवश, इस देश में हमारे कुछ नेताओं को अभी भी सुरक्षा की आवश्यकता है। इसलिए लोगों को यह समझना चाहिए कि इतने निर्लज्ज तरीके से उल्लंघन करने से कोई भी बच नहीं सकता है।

जो कुछ भी रिपोर्ट दी गई है और जो कुछ भी प्रैस में कहा गया है उससे प्रतीत होता है कि इसके पीछे बहुत बड़ी सुरक्षा की कमी है बशर्ते ऐसा जानबूझ कर भी किया जा सकता है। इसलिए मैं उनके पूर्ण और शीर्घ स्वास्थ्य लाभ की कामना के अतिरिक्त आगे और कुछ नहीं कहना चाहता। मुझे उम्मीद है कि सरकार द्वारा सभी सम्भव कदम उठाए जायेंगे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर): मैं केवल इस अनुरोध तथा मांग को अपना समर्थन देना चाहता हूँ कि इस पूरी घटना पर सरकार को एक व्यापक वक्तव्य देना चाहिए।

निश्चय ही एक पहलू ज्ञानीजी का इलाज है जो कि इस समय चल रहा है।

हम सब यह उम्मीद करते हैं कि वे स्वस्थ हो जायेंगे जबकि ऐसी रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं जो कि यह संकेत देती हैं कि वे बहुत अस्थिर स्थिति में हैं। मैं नहीं जानता कि क्या यह सही है। सरकार को पता लगाना चाहिए और इस पर एक व्यापक वक्तव्य देना चाहिए।

दूसरा पहलू है इस घटना से सम्बन्धित परिस्थितियों के संबंध में है। मैं नहीं जानता कि क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो अथवा किसी अन्य जांच करने वाली एजेंसी को यह कार्य दिया गया है अथवा नहीं। जो कुछ भी मैंने सुना है उससे पता चलता है कि अत्यधिक संदेहपूर्ण परिस्थितियां हैं जिनके लिए उपयुक्त तथा विशेषज्ञों द्वारा जांच आवश्यक है।

चालक ने ज्ञानीजी की कार से एक बार नहीं बल्कि दो बार टक्कर मारी। उसने एक बार टक्कर मारी और चला गया, फिर वह वापस आया और उसने दुबारा टक्कर मारी, यह सच है। मुझे बताया गया है कि वे गंभीर रूप से घायल हुए और उनकी छाती के दोनों ओर की पसलियां टूट गई हैं। यह ऐसा मामला है जिस पर गहराई से छानबीन तथा जांच की आवश्यकता है और यदि कोई सबूत उपलब्ध होता है अथवा अन्य जानकारी मिलती है तो उसके बारे में सभा को सूचित किया जाना चाहिए।

हम सब ज्ञानीजी के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि पूरे मामले पर प्रकाश डाला जाएगा ताकि अनावश्यक शक की कोई गुंजाइश न रहे।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़): अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं इस बात की प्रार्थना करता हूं और हमारी शुभकामनायें है कि ज्ञानी जी पूरी तरह से स्वस्थ होकर अपने घर वापस आयें। मैंने कोशिश की थी कि वहां जाकर उनको देखूं लेकिन मुझे अस्पताल से बताया गया कि अभी मिलने की इजाजत नहीं है क्योंकि हमारे मिलने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। उनके परिवार के एक संबंधी ने फोन पर बताया। परिवार के लोगों में भी इस बात का गहरा असंतोष है कि यह मात्र दुर्घटना न होकर जानबूझकर यह प्रयास किया गया है। इसके पीछे कौन सी साजिश है, कौन सी ताकतें हैं जिससे उस कार से दो बार टकराया गया। उनकी गाड़ी से और उसमें जो आगे गाड़ी थी, उनके आगे आमतौर पर कोई ट्रक आता है तो उससे टकराना चाहिये था लेकिन उससे न टकरा कर ज्ञानी जी की कार से दो बार ट्रक टकराया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: हमें यह तथ्य मिलने चाहिए।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रजीत यादव: मैं नहीं जानता मंत्री जी इसपर बयान देंगे या नहीं? आखिर हमारे देश के एक भूतपूर्व राष्ट्रपति दुर्घटनाग्रस्त हुये हैं और यहां से काफी दूर अस्पताल में हैं। क्या हमारे मंत्री में से कोई उनको देखने गया है या नहीं? मुझे अखबारों से पढ़ने को मिला कि केवल दो डाक्टर वहां पर भेजे गये हैं। क्या आल इंडिया इंस्टीट्यूट से स्पेशलिस्ट्स भेजे गये हैं? क्या सरकार ने उनके लिये किसी विदेश से डाक्टर की सहायता प्राप्त की है? पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री जी की बात साबित करती है कि इसके पीछे कोई साजिश है। एक जुनियर अधिकारी इस बात की जांच करे तो गलत होगा। आज इस देश को इस बात पर चिन्ता हो रही है। इस चिन्ता को दूर करने के लिये इतना तो कहना चाहिये कि यह जांच कोई उच्चाधिकारी करेगा और कोई मंत्री वहां जाकर उनको देखेगा और जो बेहतरीन व्यवस्था हो सकती है, उनके इलाज के लिये विदेश से मदद ली जाये, ऐसी मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं।

[अनुवाद]

श्री पी.जी. नारायणन् (गोविचेट्टिपालयम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कोई साधारण सड़क दुर्घटना नहीं है। इसलिए यह एक गंभीर मामला है। बूटा सिंह जी के अनुसार, यह भूतपूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी ज़ैल सिंह जी की जान लेने के लिए जानबूझ कर की गई कोशिश है। यदि ऐसा है तो इस प्रकार की घटना पर अधिक ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। महोदय, उनकी जान बचाने के लिए पर्याप्त चिकित्सा सहायता प्रदान की जानी चाहिए।

हम उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हैं। इसके साथ ही इस घटना पर गहराई से जांच करने की आवश्यकता है ताकि लोगों के दिमाग में शक की गुंजाइश न रहे।

अध्यक्ष महोदय : क्या सरकार इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहेगी?

श्री उमराव सिंह (जालंधर) : महोदय, मैं इसमें केवल एक मुद्दा और जोड़ना चाहूंगा। यह सूचना मिली है कि उनको सही तरीके से प्राथमिक चिकित्सा प्रदान नहीं की गई थी।

अध्यक्ष महोदय : सरकार को इन सब बातों का जवाब देने दीजिए।

श्री उमराव सिंह :महोदय, उपयुक्त रूप से प्राथमिक चिकित्सा प्रदान नहीं की गई थी।

अध्यक्ष महोदय : हम सरकार से यही जानना चाहते हैं।

[हिन्दी]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : अध्यक्ष महोदय, जैसे ही हमें ज्ञानी जी के एक्सीडैंट की खबर शाम को मिली, मैंने प्रधान मंत्री जी को इत्तला दी कि जब ज्ञानी जी आ रहे थे तो एक रोड एक्सीडेंट के कारण उन्हें चोट आयी है। यह भी खबर है कि एक्सीडैंट सीरियस हुआ है। उन्होंने मुझे आदेश दिये कि मैं खुद जल्दी जाऊं और देखकर जो भी व्यवस्था की जा सकती है, वह करूं। मैं एकदम से पंजाब गवर्नमेंट और अस्पताल के अधिकारियों के सम्पर्क में आ गया। मैंने पी जी आई के डायरेक्टर डा. वालिया से सम्पर्क स्थापित किया। जैसे ही ज्ञानी जी को फर्स्ट ऐड देकर वहां लाया गया तो एकदम पंजाब के मुख्य मंत्री उनसे मिले। वहां जाकर और सबकुछ देखकर उन्होंने मुझे टेलीफोन किया कि ज्ञानीजी को चोट लगी है और वे सीरियस हैं। डा. वालिया का कहना था कि शाम तक उनकी कंडीशन स्टेबल हो जाएगी और अगले दिन सुबह आने की उन्होंने मुझे इजाजद दे दी।

मैं अगले दिन जहाज लेकर वहां गया। प्रधान मंत्री जी की तरफ से आदेश थे कि डाक्टर साहब से कहूं कि जहां से जो भी जरूरत हो, केन्द्र सरकार की तरफ से पूरी सहायता, पूरी मदद हर वक्त हाजिर है। ये भी शब्द मैंने वहां अस्पताल में डा. वालिया से कहे कि चाहे किसी भी डाक्टर की जरूरत हो, किसी भी औषधि की जरूरत हो, दिल्ली ले जाना हो, विदेश ले जाना हो, आप मुझे हर वक्त बता सकते हैं, मैं भी आपसे सम्पर्क में रहूंगा और आप भी मुझे बताते रहें।

जैसे ही मैं अस्पताल में ज्ञानी जी से मिला, उस वक्त ज्ञानी जी होश में थे, मैंने उनसे जानकारी लेने की कोशिश की, उनकी आंख पर गहरी चोट थी, कूल्हे में जोट ज्यादा लगी थी जिसमें बहुत दर्द हो रहा था। मैंने उनसे पूछा कि एक्सीडेंट कैसे हुआ तो वे भावुक हो गये। ज्ञानी जी के साथ हम सबका लगाव रहा है क्योंकि देश के सर्वोच्च पद पर वे रहे हैं। सबके साथ उनका वयक्तिगत सम्पर्क रहा है। मैं भी थोड़ा भावुक था, इसलिये मैंने उनसे ज्यादा बात नहीं की और न उन्होंने मुझसे बात की। डाक्टर साहब ने कहा कि हम आपसे बाद में बात करेंगे।

मैंने डाक्टर साहब से पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि जब उन्हें यहां लाया गया था तो वे कान्श्यस थे और उन्हें पूरी उम्मीद थी कि शाम तक वे पूरी तरह सचेत हो जायेंगे। मैं उनके परिवार के सदस्यों से भी मिला। उनका भतीजा भी उसी गाड़ी में था। कुल मिलाकर उस गाड़ी में चार आदमी थे, एक ड्राईवर था, एक सीक्योरिटी का आदमी था जो आगे बैठा था, दूसरा उनका भतीजा बसंत सिंह था जो होश में था, मैंने उनसे पूरी बात की, उनके हाथ में फ्रैक्चर था। उन्होंने मुझे बताया कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण एक्सीडेंट हुआ। दो पायलट गाड़ियां उनके साथ थीं जो आगे चल रही थीं। उस वक्त मैंने सरकार से तो कोई बात नहीं की, क्योंकि ऐसा मौका नहीं था। लेकिन पायलट गाड़ियों और ज्ञानी जी की कार में काफी डिस्टैंस हो गया था। हमारी सीक्योरिटी व्यवस्था में कई बार ऐसा हो जाता है, हम भले ही कोशिश करते रहें कि इतना डिस्टैंस न हो लेकिन कभी कभी जब वे हाथ हिलाकर दूसरे ट्रैफिक को रोकने की कोशिश करते हैं तो उस शौक में काफी आगे निकल जाते हैं और अपनी असली ड्यूटी को भूल जाते हैं। वैसा ही डिस्टैंस ज्ञानी जी की गाड़ी और पायटल गाड़ियों में हो गया। जो ड्राईवर ज्ञानी जी की गाड़ी चला रहा था, वह भी बेहोश था, उससे तो बात नहीं हो पायी लेकिन जो दूसरे मैम्बर थे उन्होंने बताया कि जल्दी में या पुलिस के शोर मचाने से, सायरन की आवाज से दोनों ड्राईवर घबरा गये और दुर्भाग्यवश वह एक्सीडैंट हो गया।

आज माननीय सदस्यों ने यहां जिस तरह की शंका व्यक्त की है, मैं सरकार की तरफ से उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि राज्य सरकार ने हमें जो रिपोर्ट दी है, मैं उसे इस हाउस में रखने के लिये तैयार हूं। उसके बाद हाउस में यदि कुछ ऐसा महसूस हो कि इसमें और ज्यादा गहराई से जाने की जरूरत है, जिस रूप में भी जाने की जरूरत हो, मैं उसमें सदन के साथ हूं और केन्द्र सरकार की तरफ से वैसी कार्यवाही हो जायेगी।

जहां तक ज्ञानी जी के परिवार के सदस्यों का सवाल है, जो भी डाक्टर उन्होंने बुलाने के लिये कहा, जब वे राष्ट्रपति थे तो उनके साथ जो डा. निगम और डा. वजीर थे, जिनको भी उन्होंने बताया, हमने उनसे सरकार की तरफ से प्रार्थना की। हम डा. वालिया से बराबर सम्पर्क में हैं। मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ज्ञानी जी के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिये हम सबकी शुभकामनायें कर रहे हैं और सरकार की पूरी मशीनरी उसके साथ है। जहां कहीं जो जरूरत होगी, हम ज्ञानी जी की लम्बी आयु की शुभकामना करते हैं कि वे जल्दी ठीक हो जायें। इसमें सरकार की तरफ से जहां भी जैसी आवश्यकता होगी, उसमें कोई कमी नहीं आने दी जायेगी, यह मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं।

अभी वे अचेतावस्था में हैं। कल उनके लैफ्ट साइड में पैर काला पड़ गया था, शायद पैरेलाइसिस का प्रभाव था, ब्लड सर्कुलेशन बंद हो गया था लेकिन रात को खबर आयी कि अब ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो गया है और थोड़ा उसमें फर्क पड़ गया है लेकिन अभी वे क्रिटिकल हैं, ऐसी खबर हमें दी गयी है। अब डाक्टर से हम टैक्निकल बातें तो नहीं पूछ सकते कि वे क्यों क्रिटिकल हैं लेकिन वे बराबर हालत पर गौर रखे हुये हैं। डाक्टर बहुत मेहनत कर रहे हैं।

डाक्टरों से भी ज्ञानी जी का इतना लगाव है कि पी.जी.आई. के डाक्टर ज्ञानी जी के कमरे के बराबर में रात-दिन बैठे रहते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम सबकी शुभकामनाओं और डाक्टरों की मेहनत से ज्ञानी जी स्वस्थ हो जाएंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः मेरे विचार से पूरा सदन मेरे साथ उनके पूर्ण और शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करेगा। उन्हें जिस भी सहायता की आवश्यकता है वह दी जा रही है। यदि कुछ और करने की आवश्यकता होगी तो सरकार अवश्य करेगी।

...(व्यवधान)...

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, नागपुर घटना के बारे में हमने स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। कृपया हमें अनुमति दें। सदस्य महाराष्ट्र का है और उस क्षेत्र का है।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव (मधेपुरा): पहले नागपुर को लीजिए। वह बहुत महत्वपूर्ण है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः हम एक के बाद एक विषय लेंगे।

श्री बसुदेव आचार्यः वह उस क्षेत्र के निवासी हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति दे रहा हूं। कृपया आपको इसे समझना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री रवि राय (केन्द्रपाड़ा) :अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही गम्भीर सवाल की ओर आपका ध्यान आकर्षित करने जा रहा हूं। हम लोग अपने चुनाव-क्षेत्र में अपने मतदाताओं के साथ मिल पाएंगे या नहीं, यह सवाल पैदा हो गया है। जो मैं बयान के जरिए दे रहा हूं वह पिछले महीने की 13 तारीख की घटना है। मेरे चुनाव क्षेत्र में मेरे और मेरे दोस्त लोकनाथ चौधरी जी के साथ जो हुआ वह आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। मेरा चुनाव क्षेत्र केन्द्रपाड़ा एक ग्रामीण क्षेत्र है और उस क्षेत्र में पटकुरा विधान सभा क्षेत्र है, वहां पर गांव में एक आम सभा रखी गयी थी जिसमें लोकनाथ चौधरी भी जाने वाले थे। यह सभा शाम 4.00 बजे रखी गई थी। उस सम्बन्ध में हमारे दफ्तर से चिट्ठी गई थी पुलिस वालों को कि भाई कोई दिक्कत हो सकती है। फिर मैं जानता था कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर जिनको सुपर चीफ मिनिस्टर कहा जाता है यह उनका क्षेत्र है और इसलिए मैं उड़ीसा के डायरैक्टर जनरल पुलिस से मिला। मैंने व्यक्तिगत रूप से बात की। वे बोले कि यह सवाल कहां उठता है।

आप जा रहे हैं जो बंदोबस्त हमें करना चाहिए वह हम करेंगे। जब हम जा रहे थे तो हमारे साथ पुलिस भी थी उस समय हमारे पास गांव के दो किसान आकर बोले कि रवि राय जी आगे दो किलोमीटर के बाद वहां कुछ गुंडे लोग हैं। उनके हाथों में बम भी हैं। आपके ऊपर हमला हो सकता है। हम हंस दिए कि हम तो चुनाव क्षेत्र में जा रहे हैं। दो किलो मीटर के बाद नाडियाल गांव के पांच किलो मीटर पहले हमारे सारे काफिले और पुलिस रहने के बाद, हमें रोका गया और मैंने देखा कि 10–15 लोग ड्रंकन स्टेज में हमारी तरफ हमें मारने के लिए आगे आ गए, लेकिन पुलिस वाले और नौजवान हमारे साथ थे। इसलिए वे हमें मार नहीं पाए। जब वे मारने में असफल रहे, तो पन्द्रह–बीस आदमी शराब पिए जिनके पास लीथल वैपन्स भी थे, हमारी गाड़ी के समक्ष सो गए और सो जाने के बाद जो गालियां दीं, उनका मैं यहां वर्णन नहीं कर सकता हूं। वे बहुत अश्लील हैं। हम लोग वहां तीन घंटे तक रहे। मैंने पुलिस को खबर दी थी, लेकिन सबसे ज्यादा दुख और तकलीफ की बात अध्यक्ष महोदय यह है कि रास्ते में एक रोड रौलर रखा गया था।

वह रास्ता कोई हाईवे का नहीं था, वह एक नदी का इमबैकमेंट था। बाकायदा हमें वहां की जानकारी मिली कि वहां पर वॉटर रिसोर्सिस मंत्री भी हैं और उनके जो नुमाइंदे हैं, सरकारी अफसर हैं, वे कहते हैं कि वहां पर रोड रौलर रख दो। अध्यक्ष महोदय, हम लोग वहां तीन घंटे तक रूके रहे। फिर हमने लोकनाथ जी से कहा कि हम पुलिस को कहेंगे कि हम जैसे भी होगा वहां जायेंगे। हमें पुलिस के रूख के बारे में पता नहीं था। इसका एक कारण और बता दू कि जो सुपर चीफ मिनिस्टर्स कहलाते हैं, उनको भी चीफ मिनिस्टर उड़ीसा, ने कुछ सेंसटिव मैटर डील करने के लिए पिछले दो साल में दिये थे। इसलिये पुलिस का दिमाग इधर–उधर था।

अध्यक्ष जी, हम लोगों ने डी. जी. से फोन पर बात की व खुद डी.जी. ने हमें आश्वासन दिया था कि आप जाइये, फिर भी ऐसा हुआ। मैं अपने चुनाव क्षेत्र में जा रहा हूं और वहां पर 10 हजार लोग इंतजार में थे तो उन्हें पहले से ही रास्ता साफ कर देना चाहिए था। लेकिन पुलिस वहां देखती रही और उन्होंने कुछ नहीं किया। हम लोग काफी देर इंतजार करने के बाद 6 बजे वापिस लौट आये, लेकिन हमारे दूसरे साथियों ने वहां जाकर उस 10 हजार की भीड़ को भाषण दिये।

अध्यक्ष महोदय, सवाल यह है कि पुलिस उन सब 15–20 लोगों को जानती थी जिन्होंने यह सब किया था, लेकिन अभी तक उनमें से एक भी गिरफ्तार नहीं हुआ। दूसरी ओर हमारे चीफ मिनिस्टर व होम मिनिस्टर जानते थे कि यह सब कार्यवाही गुण्डों की है फिर भी वह उन्होंने उनके पक्ष में बयान दिये।

यह एक गंभीर सवाल है। अगर किसी भी सांसद के राज्य में होस्टाइल गवर्नमेंट है, पोलिटिकल पार्टी उनके साथ नहीं है तो मैं सभी सांसदों से पूछना चाहता हूं कि क्या यह जायज है कि अगर हमारे किसी साथी का राज्य सरकार से विवाद है तो वे गुण्डों के जरिये या पुलिस को इनकेपेबल करके यह काम करेगी। पुलिस को उन सभी लोगों के नाम पते थे फिर भी अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। यह पिछले महीने 13 तारीख का किस्सा है और मैंने 15 तारीख को आपसे मिलकर सारी बातें बताई थीं। मैं आपसे इस बारे में गाइडैंस चाहता हूं और सभी सांसदों से कहना चाहता हूं कि यदि हमारे साथ इस तरह का बर्ताव हो सकता है तो दूसरे लोगों के साथ क्या होता होगा? अगर किसी राज्य में होस्टाइल गवर्नमेंट है तो वहां के सांसदों को अपने चुनाव क्षेत्र के लोगों से मिलने में पाबंदियां लगेंगी तो आप ही बताईये कि वहां क्या होगा? मैं आपसे और इस संसद से इस विषय में गाइडैंस चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्री लोकनाथ चौधरी (जगतसिंहपुर) : अध्यक्ष महोदय, श्री रवि राय पहले ही इस बारे में बोल चुके है। मैं इसे दोहराऊंगा नहीं । मैं दो प्रश्न पूछना चाहता हूं। पहला प्रश्न मैं यह उठाना चाहता हूं कि पुलिस जानती थी कि कुछ होने वाला है। इसीलिए पुलिस अनुरक्षण दिया गया था। उन व्यक्तियों ने आकर तीन घंटे तक उन्हें रोके रखा। उन्होंने पत्थर फेंके। हालांकि उन्होंने शराब पी रखी थी फिर भी मैंने उनसे बात करनी चाही। मुझे धक्का दिया गया। अब प्रश्न यह है कि पुलिस पहले ही कार्यवाही कर सकती थी। यद्यपि यह घटना 13 तारीख को हुई थी फिर भी पुलिस ने अभी तक किसी के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की है।

मेरा दूसरा मुद्दा है कि उड़ीसा राज्य में कोई कानून और व्यवस्था नहीं है। मैं यह इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एक श्रमिक नेता मारा गया था और एक मंत्री इसमें शामिल था। अतः उस श्रमिक नेता का कुछ पता नहीं चला। उस श्रमिक की पत्नी उच्चतम न्यायालय में गई और राज्य सरकार का मंत्री उसका एक पक्ष था। उसने एक हलफनामा बनाया था। उच्चतम न्यायालय को राज्य सरकार में कोई विश्वास नहीं था। इसने केन्द्रीय जांच ब्यूरो को इसकी जांच करने का आदेश दिया। अतः प्रश्न यह नहीं है कि सदस्यों को उनके निर्वाचन क्षेत्र तक जाने से रोका गया लेकिन प्रश्न यह है कि पुलिस की जानकारी में वे इन सभी तरीकों का उपयोग कर रहे हैं। प्रश्न यह है कि सदस्यों को संरक्षण कहां मिल सकेगा। यदि पुलिस को कोई जानकारी नहीं हैं तो अलग बात है। लेकिन पुलिस को सूचना दी गई थी और पुलिस साथ थी, परन्तु न तो उन्होंने सुरक्षात्मक उपाय किए और न ही घटना घटित होने के पश्चात् ही कोई कदम उठाए। मुख्य मंत्री ने कहा, सड़क रोलर कहां होंगे? इन्हें सड़क पर होना चाहिए'। हां, बशर्ते कि वहां मरम्मत का कार्य चल रहा हो अथवा वहां सड़क रोलर का कोई कार्य हो। जब कोई कार्य नहीं है तब भी रोलर को सड़क के मध्य छोड़ दिया गया। राज्य के मुख्य मंत्री गृह मंत्री के साथ मिलकर ऐसा उत्तर दे रहे हैं। इस प्रकार इससे पता चलता है कि काम कैसे चल रहा है। हम यह बात इस सम्माननीय सभा के ध्यान में, आपके माध्यम से पूरे राष्ट्र के ध्यान में और विशेष रूप से गृह मंत्री के ध्यान में ला रहे हैं ताकि वह तथ्यों का पता लगा सकें और इस सभा को बता सकें कि वास्तव में क्या हुआ।

अध्यक्ष महोदयः मुझे संसद सदस्यों से अनेक पत्र प्राप्त हुए हैं, जिनमें उन्होंने अपने राज्य, अपने निर्वाचन क्षेत्र तथा अन्य क्षेत्रों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में होने वाली कठिनाइयों के बारे में बताया है। हम सरकार से और सभा से यह जानना चाहते हैं कि इस मामले में क्या किया जा सकता है और क्या किया जाना चाहिए। मेरे विचार से यह ऐसा विषय है जिस पर हमें विचार करना

चाहिए और ऐसे तरीके की खोज करनी चाहिए जिससे एक ओर संसद सदस्यों को संरक्षण मिलेगा तथा दूसरी ओर जनता को अपने विचार प्रकट करने का अवसर मिलेगा। क्या सरकार इस संबंध में कोई कार्यवाही करने में रूचि रखती है।

जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): आपके निर्देश का पालन किया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय: मैं सरकार का आभारी हूं और मेरे विचार से सरकार को उन सदस्यों को संरक्षण देना चाहिए जो संरक्षण चाहते है बशर्ते कि सरकार इसे आवश्यक समझती है।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़): अध्यक्ष महोदय, हम चाहते हैं कि हाउस की एक कमेटी कान्सटीट्यूट कर दी जाए। उससे आपको भी सुविधा होगी और सरकार को भी सुविधा होगी।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: अध्यक्ष महोदय....

[अनुवाद]

श्री गोविन्द चन्द्र मुंडा (क्योंझर): महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय: मुझे श्री मुंडा का व्यवस्था का प्रश्न अवश्य सुनना चाहिए।

श्री गोविन्द चन्द्र मुंडा: इससे पहले कि माननीय विपक्ष के नेता इस सम्माननीय सभा में बोलना शुरू करें उससे पहले मैं अपने विचार रखना चाहता हूं और इस सम्माननीय सभा का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे निर्वाचन क्षेत्रों में भी हर जगह हमारा अनादर किया जाता है। सभी विधायक कहते हैं कि कोई भी संसद सदस्य उनकी अनुमति के बिना निर्वाचन क्षेत्र में नहीं आए। इस संबंध में क्या कठिनाइयाँ हैं? अब हम क्या करें ? हम लोगों के पीछे घूमते रहते हैं। उन्होंने अपना वोट हमें दिया है। हमें सभा में उनका प्रतिनिधित्व करना है। वे बाधाएं डाल रहे हैं। वे गुंडों तथा शराबियों को ले आते हैं। इसका कैसे समाधान किया जा सकता है। गृह मंत्रालय इस ओर ध्यान क्यों नही देती? मैं सभा का ध्यान इस ओर आकर्षित करता हूं **(व्यवधान)** इस सभा को मेरे अनुरोध पर विचार करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: श्री मुंडा का वक्तव्य अच्छा व्यवस्था का प्रश्न नहीं है लेकिन एक अच्छा वक्तव्य है। निश्चित रूप से हम इसकी जांच करेंगे और देखेंगे कि क्या किया जा सकता है?

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी (दरभंगा):**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यदि आप इसी प्रकार बोलते रहे तो आपके विरूद्ध विशेषाधिकार हनन का मामला हो सकता है....।

यदि आप इसी प्रकार आरोप लगाते रहे तो आपके विरूद्ध विशेषाधिकार हनन का मामला हो सकता है। यह रिकार्ड का मामला है। क्या मुझे इस मामले को विशेषाधिकार समिति को भेज देना चाहिए।

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी: मैंने क्या कहा था?

अध्यक्ष महोदय: जो बात आप कह रहे हैं आप उस पर ही दृढ नहीं है। कृपया बैठ जाइए।

12.35 म.प.

23 नवम्बर, 1994 को नागपुर में पुलिस द्वारा आदिवासी प्रदर्शनकर्त्ताओं पर हुए लाठीचार्ज के फलस्वरूप हुई भगदड़ के कारण हुई बहुत से लोगों की मृत्यु के बारे में

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ): अध्यक्ष महोदय, 23 नवम्बर, 1994 का दिन हमारे राष्ट्र के जीवन में एक काले दिन के रूप में याद किया जायेगा। उस दिन नागपुर में जो कुछ हुआ, उससे सभ्य समाज का हमारा दावा विवाद का विषय बन गया है।

113 व्यक्तियों का विधान सभा भवन के सामने कुचलकर मर जाना एक ऐसी घटना है, जिसके लिए सचमुच में सारे देश को और महाराष्ट्र की सरकार को प्रायश्चित करना चाहिए। जो मरे वे निरीह, निष्पाप, निर्धन आदिवासी थे, वह चांद का टुकडा मांगने के लिए विधान सभा भवन के सामने नहीं आये थे। उन्हें आदिवासी का दर्जा दे दिया जाय, इतनी छोटी सी उनकी मांग थी। वर्षों से यह मांग चली आ रही थी । पहले आदिवासी के रूप में उनकी गणना होती थी। मैं पुराने दस्तावेज़ों को उद्धृत करना नहीं चाहता लेकिन 1985 में एक ऐसा आदेश निकाला गया, जिसके अनुसार आदिवासी का उनका दर्जा खत्म हो गया। वह कहते हैं कि हमें आदिवासियों की सुविधाऐं भी मिलनी चाहिए और हमें आदिवासी के रूप में परिगणित भी किया जाना चाहिए, मगर यह नहीं किया जा रहा और इस मांग के लिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: एक मिनट। माइक्रोफोन अत्यंत संवेदनशील है। अतः मैं सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि सभा में आपस में चर्चा न करें। यदि वे चर्चा करना चाहते हैं तो बाहर जाकर करें और फिर वापिस आ जाएं। वे अत्यंत संवेदनशील है और वे दूसरों को परेशान करते हैं।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कह रहा था कि इस छोटी सी मांग को लेकर गुवारी समाज ने विधान सभा भवन के सामने एक मोर्चा संगठित किया। जहां पर मोर्चा था और जहां तक मोर्चा लाने की अनुमति है, वह स्थान मैंने स्वयं जाकर देखा था। वह विधान सभा भवन से काफी दूर है। विधान सभा में बैठे हुए सदस्यों पूरी तरह सुरक्षित है। इस बात की कोई आशंका

** अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही–वृतान्त से निकाल दिया गया।

नहीं है कि इतना रास्ता पार करके और जंगलों को तोड़कर कोई भीड़ वहा पहुंच जायेगी। इन लोगों से, निरीह लोगों से, गरीब लोगों से, जिनके साथ बच्चे भी थे, औरतें भी थीं, अब कहा जा रहा है कि मोर्चा लाने वाले नेता अनुत्तरदायी थे, बच्चे क्यों लाये। उनके घर में कोई आया नहीं है, जो बच्चों की देखभाल करे। अगर मां और बाप, दोनों दुखड़ा रोने के लिए विधान सभा भवन के सामने जायेगें तो उनको अपने बच्चों को गोदी में चिपका कर जाना पड़ेगा, वह बच्चों को किसी को सौंप कर नहीं जा सकते। मगर यह स्थिति, यह पीडा भी समझने के लिए वह तैयार नही है और कह रहे हैं कि बच्चों को लेकर क्यों आये। अगर बच्चों को लेकर आये भी तो क्या बच्चे कुचल दिये जायेंगे?

बाल वर्ष मनाया जा रहा है, अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष का आयोजन हो रहा है। हम मानवाधिकारों के रक्षक बनने का दावा कर रहे हैं लेकिन घर में क्या हो रहा है?

अध्यक्ष महोदय, यह दुर्घटना घटी, कोई तीर्थ नहीं था जहां लाखों लोग इकट्ठे हुए हों। भीड़ उत्तेजित नहीं थी। वे 4–5 घंटे अपनी औरतों और बच्चों के साथ धूप में प्रतीक्षा करते रहे कि कोई उनका दुखड़ा सुने, कोई विधान सभा भवन से निकल कर आये, कोई मंत्री हम से बात करे, लेकिन कोई उनका दुखड़ा सुनने के लिये नहीं आया। अब कहा जा रहा है कि रोज मोर्चे आते हैं, हम किस–किस का दुखड़ा सुनें। यह हृदयहीनता और असंवेदनशीलता है। अगर जनता दरवाजा खटखटायेगी तो जाकर सुनना पड़ेगा या उन्हें समझा–बुझाकर, अपने कमरे में बुला कर उनकी बात सुननी पड़ेगी । क्या वहां उनकी बात सुनने कोई मंत्री नहीं जा सकता था? क्यों नहीं जा सकता था? यह राजनीतिक मोर्चा नहीं था। इनका राजनीति से कोई सम्बन्ध नहीं था। इसमें दलबंदी का कोई प्रश्न नहीं था। सत्ता पक्ष की दलबंदी हो, मैं नही जानता। गोवारी समाज के लोग अपने आप को संगठित करके, पहले से सूचना देकर, वहां आये थे। ऐसा नहीं है कि अचानक भीड़ आ गई हो और पुलिस को जानकारी नहीं हो, कोई बंदोबस्त नहीं हो। वे 4–5 घंटे बैठे रहे। कोई उनसे जाकर मिल लेता, लेकिन कोई नहीं मिला। 4–5 घंटे बाद उनका धैर्य टूटा हो तो मुझे ताज्जुब नहीं है। कुछ नौजवान आगे बढ़े होंगे। जुडिशियल इनक्वायरी हो रही है। मैं किसी पर दोषारोपण नहीं करना चाहता हूं लेकिन मैं यह मानने के लिये तैयार हूं कि कुछ नौजवानों का धैर्य टूटा होगा और उन्होनें आगे बढ़ने की कोशिश की होगी। इस मोर्चे के आगे भी एक मोर्चा था और इस मोर्चे के पीछे पुलिस थी। मोर्चे के स्थान तक आने के लिये जितने रास्ते थे, उनकी एक तरह से नाकेबन्दी कर दी गई थी। कहीं पैट्रोल का टैंकर खड़ा था, कहीं पुलिस का दस्ता खड़ा था। जब भगदड़ मची तो लोग अपनी जान बचा कर इधर–उधर इसलिये नहीं जा सके कि उनके लिये आगे बढ़ना असम्भव था। उन पर लाठियों की मार पड़ रही थी। लाठियों की मार से भी लोग मरे हैं, यह मुझे अस्पताल में डाक्टरों ने बताया। एक व्यक्ति का उन्होंने नाम बताया। वह दम घुटने से नहीं मरा, वह लाठी की मार से मरा। यह पोस्ट–मार्टम रिपोर्ट है और डाक्टरों ने इस बात को स्वीकार किया। डाक्टर मेरे साथ जुडे हुए नहीं हैं और न ही किसी दल से जुड़े हुए हैं।

श्री दत्ता मेघे (नागपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं वाजपेयी जी का बहुत आदर करता हूं लेकिन मैं उनकी गलत बात सुनने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं वहां का सांसद हूं। आधे घंटे के बाद मैं वहां स्वयं गया था। हाउस में गलत बयान नहीं होना चाहिये।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपको भी अपना वक्तव्य देने का अवसर मिलेगा। कृपया व्यवधान मत डालिए।

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी (गढ़वाल) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। उन्होंने आपकी अनुमति के बिना माइक कैसे चलाया?

[हिन्दी]

श्री दत्ता मेघे : यहां गलत बात कही गई है। इसलिये मैं बोल रहा हूं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, सत्ता पक्ष में बैठे हुए सदस्यों की उत्तेजना मेरी समझ में नहीं आती है। अगर मैं गलत कह रहा हूं ....**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री अंकुशराव टोपे (जालना): लाठी चलाना गलत बात है।

अध्यक्ष महोदय: कृपया कोई विशिष्ट दृष्टिकोण मत अपनाइए। यह आवश्यक नहीं है। आपके पास भी जानकारी नहीं है।

श्री अकुंशराव टोपे: मेरे पास जानकारी है।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: अध्यक्ष महोदय, मैं डाक्टरों का हवाला दे रहा हूं। मैं अस्पताल गया था और डाक्टरों ने मुझे बताया कि एक लड़के की मृत्यु लाठी मार से हुई है, दम घुटने से नहीं।

मैं डाक्टर पर विश्वास न करूं, आप पर करूं। पता नहीं आप गए या नहीं गए, आपके मुख्य मंत्री तो नहीं गए। उन्होंने कहा कि पुलिस ने मुझे सूचना दी थी कि जाना ठीक नहीं है। इतने लोग मर गए, यह कोई साधारण घटना नहीं थी।

अध्यक्ष महोदय : यह राजनीति का मुद्दा नहीं है। मै इसे इसलिए नहीं उठा रहा हूं, इतनी बड़ी त्रासदी हो, इतनी बड़ी ट्रैजडी देश में हो जाए और कोई आत्म–निरीक्षण की प्रक्रिया शुरू न हो कि कहां गलती हुई है, कोई पश्चाताप न करे। कोई प्रायश्चित न करे। यह ठीक नहीं है। एक मंत्री से इस्तीफा दिला दिया और वह भी आदिवासी। आदिवासी पहले भी बहुत से मर गए, एक की और बलि चढ़ा दी। मुख्य मंत्री गए नहीं, गृह मंत्री गए नहीं, दो–दो गृह राज्य मंत्री हैं–वे नहीं गए, किसी ने जाकर उन्हें समझाया नहीं। आखिर लोगों को ढ़केलने की जरूरत क्यों पड़ी? वे चार–पांच घन्टे बैठे रहे? किस तरह से मोर्चे को संभाला जाए, इसका कोई प्रबन्ध नहीं हुआ है। सरकार ने कैयरलेसनैस दिखाई है।

अध्यक्ष महोदय : मैने तस्वीरें देखी हैं। मैं मरने वालों के घर गया। उनकी तस्वीरें देखी, उस दिन तो मैं नहीं गया था, लेकिन तस्वीरें मैंने देखी हैं। वहां मैंने डाक्टर से पूछा था । मैंने कहा –जो पैरों तले कुचले गए, अगर उन्हें तत्काल एम्बुलेंस में रख कर

अस्पताल लाया जाता, तो क्या उनमें से कुछ बच सकते थे? उन्होंने कहा--हां, बच सकते थे। दम घुटने से कोई एकदम नहीं मरता है। मगर दम घुटने वाले जिन्दा हैं या मरे हैं, यह देखने का भी पुलिस के पास समय नहीं था। जो पैरों तले कुचले गए, उन्हें लॉरी में डाल दिया गया। मैंने तस्वीरें देखी हैं। भीड़ की भीड़ मुर्दों की और उन्हें पहुंचा दिया मोर्चरी । उस समय नहीं मरे, तो बाद में मर गए। यह जान की कीमत है। यह आदिवासियों के साथ हमारा स्नेह है, यह संवेदना है, यह सहिष्णुता है। चन्द्र शेखर जी करुणा के बारे में बहुत कहते हैं--कहां है करुणा? अगर ऐसे मौके पर करुणा प्रकट नहीं होगी, तो करुणा का उपयोग क्या है? क्या हो गया है शासन को?

यह मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि वहां कांग्रेस का शासन है, मगर घटना हुई है। छोटा सा सवाल इतना बड़ा बन गया । प्रदेश में और केन्द्र में मतभेद है। गोवारि समाज अलग से आदिवासी समाज के रूप में परिगणित क्यों नहीं हो सकता है? मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं। मैं दस्तावेजों में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन फर्स्ट सैटलमेंट रिपोर्ट ऑफ चांदा डिस्ट्रिक्ट, 1869 कहती है कि गोवारी समाज एक आदिवासी समाज है। उसके बाद सीपी बरार के कानून के संबंध में जो 1948 में रूल्स बने थे, उसमें भी गोवारी समाज की गणना प्रथक आदिवासी समाज के रूप में है। महाराष्ट्र के वर्धा जिले के गजट, 1992 में गोवारी समाज का पृथक आदिवासी समाज के रूप में उल्लेख है। अब कहां जा रहा है, आपको आदिवासी की सुविधायें मिलेंगी, दर्जा नहीं मिलेगा। क्या यह मामला केन्द्र और प्रदेश दोनों तय नहीं कर सकते हैं? छोटी सी बात का बतंगड़ बन गया है।

इस पर क्या नैतिकता का कोई तकाजा नहीं है? कोई दायित्व लेने को तैयार नहीं कि कहां गलती हुई है। कोई पश्चाताप की मुद्रा में नहीं है। अदालती जांच हो रही है। वह कार्यवाही चलती रहेगी। हम चाहते हैं कि सारे तथ्य सामने आयें, मगर जो नैतिक दायित्व है, उनको कौन उठाएगा? कौन नैतिक जिम्मेदारी पूरी करेगा। 113 लोगों का मर जाना। निरीह लोग, गरीब लोग, निरूपाय, अब मांग हो रही है कि कितना रूपया दिया जाए। कुछ सरकार ने दिए हैं, लेकिन ज्यादा मांग हो रही है। जिन्दगी रूपयों में तोली जाएगी। इस स्थिति को टाला जा सकता था, अगर उस दिन महाराष्ट्र के अधिकारी और महाराष्ट्र की सरकार, दोनों थोड़ा समझदारी और सवंदेना से काम लेते, तो यह दुर्घटना टाली जा सकती थी। अभी भी कोई पश्चाताप की मुद्रा में नहीं है। मुझे यह मामला उठाते हुए, कोई बड़ा आनन्द नहीं हो रहा है, लेकिन उठाना पड़ रहा है। यह घटना दोबारा न हो, इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठाए जायें। इसमे सारा सदन, सारा शासन, हम किस तरह से जिम्मेदारी टाल रहे हैं, दुनिया क्या कहेगी।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं आपने मुझे समय दिया । मैं चाहूंगा कि इस प्रश्न पर सदन के और भी सदस्य अपने विचार प्रकट करें। सरकार कटघरे में खड़ी है। केन्द्र सरकार विलम्ब के लिए कटघरे में खड़ी है। महाराष्ट्र की सरकार तो अपने पद पर रहने लायक नहीं है।

श्री दत्ता मेघे: अध्यक्ष महोदय, मैं खुद वहां आधे घंटे के बाद जब घटना हुई तो उसी समय वहां गया था। मैं मेडीकल कॉलेज में रातभर रहा हूं। यह घटना दुर्दैवी है, यह घटना अच्छी हुई ऐसा भी कोई बोलने वाला नहीं है। इससे पहले पूरे नागपुर में ऐसी घटना कभी नहीं हुई । महाराष्ट्र में कभी नहीं हुई। इसका हम सब लोगों को दुख है, लेकिन अभी हमारे वाजपेयी जी यहां जो कह रहे थे वे वहां बाद में गए होंगे, शायद उनको ठीक से मालुमात नहीं होंगे। वह जो घटना हुई वह पौने 6 बजे से लेकर सवा 6 बजे तक हुई। उस समय हाउस का काम चल रहा था, मुख्य मंत्री जी नागपुर शहर में नहीं थे। यह जो घटना हुई वहां पर सभी लोग 30,40,50 हजार लोग दोपहर से खड़े थे। यह सही बात है कि वे लोग शांति से भाषण दे रहे थे। 3-4 घंटे वहां का वातावरण शांतिपूर्ण रहा लेकिन पांच सवा पांच बजे वहां कुछ लोग थे। वहां जो एक छोटा मोर्चा निकला उसमें बच्चे और महिलाएं थीं वे सामने आईं और कुछ नौजवान लोग थे। वहां पर 2-4 घंटे शांति से लोग बैठ सकते थे। महाराष्ट्र के लोगों का कहना था कि वहां कोई आदिवासी मंत्री आए, कोई मंत्री आए उनकी बात सुने । लेकिन अभी तक जो बड़े मोर्चे होते हैं। वहां का जो डेपुटेशन होता है वे लोग वहां आ करके बात करते हैं, वे मंत्री या मुख्यमंत्री से बात करते हैं यह हमेशा होता है उस दिन नागपुर शहर में 13 मोर्चे अलग-अलग ऐरिये में थे।

महोदय, अभी वाजपेयी जी ने कहा कि वह जो मोर्चा था उसके पहले भी मोर्चा था, उसके दूसरे बाजू में भी था और ये बाजू में वे लोग थे। जब 5-6 घंटे ये लोग शांत थे, जो बीच में नौजवान लोग सामने आए उन्होंने बहुत भीड़ में से आगे जाना चाहा। पुलिस ने उन्हें वहां रोका, उन्होंने कहा कि आप रूकिए ऐसा नहीं हुआ कि एकदम से हुआ, लेकिन बीच में जब थोड़ा अंधेरा हुआ उसमें गड़बडी हुई ...(**व्यवधान**)... आप पहले मेरी पूरी बात को सुन लीजिए। मैं वहां का सांसद हूं, मैं पूरी रात-भर वहां था। यह जो कहा जा रहा है कि वहां कोई नहीं गया, यह बात ठीक नहीं है। यह जो घटना हुई यह दुर्भाग्यपूर्ण हुई, इसका हम सब लोगों को दुख है और आगे ऐसा नहीं होना चाहिए, यह बात भी ठीक है। ...(**व्यवधान**)...

महोदय, मोर्चे की सूचना थी, 4-5 घंटे वहां बैठे हैं लेकिन आधे घंटे में उन्होंने जो भी गड़बड़ी की, बीच में गड़बड़ी हुई पीछे के लोग जोर से धकेल रहे थे, बच्चे सामने आ रहे थे उन्हें पुलिस ने रोकने का काम किया। वहां शुरू में लाठीचार्ज हुआ है, जब लाठीचार्ज हुआ और कुछ शोर सुनाई दिया तो यह नहीं पता चला कि वे लोग कौन थे। उस समय लोगों को लगा कि गोलीबारी हो रही है तो लोगों ने इधर-उधर भागना शुरू किया। मुझे मालूम है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में 113 लोग मरे, उनमें से 111 लोगों की पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है उसमें यह है कि सफोकेशन से लोग मरे। मैं यह भी कहता हूं कि लाठीचार्ज हुआ है, वहां रोकने का काम हुआ लेकिन वहां बहुत अंधेरा हो गया। लोग पीछे से सामने आए, वहां से लोगों को हटाने का काम हुआ और यह माहौल काफी समय तक चला। उसके बाद हम लोग वहां गए । हम लोग मेडीकल कॉलेज में आधे-पौने घंटे के बाद पहुंचे ...(**व्यवधान**)... वहां देशमुख जी थे, हम लोग वहां पर गए थे। अगर हम लोग वहां पर न जाते तो वहां पर भी लाठीचार्ज हो सकता था क्योंकि जहां पर डेडबॉडीस रखी थीं वहां हाल के अंदर 4-5 हजार लोग बड़े पैमाने पर घूम रहे थे। वहां हम लोग गए, पुलिस के सब ऑफिसर बुलाए सब लोगों को बाहर किया। अगर हम ऐसा नहीं करते तो वहां पर भी लाठीचार्ज और गोलीबारी हो सकती थी।

हम लोगों ने सावधानी बरती। मुख्य मंत्री दूसरे दिन वहां पर पहुंचे, हालांकि अधिकारियों ने उनको बताया था कि वहां पर सफोकेशन से बहुत लोग मर गए हैं और बहुत टेंशन है, वहां पर न जाएं, लेकिन मुख्य मंत्री जी वहां पर स्थिति का जायजा लेने के लिए गए। हम लोग भी वहां पर रात को 4 बजे तक रहे। वहां पर शिवसेना के और बीजेपी के लोग भी आए। लेकिन मोर्चे के समय सत्ता पक्ष या विरोधी पक्ष के लोग शामिल नहीं थे, वह सिर्फ गुवारी समाज का मोर्चा था। पहले भी हमारे यहां 1–1–2–2 लाख के मोर्चे हो चुके हैं, लेकिन ऐसी घटना कभी नहीं हुई है। इस मोर्चे के अंदर कुछ ऐसे एलीमेंट शामिल हो गए, जिन्होंने कुछ गडबड़ी की और यह दुर्घटना हो गई। मुख्य मंत्री जी ने न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं, जिसको विधान सभा ने अपनी स्वीकृति दी है। जांच में जो भी लोग दोषी पाए जाएंगे, चाहे वे पुलिस के अधिकारी ही क्यों न हों, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और दोषियों को सजा दी जाएगी।

गुवारी समाज की आड़ में विरोधी पार्टियों द्वारा जो राजनीति करने की कोशिश की जा रही है, यह ठीक नहीं है। हम भी चाहते हैं कि गुवारी समाज को मान्यता मिले, इसके लिए राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को लिखा भी गया है, इससे पहले भी गुवारी समाज को आदिवासियों के अधिकार दिए जाते थे, लेकिन आदिवासियों ने कुछ विरोध किया था, जिसकी वजह से यह करना पड़ा। अब केन्द्र सरकार को लिखा गया है और केन्द्र का जो भी फैसला होगा, उसको राज्य सरकार मानने के लिए तैयार है।

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : अध्यक्ष जी, जो भयावह और दर्दनाक वाकया 23 नवंबर को नागपुर में हुआ है, मेरे ख्याल से आजादी के बाद के 47 वर्षों में और अंग्रेजों के बर्बर शासन में जलियावांला बाग कांड को छोड़ कर इतने बड़े पैमाने पर किसी जुलूस या धरने में लोग मारे गए हैं, ऐसा कोई दूसरा वाकया याद नहीं आता। मैं 2 दिन तक अपने साथी राजेश कुमार और मुमताज अंसारी के साथ न केवल नागपुर में, बल्कि गोंदिया आदि जहां जहां से आदिवासी आए थे, वहां पर गांव–गांव में रात–रात भर घूमा हूं और जिन घरों के लोग मारे गए हैं, उनसे भी मिला हूं।

बात सीधी सी है कि गुवारी जाति के लोगों को ये सुविधाएं 1956 से लेकर 1985 तक मिलती रहीं और एक भी कास्ट ऐसी बता दीजिए आजादी के बाद जिसे आदिवासियों की सुविधा दी गई हो और फिर वापिस ले ली गई हो। महाराष्ट्र में माना और गुवारी, ये दो जातियां ऐसी हैं। मैं समझता हूं कि यह जो दर्दनाक हादसा हुआ है, इसको टाला जा सकता था। इस मामले को यदि सिलसिलेवार देखें तो पता चलेगा कि राज्य सरकार हमेशा कहती रही कि यह केन्द्र सरकार का काम है और इस बारे में केन्द्र सरकार हमेशा सरकार द्वारा लिखा भी गया । माननीय सदस्य विलास मुत्तेमवार जी इस सिलसिले में कल्याण मंत्री से भी मिले । जब नाईक साहब चीफ मिनिस्टर थे, तब भी उन्होंने केन्द्र सरकार को लिखा था। 1869 में मेजर स्मिथ ने गुवारी जाति को आदिवासी माना है, इससे पता चलता है कि यह कितना पुराना मामला है।

1.00 म.प.

इतनी पुरानी घटना है। इस बात की लिखा–पढ़ी होती रही, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं मिला इसलिए यह मामला टलता रहा। मैंने गुवारी समाज के लोगों से बात की । उनका कहना था कि गौंड गुवारी के नाम से एक आदिवासी जाति को डाल दिया गया है। हम यही बताना चाहते हैं कि गुवारी समाज के लोग इतनी बड़ी संख्या में नागपुर में हाथ खड़े करने के लिए आये हैं। दुर्भाग्य यह है कि गुवारी समाज जो ट्राइबल में है, लेकिन उस जाति के नाम को हटाकर गौंड गुवारी लिख दिया, जो जाति ही नहीं है। वह इसी बात को बताने के लिये आये थे। गौंड गुवारी नाम की कोई जाति वहां नहीं है ...(**व्यवधान**)... मेरी जानकारी में वहां गौंड गुवारी जाति नहीं है। आपकी जानकारी में है तो ठीक बात है।

ये लोग हर साल सरकार से, चाहे दिल्ली की सरकार हो या सूबे की सरकार हो, लगातार मिलते रहे हैं। इनका मोर्चा ढाई बजे आ गया था और छः बजे तक वे लोग बैठे रहे। उनसे कहा गया कि पांच लोगों को मुलाकात की अनुमति दी जाती है। उन्होंने कहा कि बीस आदमी कर दो। इस पर भी विवाद चलता रहा । आदिवासी लोग चार घंटे तक खड़े रहे कि कोई मंत्री हमारे प्रतिनिधि को बुलायेगा या कोई मंत्री हमारे सामने आयेगा। पांच बजे के करीब मुख्य मंत्री वहां से उड़ जाते हैं। पचास हजार का मोर्चा था। कहा जाता है कि किस–किस मोर्चे से हम मुलाकात करेंगे। क्या लोकतंत्र में मुलाकात को भी इतना ओछा और छोटा काम मान लिया गया है कि मिलना नहीं चाहते। हमारे इतने सारे मंत्री हैं, क्या हम एक मंत्री इसी काम के लिए नहीं रख सकते कि राजधानी में लोग अपनी समस्याओं को लेकर आये तो वे उनसे मिल सकें, इससे क्या फर्क पड़ जायेगा? अगर पांच की जगह बीस आदमियों को बुला लेते तो शायद यह दुर्घटना टल सकती थी। कोई मंत्री वहां आ जाता तो भी यह दुर्घटना टल सकती थी। यह कहा जा रहा है कि कुछ लोगों ने बम फेंका, यह गलत बात है। दो टियर गैस के गोले चले, गोली चली या नहीं, इसका प्रमाण या इसके बारे में कोई बात नहीं कही है। जहां बैरियर था, उसका आड़ा डंडा खुल गया। एक लाल बत्ती वाली गाड़ी आई, जो कि पुलिस की थी, आदिवासी लोगों ने समझा कि शायद मंत्रीजी आये हैं। इसलिए थोड़ी हलचल हुई और भगदड़ मची। पुलिस ने समझा कि बैरियर टूट रहे हैं। जबकि उनके नेता गजवे माइक लेकर सबको शांत करा रहे थे। इसी आपाधापी में पुलिस ने लाठीचार्ज किया। वह हल्का किया या भारी किया, मैं इसमें नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन जहां मोर्चा था वहां बायें हाथ पर दो रास्ते थे। वहां भी पुलिस थी, सामने भी पुलिस थी और पीछे थाना था, जहां सारी पुलिस खड़ी थी। एक तरह से चेम्बर बना हुआ था। लाठीचार्ज किया गया ताकि लोग भाग जायें। प्रशासन द्वारा यह काम किया गया । मै दत्ता मेघेजी से कहना चाहता हूं कि क्या यही जिम्मेदारी है, यह एक संवेदनहीनता ट्राइबल लोगों के प्रति है। उन लोगों को क्या पता कि यह गोली की आवाज है या टियर गैस शैल की आवाज है, उन्होंने तो कभी लाठी की आवाज नहीं सुनी । उनके आदिवासी होने की पहचान यही है कि बच्चा यदि तीन दिन पहले हुआ है तो भी लोग बच्चे को लेकर जुलूस और जलसे में आ जाते हैं। सरकार चाहती तो पहले से ही इस सवाल का हल कर सकती थी। लेकिन यह मामला आज तक हल नहीं हुआ। वहीं मारे गये 13 लोग भी एक अरमान के साथ गये थे। इसी बात पर मार दिये गये कि यह सुविधा केन्द्र सरकार मुहैया कराये या सूबे की सरकार

मुहैया करायेगी। उनको सुविधा मिली हुई थी। इस देश में कभी ऐसा हुआ है कि मजबूत लोगों को सुविधा मिली हो और वापस ले ली गई हो।

अकेले हिन्दुस्तान में दो जातियों को सुविधा मिलने का उदाहरण है, यह काफी नहीं है। जब सुविधा का कोटा दिया हुआ है, वह नहीं मिले तो समाज उद्वेलित होता है लेकिन वे उद्वेलित नहीं हुये। वे लोग चार साल तक लगातार यहां घूमते रहे। उन लोगों ने दिल्ली का दरवाजा खटखटाया, हम लोगों से मिले लेकिन कभी किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। श्री मुत्तेमवार जी यहां बैठे हुये हैं। एक डेपुटेशन को लेकर वहां के मुख्यमंत्री और वैलफेयर मिनिस्टर के साथ बैठकर बातचीत की थी। यदि इस सवाल को हल करने का काम किया होता तो आज यह नरसंहार नहीं हुआ होता और आदिवासियों की हत्या नहीं हुई होती। मैं अस्पताल गया । इतनी बड़ी दुर्घटना हो गयी और दत्ता मेघे साहब कहते हैं कि क्या आप गये थे? मैंने आपका फोटो देखा था। आप गये लेकिन आप सरकार में नहीं हैं। सरकार में तो शरद पवार हैं, उनकी कांग्रेस सरकार है। यह कहना कि वहां मिनिस्टर जायेगा तो गडबड़ होगी, मैं नहीं समझता कि आदिवासी ऐसा कर सकते हैं। यदि गड़बड़ करने वाले होते तो उन लोगों को इस तरह से घेरकर मार न पाते। यही सामाजिक विसंगति का कारण है कि वे लोग बुद्धि से पिछड़े हुये हैं कि समझ ही नहीं पाते कि लाठी चार्ज क्या होता है। उन्होंने कभी नागपुर देखा नहीं। यदि चालाक लोगों का, बाबूओं और मजदूरों का जुलूस होता तो वे भाग खडे होते। एक लाठी खटकती, एक पत्ता सटकता तो वे खटक जाते। हम लोगों ने ही उनको बुद्धि में पिछड़ने के लिये संस्कार डाल रखा है जो यह महसूस नहीं कर सकते कि गोली चल रही है कि पटाखा छूट रहा है। यदि ऐसे लोगों के साथ अच्छा सुलूक नहीं करेंगे तो देश मजबूत नहीं हो सकता है। एक मंत्री नहीं जाता है और मुख्यमंत्री 5 बजे उड़ जाते है। मुख्यमंत्री के रहते तीन साल तक यह सवाल टला रहता है। मैं कहना चाहता हूं कि समूची व्यवस्था इस घटना के लिये दोषी है। सरकारी व्यवस्था में जो लोग बैठे हुये हैं, उनको सजा मिलनी चाहिये। ये सारे साढे चार घंटे तक बैठे रहे लेकिन उनसे मिलने वाला कोई नहीं था तो इस अपराध की सजा किसको मिलेगी, इसका गुनहगार कौन है? आपका मंत्रिमण्डल, आपकी सरकार और आपकी विधानसभा चलती रहती है लेकिन वहां के लोगों के लिये कोई चिन्ता नहीं करता हैं। आप कहते हैं कि 13 जुलूस निकल रहे हैं, क्या एक में 50–100 या 500 आदमी होते हैं? वहां पर तो 50 हजार आदिवासी थे जो अपने बाल बच्चों को लेकर आये हुये थे। वे अपने अधिकार को मांग रहे थे कि उनको नर्क की जिन्दगी से छुटकारा मिले वे अपने सपने को पूरा होने के लिये अपने परिवार के साथ आये हुये थे।

अध्यक्ष महोदय, मैं अस्पताल गया तो देखा कि 90 गुवारी समाज के आदिवासी लोग फर्श पर पड़े हुये हैं। आप उन लोगों की जिम्मेदारी लेने के लिये तैयार नहीं है। यह बात बिलकुल असत्य है कि किसी आदिवासी ने पत्थर फेंका है और यह बात भी असत्य है कि उन लोगों की तरफ से कोई गडबड़ करने वाला था । आज की व्यवस्था में बैठने वाले लोग उनके अधिकारों को नहीं देते हैं। इसके बाद सरकार ने जो काम और सुलूक दिखाया और उपेक्षा बरतने का काम किया, मैं समझता हूं कि लोकशाही में गरीब लोगों का विश्वास सरकार पर से उठ जायेगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि गुवारी समाज को जो सुविधायें मिली हुई थी, उनको छीन लिया गया था, उसको वापस दिलायें। यदि सरकार ने यह काम बहुत पहले कर दिया होता तो यह घटना न होती । उन आदिवासी लोगों को अंग्रेजों के समय से रिकेगनाईज किया गया था। इसलिये सरकार से अनुरोध करूंगा कि सरकार को जिम्मेदारी लेकर नयी घोषणा करनी चाहिये। इसके पीछे यह तथ्य है कि एक गलती से मुलाकात न करने पर गरीब लोगों की, निरीह लोगों की हत्या हो गयी। इस घटना के बाद महाराष्ट्र सरकार के बने रहने का नैतिक दायित्व नहीं रह जाता है। उसे हटना ही चाहिये और नहीं हटेगी तो मैं समझता हूं कि आने वाले समय में महाराष्ट्र की जनता उसको साफ कर देगी। इससे शायद इन घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करते हुये आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री रामचन्द्र मारोतराव चंगारे (वर्धा): अध्यक्ष महोदय, 23 नवम्बर का दिन पूरे विदर्भ और महाराष्ट्र में काले दिन के नाम से जाना जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि उस दिन एक लाख लोग आये थे, कुछ लोगों का कहना है कि 70 हजार लोग उस दिन एकत्रित हुये थे लेकिन मैं कहता हूं कि कम से कम 50 हजार गोवारी आदिवासी लोग जरूर उस जुलूस में रहे होंगे जिनमें अधिकतर विदर्भ एरिया के थे, कुछ परभणी जिले के थे, कुछ गंडारा जिले के थे और बाकी महाराष्ट्र के दूसरे जिलों से आये थे। भंडारा जिले से ज्यादा लोग आये थे। उनमें महिलाओं की संख्या बहुत अधिक थी, लगभग 20–25 हजार महिलायें उनमें थीं। इसके अलावा उंगली पकडकर चलने वाले बच्चे और दूध पीने वाले बच्चे भी थे जो मोर्चे के सामने चल रहे थे। वह मोर्चा पुराने मौरिस कालेज के सामने रूक गया। वह ऐसी जगह है जहां सिर्फ छोटी छोटी दो–तीन गलियां हैं और भागने का कोई रास्ता नहीं है। वहां अनेकों वाहन भी खडे रहते हैं। पुलिस ने मोर्चे के लोगों से कहा कि सिर्फ 5 लोगों को आगे जाने की अनुमति है, इससे ज्यादा नहीं जा सकते। मोर्चे वालों ने कहा कि इतने जिलों से लोग इस जुलूस में आये हैं। हर जिले से कम से कम दो–दो आदमियों को मिलाकर 20–25 लोगों का शिष्टमण्डल ले जाने की इजाजत मिलनी चाहिये। पुलिस के लोग वहां से गये और वापस आकर बोले कि यदि 5 लोगों ने चलना हो तो चलो, आदिवासी विकास मंत्री का कहना है कि ऐसे पचासियों मोर्चे मैंने देखे हैं और मुझे मिलने की फुरसत नहीं है। मंत्री जी का वह जवाब कई समाचार–पत्रों में आया है।

मोर्चे के लोगों ने कहा कि आदिवासी विकास मंत्री या मुख्य मंत्री उनसे नहीं मिल सकते तो कोई दूसरे मंत्री ही यदि शांतिपूर्वक उनकी बात सुन ले तो उनका समाधान हो जायेगा, सभी 50 हजार लोगों का समाधान हो जायेगा और वे वापस चले जायेंगे लेकिन पुलिस ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता।

उसके बाद दोपहर 12 बजे से शाम के पांच या साढे पांच बजे तक वे लोग ऐसे ही असमंजस की स्थिति में बैठे रहे और उसके बाद पुलिस के बैरिकेड को हटाने के लिये आगे बढे । कुछ लोगों का कहना है कि पुलिस का बैरिकेड ऐसा था जिससे आदमी को झटका लगता था। मुझे नहीं मालूम कि उसमें क्या था लेकिन जब

मैं खुद अपने जिले के लोगों से मिला, मेरे जिले के 39 लोग वहां मरे हैं, भंडारा जिले के 37 लोग मरे हैं और पूरे महाराष्ट्र के कुल 112 लोग उस स्टाम्पीड में मरे हैं। एक आदमी नागपुर के दवाखाने में बाद में मर गया। उन सब लोगों के रिश्तेदारों ने मुझे बताया जो लोग भागकर चले आये, उनमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनमें से कुछ की पांव की, हाथ की या सिर की हड्डिडया टूट गयी हैं। जब वे किसी दवाखाने में जाते हैं तो वहां का सिविल सर्जन बोलता है कि पुलिस को लेकर आओ क्योंकि वह मैडिकल–लीगल केस है। ऐसे हम इलाज नहीं करेंगे। वर्धा जिले में तो मैने इंतजाम करा दिया, मैं वहां के सिविल सर्जन से मिला, डी. एस. पी. से मिला लेकिन दूसरी जगह लोगों के सामने ऐसी कठिनाई आ रही है।

मैं कहना चाहता हूं कि वह कोई छोटा जुलूस नहीं था, काफी बड़ा जुलूस था। जैसा यहां कहा जाता है कि 12–13 दूसरे जुलूस थे लेकिन वे सब मामूली जुलूस थे,. उन सबमें यही सबसें बड़ा जुलूस था। इतने बड़े जुलूस में पहली बार लोग आये थे, उससे पहले किसी मोर्चे में नहीं गये थे। उनके पास क्या था, क्योंकि यहां कहा जा रहा है कि उन लोगों ने पत्थरबाजी की, उनके पास सूखी ज्वार की रोटी थी, कांदा (प्याज) और चटनी थी, इसके अलावा कुछ नहीं था। ऐसे लोग उस जुलूस में आये थे। उन पर पुलिस ने साढे पांच या पौने छः बजे लाठी चार्ज किया और बेरहमी से उनकी पिटाई की। मैं समझता हूं कि यदि कहीं लाठी चार्ज किया जाता है तो सिर्फ लोगों को डराने धमकाने के लिये किया जाता है ताकि उस जगह से लोग भाग जायें लेकिन यदि कोई आदमी लाठी खाने के बाद नीचे गिर जाये, तो उसको सबक सिखाने के लिये उस पर फिर से लाठी बरसाई जाये, उनके पांव तोड़े जायें, हाथ तोड़े जायें, ऐसा मैंने कहीं नहीं देखा। वहां लोगों की निमर्म और निरीह हत्या की गयी। आज भी कुछ लोग अपने–अपने जिलों में ट्रीटमेंट ले रहे हैं।

मैं बताना चाहता हूं कि हमने आज तक सुना था कि जनरल डायर ने जलियावाला बाग में गोलिया चलवाई थीं और गोलियों से अनेक लोग मारे गये लेकिन लाठी से कहीं 113 लोग मरे हों, लाठी से इतने लोग मर ही नहीं सकते, कोई इस बात पर विश्वास करने को तैयार नहीं होगा कि कहीं लाठी चार्ज में 113 लोग मारे गये हों। मेरे पास अनेक अखबार हैं जिनमें उस समय के फोटो आये हैं। मैं उसमें ज्यादा जाना नहीं चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह बताना चाहता हूं कि वहां 20–25 हजार महिलाएं थीं और बच्चे थे, लेकिन एक भी महिला पुलिस वहां नहीं थी। हम तो यह कहते थे कि कोई भी एक मंत्री बगैर खाते का भी यदि वहां आकर उनको सुन लेता, तो भी वे संतुष्ट हो जाते, लेकिन कोई नहीं आया। उन्होंने तो यहां तक कहा था कि यदि मंत्री का कोई सचिव भी आ जाता, तो भी वे मान जाते, लेकिन उनके पास कोई नहीं आया। पुलिस ने बुरी तरह से, भयानक ढंग से अत्याचार किया, निर्मम ढंग से, शैतानी ढंग से अत्याचार किया और इतने लोगों की जानें लीं। अनेक लोगों को जख्मी किया। आज भी वे लोग दवाखानों में भर्ती हैं। मेरे जिले से सबसे ज्यादा लोग मरे हैं। वे कोई राजनीतिक लोग नहीं थे। वे लोग पहली बार आए थे, लेकिन उनको मारा गया। यह नयी डायरशाही पैदा हो रही है।

दूसरी बात यह है कि महाराष्ट्र सरकार महिलाओं को अधिकार देने की बात करती है। इस आंदोलन में महिलाएं सामने थीं और 113 लोगों को मारकर यह अधिकार दिया जिनमें ज्यादातर बच्चे और महिलाएं थीं। महाराष्ट्र में जलगांव जैसे सैक्स कांड भी हुए । मैं तो यह कहता हूं कि महाराष्ट्र सरकार का महिलाओं को अधिकार देने की बात कहना केवल ढोंग है। मैं यह कहना चाहता हूं कि क्या यह टाला नहीं जा सकता था और यदि उनके अंदर कुछ असामाजिक तत्व थे, यदि उनके पास कोई पत्थर थे, तो 50 हजार लोग क्या दो–चार पुलिस वालों को नही मार सकते थे, जख्मी नहीं कर सकते थे, लेकिन वहां एक भी पुलिस वाला जख्मी नहीं हुआ, खरोंच तक नहीं आई, लेकिन सरकार कहती है कि पुलिस वाले जख्मी हुए हैं, हमने कहा कि नाम बताओ तो नाम बताने में सरकार असमर्थ क्योंकि वास्तविकता यह है कि एक भी पुलिस वाला जख्मी नहीं हुआ।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस तरह से सीधे–सादे और भोले–भाले जो लोग वहां पहुंचे थे, यदि उनको सरकार का कोई जिम्मेदार आदमी वहां पहुंचकर सुन लेता, तो यह हादसा टाला जा सकता था। मैं पूछना चाहता हूं कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री कहां गए थे? माना कि मुख्य मंत्री बम्बई गए थे। वे मुख्य मंत्री हैं, उनको काम हो सकता है। वे बम्बई गए होंगे, लेकिन ये गृह मंत्री पदमसिंह पाटिल, ताड़ोवा की सैर करने गए थे और गृह राज्य मंत्री माणिकराव ठाकरे वहां थे। वे कहते हैं कि मैं उनसे नहीं मिलना चाहता हूं। मधुकर राव पीचड़ थे उन्होंने कहा कि मैंने ऐसे कई मोर्चे देखे हैं। मुझे मिलने की फुर्सत नहीं है। मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा।

अध्यक्ष महोदय, क्या बात थी कि आदिवासी गुवारी समाज के लोग कहते थे कि हमको जो सहूलियत अभी तक अनुसूचित जनजाति की लिस्ट में रखकर दी जाती रही है वह कायम रखी जाए, तो उसमे कोई गलती नहीं थी, लेकिन इन्होंने 24 अप्रैल, 1985 को एक जी. आर. निकाला जिसमें गुवारी जाति के लोगों को उस सूची में से निकाला गया। मुझे नहीं मालूम, उधर के लोग भी कह रहे हैं। गोड–गुवारी नाम की कोई जाति होगी। क्योंकि एक ही नाम होगा, या तो वह गोड होगी या वह गवारी जाति होगी। मैंने इस तरह की कोई जाति नहीं सुनी कि वह गोंड–गुवारी हो। मैं खुद विदर्भ में रहता हूं।

मैं खुद वहां रहता हूं व घूमता हूं। यह बिल्कुल सरासर गलत है कि वे यह कहते हैं कि यह जाति कोई एक आध ही होगी और वो भी किसी कोने में पड़ी होगी। पूरे विदर्भ और महाराष्ट्र में इस तरह की जाति संयुक्त में कही नहीं है। उनकी यह मांग थी कि 1985 का काला जी. आर. वापिस जाये और हमको पहले के अनुसार अनुसूचित जाति के सारे अधिकार दिये जायें। यह गुवारी जाति आदिवासी जाति है। गौंड का नाम लेने से ही गोवारी का नाम तुरंत आ जाता है। वे जंगल में व जंगल के बाहर एक साथ रहते है। गुवारी पहले मध्यप्रदेश का हिस्सा था व मध्यप्रदेश में आज भी गुवारी समाज को सहुलियतें मिलती हैं। अगर मध्यप्रदेश में उनको आदिवासी माना जाता है, अनुसूचित जनजाति माना जाता है तो महाराष्ट्र में क्यों नही माना जाता? इसी बात पर उत्तेजित होकर वहां पर सारे लोग इकट्ठे हो गये थे।

हम आपसे यह मांग करना चाहते हैं कि श्री पदमा सिंह पाटिल व माणिक राव ठाकरे, इन मंत्रियों को जो कि इस लॉ एंड आर्डर के लिए जिम्मेदार हैं, वे तुरंत अपना राजीनामा दें। दूसरी बात यह है कि पुलिस कमिश्नर या दूसरे पुलिस अधिकारी जो भी इसमें शामिल थे, उनको तुरंत ससपेंड किया जाये और उन पर 302 के तहत मर्डर का मुकदमा चलाया जाये। एक मांग मेरी और यह है कि गुवारी जाति को अनुसूचित जनजाति माना जाये तथा इन लोगों को उचित मुआवजा दिया जाये।

श्री विलास मुत्तेमवार (चिमूर): अध्यक्ष महोदय, अभी जो 23 नवम्बर को नागपुर में ...(**व्यवधान**) 120 आदिवासियों के मरने पर चर्चा हो रही है ...(व्यवधान) मैं आपके माध्यम से सभी सम्माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि गुवारी और माना जातियों को लेकर हमारे साथियों ने कहा कि 1985 तक गुवारी और माना, दोनों जमातियों को आदिवासी जाति का दर्जा दिया जाता था व महाराष्ट्र राज्य में इनको सहूलियतें भी मिलती थीं। उसी के माध्यम से कई लोगों ने शिक्षा प्राप्त की व आज काफी लोग डाक्टर भी बने हुए हैं। तभी से यह विवाद शुरू हुआ है और उसका नतीजा 120 लोगों को भेड़ बकरियों की तरह मारने में हुआ है। जिसके लिए हम सब यहां पर चिंतित हैं। इस चर्चा के माध्यम से मैं आपसे अर्ज करना चाहूंगा कि इन लोगों को सहुलियतें देने के बारे में केन्द्र व राज्य सरकार में जो विवाद चल रहा है, उस पर कोई निर्णय हो और दूसरी बात यह है कि इस प्रश्न को लेकर महाराष्ट्र में आदिवासियों को आदिवासियों से तोड़ने की कोशिश हो रही है। कुछ हमारे आदिवासी ऐसे हैं जो इनको आदिवासी समझने को तैयार नहीं है। इस तरह से केन्द्र सरकार व सभी पोलिटिकल्स पार्टीज, जो आदिवासी व पिछड़े लोगों को ज्यादा सहूलियतें देने में कमीटेड है, इस तरह की बात को हम लोग इनक्रेज नहीं करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अर्ज करना चाहूंगा कि जिस बर्बरता के साथ 120 लोगों की मौत हुई है, कई लोग जख्मी हुए हैं, ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ है। वहां हमारी सरकार की पार्टी है लेकिन मोर्चे को संभालने की जिम्मेदारी पुलिस की थी। इस घटना के बाद तरह तरह की बातें हो रही है। कि वहां पर 50 हजार लोग आ गये थे। हमने जब वहां के कमिश्नर से बात की तो उन्होंने हमें अपनी रिपोर्ट यह दी कि केवल पांच सा सात हजार लोग ही गुवारी के मोर्चे में आये थे। यह पहली बार हुआ है कि इस तरह इतने सारे लोग मारे गये हैं। कई लोग तो पहली बार नागपुर आये थे और वे भी बहुत गरीब। वे कोई आतंकवादी नहीं थे, उनका लड़ने का कोई करैक्टर नहीं था, वे केवल अपनी मांग कहने के लिए आये थे वे राज्य शासन व मुख्यमंत्री के समर्थन में जिन्दाबाद के नारे लगाते हुए इस आशा से आये थे कि आज उनकी मांग मंत्री व मुख्यमंत्री से मिलने के बाद पूरी होने वाली है।

पुलिस कमिश्नर, जो घटना तक सोए हुए थे, ने राज्य सरकार, होम मिनिस्टर, मुख्य मंत्री को इस बात से आगाह नहीं किया कि शहर में 50 हजार लोग आ गए हैं। साढ़े चार घंटे तक वे लोग तमाम कोशिश करते रहे। वह कोई पोलिटिकल मोर्चा नहीं था। अब कहा जा रहा है कि उनके साथ नक्सलवादी और आतंकवादी लोग थे जो पत्रे मारते हुए चल रहे थे। हमारा नागपुर बहुत शांति वाला क्षेत्र है। दत्ता मेघे जी वहां का प्रतिनिधित्व करते हैं, वे जानते हैं। कई लोग यह भी जानते हैं कि वह मोर्चा पूरे शहर में शांतिपूर्वक चला। वे साढे चार घंटे तक बैठे रहे। उनकी यही कोशिश थी कि हमारी मुलाकात मुख्य मंत्री जी से हो जाए या आदिवासी लोग कल्याण मंत्री जी या किसी भी मंत्री जी से मिल लें ताकि एक बार बात हो जाए और हम उनका समाधान कर सकें। लेकिन किसी ने उनको मिलाने की कोशिश नहीं की। आखिर में पुलिस कमिश्नर या पुलिस अधिकारी की तरफ से एक आदेश आया कि केवल पांच लोग मिलने के लिए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि नौ जिले से लोग आए हैं, कम से कम 15 लोगों को तो एलाऊ कर दें, हम उनके पास जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई। आखिर में जब छः बजे गए मुख्यमंत्री जी बम्बई निकल गए, विधानसभा भी खत्म होने को आई , उसके बाद एक मोटर वहां पर आई लोगों को लगा कि मंत्री महोदय हमसे मिलने के लिए आए हैं। वे लोग उत्साह के मारे खड़े हो गए तो पुलिस ने समझा कि वे विधानसभा की तरफ बढ़ने वाले है। फिर पुलिस ने बैरीकेडस तोड़कर लाठियां उठाई वहां पर एक ही गेट था। 50 हजार लोग 60 फुट के एरिया में एक लाइन मे बैठे थे। उनके जाने का कोई रास्ता नहीं था। सामने से लाठियां चल रही थीं। इस तरह से एक दूसरे के नीचे दबकर उनका अन्त हो गया।

यह पहली घटना है। मैं भी 15 साल से इस सदन में हूं। वहा न ही किसी कॉन्सटेबल को सस्पैंड क्रिया गया है और न ही उसकी ट्रांसफर की गई बल्कि कल राज्य सरकार की तरफ से जो रिपोर्ट आई है, उसमें यह बताया है कि उस घटना में पत्रेबाजी की वजह से 2 डी.सी.पी.,1एस.पी,1 पुलिस कमान्डैंट, 5 सब इसंपैक्टर, 1 महिला सब इंसपैक्टर और 36 पुलिसकर्मी जख्मी हुए। पहली बार यह स्टेटमैंट देकर लोक सभा को गुमराह करने की कोशिश हो रही है। ऐसा आज तक नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री ने महाराष्ट्र में जब स्टेटमैंट दिया तब इतने लोगों के घायल होने की बात नही क्रही, इतने अधिकारियों के घायल होने की बात नही कही। गृह मंत्री ने बात की तब भी इतने अधिकारियों के घायल होने की बात नहीं कही। तब उन्होंने केवल यही बोला कि सिर्फ 60 पुलिस कर्मी जख्मी हुए हैं। पुलिसकर्मी का मतलब कॉन्सटेबल होता है, अधिकारी नहीं। अपना केस बनाने के लिए इस तरह की बातें हो रही है।

मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आदिवासियों के साथ इस तरह का मजाक नहीं होना चाहिए। डैमोक्रेसी में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। मैं उन लोगों को पर्सनली जानता हूं, प्रफुल पटेल जी मेरे पीछे बैठे हैं, ये भी जानते हैं कि वे लोग किस प्रकार के हैं। दंगा फसाद करने का उनका करैक्टर नहीं है। ऐसे लोगों के साथ बर्बरतापूर्वक अन्याय हुआ है। इसमें जो लोग जिम्मेदार है, जिन्होंने लाठीचार्ज किया, वही लोग इन्क्वारी कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यहां से होम मिनिस्ट्री के अधिकारी वहां जाकर उस घटना की इन्क्वारी करें तभी आदिवासियों को न्याय मिलेगा लोक सभा की तरफ से, आपकी तरफ से और सभी पोलिटिकल पार्टियों के नेताओं की तरफ से मै अर्ज करूंगा कि यह आदिवासियों का सवाल है, उनकी जो भी जायज मांग है, उसे देखे। वे लोग आदिवासी हैं या नहीं, उसके बारे में लगातार दलीलें दी जा रही हैं उनके पास 1870 के बाद से रिकार्ड है, उसे नहीं देखा जाता।

महाराष्ट्र में एक बार आदिवासियों की सहूलियतें विदड्रा की गईं। हिन्दुस्तान के किसी भी राज्य में ऐसा नहीं हुआ । हम हर राज्य में आदिवासी और पिछड़े लोगों को न्याय देने की बात करते है लेकिन उन लोगों पर अन्याय हुआ है।

उन्हें न्याय देने की कोशिश हो और उसके लिए लोक सभा कोई इनीशिएटिव ले।

यह कहते हुए मैं अपनी बात पूरी करता हूं । आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मेरे विचार से तथ्य सभा के सामने आ गए हैं, आपको उन्हें दोहराने की आवश्यकता नहीं हैं।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, हमने भी नोटिस दिया है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइये। मैंने कहा है, आपको बोलने का मौका दूंगा।

[अनुवाद]

कृपया आपको इसे समझना चाहिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़): अध्यक्ष जी, नेता विरोधी दल ने यह कहा था कि यह जो घटना हुई है और जिस पर हम यहां बहुत दुख के साथ चर्चा कर रहे हैं, यह कोई पार्टी का विषय नहीं है, यह कोई दलगत बात नहीं है। यहां जो विचार प्रकट किये जा रहे हैं, उनसे भी यह बात प्रमाणित होती है कि इस घटना से सभी दुखी हैं। श्री दत्ता मेघे को सम्मिलित करके सभी इस बात से सहमत है कि जो लोग इकट्ठे हुए थे, वह गरीब और आदिवासी लोग या तथाकथित आदिवासी लोग थे। क्योंकि, कल शासक बैंच के कुछ लोगों ने यह कहा कि आप मत कहिये कि वह आदिवासियों का जुलूस था, इसलिए कि वह आदिवासी नहीं हैं। यह दुर्भाग्य की बात है कि इस प्रश्न को इस तरह से उठाया जा रहा है कि नहीं, आप उनको आदिवासी भी मत कहिये, क्योंकि उससे उनके साथ लोगों की हमदर्दी हो जायेगी।

यह अभी बात पता चली कि आपस में कुछ मतभेद हैं और लगता है कि महाराष्ट्र का शासन भी इनके दबाव में है कि उनको आदिवासी मानें या नहीं मानें। क्योंकि वह आदिवासी थे, सूची में सम्मिलित थे, उनको उसमें से हटा दिया गया और इसलिए वह बेचारे आये थे। तमाम गरीब, बहनें माताऐं बच्चे, नौजवान, बूढे, सभी लोग वहां आये थे। यह बात भी सभी ने स्वीकार की है कि साढ़े चार घंटे तक वह बिल्कुल शान्तिपूर्ण थे, कोई बात उनकी तरफ से नहीं हुई । अगर दत्ता मेघे साहब की यह बात सही है कि महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र सरकार से यह सिफारिश की है कि उनको आदिवासी मान लिया जाय तो यही बात कोई मंत्री जाकर उनको बता सकता था....

श्री अन्ना जोशी (पुंणे) : महाराष्ट्र सरकार ने जी.ओ. निकालकर उसको विथड्रा किया है इसमें महाराष्ट्र सरकार ही दोषी है।**(व्यवधान)**

श्री चन्द्रजीत यादव : आप मेरी बात को सुन लीजिए। मैं यह कह रहा हूं कि वह बात भी अगर मान ली जाय कि महाराष्ट्र की सरकार ने यह सिफारिश की है तो फिर यह बात वहां जाकर कोई मंत्री बता सकता था। प्रश्न खाली यह है कि क्यों इन लोगों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार हुआ। प्रश्न केवल यह था कि ५ आदमियों का प्रतिनिधिमण्डल मिलेगा या 18 और 20 लोगो का मिलेगा। क्या प्रजातंत्र में हमारी संवेदनशीलता का अभाव हो जायेगा? क्या प्रशासन में बैठे हुए जिम्मेदार लोग केवल इस बात पर काम करेंगे कि आदिवासी हैं या नहीं ? पर 50 हजार गरीब लोग, दुखी तथा न्याय की पुकार के लिए दूर-दूर से महाराष्ट्र के कोने-कोने से चलकर अपने बेटों को, बच्चों को गोद में लेकर, उनकी उंगली पकड़कर साथ में लेकर आये थे, क्या उनके साथ यही व्यवहार होगा?

अध्यक्ष जी, आज मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि कुम्भ के मेले में कभी-कभी ऐसी घटना हो जाती थी, मगर राजधानी में, सडक पर प्रशासन के नीचे, जहां विधान सभा बैठ रही हो, जहां पूरा मंत्रिमण्डल मौजूद हो, प्रशासन हो, वहां इस प्रकार की घटना अत्यन्त शर्मनाक घटना हुई है। इससे केवल यह नहीं कि उन दुखी और दीन लोगों के साथ अत्याचार हुआ, उन बेकसूर लोगों की जानें गईं। इससे राष्ट्र का सिर शर्म से झुक जाता है और ऐसी घटनाऐं सारी दुनिया में प्रचारित होती हैं कि क्या प्रशासन है, कितनी संवेदनशीलता का अभाव है, जिस प्रकार की व्यवस्था है, गरीबों के साथ किस प्रकार का व्यवहार होता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह राष्ट्र के लिए और महाराष्ट्र के प्रशासन के लिए शर्म की बात हो जाती है।

शरद पवार जी नौजवान आदमी हैं। मैं उनको जानता हूं, वह कुशल प्रशासक के रूप में जाने जाते थे। उनमें कहां कमी आ गई? अगर दत्ता मेघे जा सकते थे, इनके साथ वहां के मंत्री जा सकते थे तो शरद पवार क्या पुलिस के अफसरों के कहने में आ गये कि आप वहां जायेंगे तो वहां ला एण्ड आर्डर की स्थिति पैदा हो जायेगी, इससे उनकी हिम्मत छूट गई, वह वहां नहीं गये तो कौन इसका जवाब देगा?

किस तरह से सारे देश और गरीब जनता को शरद पवार जवाब देंगे। क्या वह वहां नही जा सकते थे? वह बम्बई चले गये। महाराष्ट्र सरकार का अपना जहाज है वह उस जहाज से वापस आ सकते थे और उनसे जाकर मिल सकते थे। इससे उनको तसल्ली हो जाती । उन्होंने यह भी नहीं किया। इतना कुछ होने के बाद भी अगर वह यह घोषित कर देते कि हमने आपकी सिफारिशें मान ली हैं तो उन्हें तसल्ली हो जाती। दोषी अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई। उस दिन सारी गलियों पर पुलिस ने छापा मारा और उन्हें घेर लिया। उनके भागने का कोई रास्ता नही बचा था। अगर वे गलियों में बिखर जाते तो उनकी जान की रक्षा हो सकती थी। हमने इस पर कामरोको प्रस्ताव भी दिया था। मैं ऐसा समझता हूं कि यह एक निन्दा का विषय है लेकिन आपने हमारा निन्दा प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। हमने आपके आदेश को मान लिया। आपके कार्यालय ने हमें सूचित कर दिया था। केन्द्र सरकार

के ऊपर आदिवासियों की जिम्मेदारी है। मैं नहीं जानता कि कोई केन्द्र सरकार का मंत्री वहां गया या नहीं ?

जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : राजेश पायलट जी और अरविन्द नेताम जी वहां गये थे।

श्री चन्द्रजीत यादव: अगर वे वहां गये थे तो अच्छी बात है। समाचार पत्रों के माध्यम से हमें यह पता लगा है कि महाराष्ट्र सरकार ने इस मामले की जुडिशियल इनक्वायरी कराने के आदेश दिये हैं। सही तथ्य सामने आने ही चाहिए। मेरा भारत सरकार से आग्रह है कि वह इन गरीब लोगों को आदिवासियों की श्रेणी में रख ले। इससे उन्हें तसल्ली हो जायेगी।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह बात दोहराना आवश्यक नहीं है।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रजीत यादव: आखिर वे किस लिये आये थे? वे इसलिये आये थे कि उन्हें आदिवासियों की श्रेणी में सम्मिलित कर लिया जाये। केन्द्र सरकार उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ले। इतना ही मुझे कहना है।

श्री प्रफुल पटेल (भंडारा) : अध्यक्ष महोदय 23 नवम्बर को नागपुर मे जो दुखद घटना घटी, यह हम सब के लिये दर्दनाक दुखदायी और शर्मनाक है। मेरे जिले के करीबन 38 लोगों की जानें गई और मेरे ही निर्वाचन क्षेत्र की करीब 28 महिलाओं और बच्चों की वहां पर मृत्यु हुई । यह आदिवासी गोवारी समाज पिछले कई वर्षों से अपनी न्यायोचित मांग को शासन के पास और हम सब जन प्रतिनिधियों के पास रखता आया है। उनकी मांग का जल्द से जल्द न्यायोचित हल निकले, इसके लिये मुत्तेमवार जी, मेघे जी और मैंने सतत् प्रयत्न किये।

मुझे स्मरण है कि गोवारी समाज का मोर्चा एक महीने पहले से ही वहां इकट्ठे होने की तैयारियां करने लगा था। उनके जो पुराकारी लोग थे, उन्होंने मीटिंग्स आर्गेनाइज की। गांव में वाल पेंटिंग्स की और छोटी-छोटी सभायें करके लोगों को एकत्रित करने का प्रयत्न किया। पुलिस की यह जानकारी सही है कि हर साल इनका मोर्चा 4-5 हजार लोगों को लेकर नागपुर अधिवेशन के समय आया करता था। इस वर्ष उन्होंने बहुत प्रयत्न किये और समाज में जागरूकता लाने का प्रयत्न किया । इंटैलिजैंस ऐजेंसिज और पुलिस से मदद ली जानी चाहिये थी कि क्या इस वर्ष गोवारी समाज का मोर्चा बहुत बड़े पैमाने पर नागपुर आने वाला है? जिन-जिन लोगों की जाने गईं, उनके घरों में मैं गया था। वे लोग कोई राजकारी लोग नहीं थे। उनका किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई ऐफिलिएशन नहीं था और न ही उनका पॉलिटिकल ऐम्बिशन था।

उन सब गरीब लोगों की मंशा यह थी कि समाज में हमारे बारे में जो गलतफहमी है या जो शासकीय रिकार्ड है या जो कुछ भी मंत्रालय के पास जानकारी है कि गोवारी समाज के नाम का कोई अस्तित्व है या नहीं, यह वे सिद्ध करके दिखाना चाहते थे। इसी कारण से वे पचास-हजार व्यक्ति नागपुर में आए । जो लोग नागपुर में आये, वे शासन को यह दिखाना चाहते थे कि गोवारी समाज के नाम का कोई व्यक्ति नहीं है, तो ये पचास हजार लोग कहां से आ गए। एक सरल भावना से अपनी बात को शासन के सामने रखने के लिए वे वहां पहुंचे और घन्टों तक उन्होंने वहां इन्तजार किया। वहां पर एक बात सभी लोगों को स्वीकार करनी होगी।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह तथ्य पहले ही सभा के सामने आ चुके है। कृपया इसे दोहराइये मत।

[हिन्दी]

श्री प्रफुल पटेल: उस दिन नागपुर में 14 मोर्चे थे वहां पर शासन की आज तक यह परम्परा रही है कि कभी कोई मोर्चे के पास मंत्री या मुख्यमंत्री नहीं पहुंचा, लेकिन यह हमेशा हुआ है कि जो भी मोर्चे होते थे, उनमें से चार पांच लोगों को शासन के पास ले जाने की परम्परा रही है। जहां तक यह बात कि उनको कहा गया, आप अपना एक प्रतिनिधि मंडल ले जाइए, तो उनकी मांग थी कि पचास हजार लोग आये और यहां पर मंत्री को आना चाहिए था, तो उनकी भावना ठीक थी। मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कह रहा हूं। उनकी भावना को ध्यान में रखते हुए, जब आदिवासी कल्याण मंत्री के आने की बात हुई, तो उनका हाउस में चार से सात बिजनेस चल रहा था। इस कारण उन्होंने कहा कि बिजनेस समाप्त होने के बाद आ सकता हूं या उनका प्रतिनिधि मंडल आ सकता है। इस दुर्घटना को एक्सीडेंट कहें या जो कुछ भी कहें, लेकिन दुर्घटना हुई है। इस का अर्थ यह निकालें कि मात्र निर्मम हत्या करने की दृष्टि से गरीब गोवारी समाज पर यह किया गया, तो मतभेद हो सकता है। हम लोगों को यह चाहिए कि इस दुर्घटना के पीछे जो कुछ भी कारण है, उनकी निष्पक्ष रूप से जांच होनी चाहिए। इस निष्पक्ष जांच के लिए वन-मैन-कमीशन-हैडेड-बाई-रिटायर्ड-हाईकोर्ट-जज नियुक्त किया है और इसके साथ ही गोवारी समाज के माताओं, बहनों और भाइयों की जो जाने गई हैं, इसके बारे में भी राज्य शासन ने कुछ निर्णय लिए है। इसका मतलब यह नहीं है कि गोवारी समाज की माताओं, बहनों और भाइयों की जो जानें गई है, उनकी कोई पूर्ति हो सकती है। यह मामला काफी वर्षों से पैंडिंग है। 1985 जी. आर. विदड्रा करने के बाद जो परिस्थिति निर्माण हुई है, उससे 1956 से 1985 के गोवारी समाज के भाइयों ने आदिवासियों का सर्टिफिकेट प्राप्त किया है। उच्च शिक्षा और नौकरी आदि सभी में उनको फायदा मिला है। यह सभी बातें 1985 जी. आर. के विदड्रा करने की वजह से हुई । आज केन्द्र सरकार की सोशियल वैलफेयर मिनिस्ट्री की एक कमेटी के सामने मामला पैंडिंग है। यह कोई दल का प्रश्न नहीं है उनकी न्यायोचित मांग है, इसलिए इस पर जल्दी से जल्दी निर्णय होना चाहिए है। गोवारी समाज की पिछले वर्षों में जो क्षति हुई है, उसको ध्यान में रखते हुए, सरकार को उनके पक्ष में निर्णय करना चाहिए, ताकि इस समाज को फायदा हो सके।

श्री शिबु सोरेन (दुमका): अध्यक्ष महोदय, मैं खुद आदिवासी हू और आदिवासियों की हालत अच्छी तरह से जानता हूं यहां पर जो भी बात माननीय सदस्यों द्वारा की जा रही है उससे समस्या का हल नहीं होगा। सब लोगों का अपना-अपना दृष्टिकोण और विचार है, बहुत लम्बे भाषण की जरूरत नहीं है। कोई कहता है भगदड़ हुई, कोई कुछ कहता है। मेरा कहना यह है कि बात बहुत स्पष्ट है कि

कोई भी सरकार आदिवासी, हरिजनों की समस्या को हल नहीं करना चाहती है और यह जब पूर्व निर्धारित उनकी बात थी, विधान सभा के समक्ष जाने की, नागपुर आने की बात थी तो क्या सरकार इस बात को जानती नहीं थी। हम तो कहेंगे कि सरकार का उन आदिवासियों को जानवरों की तरह मार करके ठंडे करने का प्लान था, कि ऐसी मार मारेंगे फिर कभी आते–जाते रहते हो उसको भूल जाओगे। हम लोगों ने भोगा है।

महोदय, अब सिर्फ नागपुर की बात नहीं है, सारे देश की बात है। कहीं आदिवासियों को न्याय नहीं मिला है, हरिजनों को भी नहीं मिला है । आप जहां कहीं भी जाइए ये दो शब्द सुनने को मिलते हैं कि आदिवासी, हरिजन के नाम पर घड़ियाली रोना लोग रोते ही रहते हैं। चाहे कोई भी सरकार हो, कभी हम लोगों के तीर–धनुष पर बंदिश किया जाता है कि तुम इससे लोगों को मारते हो। मै तो झारखंड का आदमी हूं। अब बिहार में कोई शासन है ही नहीं। इसलिए हमारा कहना है कि ऐसे अत्याचार हो रहे हैं इस पर विचार करने के लिए सारे देश के आदिवासी प्रतिनिधि हो या समाज के कार्यकर्त्ता हों, ऐसे लोगों को एकत्रित करने का कोई एक तरीका बनाया जाए। उनका सेमिनार किया जाए, उनको समझाया जाए । कोई कहते हैं कि बच्चे लोगों को क्यों लाए, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि जहां आदिवासी काम करते हैं वे वहां अपने बच्चों को ले जाते हैं। जंगल में, मेले में सभी जगह ले जाते हैं।...**(व्यवधान)**...

महोदय, अतं में मेरा कहना यह है कि इसकी सरकार जिम्मेदार है और सरकार में रह कर जो लोगों ने ऐसा अन्याय किया है उनके विरूद्ध कार्यवाही होनी चाहिए। मंत्रियों को रिजाइन करना चाहिए।

श्री हरि किशोर सिंह (शिवहर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। यह बहुत ही अहम और संवेदनशील प्रश्न है। मैं इसलिए इस चर्चा में शरीक होना चाहता हूं कि सारे देश और दुनिया में इसकी चर्चा हुई है। हमारे देश के संबंध में जो एक चर्चा पश्चिमी देशों में है कि हमारा देश अभी अधंकार में हैं तो उसका यह एक उदाहरण आया है।

महोदय, यह दुर्भाग्य की बात है कि महाराष्ट्र में एक के बाद एक ट्रेजडी होती चली जा रही है। वहां भूकम्प आया उससे आज तक लोगों को सुविधा नहीं मिली है। अब यह ऐसा प्रश्न आ गया है। मेरी समझ में यह बात नहीं आती है मैं महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री जी का बहुत ही प्रशंसक रहा हूं लेकिन अब मुझे अपने विचार बदलने पड़ रहे हैं और मेरी समझ में यह बात नहीं आती है कि शरद पवार जी इतने अनुभवी नेता हैं, वह वहां पांच बजे तक मौजूद थे फिर उन्होंने किसी मंत्री को नहीं भेजा ...**(व्यवधान)**... महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि क्या बम्बई जाना जरूरी था। मैं चाहता हूं कि आप सदन की एक अविलम्ब कमेटी इसके लिए बनाइए जो वहां की बातों की तह में जाए। मैं एक बात यह कहना चाहता हूं कि क्या केन्द्र सरकार अपनी ओर से इसकी घोषणा नहीं कर सकती है कि उनको अनुसूचित जाति की सूची में शामिल कर लिया जाए। एक मेरा कहना यह है कि नैतिकता का प्रश्न आया है, जिम्मेदारी का प्रश्न आया है और स्वयं महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री जी ने अपने एक मंत्री से इस्तीफे की मांग की है।

चाहिए तो यह था कि वे स्वयं इस्तीफे की पेशकश करते, हाई कमान मानती या नहीं, यह बाद की बात थी, लेकिन गृह मंत्री को तो अवलिंब इस्तीफा दे ही देना चाहिए था।

अभी दत्ता मेघे जी बोल रहे थे, जो नागपुर से सांसद हैं और मुख्य मंत्री के दाहिने हाथ हैं, लेकिन इस तरह की घटना होने के बाद उन्होंने महाराष्ट्र सरकार की अकर्मण्यता की भर्त्सना में एक शब्द भी नहीं कहा।

अध्यक्ष महोदय, मैं विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि इस घटना के संबंध में इस सदन का एक शिष्टमण्डल नियुक्त किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: इस तरह से हर जगह इनवेस्टीगेशन में सदन को मत शामिल करिए।

श्री हरि किशोर सिंह : अध्यक्ष महोदय, 113 निहत्थे और असहाय लोगों की जानें गई हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपके सुझाव पर विचार किया जायेगा।

[हिन्दी]

श्री हरि किशोर सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि आज आदिवासी इलाकों में पटना से लेकर आंध्र प्रदेश तक 100 जिले हैं, जहां पर आदिवासी इलाके में दिन में तो जो है सो है , लेकिन रात में तो प्रशासन जा ही नहीं सकता है। इसलिए सरकार इस तरह के काम न करे और इस सदन की यह जिम्मेदारी है कि ऐसा कोई काम न हो, जिससे अशांति पैदा हो और पूरे देश में अराजकता की स्थिति बन जाए।

अध्यक्ष महोदय: माणिक राव जी, आप बोलिए और सिर्फ फैक्ट्स पर बात करिए, बातों को रिपीट मत करिए। आपको नए मुद्दे बताने हैं तो बताइए, नहीं तो कह दीजिए कि हम एंडोर्स करते हैं, सब ने जो कुछ कहा है।

श्री माणिकराव होडल्या गावीत (नन्दरबार) : अध्यक्ष महोदय, इस घटना में 113 गरीब लोगों की जानें गई हैं। इस जुलूस में किसी मंत्री के शामिल होने की पद्धति नहीं है, ऐसा अभी माननीय सदस्य बतला रहे थे, लेकिन मै बताना चाहता हूं कि आदिवासी कल्याण मंत्री मधुकर जी, वे विधान परिषद में व्यस्त थे, उन्होंने दूसरे मंत्री के पास डेलीगेशन भेजने के लिए कहा था उस वक्त में उनके चैंबर में ही मौजूद था, लेकिन वहां पर ऐसा कोई डेपूटेशन नहीं आया।

इस जुलूस के बारे में मेरे साथियों ने यहां पर बताया कि गुवारी समाज के लोग आदिवासी हैं, मैं खुद आदिवासी हूं और जानता हूं कि आदिवासी पर किस तरह से अत्याचार होते हैं। यहां पर आदिवासियों की जो लिस्ट बनाई गई उसमे 47 जातियां शामिल हैं और उसमें यह गुवारी जाति नहीं है। यह लिस्ट संसद में 3 बार रिवाइज हुई 1956 में, 1960 में और 1977 में, लेकिन कभी इस जाति को इस लिस्ट में शामिल नहीं किया गया। महाराष्ट्र ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने भी 1981 में अपनी रिपोर्ट में कहा है कि गुवारी जाति सवर्ण हिन्दू है। इसके बावजूद आदिवासी सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए दूसरे लोग इसमें शामिल होना चाहते हैं, घुसपैठ

करना चाहते हैं। मेरा किसी जाति से कोई झगड़ा नहीं है, मैं इनका विरोधी नहीं हूं, लेकिन यदि कोई गैर आदिवासी उन सुविधाओं को प्राप्त करना चाहें तो सही आदिवासियों के प्रति यह अन्याय है, इसका निवारण कौन करेगा, यह भी संसद के सामने एक सवाल है। मैं बताना चाहता हूं कि यह गौंड गुवारी जाति, इसकी 38000 आबादी विदर्भ में है और गुवारी समाज की आबादी ढाई लाख के करीब है। गुवारी जाति एड़वास जाति है, गौंड गुवारी गाय पालते हैं, जो सही आदिवासी हैं और लिस्ट में है, इसका मेरे पास सुबूत है, केन्द्र सरकार के कागजात हैं, हमने सब दिए हैं। भारत सरकार के समाज कल्याण विभाग ने अभी 13.10.93 को एक कमेटी नियुक्त की है, जिसके सामने भी यह सवाल आया है। मेरा अपने साथियों से अनुरोध है कि इस समिति का जो भी फैसला हो, वह होने दें, यह मेरी मांग है।

हमारे महाराष्ट्र में सभी दलों के विधायकों ने गुवारी जाति को आदिवासी जाति में शामिल करने का विरोध किया है।

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर): मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री माणिकराव होडिल्या गावीत: आप लोग हमें बोलने नहीं देते, हमारे ऊपर अन्याय होता है। हम आदिवासी हैं।

अध्यक्ष महोदय: इनका पाइंट आफ आर्डर है, पहले मुझे वह सुनने दीजिये।

श्री राम नाईक: मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि जो माननीय सदस्य ने कहा है कि सभी दलों के विधायकों ने मिलकर इस प्रकार का आश्वासन दिया है, तो मैं कहना चाहता हूं कि हमारे दल के किसी आदिवासी सदस्य ने ऐसा नहीं कहा है। माननीय सदस्य ने जो कहा है वह सही नहीं है, उनको यहां ऐसा करने का हक नहीं है।

श्री माणिकराव होडिल्या गावीत: बीजेपी, शिव सेना आदि सभी दलों के आदिवासी विधायकों ने कहा है।

[अनुवाद]

श्री शरद दिघे (मुम्बई उत्तर मध्य) : सभी विधायकों ने कहा है कि वे दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इसका विरोध कर रहे हैं।

श्री राम नाईक: यह आप कह रहे हैं, लेकिन यह सच नहीं है।

[हिन्दी]

श्री माणिकराव होडिल्या गावीत: 1988 में केन्द्र सरकार ने तय किया कि यह एडवांस जाति है, मेरे पास इसकी कापी है। लोग कहते हैं कि उनको जाति से निकाल दिया । मैं कहना चाहता हूं कि उनका नाम निकाला नहीं है, गौंड गुवारी जाति के नाम से जो फायदा वे लोग लेते थे, उसको वापस ले लिया गया है। यह जो दुखद घटना हुई उससे हम सबको दुख है। यह नहीं होना चाहिए था। गुवारी जाति के गरीब लोग हैं उनको शिक्षा के लिए सहूलियत देने के लिए प्रबन्ध किये जायेंगे, जैसी अन्य आदिवासी जातियों के लोगों को मिलती है, यह बात हमारे मुख्य मंत्री ने विधान सभा से कबूल की है। लेकिन आदिवासियों की लिस्ट में जो लोग नहीं है, वे सही आदिवासी नहीं माने जायेंगे इतना ही मेरा निवेदन है।

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर): महोदय, अब तक जो कुछ कहा जा चुका है, उसे दोहराये बगैर, मैं अतिरिक्त जानकारी के लिए एक या दो बातें और कहना चाहता हूं क्योंकि मुझे विश्वास है कि अब संपूर्ण मामले पर नये सिरे से विचार किया जायेगा। मैं जानकारी के लिए यह भी बताना चाहता हूं कि जब यह दुःखद घटना हुई उस समय मैं सीरिया की राजधानी दामरकस में था। यह समाचार मुझे हमारे भारतीय दूतावास के एक अधिकारी ने आकर दिया और मुझे बताया कि उन्होंने ऐसी घटना के बारे में सुना था वह इसके बारे में विस्तार से नहीं जानता था। उसने केवल यही कहा कि वहां भगदड़ मच गई और इस भगदड़ में महिलाओं और बच्चों सहित बहुत बड़ी संख्या में लोग मारे गये थे। वहां पर बहुत से लोगों को इसकी जानकारी मिली और महोदय, इस बात पर शर्मिन्दगी का अहसास हुआ । लोग यह पूछ रहे थे: यह क्या हो रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है?

जो भी हो, अब मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि यह प्रश्न केवल पुलिस की बर्बरता अथवा सरकार की निष्क्रियता का नहीं है बल्कि यह मामला पूरे न किये गये आश्वासनों और वायदों और प्रतिज्ञाओं का है। उस पहलू पर विचार किया जाना चाहिये।

परसों इस समुदाय के दो प्रतिनिधि आये और हमसे मिले। वे अन्य दलों से भी मिले। उनमें से एक आदिवासी गोवारी समाज संगठन महाराष्ट्र के अध्यक्ष श्री सुधाकर गजबे हैं तथा दूसरे विदर्भ आदिवासी माणा जमात कृति समिति, चन्द्रपुर को अध्यक्ष डा. रमेश गजबे हैं। उन्होंने वास्तविक स्थिति को दर्शाने वाला एक ज्ञापन हमें दिया है। मैं आपकी अनुमति से इसके केवल दो पैराग्राफ पढ़ना चाहता हूं।

2.00 म.प.

इसमें कहा गया है:

> "वास्तव में महाराष्ट्र सरकार ने दिनांक 5.8.1968 तथा 26 मार्च, 1979 के पत्रों द्वारा केन्द्र सरकार को तीन बार सिफारिश की है कि माणा और गोवारी समुदायों को अनुच्छेद 342 के अन्तर्गत राष्ट्रीय आदेश में अनुसूचित जनजाति के रूप में अलग से दर्शाया जाना चाहिये। इसके बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं की गई"।
>
> इसके पश्चात, 24.7.1993 के साथ-साथ 19.8.1994 को माणा और गुवारी नेताओं के साथ श्री शरद पवार ने केन्द्रीय कल्याण मंत्री श्री सीताराम केसरी से मुलाकात की और उनसे मौखिक अनुरोध किया कि इन समुदायों को अनुसूचित जनजाति आदेश में अलग दर्शाया जाना चाहिये। 1991 के आम चुनावों में तत्कालीन रक्षा मंत्री श्री शरद पवार ने चिमूर की एक चुनाव बैठक के दौरान वक्तव्य दिया था कि सरकार ने माणा और गोवारी को आदिवासी दर्जा देने के लिए प्रस्तावित सरकारी संकल्प को शामिल करने के लिए सभी आवश्यक कागजात तैयार कर लिए हैं और

चुनावों के बाद इसे तत्काल जारी कर दिया जायेगा। यह आश्वासन पूरा नहीं किया गया। चन्द्रपुर जिले में 18.4.1993 को वादसा देसाई गंज से बड़ी रेलवे लाइन का उद्घाटन करते हुए प्रधान मंत्री श्री पी. वी. नरसिंहराव की मौजूदगी में श्री शरद पवार ने लाखों लोगों की विशाल बैठक को संबोधित करते हुए एक स्पष्ट आश्वासन दिया था कि माणा और गोवारी समुदायों की समस्या को सुलझा लिया गया है और आदेश जारी किया जायेगा। इस सार्वजनिक आश्वासन के बाद भी ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया। इस पृष्ठभूमि में यह समझना मुश्किल है कि हमारी समस्या को क्यों नहीं सुलझाया जा सकता।

महोदय, मैं जो बात कहने का प्रयास कर रहा हूं वह यह है कि सिफारिशें की गई, एक बार प्रधान मंत्री की मौजूदगी में मुख्य मंत्री द्वारा इन लोगों से वायदे किये गये और आश्वासन दिये गये और फिर भी अभी तक कुछ भी नहीं किया गया है। अतः, इस पहलू पर विचार अवश्य किया जाना चाहिये क्योंकि यह विषय ऐसा नहीं है जिसे सुलझाया न जा सके। इसकी जानबूझकर उपेक्षा की जा रही है, इसे एक तरफ रखा जा रहा है और इसका परिणाम इस त्रासदी के रूप में आया है । अतः, जब संपूर्ण मामले की जांच कोई जांच समिति करने जा रही है तो उसे उच्चतम स्तर पर दिये गये आश्वासनों और वायदों से संबंधित सारे प्रश्नों पर विचार करना चाहिये तथा उन्हें यह भी देखना चाहिये कि उन्हें इस प्रकार निष्ठुरतापूर्वक भंग क्यों किया गया।

[हिन्दी]

श्री अन्ना जोशी (पुणे): अध्यक्ष जी, मेरी पहली मांग यह है जैसाकि मैंने अखबारों में पढ़ा है कि यदि प्रधानमंत्री जी ने इस मामले की जांच के लिये श्री अरविन्द नेताम को भेजा है तो आने वाली रिपोर्ट को इस सदन के सभापटल पर रखा जाये।

जैसाकि बताया गया है कि एक तरफ तो गुवारी समाज को इस प्रकार की सहूलियतें देने की मांग की गयी है कि इसमें केन्द्र की अनुमति ली जाये और इस प्रकार के प्रयास होते रहे हैं जबकि दूसरी तरफ वहां के कुछ एम. एल. एज ने डिमांड रखी कि इन लोगों को इतनी सहूलियतें देना ठीक नहीं है और वहां के चीफ मिनिस्टर गुवारी समाज को कहते रहे हैं कि मैं आपकी केन्द्र में वकालत कर रहा हूं परन्तु फिर 1985 में एक ऐसा आदेश निकाला गया कि जिनको सहूलियतें मिल रही हैं या जिनको स्टेट गवर्नमेंट की सूची में दिखाया गया है, वे विदड्रा की जाती है, तो यह आदेश क्यों निकाला? गोवारियों को सार्वजनिक रूप से आश्वासन देने के बावजूद भी इस प्रकार के आदेश वहां पर निकाले गये तो क्यों निकाले गये? अभी दत्ता साहब कह रहे थे कि उन्होंने अस्पताल का भ्रमण किया और उनके साथ श्री रामाराव आदिव मिनिस्टर भी थे और उन्होंने लाशें देखी।

एक भी मिनिस्टर वहां क्यों नहीं आया, यह हमारी समझ में नहीं आता। यदि आप लाशों को देखने जा सकते थे फिर मोर्चे के सामने जाने में क्या दिक्कत थी। आपके पास लाशों को देखने के लिये जाने का समय था लेकिन जिन्दा लोगों के पास जाकर खड़े होने का समय नहीं था और न आपने उनकी रिमांड को सुनकर कोई फैसला लेने का काम किया। यह मेरा तीसरा सवाल है।

मोर्चे को कंट्रोल करने के लिये इस तरह के जो बहाने बनाये जाते हैं ताकि उन्हें असफल घोषित किया जा सके, हमेशा सरकार की तरफ से ऐसे बहाने बनाये जाते हैं कि उसके बीच में कुछ ऐसे लोग आ गये जिन्होंने वहां पत्थरबाजी की और ऐसी हालत पैदा कर दी कि पुलिस को बीच में हस्तक्षेप करना पड़ा।

मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि महाराष्ट्र सरकार आदमी और आदमी में फर्क क्यों कर रही है। दूसरी जगह जो लोग मरे हैं उनके लिये कम्पेन्सेशन की दर अलग है लेकिन गोवारी आदिवासियों के मामले में, जो उस स्टाम्पीड में मारे गये, कम्पेन्सेशन की दर दूसरी है—ऐसा क्यों है। मैं समझता हूं कि इस मामले में भी आदिवासियों के साथ अन्याय किया गया है। मेरी मांग है कि उनको दिया जाने वाला कम्पेन्सेशन बढ़ाया जाये।

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण मध्य): अभी दत्ता मेघे जी ने कहा कि वे इस मामले मे विपक्ष की राजनीति देखते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। मै कहना चाहता हूं कि वहां विपक्ष के द्वारा जो बंद आयोजित किया गया, उसके पीछे लोगों की भावनाए थी, लोगों की सहमति थी लेकिन वहां की सरकार ने लोगों की आवाज दबाने के लिए उन्हें एक लाख रूपया दिया और वहां सौदेबाजी करने की बात की। दूसरे, विधान सभा मे आपकी पार्टी बहुमत में थी, उसी के बल पर हम विपक्षी लोगों द्वारा रखा गया नो कान्फीडैंस मोशन पारित नहीं हो सका। शरद यादव जी ने कहा कि ऐसी घटना क्यों हुई लेकिन वह तो होनी ही थी।

सदन में विलास मुत्तेमवार जी मौजूद हैं। उनका कहना था कि 60 फीट चौड़ा रास्ता वहां था लेकिन सरकार की भी जिम्मेदारी थी कि ऐसी व्यवस्था करती ताकि लोग सफ्फोकेशन से न मरने पायें। कितने लोग सफ्फोकेशन से मरे, कितने नहीं मरे, यह बात अलग है, जब गवर्नमेंट की रिपोर्ट आयेगी तो पता चलेगा लेकिन जब 60 फीट का रास्ता वहां था और पुलिस ने लाठी चार्ज किया तो पीछे से भाग सकते थे या नहीं भाग सकते थे। उसी वक्त मैंने पता किया तो मुझे मिनिस्टर्स ने भी बोला कि हमें कुछ पता नहीं था कि वहां क्या हुआ। पुलिस ने उन्हें कोई सूचना नहीं दी थी। मेरा मत है कि जब इतने लोग मारे गये तो उसी वक्त महाराष्ट्र सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिये था। आज सरकार सौदेबाजी क्यों कर रही है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उस घटना के आधार पर विपक्ष ने कोई फायदा उठाने की कोशिश नहीं की बल्कि बंद के पीछे लोगों की भावनाएं थी, महराष्ट्र की भावनाओं को देखते हुए वह आह्वान किया गया था।

[अनुवाद]

श्री शरद दिघे : महोदय, निःसंदेह जब मोर्चा आया तब इस घटना का घटित होना दुखद है और इसके परिणामस्वरूप 113 लोगों की मृत्यु हो गई थी।

मैं वह संवेदनशील बात रखना चाहता हूं जो इस विवाद के मूल में है। मेरे एक अन्य सहयोगी सदस्य ने कुछ उल्लेख किया है लेकिन हम सारी चर्चा का आधार इस बात को मानकर चल रहे हैं

कि यह गैर–विवादपूर्ण अथवा विवाद से परे है कि गुवारी लोग आदिवासी हैं। मैं आपके सामने केवल यह बात रखना चाहता हूं कि यह मुद्दा विवाद से परे नहीं है। जहां तक महाराष्ट्र का सम्बन्ध है, यह एक विवादित मुद्दा है और जैसा कि मेरे सहयोगी सदस्य ने बताया है कि सभी आदिवासी विधायकों ने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर ...**(व्यवधान)**

श्री अन्ना जोशी : जब बार–बार इसके लिए मना किया गया है तो वह क्यों इसके उल्लेख कर रहे हैं?

श्री शरद दिघे : गवारियों की इस मांग पर कि उन्हें अनुसूचित जातियों को सूची में शामिल किया जाये, आदिवासी विधायकों ने कहा है कि वे इसका पूरी शक्ति से विरोध करेंगे और वे नहीं चाहते कि गुवारियों को इस सूची में शामिल किया जाये।

यह विवाद 1967 में शुरू हुआ था। महाराष्ट्र सरकार और केन्द्र सरकार के बीच पत्र–व्यवहार हुआ था जिसमें इस विषय पर चर्चा की गई थी शामिल किया जाये अथवा नहीं। अब तक हमारे संविधान की अनुसूची में गुवारियों को अनुसूचित जनजाति के रूप में शामिल नहीं किया गया है। केवल गोंड गुवारियों को सूची में शामिल किया गया है। गुवारी को महाराष्ट्र की सूची में भी अनुसूचित जनजाति के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है। गोंड गुवारी, गुवारियों से अलग हैं। मेरे तर्क एक विशेषज्ञ समिति के निष्कर्षों पर आधारित हैं जिसने इस प्रकार कहा है। यह मामला आदिवासी शोध और प्रशिक्षण संस्थान, पुणे को भेजा गया था। इस संस्थान ने गुवारियों का उल्लेख करते हुए 17 जुलाई, 1981 को मामले को स्पष्ट करते हुए इस प्रकार जवाब दिया:

इस बात के कोई प्रमाण नहीं है...,... **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : अध्यक्ष महोदय, यह बहस किस बात के ऊपर हो रही है और माननीय सदस्य किस बात को कह रहे हैं और डिबेट कर रहे हैं? वहां लोगों की डैथ हुई है। आज इस बात को हम यहां उठा रहे हैं। वहां पर 113 लोग मारे गए हैं। हमने इस बात को उठाने का काम किया है।

[अनुवाद]

श्री शरद दिघे : इसीलिए मैंने कहा, "यह एक दुःखद घटना है।" इसमें कहा गया है: "इस बात के कोई प्रमाण नहीं हैं....."

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : फिर इस बात का जवाब देने के लिए हमें खड़ा होना पड़ेगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपको जवाब नहीं देना है।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : अध्यक्ष जी, गुमराह करने का काम नहीं होना चाहिए। जो डैथ हुई है उनके बारे में कहा जाना चाहिये।

[अनुवाद]

श्री श्रीकान्त जेना (कटक) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

सभा के सामने मामला नागपुर में हुई भगदड़ का था जिसमें 113 लोगों की मृत्यु हो गई। हम उस मामले पर चर्चा कर रहे हैं। यह प्रश्न कि गुवारी समुदाय को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किया जाये अथवा नहीं, चर्चा का विषय नहीं है। अगर चर्चा का विषय यह है तो प्रत्येक सदस्य को इसमें भाग लेना चाहिये और हम इस पर चर्चा कर सकते हैं।

दिघे जो दूसरा विषय लाकर मुख्य मुद्दे से ध्यान हटाने का प्रयास कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : अपनी बात कहकर आप कृपया बैठ जायें ताकि मैं इस मामले का निर्णय कर सकूं।

दिघे जी, गोंड गुवारी अथवा गुवारी लोग सूची में हैं या नहीं इस मुद्दे को छोड़ दीजिये क्योंकि सभा में दोनों पक्षों की ओर से तर्क पेश किये गये हैं और इस संबंध में वायदे किये गये हैं। अतः, यह मामला बड़ा जटिल हो गया है। आप इस सब बातों पर क्यों जा रहे हैं? कृपया इसे एक तरफ छोड़ दीजिये। केवल चर्चा के विषय पर ही बोलिये।

श्री शरद दिघे : मैं इस बात का उल्लेख इसलिए कर रहा हूं क्योंकि श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने यह कहते हुए इस पर बोलना आरंभ किया था कि बेचारे आदिवासी जब केवल अपनी मांगें लेकर आते है ...**(व्यवधान)**

श्री श्रीकान्त जेना : वास्तव में यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।

...(व्यवधान)...

श्री वसुदेव आचार्य : क्या आप इस घटना को उचित सिद्ध कर रहे है?

श्री शरद दिघे : मैं इसको उचित सिद्ध बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। मैं तो केवल कुछ तथ्य रख रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात संक्षेप में रखिये। सभी बातें सभा के सामने रखी जा चुकी हैं। हमारी चर्चा से गलतफहमी समाप्त होनी चाहिये। इससे गलतफहमी बढ़नी नहीं चाहिये। कृपया अपनी बात को संक्षेप में रखिये।

श्री शरद दिघे : मुझे यह पैरा समाप्त करने दीजिये।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधी नगर) : दिघे जी, चूंकि अपने इस प्रश्न को गुवारियों को आदिवासी होना चाहिये अथवा नहीं, चर्चा में बदलने का औचित्य सिद्ध करने का प्रयास किया है, आपने इस पर ध्यान दिया होगा।

आपने इस बात पर भी ध्यान दिया होगा कि वाजपेयीजी ने भी कहा है कि वह सभी अधिसूचनाओं इत्यादि के बारे में नहीं जानना चाहते। आज की बहस का मूल विषय यह है कि गुवारियों के इस प्रदर्शन का खराब संचालन और कुप्रबन्ध क्यों किया गया? सरकार इतनी गैर जिम्मेदार कैसे बन गई जिसके परिणामस्वरूप 113 लोगों को जानें गईं? बहस का मूल विषय यही है। निःसंदेह आदिवासियों के मुद्दे पर भी हमारा दृष्टिकोण है और आप जो कहते हैं, हम उस पर बहस कर सकते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे है क्योंकि आज बहस का विषय हर तरह से अलग है। अतः, विषय न बदलते हुए हमें चर्चा को समाप्त करने का प्रयास करना चाहिये।**(व्यवधान)**

श्री तरित बरण तोपदार (बैरकपुर) : अगर उन्हें अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया था तो रैली को इस प्रकार गलत ढंग से क्यों लिया गया?

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, इसप्रकार नहीं, कृपया अपनी बात संक्षेप में रखिये।

श्री शरद दिघे : महोदय, अगर आप मुझे अनुमति दें, तो मैं इस रिपोर्ट से पढ़ूंगा; अन्यथा मैं ऐसा नहीं करूंगा।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा करना आवश्यक नहीं है क्योंकि हम यह निर्णय नहीं कर पायेंगे कि उन्हें शामिल किया जाये, नहीं किया जाये, यह क्या है या वह क्या है। ....**(व्यवधान)**

श्री अन्ना जोशी : कृपया सभी को गुमराह करने का प्रयास मत कीजिये।

अध्यक्ष महोदय : वह गुमराह नहीं कर रहे हैं; वह हमें सही दिशा में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। वह अपना दृष्टिकोण रख रहे हैं।

श्री शरद दिघे : अगर आप यह नहीं सुनना चाहते कि समिति ने क्या कहा है तो मैं नहीं पढ़ूंगा। लेकिन मेरा कहना यह है कि इसके पीछे भी आदिवासी लोगों की मांग थी कि इन गोवारियों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल नहीं किया जाना चाहिये। अतः, 1967 से लेकर आज तक यह विषय विवादपूर्ण रहा है। ...**(व्यवधान)**

श्री अन्ना जोशी : इसीलिए उन पर लाठी-चार्ज किया गया।

श्री शरद दिघे : अभी मेरे मित्र श्री इन्द्रजीत गुप्त ने भी कुछ आश्वासनों का उल्लेख किया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आश्वासन दिये गये हैं। महाराष्ट्र सरकार सद्‌भमुच यह चाहती है कि अगर संभव हो तो उन्हें शामिल किया जाना चाहिये। और, इसीलिए, उन्हें शामिल करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : फिर उन्हें कौन रोक रहा है?

श्री शरद दिघे : लेकिन अभी तक इसका निर्णय नहीं किया गया है। और इसीलिए मुख्य मंत्री महोदय ने मध्य मार्ग अपना लिया है और उसके पश्चात उन्होंने उन्हें अलग श्रेणी में रख दिया जिसमें उन्हें वे सभी लाभ मिलेंगें जो आदिवासियों को मिलते हैं। इस प्रकार, यह मामला मुख्य मंत्री जी ने पूर्ण रूप से सुलझा दिया है। ....**(व्यवधान)**

श्री अन्ना जोशी : ऐसा कैसे हो सकता है?

श्री शरद दिघे : यह कैसे हो सकता है, यह मैं आपको बताऊंगा।

अध्यक्ष महोदय : यह बातचीत श्री दिघे और जोशी जी के बीच नहीं है।

श्री शरद दिघे : महाराष्ट्र में अनेक श्रेणियां हैं। खानाबदोश जनजातियों का संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है। लेकिन महाराष्ट्र में विशेष श्रेणियां उत्पन्न की गई और गुवारियों को उनमें से एक ऐसी श्रेणी में शामिल किया जायेगा जिसको आज के पश्चात् सभी विशेषाधिकार प्राप्त होंगे जो अनुसूचित जनजातियों को मिल ।.....**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : जोशी जी, क्या आप हस्तक्षेप करना बन्द करेंगे?

श्री शरद दिघे : महोदय, संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, अनुसूची में संशोधन करना पड़ेगा। जब तक ऐसा नहीं किया जाता तब तक महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें एक अलग श्रेणी में रखा है जहां वे, वे सभी शैक्षिक और सेवा संबंधी सुविधाएं ले सकेंगे, जो अनुसूचित जनजातियों को मिल रही हैं। अतः इस तरीके से महाराष्ट्र सरकार इस समस्या को सुलझाने का प्रयास पहले ही कर चुकी है।

जहां तक लाठी-चार्ज करने वाली घटना का सम्बन्ध है, उसके न्यायिक जांच के आदेश दे दिये गये हैं और केवल यही नहीं, जैसा कि मेरे पास जानकारी उपलब्ध है, एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को इसके लिए नियुक्त किया गया है। इस सारे मामले की जांच करने के लिए न्यायमूर्ति एस. डैनी को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है।

इस जांच के बाद यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसे दण्डित किया जाएगा और उसे दण्ड देना भी चाहिए। यह भी मेरी मांग है।

अतः इस दृष्टि से, इस मामले को महाराष्ट्र में होने वाले आगामी विधान सभा चुनावों में हथियार के रूप में नहीं लिया जा सकता है अथवा प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : जनता को तकनीकी और कानूनी मामलों के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं है। हमें उनको और भ्रम में नहीं डालना चाहिए। कृपया अब आप केवल इसी घटना के बारे में बताइए। इसके अतिरिक्त सभी तथ्य हमारे सामने मौजूद हैं। अतः उन्हें भी दोहराने की आवश्यकता नहीं है।

[हिन्दी]

श्री रामसागर (बाराबंकी) : अध्यक्ष महोदय, नागपुर में 23 नवम्बर को बहुत भारी तादाद में लोगों की निर्मम मौतें हुईं। .....**(व्यवधान)** यदि उत्तर प्रदेश में इस तरह की कोई घटना हुई है तो उसमें कार्यवाही हुई है।.....**(व्यवधान)** माननीय नेताओं ने जो दुःख व्यक्त किया, उससे हम भी दुःखी हैं। यदि मंत्री या अधिकारी चाहते तो इस घटना को बचाया जा सकता था। लापरवाही के कारण इतनी मौतें हुईं हैं। जैसा कि सभी सदस्यों ने कहा कि दोषी लोगों का पता लगाया जाना चाहिए, मैं भी उनकी बात का समर्थन करता हूं।

आखिरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन मांगों को लेकर आदिवासी आए थे, इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी उनपर विचार नहीं हुआ। उनकी मांगें जायज हैं, वे मानी जानी चाहिए। भारत सरकार को इस पर सोचना चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या सताधारी दल की ओर से कोई सदस्य ऐसा है जो मंत्री के रूप में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहता है?

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.वी. तंगका बालू) : अध्यक्ष महोदय, इस घटना के संबंध में कांग्रेस (आई) के अध्यक्ष एवं प्रधान मंत्री जी ने श्री अरविन्द नेताम को वहां जाने और उसकी

खबर देने के लिए पहले ही भेजा है। मेरे सहयोगी उस स्थान पर गये हैं। हम माननीय मंत्री श्री अरविन्द नेताम जी की रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : कब? उन्होंने अभी तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

श्री के.वी. तंग्का बालू : उन्होंने माननीय प्रधान मंत्री को रिपोर्ट दे दी है। **(व्यवधान)** जहां तक घटना का संबंध है, हम सब इससे चिंतित हैं। **(व्यवधान)** अन्य सदस्यों ने जो कुछ कहा, हम उसमें और कुछ जोड़ना नहीं चाहते हैं।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : इतनी चर्चा और इतने गंभीर विषय के बाद सरकारी पक्ष की तरफ से किस तरह का जवाब आ रहा है। ...**(व्यवधान)** इस तरह का जवाब सुनने के लिए हम लोग तैयार नहीं हैं। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री के.वी. तंग्का बालू : कृपया एक मिनट के लिए मेरी बात सुनिए **(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य : क्या यह वाद विवाद का उत्तर है? गृह मंत्री को आना चाहिए और वाद विवाद का उत्तर देना चाहिए। गृह मंत्री कहां है?

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुश) : सरकार द्वारा स्पष्ट रूप से इस घटना का खण्डन भी नहीं किया जा रहा है। **(व्यवधान)**

श्री बसुदेश आचार्य : इस मामले को बहुत ही हल्के तौर पर लिया जा रहा है।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अध्यक्ष जी, साधारणतया इस प्रकार की गंभीर घटना के बाद सरकार को स्वयं आकार सुओ–मोटो स्टेटमैंट देना चाहिए कि नागपुर में 23 नवम्बर को यह हुआ। इसके बजाए आज यहां पर सदन की ओर से, सदस्यों की ओर से, विपक्ष के नेताओं की ओर से बहस उठाई गई जिसमें सब लोगों ने भाग लिया, सब लोगों ने चिन्ता व्यक्त की और मंत्री जी खड़े होकर कहते हैं कि नेताम जी ने रिपोर्ट तो दे दी है लेकिन वह प्रधानमंत्री के पास है, हमारे पास नहीं है। ये क्या बताने के लिए खड़े हुए हैं। कम से कम इतना तो एक्सपैक्टेड था कि यदि केन्द्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री जी ने नेताम जी को भेजा था तो वे रिपोर्ट लेकर यहां पर आते, हमारे सामने प्रस्तुत करते और उसके आधार पर जवाब देते। कल्याण मंत्री जी उपस्थित नहीं हैं। इस प्रकार की गंभीर बहस का जवाब देने का यह कैसा तरीका है। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री तरित वरण तोपदार : आपकी इच्छा के विपरीत, मंत्री महोदय और भ्रम पैदा कर रहे हैं। **(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य : प्रधान मंत्री जी कहां है? बात यह है कि इतनी गम्भीर घटना घटी है और सरकार इतनी गैर जिम्मेदार है।

[हिन्दी]

श्री चन्द्र शेखर (बलिया) : अध्यक्ष जी, मैं एक बात कहूं? मंत्री महोदय से आप इतने नाराज क्यों होते हैं?

कई माननीय सदस्य : हम मंत्री से नहीं, सरकार से नाराज हैं।

श्री चन्द्र शेखर : मेरी एक बात सुन लीजिए।

अध्यक्ष महोदय, मैं नहीं जानता कि आप इनसे क्या अपेक्षा करते हैं। क्योंकि, अखबार में जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के अनुसार कांग्रेस प्रेसीडेंट ने अपने एक कुलीग को वहां भेजा था। कांग्रेस पार्टी की रिपोर्ट क्या है, यह मंत्री महोदय नहीं जानते हैं, कांग्रेस प्रेसीडेंट साहब जानते हैं, जो संयोगवश प्राइम मिनिस्टर भी हैं। तो अब यह तय करना पड़ेगा कि वह रिपोर्ट पार्लियामेंट को देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं। इस बेचारे मंत्री को तो उसका पता भी नहीं होगा तो इसमें नाराजगी क्या है।

अगर यह सदन अपेक्षा करता है कि कांग्रेस पार्टी की सारी एक्टीविटीज की जानकारी तंग्का बालू जी को है तो यह एक दुखद बात होगी। हम समझते हैं कि नेता विरोधी दल ने जो सवाल उठाया है, इसका जवाब प्रधान मंत्री जी को देना चाहिए। क्योंकि यह केवल एक सवाल नहीं है। यह स्टेट और सैण्टर के रिलेशन का भी सवाल है। इसमें वह कहां तक जाना चाहते हैं, उसका प्रधान मंत्री जी आकर जवाब दें। अगर उनको फुरसत न हो तो गृह मंत्री जी जवाब दें। इन बेचारों पर नाराज होना और इनसे जवाब–तलब करना सही नहीं है।

[अनुवाद]

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : सरकार को सही मायने में अपना दुःख व्यक्त करना चाहिए। इसमें क्या है? **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आपने मामला उठाया है। आपको जो कुछ भी कहना अथवा व्यक्त करना है, उनका वक्तव्य समाप्त होने के बाद आप भी ऐसा कर सकते हैं। कम से कम वह जो बोलना चाहते हैं, उन्हें बोलने दीजिए।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : सब लोगों ने जो कुछ पहले कह दिया है, उसमें उन्हें और कुछ जोड़ना नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : उनकी बात सुनने के बाद आप भी ऐसा ही कर सकते हैं।

श्री के.वी. तंग्का बालू : अध्यक्ष महोदय, हम इस मामले के प्रति बहुत गम्भीर हैं। हम हल्के तौर पर नहीं ले रहे हैं। हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी ने वास्तविकता का पता लगाने के लिए मेरे साथी श्री अरविन्द नेताम जी को वहां भेजा है। तत्पश्चात श्री अरविन्द नेताम उस स्थान पर गये और उन्होंने माननीय प्रधान मंत्री जी को रिपोर्ट दे दी है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य जी, वह जो कुछ कहना चाहते हैं उसे सब सुनना चाहते हैं। कृपया आप अपना भाषण जारी मत रखिए। जब वह अपना वक्तव्य समाप्त करें तब उसके बाद आपकी कोई शिकायत है, तो आप रख सकते हैं।

श्री के.वी. तंग्का बालू : स्थिति की गम्भीरता को देखते हुए, कांग्रेस (आई) के अध्यक्ष एवं माननीय प्रधान मंत्री जी ने श्री अरविन्द नेताम को वहां भेजा है। श्री अरविन्द नेताम वहां गये और वहां जो कुछ घटित हुआ है उन्होंने उसकी सूचना दी है। हम भी अन्य माननीय सदस्यों की तरह ही इस मामले पर चिन्तित हैं। इस समय में सदन को समुदाय की स्थिति के सन्दर्भ में यह सूचित करना चाहूंगा कि इसके लिए पहले से ही एक समिति है जो इस मामले के गुण–दोष पर विचार कर रही है। रिपोर्ट मिलने के बाद, हम सदन में उसे रखेंगे यह मामले का एक पक्ष है।

जहां तक घटना का संबंध है, सरकार निस्सन्देह रूप से सदन में वे तथ्य प्रस्तुत करेंगी कि आखिर वहां पर क्या हुआ था। हम शीघ्र ही तथ्यों को सदन में प्रस्तुत करेंगे। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप बैठ जाइए। मेरा अनुमान था कि सरकार इस मामले पर तैयार होगी। यदि आप सदन के समक्ष घटना की वास्तविक स्थिति एवं इस जटिल मामले के संबंध में वास्तविक स्थिति रख सकते हैं तो आपको रखना चाहिए। अन्यथा, यदि इस प्रकार की कोई घटना घटी हो और हालांकि यदि सभी सदस्य बिना किसी को जिम्मेदार ठहराये परन्तु अपने विचारों को क्या हुआ उसे समझने की कोशिश करते हुए बहुत ही उत्तरदायित्वपूर्ण ढंग से व्यक्त किये हैं तो उनका यह हक बनता है कि वे आप से यह जानकारी हासिल करे कि वास्तव में क्या हुआ है।

श्री के.वी. तंग्का बालू : हम आपकी बात मानेंगे।

अध्यक्ष महोदय : किसी ने किसी के खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाया है। आपको उसके लिए तैयार रहना चाहिए। आपको यह अनुमान लगाना चाहिए था कि वहां क्या हुआ है।

2.30 म.प.

सभा पटल पर रखे गए पत्र

खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 और कोयला खान भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1948 आदि के अन्तर्गत अधिसूचनाएं।

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री का अतिरिक्त कार्यभार (श्री पी.ए. संगमा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 748 (अ), जो 11 अक्तूबर 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 की दूसरी अनुसूची में, उक्त अधिनियम की धारा 28 की उपधारा (1) के अधीन कतिपय संशोधन किये गये हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। (ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल.टी–6468/94)

(2) कोयला खान भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1948 की धारा 7क के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) कोयला खान भविष्य निधि (संशोधन) योजना, 1994, जो 6 अगस्त, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 390 में प्रकाशित हुई थी।

(दो) आन्ध्र प्रदेश कोयला खान भविष्य निधि (संशोधन) योजना, 199 , जो 6 अगस्त 1994 के भारत के राजपत्र में आधेसूचना संख्या सा.का.नि. 391 में प्रकाशित हुई थी।

(तीन) राजस्थान कोयला खान भविष्य निधि (संशोधन) योजना, 1994, जो 6 अगस्त 1994 के भारत राजपत्र मे अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 392 में प्रकाशित हुई थी। (ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल.टी–6469/94)

(3) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) सिंगरेनी कॉल्यरिज कम्पनी लिमिटेड, खम्मम के वर्ष 1993–94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) सिंगरेनी कॉल्यरिज कम्पनी लिमिटेड, खम्मम का वर्ष 1993–94 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रकमहालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। (ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल.टी–6470/94)

तेलक्षेत्र (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं तथा कोचीन रिफाइनरीज लिमिटेड, एर्नाकुलम के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.वी. तंग्का बालू) : कैप्टन सतीश शर्मा की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) तेलक्षेत्र (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 1948 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(एक) पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस (संशोधन) नियम, 1994, जो 12 सितम्बर, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 686 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) का.आ. 666 (अ), जो 12 सितम्बर, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा तेलक्षेत्र (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 1948 की अनुसूची में कतिपय संशोधन किये गये है और 1 अप्रैल, 1990 से 31 मार्च, 1993 की अवधि के लिए कासिंग–हैड कन्डेंसेट पर रायल्टी की दर बढ़ाई गई है। (ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल.टी. 6471/94)

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) कोचीन रिफाइनरीज लिमिटेड, एर्नाकुलम के वर्ष 1993–94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कोचीन रिफाइनरीज लिमिटेड, एर्नाकुलम का वर्ष 1993–94 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। (ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी.– 6472/94)

2.30 ½ म.प.

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति

महासचिव : महोदय, मैं 29 जुलाई 1994 को सभा को सूचित करने के पश्चात तथा पिछले सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित ग्यारह विधेयक सत्र पटल पर रखता हूं :

(1) मणिपुर विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 1994,

(2) जम्मू–कश्मीर विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 1994,

(3) विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 1994,

(4) विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक, 1994,

(5) विनियोग (संख्यांक 5) विधेयक, 1994,

(6) नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक, 1994,

(7) विनियोग (रेल) संख्यांक 4 विधेयक, 1994,

(8) विनियोग (रेल) संख्यांक 5 विधेयक, 1994,

(9) संविधान (छिहत्तरवां संशोधन) विधेयक, 1994,

(10) मोटरयान (संशोधन) विधेयक, 1994,

(11) बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय विधेयक, 1994

(दो) मैं, दसवीं लोक सभा के ग्यारहवें सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित चार विधेयकों की, राज्य सभा के महासचिव द्वारा यथाअधिप्रमाणित प्रतियां भी सभा पटल पर रखता हूं :

(1) भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण विधेयक, 1994,

(2) नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड (विद्युत शक्ति पारेषण प्रणाली का अर्जन और अंतरण) विधेयक, 1994,

(3) प्रसवपूर्व निदान तकनीक (विनियमन और दुरूपयोग निवारण) विधेयक, 1994

(4) विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 1994,

2.33 म.प.

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 3.35 म.प. तक के लिए स्थगित हुई।

[अनुवाद]

3.40 म.प.

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 3.40 म.प. पर पुनः समवेत हुई।

(श्री तारा सिंह पीठासीन हुए)

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) देश के पर्वतीय क्षेत्रों, विशेषकर हिमाचल प्रदेश में वन लगाने के लिए उपाय करने की आवश्यकता।

[हिन्दी]

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी (शिमला) : महोदय, देश के पर्वतीय क्षेत्र में वनों का कटान होने के कारण कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश, उत्तरप्रदेश, सिक्किम, असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और नागालैंड तक अधिक बरसात होने के कारण भूमि का कटाव हो रहा है। क्योंकि उन क्षेत्रों में बहुत भारी पेडों के कटने से भूस्खलन हुआ है जिससे सिंचाई और पनबिजली योजनाओं को भारी क्षति पहुंच रही है और किसानों की हजारों एकड़ उपजाऊ भूमि हर वर्ष इस कटाव के कारण नष्ट हो रही है। मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि पहाडी क्षेत्रों में जहां–जहां पेड नहीं है वहां के किसानों को सरकारी भूमि पर पेड़ भी लगे और उनकी आर्थिक स्थिति भी सुदृढ हो। राज्य सरकार के पास धन का अभाव है और इसके लिए भारत सरकार को ऐसी पहल करनी चाहिए जिससे कि पहाडी क्षेत्र के पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सके। यह तभी संभव हो सकता है कि यदि केन्द्र सरकार इस विषय को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बातचीत कर क्रियान्वयन करे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो राष्ट्र पर्यावरण क्षति के लिए चिंतित है इन सबका सहयोग पहाडी क्षेत्रों में वनों के विकास के लिए लिया जाना चाहिए।

[अनुवाद]

(दो) भारतीय वन सेवा परीक्षा के लिये बी.एससी (वानिकी) को अनिवार्य महर्ता बनाने की आवश्यकता

प्रो. सावित्री लक्ष्मणन (मुकुन्दपुरम): वानिकी शिक्षा के संबंध में कृषि संबंधी राष्ट्रीय आयोग, 1976 की सिफारिशों के अनुसार गत दशक के दौरान कई कृषि विश्वविद्यालय आरंम्भ किये गये थे जिसमें वानिकी बी.एससी. की उपाधि के लिए चार वर्ष का पाठ्यक्रम रखा गया।

अन्य पेशेवर पाठ्क्रमों की तरह वानिकी महाविद्यालय के छात्रो को बी.एससी की उपाधि के लिए एक पाठ्यक्रम पूरा करना होता है जो उस क्षेत्र के लिए अत्यन्त उपयोगी लाभदायक है। चार वर्षों की अवधि के दौरान वानिकी छात्रों को भू–विज्ञान और मृदा, मृदा विज्ञान, वन मृदा, सूक्ष्मजीव विज्ञान, वन अभियान्त्रिकी आदि के साथ–साथ वन विज्ञान, लकडियों की कटाई, वन प्रबन्धन, वन्यजीव प्रबन्धन, पौद्योगिकी, वन उद्योग, वन तालिका तैयार करना, सामाजिक वानिकी, वन रोग निदान–विज्ञान, वन की उपयोगिता, वन प्रशासन इत्यादि जैसे पाठ्यक्रम पढने पडते हैं। इसके अतिरिक्त छात्रो को वन रेंज प्रशिक्षण, हशियार प्रशिक्षण आदि भी दिया जाता है।

राष्ट्रीय वन नीति, 1988 से यह स्पष्ट है कि कृषि विश्वविद्यालयों से उत्तीर्ण पेशेवर वानिकी स्नातकों की सहायता से राज्य वन सेवा तथा भारतीय वन सेवा की जनशक्ति आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है। अतः मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करती हूं कि भारतीय चिकित्सा सेवा इंजीनियरिंग सेवा आदि की तरह ही भारतीय वन सेवाओं की प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने के लिए बी.एस.सी. वानिकी को मूल अर्हता बनाने के निर्देश दिये जाये।

(तीन) विकलांग लोगों के पुनर्वास के लिए एक व्यापक योजना बनाने की आवश्यकता

श्री विजय कृष्ण हान्डिक (जारेहाट) : इस वर्ष विश्व भर में 3 दिसम्बर को विश्व विकलांग दिवस मनाया गया फिर भी हमारे देश के विकलांग एक उपयुक्त विधान की अभी प्रतीक्षा कर रहे हैं जो कि दया के रूप में नहीं अपितु उनके अधिकार के रूप में दिया जाना चाहिये।

विकलांग व्यक्ति (सुरक्षा और पुनर्वास) विधेयक 1981 कानून का रूप नहीं ले सका। विकलांगों के लिए विधान बनाने के लिए 1987 में गठित बहरूल इस्लाम समिति के प्रतिवेदन में अन्य बातों के साथ-साथ निःशुल्क और सभी के लिए प्रारम्भिक शिक्षा सरकारी और निजी क्षेत्रों में नौकरियों में आरक्षण, भवन उप-विधान में संशोधन के द्वारा भवनों तक सुलभता। उपगम्यता तथा जनगणना में विकलांगता की सीमा तथा आधिक्य का मूल्यांकन आदि की सिफारिशें की गई थी। 1988 में प्रस्तुत प्रतिवेदन को अभी तक लागू नहीं किया गया है।

विकलांगों के पुनर्वास के लिए हमने जो प्रयास किये हैं उससे हमारे समाज की छवि प्रभावित हुई है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि न केवल विकलांगों के अधिकार के बारे में विधान तैयार करने के लिए तुरन्त कदम उठाये जायें अपितु उनके पुनर्वास के लिए व्यापक योजनायें भी तैयार की जाये।

(चार) केरल के कन्नानौर में विकास केन्द्र शीघ्र स्थापित करने की आवश्यकता

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन (कन्नानौर) : सभापति महोदय, कन्नानौर केरल के उन दो जिलों में से एक था जिन्हें औद्योगिक विकास केन्द्र स्थापित करने के लिए चुना गया था। कन्नानौर की जनता वहां पर औद्योगिक विकास केन्द्र की स्थापना के कार्य को शुरू करने में हुए अत्यधिक विलम्ब के कारण बहुत चिंतित है। यदि कार्य में और अधिक विलम्ब होता है, तो योजना का उद्देश्य ही समाप्त हो जायेगा और लागत में वृद्धि आदि के कारण परियोजना प्रभावित होगी।

अतः, मैं सरकार से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध करता हूं कि कन्नानौर में विकास केन्द्र की स्थापना करने और उसे चालू करने के लिए तुरन्त कदम उठाये जायें।

(पांच) बिहार के भोजपुर और बक्सर जिलों को समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लाने और इन जिलों के विकास के लिए पर्याप्त धन राशि उपलब्ध कराने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री तेज नारायण सिंह (बक्सर): सभापति महोदय, भारत सरकार ने 1993-94 के बजट में यह प्रावधान किया है कि मुख्य सड़क से गांव को जोड़ने के लिए पक्की सड़क बनाई जाएगी एवं उनके लिए हरेक क्षेत्र में भारत सरकार की तरफ से पैसा भेजा जाएगा। हमारे यहां की जितनी भी मुख्य सड़के हैं, उनमें से किसी भी सडक को गावों से जोड़ने के लिए पैसा नहीं गया है। स्थिति तो यह है कि मुख्य सड़कों की हालत ही खराब है। चाहे वह चौसा से धनसई रोड हो या बक्सर से दीनारा रोड हो या वसदेवा से सोनथरला रोड या बोहिया चोरस्ता से गौरा बाजार रोड हो या बोहिया चौरस्ता से पीरो रोड। इन सभी सड़कों की हालत ठीक नहीं है। इन सड़कों से कच्ची सड़कें ठीक है। इन मुख्य मार्गों के खराब हो जाने के कारण किसानों को बहुत घाटा हो रहा है। गांव के किसानों को सस्ते दर पर सामान बेचना पड़ता है।

अतः केन्द्र सरकार से मेरा आग्रह है कि बक्सर एवं भोजपुरा जिलों के गावों के सर्वांगीण विकास के लिए तथा गावों की सडकों को मुख्य मार्ग से जोड़ने के लिए इन जिलों को समन्वित ग्रामीण विकास योजना के अन्तर्गत शामिल किया जाए तथा इस निमित्त पर्याप्त धनराशि शीघ्र उपलब्ध कराई जाए।

(छः) अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्ग के छात्रों कल्याण के के लिए गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में डा. भीमराव अम्बेडकर छात्रावास का निर्माण करने की आवश्यकता

[हिन्दी]

डा. रमेश चन्द तोमर (हापुड़): मेरे संसदीय क्षेत्र हापुड़ की जनसंख्या 29 लाख है, जिसमें दलित आबादी 8 लाख है। गावों से आने वाले दलित एवं पिछड़े वर्ग के छात्रों को अत्याधिक यात्रा किराया तथा शहरों में मंहगे किराए के मकान होने के कारण अपनी पढ़ाई बीच में ही छोडनी पड़ती है, जिससे दलित एवं पिछड़े वर्गो के प्रतिभाशाली छात्र भी पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं। दलित छात्र गाजियाबाद में एक डा. अंबेडकर छात्रावास खोलने की मांग कर रहे है, जिसमें कि ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले दलित एवं पिछड़े वर्गों के छात्रों को रहने की सुविधा मिले, परंतु इस ओर अभी तक सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है।

मैं माननीय मंत्री महोदय से आपके माध्यम से मांग करता हूं कि गाजियाबाद में हरिजन, पिछड़े वर्ग के छात्रों की रहने की समस्या को देखते हुए डा. भीमराव अंबेडकर छात्रावास खोलने की स्वीकृति देने का कष्ट करें, जिससे कि होनहार छात्र अपनी पढ़ाई आगे जारी रख सकें, जो कि आवास के कारण अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं।

[अनुवाद]

(सात) सुन्दरवन क्षेत्र के समग्र विकास के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को केन्द्रीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता

श्री सनत कुमार मंडल (जयनगर): पश्चिम बंगाल में सुन्दरवन क्षेत्र की जनसंख्या बहुत ही कम है। वहां के निवासी दशकों से एक ही फसल, अर्थात् मछली पकड़कर या जंगलों से पेड़ काट कर अथवा शहद इकट्ठा करके अपनी जीविका कमाते रहे हैं।

राज्य सरकार ने पिछडे क्षेत्र सुन्दरवन के विकास के लिए संसाधनों के आकलन और धमार्थ तथा विद्यमान मूलभूत सुविधाओं की गुणवत्ता और व्याप्ति के आधार पर समेकित कार्यक्रम बनाने और उसके कार्यान्वयन के लिए वर्ष 1963 में सुन्दरवन विकास बोर्ड का गठन किया था। गत दो दशकों मे सुन्दरवन विकास बोर्ड ने इस संबध मे कुछ योजनाये तैयार की थी, और कार्यक्रम बनाया था। चूंकि सुन्दरवन क्षेत्र की मूलभूत समस्याओ से निपटने के लिए पर्याप्त धनराशि नही थी अतः बाह्य सहायता प्राप्त करने की सभावनाओं का पता लगाया गया था और विश्व बैंक द्वारा प्रायोजित कृषि विकास संबधी अतर्राष्ट्रीय निधि के सहयोग से इस क्षेत्र के लोगों, विशेषकर छोटे और सीमान्त किसानों की आर्थिक दशा मे सुधार के लिए एक विकास योजना चलायी गयी थी। इस परियोजना से सिंचाई की सुविधाये उपलब्ध करा कर कृषि उत्पादन क्षमता मे काफी वृद्धि की जा सकी। यह परियोजना जून, 1989 मे समाप्त हो गई।

विकास की गति बनाये रखने के लिए, पश्चिम बंगाल सरकार ने सुन्दरवन विकास योजना चरण–2 जो पांच वर्ष के लिए है और जिसपर 67.50 करोड रुपये व्यय होगे, केन्द्रीय सरकार को पिछले वर्ष भेजी थी ताकि उसके लिए बाह्य सहायता की सम्भावना का पता लगाया जा सके क्योकि योजना व्यय के किसी भाग को पूरा करने के लिए राज्य सरकार के पास पर्याप्त साधन नहीं है। अतः मेरा केन्द्रीय सरकार से अनुरोध है कि इस अत्यंत पिछडे क्षेत्र के विकास के लिए विशेष निधि का आवटन किया जाये।

सभापित महोदय : अब हम कार्य सूची की अन्य मदो को लेते है।

3.52 म.प.

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के पूर्व आयुक्त के अट्ठाइसवें और उनतीसवें प्रतिवेदनों और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के राष्ट्रीय आयोग के पांचवे, छठे, सातवें और आठवें प्रतिवेदनों के सम्बन्ध में प्रस्ताव–जारी

सभापित महोदय : अब हम कार्य सूची की अगली मद पर चर्चा करेंगे। श्री सत्यनारायण जटिया बोल रहे थे। वह अपना भाषण जारी रख सकते है।

[हिन्दी]

श्री सत्य नारायण जटिया (उज्जैन) : माननीय सभापतिजी, हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा इस प्रस्ताव के माध्यम से कर रहे है। जिसको माननीय मंत्री श्री थंका बालूजी ने रखा है। अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगो के लिए जो आयुक्त ने प्रतिवेदन प्रस्तुत किये है उनके बारे में यहां चर्चा की जा रही है। स्थिति इस प्रकार है कि जहा हम नारों–वादो मे, कार्यक्रमों में अनुसूचित जाति के लोगो के बारे मे अपनी चिन्ता व्यक्त करते है, किन्तु व्यवहार में स्थिति ऐसी है कि इसके बारे में कोई विशेष ध्यान दिया जा रहा हो, ऐसा दिखाई नही देता है। यह केवल ओपचारिकता मात्र है। हम यहा बोलने के लिए बोलते हैं, कार्यक्रम होने के लिए होते हैं, किन्तु उसका परिणाम कुछ नही आता है। स्वय अनुसूचित जाति और जनजाति के आयुक्त ने अपना प्रतिवेदन रखते हुए कहा है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सवैधानिक प्रावधानों के अनुपालन पर वर्ष 1986–87 के लिए मै यह रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा हू। ऐसा उन्होने अपने प्राक्कथन मे लिखा है। क्योकि आयुक्त का पद 24.11.1981 से 10.2.1986 तक खाली रहा इसलिए रिपोर्ट लगभग सात वर्ष के बाद तैयार हुई। जिस बारे में हमारी बहुत चिन्ता है और हम बहुत कुछ करना चाहते है, जिस बारे मे हम बहुत फिक्रमंद है, उनके बारे मे रिपोर्ट का सात वर्ष तक न आना क्या आभास कराता है और हमारी क्या चिन्ता है? आज हम 12 वर्ष के बाद इस पर चर्चा कर रहे है। इसका मतलब यह है कि जो हम बोलते है, जो कुछ हम करना चाहते है उसका प्रभाव नही होता है। वह व्यवहार मे नही आता है। हमने भारत के संविधान में उल्लेख किया है कि हमारे संविधान मे एक ऐसे समतावादी समाज की व्यवस्था स्थापित करने की कल्पना की गई है जिससे धर्म, वंश, लिंग के नाम पर कोई बात नही होगी, बिना किसी भेद के सभी वर्गों के लिए न्यायसमक्ष स्थान हो और समाज में सभी का एक स्थान होगा। न्याय समता की भावना हमारे संवैधानिक आयोजन की मूल प्रेरणा है और उसी से वह ओतप्रोत है। संविधान मे आगे लिखा है कि हम भारत के लोग प्रभुतासम्पन्न, समाजवादी, पथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य बनाने के लिए तथा इसमे समस्त नागरिकों के रहने का न्याय प्रदान करने का सकल्प लेते है। लेकिन इसके कार्यान्वयन मे हमारी जो मानसिकता है, वह क्या प्रकट करती है।

ऐसा लगता है जैसे हम कहते कुछ है और हमारा मन कुछ और है, बोलते कुछ और है। ऐसा लगता है जैसे:

> मन की आशा लेकिन जीवन का विश्वास न बदला
> क्या बदला जब मानवता की पीडा का इतिहास न बदला
> बदल गया है कुछ लोगो का जीवन,
> लेकिन आसू पीने वालो का परिवार वही है
> केवल बधन बदले, कारागार वही है।

इसलिये उन सारी बातों को देखते हुये यह सोचा जाये कि हम कुछ करना चाहते है लेकिन इस परिवेश में परिवर्तन कैसे लायेगे? किन्तु सोचने और करने मे बहुत दूरी है। और वह मजबूरी समझ मे नही आ रही है।

सभापति महोदय, आज हमारे देश की कुल आबादी का एक चौथाई भाग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का है। हमारे सविधान मे अनेक कामो को करने के लिये प्रावधान किये हुये है और उसमे नियम और विनियम बने हुये है। इन कार्यक्रमो मे अस्पृश्यता निवारण, इनपर अत्याचार रोकने का कार्यक्रम, भूमि कृषि आवास कार्यक्रम और शिक्षित करने के कार्यक्रम सम्मिलित हैं। इनसे उनका आर्थिक विकास हो सकता है। हम उनके आदिवासियों के विकास के लिये चिन्तित है। हम उनके निर्धनता निवारण का कार्यक्रम भी लेना चाहते हैं, उनकी सभाओ मे प्रतिनिधित्व देना चाहते है और यहा तक कि संसद, विधानसभा और राजनैतिक दृष्टिकोण से क्षमता प्रदान करना चाहते हैं लेकिन होता नही है। और जब नही होता है तो रोते है और वही के वही रहते हैं। वह आदमी सेता है तो उसके दर्द को

कौन मानता है और उनके रोने पर उनके आंसू कौन पोंछता है? तो पूरे कशिश के साथ एक संकल्प के साथ पूरे करने की आवश्यकता है। यदि निश्चित संकल्प के साथ किया होता तो उस वर्ग को हम लाभान्वित कर सकते थे अन्यथा स्थिति यह बन रही है कि

किश्तियां जिसकी हमने बनाई, मांझी बनकर पतवार चलाई,
वे ही अब हमारी किश्तियां जलाकर चिल्ला रहे हैं, बचाओ, बचाओ।

ऐसा हल्ला करने से काम नहीं चलेगा और यदि इनको बचाना है तो हमें उनके साथ जाना होगा। आज गांव के खेतिहर लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसके बारे में परिवर्तन कितना सार्थक हो सकता है, वह कैसे कारगर हो सकता है, यह एक चिन्ता का विषय है। इसलिये हम बहुत सारे प्रावधान करते हैं और अनेक प्रकार के उपाय करते हैं। हम बहुत कुछ कर चुके हैं, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। हमने यथासंभव क्या किया, यह मालूम ही नहीं है। एक संकल्प शक्ति के साथ असंभव को संभव करना होगा। इन सब में परिवर्तन लाये बिना काम नहीं चल सकता है। इन सारी बातों को जब तक आर्थिक व्यवस्था के आधुनिक क्षेत्र में न्याय, समानता के संदर्भ में नहीं देखेंगे, तब तक कोई सुखद स्थिति का अहसास हम लोग नहीं कर पायेंगे। हमारी राष्ट्रीय जीवन में असमानता और जनमत आधार पर न केवल कायम है बल्कि और भी मजबूत होता चला जा रहा है। यह एक विडम्बना है और हम आज इस मोड़ पर आ पहुंचे हैं कि आज आर्थिक विकास में जीवन के स्तर पर अन्याय की बात कहनी पड़ रही है जबकि इन संरक्षणों पर विचार कर रहे हैं जिन्हें समतामूल को सुदृढ़ करने के उद्देश्य में बनाया गया था। ऐसे उद्देश्य को हमने सामने रखा किन्तु उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। इसलिये बहुत सारी बातें, आदिवासी उप-योजनायें, अनुसूचित जाति के, विशेष अंशदान की योजनायें निश्चय की विकास की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं। इनके विकास के लिये वित्तीय प्रावधानों में भारी बढ़ोत्तरी करके कर सकते हैं किन्तु इसका कार्यान्वयन नहीं हो रहा है और यदि हो भी रहा है तो संतोषजनक नहीं है। जब ये संतोषजनक नहीं हैं तो इनका परिणाम भी संतोषजनक नहीं हो सकता है।

सभापति महोदय, आप जानते हैं कि 20 सूत्री कार्यक्रम के 11 वें सत्र में प्रावधान किये गये हैं। उसकी परिकल्पना के बारे में पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा लेकिन जो संविधान में प्रावधान किये गये हैं, उनको तो पूरा करना होगा। यह कहा गया है कि उन लोगों को जमीन का आबंटन होगा परन्तु जमीन बेनामी रख लेते हैं। कभी किसी गरीब के नाम पर, कभी दलित के नाम पर रख लेते हैं और जब फसल आती है तो वे ले जाते हैं। जब तक इन गरीब लोगों को उत्पादन का भाग नहीं मिलेगा, तब तक वे शोषित के शोषित ही रहेंगे इसलिए मेरा निवेदन है कि इन लोगों के लिये शिक्षा में सुधार और उनके लिये बनाये गये सभी कार्यक्रमों को पुनर्जीवित करना और उन लोगों का उद्धार करना जरूरी है। शिक्षा के साथ-साथ उन लोगों के लिये कार्यक्रम आयोजित करना तो उनको सहायता पहुंचाना है।

4.00 म.प.

अब सहायता कैसे पहुंच रही है? हमने छात्रावास बनाए। छात्रावास इसलिए बनाए ताकि उनमें दूर-दराज के छात्र पढ़ सके। लेकिन आप छात्रावासों की स्थिति देखेंगे तो एक-एक कमरे, जो 20×10 का होता है, उसमें 50 लोग रहते हैं। अब ऐसी स्थिति में हम यह उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि वे वहां पर पढ़ सकेंगे। उनको वही पर खाना है, वही पर रहना। बरसात के दिनों में स्थिति और बदतर हो जाती है। हम छात्रावास बना रहे हैं या कैदखाना बना रहे हैं? सर्दी में उनको ठण्ड नहीं लगे इसके लिए भी उपाय करने होंगे क्योंकि वे अपना घर छोड़कर आते हैं। उनके भोजन की ठीक प्रकार से व्यवस्था हो सके इसकी भी व्यवस्था करनी है। ये सब मौलिक आवश्यकताएं और मान्यताएं हैं। वहां पर उनके पढ़ने के लिए प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। एक बल्ब में ही उनको काम चलाना पड़ रहा है। उनके लिए रात में प्रकाश की कोई व्यवस्था नहीं है। पीने का पानी, शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं है। उनके नहाने-धोने की भी कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोगों को गांवों से यह कहकर लाते हैं कि हम तुम्हारा जीवन बदलना चाहते हैं लेकिन छात्रावासों की अव्यवस्था के कारण से अनेक छात्र-छात्राओं को कष्ट का सामना करना पड़ता है। इसलिए आप कुछ करना चाहते हैं, नई जिंदगी शुरू करना चाहते हैं, नई पौध को अच्छा बनाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से पूरी मदद के साथ सहायता करनी चाहिए अन्यथा कार्यक्रम बना देने से कुछ नहीं होगा। कार्यक्रम बहुत अच्छे होते हैं, नीति और सिद्धान्त बहुत अच्छे होते हैं, इनकी पालना भी अच्छी होती है लेकिन उनको कारगर रूप से लागू करना एक कठिन चुनौती है। इसलिए मैं पायलट जी से यह कहना चाहूंगा कि किसी भी कार्यक्रम के परिणाम आने चाहिए। यदि उनके परिणाम नहीं आते हैं तो सारे कार्यक्रम या नीतियां बेमानी हो जाती हैं।

मैं बीस सूत्री कार्यक्रम में से पढ़ रहा हूं। उनके शैक्षणिक स्तर को सुधारने के लिए विशेष संघटक योजनाओं के लिए सही दिशा तथा पर्याप्त निधि प्रदान करना। जब हमने विशेष संघटक योजनाएं बनायी तो उसमें हमने पर्याप्त निधि की उपलब्धता की चिंता की। हमने कहा कि देश में उनकी आबादी एक चौथाई है और उनका विकास/हमको करना है। शिक्षा के क्षेत्र में भी विकास करना है और उनकी आय के स्रोत भी बढ़ाने हैं। हमने राज्य की 1992-93 की वार्षिक आयोजना में जो परिव्यय तय किया है वह 30,684.87 लाख रूपए है। विशेष संघटक योजना का अंश 3090.36 लाख था। यानि 10 प्रतिशत। 25 प्रतिशत होना चाहिए था लेकिन 10 प्रतिशत ही कर रहे हैं और वास्तव में उसमें भी कम हो रहा है। विशेष संघटक योजना के उद्देश्य भी बने हुए हैं लेकिन उन उद्देश्यों की पूर्ति भी नही होती।

अब बात आती है अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए समाज के अन्य वर्गों के साथ एकता और कार्यक्रमों को चलाने की। यह बहुत अच्छी बात है लेकिन क्या आपको कोई कार्यक्रम चलता हुआ दिखता है? सारे देश में आप भी घूमते हैं और मैं भी घूमता हूं। क्या अनुसूचित जाति के लोगों के शिष्ट वर्ग, जिसे हम सवर्ण वर्ग कहते हैं, उसके साथ कोई मिलने-मिलाने के कार्यक्रम होते है? शहरों में तो बहुत सारे मौके होते हैं। फंक्शनों में कौन आता है, कौन जाता है इसकी किसी को चिंता नहीं होती। लेकिन पायलट साहब जानते हैं, आपका भी परिवेश ग्रामीण है, आप किसानों के लिए

संघर्षरत है, ऐसा हमें आभास होता है। लेकिन गांव के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की क्या हालत है? वह जब किसी बड़े घर के सामने से निकलता है तो जूतियां हाथ में लेकर निकलता है। पीने के पानी के स्थान जो आम आदमियों के लिए उपलब्ध होते हैं वे उनके लिए उपलब्ध नहीं हैं। आम आदमियों के लिए जो स्नानागार होते हैं वे भी उनके लिए उपलब्ध नहीं होते। इतना ही नहीं, मरने के बाद वे श्मशान घाट भी उनके लिए उपलब्ध नहीं है जो आम आदमियों के लिए खुले हुए हैं। किसी आधार पर ये बात कर रहे हैं कि हमने देश में समता और समानता के लिए न्यायपूर्ण कदम उठाए हैं?

अनुसूचित जाति के लोगों के पुनर्वास के बारे में जो कहा गया है उसके करने के लिए भी मन चाहिए। गावं में रहने वाले, दूर अंचल में रहने वाले वनवासियों को जब नमक की जरूरत होती है तो उनको नमक के बराबर अपनी उपज देनी होती है। एक तरफ नमक रखा जाता है और दूसरी तरफ वन में पैदा होने वाली पैदावार रखी जाती है। एक तरफ तेल होगा तो दूसरी तरफ और कीमती चीज होगी। लेकिन हम उनके उपचार के लिए क्या कर सकते हैं?

हम अधिक से अधिक क्या कर सकते हैं, यहां पर बोलकर अपने मन की वेदना को प्रकट कर सकते हैं, किन्तु सरकार सामने बैठी है। जब सरकार सामने बैठी है, तो उसको जितना वह इसको आकार देने का काम कर सकती है, करना चाहिए।

अब सातवें सूत्र में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए पीने के पानी की व्यवस्था किए जाने का प्रावधान है, किन्तु उनकी आज हालत यह है कि वे बहते हुए नदी नालों के पानी को छानकर पीते हैं, क्योंकि उनके लिए अभी तक शुद्ध पानी की व्यवस्था नहीं हो पाई है। यहां हम 10–12 रुपए की बोतल खरीद कर पानी पीते हैं, लेकिन गांव में इन लोगों को बहते हुए नालो के पानी को छानकर पीने की मजबूरी है। अब वे कैसे जिन्दा है यह तो उनकी जिजीविषा है, जो वे इतने गन्दे पानी को पीकर भी जिन्दा हैं। हम अभी तक उनके लिए पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं कर सके हैं।

सभापति महोदय, आज हमारे झाबुआ के आदिवासियों की यह हालत है कि उनको दिनभर जंगल में लकड़ी बीन कर लानी होती है, और जब वे उन को लेकर रेल से या किसी अन्य साधन से आ रहे होते हैं, तो बीच में वनपाल मिल जाता है और उसको जब्त कर लेता है। इस प्रकार से उनकी सारे दिनभर की मेहनत बेकार हो जाती है और वह वनपाल उसको बेचकर पैसे बना लेता है और आदिवासी बेचारा देखता रह जाता है। इस प्रकार से होने वाले अत्याचार बन्द होने चाहिए। क्या सिर्फ हमारे लिए ही आजादी है, क्या उसके लिए आजादी नहीं है, क्या उनके लिए आजादी का यही हश्र होगा?

"करने
अनुसूचित जाति जनजाति का उत्थान
भारत का संविधान
अन्तर्गत विधि विधान
किये गये हैं प्रावधान।
किन्तु कोई हमें
यह समझाए इन सबके होते हुए
क्या अस्मत इज्जत लुटती है
दलितों की?
अन्याय अत्याचार से कब मुक्ति होगी
अनुसूचित लोगों की?
क्या रोटी कपड़ा और मकान
और सम्मान मिल पाएगा
इन लोगों को?
बेबस, लाचारी कब मिट पाएगी
इन लोगों की?
या फिर
अनुसूचित जाति जनजाति के लोग
केवल वोटों की गिनती है?
सहानुभूति और संवेदना
केवल दिखावा और छलावा है।
इन्सानियत मानवता जिसको कहते हैं
यह शब्दजाल का
भूल–भुलैया और भुलावा है।"

यदि ऐसा ही है, तो फिर हम कैसा हिन्दुस्तान बनाना चाहते हैं, कैसा विधि–विधान बनाना चाहते हैं? मैं समझता हूं कि इस रिपोर्ट के देखते हुए और बहुत सी बातों को समझते हुए एक निश्चित परिवर्तन करने की आवश्यकता है।

इस परिवेष में परिवर्तन की चाह लिए–

"उठो कि अब नई आंधियां चलाओ
अरमानों के मचलते तुफान उठाओ
क्रांति परिवर्तन की चिंगारी अंगार बनेंगे
जो रोकेंगे रास्तों को वे नहीं बचेंगे"

सभापति महोदय, इतना कहते हुए जो इसमें अच्छाइयां हैं, राह जो हम आपकी राह में, आपकी चाह में, इन लोगों की परवाह में कुछ कहना चाहते हैं कि हम सब लोग उनके उत्थान के लिए काम करें उसके लिए दिशा दें और जो अच्छी बाते लिखी गई हैं उनको अमल में लाने के लिए निश्चित रूप से हमें हिन्दुस्तान की जनता और इन लोगों के लिए शानदार काम करना चाहिए और उनको शानदार नागरिक बनाना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया।

[अनुवाद]

श्री के. प्रधानी (नवरंगपुर) : सभापति महोदय, मैं इस चर्चा में भाग लेते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि इस सभा को अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के पूर्व आयुक्त के 1986–87 तथा 1987–89 वर्ष के अटठाइसवें और उनतीसवें प्रतिवेदनों, जो कि क्रमशः 9 मई 1989 तथा 29 अगस्त 1990 को सभापटल पर रखे गये थे और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के राष्ट्रीय आयोग के वर्ष 1982–83, 1983–84 तथा 1985–86 के पांचवे, छठे, सातवें और आठवें प्रतिवेदनों, जो कि क्रमशः 5 मार्च, 1986; 26 अगस्त, 1987; 4 मई, 1988; तथा 21 नवम्बर, 1988 को सगा पटल पर रखे गये थे पर अवश्य विचार करना चाहिए।

महोदय, हमारे देश में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं लेकिन उन्हें विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अनुसूचित जाति के लोग देश भर में लगभग समान अनुपात में फैले हुए हैं जबकि अनुसूचित जनजाति के लोग कतिपय वनों तथा दुर्गम्ब क्षेत्रों में रहते हैं। अनुसूचित जातियों के लिए अस्पृश्यता सबसे बड़ी समस्या है और अनुसूचित जनजातियां शोषण से पीड़ित हैं। भारत सरकार और राज्य सरकारों ने अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा के लिए कई कानून बनाये हैं। उदाहरणत : अनुसूचित जातियों को अस्पृश्यता की समस्या से बचाने के लिए पी सी आर अधिनियम, 1955 बनाया गया था। उसी प्रकार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों दोनों के संरक्षण के लिए अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 बनया गया था।

अत्याचार निवारण अधिनियम में दिये गये प्रावधानों के बारे में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस अधिनियम के लागू होने के बाद से कई मामले न्यायालय के समक्ष आये थे लेकिन इसका परिणाम आशा के अनुकूल नहीं रहा। बहुत से मामलों में, लोग पी सी आर अधिनियम के दोषियों के खिलाफ साक्ष्य नहीं देना चाहते हैं। इसके लिए अंशतः जांच अधिकारी भी जिम्मेदार हैं। इसके परिणाम–स्वरूप 80–90 प्रतिशत मामलों में लोग बरी हो जाते हैं और कुछ ही मामलों में अपराध सिद्ध हो पाता है। कई मामले न्यायालय में तथा पुलिस के पास लम्बित पड़े हुए हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि अत्याचार निवारण अधिनियम के अनुरूप, जिसमें जांच अधिकारी को अभियुक्त को बचाने अथवा उसका समर्थन करने पर उसे मामले में फंसा लेने का प्रावधान है, संबंधित अधिकारी को अभियुक्त द्वारा किये गये अपराध के लिए उत्तरदायी माना जाना चाहिए। यदि हम इस पी सी आर अधिनियम में अत्याचार निवारण अधिनियम के अनुरूप संशोधन कर सकते हैं, तो मैं समझता हूं कि जांच कार्य में सुधार लाया जा सकता है और अधिक से अधिक लोगों को दोषी ठहराया जा सकता है।

मैं अब आरक्षण के मामले पर आता हूं। जब स्वर्गीय राजीव जी 1985 में सत्ता में आये तो उन्होंने पदों को आरक्षण से मुक्त करने की नीति को समाप्त कर दिया था। तब तक अधिकतर पदों को इस आधार पर आरक्षण से मुक्त कर दिया जाता था क्योंकि आरक्षित पदों को भरने के लिए अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं थे। जब समय बद्ध तरीके से पदों को भरे जाने की नीति को समयबद्ध कार्यक्रम के रूप में लिया गया तो केन्द्रीय सेवाओं के अन्तर्गत अधिकतर पद भरे गए। मैंने देखा है कि वर्ष 1984 के बाद से एक दो मामलों को छोड़कर सभी केन्द्रीय सेवाओं, भारतीय प्रशासनिक सेवाओं, भारतीय विदेश सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा में सौ प्रतिशत पद भरे गये लेकिन श्रेणी तीन–चार और दो के पदों के मामलों में ऐसा नहीं किया गया। इसका कारण यह है कि इसमें से कुछ पद तकनीकी स्नातकों के लिए आरक्षित थे और कुछ लिपिक, चपरासी आदि जैसे पद दोषपूर्ण नीति के कारण भरे नहीं गये। राष्ट्रीय आयोग ने भी इस सम्बन्ध में टिप्पणी की है। अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए हमारी नीतियां अलग–अलग होनी चाहिए। चूंकि ये लोग संकेन्द्रित रूप में दूरस्थ एवं वन क्षेत्रों में रहते है, उनको आरक्षण में वहां पर अधिक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। इस 50 प्रतिशत फार्मूला के अधीन, मैं समझता हूं कि दूरस्थ इलाकों में अनुसूचित जनजातियों के लोगों को कुछ हद तक आरक्षण में छूट दिये जाने के लिए उच्चतम न्यायालय के समक्ष भी जाना चाहिए। महोदय, मेरा विचार में जब तक जिला आरक्षण फार्मूले को नहीं बनाया जाता तब तक श्रेणी–तीन और चार के पदों को ठीक प्रकार से भरा नहीं जा सकता है विशेषकर राज्यों में जहां सबसे अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध हैं। हम देखते हैं कि श्रेणी तीन और चार के पद जो कि जिला संवर्ग पद है, जिले में भरे जाते हैं और इस श्रेणी के लोग जीवन भर एक ही जिले में व्यतीत करते हैं और जिले में ही अपनी सेवा–काल पूरा करते हैं। इनको कुछ नौकरशाहों मंत्रियों अथवा कुछ राजनीतिक नेताओं के आदेशानुसार राज्य मुख्यालयों में क्यों नियुक्त किया जाये?

उनकी भर्ती जिला स्तर पर की जानी चाहिए और जिला स्तर पर तृतीय और चर्तुथ श्रेणियों में अधिक आरक्षण उपलब्ध करवाया जाना चाहिए।

महोदय मैं कह रहा था कि जनजातियों की मुख्य समस्या शोषण है। साहूकार और उत्पाद शुल्क संविदाकार जनजातीय लोगों के मुख्य शोषण कर्ता हैं। धन उधार देने के लिए साहूकारी अधिनियम लाया तो है लेकिन मैंने कभी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखा जिसे जनजातीय लोगों के प्रति अपराध करने के लिए दण्डित किया गया हो। यह केवल कागजों में है। सरकार ने शराब विक्रेताओं के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए हैं, जैसा कि ढेबर आयोग ने 1961 में रिपोर्ट दी थी कि जनजातीय और अनुसूचित क्षेत्रों में देशी शराब पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। उन लोगों को खाद्यान्नों से विनिमित होम्–ब्रयू का केवल त्यौहारों पर ही उपयोग करने की अनुमति दी जानी चाहिए इसके व्यापार की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। लेकिन यह आश्चर्य की बात है कि कुछ राज्यों ने जैसे कि मेरे अपने राज्य ने जनजातीय लोगों को देशी शराब तैयार करने और 1.5 लीटर से 5 लीटर तक शराब अपने पास रखने की छूट दी है। इस शराब के उत्पादन पर प्रतिबंध लगाने के बजाय सरकार ने हर एक परिवार को इसका उत्पादन करने और इसके इस्तेमाल की छूट दे रखी है। जब मैंने राज्य सरकार के प्रतिनिधियों से पूछा तो उन्होंने बताया कि यह जनजातीय सलाहकार समिति का निर्णय है अतः वे इसका पालन करते हैं और वह सरकार की नीति को पूरी तरह से कार्यान्वित नहीं करते। महोदय, मैं समझता हूं कि यह उचित समय है जबकि भारत सरकार को कल्याण मंत्रालय के माध्यम से इसे रोकने के लिए संविधान की पांचवीं अनुसूची के पैरा 3 के दिशानिर्देश जारी करने चाहिए। आपको इस तथ्य की जानकारी तो है ही कि

संविधान का उल्लंघन करने वाले किसी भी राज्य सरकार को अनुच्छेद 365 के तहत बर्खास्त किया जा सकता है। लेकिन हमारी आजादी के 45 वर्ष बाद भी हम देखते हैं कि जनजातीय और अनुसूचित क्षेत्रों के लिए एक भी दिशानिर्देश जारी नहीं किया गया है। मैं कल्याण मंत्री और प्रधान मंत्री का भी ध्यान इस ओर आकर्षित करता रहा हूं, मुझे मालूम नहीं है कि उन्होंने इस संबंध में क्या प्रयास किए हैं लेकिन अभी तक कोई भी दिशानिर्देश जारी नहीं हुआ है।

महोदय, मैं इसके पश्चात कुछ बातें इन जनजातिय लोगों के आर्थिक विकास के बारे में कहना चाहता हूं। मैं पहले ही उल्लेख कर चुका हूं कि इन लोगों के शोषण की स्थिति में जरा भी परिवर्तन नहीं आ पाया है हालांकि हमने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए हजारों करोड़ रुपये व्यय कर दिये हैं।

सरकारी रिपोर्ट के अनुसार गरीबी कम होने के बजाय दिन–प्रति–दिन बढ़ती जा रही है। कर्ज भी बढ़ रहा है। इस लिए जब तक भारत सरकार जनजातीय लोगों के कल्याण के लिए कठोर कदम नहीं उठाती तब तक मैं नहीं समझता कि इन जनजातीय लोगों की स्थिति हमारी आकांक्षाओं के अनुरूप सुधार सकती है।

महोदय, इसके बाद मैं कुछ बातें उनकी शिक्षा के बारे में कहना चाहता हूं। शिक्षा इन लोगों के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है। हम देखते हैं कि हमारे देश में जनजातीय लोग सबसे कम शिक्षित हैं। इसी कारण हर कोई उनका शोषण करता है। अतः यह बात अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि उन्हें उचित रूप से शिक्षित बनाया जाए और इन अनुसूचित जनजातीयां के लोगों की शिक्षा पर अत्यधिक महत्व दिया जाए।

महोदय, सरकार की नीति के अनुसार, जनजातीय क्षेत्रों में हर जगह आवासीय विद्यालय शुरू किए जाने चाहिए। यदि वे उन्हें खाने पीने, रहने और शिक्षा की सुविधा दे सकें और उन्हें इस देश के आम लोगों के स्तर तक ला सके तो यह बहुत ही उपयोगी होगा। कल्याण मंत्रालय द्वारा बहुत अधिक धन दिया जा रहा है लेकिन दुर्भाग्यवश राज्य सरकारें उस धन का ठीक से इस्तेमाल नहीं कर रही हैं।

अतः मैं कल्याण मंत्रालय से फिर से यह अनुरोध करता हूं कि वह पद सुनिश्चित करने कि केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गये धन का इस्तेमाल इस देश में इन लोगों की शिक्षा के लिए उचित ढंग से हो।

श्री प्रमोथेस मुखर्जी (बरहामपुर) : सभापति महोदय, मैंने इस सभा में इस विषय पर बहुत से महत्वपूर्ण भाषण सुने हैं। मैं इसी विषय पर कोई और लम्बा भाषण नहीं देना चाहता हूं। लेकिन मैं सरकारी और गैर सरकारी शिक्षा और रोजगार केन्द्रों दोनों ही में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बच्चों के लिए सीटों के आरक्षण के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। महोदय, मेरा यह विचार है कि हम पिछले 47 वर्षों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बच्चों के प्रति अपनी संवैधानिक प्रतिबद्धता को पूरा नहीं कर सके हैं। इन सभी विफलताओं की याद बहुत दुखदायी है।

महोदय, आज मेरा यह विचार है कि हमें यह बात ध्यान में रखने के लिए और अधिक सावधान रहना चाहिए कि सामाजिक और राष्ट्रीय एकता पिछड़े वर्गों के बच्चों की भावनात्मक एकता पर निर्भर करती है। अतः पिछड़े वर्गों के बच्चों को राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने के लिए तत्काल पर्याप्त कदम उठाए जाने चाहिए। अतः उनके लिए शिक्षा और रोजगार का प्रावधान तत्काल किया जाना चाहिए।

महोदय, मैं एक और मुद्दे का उल्लेख करने की अनुमति चाहता हूं। हम एक पूंजीवादी समाज में रह रहे हैं। पूंजीवादी प्रणाली में एक बुर्जआकरण की प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया में मध्य वर्ग का विकास या प्रगति एक मान्य तथ्य है। यह एक सामाजिक–आर्थिक परिदृष्य है। इस परिदृष्य में यह देखा गया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के मध्यम वर्गों का विकास भी एक मान्य तथ्य है। हमें यह सुनिश्चित करने में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए कि संवैधानिक सुविधायें वास्तव में समाज के गरीब, बदनसीब और उपेक्षित बच्चों तक अवश्य पहुंचे न कि केवल विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग को।

महोदय, मैं एक और मुद्दे का भी उल्लेख करने की अनुमति चाहता हूं जो कि एक बहुत ही प्रासंगीक मुद्दा है कि देश के बहुत से भागों में ब्राउन शुगर और ऐसी चीजें आसानी से उपलब्ध हैं। इन मादक पदार्थों की आसानी से उपलब्धता ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के बच्चों को पहले ही दूषित कर दिया है। उनकी संस्कृति दूषित हो रही है। उनका सामाजिक स्तर और उनकी प्राकृतिक सहजता का शोषण हो रहा है। महोदय, अतः मैं अपने माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि मादक पदार्थों की आसानी से उपलब्धता पर तत्काल और बड़ा प्रतिबंध लगाया जाए। मैं समझता हूं कि नौकरशाही दृष्टिकोण या नौकरशाही के माध्यम से धन उपलब्ध करवाने से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बच्चों की समस्याओं का समाधान नहीं किया जा सकता है। इन समस्याओं के समाधान के लिए माननीय दृष्टिकोण आवश्यक है। महोदय, मैं आप से यही निवेदन करना चाहता हूं।

डा. कार्तिकेश्वर पात्र (बालासौर) : महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। जब कभी हमारे देश के अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के उत्थान के लिए कोई भी उपाय किए जाते हैं तो हमें अपने पूर्वजों को याद रखना चाहिए जिन्होंने हमारे देश में इन दलित लोगों का ध्यान रखा है। महोदय, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इन लोगों को हरिजन और आदिवासी कहा है। "हरिजन" शब्द का मतलब है भगवान के बच्चे और "आदिवासी" का मतलब है सबसे पहले बसने वाले। उन्हे यह मालूम था कि हमारे देश के अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के सहयोग के बगैर स्वतंत्रता का आंदोलन सफल नहीं हो सकता है। इसीलिए उन्होंने इन दलित लोगों का सहयोग प्राप्त किया। तदनन्तर स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान के जनक डॉ. अम्बेडकर और संविधान सभा के अन्य सदस्यों ने भी हमारे समाज के अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों का ध्यान रखा। लेकिन यदि यह एक नारा मात्र बन कर रह जाता है तो कुछ भी नहीं किया जा सकता है। हमारी सरकार बहुत ही ईमानदार है। इसीलिए हमारे माननीय मंत्री श्री टंगकाबालू जी

कल्याण मंत्री श्री सीता राम केसरी जी की ओर से यह प्रस्ताव लाए हैं।

यद्यपि, यह रिपोर्टें पहले प्रस्तुत की जानी थी, लेकिन इन्हें सभा में प्रस्तुत करने में विलम्ब हुआ है। प्रस्ताव में उल्लिखित रिपोर्टों को 23 अगस्त, 1994 को सभा में लाया गया था। इस सभा ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के तत्कालीन आयुक्त के वर्ष 1986–87 और 1987–88 के लिए क्रमशः 9 मई, 1989 और 29 अगस्त, 1990 को सभा पटल पर रखे गए अट्ठाईसवें और उनतीसवें प्रतिवेदनों और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के वर्ष 1982–83, 1983–84, 1984–85 और 1985–86 के लिए 5 मार्च, 1986, 26 अगस्त, 1987, 4 मई, 1988 और 21 नवम्बर, 1988 को सभा पटल पर रखी गई क्रमशः पांचवें, छठे, सातवें और आठवीं रिपोर्टों पर विचार किया।

यह सभी रिपोर्टों इस सभा के विचारार्थ लम्बित थी। अब हमें यह विचार करना है कि इन रिपोर्टों में किस तरह की सिफारिशें की गई हैं। मेरी जानकारी के हिसाब से हमारे प्रथम प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू आधुनिक भारत के निर्माता के समय से लेकर श्रीमति इंदिरा गांधी के समय तक तथा श्री राजीव गांधी के समय तक उन पर विचार नहीं किया गया था। अब हमारे प्रधान मंत्री श्री पी.वी. नरसिंह राव दलितों और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के उत्थान के लिए कदम उठा रहे हैं। इसीलिए हमें इस सभा में उन रिपोर्टों में जो सिफारिशें की गई हैं उन पर विचार करना चाहिए।

सभा इस संबंध में सरकार द्वारा किए गए अनेक कल्याण और संरक्षणात्मक उपायों और देश में जो कुछ हो रहा है उस से भली भांति अवगत है। मैंने अपने माननीय सहयोगियों के मूल्यवान विचार सुने हैं। हम उनके प्रति बहुत ईमानदार नहीं हैं, हम उन्हें केवल नारों तक और अपने मस्तिष्क तक ही सीमित रख रहे हैं। मेरे राज्य में मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कई बार जो लोग अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पर्यायवाची हैं उनकी अब दुर्दशा हो रही है। हम देख चुके हैं कि महाराष्ट्र में नागपुर में क्या हुआ। लोगों ने मांग की कि उनकी जातियों को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किया जाए लेकिन ऐसा नहीं किया गया। हमारी राज्य सरकार ने भारत सरकार को 13 जातियों की सूची अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने के लिए भेजी। अभी तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। वे जातिया अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की पर्यायवाची हैं। उनके वैवाहिक संबंध है, उनका खून का रिश्ता है। उनका बाप एक है। दो भाई हैं, एक भाई खडाल और दूसरा भाई कोराराई है, यदि एक नैयरी है तो दूसरा देवार है, यदि एक कुडुमा है तो दूसरा कोन्डरा है। इसी तरह कई बार उन के मामले पर विचार करने के लिए अभ्यावेदन दिए गए हैं लेकिन नौकरशाहों के रवैये के कारण अभी तक कुछ भी नहीं किया गया है।

मैं भारी मन से इस सभा के समक्ष यह बात रख रहा हूं कि इस पर विचार किया जाए।

मैंने 15 दिसम्बर, 1993 को राष्ट्रपति महोदय को और कल्याण मंत्री महोदय को एक पत्र लिखा था और उनसे अनुरोध किया था कि जिन जातियों को अभी तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है उन्हें भी इस सूची में सम्मिलित करने के लिए सभा में एक विधेयक लाया जाए। उन लोगो की एक या दो दशकों से दुर्दशा हो रही हैं। मैं एक लड़के श्री सुरेन्द्र नाथ जेना का उदाहरण उद्धत कर सकता हूं। उसने एक मुकदमा दायर किया था जिसकी सुनवाई उड़ीसा उच्च न्यायालय ने की थी। माननीय उच्च न्यायालय, उड़ीसा ने उसकी ओ.ए.सी. के बारे में जांच करने का फैसला दिया। तदनन्तर, यह पाया गया कि उसने जो प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया था वह सही नहीं था। इसी कारण उन्हें सेवा से हटाया जाना था और वह उड़ीसा उच्च न्यायालय की शरण में चले गए। उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि इसकी जांच की जानी चाहिए। जांच की गई और तहसीलदार ने रिपोर्ट दी। वास्ता और जालेसर के तहसीलदार ने भी जांच करनी थी। उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट दे दी जिसमें उन्होंने यह कहा कि उनके वैवाहिक और खून के संबंध हैं। केवल खटिया के रिकार्डों के अनुसारों उन्हें अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को उपलब्ध सभी प्रकार के विशेषाधिकारों से वंचित किया गया था।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय उच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट रूप से बताया था "कि हमारे विचार में प्रार्थी अनुसूचित जाति का प्रमाण–पत्र पाने का हकदार है क्योंकि वह 'नियरी' समुदाय का है जो 'केतुआ' जाति की उप–जाति है और उच्चतम न्यायालय के निर्णय 15 (1980) सी. एल. टी. पर मैं इसे 'देवार' के समतुल्य घोषित किया जा चुका है।

मेरा यह निवेदन है कि उड़ीसा सरकार से अनुसूचित जाति। अनुसूचित जनजाति अनुसूची में 13 जातियों को शामिल करने की सिफारिश की है। यह है राधी, नियरी, तुला, मीना/ मीनासू, कुदमा, घानी, पाउंडरा/पाड, खटिया, खजूरिया, केसूरी, मंगली, मिरगनस, बुना बौरी। दसिया बोरी और जयंतरा पानो। यह उड़ीसा का मामला है। विभिन्न राज्यों ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सूची में अनेक जातियों को शामिल करने की मांग की है। मैं चाहता हूं कि उस पर इस सभा में विचार किया जाए और माननीय मंत्री वह सूची प्रस्तुत करें तथा इस विधेयक को इस सम्माननीय सभा में रखने और परित होने से पहले इसकी घोषण की जाए ताकि जो व्यक्ति पतित माने जाते हैं उन्हें कुछ राहत मिल सके।

पहले विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिलती थी, बेरोजगार युवकों को आरक्षण के अंतर्गत नौकरी मिलती थी लेकिन बाद में यह सभी सुविधाएं वापिस ले ली गई क्योंकि उन्हें अनुसूचित जाति का प्रमाणपत्र नहीं दिया गया था। इसलिए उन्हें आज भी पतित माना जाता है। समाज के किसी भी भाग में किसी भी प्रकार का विकास तब तक सम्पूर्ण समाज का उत्थान नहीं माना जा सकता जब तक कि समाज के किसी व्यक्ति को वंचित किया जाता रहेगा।

महोदय, मैं आपका, माननीय मंत्री का और अपने सहयोगियों का आभारी हूं जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया। मैं केवल अपने राज्य की ही नहीं बल्कि सभी राज्यों और सभी जातियों की शिकायतें प्रस्तुत कर रहा हूं जो कि अनुसूची में शामिल होना चाहती है। इसलिए मैं फिर से यह निवेदन करता हूं और मैं बहुत आभारी हूंगा यदि ऐसा किया जा सके। यह उन सभी व्यक्तियों के लिए बहुत

लाभदायक होगा जिन्हें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल न होने के कारण पतित माना जाता है।

[हिन्दी]

श्री श्याम लाल कमल (बस्ती) : सभापित महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद देता हूं।

हम लोगों में दिसंबर 1985 में 9 वर्षों की रिपोर्ट पर विचार किया, इसमें कमिश्नर की 5 और कमीशन की 4 रिपोर्ट थी। इसके बाद 7 वर्षों की कमीशन की रिपोर्टें आज हम डिसकस कर रहे हैं। पिछले 4 वर्षों की रिपोर्ट अभी आनी है, जिस पर शायद 5–6 वर्षों के बाद चर्चा होगी।

मान्यवर, यदि एससीएसटीज की स्थिति का जायजा लेने के लिए इस तरह से 7–8–10 वर्षों के बाद चर्चा होगी तो कैसे इनकी स्थिति में सुधार आएगा। यह इस बात का द्योतक है कि इनकी स्थिति में सुधार करने की कितनी हमारी इच्छा है। आज अनुसूचित जाति–जनजाति के लोग आजादी के इतने वर्षों के बाद यह समझ रहे हैं कि हमें देखने वाला, पूछने वाला कोई नहीं है और हम कहां जाएं। देश के विकास में इनकी भी उतनी ही साझेदारी है, जितनी बाकी वर्गों की है और इनकी जनसंख्या इतनी अधिक है कि इनके पिछड़ेपन ने देश को खोखला कर रखा है। हमारी यह जिम्मेदारी है कि यह कमजोरी देश के विकास में बाधक नहीं बननी चाहिए। आज ये दलित लोग सोच रहे हैं कि क्या दफन होने के लिए उनको इस देश में दो गज जमीन भी मिल पाएगी या नहीं। आज यह स्थिति हो गई है। सारे नियम–कानून होने के बावजूद इनको जमीनों से बेदखल कर दिया जाता है। जो स्थिति ब्रिटिश राज में थी, वही स्थिति आज भी बरकरार है। कमिश्नर के पद को वीकन करके पहले नान–स्टेचुटरी कमीशन बना दिया गया। मार्च 1992 में स्टेचुटरी कमीशन बनाया गया, इतने दिनों से संवैधानिक प्रावधान होने के बावजूद इस काम में इतना विलंब किया गया। इससे पता लगता है कि सरकार हरिजन–आदिवासियों की समस्याओं के प्रति कितनी जागरूक है और गरीब तबके को ऊपर उठाने की कितनी हम चेष्टा करते हैं। संविधान में इनको जो सुरक्षा दी गई है कि राइट ओवर मीन्स आफ प्रोडक्शन रेसोर्सेस, यह पहली चीज आती है जिससे वह समझे कि राष्ट्र की उन्नति में वह साझीदार हैं, लेकिन आज की स्थिति में वह भूमिहीन है। भूमि उनको अलाट की गई है, मगर सिर्फ कागजों पर। सारे कायदे–कानून होने के बावजूद असली कब्जा उनको नहीं दिया गया। रिपोर्ट आती है और आई वाश की तरह एक एक्शन टेकन रिपोर्ट आ जाती है, लेकिन प्लानिंग में कुछ नहीं आता। प्लानिंग कमीशन में इन वर्गों की तरफ जो खास तवज्जो दी जानी चाहिए, वह नहीं दी जाती। प्लानिंग कमीशन में प्लानिंग करते समय जो एक सैप्रेट चैप्टर एससीएसटीज के विकास के लिए होना चाहिए था आगे क्या करना है, इसका कोई खास तसकिरा नहीं मिलता है।

समाज कल्याण मंत्रालय के अंदर अनुसूचित जाति और जनजाति के कल्याण का विभाग दे दिया गया है। जबकि यह एक अपंग मंत्रालय हो गया है। पहले यह विभाग गृह विभाग में था, जिसमें मिनिस्टरी आफ पर्सोनल भी शामिल थी। अब समाज कल्याण मंत्रालय को मिनिस्टरी आफ पर्सोनल से कोई रिपोर्ट नहीं मिलती है। यह पता नहीं चलता है कि कितनी पोस्ट्स खाली हैं, कितनी भरी गई हैं। इस साल कुछ सांसदों ने अध्ययन करके यह पाया कि संघ लोक सेवा आयोग में 1200 से ज्यादा पद नहीं भरे गये हैं। क्योंकि एससी, एसटी के जो लोग मैरिट में आ गये उनको कोटे में डाल दिया गया और जिन्होंने कम अंक पाये उनको नौकरी नहीं दी। बहुत कुछ लिखने के बाद यह कहा गया कि हम इन स्थानों को भरने की कोशिश करेंगे। अगर कोई अधिकारी इस तरह की पोस्ट नहीं भरता है तो उसके आमालनामें में लिख दिया जाता है यह उनको पोस्ट देने के प्रति जागरूक नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर यही स्थिति रही तो वे लोग हमारे देश की राष्ट्रीय धारा से अलग हो जायेंगे और देश की हालत क्या होगी, यह आप स्वयं समझ सकते हैं।

मान्यवर, एक स्वतंत्र देश में एक अधिकार जो बहुत जरूरी है वह है डिग्निटी आफ पर्सन का। गरीब तबके के लोगों को भी मान चाहिए, सम्मान चाहिए, विद्या चाहिए, पद चाहिए, धन चाहिए और कल्चरल रिकमनीशन भी चाहिए। बहुत सी बातें कही जाती हैं और बताई जाती हैं, लेकिन अमल कुछ नहीं होता है। आज स्थिति यह है कि हमें देखना पड़ेगा जो हम कागजी रिपोर्ट बनाकर और पढ़कर खुश हो जाते हैं, यह प्रथा किसी भी राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए कामयाब तरीका नहीं है। हम जितने भी सिद्धांत प्रतिपादित करते हैं, जितने भी कानून बनाते हैं, कांस्टीट्यूशनल प्रपोजल हैं, उनके अमल के लिए हमारी मशीनरी कितनी प्रभावकारी है और कितना इन्फोर्स करती है और नहीं करती है तो उसका क्या कारण है, कैसे उसको दूर करें, यह सब देखना पड़ेगा। इसके लिए सरकार की तरफ से एक्शन टेकन रिपोर्ट आना चाहिए। किसी भी देश को मजबूत करने के लिए यह आवश्यक है कि उस राष्ट्र का बच्चा–बच्चा राष्ट्रहित में सोचे और राष्ट्रहित में बात करें। लेकिन ऐसा अब होने वाला नहीं है। क्योंकि हम उनके प्रति जागरूक नहीं हैं और उनको सोचने की वह शक्ति हम नहीं दे पा रहे हैं।

जब रामचन्द्रजी ने रावण से लड़ाई लड़ी थी तो यही अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के सहयोग से ही उन्हें विजय मिली थी। कृष्णजी ने जब कंस को मारा था तो उस वक्त अगर वे अपनी पीजेंट्री को साथ लेकर, इन्हीं गरीब लोगों को साथ लेकर आगे नहीं बढ़ते तो वे भी शायद कामयाब नहीं होते। इस आजादी को भी हम आजादी के शिखर पर नहीं ले जायेंगे जब तक हम इनका सहयोग नहीं लेंगे।

कमीशन के कार्यों के बारे में जो कहा गया है उसके बारे में मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं। बेगार की प्रथा और अस्पृश्यता की स्थिति में सुधार आया है उसके लिए मैं सरकार को बधाई दूंगा। बाल श्रमिकों के मुद्दे पर भी सरकार को कुछ सफलता मिली है, इसके लिए भी सरकार को बधाई दूंगा। लेकिन आज भी बाल श्रमिकों की स्थिति खराब है। गरीबी की वजह से वे बहुत खराब स्थिति में काम करते हैं।

जो भूमि स्थानांतरित हुई है, उनको पट्टे पर दी गई है, उसके कब्जे की हालत बहुत बुरी है। मैं निवेदन करूंगा कि कोई ऐसी योजना बनाई जाये, कोई ऐसा संगठन बनाया जाये जो वास्तव में उनको जमीन दे और जमीन के साथ साधन भी दे ताकि वे खेती कर सकें और सोच सकें कि वह भी राष्ट्र के नागरिक हैं।

शिक्षा के बारे में हमारे बहुत से साथियों ने काफी कुछ कहा हैं। मै इस पर अधिक नहीं कहूंगा। लेकिन जितने भी तकनीकी शिक्षण संस्थान हैं, उनमें अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए कोई आरक्षण नहीं होने की वजह से और गरीबी के कारण वे अपना स्तर ऊंचा नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनको इसमें दाखिला नहीं मिल पाता है। इस वजह से वे राष्ट्रीय धारा में शामिल नहीं हो पाते। मैं चाहता हूं कि उसमें भी उनको आरक्षण मिले और उस पर अमल किया जाये।

जहां मनीलैंडिंग का ताल्लुक है। कानून से तो वह खत्म कर दिया गया है। लेकिन बैंको से जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को लोन मिलता है, उनके लिए यह प्रावधान था कि उनको ब्याज की दर में छूट दी जायेगी। वित्त निगम में आधा प्रतिशत रिबेट का कानून था, लेकिन वह अमल में नहीं आता है। बैंको में तो कोई रिबेट ही नहीं है। मेरा निवेदन है कि इन वर्गो के लोगों को जो वित्तीय स्थिति से कमजोर है, उनकी ब्याज दर वही होनी चाहिए जो सेविंग एकाउंट में बैंक में होती है। उससे ज्यादा नहीं लेना चाहिए। इसके ऊपर शासन विचार करे और कोई निर्देश देने की कोशिश करे।

सुप्रीम कोर्ट के आर्डर से रिजर्वेशन इन प्रमोशन समाप्त कर दिया गया है। इस कारण सर्विस में जो हमारे अनुसूचित जाति और जनजाति के अधिकारी हैं उनके साथ न्याय नहीं हो पाता है। उनके आमालनामें छोटी-छोटी बातों पर खराब कर दिये जाते हैं।

जो प्रमोशन में बड़े बाधक होते हैं। अगर आरक्षण नहीं होगा तो एक स्थिति आयेगी कि अभी जो वैक्यूम है, वह और बढ़ जाएगा। मेरा निवेदन है कि पूरा रिजर्वेशन कोटा भरा जाए और विशेष प्रयास के जरिए रिजर्वेशन इन प्रमोशन की स्थिति लाई जाये।

मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

श्री हरचन्द सिंह (रोपड़) : सभापतिजी, एक बड़े अहम मुद्दे पर हम बहस कर रहे हैं। देश को आजाद हुए 47 साल हो गये हैं। 47 साल पहले जब हिन्तुस्तान की सरकार बनी, उसमें बाबू जगजीवन राम और डा. अम्बेडकर दो मंत्री थे। जब हम कभी रियासत से यहां आते थे तो ये दोनों हमारी बात सुनते थे। सुनते ही नहीं थे, हमारे सामने बैठे-बैठे ही वहां के मुख्य मंत्री को टेलीफोन करते थे कि यह बात क्या हो रही है, यह बात हरिजनों के खिलाफ क्या हो रही है। उस वक्त हरिजनों से रियासतों में बेगार लेते थे। डा. अम्बेडकर ने फौरन जगजीवन राम से कहा कि मैं इस वक्त संविधान बनाने में व्यस्त हूं। प्रधान मंत्री ने कहा है कि दो महीने में सविधान पास कराना है। इसलिए मेरा इस तरफ ध्यान है। आप पाटियाला की सरकार से पूछो की उनसे बेगार क्यों ली जाती है। इस पर बाबू जगजीवन रामजी ने फौरन सरदार ज्ञान सिंह रोडेवाले को टेलीफोन करके कहा कि आप ऐसा करोगे तो आपकी सरकार को तोड़ दिया जायेगा। इस पर उन्होंने फौरन बेगार बंद कर दी और उस समय पहली जमात से बच्चों को छः रुपये वजीफा देना शुरू कर दिया। पटियाला में आठ रियासते थीं, पेप्सू भी थी। उस वक्त आन्दाजा लगाया गया कि 1500 बच्चे पढ़ते हैं जब वजीफा देना शुरू किया तो दो साल के अंदर कई हरिजनों के बच्चे पढ़ने आने लगे। इस वक्त जहां तक बच्चों की पढ़ाई का ताल्लुक है। मैं अपने पंजाब के बारे में बताना चाहता हूं। वहां दो करोड़ की आबादी है। वहां पचास हजार अनुसूचित जाति के लोग हैं। हमने देखा कि उसमें से कितने बच्चे पढ़ते हैं तो पता चला कि आठ लाख बच्चे हरिजनों के वजीफा ले रहे हैं।

50 लाख की आबादी में से आठ हजार बच्चे वज़ीफा ले रहे हैं। पहले कितने बच्चों को दाखिला मिल रहा था और फिर उन बच्चों को वज़ीफा देने में देरी क्यों की जाती थी? पंजाब सरकार ने जब भी वायदा किया कि वज़ीफा देना चाहिये तो दे रही है। इसके अलावा केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को भी हरिजनों के लिये कुछ काम करने की हिदायतें दी है। उस पर अमल होना चाहिये, यही हमारी डिमांड है।

दूसरी बात यह है कि पंजाब सरकार ने 5 हजार तक के लोन लेने वाले लोगों को माफी दी है। अब हमारे प्रधान मंत्री जी बैठकर बात करनी चाहिये कि बैंक से जिन लोगों को लोन मिला है, वह माफ होना चाहिये। बैंको में काम करने वाले अधिकारी अनुसूचित जाति के लोगों को लोन देते ही नहीं हैं।

मेरा एक प्वांयट यह है कि हरिजनों के लिये कोई कैबिनट रैंक का मिनिस्टर ही नहीं है। जब पं. जवाहर लाल नेहरू प्राईम मिनिस्टर थे तो उन्होंने बाबू जगजीवन राम और डा. भीम राव अम्बेडकर को कैबिनट मिनिस्टर बनाया हुआ था। श्रीमति इन्दिरा गांधी के जमाने में भी था लेकिन आज तक कोई कैबिनट रैंक का मिनिस्टर नहीं हुआ है। हमारे परसंटेज के मुताबिक 5-7 हरिजन कैबिनट में होने चाहिये। जहां तक राही जी का सवाल है, वे डिप्टी मिनिस्टर हैं। उनकी कोई बात मानता ही नहीं है।

सभापति महोदय, मेरा तो यह कहना है कि जिन हरिजनों के पास जमीन खरीदने की ताकत नहीं है, उनको सरकार को मदद करनी चाहिये। उन लोगों के पास मकान नहीं है, सरकार को रहने के लिये मकान देना चाहिये। पंजाब के पटियाला जिला में मकान बनाने के लिये लोन देते थे लेकिन हरिजन लोग लेते ही नहीं थे। उस जमाने मे कर्नल रघुबीर सिंह पैप्सू के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने 50 हजार एकड़ जमीन हरिजनों में बांट दी और सरदार प्रताप सिंह कैरों ने एक लाख एकड़ जमीन हरिजनों में तकसीम की थी। अब इस तरह की कोई जमीन हो तो वह हरिजनों में बांटी जानी चाहिये।

सभापति महोदय, सरकार ने हरिजनों को कुछ गैस एजेंसीज और पैट्रोल पम्प दिये हैं। यह कहा गया है कि ये उन लोगों के लिये रिजर्व हैं।

5.00 म.प.

सभापति महोदय, यह बड़ी अच्छी बात है। ऐसा पहली बार हुआ है। मैं तो मंत्री जी को बधाई देता हूं कि इन्होंने जो बोर्ड बनाकर भेजा है कि शेड्यूल्ड कास्टों को यह दो, लेकिन उसमें पंजाब का कोई जानकार आदमी नहीं है, इसलिए क्या हो रहा है कि एक बनिया किसी गांव के आदमी को पकड़ कर ले जाता है और वह कहता है कि यह शेड्यूल्ड कास्ट्स है इसको एजेंसी दे दो और इतने रुपए ले लो। इस प्रकार से पंजाब में पेट्रोल पम्प और गैस की एजेंसियां दी जा रही है। मैं कहता हूं कि सरकार इसको देखे

कि कैसे पेट्रोल पम्प और गैस की एजेंसियां हरिजनों को दी गई हैं। मैहरबानी कर के इसको बन्द किया जाए। यह बात अच्छी नहीं है। इसको हिन्द सरकार वहां जाकर देखे। शहरों में ही नहीं गांवों में भी जाकर देखें।

सभापति महोदय, बहुत सी बाते हैं, लेकिन समय कम है। इसलिए मेरा कहना है कि जो कुछ सरकार ने फैसले किए हैं वे जरूर लागू होने चाहिए। सबसे बड़ी बात नौकरियों में आरक्षण की है। ये जो वर्तमान राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा जी हैं ये पहले कांग्रेस के प्रधान थे। इन्होंने पंजाब में जब झानी जैल सिंह जी, चीफ मिनिस्टर थे, तो प्रमोशन में रिजर्वेशन को लागू करने की बात इन्होंने कही थी। ज्ञानी जैल सिंह ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, तो शंकर दयाल शर्मा जी ने कहा कि अगर आप नहीं कर सकते हैं, तो हम किसी और को चीफ मिनिस्टर बनाते हैं, तो उन्होंने फिर वह काम किया। इसके लिए तो मैं शंकर दयाल शर्मा जी को बधाई देना चाहता हूं। लेकिन इस समय पंजाब में 150 वकील अनुसूचित जाति और जनजाति के हैं, लेकिन हाईकोर्ट में एक भी जज इनमें से नहीं है। बच्चा चार–पांच साल की उम्र में पढ़ना शुरू कर देता है और बीस–पच्चीस साल की उम्र में वकील बन जाता है लेकिन इन जातियों का कोई व्यक्ति आज हाईकोई में जज नहीं है। आज तो हालत यह है कि राष्ट्रपति भी ब्राह्मण, प्रधान मंत्री भी ब्राह्मण और चीफ जस्टिस भी ब्राह्मण। मैं कांग्रेस को कहना चाहता हूं कि वह कान खोलकर सुन ले और जो इसके वकील यहां बैठे हुए हैं वे सुन लें कि आप खाली टल्लियां न बजाओ हम कोई रोज–रोज

5.03 म.प.

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

पार्लियामेंट में नहीं बोलते हैं। आज तो मैं पहली बार बोल रहा हूं। पंजाब की दो करोड़ की आबादी में से 50 लाख शेडयूल्ड कास्ट हैं। आज उनकी यह हालत हो गई है कि यदि चुनाव हो, तो पंजाब में कांग्रेस को एक वोट भी नहीं मिलेगा। ये अपने आप समझ लें और ये जो वजीर यहां बैठे हैं, ये देख लें और वहां जाकर हालात ठीक कर लें।

मैं आपसे कहता हूं कि पंजाब के जो हरिजन हैं वे बहुत दुखी हैं। इसलिए हिन्द सरकार को उनकी मदद करनी चाहिए। वोटें हरिजनों की 42 साल से लेते रहे, लेकिन क्या कारण है कि उसका कोई चीफ मिनिस्टर नहीं बना? मैंने कहा कि वहां 150 एडवोकेट काम कर रहे हैं लेकिन एक भी जज नहीं बना, इसका क्या कारण है? जिस जाट ने 42 साल से कोई वोट नहीं दिया आज वह वहां का चीफ मिनिस्टर बना बैठा है। कैबिनेट मिनिस्टर वहां 12 थे, लेकिन अब उमराव सिंह जी के यहां आ जाने के कारण 11 रह गए हैं। इनमें 7 जाट मंत्री है, 3 हिन्दू मंत्री है सिर्फ एक हरिजन है। वाह भई वाह, सरकार हरिजनों के लिए बहुत काम कर रही है?

डिप्टी, स्पीकर साहब, यह तो सरकारी कार्य है। जो कमाएगा वह खाएगा। हम तो नहीं कहते हैं कि उनको जाब दो, लेकिन आज वक्त का तकाजा है कि शेड्यूल्ड कास्ट को जाब दो, उनका आर्थिक स्तर ऊंचा करो, उनकी मदद करो। हम तो यही कहते हैं कि जो हरिजन हैं उनकी तरफ ध्यान दिया जाए।

बहुत कुछ हो रहा है। हम उससे संतुष्ट हैं। वह बहुत ही ठीक हो रहा है। कुछ थोड़ी बहुत बातें हैं लेकिन उनकी कोई बात नहीं है। मगर मंत्रिमंडल में कुछ पोलिटिशियन्स ऐसे हैं जिनको कि पूरे महकमे देने चाहिए, उनको काम दिया जाये। मेरी आपसे मांग है कि मंत्रिमंडल में शैड्यूल्ट कास्ट्स के पांच–सात मंत्री होने चाहिएं। अगर कांग्रेस में कोई पढ़े लिखे एम.पीज. नहीं हैं तो आपने ऐसे नालायकों को टिकट ही क्यों दिये थे? जब वे बहुत लायक हों, समझदार हों, ईमानदार हों व अच्छा काम करने वाले हों तभी आप उन्हें टिकट दीजिए।

डिप्टी स्पीकर साहब जी, आप भी प्रधान मंत्री जी से कभी यह नहीं कहते कि इनके भी वजीर ले लीजिये। मैं तो यह कहता हूं कि कैबिनेट में हमारे पूरे वजीर होने चाहिए। आप सब भी सुन लीजिये, जो कि राष्ट्रपति के रिश्तेदार हैं आप ही कुछ करा दीजिये।

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : राष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री जी चुनकर आये हैं न कि नोमीनेट होकर आये हैं।

श्री हरचन्द सिंह : मुझे मालूम है कि वे चुनकर आये हैं। मैंने भी उनको वोट दिया था। आपने क्यों नही शैड्यूल्ड कास्ट्स को मंत्री बनाये? ये पाकिस्तान के नागरिक नही है। ये हिन्दुस्तान के ही रहन वाले हैं, उन्ही के भाई हैं। आप क्यो नहीं इस मंत्रिमंडल में शैड्यूल्ड कास्ट्स के मंत्री रखते? मेरा प्रधान मंत्री जी से निवेदन है कि वे मंत्रिमंडल में शैड्यूल्ट कास्ट्स के भी वजीर जरूर लें। इससे कांग्रेस का ही फायदा होगा। हमारे शैड्यूल्ड कास्ट्स के भाई हमसे पूछेंगे कि वह कौन सा वजीर है जिसे हमने वोट डाला था। अगर पार्लियामेंट में हमारा एक भी वजीर नहीं होगा तो आप किस मुह से हमसे वोट मांगेगे। इस वास्ते कांग्रेस को चाहिए कि वे पढे–लिखे हरिजनों को कैबिनेट में ले। इस तरह जो ये मसले उठ रहे हैं, वे सारे हल हो जायेंगे। आप उनको लेबर का ही मिनिस्टर बनाकर काम करने दीजिए। आपने जब श्री जगजीवन जी को रेलवे का मिनिस्टर बनाया था तब लाखो लड़को को नौकरी मिली थी। जब डिफेंस मिनिस्टर बनाया था तो चंद दिनों में ही बंगला देश की चीखें निकलवा दी थीं। आप ही बताइये कि हरिजन कौन सा काम नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से उसके मुकाबले का कोई पैदा ही नहीं है।

अंत में मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि आप हरिजनों को राज दरबार में आगे लाइये।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : इस चर्चा के लिए छः घंटे का समय नियत किया गया था लेकिन हम आठ घंटे इस पर चर्चा कर चुके हैं। इसलिए हमारे पास समय बहुत कम है। कृपया संगत मुद्दों पर संक्षेप में बोलिए।

[हिन्दी]

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा) : यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यह अति महत्वपूर्ण विषय है इसलिए हम इसके लिए दो घंटे का समय बढ़ा सकें अब प्रत्येक सदस्य को पांच

मिनट मिलेंगे। अधिकांश मुद्दों पर बोला जा चुका है इसलिए श्री याइमा सिंह कृपया उन मुद्दों पर बोलिए जिन पर पहले नहीं बोला गया है।

[हिन्दी]

श्री कालका दास (करोल बाग) : इस रिपोर्ट पर बारह साल के बाद चर्चा हो रही है जबकि इस देश में शैड्यूल्ड कास्ट के लोग 1/4 है। वे सबसे ज्यादा दुखी है और आप इस पर सिर्फ छः घंटे ही चर्चा करने के लिए दे रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री याइमा सिंह युमनाम (आंतरिक मणिपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं देश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए कल्याण मंत्रालय द्वारा किए गए प्रयासों की प्रशंसा करता हूं। मैं मंत्रालय द्वारा देश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उत्थान के लिए विशेष कार्यक्रम चलाने के विचार से भी सहमत हूं।

महोदय, मैं इस बात की प्रशंसा करता हूं कि इस पर चर्चा की गई जबकि ऐसा विलम्ब से किया गया लेकिन कमी न करने से विलम्ब से करना बेहतर है। इसलिए मैं चर्चा में भाग ले रहा हूं। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को नियमों, आयु में और अन्य छूटें दी गई हैं। लेकिन अनेक प्रयासों के बावजूद भी देश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उत्थान के लिए काफी कुछ किया जाना बाकी है। चूंकि वे दलित हैं इसलिए उन्हें उच्च व्यक्तियों के स्तर तक लाने में समय लगेगा। इसलिए इस बात को देखते हुए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयुक्त की सिफारिशों को तत्काल लागू किया जाए। चूंकि आबंटित समय कम है इसलिए मैं अन्य मुद्दों पर विस्तार से नहीं बोलना चाहता।

महोदय, मेरे राज्य में लगभग 33 प्रतिशत आबादी अनुसूचित जनजाति की है और 2 प्रतिशत से कुछ अधिक अनुसूचित जाति की है। अनुसूचित जातियों के उत्थान के लिए सरकार उस क्षेत्र में काफी कुछ करने का प्रयास कर रही है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि एक ओर केन्द्र सरकार मणिपुर की अनुसूचित जातियों की बेहतरी के लिए कार्यक्रम शुरू करने का प्रयास कर रही है, लेकिन राज्य सरकार इन कार्यक्रमों में विलम्ब कर रही है। जो परियोजनाएं और कार्यक्रम हम केन्द्र सरकार को भेजते हैं उन्हें स्वीकृति देने में वह काफी समय लेती है। कभी–कभी मणिपुर पहुंचने में इसे एक वर्ष लग जाता है। उदाहरण के लिए मैंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में स्व–रोजगार की एक परियोजना का प्रस्ताव किया था जो एकमात्र अनुसूचित जाति का गांव है लेकिन इसे अंतिम रूप नहीं दिया गया। इसके लिए कल्याण मंत्रालय की एक सूचना विशेष की आवश्यकता है।

महोदय, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुकी और नागाओं के बीच विवाद रहता है। वे एक दूसरे को मारते हैं और एक दूसरे को समाप्त करने का प्रयास कर रहे है। इस प्रकार मणिपुर में अत्यंत दुखद घटनाएं हो रही हैं। कुकी नागा को और नागा कुकी को मार रहे हैं। वे किसी भी तरीके से मार रहे हैं, वे सिर काट देते हैं, खंजर से मार देते हैं, गोली चला देते हैं, अथवा बच्चों और महिलाओं को आग में धकेल देते हैं। सैंकड़ों घर जला दिए गए हैं, सैंकड़ों व्यक्ति मारे गये हैं, वे महिलाओं और बच्चों को भी नहीं छोड़ते। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। हम अभागे दर्शक बन कर रहे गये हैं। जबकि मुझे इस बात को दूसरे रूप में बताना चाहिए था। फिर भी मैं यहां इसका उल्लेख कर रहा हूं क्योंकि अनेक आदिवासी व्यक्ति इन दंगों के कारण बेघर हो गए हैं।

मैं कल्याण मंत्रालय से अनुरोध करता हूं कि इन अभागे व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए कुछ कार्यक्रम शुरू किए जायें।

मैंने इस मुद्दे पर कुछ माननीय सदस्यों की बात सुनी है। हम यह विधेयक इसलिए लाए हैं ताकि जो आदिवासी व्यक्ति पहले छूट गए हैं उन्हें भारत के संविधान में जनजातीय अनुसूची में शामिल किया जाए। मैंने दो जनजातियों को शामिल करने के लिए गैर सरकारी विधेयक प्रस्तुत किया है– एक है दोमई और दूसरी एनी कुकी। उन्हें सूची में शामिल नहीं किया गया इसीलिए वे इतने क्षुब्ध हैं। मणिपुर में कानून और व्यवस्था की स्थिति के कारण हम अनेक समस्याओं का सामना कर रहे हैं इसलिए हमें आग में घी का कार्य नहीं करना चाहिए अथवा वैसी समस्याएं पैदा नहीं करनी चाहिए जिससे आदिवासी युवकों और अनुसूचित जातियों के मन में क्षोभ आए।

जबकि मुझे अनेक समस्याओं पर चर्चा करनी है फिर भी मैं मंत्री महोदय से यह आग्रह करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं कि मणिपुर राज्य के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के कल्याण और उत्थान के लिए कार्यक्रमों को अंतिम रूप देने पर विशेष ध्यान दें।

[हिन्दी]

श्री भेरू लाल मीणा (सलम्बूर) : उपाध्यक्ष महोदय, आज शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा हो रही है। इस चर्चा में भाग लेने का आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद।

यह बात सच है कि आज कम से कम 8 साल बाद आयुक्त की रिपोर्ट पर चर्चा हो रही है। आज की चर्चा में सब सदस्यों ने अपने–अपने सुझाव दिये है, मुझे आशा है कि सरकार उनके ऊपर पूरी तरह से ध्यान देगी।

मैं राजस्थान के उस आदिवासी क्षेत्र में आता हूं, जहां 80 परसेण्ट आदिवासी मेरे क्षेत्र में निवास करते हैं। मैंने आयुक्त की रिपोर्ट को पढ़ा है। आयुक्त की रिपोर्ट में कुछ सुझाव दिये गये हैं। ट्राइबल क्षेत्र में अगर विकास को गति देनी है तो उनकी आर्थिक स्थिति में किस तरह से उन्नति कर सकें, इन सुझावों पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। उन्होंने सिचाई के साधन जुटाने के लिए एक मास्टर प्लान बनाने के लिए कहा है। मैंने रिपोर्ट में यह भी पढ़ा है कि कुछ राज्यों ने तो मात्र प्लान बनाकर केन्द्र सरकार को भेज दिया है और कुछ राज्यों ने मास्टर प्लान बनाकर नहीं भेजा है।

ट्राइबल क्षेत्र जो कि पहाड़ी क्षेत्र होता है, वहां का पानी बह कर चला जाता है। उसी मास्टर प्लान के मुताबिक सारे पानी को

रोका जाना चाहिये। इससे आदिवासी लोगों के जो छोटे–छोटे खेत हैं, उनको सिंचाई के साधन मिलेंगे। इससे उनका गुजारा हो सकेगा। इससे वनों की कटाई भी रूक सकती है। जहां पानी के साधन होंगे वहां वन भी ज्यादा होंगे और आदिवासी लोगों का धंधा भी बन जायेगा। अच्छी खेती होगी तो उनका गुजारा भी अच्छा चल पायेगा।

आदिवासियों के कल्याण के लिये सरकार की तरफ से बहुत से काम होते हैं और योजनायें चलायी जाती है लेकिन वे योजनायें ठीक से लागू नहीं हो पाती हैं। हम आदिवासियों के बीच से आते हैं और उनकी दशा के बारे में जानते हैं। हमारे सुझावों को कही भी अंकित नही किया जाता है। उन क्षेत्रों के रहने वाले प्रतिनिधियों से और उस कास्ट से आने वाले लोगों के सुझाव लिये जाने चाहिये और उन्हें कार्यान्वित किया जाना चाहिये। योजनायें यहां बैठकर बनायी जाती हैं और आदिवासियों के लिये कई नई–नई चीजें बना कर भेज दी जाती है लेकिन उन्हें इसकी जानकारी नहीं होती है। उनको सीखाने के लिये प्राइवेट समितियां बनायी जाती हैं लेकिन समितियां उनके नाम से पैसा खा जाती हैं। उनको कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। उनके लिये बनायी गई योजनाओं को ठीक से लागू किया जाना चाहिये।

जहां तक जमीन का सवाल है, वह भी उनके नाम से एलॉट नहीं की जाती है। आदिवासी लोग पहाड़ियों में रहते हैं। पिछले कुछ सालों से उनकी आबादी भी बढ़ी है। उन्होंने अपने गुजारे के लिये नये खेत भी निकाले और नाजायज कब्जा भी किया। उन्होंने उसे उपजाऊ बना कर खेती के काबिल बनया। ऐसी भूमि रेवेन्यू विभाग या वन विभाग की बयाना में है। इसकी पैरवी करके उन्हें सुविधा दी जानी चाहिये। वहां पर 15 से 20 वर्ष तक उन का कब्जा है। वहां उनके मकान और कुएं हैं। वे वहां अच्छी तरह से खेती करते हैं लेकिन वह उनके नाम पर अभी तक एलॉट नहीं हो पायी है। वन विभाग के अधिकारी उन्हें परेशान करते हैं और पैनल्टी लगाते हैं। यही हाल रेवेन्यू विभाग का है। ऐसी चीज कब तक चलेगी? मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि जिन का 10–15 साल से उन पर कब्जा है, जिन्होंने मेहनत की है, वह जमीन उनके नाम पर एलॉट कर दी जाये। उन पर लटकी तलवार को हटाया जाये। इससे उनका गुजारा अच्छा चल सकेगा।

रिजर्वेशन के तहत नौकरियों में उन्हें सुविधा दी जाती है। बैक–लॉग को पूरा किया जाना चाहिये। उनको जब इंटरव्यू के लिये बुलाया जाता है तो कहा जाता है कि यह नाकाबिल और आयोग्य है। ऐसे में दूसरे लोगों को मौका मिल जाता है। जहां ट्राइबल का बच्चा लिया जाना चाहिये, वहां सम्पन्न परिवार का बच्चा ले लिया जाता है। जो प्राइवेट स्कूल या सैंट्रल स्कूल में पढ़ते हैं और अच्छी डिविजन लेते हैं, उसको रख लिया जाता है। गरीब किसान के बच्चे जो कि मैट्रिकुलेट या हायर सेकेंडरी पास होते हैं और थर्ड डिविजन में पास होते हैं, उनको अवसर नहीं दिया जाता है। ट्राइबल बच्चे को तो नौकरी मिल जाती है लेकिन जो सम्पन्न ट्राइबल्स होते हैं, उनको ही अवसर मिलता है।

जो गरीब है, उसको नहीं मिलेगा। मैं चाहूंगा कि इसको देखा जाए।

महोदय, आप बार–बार घन्टी बजा रहे हैं, इसलिए ज्यादा समय न लेते हुए, मैं एक–दो निवेदन और करना चाहता हूं। पहली बात मैं छात्रवृत्ति के बारे में कहना चाहता हूं। पहले छात्रवृत्ति 150 रू. दी जाती थी, अब शायद 250 रू. दी जाती है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जब हम लोग पार्टी में जाते हैं, मंत्री या कोई बड़ा अधिकारी पार्टी देता है या माफिया पार्टी देता है, मैंने उस पार्टी के बारे में जानकारी प्राप्त की है, पार्टी में एक प्लेट की कीमत 150 रू. होती है और मुझे किसी साथी ने बताया कि 200 रू. तक की भी होती है। एक प्लेट का खाना 200 रू., हम 150 रू. मान कर चलें, और हम 150 रू. छात्रवृत्ति का देते हैं, तो एक वक्त का खाना एक प्लेट का कितना आ सकता है, यह आप खुद अन्दाजा लगा सकते हैं। इस महंगाई के जमाने में वह कैसे इस प्राप्त सहायता से आगे बढ़ सकता है और हम कैसे आर्थिक स्थिति में सुधार कर पायेंगे। हम उसके मानस को कैसे शक्ति प्रदान कर सकते हैं। वह शक्ति तो नहीं आएगी और वह कमजोर ही रहेगा तथा मामला ऐसे ही चलता रहेगा।

मैंने दो–तीन बातें कहीं हैं, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। सारे देश में हजारों लोगों ने जमीनों पर नजायज कब्जे कर रखे हैं, वे जमीने लेकर इनको एलाट की जाये। मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि मेरे चुनाव क्षेत्र में कोई कारखाना नहीं है। सरकार ने निजी लोगों को कारखाने लगाने के लिए निमन्त्रण दिया है। कारखाने लग रहे हैं, लेकिन मेरे क्षेत्र में कोई भी कारखाना नहीं लग रहा है। जहां पर भी कारखाने लग रहे हैं, वे शहर के आसपास ही लग रहे हैं और इसके साथ ही जहां पर मैटिरियल है, वहीं लगायेंगे। ट्राइब्ल क्षेत्र में मैटिरियल नहीं मिलेगा और मिलेगा भी तो दूसरे लोगों को ही मिलेगा, लेकिन इनको नहीं मिलेगा। मेरे क्षेत्र में सॉफ्ट स्टोन और मारबल की खाने हैं। सीसा, जस्ता और फास्फेट भी है। मारबल के कारखाने में काम करने वाले बहुत दुखी है। वे बहुत गरीब हैं। जैसा मैंने पहले पार्टी की बात कही, मारबल के जो मालिक हैं, वे किस तरह से पार्टियां मनाते हैं और उन गरीबों को पैसा नहीं देते हैं। यदि इन्सपैक्टर जाता है, तो उसको भगा दिया जाता है। यदि कोई दान–दक्षिणा से चला जाता है, तो ठीक है और नहीं जाता है, तो उसके दादा लोग भगा देते हैं। अगर कही मजदूर हिम्मत करके शिकायत करने के लिए जाता है, तो वह कभी मालिक की तरफ देखता है, और कभी इन्सपैक्टर की तरफ देखता है। वास्तव में उनको 15–16–17 रू. दिए जाते हैं, लेकिन रिकार्ड में 25–30–50रू. लिखे जाते हैं। यह हमारे क्षेत्र की इन खानों की स्थिति है। हम जानते हैं कि हमारी सरकार की भावना है कि उनको लाभ मिलना चाहिए, लेकिन उनको लाभ नही मिलता है। हमारे देश में गरीबों की कमी नहीं है। उनकी इस दशा को दूर करने के लिए हमें त्याग करना चाहिए। जो भी सुविधायें आप द्वारा दी जाती है, वे उनको वास्तव में मिलनी चाहिए।

मैं एक बात और आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं। सरकार द्वारा अनुदान के रूप में कुछ सहायता इन लोगों को दी जाती है। गाय, बैल खरीदने के लिए और पम्प लगाने के लिए भी अनुदान दिया जाता है। जो पचास प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है, उसमें हो यह रहा है कि कोई चीज बाजार में आठ हजार रूपए में है, तो वह पंचायत समिति के माध्यम से 14 हजार रूपए में मिलेगी। इस प्रकार चीज की कीमत वैसे ही ड्योढ़ी हो जाती है और

आपने अनुदान दिया या नहीं दिया, सब बराबर हो जाता है। इस लिए इन बातों की ओर भी आपको ध्यान देना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे अपने विचार रखने के लिए समय दिया।

[अनुवाद]

श्री चित्त बसु (बारसाट) : महोदय, मैं केवल एक मुद्दे पर बोलूंगा। मेरा इस वाद-विवाद में भाग लेने का उद्देश्य यही है कि मैं इस रिपोर्ट में प्रकाशित अनुचित प्रवृत्ति की ओर आपका, सदन का तथा सदन के माध्यम से बड़ी संख्या में सदन के बाहर की जनता का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मेरा अभिप्राय यह है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण के मुद्दे को संविधान के निर्माताओं ने इस आधार पर स्वीकार किया था कि हमारी जनसंख्या के एक वृहत भाग के लिए कोई संरक्षणात्मक पृथक पहचान होनी चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे लोग सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अत्याचार तथा दमन के शिकार रहे हैं। मूल रूप से इस बात की कल्पना कर ली गई थी कि आरक्षण केवल इस वर्ष तक जारी रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसकी अवधि अनेक अवसरों पर बढाई गई। अगर मैं गलत नहीं हूं तो मेरे विचार से ऐसा 1999 तक जारी रहेगा।

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : सेवा के संबंध में कोई समयावधि नहीं है।

श्री चित्त बसु : जो कुछ भी है, आरक्षण तब तक जारी रहेगा जब तक कि उन पिछड़े वर्गों अथवा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को हमारे देश के आम जन समुदाय के विकास के स्तर तक नहीं लाया जाता।

महोदय, मैंने इस रिर्पोट को काफी रूचि से पढ़ा है। जिस बात का मुझे वास्तव मे दुःख हुआ है वह यह है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति तथा साधारण श्रेणी के बीच असमानताएं प्रतिवर्ष कम होने के बजाय बढ़ रही है। मै आपको केवल एक उदाहरण दूंगा क्योंकि मेरे पास पर्याप्त अध्ययन करने के लिए अथवा विस्तार पूर्वक समझाने के लिए समय नही है। सन् 1971 में शिक्षा के संबंध में अनुसूचित जातियो अनुसूचित जनजातियो तथा अन्य श्रेणियों के लोगों के बीच असमानता 35.80 प्रतिशत थी। सन 1981 मे यह असमानता बढ़कर 4 .30 प्रतिशत हो गई। जहा तक कि साक्षरता का संबंध है यह दर 1971 में 14.16 प्रतिशत थी और यह बढ़कर 21.38 प्रतिशत हो गई इस तरह से अनुसूचित जातियो अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य साधारण श्रेणियों के लोगो के बीच असमानताएँ कम होने के बजाए बढ़ रही है। महिलाओं को शिक्षा के संबध मे तथा पूर्ण रूप से शिक्षा के संबध मे भी ऐसा ही है। विश्वविद्यालय में शिक्षा के संबंध में भी ऐसा ही है। रोजगार के संबध में भी ऐसा ही है।

अब मैं माननीय मंत्री जी से एक प्रश्न पूछना चाहूँगा। मैं उन पर आरोप नहीं लगा रहा हूं। मै उनसे पूछना चाहूँगा कि हम कब तक अनुसूचित जातियो तथा अनुसूचित जनजातियो के लोगों को समाज के अन्य वर्गों के बराबर ला पाएगे क्योंकि यह संवैधानिक दायित्व है। यदि उनको साधारण जनसंख्या के विकास के स्तर तक लाने के लिए यह उपाय पर्याप्त नहीं है तो क्या अब हमें यह देखने के लिए अन्य उपायों पर विचार नहीं करना चाहिए कि उन्हें समाज के अन्य वर्गों के सामान्य विकास स्तर पर लाने के लिए अन्य उपाय करने चाहिए और अन्य विशेष कार्यक्रम भी बनाने चाहिए। कम से कम हमारे देश के संविधान की यही भावना थी। मेरा सरकार पर यह आरोप है कि सरकार सांवैधानिक दायित्वों को पूरा करने में निराशाजनक रूप से असफल रही है। मै चाहता हूँ कि सरकार को इस दायित्व को पूरा करना चाहिए।

मेरा दूसरा मुद्दा यह है और यह इस लापरवाही के विरूद्ध मेरा रोष है जिस तरह कि लापरवाही सरकार द्वारा इस संबंध में दिखाई गई हैं। रिर्पोट तैयार की गई है और इस रिर्पोट पर आठ वर्ष के बाद चर्चा हो रही है। इन आठ वर्षो के दौरान अनेक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन हुए हैं।

क्या संसद को इस बात का ध्यान रखने और इस दौरान हुए परिवर्तनों पर विचार-विमर्श करने का अधिकार नहीं है? इसमें इतना विलम्ब क्यों? इसमें इतना अनियमित विलम्ब क्यों? क्या यह अनियमित विलम्ब इस बात का संकेत नहीं हैं कि सरकार समाज के इस हिस्से से बहुत लापरवाही से पेश आती है। इसलिए, समाज के कमजोर वर्ग के साथ इस तरीके का व्यवहार कर सरकार ने अपना संवैधानिक दायित्व पूरा नहीं किया है। मेरे तर्क का कोई अन्त नहीं है इसलिए, सरकार किस तरह से संवैधामिक दायित्वों को पूरा करें? मेरा सरकार पर आरोप लगाता हू कि सरकार अपनी संवैधानिक वचनबद्धता और दायित्वों को पूरा करने में असफल रही हैं। मैं यह समझता हूँ कि सरकार इसे पूरा करने का प्रयत्न करेगी।

श्री कोडीकुन्नील सुरेश (अडूर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम 12 वर्षों के अन्तराल के बाद अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग को इन रिपोर्टों पर चर्चा कर रहे हैं। जहां तक कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों का संबंध है इस माननीय सभा ने अनेक विधान बनाए हैं और हमने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास के संबंध में भी अनेक मुद्दों पर चर्चा की थी। लेकिन देश में अनुसूचित जातियों/अनूसूचित जनजातियों के लोगों की पूर्ण रूप से स्थिति क्या हैं? मुझे माननीय सभा को यह बताना चाहिए कि दिन प्रति दिन उनका जीवन कठिन होता जा रहा है। इन परिस्थितियों में भारत सरकार ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग नियुक्त किया ताकि देश के अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के विभिन्न मामलों तथा समस्याओं पर अध्ययन किया जा सके। भारत सरकार ने सन् 1978 में एक उच्च स्तरीय आयोग गठित करने का निर्णय लिया जिसमें कि सार्वजनिक जीवन में प्रसिद्धि प्राप्त तथा उच्च स्तर के व्यक्तियों को शामिल किया गया। संविधान के अनुच्छेद 338 के अन्तर्गत एक विशेष अधिकारी को नियुक्ति की गई है और उसे अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को संवैधानिक सुरक्षा से सम्बन्धित मामलों की जांच करने का कार्य सौंपा गया। इसमें इस तरह से समीक्षा की जाएगी जिस तरह से सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण नीति को कार्यान्वित किया गया है। उन्हें नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के कार्यान्वयन पर अध्ययन करने के लिए

नियुक्त किया गया था जिसमें अस्पर्शता तथा घृणित असमानता को दूर करने जैसे विशेष उद्देश्य शामिल हैं। उनकी नियुक्ति सामाजिक आर्थिक तथा अन्य सम्बन्धित परिस्थितियों का पता लगाने तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय का होने का दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करने से वंचित रखने के संबंध में व्यक्ति विशेष की शिकायतों की जांच करने के लिए की गई है।

वर्ष 1982--83 के दौरान आयोग ने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों सम्बन्धी कार्यक्रमों का अध्ययन करने तथा सम्बन्धित योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु देश में विभिन्न राज्यों का दौरा किया।

कुछ राज्य अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए विशेष घटक योजना निधि का उपयोग नहीं कर रहे हैं। जनजातीय उप योजना भी अज्ञानता की समस्या का सामना कर रही है जैसेः साक्षरता का निम्न स्तर, सम्बन्धित पृथक्कीकरण तथा अज्ञानता। साथ ही आयोग की सिफारिशों को उपयुक्त रूप से कार्यान्वित नहीं किया गया है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए अनेक उपाय कर रही है। लेकिन अधिकारी तन्त्र ने इस संबंध में कोई कदम नहीं उठाए हैं। हमारे पास हमारे देश में अनुसूचित जातियो/अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए अनेक आयोग तथा विधान हैं। प्रत्येक वर्ष राज्य तथा केन्द्र सरकार अनुसूचित जातियो तथा अनुसूचित जनजातियों के उन्नयन के लिए निधि आवंटित करती है।

उसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम संतोशजनक नहीं है। अनुसूचित जातियो तथा अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के लिए आवंटित निधि का उपयुक्त रूप से प्रयोग नहीं किया गया है। आयोग को विभिन्न प्रकार की अनियमितताओं, भ्रष्टाचार तथा निधि के दुरूपयोग के बारे में पता चला है। आयोग ने यह ठीक ही कहा है कि निधि की कमी के कारण अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष घटक कार्यक्रम को उपयुक्त रूप से कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है। निधि की राशि को विशेष घटक कार्यक्रम के अन्तर्गत उपयोग में नहीं लाया जाता है। पूरे देश में यही स्थिति है। प्रत्येक वर्ष भारत सरकार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति योजना के अन्तर्गत सभी राज्य सरकारों को एक बृहत राशि प्रदान करती है। लेकिन केन्द्र सरकार ने यह पता लगाने की कोशिश नही की कि वह राशि कैसे प्रयोग में लाई जाती है। भारत सरकार की कोई निगरानी एजेंसियां नहीं है। निर्धन अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों को विशेष घटक कार्यक्रम के अंतर्गत कोई सुविधाएं नहीं मिलती है। इसलिए महोदय, मेरा माननीय सरकार से अनुरोध है कि अनुसूचित जातियो/अनुसूचित जनजातियों योजनाओ के उपयुक्त कार्यान्वयन को सुनिश्चित करें ताकि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों को उसका लाभ मिल सके।

महोदय, हमने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगो को अतिरिक्त भूमि के आवंटन के बारे में भी कई बार चर्चा की है। लेकिन, अभी तक अनेक राज्यों ने उसे कार्यान्वित नहीं किया है। अनुसूचित जातियो/अनुसूचित जनजातियों के लोगों को अतिरिक्त भूमि का वितरण शीघ्र किया जाना चाहिए।

महोदय, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियो के लोगों को न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिल रही है। आयोग ने भी यह गौर किया है कि अनेक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियो के लोग बहुत कम मजदूरी पर कार्य कर रहे है। यह बहुत गंभीर मामला है और कल्याण मत्रालय के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है।

जहां तक अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियो के लिए शैक्षणिक सुविधाओं का संबंध है, भारत सरकार को अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के लिए और शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित करनी चाहिए। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में सरकार को आई. टी. आई., पोलीटेक्नीक तथा अन्य संस्थान स्थापित करने चाहिए।

आज हमारा देश सभी क्षेत्रों में तरक्की कर रहा है। हमने उत्पादन तथा अन्य क्षेत्रों में नई तकनीक प्रदान की है। लेकिन अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के युवकों को इसका लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। इसलिए भारत सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियो के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।

अनुसूचित जातियो/अनुसूचित जनजातियों के रोजगार के संबंध में भी वे बहुत खुशी नहीं हैं। केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों को नियुक्त करने के लिए कोई पहल नहीं करती है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप कृपया बस कीजिए.....**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : समय की कमी के कारण हम सभी माननीय सदस्यों को बोलने का अवसर देने की स्थिति में नही हैं।

...(व्यवधान)...

श्री कोडीकुन्नील सुरेश : मैं एक बार फिर इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रोफेसर साहब, माफ कीजिए। छः घंटे का समय दिया गया था ..... **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : इस चर्चा में भाग लेने वाले प्रत्येक माननीय सदस्य द्वारा विषय से सम्बन्धित, महत्वपूर्ण तथा दिल को छू लेने वाले मुद्दे रख गए है। इसलिए कृपया मेरी बात सुनिए ...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, कई माननीय सदस्य इस पर बोलना चाहते हैं, इसलिये हमारा अनुरोध है कि इस पर समय, बढ़ाया जाये। दूसरी बात है कि 12 साल के बाद रिपोर्ट आयी है, इसलिए इस पर सदस्य बोलना चाहेंगे, समय में वृद्धि की जाये।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : जिन सदस्यों द्वारा चर्चा मे भाग लेने की उम्मीद थी, उन्होंने पूरी तरह से चर्चा में हिस्सा लिया है और सम्बन्धित मुद्दों और कमियो को उजागर किया है। इसलिए....

[हिन्दी]

श्री विश्वनाथ शास्त्री (गाजीपुर): माननीय सभापति जी, यहां जो प्रतिवेदन पेश किया गया है उसके बारे में कुछ बातें संक्षेप मे मैं कहना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि भारतीय सामाजिक संरचना के अंदर अनुसूचित जाति और जनजाति की जो स्थिति है, उसको सुधारने के लिए भारतीय संविधान में कुछ प्रावधान किए गए हैं। जो जन्मजात असमानता है, आर्थिक और शैक्षणिक असमानता है, उसको दूर करने के लिए संविधान में व्यवस्था की है।

उपाध्यक्ष महोदय : शास्त्री जी, सदन में पढ़ने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। जो बोलना है, कृपया वह बोलिए।

श्री विश्वनाथ शास्त्री : उपाध्यक्ष महोदय, इसके लिए आवश्यक है कि हम सर्वप्रथम भूमिहर मजदूरों की जो जमीनें हैं, जो उनको बांटी गई हैं, उनका कब्जा दिलाएं। इसके साथ-साथ जो सीलिंग की सीमा रखी गई है उसे घटाया जाए और इस प्रकार से जो अतिरिक्त भूमि मिले उसे उनमें वितरित किया जाए।

दूसरी चीज मैं यह कहना चाहता हूं कि जो अनुसूचित जनजाति के लोग जंगलों में रहते हैं, जिनको पहले जंगलों में जो नैसर्गिक अधिकार प्राप्त थे, उनको पुनः बहाल किया जाए और उनको जंगलों मे उसी प्रकार के अधिकार दिए जाएं जिस प्रकार से पहले थे। उसी प्रकार से जो खेतिहर मजदूर के रूप में काम करते हैं उनके लिए न्यूनतम मजदूरी का कानून बनाया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि वह मजदूरी उनको मिले। अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को शिक्षा के अवसर ज्यादा देने के लिए आश्रम प्रणाली के आधार पर पाठशालाएं खोली जाएं। उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उनको रोकने के लिए कारगर कदम उठाए जाएं।

उपाध्यक्ष महोदय, पहले यह विभाग, गृह मंत्रालय के अंदर था, लेकिन अब इसको समाज कल्याण मंत्रालय के अधीन कर दिया गया हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इस विभाग के जो जिला कल्याण अधिकारी होते हैं उनके पास गाड़ी की भी व्यवस्था नहीं होती है। उनके विभाग का यदि मंत्री जाए, तो भी वे गाड़ी की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं। उनके पास साधनों को अभाव है।

इन्ही चन्द शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया।

[अनुवाद]

श्री राम विलास पासवान : महोदय, अब छः बजने वाले हैं। मैं जानना चाहूंगा कि क्या मंत्री जी आज जवाब देंगे अथवा कल जवाब देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : आज ही जवाब देंगे।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : महोदय, संदस्य उपस्थित नहीं है। यह एक महत्वपूर्ण विषय है। इसका जवाब कल दिया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : उपाध्यक्ष महोदय, आज 6 बजे के बाद हाउस का चलाना ठीक नहीं है और सदस्यगण भी हाउस में नहीं है। इसलिए सदन का विचार है कि आज जो सदस्य बोलना चाहते हैं उनको बोलने के लिए आप अवसर दें और कल इसका जबाव मंत्री महोदय दें।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अच्छा, देखते हैं।

श्री राम विलास पासवान : जवाब सुबह दिया जायेगा। मंत्री महोदय तमिलनाडु के बारे में भी जानकारी एकत्र कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : कल हमारे पास बहुत काम है। अगर हम इसे आज नहीं करते तो कल कार्य-सूची बहुत लम्बी हो जायेगा।

श्री के. एच. मुनियप्पा (कोलार) : उपाध्यक्ष महोदय, इस विषय पर बोलने के लिए मुझे अवसर प्रदान करने के लिए आपका धन्यवाद।

सरकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के विकास के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं सर्वाधिक महत्वपूर्ण बातें जो परामर्शदात्री समिति की बैठकों में माननीय मंत्री को पहले ही कह चुका हूं, यहां कहना चाहता हूं।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बालक, बालिकाओं के लिए तालुक और जिला स्तरों पर रिहायशी स्कूल शुरू किये जाने चाहिये। अन्य समुदायों में भी बहुत से गरीब लोग हैं। हमें उनको भी प्रोत्साहित करना है। अतः, मैं सिफारिश करूंगा कि इन स्कूलों में 75 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों और 25 प्रतिशत अन्य समुदायों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए हों। ऐसा करके अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के होने के कारण जो शर्मिन्दगी उठानी पड़ती है, वह भी समाप्त हो जायेगी। अतः, नवोदय स्कूलों की भांति तालुक और जिला स्तरों पर ये रिहायशी स्कूल स्थापित किये जाने चाहिये।

दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न शिक्षित बेरोजगार विद्यार्थियों के बारे में है। प्रत्येक तालुक और जिला के आधारभूत ढांचे को विकसित किया जाना चाहिये और शिक्षित बेरोजगारों को उपयुक्त काम प्रदान करने के लिए भारत सरकार को औद्योगिक शेडों का निर्माण करके उन्हें उनका आबंटन करना चाहिये। ये औद्योगिक शेड शिक्षित बेरोजगार, तकनीकी स्नातकों तथा तकनीकी डिप्लोमा धारकों द्वारा चलाये जाने चाहिये।

तीसरी बात यह है कि भारतीय प्रशासनिक सेवाओं और भारतीय पुलिस सेवा के लिए प्रशिक्षण संस्थान जिला स्तर पर शुरू किये जाने चाहिये। इससे विद्यार्थियों का भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा में आना आसान हो जायेगा।

एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि श्रम-प्रधान क्षेत्रों में भी रिहायशी स्कूल शुरू करना आवश्यक है। चूँकि उनके पास कोई भूमि नहीं है, अतः उनके पास जीविका का कोई अन्य साधन नहीं है। अतः, इन स्कूलों की स्थापना मददगार सिद्ध होगी।

कृषि समुदाय में अनुसूचित जातियों को अधिक महत्व दिया जाना चाहिये। उनके पास छोटे-छोटे जमीन के टुकड़े हैं। उन्हें उचित सिंचाई सुविधायें देनी पड़ेंगी। मैं मंत्री महोदय से अनुसूचित

जाति के उन किसानों को, जिनके पास आधे से दो एकड़ जमीन के छोटे–छोटे टुकड़े हैं, सिंचाई के लिए और अधिक सुविधायें प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देने का अनुरोध करता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : लेकिन सामुदायिक सिंचाई सुविधायें वहां उपलब्ध है हालांकि वे उचित ढंग से काम नहीं कर रही हैं।

श्री के. एच. मुनियप्पा : इसीलिए मैं यह कह रहा हूं कि व्यक्तिगत लाभ प्रदान किये जाने चाहिये। सामुदायिक सिंचाई सुविधायें उचित ढंग से काम नहीं कर रही हैं। अतः मेरा अनुरोध है कि किसानों को बोरवेल तथा पंपसेट जैसी सुविधायें अलग–अलग दी जानी चाहिये। सरकार जो कुछ दे रही है, वह पर्याप्त नहीं है। उन्होंने ये सुविधायें अनुसूचित जातियों की जनसंख्या के केवल 10 प्रतिशत को ही दे रखी हैं। शेष 90 प्रतिशत लोग अभी भी इन सुविधाओं के बिना परेशानियां उठा रहे हैं।

लघु उद्योगों में तथा ग्रामीण और कुटीर उद्योगों में भी अनुसूचित जातियों के लोगों को और अधिक रोजगार दिया जाना चाहिये। उनके लिए कोई अन्य रोजगार नहीं है। उनके पास अपनी कोई भूमि नहीं है। उन्हें जमींदारों के पास मजदूरों के रूप में काम करने के लिए जाना पड़ता है। हालांकि उन्होंने एस. एस. एल. सी. तक पढ़ाई की है और डिप्लोमें भी प्राप्त कियें हैं फिर भी वे अपने लिए आजीविका अर्जित नहीं कर सकते । इसीलिए उन्हें उपयुक्त नौकरियां प्रदान करनी पड़ेंगी और औद्योगिक ऋण प्रदान करना पड़ेगा। अगर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को औद्योगिक शेड प्रदान किये जाते हैं तो वे आगे आ सकेंगे और आत्म–निर्भर हो सकेंगे।

यह अवसर प्रदान करने के लिए आपका धन्यवाद।...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदयः श्री रावत, श्री हुसैन के बाद बोलेंगे। पहले श्री हुसैन बोलेंगे; और उसके बाद माननीय सदस्य प्रो. रासा सिंह रावत बोलेंगे और अब प्रोफसर जी बोलेंगे।

[हिन्दी]

श्री सैयद मसूदल हुसैन (मुर्शिदाबाद): उपाध्यक्ष जी, पिछले सीजन से यह चर्चा चल रही है लेकिन पहले यह तो तय हो जाये कि शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स कौन हैं। आप किसका कल्याण करेंगे, किसके लिए यह रिपोर्ट है। हर स्टेट में शैड्यूल्ड कास्ट्स का जो शैड्यूल बना हुआ हैं, वह एक–एक स्टेट में एक–एक ही बना है। पिछले दिनों नागपुर में जो घटना हुई, वे इसी कारण हुई। ये हिस्सा मध्य प्रदेश के साथ ही जुड़ा हुआ था और मध्य प्रदेश के साथ जो हिस्सा है, उसे अभी तक शैड्यूल्ड कास्ट्स का दर्जा मिला हुआ है। महाराष्ट्र में भी 1985 से शैड्यूल्ड कास्ट्स दर्जा मिला है लेकिन अब वह छीन लिया गया है। इसी कारण ये इतना बड़ा हादसा हुआ है। मेरे पश्चिम बंगाल में भी ऐसे कुछ लोग हैं जो शैड्यूल्ड कास्ट्स दर्जा चाहते हैं। बिहार मे उनका नाम लिस्ट में है लेकिन बंगाल की लिस्ट में नहीं है। केन्द्र सरकार पहले अपनी लिस्ट तो ठीक कर ले। जब तक यूनिफार्म लिस्ट नहीं होगी तब तक इस तरह का झंझट चलता रहेगा।

दूसरी बात यह है कि आप शैडयूल्ड कास्टस, शैडयूल्ड ट्राइब्स का कल्याण करना चाहते हैं, उनको एजूकेशन देना चाहते हैं, यह तो अच्छी बात है लेकिन क्या आप उनको बराबर की इज्जत देना चाहते हैं? उनको सबसे ज्यादा बराबर की इज्जत की जरूरत है। आज तक कहीं पर भी शैडयूल्ड कास्टस, शैडयल्ड ट्राइब्स के लोगों को बराबर की इज्जत नहीं दी गई। नागपुर की घटना इसका उदाहरण है। यदि वही जलूस किसी ऊंचे तबके के लोगों का होता तो मंत्री जी उनके साथ जरूर बात करते। क्योंकि वे गरीब तबके के लोग थे, इसलिए उनके साथ मंत्री जी ने बात भी नहीं की। भारत के नार्थ ईस्टर्न रीजन से लेकर कश्मीर तक के सभी ट्राइबल एरियाज़ में तनाव है। हर जगह शैडयूल्ड कास्टस, शैडयूल्ड ट्राइब्स के लोग कहते हैं कि हमको बराबर का हिस्सा नहीं मिल रहा है, बराबर की इज्जत नहीं मिल रही है। चाहे उत्तराखंड का मामला हो, चाहे बोडोलैंड का मामला हो, केन्द्र सरकार अलग नीति पर चलती है। जहां भी हल्ला–गुल्ला हो स्टेट को तोड़कर टुकड़े कर दो, झंझट खत्म। आपने एक आसाम को तोड़कर सात टुकड़े किए लेकिन फिर भी आसाम में आज बोडोलैंड का सवाल है। बिहार में झारखंड का सवाल है। हालांकि झारखंड के उस आन्दोलन के तरीके से मैं सहमत नहीं हूं लेकिन उनकी मांग में दम है। यदि आप उनकी कठिनाई को नहीं देखेंगे, उनके बुनियादी सवाल पर जाने की कोशिश नहीं करेंगे तो तनाव बढ़ता रहेगा और आखिर में आप राज्य के टुकड़े कर देंगे, फिर देश के टुकड़े हो जाएंगे।

मैं भूमि सुधार की बात कहता हूं। हर जगह में सीलिंग लॉ है लेकिन बंगाल ही एक जगह है जहां जितनी भी वेस्ट जमीन का पट्टा दिया गया, उसका 50 प्रतिशत शैडयूल्ड कास्टस, शैडयूल्ड ट्राइब्स को दिया गया है। क्या आप यह कानून बना सकते हैं कि हर स्टेट में जितनी भी वेस्ट जमीन होगी, उसका 50 प्रतिशत शेडयूल्ड कास्टस, शैडयूल्ड ट्राइब्स को दिया जाएगा? यदि गरीब किसान के पास जमीन नहीं होगी, पैसा नहीं होगा, साधन नही होंगे तो आप जितनी भी रिपोर्ट देते रहें, उसमे कोई दम नहीं होगा। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में सबसे बड़ी समस्या भूमि सुधार की है। आपने गरीब लोगों को जमीन बांटने के लिए कड़ा कदम कहां उठाया? क्या इस बारे में आपकी कोई पोलिटिकल विल है? बाहर जो भी घटना घट जाती है, आप सदन में आकर कहते हैं कि इसे सभी को राजनैतिक स्तर से ऊपर उठकर देखना चाहिए। आप घडियाली आंसू बहाते हैं। बिना पोलिटिकल विल के समस्या का समाधान नहीं होगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप इन बातों पर ध्यान दें।.....**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : क्या हम सभा की बैठक आधे घंटे के लिए बढ़ा सकते हैं?.....**(व्यवधान)**

श्री राम विलास पासवान : जी नहीं महोदय, हम चर्चा कल जारी रख सकते हैं।....**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : जी, नहीं। मंत्री महोदय, कल जवाब देंगे। हमें आज ही इस पर चर्चा करके इसे समाप्त करना चाहिये।

हम सभा का समय आधे घंटे के लिए और बढ़ाते हैं।

6.00 म.प.

कुछ माननीय सदस्य : ठीक है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब, समय 6.30 म.प. तक बढ़ा दिया गया है।

[हिन्दी]

श्री सैयद मसूदल हुसैन : मै अपनी बात खत्म कर रहा हूं।

शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के बच्चों को पढ़ाई में कुछ कोटा तो हम दे देते हैं लेकिन सिर्फ कोटा देने से कुछ काम बनेगा? जिनके पेट में दाना नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है तो सिर्फ कोटा मिलने से उनको स्कूल में और कालेज में दाखिला मिल जायेगा? वह पढ़कर आत्मनिर्भर हो जायेंगे? इसके बारे में सरकार ने क्या सोचा है?

हर डिस्ट्रिक्ट में आज तक शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के लडकों के लिए मुफ्त होस्टल किसलिए नहीं बने? हम हर 10 साल के बाद इनके रिजर्वेशन को एक्सटेंड करते हैं। संविधान में इन लोगों के लिए 10 साल के लिए रिजर्वेशन दिया गया था, लेकिन बदकिस्मती यह है कि आज भी हमें 10 साल के बाद इसको एक्सटेंड करना पड़ता है। आखिर कब तक हम 10–10 साल करके इसको बढ़ाते रहेंगे ? यह गलत तरीका है इसलिए इसको हमें कहीं न कहीं खत्म करना होगा। अगर हमारी पोलिटिकल विल ठीक रही, अगर हम सही तरीके से चले तो अगले 10 साल में हमें रिजर्वेशन को खत्म करना है। अगर हमने रिजर्वेशन को 10 साल में खत्म नहीं किया तो दूसरी कम्युनिटी के लोग भी इसको दूसरी नजर से लेते हैं, वह इसको दूसरे ढंग से लेते हैं।

रिजर्वेशन से आज दूसरे लोग खफा हो रहे हैं। लोग समझते हैं कि सब कुछ इनके लिए हो रहा है लेकिन वास्तव में हो कुछ नहीं रहा है और इनमें से कोई आगे नहीं बढ़ रहा है। इनकी नौकरी के रिजर्वेशन में बैकलाग के बारे में सिर्फ हम बात कर रहे हैं। अगर इन लोगों के रहन–सहन के बारे में हम कहें तो आज भी गांव के बाहर, नदी के किनारे, दूरदराज में यह लोग रहते हैं और कुछ जगह तो हालत यह है कि इन्हें ट्यूबवैल का पानी तक नसीब नहीं है, यह उसे भी नहीं पी पाते हैं। हमारे देश में कानून तो बहुत हैं, हर साल हम लोग नये–नये कानून बनाते हैं लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है या नहीं, यह हम नहीं देखते हैं। इम्प्लीमेंटेशन की जो एजेन्सी है, उसके ऊपर हमें ठीक ढंग से दबाव डालना चाहिए या नहीं, इसके बारे में हमें विचार करना है। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें आगे बढना है। अगर हम इन सब चीजों को ध्यान में नहीं रखेंगे तो देश के अन्दर जो तनाव पैदा हो रहा है, वह आने वाले दिनों में देश के लिए बहुत बुरा होगा।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : मान्यवर उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं।

भारतीय सविधान निर्माताओं ने जब संविधान के अन्दर आरक्षण का प्रावधान किया था, उस समय में जो भावना थी कि समाज में जो कमजोर वर्ग हैं, समाज में जो दलित वर्ग है, समाज में जो दलित वर्ग है, वह सदियों से सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक और अन्यान्य दृष्टियों से बहुत दबा हुआ रहा है, पिछड़ा हुआ रहा है, उसको किस प्रकार से समाज के अन्दर समरस बनाया जाय, समाज के अन्दर कैसे ममता पैदा की जाय, कैसे छुआछूत का मूलाच्छेदन किया जाय, कैसे उनके सामाजिक स्तर को बढ़ाया जाय, कैसे उनको समाज में बराबरी का दर्जा दिया जाय और सारा समाज एक साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर उन्नति के पथ पर अग्रसर होकर भारत राष्ट्र को सबल और सशक्त बनाने का प्रयास करे। परन्तु वह भावना आज स्वाधीनता के 47 वर्षों के पश्चात् भी, यदि हम विचार करें तो तनिक मात्र भी पूरी नहीं हुई है और ऐसा मालूम पड़ता है कि आरक्षण की व्यवस्था के नाम पर केवलमात्र समाज के कमजोर वर्गों का, अनुसूचित जाति और जनजातियों का वोट बैंक के रूप में निर्माण अवश्य हुआ है। उसके नाम पर उनका राजनैतिक शोषण अवश्य हुआ है। यदि मैं यह कहूं तो इसमें किसी प्रकार की अतिशयोक्ति नहीं है।

आर्यसमाज के प्रवर्तक महर्षि दयानन्द सरस्वती जैसे समाज सुधारक, राजा राम मोहन राय, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानन्द जी ने, महात्मा गांधी जी ने, ज्योतिबा फूले ने, डा. भीमराव अम्बेडकर जी ने, और भी जितने बड़े–बड़े समाज सुधारक हुए, उन्होने भी समाज की इन बुराइयों को समझा था।

समाज के दलित वर्ग को ऊंचा उठाने का प्रयास किया था, छुआछूत को मिटाने का प्रयास किया था, सामाजिक समानता लाने का प्रयास किया था। उनके प्रयासों के कारण जो संस्थायें स्थापित हुईं चाहे आर्य समाज था, चाहे आर्य समाज के गुरूकुल थे, चाहे आर्य समाज के स्कूल थे अथवा अन्य–अन्य महानुभावों द्वारा स्थापित आश्रम थे या गांधी जी के आश्रम थे, उनमें ऐसी व्यवस्था थी कि पता नहीं लग सकता था कि वहां कौन हरिजन है, कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रीय है, कौन दलित वर्ग का है, कौन आदिवासी है, वहां एकरस वातावरण रहता था। वहां से महाशय, बड़े–बड़े पंडित, ज्ञानी बन कर निकले। समाज में उनकी विशिष्ट पहचान हो गई। यह थी उनकी भावना। उन्होंने बडे–बड़े विशाल प्रीतिभोजों का आयोजन किया। उनकी बस्तियों में जाकर आदिवासियों एवं अनुसूचितों के बीच रह कर और उनको समझ कर, उनके बीच अपना प्रेम और अच्छी भावना पैदा की। उन्होंने उनके सोये हुए विश्वास व स्वाभिमान को जगाया। उन्हें समाज की समान परिस्थिति में लाया गया। उच्च वर्ग के लोगों द्वारा प्रायश्चित किया जाता था।

जिन रिपोर्टों के ऊपर आज हम इस पवित्र सदन में चर्चा कर रहे हैं, वे रिपोर्टें 1986–87 और 1987–88 के 28वें और 29वें प्रतिवेदन की हैं जो कि 9 मई 1989 और 29 अगस्त 1990 को सभा पटल में रखी गई। एस. सी. एस. टी के राष्ट्रीय आयोग द्वारा 1982–83, 1983–84, 1984–85 और 1985–86 के पांचवें, छठें, सातवें और आठवें प्रतिवेदन जिन्हें क्रमशः 5 मार्च 1986, 26 अगस्त 1987, 4 मई 1988 और 21 नवम्बर 1988 को सभा पटल पर रखा गया। 6 वर्षों के बाद उन पर विचार किया जा रहा है। इससे इस सरकार की असंवेदनशीलता का पता लगता है। यह सरकार कोरी मात्र लकीर की फकीर बनी हुई है। मेरे जैसे लोग जो कि नौवीं लोक सभा के सदस्य भी बने थे, आज 10वीं लोक सभा में उस पर चर्चा कर रहे हैं। आप भविष्य में ऐसी व्यवस्था करने का आदेश इस सरकार को प्रदान करें कि जब भी अनुसूचित जाति या जनजाति के बारे में जो भी रिपोर्ट आयुक्त या आयोग के द्वारा प्रस्तुत होगी, उन पर तुरन्त चर्चा होगी ताकि इन ज्वलन्त समस्याओं का निराकरण हो

सके। 6 वर्ष पहले जो समस्यायें थीं और आज जो समस्यायें हैं, उनमें जमीन आसमान का अन्तर है। अफसोस के साथ यह बात कहनी पड़ती है कि जो सत्ता पर आरूढ़ हैं, उन्हीं के द्वारा सत्तासीन राज्यों में इन कमजोर वर्गों के साथ अत्याचार और जुल्म हो रहा है। हम अलीगढ़ की घटना भूले नहीं हैं जहां पर 7 हरिजन महिलाओं के साथ एक साथ बलात्कर हुआ। महाराष्ट्र में गोवारी समाज के लोग जब अपने हकों को लेने के लिये गये तो उन पर लाठियां चलायी गईं और उन्हें धक्का देकर पीछे किया गया। उसमें 113 लोग मौत के घाट उतार दिये गये। अब उनके नाम पर मगरमच्छ के आंसू बहाये जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि उन्हें लिया जाये या नहीं लिया जाये, उन्हें काटा जाये या छांटा जाये। आज होड़ लगी हुई है। ऐसी स्थिति पैदा करने के लिये कौन जिम्मेदार है?

अनुसूचित जाति के लोगों के नाम पर जो इन्दिरा आवास योजना बनायी गई और उनके नाम पर जो बस्तियां बनी, आज गांवों में जाकर देखें तो पता लगेगा कि उनके मकान खाली पड़े हुए हैं। उनकी दीवारें गिर रही हैं। उनमें एस. सी. एस. टी. के लोग रहने के लिये तैयार नहीं हैं। अनुसूचित जातियों के नाम पर दूसरे लोग फायदा उठा रहे हैं।

मैं राजस्थान का रहने वाला हूं। अभी भेरू लाला मीना जी अपना भाषण दे रहे थे। मेवाड़ के रहने वाले भीलों ने महाराणा प्रताप के साथ कंधे से कंधा मिला कर स्वाभिमान और देशभक्ति का परिचय दिया था। इनको बसाने के लिये भारत के प्रथम प्रधान मंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू जी ने चित्तौड़ में जाकर भीलों और गाड़िया लौहारों को कहा था कि आप लोगों ने कष्ट का सामना करके अपनी मातृभूमि की रक्षा की है। आज उनकी क्या स्थिति है? उनको आज तक कितना आरक्षण मिला, कितनी सुविधायें मिलीं? मुट्ठी भर जातियां जो अगड़ी हैं, वही फायदा उठा रही हैं। बाकी की सड़क के किनारे बैठे हुए अपना काम चला रही हैं। वे आज उसी स्थिति का शिकार हैं।

हरिजन लोगों में ऐसे कितने लोग हैं, जिनको बड़े पद प्राप्त हुए हैं। अनुसूचित जातियों में भी मुट्ठी भर लोग ही हैं, जिनको ज्यादातर सुविधायें प्राप्त हो रही हैं और बाकी लोगों को उपेक्षा का सामना करना पड़ रहा है। क्या समय नहीं आया है कि 47 वर्षों के बाद भी सरकार आरक्षण की नीति की समीक्षा कराई जाए? समीक्षा होती है, तो पाया जाता है कि कितने लोगों को स्थान प्राप्त हो गए हैं, कितना बैकलॉग है और स्थान भरे नहीं गए हैं, तो क्यों भरे नहीं गए हैं। इतनी सब कुछ होने पर भी समाज में समरसता कितनी पैदा हुई है और समाज में ममता की भावना कितनी आई है।

महोदय, समाज को जोड़ना बहुत कठिन है, लेकिन तोड़ना आसान है। आज जातिवाद की आंधी देश के अन्दर हिलोरे ले रही है। जातिवाद के नाम पर समाज के टुकड़े करके समाज को बांटने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे संविधान निर्माताओं ने आरक्षण की व्यवस्था इसलिए की थी कि समाज के कमजोर वर्ग को समकक्षता प्राप्त हो जाए। समाज के कमजोर वर्ग को समाज में समरसता प्राप्त हो जाए, लेकिन आज वह स्थिति नहीं आई है। आज छुआछूत के नाम पर कहीं मन्दिर में प्रवेश नहीं दिया जाता है और कहीं पर पानी नहीं भरने दिया जाता है। इतने आयोग बन गए, इतनी रिपोर्ट्स आ गई, जो आज धूल में पड़ी हुई हैं और जिन लोगों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, उनकी स्थिति दयनीय ही बनी हुई है। इस बात को किसी को कहने की आवश्यकता नहीं है।

मैं एक बात अफसोस के साथ कहना चाहता हूं, इन लोगों में जो पढ़–लिख कर बड़े–बड़े अधिकारी बन गए हैं, उनकी अपनी एक क्लास बन गई है। ये अपने समाज के लोगों के साथ उठना–बैठना पसन्द नहीं करते हैं। उनके बीच में जाकर उनके स्वाभिमान को जगाने का प्रयास नहीं करते हैं। उनको यह जतलाते नहीं है कि मैं भी आप लोगों में से आया हूं और आप लोग भी ऊपर उठ सकते हैं। ऐसी भावना पैदा करने का प्रयास नहीं किया जाता है। ऐसा लगता है, जैसे हम एक नए वर्ग को जन्म दे रहे हैं या आरक्षण का स्थायित्व प्रदान कर रहे हैं। संविधान निर्माताओं ने दस–दस साल करके कई बार आरक्षण को आगे बढ़ाया, लेकिन हम कब तक आरक्षण को आगे बढ़ाते जायेंगे। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, जब भी रिपोर्ट आए, उस पर सदन में तुरन्त चर्चा कराई जानी चाहिए और साथ ही आरक्षण कब तक रहेगा, इसके बारे में सुव्यवस्था की जाए। जिन उद्देश्यों और भावनाओं को लेकर हमारे संविधान निर्माताओं ने आरक्षण की व्यवस्था की है, वह भावना पूरी हो रही है या नहीं हो रही है, इस बात को भी देखना चाहिए। इनके स्कूल भी खोल दिए हैं और छात्रवृत्तियां भी दी जा रही हैं, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी उनकी जनसंख्या तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। गन्दी बस्तियों की संख्या तेजी के साथ बढती जा रही है। अशिक्षा भी इन्हीं लोगों में ज्यादातर व्याप्त है। हमारे देश में मल्टीनेशनल्स आ रहे हैं, वे नौकरियां कहां देंगे। नौकरी के बढ़ते मोह और घटते रोजगार का परिणाम यह हो रहा है कि बेरोजगारी दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ती चली जा रही है। आज उनको मजदूरी नहीं मिलती है, आज उनका बस्तियों में सही सम्मान नहीं होता है। हमारे संविधान निर्माताओं ने जिस भावना को लेकर यह आरक्षण दिया था, उसके बारे में सोचना पड़ेगा। हमारे समाज में डिवीजन आफ लेबर, श्रम के आधार पर व्यवस्था की गई थी, लेकिन कालान्तर में जन्मगत जाति व्यवस्था के कारण इसमें दोष आ गया। यह देश हजारों जातियों के कारण बंट गया, जो देश के लिए कलंक की बात है। जातिवाद मिटना चाहिए और समाज के कमजोर लोगों को ऊपर उठाना चाहिए तथा स्वाभिमान पैदा करना चाहिए।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से एक और बात कहना चाहता हूं। आयोग को प्रभावी और सक्षम बनाया जाना चाहिए तथा शक्तिशाली भी बनाया जाना चाहिए। यह तो दांत रहित शेर की तरह से है। यह आयोग कुछ कार्यवाही नहीं कर सकता है। जब अत्याचार की घटना कहीं होती है और अखबार में पढ़ते हैं, तब आयोग के अध्यक्ष या मंत्री जाकर जानकारी प्राप्त करते हैं। जिनके साथ अमानुषिक व राक्षसी व्यवहार हो जाता है, वह हो कर रह जाता है और फिर बाद में लीपा–पोती हो जाती है और कोई कार्यवाही नहीं होती है। इस वर्ग के ऊपर हो रहे दमन और शोषण को रोकना चाहिए, जो रूक नहीं पाता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आयोग के शक्तिशाली बनाया जाना चाहिए। जिन भावनाओं के आधार पर इसको मूर्तरूप प्रदान करना है, शक्ति देनी है, वह दी जानी चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया।

[अनुवाद]

श्री ऑस्कर फर्नान्डीज़ (उदुप्पी) : उपाध्यक्ष महोदय, इस विषय पर कुछ शब्द कहने का अवसर प्रदान करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले मैं यह विषय इस सभा में चर्चा के लिए लाने के लिए अपनी सरकार और मंत्री महोदय को बधाई देता हूं।

महोदय, हम इस देश में स्वतंत्रता के लगभग पाँच दशक पूरे कर रहे हैं और महात्मा गांधी का यह स्वप्न था कि हम अपने लोगों में इस वर्ग को आगे लायें। इस वर्ग के लोगों के लिए बहुत कुछ किया गया है लेकिन बहुत कुछ किया जाना भी बाकी है। मैं अधिकांश माननीय सदस्यों की इस बात से सहमत हूं कि इन वर्षों में जो कुछ हुआ हमें उसकी समीक्षा करनी चाहिये और यह पता लगाना चाहिये कि इस वर्ग के लोगों के लिए हमें और क्या करना पड़ेगा। मैं इस सम्बन्ध में एक या दो सुझाव देना चाहूंगा।

हमारी यह नीति थी कि जो भी अतिरिक्त भूमि है, उसे पहले अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को दिया जाना चाहिये। इस कार्यक्रम में तेजी लाई जानी चाहिये और जो भी फालतू भूमि है, उसे इन लोगों को दिया जाना चाहिये।

दूसरे बहुत से शिक्षित नवयुवक रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते। अगर हमारे पास सरकारी भूमि नहीं है, तब हमें बंजर ही अधिगृहीन करनी चाहिये और उसे इन शिक्षित नवयुवकों को देना चाहिये ताकि वे इस पर कृषि कर सकें और इस प्रकार से बेरोजगारी की समस्या भी सुलझ जाये।

इन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को ऊपर लाने के लिए दो मुख्य चीजें, शिक्षा और रोजगार की आवश्यकता है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में ही एक और वर्ग शारीरिक रूप से विकलांग लोगों का है, जिसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। वे सबसे अधिक पीड़ित लोग हैं। हमारे पास इन लोगों के लिए कोई विशेष कार्यक्रम नहीं है। मेरे विचार में हमारा ध्यान शारीरिक रूप से विकलांग इस वर्ग के लोगों पर केन्द्रित होना चाहिये ताकि उनका भी पुनर्वास हो सके।

मैं सभा के सामने कर्नाटक सरकार की एक उपलब्धि रखना चाहता हूं ताकि हम अन्य राज्यों में भी इसे प्राप्त कर सकें। हमने राजनीतिक पदों पर जैसे पंचायत प्रधानों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया है। मेरे विचार में यह एक बड़ी उपलब्धि है जिसे अन्य राज्यों में भी प्राप्त किया जाना चाहिये। अगर महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का 25 प्रतिशत और यहां तक 33 प्रतिशत पंचायत चलाने में समर्थ हैं, तो वे यह सुविधा इन लोगों को भी प्रदान करने में समर्थ हो सकेंगे और वे यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को उन लाभों से वंचित न रखा जाये, जो उन्हें केन्द्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकार से मिल रहे हैं।

मुझे मुख्य रूप से यही कहना है। मैं यह अवसर प्रदान करने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

[हिन्दी]

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा) : मान्यवर, आपने मुझे अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं तीन बातें कहना चाहूंगा। मेरा पहला कहना यह है कि जिस समय मंत्री जी ने अपने विषय को रखा तो उसमें उन्होंने कहा था कि अनुसूचित के गौरव को उन्होंने बहुत बढ़ाया है। उसमें उन्होंने एक बात बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर की कही थी कि हमने उनकी जन्म शताब्दी बड़े धूमधाम से मनाई है। मैं कहना चाहूंगा कि बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर की जन्म शताब्दी जो मनाई जा रही है उसमें उनका घोर अपमान किया जा रहा है, निरादार किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी बाबासाहेब के नाम पर अम्बेडकर गांवों का चयन किया गया था, जहां अनुसूचित जातियों की आबादी अधिक है उन गांवों के इलैक्ट्रीफिकेशन की बात कही गई, उनके विकास की बात कही गई उनका अभी तक कोई विकास नहीं हुआ। इलैक्ट्रीफिकेशन के लिए न केन्द्र सरकार ने पैसा दिया और न ही राज्य सरकार ने दिया। यह एक मजाक की स्थिति बन रही है।

महोदय, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी बनाने की बात लखनऊ के अंदर हुई वह आज तक बन कर तैयार नहीं हुई। आगरा में भी यही स्थिति है। वहां डा. अम्बेडकर संस्थान अभी तक नहीं बन पाया। मैं एक दूसरी बात कहना चाहूंगा कि बाबासाहेब अम्बेडकर के साथ-साथ अनुसूचित जातियों में अन्य भी जो महापुरूष हुए हैं उनको भी सम्मानित किया जाना चाहिए। कोरी समाज के झलकारी बाई हैं उनके बिना झांसी की रानी लक्ष्मी बाई का इतिहास और 1857 का देश की स्वतन्त्रता संग्राम के प्रथम राष्ट्रीय संघर्ष का इतिहास पूरा नहीं हो सकता है उनके त्याग और बलिदान की अनुपम कहानी है लेकिन उनकी जब जन्म जयन्ती मनाई जाती है तो उस पर भारत सरकार सम्मान में डाक का टिकट तक जारी नहीं करती और राष्ट्रीय छुट्टी की घोषणा भी नहीं करती है। मेरा कहना यह है कि जो आयोग बना है वह विभिन्न जातियों में आपस में दरार पैदा करने की स्थिति तो बहुत पैदा करता रहा है लेकिन सरकार द्वारा समरसता समाज में लाने के लिए आवश्यक कि अनुसूचित-जनजाति के जो महापुरूष हुए हैं उनको भी ठीक से सम्मानित किया जाए। उनके व्यक्तित्व को समाज के अंदर प्रतिष्ठापित किया जाए उनकी यशगाथा, पराक्रम तथा योगदान प्रचारित किया जाए जिससे कि समाज के सभी लोग उनसे प्रेरणा ले सकें तथा श्रद्धाभाव जाग सके।

दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि इतने वर्षों के बाद भी इन वर्गों पर जुल्म हो रहे हैं। अभी मेरे मित्र उल्लेख कर रहे थे, मैं उनकी बात को सही करना चाहूंगा। अलीगढ़ के नगलापरसी नामक स्थान पर महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया, जिनमें 15 अनुसूचित जाति की, 13 जाटव समाज की, 2 बाल्मीकि समाज की और 2 मुसलमान महिलाएं थीं। इसके बाद शैतानी यह की गई कि सत्ताधारी दल और पुलिस द्वारा मिलकर साक्ष्य मिटाने का प्रयत्न किया गया, रिपोर्ट नहीं लिखी गई, डाक्टरी मुआयना नहीं करवाया गया और न ही किसी तरह की सहायता दी गई। सिर्फ कुछ अधिकारियों का स्थानांतरण और कुछ को मुअत्तल करके असली अपराधियों को बचाने का प्रयत्न किया जा रहा है। यदि आयोग के

कार्यों का सही रूप से मूल्यांकन करना है तो इस मामले की ईमानदारी से जांच करवाई जाए और अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण न दिया जाए। पुलिस जो उस समय गश्त पर थी उसने पीड़ितों की कोई हिमायत नहीं की, अपराधियों के घर की कोई कुर्की वगैरह भी नहीं की गई, अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। मेरा कहना है कि इस कांड की सी. बी. आई. से जांच करवाई जानी चाहिए, ताकि राज्य सरकारें राजनीतिक हस्तक्षेप न कर सकें और पक्षपात करके अपराधियों को बचाने का काम न हो सके।

इन लोगों में स्वाभिमान जगाने में सरकार असफल रही है, जैसा कि डा. अंबेडकर शताब्दी वर्ष में, उनकी बातों को पूरा न करके किया जा रहा है। इसी तरह से झलकारीबाई को सम्मान नहीं दिया गया है। झलकारीबाई के जन्म दिवस को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जाए। इसी तरह से बाल्मीकि जन्म दिवस पर भी राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जाए तथा डाक टिकट जारी किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, जब तक इन वर्गों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए कारगर कदम नहीं उठाए जाएंगे, तब तक देश का विकास नहीं हो सकता है। कुटीर उद्योगों में सबसे अधिक इन्हीं वर्गों के लोग कार्यरत हैं, लेकिन आज बहुराष्ट्रीय कंपनियों के जरिए कुटीर उद्योगों को समाप्त करने का काम किया जा रहा है। इस तरह से इन वर्गों की स्थिति और खराब होगी। आठवीं पंचवर्षीय योजना के इस लक्ष्य को कि सिर पर मैला ढोने की प्रथा को समाप्त कर दिया जाएगा, अभी तक पूरा नहीं किया जा सका है। इसलिए मेरा कहना है कि बाल्मीकि समाज की आर्थिक और सामाजिक स्थिति सुधारने के लिए कारगर कदम उठाए जाने चाहिए। उनको रोजगार व विकास के अधिक अवसर प्रदान किए जाने चाहिए।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि एक बार इस बात का मूल्यांकन किया जाना चाहिए कि आरक्षण की सुविधाओं को लाभ इन वर्गों को ठीक प्रकार से मिला है। 1–2 जातियों के कुछ वर्ग को छोड़ कर आज भी अन्य अनुसूचित जातियां आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं कर सकी हैं। हमें सोचना पड़ेगा कि हमारे कार्यक्रम में कहां कमी है। इस पर पुनर्विचार करके ऐसे तरह की योजना बनानी होगी, जिसमें सभी अनुसूचित जातियों को सुविधाएं मिलें। उनका विकास हो सके यह कार्य आवश्यक है, इसलिए एक बार किए गए कामों का आकलन किया जाना चाहिए तथा व्यापक रणनीति बनाई जानी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। आज जो चर्चा चल रही है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। संविधान में सारी व्यवस्थाएं रहने के बावजूद दलितों के विकास की दिशा में सरकार ने कोई कारगर कदम नहीं उठाया है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि इस देश में नीति की कमी नहीं है, नीयत की कमी है। यही कारण है कि आजादी के इतने वर्षों के बाद भी संविधान में दी गई सुविधाओं को लागू करने का तरीका सरकार नहीं निकाल पाई है, जबकि सारी चीजें संविधान में दी गई व्यवस्था को लागू करने पर निर्भर करती हैं।

इसलिए लागू करने का तरीका और लागू करने वाले पर यह निर्भर करता है, क्योंकि इनकी नीयत ठीक नहीं है अतः वह लागू नहीं हो पा रहा है। अगर दोषपूर्ण संविधान भी हो, लेकिन लागू करने वाले की नीयत ठीक हो तो उससे गरीबों को लाभ मिल सकता है। इस देश में जो हजारों वर्षों से परम्परा है, जो कुरीति है, जो ऊंच–नीच की खाई है, जो वैमनस्यता है, जो विषमता है उसका कारण यही है कि कुछ मुट्ठी भर लोगों का इस देश के इतिहास, दौलत, शिक्षा और संस्कृति पर कब्जा है। क्या कारण है कि पिछली जनसंख्या के आंकड़ों के अनुसार करीब 25 प्रतिशत इस तबके को आरक्षण पूरी तरह से अभी तक नहीं दिया जा सका है। जबकि वह संविधान द्वारा प्रदान किया गया है। लेकिन हम देख रहे हैं कि इस सत्र में भी सरकार इस दिशा में कोई सकारात्मक पहल नहीं करने जा रही है। ठीक है कि रिपोर्ट सही तैयार हो रही है। लेकिन ये रिपोर्ट्स भी भानुमती के पिटारे की तरह रहेंगी। कोल्ड स्टोरेज में ही पड़ी रहेंगी, दलित वर्ग को इसका लाभ नहीं मिलेगा। हमें ऐसी आशंका है। अगर एक अच्छी रिपोर्ट तैयार हो और उसको व्यवहार में नहीं लाया जाये तो उसका कोई लाभ नहीं होगा। जब तक इन 25 प्रतिशत लोगों को हिन्दुस्तान की मुख्य धारा से नहीं जोड़ेंगे, शैक्षणिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, राजनैतिक तौर पर, साहित्य के स्तर पर, इतिहास के स्तर पर आगे नहीं लायेंगे, तब तक देश का विकास पूरी तरह से नहीं हो पायेगा। यही वर्ग अनाज पैदा करके देता है, यही वर्ग चमड़े से लेकर लकड़ी की वस्तुएं तैयार करके हमें देता है। यही कमेरा वर्ग ऐसा वर्ग है जो मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाया है। आज हम देखते हैं कि जो आदमी मेहनत नहीं करता है, पसीना नहीं बहाता है, वही बड़ा आदमी कहलाता है। क्योंकि समाज में वही आदमी बड़ा कहलाता है जिसके पास पैसा है। बड़े आदमी की क्या पहचान – जो गिटपिट बोले और करे न काम। छोटे आदमी की, शुद्ध लोगों की क्या पहचान–करे काम और पावे अपमान। इसलिए इस परिभाषा को जब तक हम नहीं बदलेंगे तब तक भीमराव अम्बेडकर साहब द्वारा दिये गये संविधान का अक्षरशः पालन नहीं होगा। इसलिए इस परिभाषा को बदलना पड़ेगा और यह होना चाहिए कि जो करे काम सो पावे सम्मान। इसके लिए समाज को तैयार होना पड़ेगा और हमें उदार होना पड़ेगा कि हम अपने छोटे भाई को सम्मान देने के लिए तैयार हैं। आज सामंती मानसिकता है, कट्टरपंथी लोगों का अपना एक हिसाब है जिसके चलते इनको किसी भी स्तर पर सम्मान नहीं मिल पाता है। चाहे वह शैक्षणिक स्तर हो या राजनैतिक स्तर हो। यह ठीक है कि आज लोक सभा में जो माननीय सदस्य हैं, चाहे छेदी पासवानजी हों या राम विलासजी पासवान हों, इनको तो लोग अंगीकार कर लेते हैं। वह इसलिए कि ठीक है ये लोग सांसद हैं, नेता हैं, इनके साथ खा लो, ऊंच–नीच की बात इनके साथ नहीं रहती। लेकिन ऊपर चाटो–नीचे काटो, यह बात हो रही है। यदि कोई दलित ऊपर आ गया है तो हम उसको स्वीकार कर लेते हैं, उनको सम्मान देने में हमें बहुत हिचकिचाहट नहीं होती। लेकिन जो गरीब हैं, चाहे पासवान हो, चाहे चमार हो, चाहे कमेरा वर्ग हो, उनको समाज में प्रतिष्ठा नहीं मिल पाती। समाज की जो संरचना है, उसमें उनको सम्मान नहीं मिलता है। जब उनको सम्मान देने की बात आती है तो हमारा दिल छोटा हो जाता है। इस दिल को हमें बदलना होगा। क्योंकि जब तक

राष्ट्रीय धारा से इनको नहीं जोड़ा जायेगा तब तक यह देश दुनिया के नक्शे में शूद्र बना रहेगा। अमरीका और अन्य देशों के सामने यह शूद्र ही बना रहेगा। यह तब तक होगा जब तक इस देश का दबा-कुचला वर्ग इस देश की मुख्य धारा से नहीं जुड़ता है। इसीलिए मैंने इस बात का जिक्र किया है। आज चाहे आरक्षण का सवाल हो या प्रोन्नति में आरक्षण का सवाल हो।

इन सब चीजों में समय क्यों लग रहा है, ये संचिकाओं में बंद क्यों हैं और इन सब चीजों का सकारात्मक पहलू क्यों नहीं लिया जाता है? कारण, मानसिकता की कमी है। नीयत में कमी है। उन लोगों को हर स्तर पर हिस्सा क्यों नहीं दिया जा रहा है? इतिहास इस बात का साक्षी है कि यह पीड़ा आज की नहीं है बल्कि आजादी से पहले की बात हो रही है। आज से 400 साल पहले हल्दीघाटी की लड़ाई लड़ी गयी थी जिसमें 375 भील मारे गये थे और जिसके नेता महाराणा प्रताप थे और उनको अंगीकार कर लिया था। क्या उसके बाद जानवरों का इतिहास बना क्योंकि उस इतिहास में भील का नाम तक नहीं मिलता? मैं तो यह कहूंगा कि इतिहास के मोर्चे पर भी भारी बेईमानी हुई थी। यहां तक कि अनुसूचित जाति, दलितों और दबे-कुचले लोगों के साथ बेईमानी की गयी। इसलिये हमको इतिहास रचने के समय तकदीर, तस्वीर समरूप बनाने के लिये और समतामूलक समाज को स्थापित करने के लिये इस विषमता को समाप्त करना होगा नहीं तो आने वाला दिन ठीक नहीं होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, प्राचीनकाल में क्या होता था ? एक बड़ा आदमी हाथी पर बैठता था और आज कुछ वर्ग के लोग, चाहे वे 2 परसेंट ही क्यो न हों, और जिन में हम सासंद या राजनेता आते हैं, सुविधायें ले रहे हैं लेकिन जो आदमी जमीन पर बैठा हुआ है, उसको न्याय नहीं मिल रहा है और आज के बड़े लोग 35 हजार फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे हैं। यह आर्थिक विषमता नहीं तो क्या है? तो मेरे कहने का अर्थ है कि आज बड़े और गरीब लोगों के बीच में यह दूरी और बढ़ती जा रही है, क्यों? इस कारण यहां पर हिंसा का वातावरण बनता जा रहा है, ऐके-47 चल रहे हैं। जब तक यह विषमता का वातावरण नहीं मिटेगा, तब तक कोलाहल और हिंसा के वातावरण में अमन-चैन पैदा नहीं हो सकता है। जो गरीब आदमी जानवर की जिन्दगी जी रहा है, वह तो हिंसा के दौर में आयेगा ही। जब शान्ति से उसको हिस्सेदारी नहीं मिलेगी तो वह हिंसा का रास्ता अपनायेगा। संविधान में तथा लोकतांत्रिक ढंग से उसको दिये गये अधिकारों का प्रावधान नहीं किया जायेगा तो हिंसा का रास्ता और खुलता चला जायेगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस हिंसा के दौर को कम करने के लिये और यह फासला मिटाने के लिये इन लोगों को उनके अधिकार देने होंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, अंत में एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा कि जो लोग आरक्षण में बेईमानी करते हैं, बैकलाग पूरा नहीं करते हैं और जब प्रावधान किया हुआ है और होता नहीं है तो उन अधिकारियों के खिलाफ एक्शन होना चाहिये, उनपर जुर्माना होना चाहिये और जेल की सजा होनी चाहिये। इस बात को तय करना होगा। इस मामले में जो आनाकानी करते हैं, लापरवाही करते हैं और आरक्षण नहीं देते हैं, उन लोगों के लिये दण्ड निर्धारित करना जरूरी है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं बिहार का एक उदाहरण देना चाहता हूं कि वहां पर इन्दिरा आवास योजना के अंतर्गत गरीब लोग मकान बना रहे हैं। उसमें दीवार पश्चिम में हो और खपरा पूरब में हो तो बरसात, आंधी या तूफान में क्षत-विक्षत हो जाती है लेकिन मैं माननीय सदस्यों को वहां चलकर देखने के लिये आमंत्रित करता हूं कि बिहार के मुख्यमंत्री ने उन लोगों को साढ़े चौदह हजार रुपया का लोन दिया है तो इन लोगों के मकान ऐसे पक्के बन गये हैं कि बरसात तो क्या आंधी तूफान में भी वहां के वहां रहते हैं। ये लोन उन भूमिहीन और गृहविहीन लोगों को दिये गये हैं। बने हुये मकानों का निरीक्षण करने के लिये कोई नहीं जाता है फिर भी मकान इतने पक्के बनाये जाते हैं। ऐसे मकान दो लाख लोगों के लिये तैयार हो रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि यह प्रक्रिया न केवल बिहार में बल्कि सारे देश में लागू हो तो इन्दिरा आवास योजना का कार्य सफल हो सकेगा। इससे दलितों को लाभ होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इन रिपोर्टों पर अपने विचार व्यक्त करने और उन पर कुछ सुझाव देने का अवसर प्रदान किया। मैं सरकार को भी मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने इस सम्माननीय सभा में इस विषय को चर्चा के लिए उठाया। इससे देश के कमजोर वर्गों के विभिन्न प्रकार के कष्टों तथा उनकी दशाओं पर एक विस्तृत चर्चा करने का अवसर मिला है जिससे सरकार, सरकारी कर्मचारियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, संसद सदस्यों तथा विधायकों के बीच चिन्ता उत्पन हुई है।

इस चर्चा को आरम्भ करने से पहले मैं राष्ट्रपिता, गांधी जी की पवित्र याद को श्रद्धाजालि अर्पित करना चाहूँगा। दलितों तथा अछूतों के कष्ट दूर करने के क्षेत्र में उनका योगदान करना न केवल प्रशंसनीय है अपितु न केवल भारत में यहाँ तक कि पूरे विश्व में उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। यह बहुत दुःख की बात है कि निहित स्वार्थ के कारण गांधी जी की निन्दा करने की कोशिश की गई है उनके योगदान के महत्व को कम करने की कोशिश की गई है। मुझे दूसरों की प्रशंसा करना बुरा नहीं लगता है। अनेक लोगों ने भिन्न-भिन्न तरीकों से कमजोर वर्गों की दशाओं को सुधारने की कोशिश की है। डा. अम्बेडकर भी एक महान् विभूति थे। भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने में उन्होंने मुख्य भूमिका निभायी। वे कानून के पंडित, समाज सुधारक व स्वंय एक दलित थे। उन्होंने जन्म से ही अछूतों के दुःखों को बहुत बारीकी से देखा लेकिन इसके साथ ही राष्ट्रपिता गांधीजी के इतने अधिक योगदान की निन्दा करना, उसके महत्व को कम करना, वास्तव में एक अपराध है।

मैं यहां एक उदाहरण दूंगा। गांधी जी ने सन् 1920 में अपनी पत्नी कस्तूरबा गांधी के साथ पुरी की यात्रा की, जहाँ भगवान जगन्नाथ की मूर्ति प्रतिष्ठित है। उन्होंने वहाँ से अपनी पदयात्रा आरम्भ की। वे वहाँ पर हरिजन पदयात्रा के लिए भी गए थे। वे कई बार उड़ीसा गए थे। एक बार पुरी की यात्रा के दौरान कस्तूरबा गांधी जैसी धार्मिक स्त्री के लिए जगन्नाथ मन्दिर के दर्शनों के लिए अपने आपको रोके रखना कठिन हो गया था, तब उन्होंने गांधी जी की

अनुमति मांगी। गांधी जी ने इन्कार कर दिया। उन्होंने उन्हें भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने से मना कर दिया। कारण यह था कि उस मन्दिर में हरिजन नहीं जा सकते थे तो उनका कहना था कि कस्तूरबा क्यों अन्दर जाए? उन्होंने कहा हम उस मन्दिर के अन्दर नहीं जायेंगे।

इसके बावजूद भी कस्तूरबा अपने आपको वहाँ जाने से नहीं रोक पाईं और गांधी जी की अनुमति बिना वहाँ जाने की हिम्मत बटोर ली। भगवान जगन्नाथ के दर्शनों में इतना आकर्षण था कि उन्होंने गांधी जी की भी अवज्ञा कर दी और वे सेवादल के एक कार्यकर्ता के साथ वहाँ चली गईं। लेकिन गांधी जी को इस बारे में पता चल गया। उसका परिणाम इतना बुरा हुआ कि कई वर्षों तक पति–पत्नी उस बारे में बात करते रहे। यह गौरवपूर्ण उदाहरण यह संकेत देता है कि गांधी के दिल में दलितों के लिए कितनी दया थी तथा कैसी भावनाएँ थीं।

निश्चय ही आज हमारा उद्देश्य सामाजिक न्याय के साथ विकास करना है। हमें आर्थिक विकास में वृद्धि करनी है और इसके साथ ही हमें ऐसी नीति का अनुपालन करना है जिसमें सामाजिक न्याय सुनिश्चित हो अर्थात् समाज में संतुलन लाना है। बढ़ते हुए असंतुलन को समाप्त करना है, इस प्रवृति को रोकना है ताकि विभिन्न वर्गों से सम्बन्धित लोगों अर्थात् गरीब से गरीब लोगों को भी स्वतंत्रता का लाभ मिल सके तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से हुई आर्थिक उपलब्धि का लाभ मिल सके। उस दिशा में हमारी नीति को ईमानदारी से तैयार करने तथा कार्यान्वित करने की आवश्यकता है।

इस दिशा में हमने अनेक कदम उठाए हैं। हमने उन्हें आरक्षण दिया है और उनके कल्याण के लिए हमारे अनेक कार्यक्रम अथवा योजनाएं हैं। ऐसा नहीं है कि इसके परिणाम हमें नहीं मिल रहे हैं लेकिन अभी भी काफी कुछ करना बाकी है। यहाँ मैं कहना चाहता हूँ कि इतनी तेज़ी से बढ़ती जनसंख्या भी हमारे लिए समस्याएं उत्पन्न कर रही हैं।

यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात है शिक्षा। यदि सही शिक्षा प्रदान की जाती है तो इससे छुआछूत की समस्या को हल करने में काफी सहायता मिलेगी। उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति को अच्छी सरकारी नौकरी मिलती है। यहाँ तक कि 'सुवर्ण' वर्ग अथवा उच्च जाति से संबंधित अथवा ब्राह्मण युवक भी हरिजन अधिकारियों की रसोई में काम कर रहे हैं। आई. ए. एस. अधिकारी के घर में ब्राह्मण युवक रसोइए के रूप में काम कर रहे हैं।

इसलिए यह शिक्षा ही है जो कि छुआ–छूत के बंधनों से मुक्त कराती है और छूत तथा अछूत के बीच भेदभाव को समाप्त करती है। समाज के कमजोर वर्ग की अत्यधिक खसंक दशा को देखते हुए शिक्षा के साथ–साथ उनको खाना, कपड़ा, किताबें इत्यादि जैसी अन्य सुविधाएँ भी उपलब्ध करवाने की आवश्यकता है।

जहाँ तक आर्थिक पक्ष का संबंध है हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है यहाँ के लोग काफी मेहनती हैं। वह छोटे मोटे काम भी करते हैं। अपने जन्म स्थान पर रोजगार के अवसरों के अभाव में उन्हें आजीविका की खोज में दूर–दराज के क्षेत्रों में जाना पड़ता है।

अन्न चिन्ता चमत्कार, यहाँ खाने की समस्या है और किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। एक भूखा इन्सान गुस्से से भरा हुआ होता है और एक युवक जो भूखा भी हो जिसमें गुस्सा भी हो वे किसी भी समय कुछ भी कर सकता है अथवा कोई अपराध भी कर सकता है। यहाँ तक कि आज भी हम देखते हैं कि अच्छे परिवारों के बड़े अफसरों के पढ़े–लिखे लड़कों को भी जब नौकरी नहीं मिलती तो वे भी अपराध करते हैं। ऐसा आजकल बहुत हो रहा है। इसलिए हमें रोजगार के अवसर प्रदान करने होंगे।

मूल रूप से हमारा देश कृषि प्रधान देश है। यहाँ भूमि का केंद्रीकरण है। यद्यपि हम विभिन्न राज्यों में भूमि–सुधार कार्यक्रम आरम्भ कर रहे हैं फिर भी अनेक राज्य सरकारें पूरी ईमानदारी तथा पूरे उत्साह से भूमि सुधार के प्रावधानों को कार्यान्वित नहीं कर रही है।

इसलिए भूमि के केंद्रीकरण को भी समाप्त करना होगा और भूमि सुधार को सही तरीके से कार्यान्वित करना होगा। इन लोगों को अतिरिक्त भूमि का वितरण किया जाना चाहिए। कुछ करने की आवश्यकता है। जब हम ऐसी भूमि का वितरण करते हैं जिस पर कुछ उगाया नहीं जा सकता तो ऐसी भूमि का वितरण करके हम गरीबी दूर नहीं कर रहे। हमें इस पहलू पर भी विचार करना चाहिए। सामूहिक वनारोपण तथा सहकारिता के आधार पर सामाजिक वनारोपण होना चाहिए। कुछ ऐसा करने की आवश्यकता है और यह केवल वाणिज्यिक आधार पर ही किया जा सकता है।

मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि वे एक अन्य मुद्दे पर भी विचार करें। रिकार्ड में दिखाया जाता है कि अनेक स्थानों पर भूमि के एक बड़े भाग पर जंगल के पास आरक्षित वनों की सीमा के अन्तर्गत आदिवासियों ने कब्जा कर रखा है लेकिन नक्शे में इन स्थानों को आरक्षित वन भूमि के रूप में दिखाया गया है। जबकि वहां कोई वन नहीं है। लेकिन नक्शे में वे वन भूमि है और देश भर में लाखों ऐसे स्थानों पर रह रहे आदिवासी लोगों को जमीन पर गैर कानूनी रूप से कब्जा किए हुए दिखाया जा रहा है और उनका राजस्व अधिकारियों द्वारा शोषण किया जा रहा है। उन्हें पोटाश भी उपलब्ध नहीं करवाई जा रही है। आइए हम इसका व्यावहारिक दृष्टिकोण देखें। आप उन लोगों को वहाँ से निकाल नहीं सकते क्योंकि वे दशकों से वहाँ रह रहे हैं और रिकार्ड में उस भूमि को वन–भूमि दर्शाया गया है। अकोवर में उन लोगों को काफी तंग किया जाता है। जब वे कुछ देते हैं जब वे अधिकारियों की हथेली गर्म करते हैं तब ही उन्हें वहाँ रहने दिया जाता है। यह बहुत गलत बात है और ऐसा नियमित रूप से हो रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूँगा कि वे इस मामले को मंत्रिमंडल में उठाएं और उपयुक्त मंच में भी पेश करें और व्यावहारिक दृष्टिकोण से एक स्थायी हल निकालने के लिए सरकार से विचार–विमर्श करें। यह एक सुझाव है।

कृषि भूमि के संबंध में सम्बद्ध सिंचाई सुविधाओं का भी प्रबंध किया जाना चाहिए।

जहाँ तक बिजली का संबंध है महोदय, आप जानते हैं कि विशेषकर हरिजन बस्ती के लोगों को सदियों से अछूत माना जा रहा है और उनकी बस्ती मुख्य बस्ती से बाहर होती है। ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत जब हम मुख्य गांव को बिजली

देते हैं तो कई बार हम इन हरिजन बस्तियों को छोड़ देते हैं जो कि मुख्य बस्ती से थोड़ी सी दूरी पर होती हैं। प्राथमिकता के आधार पर हमारी कुछ योजनाएँ हैं "एक बल्ब योजना" अथवा "हरिजन बस्ती योजना"। लेकिन इस समस्या के आयाम को देखते हुए हमने जो कुछ भी किया है वह बहुत कम है, न कि बराबर है। इसलिए इस ओर भी ध्यान देना होगा। चुनाव के दौरान अथवा अन्यथा जब भी हम इन लोगों के घरों मे जाते हैं, महोदय आपने भी अनुभव किया होगा, वे हमें बताते हैं कि उनके मुख्य गांव में बिजली है बल्ब है लेकिन वह अभी भी अंधेरे में रह रहे हैं।

महोदय, यही बातें उन्हें भड़का रही हैं। जैसा कि आप जानते हैं, महोदय आजकल प्रत्येक क्षेत्र के विकास की चाबी विद्युत के हाथ में है। हथकरघा, हस्तशिल्प इत्यादि किसी भी क्षेत्र में बिजली का ही बोल-बाला है। यदि बिजली है तो हम विकसित उपकरण प्रदान कर सकते हैं। महोदय, बिजली से प्रत्येक योजना डी. आर. डी. ए. योजना में फर्क पडेगा।

महोदय, मैं अब समाप्त करता हूँ। मैंने वचन दिया था कि मैं अधिक समय नहीं लूंगा।

महोदय, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश और उड़ीसा में मैंने देखा है कि व्यवसायवार कृषि तथा भूमि के बाद हथकरघा का ही नम्बर आता हैं। हथकरघा क्षेत्र में काफी लोग लगे हुए हैं जो कि हरिजन समुदाय से सम्बन्धित हैं। वे अनुसूचित जातियों के हैं। महोदय, अब हथकरघा क्षेत्र की उपेक्षा की जा रही है। एक और समस्या भी है जिसका सामना इन लोगों को करना पड़ रहा है और वह है इमिटेशन की जाली माल की। इस दिशा में भी कुछ करने की आवश्यकता है ताकि हम इस हथकरघा क्षेत्र को विकसित कर सकें तथा इसका आधुनिकीकरण कर सकें। आधुनिकीकरण के साथ-साथ उन लोगों को अन्य लाभ भी प्रदान करने चाहिए जिनकी रोजी-रोटी बुनकर उद्योग पर निर्भर है। वे अब निराश हो रहे हैं। अब उनके पास रोजगार नहीं है। अब वे कृषि मजदूरी जैसे कार्यों की ओर जा रहे हैं। इस हथकरघा क्षेत्र के कारण उनको पूरा जीवन कुछ और करना पड़ता है।

महोदय, अन्त में मैं यह कहूँगा कि गरीबी उन्मूलन जैसी अनेक योजनाएं जो कि अनुसूचित जातियों तथा कमजोर वर्ग लोगों को लाभ प्रदान करने के लिए कार्यान्वित की जाती हैं, सही तरीके से कार्यान्वित नहीं की जा रही हैं। इनका उद्देश्य विफल हो रहा है।

एक अन्य बात जिसका मैं उल्लेख करना चाहूँगा वह पीने के पानी के बारे में है। महोदय, कुछ क्षेत्रों में आपको पीने का पानी बेशक न मिले लेकिन देशी शराब और कच्ची शराब की कमी नहीं है। महोदय, तपती गर्मी में सूखा-ग्रस्त क्षेत्रों से जहाँ से पानी की कमी की गंभीर शिकायतें प्राप्त होती हैं। वहाँ राहत कार्य शुरू किए जाते हैं और कुछ लोग वहाँ मजदूरी करते हैं जहाँ राहत कार्य होता है। राहत कार्य अथवा ऐसी अन्य परियोजनाओं द्वारा उन्हें कुछ मजदूरी मिलती है और मजदूरी लेकर वे सीधा शराब वालों तथा शराब की दुकानों पर जाते हैं। एक ओर हम उन्हें कुछ देते हैं और दूसरी ओर इस प्रक्रिया के द्वारा हम उनसे वही ले लेते हैं।

महोदय, अन्त में क्या होता है? उनके घर में उनकी निर्धन औरतें अपने आदमियों का इंतजार करती रहती हैं कि वे आयेंगे और कुछ मजदूरी लायेंगे लेकिन पैसा देने की बजाए यह लोग वे उनको मारते हैं और उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है। दूसरी ओर वह यहाँ-वहाँ के घरों मे नौकरी करके जो कुछ भी कमाती हैं उससे घर का खर्चा चलाती हैं। सभी जगह अनेक परिवारों की यही स्थिति है। इसलिए शराब कमजोर वर्ग तथा निर्धन वर्ग की दुश्मन है।

महोदय, गांधी जी ने एक बार कहा था कि शराब पीना वैश्यावृत्ति से भी घृणित कार्य है। गांधी जी ने अपने ही शब्दों में अपने लेखों **हरिजन** और अन्य प्रकाशनों में कहा है कि पीने की आदत, मद्यपान इत्यादि वैश्यावृत्ति से अधिक घृणित अपराध है। महोदय, आज के संदर्भ में भी यह संगत है। जब हम पद दलितों की अच्छाई के लिए विभिन्न योजनाओं की बात करतें है तो हमें देखना चाहिए कि मद्यनिषेध भी लागू हो और वह मद्यनिषेध नाम-मात्र के लिए नहीं बल्कि वास्तविक तौर पर लागू होना चाहिए। अब कुछ राज्यों में मद्यनिषेध लागू किया गया है लेकिन मंत्री से लेकर कर्मचारी तक कोई भी इस मामले में गंभीर नहीं है। उन्हें केवल अपने पैसे से मतलब है जो कि उन्हें इस गैर कानूनी व्यापार से प्राप्त होता है। इसलिए उन क्षेत्रों में जहाँ मद्यनिषेध लागू किया गया है वहाँ नकली शराब अनेक जानें लेती हैं।

इसलिए पूरी ईमानदारी से देश में मद्यनिषेध लागू किया जाना चाहिए विशेषकर उन जनजातीय क्षेत्रों में जहाँ अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों का बाहुल्य है।

इन कुछ सुझावों के साथ मैं एक बार फिर आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे इस चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया।

उपाध्यक्ष महोदय : इस विषय पर चर्चा आज समाप्त होती है और इस पर कल माननीय मंत्री जी द्वारा जवाब दिया जाएगा।

अब सभा पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

6.56 म.प.

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार 9 दिसम्बर, 1994, 18 अग्रहायण, 1916 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।